NAINI TAL.

Class No. 954·094

Book No. R 146 A

राजनीतिक क्षेत्र में मारवाड़ी समाज

की

लेखक

राधाकृष्ण नेवटिया

प्रकाशक
राजनीतिक उपसमिति
अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन
१५२-बी, हरिसन रोड
कलकत्ता

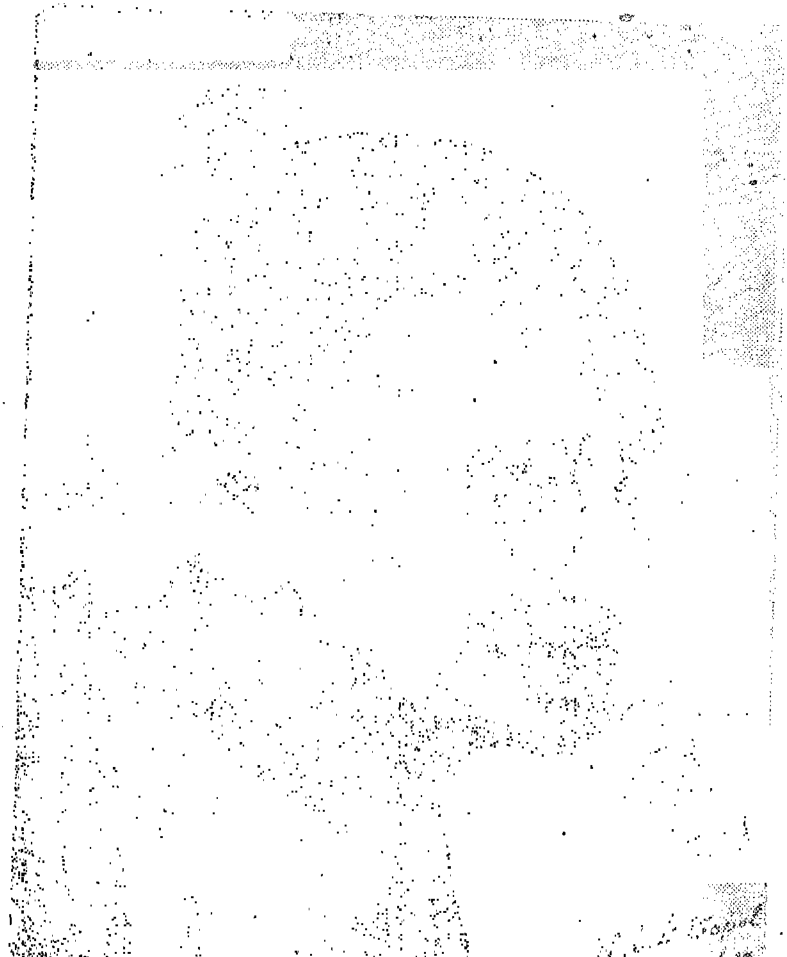
Received On.

मुद्रक
परमानन्द पोद्दार
यूनाइटेड कमर्शियल प्रेस लिमिटेड,
३२, सर हरिराम गोयनका स्ट्रीट
कलकत्ता

प्रथम संस्करण

वसुधैव कुटुम्बकम् के महान समर्थक

चित्र ३



अमर महात्मा गांधी



सन् बयालीस के खूनी दिन बीत चुके थे। देश की सियासी जिन्दगी कराहों और आहों के नीचे साँस ले रही थी। विद्रोह के उन अभिमानी दिनों में आन्दोलन के संचालन और कार्यकर्त्ताओं के संगठन का एक छोटा-सा भार मुझ पर डाला गया था। प्रचार और संगठन के उन जोशीले दिनों में मारवाड़ी समाज के कार्यकर्त्ताओं की कर्मण्यता, निर्भीकता और त्याग को नजदीक से, भर-नज़र, देखने का मौका मुझे मिला।

मन में इच्छा ज़ोर मारने लगी, इन विद्रोही भाई-बहिनों और इनके अलावे, देश की स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिये गली-गली अलख जगाने वालों का एक प्रामाणिक जीवन चरित प्रकाशित किया जाय। सन् १९१५ से १९४२ तक देश की आज़ादी के लिये मारवाड़ी समाज के अगणित भाई-बहिनें फाँसी पर लटक गयीं, गोलियों के शिकार हुईं और अपनी विशाल सम्पत्ति देशहित के कार्यों में अर्पित कर दीं। सोचने लगा, इन सबसे देश की आम-व-खास जनता को परिचित कराना नितान्त आवश्यक है।

गत वर्ष अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्लमेन का अधिवेशन बम्बई में हुआ। उसके सभापति बरार-केशरी माननीय श्रीब्रिजलाल बियाणी निर्वाचित हुए। अधिवेशन के बाद वे अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन की कार्यकारिणी की बैठक में शिमला

होंने कलकत्ता आये। उसी समय सम्मेलन के अन्तर्गत उनकी प्रेरणा से कई उप-समितियों का निर्माण हुआ। उनमें एक राजनीतिक उपसमिति भी थी। मुझे सम्मेलन की ओर से इसका संयोजक बनाया गया।

राजनीतिक उपसमिति के साथ सम्बन्ध होते ही, मारवाड़ी समाज के राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं के जीवन-चरित प्रकाशित करने की ओर मेरा ध्यान पुनः आकर्षित हुआ। उपसमिति के सम्मुख मैंने अपना विचार उपस्थित किया। उपसमिति ने इस कार्य की महत्ता और उपादेयता स्वीकार की तथा जीवन-चरित के संग्रह और लेखन का कार्य-भार सर्व-सम्मति से मुझे सौंपा। उपसमिति के इस निर्णय से मुझे काफी बल मिला। इस प्रकार जीवन-चरित संग्रह करने का कार्य प्रारम्भ हो गया।

मारवाड़ी जाति इस देश के कोने-कोने में फैली है। उत्तर में नगराज हिमालय के पहाड़ी प्रदेशों से लेकर सुदूर दक्षिण में कन्या कुमारी और पश्चिम के सीमान्त प्रदेश से आसाम की पहाड़ियों तक मारवाड़ी समाज के व्यक्ति जीवन-यापन कर रहे हैं। एक ऐसी जाति, जिसका सीमा-विस्तार इतनी दूर तक हो, अपने कार्यों की विविधता का संग्रहन और उल्लेख सुगमता के साथ नहीं कर सकती। शुरू में इस कार्य को मैंने बहुत ही सरल समझा था, परन्तु धीरे-धीरे इसकी कठिनाइयाँ ध्यान में आने लगीं।

विभिन्न प्रान्तों के कार्यकर्त्ताओंका जीवन-चरित प्रस्तुत करने के लिये मैंने एक सज्जन को बाहर भेजा। उन्होंने कई प्रान्तों के बड़े-बड़े शहरों में भ्रमणकर सामग्री इकट्ठी की। लेकिन, जिस आशा से यह कार्य आरम्भ हुआ, सफलता उतनी नहीं मिली। कुछ सज्जनों ने सिद्धान्ततः अपना जीवन-चरित देना अनुचित समझा। कुछ का सहयोग पाने में भी हम असमर्थ रहे।

तब, उपलब्ध सामग्री के आधार पर पुस्तक के लिखने का काम शुरू हुआ। लेकिन, एक बहुत बड़ी समस्या फिर सामने आ खड़ी हुई। वह थी ब्रिटिश भारत और राजपूताने की रियासतों में रहनेवाले मारवाड़ी समाज के व्यक्तियों का जीवन-

चरित एक साथ लिखने की। कुछ विद्वानों ने सुझाव दिया कि राजपूताने की रियासतों और ब्रिटिश भारत के स्वाधीनता-आन्दोलनों की रूपरेखा और पृष्ठभूमि पृथक-पृथक हैं। फलतः काफी उलझनों और सन्देहों के बीच यह निर्णय हुआ कि पहले ब्रिटिश भारत में निवास करने वाले भाई-बहिनों का ही जीवन-चरित लिखा गया ; बाद में, दूसरे भाग में राजपूताने के जीवन-चरित लिखने पर विचार किया जायगा।

काफी परिश्रम के पश्चात् ४८३ भाई-बहिनों का जीवन-चरित संग्रह किया जा सका है। मैं जानता हूं, यह संख्या नगण्य है। कारण, किसी-किसी प्रान्त के एक-एक जिले से मारवाड़ी समाज के सैकड़ों कार्यकर्ता जेल जा चुके हैं। परन्तु, साधनाभाव और लोगों की असहयोगी नीति के कारण मैं पूरी सामग्री एकत्रित करने में अक्षम रहा। दुःख के साथ मैं स्वीकार करता हूं कि इस संख्या से कहीं सैकड़ों से अधिक भाई-बहिनों का असुलभ जीवन-चरित पुस्तक में न दे सका। उनसे मैं क्षमा की आशा रखता हूं। साथ ही इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आगामी संस्करण में उनका जीवन चरित प्राप्त होने पर उसे पुस्तक में साभिमान स्थान दे अपने को गौरवान्वित हुआ समझूंगा।

पुस्तक में केवल जीवन-चरित ही नहीं रखा गया है, वरन् सन् १९१५ से सन् १९४२ तक, देश की जनता-द्वारा स्वाधीनता-प्राप्ति के लिये की गयी चेष्टाओं और उनके दमनार्थ भारत की अंगरेजी सरकार के खौफनाक और बीभत्स अत्याचारों का विस्तारपूर्वक वर्णन भी किया गया है। सम्भव है, वह पूर्ण न हो। फिर भी मैंने वैसा करने का पूर्ण प्रयत्न किया है।

पुस्तक के लिखने में मैंने निम्नलिखित पुस्तकों, सरकारी और गैर सरकारी रिपोर्टों, हिन्दी और अंगरेजी के दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्रों आदि से प्रचुर सहायता ली है। अतः इनके विद्वान् लेखकों और सम्पादकों का मैं हृदय से कृतज्ञ हूं। पुस्तक में दिये आंदोलन-सम्बन्धी आंकड़े अधिकतर श्रीगोविन्द सहाय, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी, युक्त-प्रांत की पुस्तक "सन् बयालीस का विद्रोह" (अङ्गरेजी और

हिन्दी संस्करण) से लिये गये हैं :—

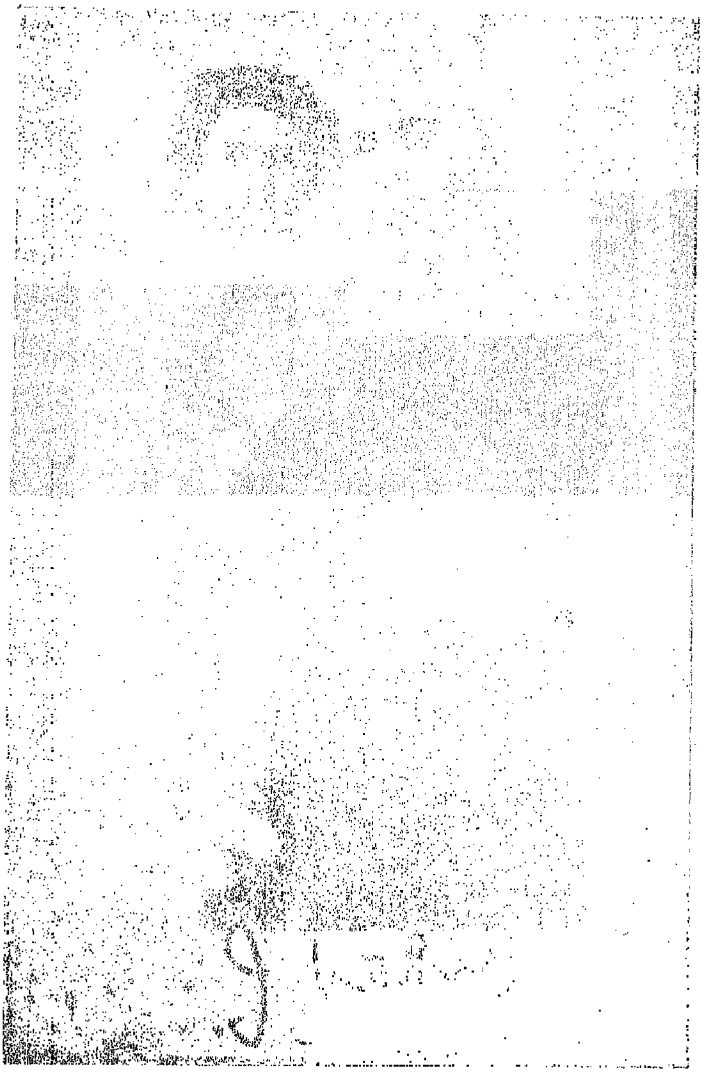
१—हिन्दुस्तान की कहानी—पं० जवाहरलाल नेहरू		
२—कांग्रेस का इतिहास—डा० पट्टाभि सीतारम्मैया		
३—जैन-सन्देश — मासिक		दिल्ली
४—हिन्दुस्तान	दैनिक	,,
५—सैनिक	साप्ताहिक	आगरा
६—संसार	दैनिक	बनारस
७—योगी	साप्ताहिक	पटना
८—हुंकार	,,	,,
९—आदर्श	,,	कलकत्ता

पुस्तक में कुछ प्रसिद्ध कार्यकर्त्ताओं के जीवन-चरित भी पूर्ण जानकारी के अभाव में संक्षिप्त रूप में देने पड़े हैं। किसी भी प्रकार की सहायता न मिलने के कारण, अपने अस्त-व्यस्त जीवन की यादगारी के बल पर उतना मैं दे सका हूं, इसकी प्रसन्नता है। लेकिन, इससे सन्तोष नहीं है। उन मित्रों से मेरा अनुरोध है, इसे वे मेरी भूल न समझें। यदि वैसे मित्रों के जीवन-चरित अब भी मिल गये, तो अगले संस्करण में मैं उनका पूरा उपयोग करूँगा।

पुस्तक के लिखने और सुन्दर बनाने में श्रीब्रिजलाल बियाणी की जो सहायता मुझे मिली है, उसका आभारी हूं। भूमिका लिखकर उन्होंने इसकी सुन्दरता में चार चाँद लगा दिया है। जयपुर-अधिवेशन के लिये शीघ्रता के साथ पुस्तक छपी है। अतएव भूलों का रह जाना आवश्यक है। और वे पुस्तक में हैं भी। मैं उन्हें जानता हूं। प्रेस ने इतने कम समय में इसे प्रकाशित कर दिया यह उसके कर्मचारियों की लगनशीलता और कर्मठता का परिचायक है। मैं स्वयं उनका अनुग्रहित हूं।

जौहर्ग परख

भारत के प्रधान मंत्री

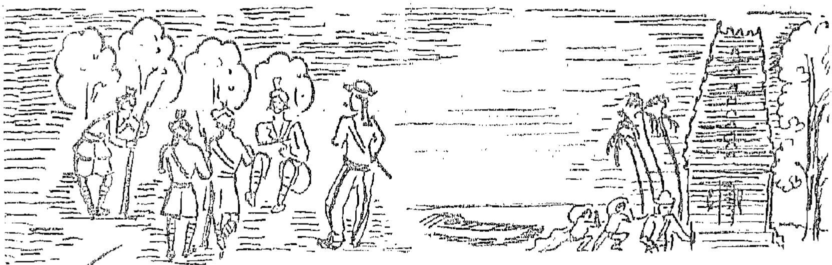


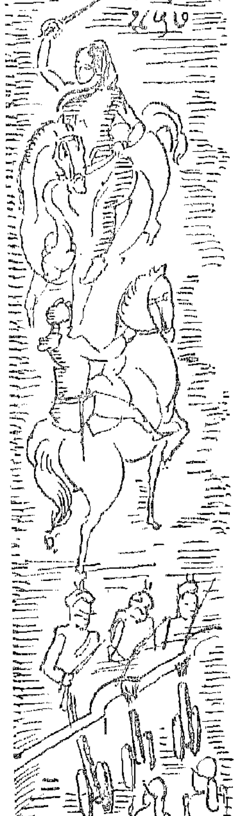
पं० जवाहरलाल नेहरू

पुस्तक के इस स्वरूप से मुझे स्वयं संतोष नहीं है। अगले संस्करण में ऐसी बात नहीं रह जायगी, इसका विश्वास है। जिन मित्रों ने पुस्तक के लेखन आदि में सहायता की है; उनका मैं हृदय से कृतज्ञ हूं।

कलकत्ता
९ दिसम्बर १९४८

राधाकृष्ण नेवटिया





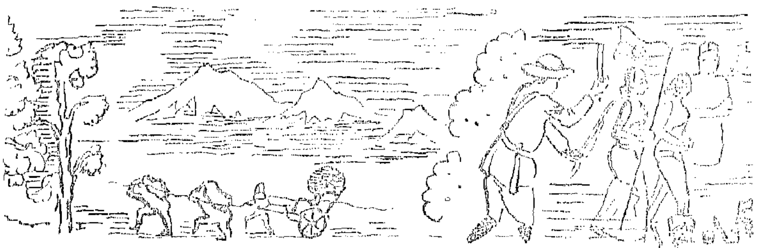
बिखरी स्मृतियाँ

थी प्रलय-शिखर पर नाच उठी उद्दीप्त सूर्य की अरुण किरण
दब गया मौन भूगोल, बढ़े द्रुत महाकाल के चपल चरण
धरती की छाती डोल उठी, दिग्गज भय से चिग्घार उठे
आकाश शून्य वह गरज उठा, शेष शेषनाग फुफकार उठे
अरमान जगे उन वीरों के सहसा असि की झनकारों में
विद्रोह मूर्त हो उठा क्रुद्ध उनके कटु हाहाकारों में
पड़ गयीं शिथिल जंजीरें सदियों की जकड़ी, टूटे बंधन
प्रभुता का सिंहासन डोला, विध्वंस ध्वस्त युग का शोषण
कर रण-चाण्डी निर्घोष उठी 'लक्ष्मीबाई' की सुन पुकार
ले अर्घ्य प्राण का चले 'कुँअर', 'नाना' से बलिदानी अपार

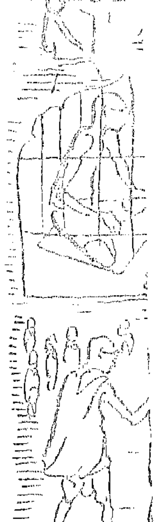
× × ×

युग ने ली अँगड़ाई सहसा जागा सोया दुर्दम यौवन
जागरण-विभा फैली जग में कण-कण में आया नव जीवन
छब्बीस जनवरी का वह दिन भारत के जन-जन का प्यारा
जब लगा उठे थे गूंगे भी वह इन्किलाब का प्रिय नारा
अणु-अणु से प्रतिध्वनि गूंज उठी आजादी की थर्राती-सी
वह महाक्रान्ति थी जाग उठी संगीत प्रलय का गाती सी





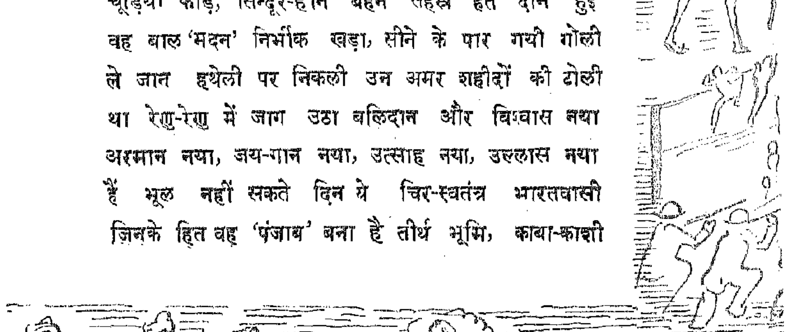
श्री उपेन्द्र

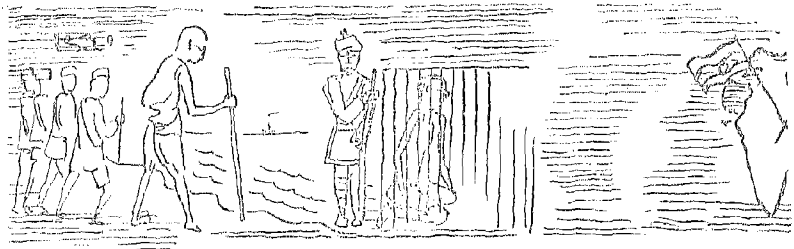


संगीनें थीं झुक गयीं अहिंसा के अकाट्य उन वारों से
थी कभी जवानी जूझ गयी शस्त्रों के विषम प्रहारों से
पगले लहरों पर खेल चले था कभी बदल इतिहास गया
सूखी बलिवेदी सींच गये उर में लेकर उल्लास नया
नयनों से आँसू नहीं, कभी था छिटक पड़ा अंगार प्रखर
सदियों की धारा बदल गयी, था बदल गया संसार सुघर

× × ×

अब भी झेलम की लहरों में हो रही ध्वनित युग की वाणी
आकाश पिघल बन नीर हुआ करुणा बन पिछली पाषाणी
बह चली रुधिर की धार तप्त, मातायें पुत्र-विहीन हुईं
चूड़ियाँ फोड़, सिन्दूर-हीन बहनें सहस्र हत दीन हुईं
वह बाल 'मदन' निर्भीक खड़ा, सीने के पार गयी गोली
ले जान हथेली पर निकली उन अमर शहीदों की टोली
था रेणु-रेणु में जाग उठा बलिदान और विश्वास नया
अरमान नया, जय-गान नया, उत्साह नया, उल्लास नया
हैं भूल नहीं सकते दिन ये चिर-स्वतंत्र भारतवासी
जिनके हित वह 'पंजाब' बना है तीर्थ भूमि, काबा-काशी



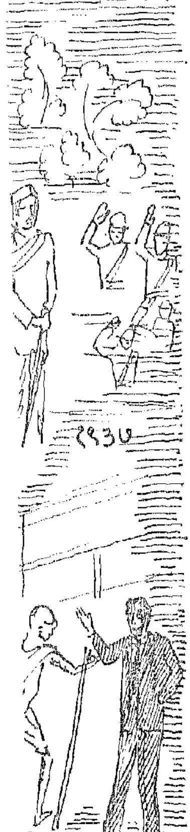


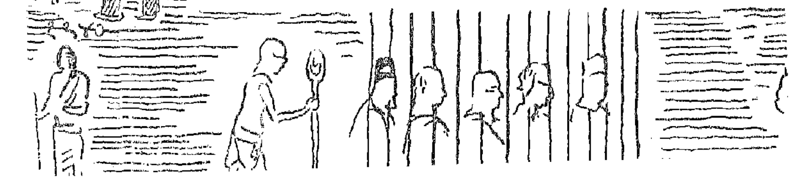
बिखरी स्मृतियाँ

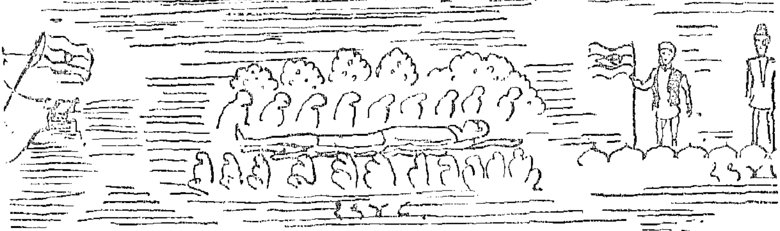
बयालीस साल में जागीं फिर वर्षों की सोयी आत्माएँ
गोदी से बच्चे उछल पड़े, हुंकार उठी थीं ललनाएँ
थी जमीं कब्र की फटी और अम्बर में हाहाकार उठा
नस-नस में प्लावित अनल-धार, लहरों में भीषण ज्वार उठा
वे जौनपुर, आष्टी-चिमूर के जाग उठे थे मतवाले
फाँसी पर कितने झूल गये इतिहास नया रचने वाले
अध्याय बना नूतन, पृष्ठों पर दौड़ विकट तूफान गया
उन कोटि-कोटि 'शव की समाधियों' पर सुन्दर निर्माण नया
कारा की दीवारें टूटीं, थे 'भगत' अनेकों जाग उठे
थी वही विपथगा क्रान्ति-धार सदियों के भ्रम थे भाग उठे

× × ×

बंगाल, हाय वे स्मृतियाँ अब बन ढलतीं आँखों का पानी
वह स्वर्ण-भूमि हत दीन बनी कर रही नियति थी मनमानी
वह विषम क्षुधा-तांडव, जिसकी ज्वाला में जलते नर-नारी
टुकड़े पर दौड़ा करते थे क्या सुत, क्या माता बेचारी
श्वानों से भी जो छीन-झपट खाने को रहते थे विह्वल
था वह अजेय मानव दानव बन गया दीन, श्रीहीन, विकल

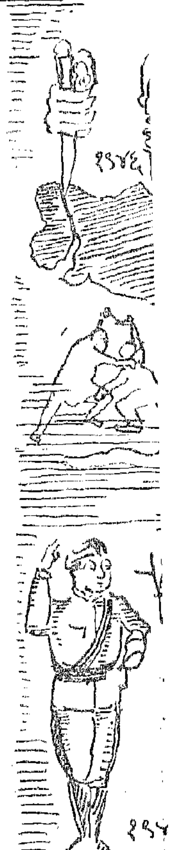


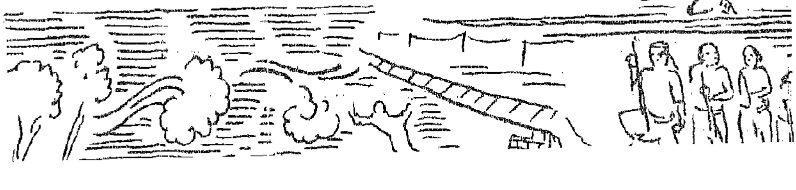


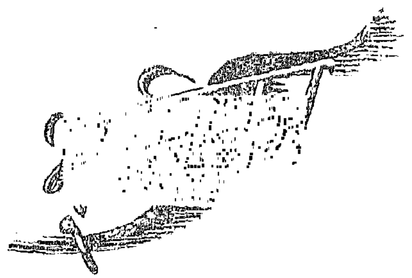


श्री उपेन्द्र

थीं अर्द्ध-नग्न शत-शत माताएं विकल व्यथा से सिसक रहीं
बहनों को लुटती लाज देख थी करुणा भी वह दहल रही
'सीता'-सी बहन, 'सुभद्रा'-सी नारियाँ लुटीं आंसू पी कर
कितने 'गौतम' और 'ईसा' से नर-पुंगव मिटे क्षुधा से मर
सड़कों के दृश्य भयावह वे भूले भी नहीं भुलायेंगे
ललनाओं की कातर पुकार क्या भूल कभी हम पायेंगे ?
कोमल शिशुओं का आर्तनाद युग की पुकार बन जायेगा
बालाओं का लुटता शृंगार रो - रोकर हमें जगायेगा
हो सकती व्यक्त न शब्दों से करुणा की मूर्त कहानी वह
सदियों तक मिट सकती न अमिट जीवन की जली निशानी वह
यौवन का वह खोया स्वरूप क्या भूल कभी हम पायेंगे ?
आंखों के अंगारे आंसू बन-बनकर ढलते जायेंगे
युग निशिदिन अश्रु बहायेगा संसृति के सूने खंडहर में
साक्षी होगा इतिहास, कभी वे पूजित होंगे घर-घर में
आने वाली पीढ़ियाँ समुद जीवन का अर्घ्य चढ़ायेंगी
नयनों में ले अविरल आंसू उनकी दुःख-गाथा गायेंगी







भारतवर्ष में अहिंसा के शस्त्र को लेकर स्वतंत्रता की एक नवीन प्रकार की लड़ाई लड़ी गई। देश के आबालवृद्ध सब जाति के और सब प्रान्तों के स्त्री-पुरुषों ने अपना योग दिया। त्याग का एक अपूर्व प्रवाह इस देश में बह गया और इसमें जिन-जिन ने अपना हिस्सा लिया उन्होंने अपने निज के लिए और अपने देश के लिये अपना कर्त्तव्य पालन किया। वे आजादी के सिपाही हो गये और सिपाहियों की स्मृति देश की जनता का कर्तव्य है।

भारत में भिन्न-भिन्न प्रान्त हैं। भिन्न धर्म और भिन्न समाज। इस परिस्थिति में राष्ट्रीयता के साथ प्रान्तीयता का योग्य ममत्व भी है और अपनी जातीयता का प्रेम भी। पर यह सारा राष्ट्रीयता के क्षेत्र में है। भारत की आजादी की लड़ाइयों ने इस बात को स्पष्टतः दिखा दिया है कि राष्ट्र इस नाते भारत की एकता सर्वव्यापी है और हर प्रान्त और हर जाति का व्यक्ति अपनी भिन्नता को भूलकर राष्ट्र के लिये अपना कर्तव्य पालन करता है। इस राष्ट्रीय कर्तव्य-पालन का परिणाम ही स्वराज्य प्राप्ति है।

राष्ट्रीय सैनिकों की स्मृति या इतिहास राष्ट्र की ओर से होना स्वाभाविक ह परन्तु उसमें हर प्रांत और हर व्यक्ति का राष्ट्र के प्रमाण में ही स्थान हो सकता

है। हर प्रांत और हर समाज की अपने सिपाहियों की यादगार रखने की भाव
न्याय हो सकती है।

मारवाड़ी समाज का संबंध एक प्रांत से है। मारवाड़ी शब्द प्रान्तीयता
द्योतक है परन्तु मारवाड़ी समाज की व्याप्ति देशव्यापी है। भारत के भिन्न-भि
प्रांतों में निवास करनेवाले मारवाड़ी बहन-भाइयों ने देश की आजादी के युद्ध में र
प्रकार से अपना योग दिया। समाज ने अपना धन दिया, अपनी बुद्धि दी और दि
अपने सैनिक भी। मारवाड़ी समाज के सैनिकों ने देश की आजादी के युद्ध में भ
लेकर अपनी राष्ट्रीयता को प्रस्थापित किया है तो साथ ही जिस प्रांत में वे निवा
करते हैं वहां की जनता के साथ उनकी समरसता को प्रदर्शित किया है। मारवा
समाज केवल अर्थ-प्राप्ति के लिये नहीं है। पर वह सैनिक के रूप में भी अपन
कर्त्तव्य पालन कर सका है और जनसंख्या के प्रमाण में उसके सैनिकों की संख्
भी कम नहीं जा सकती। मारवाड़ी समाज ने आजादी के युद्ध में अपना उ
कर्त्तव्य पालन किया है उसके लिए मारवाड़ी समाज के हर व्यक्ति को कर्त्तव
पालन का संतोष हो सकता है।

मारवाड़ी समाज के जिन भाइ-बहनों ने आजादी के युद्ध में सैनिक के रूप
अपना कर्त्तव्य पालन किया है उनका संक्षिप्त ब्यौरा तैयार किये जाने की भावन
स्वाभाविक है। मारवाड़ी समाज का देशव्यापि यदि कोई संगठन आज है, तो व
है अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन। इस सम्मेलन की ओर से इस प्रकार क
इतिहास प्रकाशित हो यह नितान्त उचित है।

कार्य उचित होने पर भी करने वालों की आवश्यकता होती है। भाई राधाकृष्णज
नेवटिया ने इस कार्य को करने का निश्चय किया और अन्त में पूरा भी किया।
इस कार्य के लिए श्रीनेवटियाजी को बधाई देता हूं।

जहाँ तक मेरा ध्यान है इस पुस्तक में संपूर्ण जानकारी नहीं है। प्रयत्न कर
पर भी अनेक सैनिकों की जानकारी नहीं मिली होगी। मारवाड़ी समाज में प्रसिद्ध

और संगठित कार्य करने की आवश्यक मनोवृत्ति अभी पैदा नहीं हुई। यह पुस्तक अपूर्ण हो सकती है। अनेक मित्रों के जीवन नहीं मिलेंगे, अतः मारवाड़ी समाज के त्याग का यह संपूर्ण चित्र नहीं है। परन्तु संपूर्णता प्राप्ति के अभाव में प्राप्त अपूर्णता ही संतोषप्रद होती है। जिन मित्रों के नाम इस पुस्तिका में न मिलें उनको निराश और नाराज होने का काम नहीं है। उन्होंने देश के प्रति अपना कर्तव्य पालन किया है, समाज का उनके प्रति आदर है परंतु प्रयत्न करन पर भी जानकारी न मिल सकी, इसी कारण उनके नामों का समावेश न हो सका।

इस पुस्तिका में मारवाड़ी समाज अपनी राष्ट्र-सेवा का दर्शन करेगा, उससे स्फूर्ति प्राप्त करेगा। यह आशा है।

भाई राधाकृष्णजी ने इस कार्य को किया इसलिये सम्मेलन उनका आभारी है और इस पुस्तिका के प्रकाशन के समर्थन में कुछ पंक्तियाँ लिखने का सम्मान भाई नेवटियाजी ने मुझे दिया अतः मैं उनका कृतज्ञ हूं।

सामयिक कर्तव्य पालन में व्यक्ति और राष्ट्र का जीवन है और यह पुस्तिका सामयिक कर्तव्य पालन का संक्षिप्त इतिहास है। इसका योग्य आदर होगा यह आशा है।

नयी दिल्ली
२४-११-४७

ब्रिजलाल बियाणी

वर्णानुक्रमणिका

आसाम-प्रान्त

१	गणेश प्रसाद फोगला	४९
२	छगनलाल जैन	५०
३	नन्दराम बजाज	५०
४	पद्मसुख अग्रवाल	५०
५	भगवती प्रसाद लडिगा	५०

बंगाल-प्रान्त

१	ओंकारमल सराफ	८७
२	इन्दुमती गोयनका	९५
३	कन्हैयालाल चितलांगिया	८५
४	किशोरी लाल शर्मा	१२६
५	कृष्णलाल अग्रवाल	१४३
६	गंगादेवी मोहता	१००
७	गोविन्दराम गोयनका	१२३
८	गंगाप्रसाद भौतिका	१२८
९	गोविन्द प्रसाद कानोडिया	१३९
१०	चमेली देवी	११७
११	चिरंजीलाल सराफ	१२०
१२	चिरंजी लाल केजड़ीवाल	१४६
१३	ज्वालाप्रसाद कानोडिया	८६

आ राजनीतिक क्षेत्र में मारवाड़ी समाज की आहुतियाँ

१४ जगतसिंह लोढ़ा	१४५
१५ जयनारायण शर्मा	१४८
१६ डालिमचन्द सेठिया	१२८
१७ तुलसीराम सरावगी	१३४
१८ ताजबहादुर महनोत	१३४
१९ देवी शंका	११७
२० नथमल सराफ	१२०
२१ नथमल अग्रवाल	१२१
२२ नागरमल शर्मा	१२६
२३ नथमल अग्रवाल	१४८
२४ नागरमल मोदी	९३
२५ प्रभुदयाल हिम्मतसिंहका	८३
२६ पद्मराज जैन	८७
२७ पन्नालाल गोयनका	१३३
२८ फूलचन्द चौधरी	८५
२९ फतेहचन्द नाहटा	१४०
३० बसन्तलाल मुरारका	९०
३१ बैजनाथ केडिया	९६
३२ बृजलाल गोयनका	११९
३३ बनवारीलाल झुनझुनवाला सिंहका	१२०
३४ विजयसिंह नाहर	१२५
३५ बालकृष्ण मोहता	१२७
३६ बाबूलाल पोद्दार	१२९
३७ ब्रह्मदेव मोहता	१३१

३८ विनायकप्रसाद हिम्मतसिंहका १३२
३९ बालकृष्ण गुप्त १३७
४० विलासराय अग्रवाल १४१
४१ बनवारीलाल लाठ १४८
४२ भगवानदेवी सेकसरिया ११६
४३ भँवरमल सिंघी १२३
४४ भागीरथजी कानोडिया १२९
४५ भालचन्द्र शर्मा १३१
४६ भूपति सिंह दूगड़ १४५
४७ मूलचन्द्र अग्रवाल ९४
४८ मेघराज सेवक ११३
४९ मोतीलाल लाठ १३८
५० मदनगोपाल जोशी १३१
५१ महादेव शर्मा १४६
५२ मदनलाल अग्रवाल १३९
५३ यमुना प्रसाद पाण्डेय ११८
५४ रामचरण भारतिया १०४
५५ रामकुमार भुवालका १०५
५६ राधाकृष्ण नेवटिया १०८
५७ रामकिसन सरावगी १२१
५८ राममनोहर लोहिया १२२
५९ रामप्रसाद जोशी १४४
६० सज्जनदेवी महनोत १०१
६१ रामनिरंजन सरावगी १३७

६२ रंगलाल जाजोदिया १३७
६३ राजेन्द्रकुमार महनोत १३३
६४ रामेश्वरलाल नोपानी १३५
६५ सीताराम सेकसरिया १०२
६६ सरस्वती देवी ११७
६७ सिद्धराज ढड्ढा १२४
६८ सरदार सिंह महनोत १२४
६९ शेरसिंह बांठिया १२९
७० शिवरतनलाल बिन्नानी १३०
७१ संदीप सेठिया १४५
७२ श्यामनारायण झुनझुनवाला १४६
७३ सागरमल अग्रवाल १४९
७४ हनुमान प्रसाद पोद्दार ८६
७५ हीरालाल लोहिया ११५
७६ हरिराम बगड़िया १२०
७७ हनुमान प्रसाद बाजोरिया १२१
७८ हजारीलाल जैन १३९
७९ हजारीलाल अग्रवाल १४९
८० ज्ञानवती लाठ १३६
८१ श्रीनिवास पुरोहित १४९
८२ श्रीनारायण शर्मा १२१

उड़ीसा-प्रांत

१ ज्वालाप्रसाद सरावगी १५५
२ प्रह्लादराय लाठ १५७

३ भोलानाथ शाह १५३
४ लक्ष्मीनारायण छापड़िया १५५
५ सुरजमल शाह १५६
६ शिवचन्द्र राय अग्रवाल १५७

बिहार-प्रान्त

१ अगरचन्द जैन १८४
२ किशनलाल केडिया १८३
३ किशोरी देवी डोलिया १८९
४ गौरीशंकर डालमिया १९६
५ गोकुलचन्द हरलालका १९७
६ गदाधर प्रसाद चौधरी १६३
७ गौरीशंकर अग्रवाल १९८
८ गौरीशंकर धानूका १७८
९ चम्पालाल जैन १८४
१० चिरंजीलाल जालुका १९२
११ देवीप्रसाद तुलस्यान १७९
१२ नारायण प्रसाद अग्रवाल १६५
१३ नथमल चुड़ीवाल १६९
१४ नगेन्द्र कुमार १७०
१५ नौरंग राय सिंहानिया १८९
१६ नागरमल जालुका १९१
१७ परमेश्वर लाल जैन 'सुमन' १७८
१८ बनारसीलाल झुनझुनवाला १६२
१९ बजरंगलाल केजड़ीवाल १९०

ङ. राजनीतिक क्षेत्र में मारवाड़ी समाज की आहुतियां

२०	बंशीधर केजड़ीवाल	१७९
२१	बैजनाथ प्रसाद भावसिंहका	१७५
२२	मोहनलाल	१६६
२३	बंशीधर अग्रवाल	१८६
२४	बुधमल शारदा	१८६
२५	बैजनाथ प्रसाद सुलतानिया	१८८
२६	बंशीधर हलवाई	१९६
२७	मुरलीधर खेतान	१६८
२८	मुरलीधर मोदी	१७४
२९	महेश्वर प्रसाद खानुका	१७८
३०	मोतीलाल झुनझुनवाला	१७९
३१	महावीर प्रसाद खेमका	१८०
३२	महादेव लाल सुरेका	१९०
३३	मांगीलाल जादुका	१९२
३४	मोतीलाल मुनका	१९४
३५	मोतीलाल केजड़ीवाल	१९५
३६	महादेवी केजड़ीवाल	१९५
३७	राधाकृष्ण भावसिंहका	१७५
३८	रामगोपाल सराफ	१७८
३९	रघुनाथ प्रसाद अग्रवाल	१८८
४०	रावतमल अग्रवाल	१९१
४१	रामजीवन हिम्मतसिंहका	१९७
४२	रामकुमार बजाज	१९८
४३	रामस्वरूप अग्रवाल	१९८

४४ सोहनलाल अग्रवाल १८५
४५ सुन्दरमल सुनका १९४
४६ श्यामसुन्दर खेमका १८५
४७ हरनारायण जैन १८५
४८ हरिप्रसाद शर्मा १८५
४९ हीरालाल सराफ १७३
५० त्रिलोकचन्द केडिया १८४
५१ संतलाल जैन १६६

युक्त-प्रान्त

१ अमोलकचन्द जैन २०८
२ अमृतलाल २१३
३ आनन्दशङ्कर पोद्दार २२३
४ अंगूरी देवी २३९
५ अचलसिंह जैन २४९
६ अजीतप्रसाद जैन २५४
७ अकलंक प्रसाद २६१
८ आनन्द प्रकाश २६२
९ अभिनन्दनकुमार टड़ैया २६७
१० उत्तमचन्द २४४
११ उग्रसेन २८०
१२ उलफत राय २६१
१३ उत्तमचन्द जैन २६८
१४ किशोरी देवी २१३
१५ कपूरचन्द जैन २४२

१६	किसनलाल	२४४
१७	कैलाशचन्द्र दुकानदार	२५४
१८	केशोशरणजी	२६४
१९	केशरबाई जैन	२६८
२०	कुन्दनलाल मलैया	२७०
२१	खुशालचन्द्र अग्रवाल	२०८
२२	खूबचंद जैन	२७१
२३	गुलाबचंद	२१३
२४	गजानन्द डीबड़ेवाल	२१६
२५	गोविन्दराम जैन	२४१
२६	गोवर्धनदास जैन	२४३
२७	गुलजारी लाल	२४८
२८	गुणधर लाल	२५०
२९	गंगा देवी	२६३
३०	गोपीचन्द जैन	२६०
३१	गोविन्ददास जैन	२७०
३२	घनश्याम दास	२१३
३३	चित्तरंजन कुमार	२२८
३४	चाँदमल जैन	२३६
३५	चिम्मनलाल	२४४
३६	चुन्नीलाल चरखावल	२६१
३७	जयनारायण गोयनका	२३४
३८	जगदीश प्रसाद नारायण	२५८
३९	झूमनलाल	२५१

४० टेकचन्द २६३
४१ डालचन्द जैन २७१
४२ ताराचन्द जैन २६९
४३ दुलीचन्द जैन २७०
४४ दीपचन्द वकील २६१
४५ दयाचन्द २१२
४६ देशदीपक २५०
४७ दरबारी लाल २५०
४८ धन्यकुमार २१२
४९ धन्नालाल गुप्ता २६९
५० धनपति सिंह जैन २४७
५१ नेमीचन्द जैन २३९
५२ निर्मलकुमार जैन २४२
५३ नेमीचन्द जैन २४३
५४ नेमीशरण जैन २५६
५५ नरेन्द्र कुमार जैन २६४
५६ पीतमचन्द जैन २४६
५७ प्रतापचन्द २४७
५८ पन्नालाल जैन २४८
५९ प्रकाशचन्द २५२
६० प्रकाशचन्द मुनीम २५४
६१ प्रेमचन्द २६२
६२ प्रेमकुमारी 'विशारदा' २६४
६३ बालचन्द २१०
६४ बंशीधर गुप्त २१८
६५ विट्ठलदास मोदी २२४
६६ विष्णुदत्त शर्मा २२६
६७ वैद्यराज कन्हैयालाल २३४

६८	वैद्यराज कन्हैयालाल धर्मपत्नी	२३५
६९	वसन्तलाल	२४०
७०	बंगालीमल जैन	२४१
७१	बाबूराम जैन दुकानदार	२५४
७२	बाबूलाल जैन	२४६
७३	बनवारीलाल चरथावल	२६१
७४	बृन्दावन इमलया	२६७
७५	बाबूलाल घीवाले	२६९
७६	भारतचन्द्र	२६१
७७	महावीर प्रसाद पोद्दार	२२०
७८	मदनलाल चौधरी	२३०
७९	महेशचन्द्र जैन	२३५
८०	महेन्द्र	२३८
८१	मानिकचन्द जैन	२४१
८२	मानिकचन्द जैन	२४२
८३	मोतीलाल	२४८
८४	मामचन्द जैन	२५२
८५	मूलेशचन्द	२५७
८६	मुंशी गेन्दालाल	२६६
८७	मथुराप्रसाद जैन	२६८
८८	मोतीलाल टडैया	२६८
८९	मामचन्द	२६२
९०	मुखबीर सिंह घीवाले	२६२
९१	रतनचन्द पहाड़ी	२१२
९२	रामकृष्ण प्रसाद	२१७
९३	रामचन्द्र मुसद्दी 'आर्य'	२२८
९४	रामचन्द्र मुसद्दी 'जेलयात्री'	२३२
९५	रतनलाल जैन	२३६

९६	रतनलाल बंसल	२४१
९७	रामकुमार	२४७
९८	रामस्वरूप भरतिया	२४८
९९	रामस्वरूप जैन	२४९
१००	रतनलाल	२५५
१०१	राजधर वैद्य	२७२
१०२	लक्ष्मीदेवी जैन	२५१
१०३	सुन्दरलाल जैन	२३५
१०४	सुगमचन्द	२१२
१०५	सन्तलाल	२४०
१०६	सुमति प्रसाद	२६०
१०७	संतकुमार	२६५
१०८	सुखलाल इमलया	२६९
१०९	शीतल प्रसाद	२१०
११०	सुशीला मुसद्दी	२३३
१११	श्यामलाल जैन	२४६
११२	श्यामलाल संन्यासी	२४६
११३	शिखरचन्द मुनीम	२५२
११४	शान्तिस्वरूप जैन 'कुसुम'	२५४
११५	शीलवती देवी	२५७
११६	शीतलचन्द सारथी	२५९
११७	शिखरचन्द सिंघई	२६८
११८	शिवप्रसाद जैन	२७०
११९	शिखरचन्द सिठया	२७१
१२०	शिवप्रसाद जैन	२७१
१२१	ऋषिकेश प्रसाद	२१८
१२२	श्रीदेवी मुसद्दी	२२९
१२३	श्रीराम बाबू	२४०

१२४ शरबतीदेवी २४६
१२५ हरीन्द्रभूषण २१२
१२६ हीरालाल शर्मा २३०
१२७ हनुमान प्रसाद शर्मा २३४
१२८ हंसकुमार २५१
१२९ हुलाशचन्द्र जैन २५२
१३० हनुमानप्रसाद अग्रवाल २५७
१३१ हीरालाल शाह २५९
१३२ हरदयाल जैन २६६
१३३ हुकमचन्द बुखारिया २६७
१३४ हुकमचन्द बड़घरिया २६९

मध्य-प्रान्त

१ अमरचन्द जैन ३३४
२ अमीरचन्द ३३४
३ अभयकुमार ३४७
४ अमोलकचन्द ३५४
५ ओंकारदत्त राठी ३५४
६ उदयचन्द 'शहीद' ३३३
७ उत्तमचन्द ३३५
८ उत्तमचन्द बांसल ३३५
९ कृष्णदास जाजू २९१
१० कमलनयन बजाज २९२
११ कन्हैयालाल भैया २९६
१२ केवलचन्द ३३५
१३ कोमलचन्द जैन ३४७
१४ कन्हैयालाल बाजारी ३५०
१५ कन्हैयालाल अग्रवाल ३२४
१६ खेमचन्द ३३४

१७	गगाविसन बजाज	२९५
१८	गुलाबचन्द बजाज	२९७
१९	गोविन्दराम शर्मा पालीवाल	३०२
२०	गोपीलाल शर्मा	३२१
२१	गोविन्ददास मालपाणी	३२६
२२	गुलाबचन्द	३३८
२३	गुलाबचन्द हलवाई	३३५
२४	गुलाबचन्द	३३६
२५	गुलाबचन्द पहाड़िया	३४०
२६	गणेशलाल बाबा	३४८
२७	गुलाबचन्द	३०५
२८	गेन्दमल देशलहरा	३४०
२९	गोपीकृष्ण बागड़ी	३५०
३०	घनश्याम बजाज	२९८
३१	चिरंजीलाल जैन	२९५
३२	चम्पादेवी भारूका	३०५
३३	चुन्नी लाल	३३६
३४	छगनलाल भारूका	३०५
३५	जमनालालजी बजाज	२८०
३६	जानकीदेवी बजाज	२९०
३७	जवाहरलाल मालगुजार	३४५
३८	जयकुमार जैन चौधरी	३४७
३९	जमनालाल चोपड़ा	३५०
४०	टीकाराम 'विनोदी'	३२०
४१	टेकचन्द जैन	३४७
४२	ताराचन्द	३५३
४३	दामोदरदास मूंदड़ा	२९४
४४	देवीदास महाजन	३२४

अ: राजनीतिक क्षेत्र में मारवाड़ी समाज की आहुतियाँ

४५ डालचन्द जैन ३३१
४६ डालचन्द जैन ३३२
४७ डालचन्द रईस ३३८
४८ देवड़िया खूबचन्द जैन ३४६
४९ दीपचन्द गोठी ३५२
५० धनवती बाई रांका ३०५
५१ धनराज देशलहरा ३४०
५२ धन्नालाल विद्यार्थी मरसोन ३४४
५३ नर्वदादेवी भैया ३०१
५४ नरसिंहदास अग्रवाल ३२९
५५ नेमचन्द ३३७
५६ नन्हेलाल बुखरिया ३४७
५७ बाबूलाल हलवाई ३४८
५८ नाथूराम पुजारी ३४३
५९ प्रह्लादराय पोद्दार ३००
६० पूनमचन्द रांका ३०५
६१ पन्नालाल देवड़िया ३०६
६२ प्रभाचन्द ३३७
६३ पन्नालाल बांसल ३४४
६४ प्यारेलाल जैन ३४६
६५ फूलचन्द बमोरहा ३३१
६६ फूलचन्द सिद्धान्तशास्त्री ३४३
६७ फूलचन्द जैन ३४७
६८ बल्लभदास जाजू ३००
६९ बद्रीनारायण अग्रवाल ३०२
७० बालाप्रसाद चर्खा ३०३
७१ विद्यापति देवड़िया ३०७
७२ ब्रिजलालजी बियाणी ३०९

७३ बाबूलाल बियाणी ३२०
७४ बालकृष्ण भंडारी ३२४
७५ बाबूलाल ३३७
७६ बंशीधर व्याकरणाचार्य ३४२
७७ बालचन्द जैन ३४६
७८ वीरचन्द जैन ३४६
७९ बाबूलाल जैन ३४८
८० भागचन्द जैन ३३२
८१ भुवनेन्द्रकुमार शास्त्री ३४२
८२ मोतीलाल बजाज २९८
८३ मगनलाल बागड़ी ३०६
८४ माणिकलाल सोमाणी ३१७
८५ मोहनलाल छाछड़िया ३२२
८६ मंगलचन्द रिंहडे ३३०
८७ मन्नूलाल मोदी ३३४
८८ मिट्ठूलाल ३३६
८९ मुलामचन्द हलवाई ३३६
९० मोहनलाल बाकलीवाल ३३८
९१ मानमल जोधा ३३९
९२ मूलचन्द बागड़ी ३४९
९३ रामगोपाल बजाज २९८
९४ रामकृष्ण बजाज २९४
९५ राधाकृष्ण बजाज २९४
९६ राजमल ललवाणी ३०७
९७ हरिश्चन्द मरोठी ३०७
९८ राधादेवी गोयनका ३१५
९९ रघुनाथमल कोचर ३२३
१०० रूपचन्द पाटनी ३३९

राजनीतिक क्षेत्र में मारवाड़ी समाज की आहुतियाँ

१०१ रामजीलाल नायक ३४३
१०२ रामकुमार अग्रवाल ३५३
१०३ लोकमणी जैन ३३०
१०४ लक्ष्मीचन्द सोधिया ३४५
१०५ श्रीमन्नारायण अग्रवाल २९९
१०६ श्रीमती विश्वम्भरनाथ शर्मा ३०६
१०७ सिंहई कालूराम ३२८
१०८ सतीसदास मूंदड़ा ३०६
१०९ सावित्री देवी बियाणी ३१८
११० सुगनचन्द तापड़िया ३२०
१११ सिंहई सुदर्शन वकील ३२४
११२ शिखरचन्द ३३१
११३ श्यामलाल ३३४
११४ सिंहई नेमचन्द ३३७
११५ सुगनचन्द ३३८
११६ शिखरचन्द ३३८
११७ छाबूलाल जैन ३४१
११८ सिंहई भैयालाल ३४१
११९ सुन्दरलाल चौधरी ३४३
१२० सिंहई राजधरलाल ३४५
१२१ सिंहई कुंजीलाल जैन ३४५
१२२ शिखरचन्द जैन ३४७
१२३ सुगनचन्द लुंडावत ३३८
१२४ हरिश्चन्द्रजी ३४४
१२५ शिवदास डागा ३५०
१२६ शुकदेव अग्रवाल ३५१

बम्बई-प्रान्त

१	इन्द्रमल मोदी	३६६
२	कृष्णगोपाल माहेश्वरी	३७२
३	कमला देवी	३८३
४	कुन्दनमल फिरोदिया	३६३
५	जगन्नाथ नाउन्दर	३८१
६	जमुनादास अड्किया	३७०
७	दुर्गावती देवी सराफ	३७०
८	नवनीतलाल मोदी	३८४
९	नारायण अग्रवाल	३७१
१०	परमानन्द कुँअर	३६९
११	परमेष्ठीदास न्यायतीर्थ	३८३
१२	पशुपतिनाथ कानोडिया	३६८
१३	पशुपतिनाथ	३७१
१४	परशुराम कलंत्री	३८०
१५	परशुराम राठी	३७९
१६	वंकटलाल लाहोटी	३८०
१७	वंकटलाल सोनी	३७८
१८	बनारसीदास खेतड़वाला	३७०
१९	बाबूलाल मास्वरिया	३६९
२०	बालकृष्ण शारदा	३७८
२१	बिहारीलाल बलदुवा	३७७
२२	बेचरदास न्यायतीर्थ	३८२
२३	बैजनाथ सेकसरिया	३७०
२४	मदनलाल जालान	३६५
२५	मदनलाल पित्ती	३७[illegible]
२६	महावीर प्रसाद	३७१
२७	माणीकचन्द	३७९

२८ मुरलीधर आसावा ३७७
२९ मुरलीधर शारदा ३७७
३० मोतीचन्द ३७९
३१ रत्नाकर भारतीय ३७२
३२ रतनलाल जोशी ३६९
३३ रमणलाल अग्रवाल ३७२
३४ रमणीकलाल जोशी ३८०
३५ रसिकलाल, एम० ए० ३८३
३६ रामकृष्ण जाजू ३७५
३७ रामकृष्ण धूत ३६४
३८ रामेश्वर जाजोदिया ३७२
३९ लक्ष्मीचन्द आवड ३८०
४० लक्ष्मीनारायण गूँदड़ा ३६८
४१ श्रीधर शर्मा ३७२
४२ श्रीनिवास बगड़का ३६५
४३ शिवचन्द्रराय गुप्त ३६८
४४ सोहनलाल अग्रवाल ३६६
४५ सौभाग्यवती देवी दानी ३७०
४६ हरिनारायण सोनी ३७८

पंजाब-प्रान्त

१ कीर्ति प्रसाद वकील ३९८
२ चन्द्रबाई ३९७
३ जुगलकिशोर एडवोकेट ३९७
४ तनसुख राय जैन ३९८
५ नेकीरामजी शर्मा ३९४
६ बाबूलाल जैन ३९९
७ मेलाराम वैश्य ३९४
८ लेखवती जैन ३९८

९ त्रिलोकचन्द ३९८

१० रामजीलाल जैन ३९९

११ रामकुमार विधार्थी ३९५

१२ रामचन्द्र वैद्य ३९६

१३ रतनलाल जैन ३९९

१४ श्यामलाल ३९७

१५ सुमेरचन्द जैन ३९९

१६ हरदत्तराय सुगला ३९५

दिल्ली-प्रान्त

१ आनन्दराज सुराणा ३९०

२ अयोध्या प्रसाद गोयलीय ३९०

३ कमल चन्द जौहरी ३९१

४ केदारनाथजी गोयनका ३८८

५ जैनेन्द्र कुमार ३९०

६ दलपत सिंह सुराणा ३९०

७ पार्वतीदेवी डीडवानिया ३८६

८ फूलचन्द ३९०

९ ब्रजकृष्ण चांदीवाले ३९०

१० मामन सिंहजी प्रेमी ३९१

११ मदनलाल सोढानी ३९१

समाजके कुछ व्यक्ति

१ अर्जुनलाल सेठी ४०१

२ ईश्वरदास जालान ४०२

३ जीतमल लूणिया ४०६

४ राजमल कासलीवाल ४०१

५ सरदार बाई लुणिया ४०७

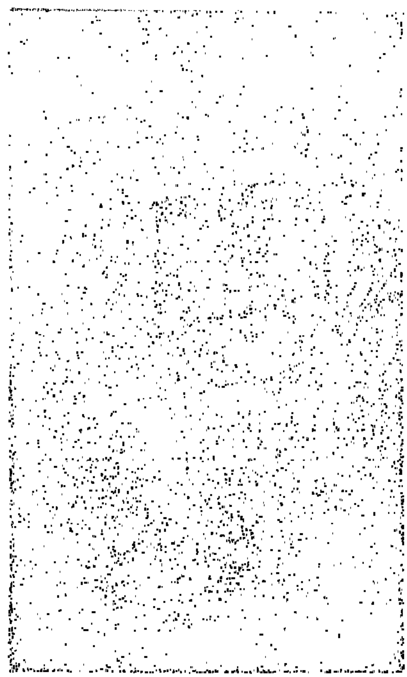
६ हरिभाऊ उपाध्याया ४०४

कांग्रेस का इतिहास

सन १९१४ का पहला जर्मन महासमर इतिहास की एक मशहूर घटना है। भारत ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की रक्षा के लिये तन-मन-धन से अपना सहयोग दिया। उस लड़ाई में ब्रिटेन को सहायता देने के लिये तात्कालीन वायसराय लार्ड चेम्सफोर्ड ने कांग्रेसी नेताओं की एक सभा बुलायी। सहायता सम्बन्धी प्रस्ताव का समर्थन करते हुए महात्माजी ने कहा था—"साम्राज्य की हिस्सेदारी हमारा निश्चित लक्ष्य है। हमें योग्यतानुसार अधिक से अधिक कष्ट उठाना और साम्राज्य की रक्षा में अपनी जान तक दे देनी चाहिये। ......अगर इसलिये साम्राज्य नष्ट हो जाता है तो उसके साथ ही हमारी इच्छित अभिलाषाएँ भी नष्ट हो जाती हैं। ......इस लिये साम्राज्य-रक्षा के कार्य में सहयोग देना स्वराज्य-प्राप्ति के लिये सरलतम और सीधा मार्ग है।"

बापू के पाँचवें पुत्र—

देशभक्त स्व० जमनालालजी बजाज



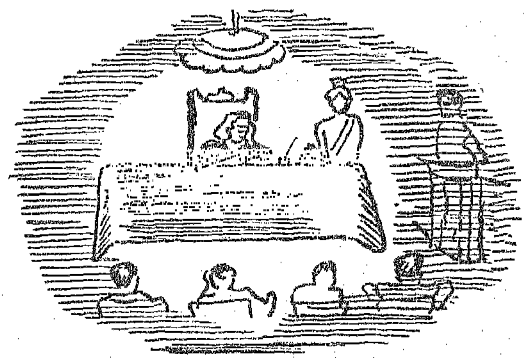
जन्म—४ नवम्बर, सन् १८८९ मृत्यु—११ फरवरी, १९४२

"उन्होंने मेरे सभी कामों को पूरी तरह अपना लिया था। यहाँ तक कि मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता था। मैं जैसे ही कोई काम शुरू करता वे स्वयं ही उसका सारा बोझ उठा लेते।······जहां तक मैं जानता हूं मैं कह सकता हूं कि ऐसा पुत्र आज तक शायद किसीको नहीं मिला।"

—महात्मा गाँधी

और भारत ने सहायता की। ताजीरात हिन्द के मुताबिक भारत निःशस्त्र कर दिया गया था। हिन्दुस्तानियों की वीरता के सामने ब्रिटेन ने अपनी बुजदिली और डरपोकपने का प्रदर्शन किया था। परन्तु, कैसर के खूनी पंजों के बीच दबा ब्रिटेन समझ गया, तीस करोड़ जनता के हथियार छीनकर कितनी बड़ी मूर्खता उसने की है। फिर भी भारत के नवजवानों ने अपनी वीरता और धीरता का परिचय देकर दुनिया को अचम्भे में डाल दिया। जिस समय विलासी फ्रांस के युवक पेरिस का पतन निकट देख अपनी हार कबूल कर रहे थे, पंजाबी शेरों ने तब अपनी फौलादी छातियों और संगीनों से अत्याचारी और बर्बर शत्रु को रोक फ्रांस की लाज बचायी थी। लार्ड हार्डिंज ने आंसू-भरी आंखों से भारत की उस वीरता और बलिदान की कथा कही थी।

अंगरेज जाति की ईमानदारी पर भारत ने तब यक़ीन किया था। परन्तु उसकी वह भयंकर गलती थी। बड़ी-२-आशाओं और दिलासाओं के बाद जो चीज देश को मिली, किसी भी जाति के लिये वह कलंक और अपमान की चीज थी। और वह चीज थी 'रौलट एक्ट'।

रौलट  ऐक्ट

१० दिसम्बर, १९१७ को ५ आदमियों की एक कमिटी बैठायी गयी। इसके अध्यक्ष थे, माननीय जस्टिस एस० ए० टी रौलेट। इन्हीं के नाम पर इसका नाम

'रौलट कमिटी' पड़ा। शेष चार सदस्य थे (१) बम्बई के चीफ जस्टिस माननीय सर वेसिल स्काट, (२) मद्रास हाईकोर्ट के जज माननीय दीवान बहादुर कुमार स्वामी शास्त्री, (३) युक्तप्रान्त के बोर्ड आफ रेवेन्यू के मेम्बर माननीय सर वर्ने लावेट और (४) हाईकोर्ट कलकत्ता के वकील मि० प्रभातचन्द्र मित्र।

इस कमिटी को मुकर्रर करते समय सरकार ने इसका उद्देश्य बतलाया था—"भारत में क्रान्तिकारी आन्दोलनों से सम्बन्ध रखने वाले षड़यन्त्रों के प्रकार और विस्तार का पता लगाना तथा इन षड़यन्त्रों को दबाने में जो दिक्कतें पेश आईं, उनका दिग्दर्शन कराना और ऐसी बातें बताना जिनसे कि कानून बनाकर उन्हें दबाया जा सके।"

२२६ पृष्ठों में एक विशाल रिपोर्ट रौलट कमिटी ने तैयार की। भारतीय पुलिस की जानकारी की सारी बातें इसमें आ गयी थीं। इसी कमिटी का नाम 'सिडीशन कमिटी' है।

इस कमिटी की सिफारिशों में कई तरह की बातें थीं। इसके द्वारा सरकार को नजरबन्द और गिरफ्तार करने, तलाशी लेने तथा जमानत माँगने का अधिकार दिया गया था। इसमें विधान था कि क्रान्तिकारियों के मुकदमे हाईकोर्ट के तीन जजों की अदालत में पेश होंगे। फिर जल्दी ही उनका फैसला होगा और जहाँ पर क्रान्तिकारी आन्दोलन अधिक होंगे, वहाँ अपील न हो सकेगी। पहले से जेल में रखे गये खतरनाक आदमी को इस बिल के अनुसार लगातार जेल में रखा जा सकेगा। पहले सरकार का विचार इसे स्थायी कानून बनाने का था। परन्तु पीछे इसकी अवधि तीन साल की कर दी गयी। इसमें ५ भाग और ४३ दफाएँ हैं।

६ फरवरी, १९१९ को विलियम विन्सेंट ने बड़ी कौंसिल में रौलट बिल पेश किया। मार्च के तीसरे सप्ताह में पहला बिल पास हो गया। इन बिलों के सम्बन्ध में महात्माजी ने कहा था—"मैंने कई रातें इन बिलों के विचार में बितायी हैं, पर रौलट बिलों की कुछ भी न्यायता मुझे नहीं मालूम होती।…बिलों से राज्य के

विरुद्ध घृणा और द्वेष के भाव बढ़ जायँगे।" कौंसिल में पेश होते समय इसका विरोध देश ने एक स्वर से किया। महामना पंडित मालवीयजी ने एक-एक अक्षर का खण्डन किया। खापर्डे, शर्मा और अन्य सदस्यों ने भी विरोध करने में किसी प्रकार की कोताही न की। कौंसिल में मा० मि० शास्त्री ने कहा—'इन बिलों क लोकमत के विरुद्ध पास करने से देश में घोर आन्दोलन होगा।' गैर-सरकारी सदस्यों क घोर विरोध करने पर भी बिल का सिलेक्ट कमिटी में भेजने का प्रस्ताव पास हो गया। फिर ६ महीने का समय बिल पर विचार न करने का माँगा गया। परन्तु संशोधन २२ के विरुद्ध ३५ वोटों से गिर गया। बिल के पक्ष में राय देने वाले एक ही भारतीय थे—सर शंकर नायर। वायसराय की शासन-सभा के सदस्य होने के कारण, बिना इस्तीफा दिये और कोई सम्मति वे नहीं दे सकते थे। बिल के पास हो जाने पर रुष्ट होकर तीन सदस्यों नेकौंसिल से इस्तीफा दे दिया—मालवीय जी, जिन्ना और मज़रुल हक।

महात्माजी ने इसके खिलाफ सत्याग्रह करने का निश्चय किया। इसकी सूचना कमिश्नरों को भेज दी गयी। ३० मार्च, १९१९ का दिन हड़ताल के लिये चुना गया था। इस दिन लोगों से उपवास रखने, ईश-प्रार्थना, प्रायश्चित और देश-भर में सार्वजनिक सभाएँ करने की अपील की गयी थी। पीछे यह तारीख बदल कर ६ अप्रील कर दी गयी।

इस तिथि-परिवर्तन की सूचना ठीक समय पर दिल्ली न पहुँच सकी। इसलिये वहाँ ३० मार्च को ही जुलूस निकले और हड़तालें हुईं। इस दिन के जुलूस का नेतृत्व स्वामी श्रद्धानन्दजी कर रहे थे। कुछ गोरे सिपाहियों ने उन्हें गोली मार देने की धमकी दी। परन्तु, उन्होंने अपनी छाती खोल दी, उनकी सारी शेखी हवा में मिल गयी। परन्तु, दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर मामला खतरनाक हो गया। गोलियां चलीं। ५ मरे और लगभग २० घायल हुए।

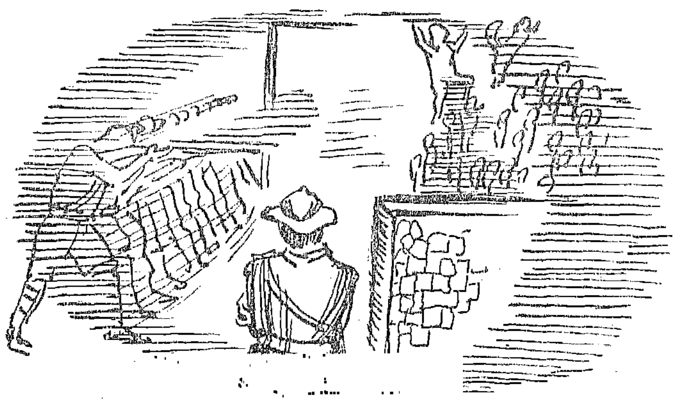
कांग्रेस का सन् १९१९ वाला अधिवेशन अमृतसर में होने वाला था। इसके लिये डा० किचलू और सत्यपाल आवश्यक उद्योग कर रहे थे। परन्तु, १० अप्रील १९१९ को अमृतसर के जिला मैजिस्ट्रेट ने सुबह में ही उन्हें अपने बंगले पर बुलाया और फिर उन्हें किसी अज्ञात स्थान को भेज दिया। जनता इसके विरोधस्वरूप जिला-मैजिस्ट्रेट के बंगले को रवाना हुई। परन्तु शहर और सिविल-लाइन के बीच फौज ने उसे रोक दिया। इस पर उत्तेजित जनता ने सेना पर ईंट और पत्थर फैंके। जवाब में फौज ने भीड़ पर गोलियाँ चलायी। इसमें एक या दो आदमी मरे और अनेक घायल हुए। भीड़ शहर को वापस लौटी। रास्ते में उसने नेशनल बैंक की इमारत फूँक दी और उसके गोरे मैनेजर को मार डाला। उस दिन पांच अंगरेज मारे गये और बैंक, रेलवे गोदाम तथा सार्वजनिक इमारतों में आग लगायी गयी। डा० सत्यपाल और स्वामी श्रद्धानन्द के बुलाने पर महात्मा जी ८ अप्रील को दिल्ली के लिये रवाना हुए। दिल्ली और पंजाब में प्रवेश न करने का सरकारी हुकम उन्हें रास्ते में मिला। परन्तु, उन्होंने उसे मानने से इन्कार कर दिया। तब उन्हें दिल्ली से कुछ दूर पलवल नामक स्टेशन पर गिरफ्तार कर एक स्पेशल ट्रेन द्वारा १० अप्रील को बम्बई वापस भेज दिया गया।

१२ अप्रील को कसूर के रेलवे स्टेशन, तेल के एक छोटे गोदाम, मुख्य पोस्ट आफिस, मुन्सिफी कचहरी और कई अन्य इमारतों में जनता ने आग लगा दी। तार और सिगनल तोड़ डाले। एक ट्रेन पर हमला किया गया, जिसके दो सिपाहियों को पीट-पीट-कर उनकी जान ली गयी। गुजरानवाला में १४ अप्रील को एक ट्रेन पर पत्थर बरसाये गये। एक छोटा रेलवे पुल, तार घर, डाकखाना, रेलवे स्टेशन, डाक-बंगला, कलक्टरी, कचहरी, एक गिरजाघर, एक स्कूल और एक रेलवे गोदाम जला दिये गये। अन्य स्थानों पर भी ऐसी घटनाएँ घटीं।

महात्माजी की गिरफ्तारी से अहमदाबाद में उपद्रव हो गया, जिसमें कुछ अंगरेज और हिन्दुस्तानी जान से मारे गये। १२ अप्रील को बीरमगाँव और नड़ियाद में

उपद्रव हुए। कलकत्ते के उपद्रव में गोली चलायी गयी, जिसमें ५-६ आदमी मरे और १२ बुरी तरह घायल हुए।

जालियानवाला बाग-कांड



१३ अप्रील को अमृतसर का जालियानवाला बाग हत्याकाण्ड हुआ। २० हजार व्यक्ति नये हिन्दू-साल की खुशी में सभा कर रहे थे। जनरल डायर १०० हिन्दुस्तानी सशस्त्र और ५० गोरे सैनिक लेकर वहाँ पहुंचा। घुसते ही जनरल डायर ने गोली चलाने का हुक्म दिया। उस समय हंसराज नामक कोई व्यक्ति भाषण दे रहा था। हन्टर कमीशन के सामने डायर ने अपनी गवाही में कहा था। "लोगों को तितर-बितर करने के लिये ३ मिनट का समय दिया गया था।" उसने स्वीकार किया था—'भीड़ में ऐसे आदमी हो सकते थे, जिन्होंने घोषणा न सुनी हो।'

"कोई १० मिनट तक फायरिंग हुई"—कमिटी के सामने जनरल डायर ने स्वीकार किया—"१६५० राउण्ड गोलियां चलायी गयीं। यदि बाग के भीतर मैं तोप ले जाता, तो उसीसे फायर करता। अगर मेरे पास कारतूस होती तो और भी गोलियाँ चलतीं।"

जनरल डायर की शैतानियत का अन्त इसी से न हुआ। उसने अमृतसर के पानी और बिजली को बन्द करा दिया। एक गली में मिस शेरवुड नाम की एक पादरी

लेडी डाक्टर को उद्धत भीड़ ने पीट दिया। बस, १।। गज लम्बी उस गली में निकलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पेट के बल रेंगकर जाने की आज्ञा हुई। बड़ी कौंसिल में क्वार्टर-मास्टर जनरल हडसन ने इस मामले को हँसी में उड़ा दिया था। प्रत्येक अंगरेज को सलाम करना पड़ता था। भले आदमियों को वेश्याओं के सामने नंगा करके बेंत लगवाये गये थे। ९३ वकीलों को स्पेशल कांसटेबुल बनाया गया। प्रायः ऐसा भी हुआ कि आदमियों के हाथ चारपाई के पायों के नीचे दबाकर उस पर बहुत से आदमी बैठ गये। कई आदमियों की हथेली पर धधकता हुआ कोयला रखा गया। एक आदमी के हाथों में कीलें गाड़ी गयीं। एक को पेशाब पीने के लिये लाचार किया गया और दूसरों की गुदाओं में छड़ियाँ घुसेड़ी गयीं।

अमृतसर की खास अदालत द्वारा ५१ को फांसी, ४६ को आजन्म कालापानी, २ को १०-१० वर्ष, ७९ को ७-७ वर्ष, १० को ५-५ वर्ष, १३ को ३-३ वर्ष और ११ को हल्की सजा दी गयी। गुजरानवाला आदि स्थानों में भी ऐसे अत्याचार हुए।

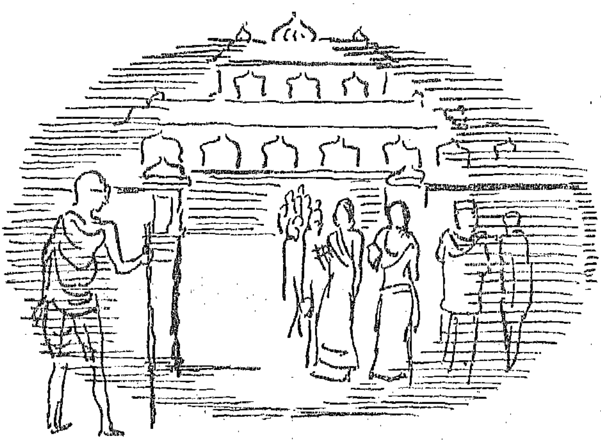
पंजाब के इन जुल्मों के कारण महात्माजी तिलमिला उठे। उन्होंने सत्याग्रह छेड़ने पर 'हिमालय' जैसी अपनी भूल स्वीकार की। अतः सत्याग्रह स्थगित कर शान्ति-स्थापित करने में सरकार को हर तरह से सहायता देने का उन्होंने वचन दिया।

पंजाब के उपद्रवों की जाँच करने के लिये वायसराय ने सितम्बर, १९१९ में हन्टर कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की। पंजाब के हत्याकाण्ड की जाँच करने के लिये कांग्रेस ने भी महात्माजी, पं० मोतीलाल नेहरू, सी० आर० दास, अब्बास तैय्यबजी, फजलुल हक और मि० के० सन्तानम् की एक कमिटी बनायी। बाद में पं० मोतीलालजी की जगह पर मि० जयकर इसके सदस्य बने।

२८ मई, १९२० को हन्टर कमिटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। देश में इससे क्षोभ और निराशा बढ़ गयी। इसके प्रकाशित होते ही ३० मई, १९२० को बनारस में महासमिति की बैठक हुई। इसी अवसर पर महात्माजी ने नेताओं का एक

सम्मेलन बुलाकर असहयोग-आन्दोलन को उसके सामने रखने का निश्चय किया। २ जून, १९२० को इलाहाबाद में सभी दलों के नेता इकट्ठे हुए। इसमें असहयोग-नीति अपनाने का निश्चय किया गया और महात्मा जी तथा कुछ मुसलमान नेताओं की एक कमिटी बनाकर उसके जिम्मे कार्यक्रम बनाने का भार सौंप दिया गया। इस कमिटी की रिपोर्ट जब प्रकाशित हुई, उसमें भारतीयों से स्कूलों, कालेजों और अदालतों के बहिष्कार की सिफारिश की गयी। असहयोग की योजना का आरम्भ बाकायदा पहली अगस्त को हुआ। महात्माजी और अली-बन्धुओं ने देश का दौरा किया। यह एक असाधारण स्थिति थी, जिसके लिये ४ से ९ सितम्बर, १९२० तक कलकत्ते में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ।

असहयोग आन्दोलन



कांग्रेस का यह विशेष अधिवेशन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। गांधीजी के असहयोग प्रस्ताव का बंगाल और मद्रास के नेताओं ने डटकर विरोध किया। परन्तु, जब महात्माजी ने उसे पेश किया तो ८८४ के विरुद्ध १८८६ प्रतिनिधियों की राय से वह पास हो गया। सभी संशोधन अस्वीकार कर दिये गये। मौलाना शौकतअली,

मौलाना मुहम्मदअली और प० मोतीलाल नेहरू ने प्रस्ताव का समर्थन किया। परन्तु, नागपुर-कांग्रेस को इस पर अन्तिम रूप से विचार करने की जिम्मेवारी सौंप दी गयी। यहाँ प्रतिनिधियों की संख्या १४,५८२ थी, जिनमें १०५० मुसलमान और १६९ स्त्रियाँ थीं। यहां असहयोग-प्रस्ताव पास हो गया। परन्तु, आश्चर्य की बात यह हुई कि उसे पेश किया सी० आर० दास और समर्थन लाला लाजपत राय ने। यहां कांग्रेस का विधान भी बदल गया। 'शान्तिमय व उचित उपायों से स्वराज्य प्राप्त करना उसका ध्येय घोषित किया गया।

असहयोग-आन्दोलन खूब चला। कौंसिलों का बहिष्कार किया गया। अदालतों और कालेजों का बहिष्कार भी अच्छा रहा। जगह-जगह राष्ट्रीय विद्यालय आदि खोले गये। चार महीने के भीतर देश में चारों ओर राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित हो गये।

नागपुर के प्रस्तावों को कार्य में परिणत करने के लिये १९२१ में कार्यसमिति की बैठक हर महीने खास-खास जगहों में हुई। पहली बैठक नागपुर में हुई। इसने कार्यसमिति का चुनाव और २१ प्रान्तों में महासमिति के सदस्यों की संख्या का बटवारा किया। नागपुर-कांग्रेस के स्वागताध्यक्ष सेठ जमनालालजी बजाज ने जनवरी १९२१ में अपनी रायबहादुरी की पदवी छोड़ दी और असहयोगी वकीलों की सहायता के लिये तिलक-स्वराज्य-फण्ड में १,००,००० रुपये दिया।

३१ मार्च और पहली अप्रील को कार्यसमिति की बैठक बेजवाड़ा में हुई। स्वराज्य कोष के लिये एक करोड़ रुपये जमा करने, एक करोड़ कांग्रेस के मेम्बर बनाने और २० लाख चर्खे चलवाने का प्रस्ताव यहीं पास हुआ। १५ जून को बम्बई में कार्यसमिति की फिर बैठक हुई। इसमें अप्रील, १९२१ में मालवीयजी के उद्योग से वायसराय के साथ हुई अपनी मुलाकात से सम्बन्धित वक्तव्य महात्माजी ने पेश किया। २८, २९ और ३० जुलाई, १९२१ को बम्बई में फिर कार्य-समिति की बैठक हुई। यहीं पर सलाह दी गयी कि 'तमाम कांग्रेसी आगामी १ अगस्त से विदेशी कपड़ों का उपयोग छोड़ दें।' सरकारी दमन भी भयानक और विस्तृत पैमाने में चला। युक्तप्रान्त में कई जगह गोलियाँ चलायी गयीं।

अखिल भारतीय खिलाफत परिषद् ८ जुलाई, ९२१ को कराची में हुई। इसमें एक प्रस्ताव पास हुआ—'आज से किसी भी ईमानदार मुसलमान के लिये फौज में नौकर रहना, उसकी भरती में नाम लिखाना या उसमें मदद करना हराम है।'

आसाम से मद्रास जाते हुए १४ सितम्बर, १९२१ को वाल्टेयर में मौलाना मुहम्मद-अली गिरफ्तार कर लिये गये। फिर उन्हें रिहाई की आज्ञा सुना सरकार ने दुबारा गिरफ्तार कर कराची भेज दिया। इसके बाद ही बम्बई में शौकत-अली पकड़े गये। जब यह पता चला कि भाषण के अपराध में सरकार इनपर मामला चलायेगी, तब महात्माजी ने त्रिचनापल्ली में स्वयं उस भाषण को दुहराया। ५ नवम्बर, १९२१ को अली बन्धुओं की गिरफ्तारी पर देश-द्वारा प्रदर्शित संयम देख दिल्ली में कार्यसमिति ने प्रान्तीय कांग्रेस कमिटियों को अपने उत्तरदायित्व पर सत्याग्रह आरम्भ करने का अधिकार दे दिया।

युवराज के आगमन के समय महा-समिति ने निश्चय किया कि (उनके) आगमन के सिलसिले में सरकारी तौर पर या अन्य किसी प्रकार के जो भी समारोह हों, हर एक का यह कर्तव्य है कि न तो उनमें शरीक हों और न किसी प्रकार की कोई सहायता ही उनके आयोजन में करे।"

१७ नवम्बर, १९२१ को युवराज भारत में आये। बम्बई में ४ दिनों तक खून-खच्चर होते रहे। इनमें ५२ आदमी मरे और लगभग ४०० घायल हुए। जनता की ज्यादतियों का प्रायश्चित करने के लिये महात्मा जी ने ५ दिन का व्रत किया। सभी प्रान्तों में गिरफ्तारियां हुईं। कलकत्ते में पूर्ण हड़ताल रही। कसाइयों तक की दूकानें बन्द थीं।

१९२१ के दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में अहमदाबाद कांग्रेस हुई। इसमें सत्याग्रह का कार्यक्रम पूर्णता पर पहुँच गया था। देशबन्धु का भाषण श्रीमती सरोजिनी देवी ने पढ़कर सुनाया—"गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट (भारत-सरकार कानून) को सरकार के साथ सहयोग करने की बुनियाद पर स्वीकार करने की सिफारिश मैं आपसे नहीं करता। इज्जत खोकर शान्ति खरीदना नहीं चाहता।"

१४, १५ और १६ जनवरी, १९२२ को बम्बई में ३०० सज्जनों का सर्वदल सम्मेलन बुलाया गया। यहां सर्वसम्मति से एक ऐसा प्रस्ताव पास हुआ, जिसके अनुसार सरकार के साथ जबतक समझौते की बात चलती रहेगी, उस समय तक अहमदाबाद के प्रस्ताव के अनुसार सत्याग्रह आरम्भ न करने की सिफारिशकी गयी। कार्यसमिति ने जनवरी के अन्ततक सत्याग्रह स्थगित कर दिया। परन्तु, वायसराय ने सम्मेलन की शर्तें मानने से इन्कार कर दिया। इस पर महात्माजी ने १ फरवरी,

१९२२ को वायसराय को लिखे गये अपने पत्र में बारडोली में सत्याग्रह-आन्दोलन करने का विचार प्रकट किया।

चौरीचौरा कांड



अभी यह पत्र वायसराय के पास पहुँचा ही होगा कि गोरखपुर जिले के चौरी-चौरा में ५ फरवरी, १९२२ को एक कांग्रेस-जुलूस निकला। शराबबन्दी के मामले पर कांग्रेस-स्वयं-सेवकों और पुलिस में मुठभेड़ हो गयी। पुलिस ने स्वयंसेवकों के साथ ज्यादती का बर्ताव किया। मामला बढ़ जाने पर पुलिस ने गोलियाँ चलायीं। स्वयंसेवकों ने ईंट और पत्थरों से बन्दूक की नालियाँ तोड़ डालीं। निहत्थी पुलिस भाग खड़ी हुई। इस मौके पर २१ सिपाहियों और एक थानेदार को भीड़ ने एक थाने में खदेड़ दिया और उसमें आग लगा दी। वे सब आग में जल मरे। १२ फरवरी, १९२२ को बारडोली में कार्यसमिति की एक बैठक हुई जिसमें ऐसी घटनाओं के कारण सामूहिक सत्याग्रह आरम्भ करने का विचार छोड़ दिया गया।

२४ और २५ फरवरी, १९२२ को दिल्ली में महासमिति की बैठक हुई। इसमें बारडोली में कार्यसमिति-द्वारा पास लगभग सभी प्रस्तावों का समर्थन किया गया। परन्तु, ऐसा करने पर एक प्रकार का तूफान उठ गया। महासमिति की बैठक में डा० मुंजे ने महात्माजी के खिलाफ निन्दा का प्रस्ताव पेश किया, जिसका समर्थन कुछ सज्जनों ने अपने भाषणों में किया। महात्माजी ने इस प्रस्ताव के विरोध में किसी को बोलने की अनुमति न दी। तूफान आया और निकल गया, और गांधीजी उसी प्रकार पर्वत्त की भाँति अचल रहे।

१३ मार्च, १९२२ को महात्माजी गिरफ्तार कर लिये गये। उन्हें राजद्रोह के अपराध में सेशन सुपुर्द किया गया। १८ मार्च को अहमदाबाद में यह ऐतिहासिक मुकदमा चला। जिस समय गांधीजी की कृश, शान्त और अजेय देह ने अपने भक्त, शिष्य और सहबन्दी शंकरलाल बैंकर के साथ अदालत में प्रवेश किया तो कानून की निगाह में इस कैदी और अपराधी के सम्मान के लिये सब एक साथ उठ खड़े हुए" (सरोजिनी देवी)।

महात्माजी को जज ने ६ वर्ष की सजा दी। शंकरलाल बैंकर को एक साल की सजा और १००० रु० जुर्माना हुआ।

गांधीजी के जेल चले जाने पर खद्दर-विभाग सेठ जमनालालजी के जिम्मे कर दिया गाय। वकीलों के भरण-पोषण के लिये उन्होंने फिर एक लाख रुपये दिये।

सन् १९२२ में गया कांग्रेस हुई। इसके सभापति देशबन्धु दास थे। कौंसिल-प्रवेश विषय को लेकर दास साहब ने कांग्रेस की अध्यक्षतासे अपना त्याग-पत्र दे दिया। उन्होंने अलग एक स्वराज्य पार्टी बनायी जिसमें पंडित मोतीलाल नेहरू और विट्ठलभाई पटेल जैसे चोटी के आदमी थे। अध्यक्ष के त्याग-पत्र पर विचार का काम २७ जनवरी, १९२३ को महासमिति की इलाहाबाद-बैठक पर छोड़ दिया गया। इस बैठक में दोनों दलों ने आपसी समझौता कर निश्चय किया कि ३०अप्रील तक किसी ओर से कौंसिल-सम्बन्धी प्रचार कार्य नहीं होगा।

२६ मई, १९२३ को बम्बई में कार्य-समिति और महासमिति की बैठकों के बाद नागपुर में महासमिति की बैठक हुई। इसमें पहले से नोटिश दिये बिना अगस्त, '२३ में बम्बई में कौंसिल-बहिष्कार-सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार करने के लिये मौलाना आजाद की अध्यक्षता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन करने का निश्चय किया गया।

परन्तु, इसका काफी विरोध हुआ। फलतः ३ अगस्त, १९२३ को विजगापट्टम में महासमिति की खास बैठक हुई। उसमें किसी सज्जन के न बोलने पर चक्रवर्ती

राजगोपालाचारी ने सितम्बर में विशेष अधिवेशन करने का एक प्रस्ताव उपस्थित किया। स्थान के सम्बन्ध में पूरा अधिकार सभापति को दे दिया गया।

सितम्बर के तीसरे सप्ताह, १९२३ में मौलाना आजाद के सभापतित्व में दिल्ली में विशेष अधिवेशन हुआ। इसमें कौंसिल-प्रवेश-सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। मौलाना मुहम्मद अली के सभापतित्व में कोकनाडा-कांग्रेस हुई। कौंसिल-प्रवेश का प्रस्ताव यहाँ भी स्वीकार किया गया।

'अपेंडिसाइटिस रोग के कारण महात्माजी को मियाद पूरी होने से पहले ही ५ फरवरी, १९२४ में सरकार ने छोड़ दिया। रिहा होने के बाद कौंसिल प्रवेश सम्बन्धी विषयों पर १९२४ की मई में उन्होंने अपने एक वक्तव्य में कहा—"मैं इसी दृष्टिकोण से कह रहा हूं कि कौंसिलों से बाहर रहना उनके भीतर रहने की अपेक्षा कहीं अधिक लाभदायक होगा। परन्तु मैं अपने स्वराजी मित्रों को अपने दृष्टिकोण पर न ला सका। तथापि मैं यह समझता हूं कि जबतक उनका विचार दूसरा होगा, उनका स्थान निस्सन्देह कौंसिल में है। हम सबके लिये यही अच्छा भी है।......"

९ और १० सितम्बर, १९२४ को देश के कई स्थानों में साम्प्रदायिक दंगे हुए। इनमें कोहाट का दंगा बड़ा ही भयानक था। इन्हीं के कारण महात्माजी ने २१ दिनों तक उपवास किया।

३ फरवरी, १९२८ को सायमन-कमीशन बम्बई में उतरा। कमीशन का बहिष्कार करने के लिये उस दिन सारे भारत में हड़ताल रही। दिल्ली पहुँचने पर 'गो बैक सायमन' के नारे से कमीशन का स्वागत किया गया!

मद्रास-कांग्रेस के निर्णयानुसार कार्यसमिति ने भारत का शासन-विधान बनाने के लिए एक सर्वदल-सम्मेलन बुलाया। दिल्ली में फरवरी-मार्च, १९२८ में सर्वदल-सम्मेलन की बैठक हुई। उसमें उपस्थित सभी संस्थाएँ और कांग्रेस 'पूर्ण उत्तरदायी शासन' को आधार मान कर विधान बनाने पर राजी हो गयीं। दो महीने में इसकी २५ बैठकें हुई। डा० अन्सारी की अध्यक्षता में १९ मई को होने वाली बैठक में तय

हुआ कि भारतीय विधानके सिद्धान्तों का मसविदा बनाने के लिये एक कमिटी नियुक्त की जाय, जो १ जुलाई, १९२८ तक अपनी रिपोर्ट दे दे। इसके अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू चुने गये। तीन महीने बाद इस कमिटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। १९२८ के दिसम्बर में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कलकत्ता-कांग्रेस हुई। काफी विरोध-समर्थन के बाद बहुमत से नेहरू-कमिटी की रिपोर्ट, इस संशोधन के साथ स्वीकार की गयी कि 'अगर दिसम्बर, १९२९ के पहले तक सरकार इस विधान को (औपनिवेशिक स्वराज्य) स्वीकार नहीं कर लेगी तो कांग्रेस सविनय आज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ कर देगी और करबन्दी तथा लगानबन्दी को सत्याग्रह-योजना का अंग बनायेगी।'

कांग्रेस-अधिवेशनों में सन् १९२९ के लाहौर का विशेष स्थान है। उसके सभापति पंडित जवाहर लाल नेहरू थे। इस कांग्रेस का मुख्य प्रस्ताव पूर्णस्वाधीनता के सम्बन्ध में था—"...गत वर्ष कलकत्ते के अधिवेशन में किये हुए अपने निश्चय के अनुसार यह कांग्रेस घोषणा करती है कि नेहरू-कमिटी की रिपोर्ट में वर्णित सारी योजना को खतम समझी जाय। कांग्रेस आशा करती है कि अब समस्त कांग्रेसवादी अपना सारा ध्यान भारतवर्ष की पूर्ण स्वाधीनता को प्राप्त करनेपर ही लगायेंगे।"

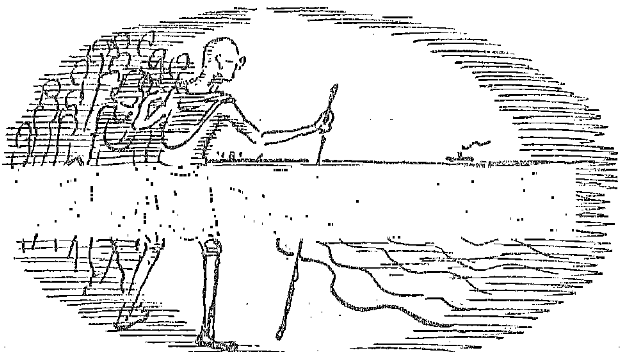
असहयोग-सम्बन्धी बातों पर मुख्य प्रस्ताव में कहा गया—'यह कांग्रेस अपने रचनात्मक कार्यक्रम को उत्साह-पूर्वक पूरा कराने के लिये राष्ट्र से अनुरोध करती है और महासमिति को अधिकार देती है कि वह जब और जहाँ चाहे, आवश्यक प्रतिबन्धों के साथ सविनय-अवज्ञा और करबन्दी तक का कार्यक्रम आरम्भ कर दे।"

१९२९ के ३१ दिसम्बर की ठीक आधी रातके समय इस प्रस्ताव पर मतगणना हुई। सारी कांग्रेस ने उस समय मिलकर पूर्ण स्वाधीनता का झण्डा फहराया।

नयी कार्यसमिति की बैठक २ जनवरी, १९३० को हुई। इसमें कौंसिल-बहिष्कार के निश्चय पर सख्ती से काम करने की बात तय हुई। इसी के फलस्वरूप असेम्बली के २७ सदस्यों ने अपने इस्तीफे दे दिये। दूसरा महत्वपूर्ण निश्चय कार्यसमिति के

देश-भर में पूर्ण स्वराज्य-दिवस मनाने का किया। इसके लिये २६ जनवरी, १९३० का दिन नियत हुआ।

डांडी-यात्रा



इस बाद महात्मा जी ने ६ मार्च, १९३० को एक पत्र-द्वारा सत्याग्रह करने की सूचना वायसराय को दी। लार्ड इरविन ने उसे 'कानून और सार्वजनिक शान्ति-भंग' का नाम दिया। इसलिये महात्माजी ने नमक-कानून तोड़ने के लिये १२ मार्च, १९३० को डांडी के लिये कूच किया। उनके साथ ७९ व्यक्ति थे।

और, इस कूच के बीच में ही अहमदाबाद में २१ मार्च, १९३० को महासमिति की बैठक हुई। इसमें नमक-कानून पर ही शक्ति केन्द्रित रखने का अनुरोध किया गया।

इस कूच में महात्माजी को २४ दिन लगे। ५ अप्रील, १९३० की सुबह वे डांडी पहुंचे। वहाँ उन्होंने नमक-कानून तोड़ा। फिर तो देश में एक आंधी-सी आ गयी।

५ अप्रील, १९३० की रात में १ बज कर १० मिनट पर महात्माजी चुपके से गिरफ्तार कर मोटर लारी में बिठा दिये गये। साथ में पुलिस थी। बम्बई के पास बोरीविली तक उन्हें रेलगाड़ी और वहाँ से यरवदा-जेल तक मोटर कार में ले जाया गया।

महात्माजी की गिरफ्तारी के बाद बम्बई, कलकत्ता आदि स्थानों में पूरी हड़ताल हो गयी। गिरफ्तारी के दूसरे दिन हड़ताल का रूप और भीषण हो गया। बम्बई की ४० मिलें बन्द रहीं। रेलवे कारखानों के मजदूरों ने भी हड़ताल की। सोलापुर में ६ पुलिस-चौकियां जलाने के अपराधमें गोलियां चलायी गयीं, जिसमें २५ व्यक्ति मरे और लगभग १००० घायल हुए।

"सन् १९३० के दूसरे सविनय अवज्ञा आन्दोलन में मुसलमानों का सहयोग बहुत काफी था, अगर्चे वह १९२०-२३ के मुक़ाबले में कम था। इस आन्दोलन के सिलसिले में जिन लोगों को जेल भेजा गया, उनमें कम से कम दस हज़ार मुसलमान थे।" —पं० नेहरू

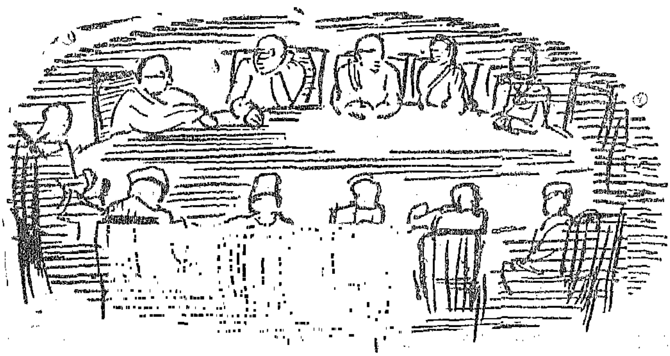
महात्माजी की गिरफ्तारी के बाद इलाहाबाद में कार्य-समिति की बैठक हुई। इसमें कानून भंग का क्षेत्र और भी विस्तृत कर दिया गया। १२ नवम्बर, १९३० को गोलमेज-परिषद् शुरू हुई। इसमें रियासतों से १६, ब्रिटिश भारत से ५७ और इंगलैंड के भिन्न-२-दलों से १३ सदस्यों ने भाग लिया। इस परिषद् के खतम होने के एक सप्ताह के भीतर ही महात्माजी को उनके १९ साथियों के साथ बिना शर्त जेल से रिहा कर दिया गया। पीछे ७ आदमी और छोड़े गये।

जेल से बाहर आने पर लार्ड इरविन के साथ सुलह की बातचीत करने के लिये महात्माजी दिल्ली गये। उनकी पहली मुलाकात १७ फरवरी, १९३१ को चार घंटे तक हुई। १५ दिनों तक सरकार और कांग्रेस के खूब गहरे वाद विवादों के बीच में मुलाकातें होती रहीं। अन्त में ५ मार्च, १९३१ को समझौता हो गया।

इसके अनुसार कांग्रेस-कमिटियों और संस्थाओं पर सरकार ने लगी रोक उठा ली। समझौते के दिन कार्य-समिति ने कांग्रेसियों को यह हिदायत दी कि वे सविनय अवज्ञा, करबन्दी-आन्दोलनों और ब्रिटिश माल के बहिष्कार को बन्द कर दें। लेकिन नशीली चीजों, सब विदेशी कपड़ों और शराब की दूकानों के बहिष्कार की इजाजत दे दी गयी।

१८ अप्रील, १९३१ को लार्ड इरविन भारत से विदा हो गये और लार्ड विलिंगडन वायसराय बने। गांधी-इरविन-समझौते के प्रतिकूल सरकारी अफसर कार्यवाई करने लगे। गोलमेज परिषद् में कांग्रेस के भाग न लेने के लिये कार्य-समिति ने अपने १३ अगस्त, १९३१ के प्रस्ताव को फिर दोहराया। १४ अगस्त ३१ के

गोलमेज-परिषद्



बाद वायसराय का तार पाकर महात्माजी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और सर प्रभाशंकर पट्टनी उनसे मिलने के लिये शिमला गये। वायसराय ने कार्यकारिणी की बैठक की। बहुत से विरोध और समर्थन के बावजूद मामला सुलझ गया और महात्माजी स्पेशल ट्रेन-द्वारा शिमला से रवाना हो गये। कांग्रेस की ओर से गोलमेज-परिषद् में भाग लेने के लिये महात्माजी बम्बई से २९ अगस्त १९३१ को जहाज पर रवाना हो गये।

गोलमेज-परिषद् से खिन्न होकर महात्माजी वापस लौटे और २८ दिसम्बर, ३१ को बम्बई पहुँचे। इसके पहले ही प्रांतीय सरकारों ने आर्डिनेंसों की धूम मचा कर नेताओं और कार्यकर्त्ताओं को जेलों में बन्द करना शुरू कर दिया। ४ जनवरी, १९३२ को सरकारी प्रहार शुरू हो गया। कांग्रेस और उससे सम्बन्धित संस्थाएँ गैर-कानूनी करार दी गयीं।

४ जुलाई, १९३२ को तड़के महात्माजी और सरदार पटेल गिरफ्तार कर लिये गये। पंडित जवाहरलाल नेहरू और खान साहब पहले ही कैद कर लिये गये थे। इस आंदोलन में कोई ७५,००० व्यक्ति जेल गये।

१७ जनवरी, ३२ को मताधिकार और निर्वाचन की सीटों का निर्णय करने के लिये लोथियन कमिटी भारत आयी। ११ मार्च, ३२ को बहुत सोच-विचार कर महात्माजी ने जेल से भारत-मंत्री सर सैमुअल होर को एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने दलित जातियों के लिये पृथक् निर्वाचन रखने पर आमरण-अनशन रखने का विचार व्यक्त किया। १७ अगस्त को मैकडानल्ड के निश्चय ज्ञात होने पर महात्माजी ने प्रधान मंत्री को १८ अगस्त, १९३२ के एक पत्र द्वारा अपने निश्चय की सूचना भेज दी। उन्होंने २० सितम्बर, ३२ के तीसरे पहर से उपवास करने की बात लिखी।

उपवास शुरू हुआ। महामना मालवीयजी ने इस भयङ्कर स्थिति से त्राण पाने के लिये नेताओं की एक सभा बुलायी। उपवास के पाँचवें दिन पूना में एक योजना तैयार की गयी, जिसे सबने स्वीकार कर लिया। इसके अनुसार दलित जातियों ने पृथक् निर्वाचन का अधिकार त्याग दिया। २६ अगस्त, '३२ की सुबह को एक साथ इंगलैंड और भारत से 'पूना-पैक्ट' को स्वीकार कर लेने की घोषणा की गयी। महात्माजी इस व्यवस्था को स्वीकार करने में उलझन में पड़ गये। परन्तु चक्रवर्ती राजगोपालचारी और पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने उन्हें किसी प्रकार संतोष करा दिया। २६ अगस्त, '३२ की संध्या को सवा पाँच बजे महात्माजी ने उपवास तोड़ा।

कलकत्ता-कांग्रेस के बाद हरिजन-आंदोलन में काम करने वाले कार्यकर्त्ताओं को पवित्रता, सेवा-भाव और अधिक नेकनीयती के साथ काम करने में सहायता देने के लिये गांधीजी ने ८ मई, १९३३ को आत्म-शुद्धि के लिये २१ दिन का उपवास आरम्भ किया। उन्होंने कहा था—"यह अपनी और अपने साथियों की शुद्धि के लिये, जिससे वे हरिजन-कार्य में अधिक सतर्कता और सावधानी के साथ काम कर

सकें, हृदय से की गयी प्रार्थना है। इसलिये मैं अपने भारतीय और संसार भर के मित्रों से अनुरोध करता हूं कि वे मेरे लिये मेरे साथ प्रार्थना करें कि मैं इस अग्नि-परीक्षा में सकुशल पूरा उतरूँ, और चाहे मैं मरूँ या जिऊँ, मैंने जिस उद्देश्य से उपवास किया है, वह पूरा हो।"

उसी दिन सरकार ने एक विज्ञप्ति निकाली। उसमें कहा गया था—"उपवास जिस उद्देश्य से किया गया है उसको सामने रखकर, उसके द्वारा प्रकट होने वाली मनोवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, भारत-सरकार ने निश्चय किया है कि वह (गांधीजी) रिहा कर दिये जायँ।"

इसके अनुसार गांधीजी उसी दिन (८ मई, १९३३) रिहा कर दिये गये। रिहा होते ही उन्होंने ६ सप्ताह तक सत्याग्रह-आंदोलन स्थगित रखने के लिये एक वक्तव्य दिया। महात्माजी की घोषणा के बाद ही कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष ने अपनी घोषणा प्रकाशित कर गांधीजी के वक्तव्य को कार्य में परिणत किया। आंदोलन स्थगित हो गया। परन्तु, सरकार ने राजनीतिक बंदियों को रिहा करना उचित न समझा। वियेना से श्रीविट्ठल भाई पटेल और सुभाषचन्द्र बसु ने अपने हस्ताक्षर से एक वक्तव्य प्रकाशित किया। उसमें कहा गया था—"हमारी यह स्पष्ट सम्मति है कि गाँधीजी राजनीतिक नेता की हैसियत से असफल रहे।" परन्तु गांधीजी इस बार भी अडिग रहे। २९ मई, १९३३ को उनका उपवास खतम हुआ।

१२ जुलाई, सन् १९३३ को देश की राजनीतिक हालत पर विचार करने के लिये पूना में कांग्रेस-वादियों की एक अनियमित बैठक हुई। जब शांति-स्थापना का प्रस्ताव सरकार ने अस्वीकार कर दिया, तब सामूहिक सत्याग्रह स्थगित कर व्यक्तिगत सत्याग्रह करने की सलाह दी गयी।

१ अगस्त, १९३३ को गांधीजी राम नामक गाँव की यात्रा करने वाले थे। परन्तु, उससे एक दिन पूर्व ही ३४ आश्रमवासियों के साथ आधी रात को वे गिरफ्तार कर लिये गये। ४ अगस्त, १९३३ के प्रातःकाल उन्हें सरकार ने यरवदा

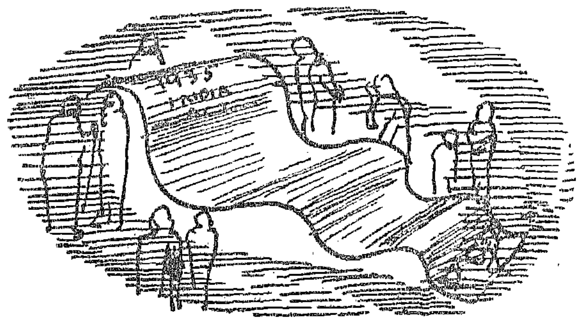
गाँव की सीमा छोड़कर पूना में रहने की नोटिश दे रिहा कर दिया। परन्तु, शर्त न मानने के कारण, रिहाई के आधे घंटे के भीतर वे फिर गिरफ्तार हुए। इस बार उन्हें एक साल की सजा हुई। महात्माजी द्वारा दिखलाये रास्ते पर अगस्त, १९३२ से मार्च, १९३४ तक देश भर में सत्याग्रहियों का तांता जारी रहा। परन्तु खतरनाक बीमारी के कारण सरकार ने महात्माजी को २३ अगस्त, १९३३ को बिना शर्त रिहा कर दिया।

३१ मार्च, १९३४ को डा० अंसारी की अध्यक्षता में कौंसिल-प्रवेश पर विचार करने के लिये दिल्ली में कांग्रेसवादियों की एक बैठक हुई। इसमें चुनाव में भाग लेने की बात तय हो गयी और इसके लिये स्वराज्य पार्टी का फिर पुनर्जीवित किया गया। स्वराज्य पार्टी को शक्तिशाली और सजीव रूप देने और महात्माजी द्वारा उस पर अपनी मुहर लगाने के लिये राँची में २ और ३ मई, १९३४ को एक बैठक हुई।

इन सब विषयों पर १८ और १९ मई, १९३४ को पटना में महासमिति की बैठक ने विचार किया। महात्माजी की सिफारिश के अनुसार सत्याग्रह बन्द कर दिया गया। यहीं पर एक पार्लियामेंटरी बोर्ड बनाया गया। अपने एक प्रस्ताव में महासमिति ने कहा था—"यह बोर्ड कांग्रेस की ओर से कौंसिलों के निर्वाचन के लिये उम्मीदवार खड़ा करेगा और इसे अपना काम पूरा करने, चन्दा एकत्र करने, रखने और खर्च करने का अधिकार रहेगा।......यह बोर्ड महासमिति के अधीन रहेगा। ...बोर्ड केवल उन्हीं उम्मीदवारों को चुनेगा जो कौंसिलों में कांग्रेस की नीति का, जिसे समय-समय पर निश्चित किया जायगा, पालन करने की प्रतिज्ञा लेंगे।"

२५ सितम्बर, १९३४ को वर्धा में कार्य-समिति की बैठक हुई। "आगामी निर्वाचनों के सम्बन्ध में कार्य-समिति ने सारी प्रांतीय और मातहत कांग्रेस-संस्थाओं को आज्ञा दी कि वे निर्वाचन-सम्बन्धी कार्य में पार्लियामेंटरी बोर्ड को सहायता देना अपना कर्त्तव्य समझें। कार्यसमिति ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जो दल या व्यक्ति कांग्रेस की नीति के विरुद्ध हो उसे सहायता न दी जाय।"

'३५ का इण्डिया ऐक्ट



ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कई साल तक कमीशन और कमीटियों के काम और साथ ही बहस के बाद, सन् १९३५ में एक गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट पास किया। इस एक्ट में एक ढङ्ग की प्रांतीय स्वाधीनता और संघीय ढाँचे का इन्तजाम किया गया था, लेकिन इसमें इतने रोक और पेंच थे कि राजनीतिक और आर्थिक दोनों तरह की सत्ता ब्रिटिश सरकार के हाथों में ज्यों की त्यों बनी रही।

"इस विधान के अनुसार वायसराय को पहले से कहीं अधिक अधिकार मिल गये।......बड़ी नौकरियों और पुलिस का बचाव किया गया था और मंत्री लोग उनको छू भी नहीं सकते थे।...कानूनी तौर पर ऐसी कोई चीज नहीं थी जो गवर्नर या वायसराय को अपने मनमाने ढङ्ग से काम करने से रोक सकती, और इसमें चाहे मंत्रियों और असेम्बली का सक्रिय विरोध ही क्यों न हो।"

—पं० नेहरू
(हिन्दुस्तान की खोज)

"सन् १९१५ के गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट में पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट का रियासतों और बाकी हिन्दुस्तान के साथ सम्बन्ध में कुछ भेद-भाव किया गया। रियासतों को हिन्दुस्तान सरकार के निरीक्षण और नियंत्रण से हटाकर वायसराय के मातहत कर दिया गया और उसको इस सिलसिले में राजा का प्रतिनिधि (क्राउन

रिप्रेजेंटेटिव) कहा गया। साथ ही वायसराय हिन्दुस्तानी सरकार का अध्यक्ष भी था। राजनीतिक विभाग, जिस पर रियासतों की जिम्मेदारी थी, अब वायसराय की एक्जी-क्यूटिव राजनीतिक कौंसिल के नीचे से हटकर सिर्फ वायसराय के ही मातहत कर दिया गया।"

परन्तु, १८ मार्च, १९३७ को अखिल भारतीय कांग्रेस-कमिटी ने यह निर्णय किया कि 'उस प्रान्त के कांग्रेस-जनों को जहाँ की धारा-सभा में कांग्रेस-जनों का बहुमत हो, अधिकार ग्रहण करने की अनुमति दी जाय, अगर कांग्रेस-पार्टी का लीडर सन्तुष्ट हो और सार्वजनिक रूप से यह बात स्वीकार कर सके कि मंत्रियों के वैधानिक कामों में गवर्नर हस्तक्षेप नहीं करेंगे।"

चुनाव में ११ में से ७ प्रान्तों में कांग्रेसी-मन्त्रिमण्डल बना। हालां कि कांग्रेस अध्यक्ष पं० जवाहरलाल नेहरू इसके विपक्ष में थे। शुरु में ही गवर्नरों से विरोध हो जाने के कारण युक्तप्रान्त और बिहार के मंत्रि मंडलों ने इस्तिफा दे दिया। परन्तु, वायसराय के हस्तक्षेप करने के कारण फिर मेल हो गया।

त्रिपुरी में कांग्रेस का अधिवेशन सुभाषचन्द्र के सभापतित्व में हुआ। उस समय सभापति पद से सुभाष बाबू ने अङ्गरेजी सरकार को ६ महीने का अल्टीमेटम देना चाहा। उनकी मंशा थी कि आज अंगरेज कमजोर हैं और यदि इस बार उनको जमकर धक्का दिया जायगा, तो वे सम्हल न सकेंगे। ब्रिटिश साम्राज्य के लिये ऐसी खतरनाक स्थिति थी या नहीं, इस पर टीका-टिप्पणी करते हुए एक लेखक ने लिखा है—"अगर त्रिपुरी-अधिवेशन में स्वाधीनता संग्राम के लिये निश्चय किया जाता, और युद्ध आरम्भ होते ही छेड़ दिया जाता, तो ब्रिटिश साम्राज्यशाही के पास वह शक्ति और सामर्थ्य नहीं था, कि वह भारतीय स्वतन्त्रता के संग्राम का मुकाबला करने में सफल होती। बल्कि उसे स्वयं अपना बोरिया-बिस्तर लेकर कूच करने की नौबत आती। ब्रिटिश साम्राज्यशाही की शक्तिहीनता के ठोस प्रमाण हैं। टिनसिन (चीन) में ब्रिटिश प्रजा-जनों की विशेषकर अंगरेजों की जापानी नङ्गा करके खाना-तलाशी ले रहे थे और उनसे वास्तविक अर्थों में लात-घूसों से बातचीत कर रहे

थे; फिर भी ब्रिटिश साम्राज्यशाही बिना 'चूँ' किये टुकुर-टुकुर देख रही थी, क्योंकि उस समय उसके पास न तो नाविक शक्ति मजबूत थी, न वैमानिक शक्ति थी और न पैदल शक्ति ही। म्यूनिख-संकट के समय ब्रिटेन के पास केवल दो डिवीजन सेना थी, जबकि जेकोस्लोवाकिया के पास २५ से ४० डिवीजन सेना आधुनिक अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित थी (हारे बेलिशा-युद्ध-मंत्री)। और जर्मनी के पास २० लाख सेना के २५० डिवीजन थे। नाविक शक्ति में उसके पास केवल ६, ५६,००० टन वजन के जहाज बन रहे थे। वैमानिक शक्ति में उसके पास केवल १७५० प्रथम पंक्ति के हवाई जहाज थे, जिनको उड़ाने के लिये तालीमयाफ्ता चालकों का भारी अभाव था। इसके विपरीत, जर्मनी के पास 'लुटवाफे' की शक्ति इङ्गलैंड और फ्रांस की सम्मिलित शक्ति से दुगुनी थी (डेली टेलीग्राफ, ता० १२ जून, १९३९ को कर्नल पेई का लेख)। और हिन्दुस्तान के अन्दर ? केवल ढाई लाख सेना थी—वह भी न सम्पूर्ण रूपसे सज्जित थी न आधुनिक अस्त्र-शस्त्रों से अवगत। और इसके अन्दर से भी बहुत-सी सेना युद्धारम्भ होते ही सिंगापुर, मिश्र तथा अन्य देशों में भेज दी गयी थी।

३ सितम्बर, १९३९ को वायसराय ने धुरी-राष्ट्रों के विरुद्ध भारत के युद्ध-रत होने की घोषणा की। इस सम्बन्ध में वायसराय ने न तो केन्द्रीय धारा-सभा के सदस्यों, न प्रान्तीय सरकारों और न किसी सार्वजनिक संस्था से ही राय ली। अलावे, उन्होंने कई आर्डिनेंस भी जारी कर दिये।

"१४ दिसम्बर, १९३९ को लम्बी बहस के बाद कांग्रेस-कार्य-समिति ने युद्ध-संकट के सिलसिले में एक लम्बा बयान जारी किया—'कि वाह बिलकुल साफ लफ्जों में कहे कि लोकतंत्र और साम्राज्वाद और विचाराधीन सारी दुनिया के एक नये नक्शे के बारे में उसकी लड़ाई के मकसद क्या हैं ?'"

सरकार ने कांग्रेस की मांग ठुकरा दी। नतीजा यह हुआ कि आठ सूबों के कांग्रेसी मन्त्रिमंडलों ने त्याग-पत्र दे दिया और प्रान्तों में गवर्नरी शासन शुरू हो

गये। देश में पुलिस खुल कर अपने काम करने लगी। कार्यकर्त्ता गिरफ्तार किये जाने लगे। तभी, मार्च, १९४० में रामगढ़-कांग्रेस हुई। यहाँ तय हुआ कि 'सिर्फ सविनय अवज्ञा आन्दोलन ही अब अकेला रास्ता है।' फिर भी कोई नया कदम उठाने से बचने की भरसक कोशिश की गयी।

सरकार से समझौता करने के लिये कांग्रेस ने एक बार और कोशिश की। इस बार "हिन्दुस्तान की आजादी को मंजूर करने की मांग की गयी और केन्द्र में एक कौमी सरकार कायम करने को कहा गया, जिसके मानी थे कि मुख्तलिफ पार्टियों का सहयोग हो। सरकार ने अपनी इन्कारी से भरा जवाब कांग्रेस को भेजा।

व्यक्तिगत सत्याग्रह



लाचार होकर १५ सितम्बर को कांग्रेस ने गांधीजी को सब भार सौंप कर सविनय अवज्ञाआन्दोलन छेड़ने का निश्चय किया। सीमित रूप में यह आन्दोलन चला सरकार ने दमन और गिरफ्तारियों का सहारा लिया। महात्माजी के अलावे बड़े-बड़े सभी नेता जेलों में बन्द कर दिये गये। हजारों कांग्रेसी जेलों में पहुँचे। उनमें प्रान्तीय धारा-सभा के ३९८ और केन्द्रीय धारा-सभा के २२ सदस्य थे। भूतपूर्व मन्त्री ३१, अखिल भारतीय कांग्रेस-कमिटी के १७४ और कार्य-समिति के ११ सदस्य थे। ४ दिसम्बर, १९४१ से सरकार ने कांग्रेसी नेताओं की रिहाई का काम शुरू किया।

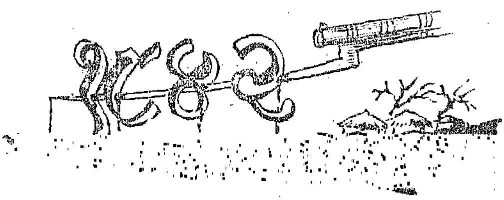
सरकार अब खुद कांग्रेस से समझौता करने को उत्सुक हो उठी। ११ मार्च, १९४२ को इंगलैंड के प्रधान मन्त्री मि० चर्चिल ने साधारण सभा में समझौते के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव की घोषणा की। २९ मार्च, १९४२ को सर स्टैफर्ड क्रिप्स वे प्रस्ताव लेकर भारत आये।

क्रिप्स-प्रस्ताव को महात्माजी ने 'किसी लड़खड़ाते बैंक की मियादी हुँडी कहा। वे प्रस्ताव हिन्दुस्तान में फूट डालने, कौमी तरक्की और आजादी के रास्ते में आनेवाली हर चीज को बढ़ावा देनेवाले थे। क्रिप्स-प्रस्ताव में भविष्य, याने लड़ाई खतम होने के बाद की ही अधिक चर्चा थी। हाँ, एक जगह अधिक अस्पष्ट रूप में मौजूदा हालतों में सहयोग की मांग की गयी थी। उसके अनुसार, भविष्य में आत्मनिर्णय-सिद्धान्त के अनुसार प्रान्तों को भारतीय संघ से अलग एक नया आजाद संघ बनाने का हक था। कार्यसमिति ने अल्पसंख्यकों के सवाल पर घोषित किया—"कई भी प्रादेशिक ईकाई, हिन्दुस्तानी संघ में, उसकी जनता की घोषित इच्छा के खिलाफ, मजबूरन नहीं रखी जायगी।" कांग्रेस और सरकार के बीच चलने वाली समझौता वार्ता के सख्त खिलाफ वायसराय लार्ड लिनलिथगो और सिविल-सर्विस के बड़े-२ अफसर थे। अपनी शक्ति घटाने के लिये वे किसी प्रकार तैयार न थे। "उसमें (क्रिप्स-प्रस्ताव) चीजें जान-बूझकर साफ नहीं की गयी थीं, लेकिन उसे बड़ी सावधानी से लिखा गया था। और उसमें हर-लफ्ज़ के मानी थे। उसे या तो ज्यों को त्यों को मान लेना था या रद्द कर देना।"

क्रिप्स के साथ बारबार की बातचीत से मालूम हुआ कि रक्षा-विभाग को छोड़ कर और सब विभागों का इन्तज़ाम हिन्दुस्तानी हाथों में दे दिया जायगा। कुछ बहस के बाद सर स्टैफर्ड रक्षा-विभाग को एक हिन्दुस्तानी मेम्बर के अधीन रहने पर तैयार हो गये। लेकिन रक्षा-मंत्री के जिम्मे फौजों के आराम तथा फौज के नाश्ते और मन-बहलाव का इन्तज़ाम, पेट्रोल, लिखाई और छपाई का सामान आदि सौंपे जाने की बात उन्होंने बतलायी।

परन्तु, इसी समय एक विचित्र घटना घट गयी। लार्ड हैलीफैक्स ने संयुक्त राष्ट्र में कहीं भाषण देते हुए कांग्रेस पर जोरदार आक्षेप किये। फिर सर क्रिप्स के साथ बात होने पर मालूम हुआ कि वायसराय की मौजूदा एक्जीक्यूटिव कौंसिल में ही राजनीतिक दलों के कुछ और हिन्दुस्तानियों को उसमें नियुक्त कर दिया जायगा। देश की किसी संस्था ने उन प्रस्तावों को स्वीकार न किया। सर स्टफर्ड क्रिप्स ११ अप्रील, १९४२ को हवाई जहाज से इंगलैंड चले गये।

क्रिप्स-प्रस्ताव-अस्वीकार कर कांग्रेस ने देश की आजादी हासिल करने के लिये अपने कदम बढ़ाये। कार्य-समिति की पाँच बैठकें क्रमशः प्रयाग, दिल्ली, पूना, बारडोली और वर्धा में हुई। वर्धा वाली बैठक में महात्माजी का 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव स्वीकार किया गया। महासमिति की बम्बई-बैठक ने उसे पास कर दिया। और बाद की घटनाएँ इस पुस्तक के पृष्ठों पर अंकित हैं।



१४ जुलाई को वर्धा में कांग्रेस कार्य-समिति की बैठक हुई। 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव वहीं पास हो गया। परन्तु, यह एक ऐसा कदम था, जिसका निर्णय अखिल भारतीय कांग्रेस-कमिटी पर छोड़ दिया गया। तय हुआ, ८ अगस्त को बम्बई अधिवेशन हो।

आया ८ अगस्त। बम्बई का ग्वालिया टैंक मैदान—३५००० वर्गफीट में पंडाल बना। एक लाख रुपये इसमें खर्च हुए। अंगरेज और अमरीकन पत्र-प्रतिनिधियों के अलावे चीन और रूस के भी पत्र-प्रतिनिधि उपस्थित थे। ५० विदेशी और ३०० देशी पत्रकारों के लिये पास बाँटे गये थे। २०० स्वयं-सेविकाओं और २८०० स्वयंसेवक सेवा-कार्य में व्यस्त थे। चारों ओर आसमान की खुली हवा में 'विजयी विश्व तिरंगा' फहरा रहा था।

ढाई बजे 'वन्देमातम्' गान गाया गया। अधिवेशन शुरू हुआ। आकाश के दहलाने वाले गगनभेदी राष्ट्रीय नारों के बीच राष्ट्रपति मौलाना अबुल कलाम आजाद मंच पर आये। बैठे-बैठे ही उन्होंने बोलना शुरू किया। बड़ा पुरजोर था वह भाषण सुनने वाले कलेजा थामे थे। मौलाना बोलते जा रहे थे।

तब उठे पंडित नेहरू। 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव उन्होंने ही उपस्थित किया। अंगरेजी में बोलते हुए आपने कहा—"प्रस्ताव धमकी नहीं है इसके द्वारा हमने सहयोग का हाथ आगे बढ़ाया है। परन्तु, इसके पीछे एक बात साफ है, यदि कुछ बातें न हुई तो नतीजा क्या होगा?"

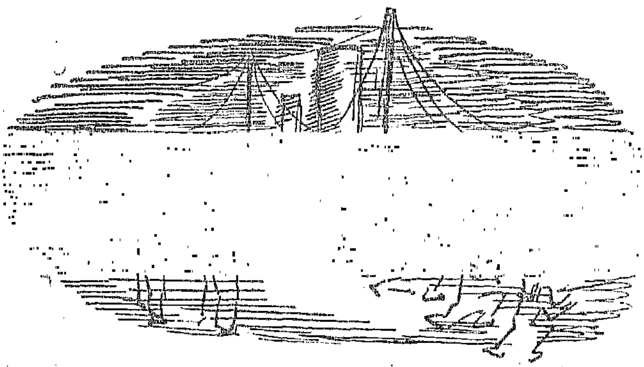
उन्होंने आगे कहा—"दूसरे देशों के हमारे कुछ दोस्त ऐसा कहते हैं, हम गलती कर रहे हैं। परन्तु मैं स्पष्ट घोषणा करता हूं कि हम अपनी धारणा में निश्चित हैं।"

पंडित जी बोलते रहे। उन्होंने चर्चिल-पन्थियों की खरी आलोचना की। वे जोश में आ गये थे। बोलने लगे—"हमें कुछ लोग धमकी दे रहे हैं। परन्तु धमकी का अर्थ वे नहीं समझ रहे हैं। नाजुक मौके पर उसका परिणाम भयंकर हो जाता है।"

इसका समर्थन किया लौह-पुरुष सरदार पटेल ने। उनके शब्द चोट करने वाले थे। उनसे जोश उछल रहा था, काम की सही धारणा झांक रही थी और जनता के दिली ख्यालात साकार रूप धारण कर रहे थे। वे बोलते जाते थे और जनता बारबार तालियाँ पीट कर अपनी स्वीकृति की मुहर लगाती जाती थी। सरदार की वाणी में आजादपरस्त जनता के प्रति विश्वास की भावना थी। उन्होंने कहा—"सरकार चाहती है कि हम उसके हथियारों में यकीन करें। लेकिन, हम उन हथियारों में किस प्रकार विश्वास करें, जिनकी दुर्दशा बर्मा और मलाया में अच्छी तरह दीख गयी है।"

लगभग २४० सदस्यों में १३ ने विरोध में अपना मत दिया। प्रस्ताव तुमुल करतलध्वनि के बीच पास हो गया। तब महात्मा जी भाषण देने के लिये उठे। ढाई घंटे तक वे बोले हिन्दी और अंगरेजी में।

८ अगस्त, १९४२ को अखिल भारतीय कांग्रेस-कमिटी द्वारा पास किया गया प्रस्ताव



"कार्यसमिति की १४ जुलाई, १९४२ के प्रस्ताव पर अखिल भारतीय कांग्रेस-कमिटी ने सावधनी के साथ विचार किया है। कार्यसमिति के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के विषयों पर कमिटी ने अच्छी तरह सोच-समझ लिया है। फिर उसके बाद वाली घटनाओं, युद्ध की हालत, ब्रिटिश सरकार के उत्तरदायी व्यक्तियों के भाषण और उक्त प्रस्ताव पर देश-विदेश में की गयी आलोचनाओं पर भी कमिटी ने गौर किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस-कमिटी उस प्रस्ताव को स्वीकार कर उसका समर्थन करती है। उसकी राय है कि बाद की घटनाओं द्वारा यह और भी आवश्यक और उचित हो गया है। यह बात साफ हो गयी है कि जितनी जल्दी हो सके भारत से ब्रिटिश शासन का खातमा हो जाय। ऐसा होने से मित्र राष्ट्रों द्वारा घोषित उनके आदर्श की पूर्ति में काफी सहायता मिलेगी। मौजूदा शासन के बने रहने से भारत की प्रतिष्ठा घटती है और वह कमजोर बनता जाता है। फिर अपनी रक्षा करने और संसार की स्वतंत्रता के आदर्शों में सहयोग देने की उसकी शक्ति क्रमशः क्षीण होती जाती है।

"रूसी और चीनी मोर्चों की हालत जिस प्रकार बदतर होती गयी है, उसे अखिल भारतीय कांग्रेस-कमिटी ने निराशा के साथ देखा है। परन्तु रूसियों और चीनियों द्वारा अपनी आजादी की रक्षा के लिये किये गये बलिदानों और कुर्बानियों

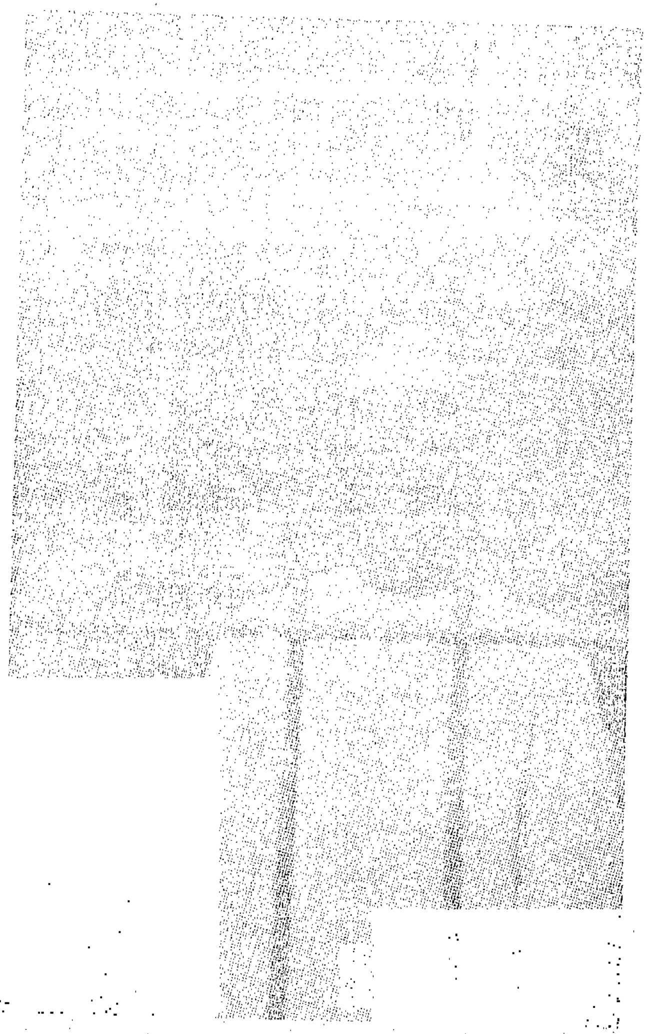
की वह लाख-लाख प्रशंसा करती है। मित्रराष्ट्रों ने जिस प्रकार की नीति अबतक अख्तियार की है, बारबार होने वाली भीषण पराजयों का यही कारण है। इसलिये आज आजादी हासिल करने के लिये कोशिश करने वाले उस नीति के बढ़ते जाने वाले खतरे की अच्छी तरह जाँच परख कर लें। पिछले अनुभव बतलाते हैं कि ऐसी नीतियों के द्वारा केवल असफलता ही हाथ आ सकती है। इन नीतियों का आधार आजादी नहीं है। ये तो अपने अधीन और औपनिवेशिक देशों पर कब्जा बनाये रखने और साम्राज्यवादी परम्पराओं तथा प्रणालियों को अक्षुण्य रखने का ही कार्य करती हैं। साम्राज्य को अपने काबू में रखना हुकूमती ताकत बढ़ाने के अलावे एक बोझ और शाप बन गया है। इस प्रश्न की पूरी जाँच अर्वाचीन साम्राज्यवाद का लीला-क्षेत्र भारत में हो रही है। कारण कि भारत की आजादी से ही ब्रिटेन और मित्रराष्ट्रों की असलियत की परीक्षा होगी। फिर इसी से एशिया और अफ्रीका की गुलाम जातियों में आशा और उत्साह भरेगा।

"इसलिये इस बात की एकदम जल्द आवश्यकता है कि इस मुल्क में ब्रिटिश शासन का अन्त हो जाय। इसी पर लड़ाई का आगामी परिणाम, आजादी और प्रजातंत्र की सफलता निर्भर है। यह सफलता एक ओर आजाद भारत के विशाल साधनों को आजादी पक्ष में लाकर खड़ा कर देगी और दूसरी ओर नाजीवाद, फासिस्ट वाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक भयानक शस्त्र होगी। ऐसी घटना का प्रभाव लड़ाई की मौजूदा हालत पर तो पड़ेगा ही, साथ ही संसार के पददलित और गुलाम मानव वर्ग मित्रराष्ट्रों की ओर हो जायगा। फिर जिनका दोस्त यह देश होगा, उनके हाथ में संसार का नैतिक और आत्मिक नेतृत्व आ जायगा। जबतक भारत के गले में गुलामी की रस्सी पड़ी रहेगी, साम्राज्यवाद का कलंक ब्रिटेन के दोस्त राष्ट्रों को बदनाम करता रहेगा।

"आज की आवश्यकता का तकाजा है, भारत आजाद हो और ब्रिटिश अधिकार का खातमा कर दिया जाय। आज किये जाने वाले किसी भी प्रकार के वादाओं और

तूफानों की ओर :-

माननीय वराड-केसरी :-



श्री ब्रजलाल बियाणी, अकोला

गारंटियों को लेकर वर्तमान परिस्थिति में सुधार नहीं लाया जा सकता। उसका मुकाबला भी नहीं किया जा सकेगा। आज जन-समुदाय की भावना बदलने की जरूरत है, जो इस प्रकार सम्पन्न नहीं की जा सकती। लड़ाई के वर्तमान रूप को बदलने के लिये करोड़ों व्यक्तियों को बल और उत्साह की जरूरत है, जो आजादी मिले बिना प्राप्त नहीं किये जा सकते।

"इसलिये आल-इण्डिया कांग्रेस-कमिटी आग्रहपूर्वक अपनी मांग दुहराती है कि भारत से ब्रिटिश हुकूमत हटा ली जाय। भारत की आजादी का ऐलान हो जाने पर एक अस्थायी सरकार कायम की जायगी। तब आजाद भारत मित्रराष्ट्रों का दोस्त बन जायगा। उस समय जंगे-आजादी के लिये मिलकर किये जाने वाले प्रयत्नों के सुख-दुःख में भारत पूरा हाथ बँटायेगा। अस्थायी सरकार का निर्माण देश के प्रमुख दलों और वर्गों के सहयोग से किया जायगा। इस प्रकार यह एक मिली जुली सरकार होगी। भारत के सभी मुख्य वर्गों का प्रतिनिधित्व इसमें होगा। उस सरकार का पहला, फर्ज होगा, अपनी सारी सशस्त्र और अहिंसात्मक ताकतों द्वारा मित्रराष्ट्रों से मिलकर भारत के बचाव और आक्रमण का विरोध करना। साथ ही खेतों, कारखानों, आदि जगहों में काम करने वाले श्रमजीवियों की भलाई और उन्नति का प्रयत्न भी वह करेगी। इसी सरकार द्वारा एक विधान निर्मातृ परिषद् की योजना बनायी जायगी। फिर यही परिषद् भारत के सब वर्गों की जनता को पसन्द आने वाला विधान बनायेगी। कांग्रेस-मत के अनुसार यह विधान संघ-सम्बन्धी होगा। उस संघ में शामिल होने वाले प्रान्तों को शासन के काफी अधिकार मिलेंगे।

"भारत की आजादी अन्य एशियाई राष्ट्रों के विदेशी शासन से मुक्ति का प्रतीक मानी जायगी। बर्मा, मलाया, हिन्द-चीन, डच द्वीप समूह, ईरान और ईराक को भी मुकम्मिल आजादी मिलनी चाहिये। आज यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि जो मुल्क आज जापानी नियन्त्रण में हैं, बाद में उन्हें किसी भी औपनिवेशिक सत्ता के अधीन नहीं रखा जा सकेगा।

"यह संकट-काल है। इसकी माँग है कि अखिल भारतीय कांग्रेस-कमिटी भारत की आजादी और रक्षा की ओर ही अपना विशेष ध्यान दे। परन्तु, कमिटी की राय है कि दुनिया की भावी शान्ति, सुरक्षा और व्यवस्थित उन्नति के लिये आजाद देशों का एक विश्व-संघ बनाया जाय। अन्य किसी भी दूसरी बात के आधार से आधुनिक संसार की पेचीदी उलझनें नहीं सुलझायी जा सकेंगी। ऐसे विश्व-संघ से उसमें शामिल होने वाले राष्ट्रों की आजादी, एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण और शोषण रोकना सम्भव हो सकेगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों का संरक्षण, पिछड़ी जातियों और देशों की उन्नति एवं सामान्य हित के लिये विश्व-साधनों का एकत्रीकरण भी इससे किया जा सकेगा। जब ऐसा विश्व-संघ स्थापित हो जायगा, तब संसार का निःशस्त्रीकरण किया जा सकेगा। उस समय राष्ट्रीय सेना, नौसेना और वायु-सेना की जरूरत न रह जायगी। संसार में शान्ति रखने और आक्रमण रोकने के लिये एक विश्व-संघ-रक्षक सेना रहेगी।

"ऐसे विश्व-संघ में आजाद भारत प्रसन्नता के साथ शामिल होगा। दूसरे देशों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ सुलझाने में वह समान अधिकार पर अपना सहयोग प्रदान करेगा।

"संघ के आधारभूत सिद्धान्तों का पालन करने वाले सभी राष्ट्र उसमें शामिल हो सकेंगे। जबतक लड़ाई है, मित्र-राष्ट्रों तक ही इस संघ का दायरा रहेगा। अगर यह कार्य इसी समय शुरू कर दिया जाय तो लड़ाई, धुरी राष्ट्रों की जनता और भावी शान्ति पर इसका गहरा असर पड़ेगा।

"परन्तु कमिटी दुःख के साथ ऐसा-कुछ अनुभव कर रही है, लड़ाई की दुख-दाई और व्याकुल करने वाली शिक्षा हासिल करने और संसार पर संकट के घिरे बादलों को देख कर भी, कुछ ही देशों की सरकारें ऐसा संघ बनाने की ओर कदम उठाने को तैयार हैं। ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया और विदेशी पत्रों की भ्रमात्मक आलोचनाओं से यह बात स्पष्ट है कि भारतीय आजादी की सीधी-सादी माँग

का भी विरोध किया जा रहा है।......इस समय विदेशी शासन-प्रणाली के सामने सिर झुकाने से इस देश का पतन होता जा रहा है। खुद अपनी रक्षा करने और आक्रमण रोकने की उसकी ताकत इस तरह नष्ट होती जा रही है। इस स्थिति में न तो प्रतिदिन बढ़ने वाले खतरे का ही सामना किया जा सकता है और न मित्र-राष्ट्रों की जनता की सेवा ही। ब्रिटेन और मित्रराष्ट्रों से जो सच्ची अपील कांग्रेस ने की थी, उसका आजतक उत्तर नहीं मिला है। अनेक विदेशी क्षेत्रों में की गयी आलोचनाओं से जाहिर हो गया है कि भारत और दुनिया की जरूरियातों के विषय में गलतफहमी फैली हुई है।

"दुनिया की आजादी का खयाल कर इस आखिरी घड़ी में एक बार फिर ब्रिटेन और मित्र-राष्ट्रों से अखिल भारतीय कांग्रेस-कमिटी अपील करना चाहती है।...... कमिटी भारत की आजादी के जायज अधिकार का समर्थन करने के विचार से अहिंसात्मक प्रणाली द्वारा बड़े पैमाने पर एक विशाल संग्राम चालू करने की स्वीकृति देने का निश्चय करती है। अब २२ वर्षों के शांतिपूर्ण संग्राम में संचित की गयी सारी अहिंसात्मक ताकतों का वह प्रयोग कर सकेगी। यह संग्राम गांधीजी के नेतृत्व में होगा। कमिटी उनसे नेतृत्व करने और प्रस्तावित कार्यवाइयों में राष्ट्र का पथ-प्रदर्शन करने का निवेदन करती है।

"भारत की जनता पर इस कारण आने वाले खतरों और कठिनाइयों का दृढ़ता और साहस के साथ महात्माजी के नेतृत्व में सामना करने का उत्तरदायित्व है। भारतीय आजादी के अनुशासित सिपाहियों की तरह महात्माजी के निर्देशों का पालन करने की अपील कमिटी करती है। भारतीयों को याद रखना चाहिए कि इस आंदोलन का आधार अहिंसा है। यह बहुत-कुछ सम्भव है कि आन्दोलन के दौरान में निर्देश देना अथवा उनका जनता के पास पहुँचा सकना सम्भव न हो और कांग्रेस-कमिटियाँ उस समय काम न करें। ऐसी स्थिति में आंदोलन में भाग लेने वाले हर औरत-मर्द का कर्त्तव्य होगा कि वह सामान्य निर्देशों की सीमा में रहकर अपने आप कार्य करें।

"अन्त में यह बताना है कि अखिल भारतीय कांग्रेस-कमिटी ने स्वतंत्र भारत की भावी सरकार के विषय में अपना मत प्रकट कर दिया है। लेकिन इससे सम्बन्धित सभी लोगों के लिये कमिटी यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि इस विशाल संग्राम का आरम्भ कर वह कांग्रेस के लिये कोई सत्ता नहीं चाहती। सत्ता मिलने पर सभी भारतीयों का उस पर समान अधिकार होगा।"

सन् १९४३ के अन्त में लार्ड वेवल भारत के वायसराय बनकर आये। १७ फरवरी, १९४४ को केन्द्रीय असेम्बली के अपने भाषण में ही उन्होंने कहा कि "बिना अगस्त-प्रस्ताव वापस लिये नेता रिहा नहीं किये जायेंगे।" सरकार क्रिप्स-प्रस्ताव पर डटी हुई थी। लार्ड वेवल के आते ही महात्माजी ने १७ फरवरी, १९४४ को उन्हें पहला पत्र लिखा। कई महीने तक पत्र-व्यवहार चलता रहा। इसी बीच सरकारी डाक्टरों की रायसे अस्वस्थता के कारण महात्माजी को सरकार ने ६ मई, १९४४ को आगाखां महल से रिहा कर दिया।

१७ जून, १९४४ को महात्माजी ने पूना से फिर वायसराय से मिलने के लिये उन्हें पत्र लिखा। परन्तु, नीति में परिवर्तन किये बिना मिलने से किसी भी प्रकार का फायदा न होने का कारण बतला कर वायसराय ने उससे इन्कार कर दिया।

लाचार होकर महात्माजी ने १७ जुलाई, १९४४ को मिलजुल कर हिन्दू-मुसलिम-समस्या हल करने के लिये जिन्ना को गुजराती में एक पत्र लिखा। इसी के बाद ९ सितम्बर से २७ सितम्बर, ४४ तक बम्बई में जिन्ना के निवास-स्थान पर दोनों में बातें हुईं और अनेक पत्रों का परस्पर आदान-प्रदान भी हुआ। इस वार्ता में गांधीजी ने मुसलिम बहुमत वाले प्रदेशों को पृथक होने का अधिकार मान लिया। केवल एक शर्त उन्होंने रखी कि 'पृथक होने के लिये उस क्षेत्र-विशेष के निवासियों का मत ले लिया जाय।' परन्तु, जिन्ना इसपर तैयार नहीं हुए। अतः वार्ता भंग हो गयी।

सन् १९४५ के आरम्भ में ब्रिटेनमें नया चुनाव होने वाला था। भारत के प्रश्न को लेकर मजदूर-दल की विरोधी बातों से ब्रिटिश जनता को धोखा देने के लिये टोरियों ने एक नया जाल फेंका। २१ मार्च, १९४५ को लार्ड वेवल भारत से लंदन गये। लार्ड वेवल की इस लन्दन-यात्रा का उद्देश्य भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करना था। इसलिये कि जापान पर अन्तिम प्रहार करने के पहले भारत का वातावरण एकदम अनुकूल बना लिया जाय। इसी समय सर तेजबहादुर सप्रू की समझौता-कमिटी ने एक प्रस्ताव पास कर उसकी नकल लंदन में वायसराय के पास भेजी। उसमें भारत को बराबरी के स्थान मिलने की मांग की गयी थी। वहाँ से लौटने पर १४ जून, १९४५ को वायसराय ने दिल्ली रेडियो से भाषण दिया—"...सम्राट की सरकार के पूर्ण समर्थन से संगठित राजनीतिक संस्थाओं के प्रतिनिधियोंके साथ नयी एक्जीक्यूटिव कौंसिल बनाने के लिये केन्द्रीय तथा प्रांतीय राजनीतिक नेताओंको परामर्श देने के लिये आमन्त्रित करने का मैं विचार कर रहा हूं।

"इस आयोजित नयी कौंसिल अथवा शासन-सभा में प्रमुख सम्प्रदायों के प्रतिनिधि रहेंगे तथा हिन्दू और मुसलमानों का बराबर प्रतिनिधित्व रहेगा। अगर यह कौंसिल गठित हो गयी, तो यह वर्तमान विधान के अन्तर्गत ही काम करेगी।

"...इसमें प्रधान सेनापति युद्धसदस्य के रूप में अपने पद पर बने रहेंगे। यह भी योजना है कि वैदेशिक विभाग, जो अबतक वायसराय के हाथ में था, जहाँ तक ब्रिटिश भारत के हित का ताल्लुक है, कौंसिल के भारतीय सदस्य के हाथ में दे दिया जायगा।"

इस नयी कौंसिल के निर्माणकार्य पर विचार करने के लिये वायसराय ने निम्नलिखित प्रतिनिधियों को आमन्त्रित करने की घोषणा की—

(१) प्रत्येक प्रांत के वर्तमान या भूतपूर्व प्रधान मन्त्री।

(२) केन्द्रीय असेम्बली के कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग पार्टियों के नेता।

(३) स्टेट कौंसिल के कांग्रेस तथा लीग पार्टियों के नेता।

(४) असेम्बली के राष्ट्रवादी तथा यूरोपियन दली नेता ।

(५) दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के माननीय नेता श्रीगांधीजी और जिन्ना ।

(६) रायबहादुर शिवराज—प्रतिनिधि दलित-वर्ग ।

(७) मास्टर तारा सिंह—प्रतिनिधि सिख जाति ।

वायसराय ने घोषित किया कि "समस्या का हल निकालने के लिये २५ जून से शिमला में राजनीतिक नेताओं का सम्मेलन होगा।"

उसी दिन साधारण-सभा में भारत-मन्त्री मि० एमरी ने भी इसी आशय की एक घोषणा की। वायसराय की आज्ञा से कार्यसमिति के सदस्य १५ जून, १९४५ को बिना शर्त रिहा कर दिये गये। लार्ड वेवल की योजना पर गांधीजी ने कहा—"...अगर यह सम्मेलन उचित राजनीतिक समझौते के लिये बुलाया जायगा और कोई गलत रुख नहीं पकड़ा जायगा, तो इससे फायदामन्द परिणाम निकल सकता है। ...आयोजित वायसराय सम्मेलन का आधार भूलाभाई देसाई-लियाकत अली समझौता ही है।"

२५ जून, १९४५ को दिन के साढ़े ग्यारह बजे शिमला में नेताओं का सम्मेलन शुरू हुआ। गांधीजी ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। २९ जून, १९४५ तक सम्मेलन का कार्य चलता रहा। कांग्रेस और लीग में समझौता न होने के कारण वायसराय ने १४ जुलाई, १९४५ तक सम्मेलन स्थगित कर दिया।

यहां कांग्रेस ने शासन-परिषद् में हिन्दू-मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व स्वीकार कर लिया। परन्तु लीग के इस प्रस्ताव पर कि—"वायसराय की प्रस्तावित कार्यकारिणी के लिये समस्त मुस्लिम सदस्यों को चुनने का उसे ही अधिकार है"—अबतक के सारे कार्यों पर पानी फिर गया। सरकार इस गतिरोध पर चुप्पी लगा गयी। तब १४ जुलाई, १९४५ को वायसराय ने सम्मेलन में असफलता की घोषणा कर दी।

ब्रिटेन के निर्वाचन में चर्चिल-पन्थी दल बुरी तरह हार गया। २६ जुलाई, १९४५ को मि० एटली के नेतृत्व में ब्रिटेन में मजदूर सरकार की स्थापना हुई। लार्ड पेथिक लारेंस ३ अगस्त, १९४५ को भारत-मन्त्री नियुक्त हुए।

इधर भारत का सियासी क्षितिज उग्र रूप धारण करने लगा। ५ नवम्बर, १९४५ से दिल्ली के लाल किले में आजाद हिन्द फौज के शाहनवाज आदि पर मुकदमा चला। जनता उत्तेजित हो उठी। कई जगह भीड़ पर पुलिस और फौज ने गोलियां चलायीं। कलकत्ते में विद्यार्थियों ने पंक्तिबद्ध होकर इन गोलियों का सामना किया।

ब्रिटिश सरकार के आदेश पर २१ अगस्त, १९४५ को वायसराय ने १९४६ के आरम्भ में होने वाले आम-चुनाव की घोषणा की। फिर २६ अगस्त, १९४५ को वे आवश्यक परामर्श करने के लिये लंदन रवाना हुए और १५ सितम्बर १९४५ को भारत वापस लौट आये। ४ दिसम्बर, १९४५ को ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत-मंत्री ने घोषणा की कि 'एक शिष्ट-मण्डल भारतीय स्थिति का अध्ययन करने के लिये भारत जायगा।'

१९४६ की ५ जनवरी को इस मंडल के ९ सदस्य कराची के हवाई अड्डे पर उतरे। उधर जनमत के दबाव में आकर सरकार ने शाहनवाज आदि को फांसी की सजा होने पर भी ३ जनवरी, १९४५ को मुक्त कर दिया। शिष्ट-मंडल भारत में अभी अपना कार्य कर ही रहा था कि २३ जनवरी, १९४६ को बम्बई में 'सुभाष- दिवस' के जुलूस पर गोलियां चलायी गयीं। सुभाष-दिवस पर पुलिस ने आंसू गैस, लाठी चार्ज और भरपूर गोलियां चलायीं। स्त्रियों का समूह बार-बार आंसू-गैस का व्यवहार किये जाने पर भी डटा रहा। यह उपद्रव २६ जनवरी तक चला। इसमें कोई २३ आदमी मरे। जनता ने सरकारी लारियों, सरकारी गल्ले की दूकानों, रेलवे टिकट घर के दरवाजों आदि को जला कर नष्ट कर डाला।

ब्रिटिश शिष्ट-मण्डल के सदस्य २३ जनवरी को मद्रास में हिन्दुस्तानी नगर में महात्मा गांधी से उनके निवास स्थान पर मिले। २४ जनवरी को रचनात्मक कार्य-कर्त्ताओं की सभा में गांधीजी ने इस मिलन का जिक्र करते हुए कहा —"मैंने ब्रिटिश प्रतिनिधि मण्डल से दो घण्टे बातचीत की। मुझे विश्वास है कि मेरा समय नष्ट नहीं हुआ। फिर भी स्वराज्य प्राप्त करने के लिये हम किसी के ऊपर भरोसा नहीं रख सकते। स्वतन्त्रता बाहर से भेंट-स्वरूप नहीं आ सकती।" १० फरवरी, १९४६ को शिष्टमण्डल इङ्गलैंड रवाना हो गया।

इसके बाद इस मुल्क की राजनीति में भयंकर तूफान आया। सरकार बात-बात पर गोलियाँ चलाने लगीं। तभी २१ फरवरी, १९४५ को भारतीय इतिहास में एक अकल्पित घटना घटी। वह घटना थी बम्बई और कराची के नौ-सैनिकों का हड़ताल करके मशीनगनों से ब्रिटिश फौज का सामना करना। फिर २७ फरवरी को जब्बलपुर की फौज और १५ मार्च को देहरादून की गोरखा-रेजिमेंट ने बगावत कर दी।

भारतीय नाविकों की यह बगावत आर्थिक प्रश्नों को लेकर शुरू हुई। लेकिन, एक-दो दिन के अन्दर ही उसका रूप राजनीतिक हो गया। भारतीय नाविकों के पास साल भर तक लड़ने लायक गोला-बारूद और अस्त्र-शस्त्र मौजूद थे तथा खाने के लिये अन्न-सामग्री। बेतार पर उन्होंने अधिकार कर लिया था। संसार भर के समुद्रों पर विचरने वाले अथवा लङ्गर डाले हुए जहाजों के भारतीय नाविकों को उन्होंने बगावत की सूचना दे दी। समस्त संसार के नाविकों ने उन्हें पूर्ण-सहयोग देने का वचन दिया। भारत के अन्दर दूसरी भारतीय सेना भी नाविकों का साथ देने के लिये तैयार बैठी थी। उस समय तक सारी भारतीय सेना के अन्दर से २,७४०,००० सैनिक बर्खास्त हो चुके थे। अपनी बर्खास्तगी के कारण ये भी सर-कार से रुष्ट थे। 'आजाद हिन्द फौज' के १,००,००० सदस्य, जिन्होंने सुभाष बाबू के सामने भारत को स्वाधीन करने की शपथ ली थी, आजादी की लड़ाई में कूद पड़ने के लिये सिर्फ नेताओं के इशारे का इन्तजार कर रहे थे।

बलवाइयों पर गोलियाँ चलाने के लिये जिन भारतीय सैनिकोंको ब्रिटिश सरकार ने हुक्म, दिया, उन्होंने अपने ही हाथों अपने भाइयों का खून बहाने से इंकार कर दिया।

यह एक विचित्र घटना थी। सन् '५७ के बाद हिन्दुस्तान के इतिहास में यह पहला अवसर था, जब भारतीय सेना स्वाधीनता-युद्ध में कूद पड़ने के लिए तैयार थी।

इसी बीच प्रान्तीय चुनाव हुए। इसके अनुसार ८ प्रान्तों में कांग्रेस का पूर्ण बहुमत हुआ और पंजाब में संयुक्त मन्त्रिमण्डल बना।

१९ फरवरी, '४६ को ब्रिटेन के प्रधान मंत्री श्रीएटली ने पार्लियामेंट की साधारण सभा में घोषणा की—"ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल के तीन प्रमुख सदस्य—भारत-मन्त्री लार्ड पेथिक लारेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष सरस्ट्राफर्ड क्रिप्स और नौ-सेना विभाग के फर्स्ट लार्ड (अध्यक्ष) श्रीएलबर्ट अलेक्जेण्डर—भारत की वैधानिक समस्या को हल करनेके लिये मार्च के अन्तिम सप्ताह में भारत जायेंगे।"

पार्लियामेन्टकी लार्डस-सभामें इसी प्रकार की घोषणा करते हुए भारत-मन्त्री लार्ड पैथिक लारेंस ने कहा—"ये तीनों मन्त्री पूर्ण अधिकार लेकर जायेंगे। ये मन्त्री किसी प्रकार भी पिछले क्रिप्स-प्रस्ताव से बाधित न रहेंगे।.........केन्द्रीय चुनाव तो पिछले वर्ष के अन्त में ही समाप्त हो गया है। कुछ प्रान्तों में भी चुनाव हो गया है और अन्य प्रान्तों में अगले महीने तक चुनाव समाप्त हो जायगा। प्रान्तों में प्रतिनिधि सरकार भी बनने लगी हैं। इसलिये ब्रिटिश सरकार वायसराय की घोषणा में कही गयी तीन बातों [(क) ब्रिटिश भारत के निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा देशी राज्यों से भारत का नया विधान बनाने के लिये पूर्ण सहमत होने की बातचीत की जायगी, (ख) विधान बनानेके लिये विधान-परिषद् की बैठक बुलायी जायगी और (ग) वायसराय की शासन-परिषद् का पुनर्निर्माण, जिस पर सभी राजनीतिक दलों का पूर्ण विश्वास हो] को पूरा करने की सोच रही थी और इसीलिये ब्रिटिश

सरकार ने सम्राट की सलाह लेकर भारतीय नेताओं से मिल भारतकी वैधानिक समस्या हल करने के लिये मन्त्रिमण्डल के तीन प्रमुख सदस्यों का दल भारत भेजने का निर्णय किया है।"

और वे तीन सदस्य भारत आये—लार्ड पैथिक लारेंस, सर स्टाफर्ड क्रिप्स और मि० अलेकजेन्डर। दिल्ली और शिमला में कांग्रेस, लीग और मिशन के बीच कई बार बातचीत हुई और आपस में पत्र-व्यवहार किये गये। लेकिन, कांग्रेस और लीग में समझौता न हो सका। अन्त में मिशन ने 'नये शासन-विधान के निर्माण के लिये जैसा उत्तम समझा, वैसी योजना उपस्थित की है"—(१) ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्यों को मिलाकर भारत का एक यूनियन बने जिसके हाथ में परराष्ट्र-विभाग, सुरक्षा तथा यातायात के विषय रहेंगे। इन कार्यों के लिये आवश्यक धन एकत्रित करने का अधिकार यूनियन को रहेगा। (२) यूनियन की एक कार्यकारिणी तथा एक व्यवस्थापिका रहेंगी, जिसमें ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि रहेंगे। व्यवस्थापिका में उपस्थित किसी भी साम्प्रदायिक समस्या का निर्णय उपस्थित प्रतिनिधियों के बहुमत तथा दोनों प्रमुख जातियों के मतदान तथा उपस्थित समस्त सदस्यों के मतदान तथा बहुमत से किया जायगा। (३) यूनियन के विषयों के सिवा अन्य सब विषय तथा समस्त शेष अधिकार प्रान्तों के रहेंगे। (४) देशी रियासतों को यूनियन को दिये गये अधिकारों के सिवा शेष सब विषय तथा अधिकार कायम रहेंगे। (५) प्रान्तों को अपनी कार्यकारिणियों तथा व्यवस्थापिकाओं सहित अपने ग्रुप बना लेने की स्वतंत्रता रहेगी तथा ये ग्रुप सामान्य रूपसे लिये जाने वाले प्रान्तीय विषयों का निश्चय कर सकेंगे। (६) यूनियन तथा प्रान्तीय ग्रुपों के विधानों में इसकी गुंजायश रखी जायगी कि कोई भी प्रान्त, अपनी असेम्बली के बहुमत-द्वारा प्रारम्भिक १० वर्षों के उपरान्त विधान की शर्तों पर पुनर्विचार होने की मांग कर सकता है। (७) प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त एक ऐसी अस्थायी सरकार

स्थापित करने की वायसराय आशा करते हैं, जिसमें युद्ध-सदस्य के विभाग-सहित सभी विभाग जनता के पूर्ण विश्वासी भारतीय नेताओं के हाथ में होंगे।"

१२ अगस्त, १९४६ को वायसराय-भवन से अस्थायी सरकार बनाने के लिये राष्ट्रपति को निमन्त्रित करनेवाली विज्ञप्ति प्रकाशित हुई—"ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति से वायसराय ने कांग्रेस के अध्यक्ष को तत्काल अस्थायी सरकार की स्थापना के लिये प्रस्ताव पेश करने को निमन्त्रित किया है और कांग्रेस के अध्यक्ष ने निमन्त्रण स्वीकार कर लिया है।"

१३ अगस्त को राष्ट्रपति पं० नेहरू ने वर्धा से लीग के अध्यक्ष जिन्ना को उनसे अस्थायी सरकार की स्थापना में सहयोग करने के लिये एक पत्र लिखा। उन्होंने पत्र में जिन्ना से मुलाकात करने की भी इच्छा प्रकट की। फिर दोनों बम्बई में मिले। लेकिन जिन्ना कांग्रेस के सिद्धान्तों से सहमत न हो सके। १७ अगस्त को वायुयान-द्वारा पंडित नेहरू वायसराय से अस्थायी सरकार की स्थापना के सिलसिले में बातचीत करने के लिये सरदार पटेल के साथ दिल्ली पहुंचे।

पंडित नेहरू और वायसराय के बीच कई दिनों तक बातचीत हुई। आखिर २४ अगस्त, '४६ (शनिवार) रातके साढ़े आठ बजे आल इण्डिया रेडियो, दिल्ली से वायसराय ने घोषित किया—"अस्थायी सरकार को प्रतिदिन के शासन-कार्यों में पूरी आजादी देने की नीति का मैं पूरी तरह पालन करूँगा।......लीग अब भी अपने पांच प्रतिनिधियों को अस्थायी सरकार में भेज सकती है। उन्हें यह आशंका नहीं करनी चाहिए कि वे बहुमत-द्वारा दबा दिये जायेंगे। लीग को भी शासन के महत्वपूर्ण विभाग उचित संख्या में मिलेंगे।......मैं अस्थायी सरकार में सिखों के सहयोग का स्वागत करता हूं।...प्रान्तीय शासन में बहुत हद तक केन्द्रीय सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। नयी सरकार को भी प्रान्तीय सरकारों के अधिकारों के अपहरण का अधिकार नहीं है, न उनकी ऐसी इच्छा है।

नयी सरकार में युद्ध-सदस्य भारतीय होगा।...परन्तु सेना की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

२४ अगस्त को एक सरकारी वक्तव्य निकला—"सम्राट ने गवर्नर जनरल की वर्तमान शासन परिषद् के सदस्यों के इस्तीफे स्वीकार कर लिये हैं और नीचे लिखे हुए लोगों को नियुक्त किया है—(१) पण्डित जवाहरलाल नेहरू, (२) सरदार बल्लभभाई पटेल, (३) डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद, (४) श्रीआसफअली, (५) श्री सी० राजगोपालाचारी, (६) श्रीशरत्चन्द्र वसु, (७) डाक्टर जान मथाई, (८) सरदार बलदेव सिंह (९) सर शफात अहमद खां, (१०) श्रीजगजीवनराम, (११) सैयद अलीजहीर और (१२) श्रीकुंवरजी होरमसजी भाभा। दो और मुसलमान सदस्य बाद में नियुक्त किये जायेंगे। अस्थायी सरकार २ सितम्बर को पद-ग्रहण करेगी।"

और २ सितम्बर '४६ को दिन के ११ बजे वायसराय-भवन में अस्थायी सर-के सदस्यों ने शपथ ग्रहण की। सारी रस्में १५ मिनट में समाप्त हो गयीं।

लेकिन, अस्थायी सरकार की स्थापनाके पूर्व की एक घटना का उल्लेख आवश्यक है। और वह है कलकत्ते का साम्प्रदायिक दंगा। १६ अगस्त को मुस्लिम लीग ने 'प्रत्यक्ष कार्रवाई-दिवस' मनाया। इसी के फलस्वरूप कलकत्ते में भयानक नरमेध शुरू हुआ। अत्याचार, व्यभिचार, आग-जनी, लूट-पाट और हत्या की हजारों घटनाएँ घटीं। कलकत्ते की सड़कों पर मासूम बच्चों, अशक्त नारी और वृद्धों की लाशें तड़प उठीं। गलियों में खून के धब्बे अपनी मनहूसियत के बीच चमकने लगे।

कांग्रेस-कार्यसमिति ने ३१ अगस्त, ४६ को नयी दिल्ली की बैठक में कलकत्ते की घटनाओं पर निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया—

"...२९जुलाई को लीग कौंसिल ने यह दिवस मनाने का निश्चय किया था। वहाँ और घर बाद में भी लीगी नेताओं और मन्त्रियों के भाषणों, पुस्तिकाओं और लेखों ने मुसलिम जनता के एक बड़े भाग को भड़काया।"

"...उपद्रवियों ने कई जगहों में बन्दूकों का भी प्रयोग किया। हत्याएं, लूट और जलाना आदि तीन-चार दिन तक चले जिसके फलस्वरूप हजारों जानें गयीं और करोड़ों की सम्पत्ति नष्ट हुई।

कलकत्ते के दंगे की प्रतिक्रिया बम्बई में हुई। १ सितम्बर को वहाँ दिन के ८॥ बजे मुसलमानों के द्वारा काले झण्डे फहराये जाने और इसके जवाब में हिन्दुओंके तिरंगे झण्डे फहराने पर संघर्ष हो गया। कांग्रेस के द्वारा अस्थायी सरकार की स्थापना करने के कारण लीगी नेताओं ने २ सितम्बर को 'मातम का दिन' कहा। मुसलिम लीगके प्रधान मन्त्री मियाँ लियाकत अली खां ने एक आदेश निकाला, जिसमें कहा गया था—"२ सितम्बर भारतीय मुसलमानों के लिये अभागा दिन होगा, इसलिये प्रत्येक मुसलमान, अपने घर, दूकान और सवारी पर काला झण्डा लगाये और अपने शोक का प्रदर्शन करे।"

फिर लीग की कर्मसमिति ने सक्रिय आन्दोलन का प्रस्ताव पास किया। इस कारण देश की स्थिति गम्भीर होने लगी। इन सारी बातों से जिन्ना को अवगत कराने के लिये वायसराय ने १० सितम्बर को उन्हें खबर दी कि वे दिल्ली आकर मिलें। यद्यपि वायसराय ने विना राष्ट्रीय सरकार से पूछे जिन्ना को बातें करने के लिये बुलाया, लेकिन समझौते के लिये अधिक उत्सुक होने के कारण कांग्रेस ने इस प्रश्न को नहीं उभाड़ा। कांग्रेस-नेताओं की इच्छा थी कि कैसे भी यदि समझौता हो जाय, तो अच्छा है। और १५ सितम्बरको विमान-द्वारा, कुमारी जिन्ना और ममदोत के नवाब के साथ वायसराय से बातचीत करने के लिये जिन्ना दिल्ली पहुंचे।

१६ सितम्बर को सायंकाल साढ़े पाँच बजे जिन्ना वायसराय से मिले और सवा घंटे तक बातचीत की। १० दिन बाद २५ सितम्बर को संध्या साढ़े पांच बजे फिर दूसरा जिन्ना-वेवल मिलन हुआ। पौने दो घण्टे तक जिन्ना वायसराय के कमरे में रहे।

वायसराय से मिलने के बाद जिन्ना लीग कर्मसमिति की बैठक में चले गये और वहां सवा घंटे रहे। इसके बाद कर्मसमिति शुक्रवार तक के लिये स्थगित हो गयी।

२८ सितम्बर को शाम के ५ बजे वे तीसरी बार मिले। चौथी बार २ अक्तूबर को उन्होंने वायसराय से फिर भेंट की। नवाब भोपाल भी कांग्रेस और लीग में समझौते कराने के प्रयत्न कर रहे थे। इस दिन दोनों दलों के प्रमुख व्यक्तियों से उन्होंने कई बार मुलाकात की। शाम को जिन्नाने लीग-कर्मसमिति की एक अत्यावश्यक बैठक बुलायी। ३ अक्तूबर को कर्मसमिति के दो घंटे की बैठक में लियाकत अली खां ने वायसराय और जिन्ना की बातचीत में निश्चित हुए स्पष्ट प्रश्नों को बतलाया।

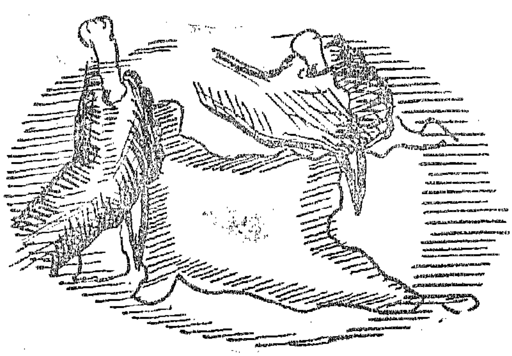
५ अक्तूबर को पं० नेहरू और जिन्ना नवाब भोपाल के वासस्थान पर भोजन करने गये और वहां तीनों व्यक्तियों ने साढ़े तीन घंटे तक बातें कीं। इस वार्ता के बाद शाम को गांधीजी के निवास-स्थान पर कांग्रेस पार्लियामेंटरी उपसमिति की बैठक हुई। ७ अक्तूबर को नवाब भोपाल के स्थान पर जिन्ना पौने पाँच बजे सन्ध्याको पहुंचे और पं० नेहरू ६ बजे। दोनों व्यक्तियों में डेढ़ घंटे तक बातचीत हुई। इस वार्ता में नवाब भोपाल ने भाग नहीं लिया।

नेहरू-जिन्ना वार्ता पर विचार करने के लिये लीग कार्यसमिति की बैठक ८ अक्तूबर को हुई, लेकिन कोई निर्णय न हो सका। ११ अक्तूबर को कांग्रेस और लीग के समझौते की बातचीत भंग हो गयी। अस्थायी सरकार में शामिल होने के लिये लीग ने वायसराय से बातचीत करने का तय कर लिया। १३ अक्तूबर की बैठक में लीग कार्यसमिति ने मि० जिन्ना के द्वारा वायसराय के पास 'बिनाशर्त अस्थायी सरकार में सम्मिलित होने के अपने निर्णय' की सूचना भेजी।

१५ अक्तूबर को अस्थायी सरकार के ५ लीगी सदस्यों के नाम सरकारी तौर पर घोषित किये गये—लियाकत अली खाँ, इस्माइल इब्राहीम चुन्द्रीगर,

अब्दुल रब निश्तर, गजनफर अलीखाँ और जोगेन्द्रनाथ मंडल (बंगाल लीगी सरकार के अछूत मन्त्री)। वायसराय ने श्रीशरतचन्द्र बसु, सर शफात अहमद खाँ और सैयद अली जहीर का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया।

लेकिन, लीग अस्थायी सरकार में भली नियत लेकर नहीं शामिल हुई। १९अक्तूबरको गजनफर अली खाँने इस्लामिया कालेजमें भाषण करते हुए कहा—"हम अस्थायी सरकार में पाकिस्तान की प्राप्ति के लिये ही जा रहे हैं। अस्थायी सरकार सक्रिय आन्दोलन का एक मोर्चा ही है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं हम पाकिस्तान ले लेंगे।"



देश विभाजन

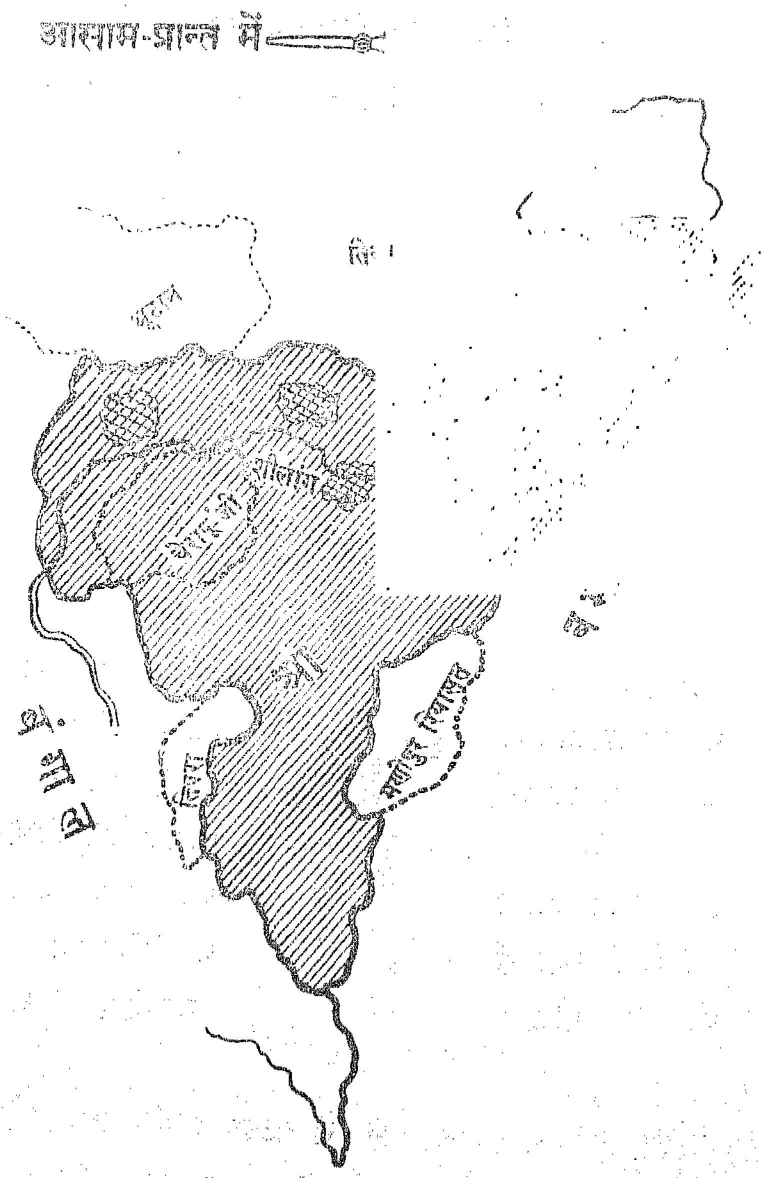
कलकत्ते के दंगे के बाद पूर्वी बंगाल के नोआखाली जिले में साम्प्रदायिक विद्वेष की आग भड़क उठी। 'नोआखाली की घृणित घटनाएँ १९४३ के बंगाल के उस अकाल से भी भयंकर थीं, जिसमें ३० लाख निरीह व्यक्ति तड़प-तड़प कर मरे थे।" नोआखाली के दंगे की बड़ी बुरी प्रतिक्रिया देश की जन-भावना पर हुई। कलकत्ता, बम्बई, आगरा, प्रयाग और ढाका जिलों में इंसान आदमी के खून बहाने लगे। फिर बिहार-प्रान्त की बारी आयी। छपरा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि जिलों में नारकीय काण्ड किये गये!

इन भयानक घटनाओं से गांधीजी तिलमिला उठे। २७ अक्तूबर को, दिल्ली में प्रार्थना के उपरान्त उन्होंने कहा कि "कल मैं कलकत्ता जा रहा हूं। मैं नहीं जानता कि ईश्वर मुझे कब फिर यहाँ लायेगा। मैं कलकत्ते से नोआखाली जाना चाहता हूं।...मैं किसी के सम्बन्ध में कोई फैसला देने बंगाल नहीं जा रहा हूं। मैं सेवक के रूप में जा रहा हूं और हिन्दुओं तथा मुसलमानों दोनों से मिलूँगा।"

देश की ऐसी भयानक और शर्मनाक घटनाओं ने राष्ट्रीय नेताओं को परीशान कर दिया। आपसी संघर्ष शुरू होने लगा। तभी ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री मि० एटलीने पं० जवाहरलाल नेहरू, सरदार बलदेव सिंह और मि० जिन्ना को लंदन आने के लिये निमन्त्रित किया। ये लंदन गये और नतीजा में ६ जनवरी सन् १९४७ की घोषणा हमें मिली। इसी के अनुसार १५ अगस्त को देश के आजाद होने की बात पक्की हुई। विभाजन की योजना 'विभाजित नीति' पर कबूल की गयी।

और १५ अगस्त को सुप्रसिद्ध लाल किले पर प्रधान मन्त्री पं० जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया।

भारत ज़िन्दाबाद! आजादी ज़िन्दाबाद!!



अगस्त-क्रान्ति की प्रगति

आसाम में अगस्त-क्रान्ति की रूप-रेखा निम्नप्रकार है :—

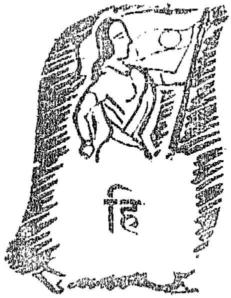
कैद	३५३१
नज़रबन्द	२०३
सज़ा	१६७९
मरने वाले	७० से ८०
घायल	१००० (लगभग)
सामूहिक जुर्माना किया गया	४, २४, ६६१ रु०
,, ,, वसूल हुआ	२, ७२, ००० रु०
तोड़फोड़ के कार्य	२१ स्थानों पर
रेलगाड़ियां गिरायी गयीं	६ स्थानों पर



"एक हो जाओ, दृढ़ता के साथ परिश्रम किये जाओ और स्वराज्य प्राप्त करके रहो, जिससे उन लाखों प्राणियों की रक्षा हो जो आज दरिद्रता, दुर्भिक्ष और महामारियों की भेंट हो रहे हैं, उन करोड़ों को रोटी मिले, जो पेट भर अन्न भी नसीब न होने के कारण भूखों मर रहे हैं।" और

"हिन्दुस्तान एक बार फिर से अपना प्राचीन गौरव और अभिमान का पद प्राप्त कर सके।" —स्व० दादाभाई नौरोजी

आसाम-प्रान्त



हिन्दुस्तान का नक्शा खोलिए। बर्माकी सीमासे सटा, पूर्व की ओर धँसता चला गया जमीनका हिस्सा 'आसाम-प्रान्त' के नाम से प्रख्यात है। भारत का यह वह भाग है, जिसकी जमीन पहाड़ों और जंगलों के बीच बसी है।

पश्चिम की ओर पूर्वी पाकिस्तान का अकेला प्रान्त पूर्वी बंगाल है, जिसके उत्तरी सिरे पर हिन्दुस्तान का हिस्सा आ गया है। दक्षिण की ओर बर्मा और पूर्वी बंगाल के जिले हैं। उत्तर में पर्वतमालाएँ फैली हुई हैं और पूर्व में अनाम, श्याम आदि देश हैं।

रक्षा की दृष्टि से आसाम का विशेष महत्त्व है। दोनों ओर विदेशी राष्ट्रों से घिरे रहने के कारण इसकी स्थिति सदा ही सचेत एवं सशक्त रहने का संकेत करती है। भारत-पाकिस्तान-बँटवारे के अनुसार सिलहट जिले का पश्चिमी भाग पाकिस्तान में मिला लिया गया है, जहां की आबादी में मुसलमानों का बहुमत है।

आसाम का क्षेत्रफल ६७, ३३४ वर्गमील है और आबादी ५२, ४७, ६५७। पहाड़ी प्रदेश होने के कारण यहां की आबादी कम है।

सन् १८२६ के बर्मा-युद्ध के बाद यह ब्रिटिश-अधिकार में आया। यहां की नीची जमीन उपजाऊ है। पहाड़ियों में चाय की खेती होती है।

आसाम की पहाड़ियों में आदि जातियों का निवास-स्थान है। इनमें अधिकांश जातियां ईसाई-मत कबूलकर चुकी हैं। इनमें शिक्षा का प्रचार ज्यादे है। खासकर खासी जाति में, मर्द और औरतें दोनों शिक्षित हैं और उनमें से अधिकांश अंगरेजी फैशन के अनुयायी बन गये हैं। गुरिल्ला लड़ाई करने में नागा जाति प्रख्यात है। ये मिहनती और योग्य सैनिक होते हैं। बहुत दिनों तक ये पहाड़ी जातियां भारत की राजनीतिक और सामाजिक हलचलों से अपने को अलग रखे रहीं। लेकिन, सन् १९३० से वे प्रान्त के शासन में भाग लेने लगी हैं।

प्राकृतिक बनावट के अनुसार आसाम के तीन भाग हैं—

(क) ब्रह्मपुत्र या आसाम घाटी, (ख) सूरमा घाटी और (ग) पहाड़ी भाग।

सूरमा घाटी के कछार और सिलहट जिलों की आबादी घनी है। बाशिन्दों में बाहर के लोगों की संख्या अधिक है—बिहारी ग्वाले, बंगाली, मारवाड़ी आदि। पूर्वी बंगाल के मैमनसिंह आदि जिलों से बहुत मुसलमान भी यहां आकर बस गये हैं। जब सन् १९३९ में कांग्रेस-मन्त्रिमण्डलों ने इस्तीफा दे दिया, उस समय आसाम में लीगी-मन्त्रिमण्डल कायम हुआ। उन दिनों बंगाल से मुसलमानों को बुलाकर आसाम में बसाने की नीति काम में लायी गयी।

बयालिस की आग भड़की :—

सहज ही खयाल में ऐसी बात आ सकती है, सन् १९४२ के आन्दोलन में जो आग बम्बई में लगी, सुदूर आसाम-प्रान्त तक उसकी आंच पहुंची क्या ? अगस्त-आन्दोलन के आंकड़ों से पता लगता है कि बयालीस के दिनों में आसाम-निवासियों ने अपने जिस त्याग, बलिदान, उत्साह, निर्भीकता आदि का परिचय दिया, उस पर आज भी गर्व किया जा सकता है।

९ अगस्त को बम्बई में नेताओं की गिरफ्तारी हुई, जिसका बहुत बड़ा असर आसाम के लोगों पर पड़ा। पूज्य बापू और पं० नेहरूजी सरीखे नेताओं की गिरफ्तारी से जनता विक्षुब्ध हो उठी। फिर स्थानीय नेताओं की गिरफ्तारी हुई।

नेताओं की आकस्मिक गिरफ्तारी से जनता तिलमिला उठी। आन्दोलन को शक्तिशाली बनाने के लिये जोर से तैयारी होने लगी। विद्रोह की आग से गुजरने वाले वे दिन भी खूब थे ! बागी ललकार कर सीना खोले पुलिस और सेना की संगीनों के आगे खड़े हो गये थे ! जवांमर्दी और निर्भीकता का वह जमाना हमारे इतिहास में गर्व से अपना मस्तक ऊंचा किये स्वर्णाक्षरों में चमक रहा है।

आसाम में ऐसी परिस्थिति के लिये कुछ अन्य कारण भी थे। जापान के हवाई जहाज प्रान्त के आसमान में जब-तब चक्कर लगा जाया करते थे। पूर्वी सीमा पर जापानी

सैनिकों के आक्रमण की बात अक्सर अफवाहों का रूप धारण कर लेती थी। मलाया और बर्मा में अंगरेजी सेना पछाड़ खा चुकी थी। रंगून में दूर से दीख पड़ने-वाली आग की लपटें अंगरेजों की शक्ति पर से लोगों का विश्वास डिगा चुकी थीं। फिर आसाम को जबरदस्त मोर्चा बनाने के लिये ब्रिटिश-सरकार जोरदार तैयार कर रही थी। लाखों की संख्या में सैनिक वहां पहुँच गये थे। बर्बर सिपाहियों के द्वारा लूटखसोट, व्यभिचार आदि की संख्या बढ़ रही थी। चीजें आग के मोल बिक रही थीं। फौजियों के रहने और हवाई अड्डों के लिये जबरदस्ती गाँव के गाँव खाली कराये जा रहे थे। आसाम में सरकार ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी थी; लोग असन्तोष के नीचे साँस ले रहे थे। बारूदखाना साँस रोके शीघ्र ही होने वाले भयंकर विस्फोट की राह देख रहा था। नेताओं की गिरफ्तारी ने उस विस्फोट को भड़का दिया।

आसाम के निवासी सरल, सीधे और धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। प्रकृति की अप-रिसीम बाधाओं के कारण यातायात में वहां काफी तरक्की नहीं हो सकी है। आसाम के निवासियों में अधिकतर कांग्रेस के अनुयायी हैं। खासकर कांग्रेस के रचनात्मक कार्यों को वहां पसन्द किया जाता है। कांग्रेसी आन्दोलनों एवं रचनात्मक कार्यों को शक्तिशाली और प्रभावोत्पादक बनाने में मारवाड़ी, बिहारी एवं बंगाली, सब ने जी खोलकर प्रयत्न किया।

आन्दोलन की लपटें :—

हड़तालों और शान्तिमय प्रदर्शनों ने आसाम में विद्रोह का श्रीगणेश किया। हड़तालों का जोर काफी रहा, जिस कारण सभी स्कूल और कॉलेज बन्द हो गये। यहाँ तक कि देहात के मजदूरों ने भी काम पर जाना बन्द कर दिया। बड़े-बड़े जुलूसों और राष्ट्रीय नारों के कारण जनता का कलेजा बासों उछलने लगा। 'बापू की जय', 'पण्डित नेहरू की जय' आदि नारों से आसाम की घाटियां गूँज उठीं।

फहराते हुए मीलों तक चले जाते थे। लाखों की संख्या में प्रान्त की जनता ने आन्दोलन में भाग लिया। विद्रोहियों के कार्य प्रायः अहिंसक रहे, लेकिन न्याय और कानून का स्वप्न देखने वाली सरकार ने उनका जवाब किर्चों और गोलियों से दिया था।

चार महीने तक सरकार एकदम पंगु बनी रही। अनेक स्थानों पर जनता ने अपनी पंचायतें स्थापित कर लीं। पुलिस का काम तक गाँव के ही लोग करते थे। कई जगहों में पंचायतों की अपनी जेलें भी बन गयी थीं।

सरकार को तंग करने के लिये यातायात के सभी साधन नष्ट कर दिये गये। सरकारी सड़कें भी बर्बाद कर दी गयीं।

आन्दोलन के पहले ही गाँववालों ने स्वयंसेवकों की 'शान्ति-सेना' बना ली थी। प्रत्येक गाँव में इनके तम्बू गड़े थे, जहां के नाकों पर बारी-बारी से पहरा दिया जाता था। तुरही बजाकर आसन्न संकट के समय ये गाँववालों को सावधान किया करते थे। कई मौकों पर गोली खाकर भी इन लोगोंने तुरही बजा गाँववालों को खतरे से बचने की सूचना दी थी।

शुरू के १८ दिन आन्दोलन के शान्तिपूर्ण रहे। एक भी जगह रेल की लाइन नहीं उखाड़ी गयी; तार के खम्भे नहीं काटे गये। केवल एक मामूली दुर्घटना हुई, जिसके लिये जंगली हाथी ही उत्तरदायी बतलाया जाता है। लेकिन, नवम्बर से तोड़-फोड़ के कार्य शुरू हुए। सड़कें नष्ट कर दी गयीं। रेलगाड़ियाँ उलट दी गयीं। मालगोदामों, रेलवे स्टेशनों, जंगलात के बंगलों, फौजी गोदामों और विभिन्न प्रकार के स्कूलों को लूटने और जलाने के काम जारी हो गये। छः स्थानों पर रेलगाड़ी पटरी से गिरायी गयी, जिनमें २ जगह धन-जन की भारी क्षति हुई। गोहाटी रेलवे स्टेशन से १४ मील दूर एक फौजी गाड़ी २६ नवम्बर को गिरायी गयी जिसमें लगभग १५० आदमियों की जानें गयीं। देशी बमों की भी बाढ़ आ गयी। उनके फटने की जगहें कालेजों के कमरे, तार-घर और रेलवे प्लैटफार्म होते थे।

परन्तु, इसका सारा श्रेय अगस्त-आन्दोलन की वीर महिला श्रीमती अरुणा आसफअली और कलकत्ता शहर को है। जब आसाम के सभी नेता और कार्यकर्त्ता जेल चले गये, उस समय कलकत्ते में बैठकर अरुणा आसफअली और कलकत्ता मारवाड़ी समाज के कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों ने धन-जन से आसाम में विद्रोह की अग्नि प्रज्ज्वलित रखी। अमर विद्रोही वीर सुभाष की 'आजाद हिन्द फ़ौज' से सम्पर्क स्थापित करने की चेष्टाएँ की गयीं, जो पूर्ण न हो सकीं।

विद्रोह की यह आग नौगाँव जिले में पूज्य बापू के उपवास तक अपने रूप में धधकती रही।

गोलियों के बीच वे हँसते चेहरे:—

आसाम में आन्दोलन की गतिविधि पर सचेत दृष्टि डालने वालों का कहना है, 'वह लगभग अहिंसात्मक रही है।' एक तेजपुर सबडिवीजन ही ऐसी जगह है जहाँ पर अहिंसा को सिद्धान्त मानकर इस प्रकार के साहसपूर्ण कार्य किये गये, जिनकी समता आसानी से तो कहीं नहीं मिल सकती। निहत्थे और शान्त, परन्तु निर्भीक स्त्री-पुरुषों ने दरांग जिले के ढेकियाजुली, बेहाला, गोहपुर आदि जगहों पर पुलिस की आग उगलती गोलियों का सामना छाती खोलकर किया।

गोहाटी से १६ मील दूर मुक्तापुर गाँव में ५,००० आदमियों की एक सभा हो रही थी। सभापति थे प्रसिद्ध कांग्रेस-कार्यकर्त्ता श्री महेन्द्रनाथ ढाका। पुलिस के एक दल के साथ दारोगा ने वहाँ पहुंच अपना तानाशाही हुक्म सुनाया—'सभा बन्द करो।' परन्तु, जनता पर इस धमकी का जरा भी असर न हुआ। वह छाती ऊँचा किये डटी रही। बस, उसने गोलियाँ चलाने की आज्ञा दी। लेकिन, जनता ने सिपाहियों को घेरकर उनकी बन्दूकें छीन लीं। दारोगा मुँह ताकता ही रहा। दूसरे दिन १५-२० कार्यकर्त्ताओं के साथ ढाकाजी गिरफ्तार किये गये।

हाँ, आसाम के आन्दोलन का सब से शानदार वह हिस्सा है, जिसमें नारियों ने छाती खोलकर आन्दोलन में भाग लिया। आसाम में चाहे जिस जगह भी गोलियाँ

चलीं, लाठी चार्ज हुए, स्त्रियाँ पुरुषों के कन्धे से कन्धा भिड़ाये मौजूद रहीं। देश की आज़ादी के लिये हंस-हंस कर प्राण देने वाली वीर कन्या कनकलता, तुलेश्वरी आदि पर सभी गर्व करेंगे। श्रीमती अन्नप्रिया और सुधालता की अध्यक्षता में स्त्रियों के जिस दल ने उत्तरी आसाम में सेना के अत्याचारों से जनता के जान-माल की रक्षा की, उसके साहस, वीरता और तत्परता पर सरकारी अफसर तक हैरान हो गये थे। अपने को चारों ओर से संकटों में डाल कर आसाम की पीड़ित जनता के जान-माल की रक्षा स्त्रियों ने की।

वे, जिन्हें हम भूल नहीं सकते:—

अगस्त-आन्दोलन का पहला बलिदान आसाम में कमला मीरी का था। कमला मीरी गोलाघाट जिला कांग्रेस-कमिटी का एक सदस्य था। कांग्रेस के कार्यों में लगन के साथ भाग लेने के कारण अधिकारियों की उस पर खास नज़र थी। मजिस्ट्रेट के सामने उसने कहा था—'साहब! मैंने किसी लोभ के कारण कांग्रेस का कार्य करना नहीं स्वीकार किया। वह तो दिल की आग है, जो कांग्रेस के नाम पर बराबर जला करती है। और मेरा ऐसा खयाल है, सभी हिन्दुस्तानियों के, यदि उनके अन्दर इन्सानियत और भारतीयता की कुछ भी मात्रा अवशेष है, हृदय में जलती होगी।'

मजिस्ट्रेट जल-भुन गया और कमला को ८ महीने कड़ी कैद की सजा दी गयी।

जेल के गन्दे वातावरण और अपरिसीम कष्ट ने उसके स्वास्थ्य को एकदम नष्ट कर दिया। घोर यंत्रणा के बीच घुल-घुल कर कमला मीरी ने अपने प्राणोत्सर्ग किये। अन्त समय भी उसके चेहरे पर सन्तोष की एक दिव्य आभा थिरक रही थी।

दूसरा बलिदान कौशल कुँअर का था। आसाम की प्रसिद्ध जाति अमोह का वह लाड़ला था। अमोह वह जाति है, जो अपनी वीरता और सचाई के लिये

भारतीय इतिहास में विख्यात है। जब इस देश पर अंगरेजों का प्रभुत्व नहीं स्थापित हुआ था, उसके पहले आसाम में इसी जाति का राज्य था।

मकपयार-रेल-दुर्घटना में पुलिस ने कौशल को फँसाया। मुकदमे से उन्हें मार्च, सन् १९४३ को फांसी की सजा दी गयी। उनकी रिहाई के लिये गवर्नर तक से अपील की गयी, परन्तु नतीजा कुछ न निकला। आखिर, १५ जून, सन् १९४३ को कौशल फाँसी पर झूल गया।

आसाम में आन्दोलन को दबाने के लिये जिस प्रकार के अमानुषिक अत्याचार और दमन हुए, उन्हें साम्राज्यवाद की यातनाओं का निचोड़ कहा जा सकता है। पुलिस और फौज ने शान्त तथा निहत्थी जनता के साथ बेहद निशानेबाजी की। गोलियों की बौछार के नीचे जनता कराह उठी। बलात्कार की घटनाएँ भी कम नहीं हुईं। मकान जलाये गये। मासूम बच्चों के सर काट कर सरकारी कर्मचारियों ने अपने जुर्म की ताकत आजमायी। चन्दा वसूलने वाले स्त्रियों के गहने-कपड़े, बैल-गाय और बर्तन तक लूट ले जाते थे। कई जगहों में लोगों को किर्चें भोंक-भोंक कर मार डाला गया।

इस प्रांत में ९ स्थानों पर गोलियां चलीं—ढेकियाजुली और गोहपुर (तेजपुर जिला), ढेबेजिया, बरपुजिया और बरहमपुर (नौगांव जिला), धुबीधाड़ा (ग्वालपाड़ा जिला) तथा सहाली और बजली (बरपेटा जिला)। इनमें लगभग १,००० आदमी घायल हुए और ७०-८० मरे। साधारण लाठी चार्ज की संख्या १५ और सख्त लाठी चार्ज की १७ है। ६ स्थानों पर बम फूटे।

जवाँमर्द उत्तरी आसाम

	लखीमपुर ज़िला	शिवसागर ज़िला
कैद	३११	३४०
सज़ा	२१४	२८७
नज़रबन्द	१९	२३६
सामूहिक जुर्माना किया गया	१०,००० रु०	१,४०,२०० रु०
,, ,, वसूल हुआ,	९,७०८ रु० ६ आ०	७३,३३४ रु०

जोरहाट और शिवसागर में सरकारी अदालतों के सामने बड़े-बड़े प्रदर्शन किये गये। अदालत में जाने से लोगों को रोकने के लिये पिकेटिंग भी हुई। एक हिन्दुस्तानी डिप्टी कमिश्नर के कारण जनता पर न तो लाठी चार्ज ही हुआ और न गोलियाँ ही चलीं।

२० सितम्बर को शिवसागर में होने वाली ८-१० हजार स्त्री-पुरुषों की सभा पर सशस्त्र पुलिस ने गोलियाँ चलायीं जिसमें १९ आदमी बुरी तरह घायल हुए।

चरीगाँव, हटीगढ़, टेसोक आदि जगहों पर स्वाधीन सरकार कायम कर ली गयी। धान, पशु, तरकारी आदि का गाँवों से जाना बिलकुल बन्द कर दिया गया। पुलिस ने लोगों की छाती में किर्च भोंक और लाठी से प्रहार कर बदला लेना शुरू किया। जोरहाट में पुलिस के ऐसे प्रहारों से ५० कार्यकर्त्ताओं को चोट लगी।

सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार पहली और दूसरी नवम्बर को टीयावर के मैनेजर का बंगला, अमगुरी का अंगरेजी मिडिल स्कूल और प्राइवेट गर्ल्स स्कूल, और डिमोउ का ब्रांच पोस्टआफिस जला दिये गये। ३ नवम्बर से लेकर १२ नवम्बर तक कई

डाकखानों और स्कूलों में आग लगा दी गयी। तार के खम्भे काट डाले गये। १९४३ की फरवरी में लकवा रेलवे स्टेशन के पास एक सवारी गाड़ी गिरायी गयी।

सरकारी दमन की तेजी के कारण आन्दोलन का बाहरी रूप तो दब गया, लेकिन लुक-छिप कर लोग तोड़-फोड़ के कार्य करते रहे। ऐसे कार्यों का अन्त हुआ सन, '४३ में जब कि गांधीजी और वायसराय का पत्र-व्यवहार प्रकाशित हुआ।

नौगाँव जिला

गिरफ्तारियाँ	१६००
सज़ा	१५००
नज़रबन्द	६०
सामूहिक जुर्माना किया गया	८७,००० रु०
सामूहिक जुर्माना वसूल हुआ	५४,३१८ रु०

इस जिले में आन्दोलन की गति तेज रही। यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने भी आन्दोलन में पूरे जोश के साथ भाग लिया। शान्ति-सेना का प्रधान कार्यक्षेत्र इसी जिले में था। लोग सरकारी दमन से बचने के लिये तुरही बजाकर इकट्ठे हो जाया करते थे। यहाँ के बरापुजिया गांव के एक नवजवान तिलक डेका ने ऐसे कार्यों में पूर्ण साहस और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

गाँव के लोग रात में सुख की नींद सो रहे थे। गाँव के बाहर स्वयंसेवक पहरा दे रहे थे। तिलक उनका अगुआ था। तभी फौज का एक दल आया। तिलक ने तुरही मुँह से लगा दी। फौज की टुकड़ी का कप्तान उस वीर की छाती से अपनी रिवाल्वर सटा कर बोला—'खबरदार, यदि तुरही बजी, तो तेरी हस्ती दुनिया से मिट जायगी।' शहीद डेका ने गरज कर कहा—'इंसान अमर नहीं है साहब! कर्त्तव्य से प्राण की कीमत वीरों के लिये सब समय कम हुआ करती है।'

और उसने तुरही फूँक दी ! आवाज़ दूर-दूर तक फैल गयी। लोग जाग उठे। लेकिन, डंका रिवाल्वर की बदनसीब गोलियों का शिकार बना। फौजी गांव के स्त्री-पुरुषों से घेर लिये गये। उन पर सैनिकों ने गोलियां चलायीं। ५-६ आदमी बुरी तरह घायल हुए। लेकिन, वे डंका का शव लेकर ही लौटे। दूसरे दिन सुबह गांव के तीन सौ व्यक्ति पकड़े गये जिनके साथ बुरा से बुरा बर्ताव किया गया।

सरकारी रिपोर्ट में लिखा था—"८नवम्बर, १९४२ की रात को···नौगांव जंगलात का बंगला जलाकर राख कर दिया गया। ९ एवं १० नवम्बर को एक चाय की जमींदारी से कुछ सामान उड़ाने की कोशिश की गयी।"

सरकार ने दमन करने में जरा भी कोर-कसर न की। रेलवे लाइन या पुल के पास से गुजरने वाले निरीह यात्रियों तक को गोली से उड़ा दिया गया। बेबेजिया गांव के असहाय, निर्दोष स्त्री-पुरुषों एवं बच्चों पर आधी रात को अमानुषिक अत्याचार किये गये। रोहा स्कूल के निर्दोष अध्यापकों को बड़ी बुरी तरह पीटा गया।

दारांग जिला

क़ैद	४३०
सज़ा	१४२
नजरबन्द	८
सामूहिक जुर्माना हुआ	४६,७०० रु०
,, ,, वसूल	३१,५७५रु० ८ आने

आन्दोलन की गति यहां भी तीव्र रही, लेकिन, यहां एक विशेष बात दृष्टि में आयी। लाठियों की मार और गोलियों की वर्षा के बीच भी यहां की जनता पूर्णतया अहिंसक ही बनी रही। सरकारी भवनों को खाली करने की जनता की मांगों का

जवाब नौकरशाही ने अनेक प्रकार के अमानुषिक प्रहारों से दिया। अन्य जिलों की भांति यहां की स्त्रियों ने भी पुरुषों की अपेक्षा अधिक बलिदान दिया।

२२ सितम्बर को गोहपुर थाने पर तिरंगा फहराने के लिये ५०० आदमियों का एक जुलूस पहुंचा। ऐसे मौकों पर जिस प्रकार के अत्याचार पुलिस-द्वारा हुए उसकी कहानी जनता के कानों तक पहुंच चुकी थी। अतएव इस जुलूस पर आने वाली विपत्ति को खुली आंखों देखने के लिये करीब ५,००० स्त्री-पुरुष थाने के पास इकट्ठे हो गये। आगे-आगे वीर कन्या कनकलता थी। थाने के आगे दारोगा ने कनकलता को रोका। लेकिन, कनकलता ने रुकने की अपेक्षा दारोगा को डांट कर कहा—"हट जाओ! थाना जनता की सेवा के लिये कायम है, कुछ उन पर अत्याचार करने के लिये नहीं।" दारोगा ने खिझ कर रिवाल्वर का घोड़ा दबा दिया। गोली कनकलता के सीने से पार हो गयी। फिर तो बाकी जुलूस पर अन्धाधुन्ध गोलियों की वर्षा शुरू हो गयी।

लोग इतने पर भी डटे रहे कि अचानक सुदूरव्यापी जयघोष के बीच थाने पर आसमान की मुक्त वायु में विश्व-विजयी तिरंगा लहरा उठा।

सरकारी रिपोर्ट के अनुसार यहां ९ व्यक्ति मरे। लेकिन प्रधान मंत्री श्रीयुत गोपीनाथजी बारदोलाई जैसे महानुभावों का कहना है कि मृत्यु-संख्या कम से कम ६० तक अवश्य ही पहुंच गयी थी।

गोहपुर में आज भी ऐसे अनेक स्त्री-पुरुष हैं, जिनके हाथ, मुंह, छाती अथवा शरीर के किसी न किसी भाग में गोली के निशान मौजूद हैं। ये वे निशान हैं, जिनकी स्मृति उन गौरवपूर्ण दिनों की याद दिलाती है!

इधर गोहपुर की निहत्थी जनता पर इस प्रकार के कुकृत्य किये जा रहे थे और उधर इसी समय ढेकियाजुली की जनता पुलिस और फौज की आग उगलती बन्दूकों के बीच कराह रही थी। थाने पर झण्डा फहराने के लिये कुछ नवजवानों का एक दल बढ़ा। उस दिन मेला लगा था। अतएव थाने के पास कोई १० हजार की

भीड़ जमा हो गयी। पुलिस ने खुलकर गोलियाँ चलायीं। इतने पर भी एक नवजवान ने किसी प्रकार अपनी हिफाजत कर थाने पर तिरंगा फहरा दिया। उधर हवा में तिरङ्गा लहराया और इधर दारोगा की रिवाल्वर से निकली गोली ने उस वीर नवजवान की जान ली। थाने के पीछे इकट्ठे हुए गुण्डों ने भी भीड़ पर हमला किया। निरपराध जनता, जिसका किसी भी प्रकार का सम्बन्ध जुलूस से न था, बर्बर गुण्डों का शिकार बनी। स्त्रियों पर नाना प्रकार के अत्याचार और बलात्कार किये गये। इस हत्याकांड में कोई २० व्यक्ति शहीद हुए जिनमें एक तेरह वर्षीया बालिका वीर तुलेश्वरी भी थी।

अभी यह आग बुझी भी न थी कि शहर से अपने कमाण्डर के साथ बहुत से फौजी आ गये। उन्होंने मेलेवालों को कांग्रेसी स्वयंसेवक समझ कर उन पर अंधाधुन्ध गोलियाँ बरसायीं। १६ आदमी मारे गये और बहुत से बुरी तरह घायल हुए। शहीद होने वालों में ३ स्त्रियाँ भी थीं जिनमें एक गर्भवती थी।

२० सितम्बर को ढोटिया और बहेला थानों पर ५ हजार व्यक्तियों ने धावा किया। इनमें काफी संख्या औरतों की थी। झण्डा फहरा कर जनता अपने घरों को लौट गयी। बाद में पुलिस ने घरों पर हमला किया और उनमें रहनेवालों पर मनमाने अत्याचार किये।

कामरूप जिला

कैद	९५५
सज़ा	९१४
नज़रबन्द	४३
सामूहिक जुर्माना हुआ	६६,०११ रु०
„ „ वसूल	१७,९९५ रु० ५ आ० ९पाई

आन्दोलन का स्वरूप यहाँ भी पूर्णतया अहिंसक रहा। २५ सितम्बर को जोला, चौखुटी और नित्यानन्द में एक साथ सभाएँ की गयीं। जोला में लोग थाने से लौट कर पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। पुलिस-अफसर थाने को लौटता हुआ वहाँ पहुँचा। उसने झट रिवाल्वर निकाल कर २ व्यक्तियों की हत्या कर डाली। आगे बढ़ने पर उसे कुछ आदमी और मिले। उसने उनपर भी गोली चलायी जिससे कई घायल हो गये।

पुलिस और फौज के अत्याचारों का जनता ने यहाँ जवाब दिया। कई सरकारी हवाई अड्डे नष्ट कर दिये गये। सौभाग हवाई अड्डे पर एक बड़ी भीड़ ने हमला कर उसमें आग लगा दी। एम० ई० एस० की ३ लारियाँ भी आग में झोंक दी गयीं। इंस्पेक्शन बंगलों और कुछ क्वाटरों में भी आग लगायी गयी। आग की लपटें काफी ऊँची उठ रही थीं। १६ मील दूर बरपेटा में रहने वाले एस० डी० ओ० ने उन्हें देखा और वहाँ जाने की कोशिश की। लेकिन, रास्तों के बर्बाद हो जाने के कारण वह वहाँ जा न सका। इस अग्निकांड में कोई २ लाख रुपयों का सरकारी नुकसान हुआ।

नवम्बर महीने में जहाँ-तहाँ तोड़-फोड़ की घटनाएँ हुईं। स्त्रियों का भी इसमें काफी हाथ रहा। ७ नवम्बर को महकमा तामीर की १२ गाड़ियाँ कुछ स्वयंसेविकाओं ने जलाकर राख कर दीं। ८ और ९ नवम्बर की रात में उन्होंने ठेके द्वारा फौज को पहुँचाये जाने वाले कुछ सामान पर छापा मार उसे जला दिया। इसी दिन बरपेटा हाई स्कूल भी फूँक दिया गया। १३ और १४ नवम्बर की रात में गोहाटी में सब डिप्टी-कलक्टर का दफ्तर और प्राइस कंट्रोल आफिस भी आग की लपटों के बीच भभक उठे।

ग्वालपाड़ा जिला

कैद——	७
सजा——	६
सामूहिक जुर्माना हुआ	३८,००० रु०
,, ,, वसूल——	२६,८८० रु० १२ आने

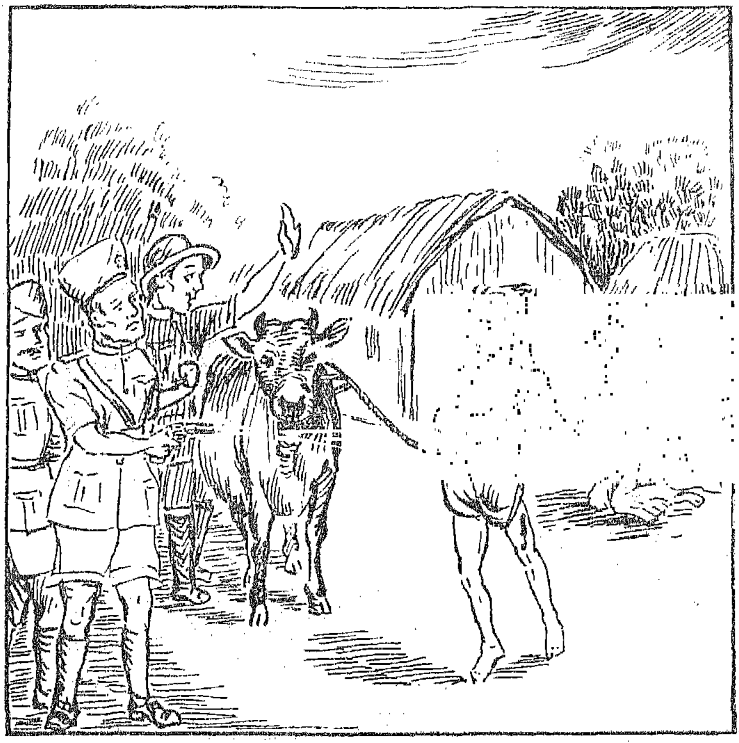
यहाँ आन्दोलन को गति प्रदान करने में सबसे अधिक हाथ छात्रों का था। शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर यहाँ भी पुलिस ने गोलियाँ चलायीं और मनमाने जुल्म किये। २५ अगस्त को २५ विद्यार्थियों और १५ अन्य व्यक्तियों के एक छोटे जुलूस पर पुलिस ने लाठियों और किर्चों से हमला किया। इसमें ९ घायल हुए जिनमें ५ की हालत एकदम खराब थी। ३ व्यक्ति अस्पताल में दाखिल किये गये, जिनमें १ की चोटें ४ महीने बाद ठीक हुईं।

अत्याचार की इस लीला ने कुछ नवजवानों का खून खौला दिया। फलतः तोड़-फोड़ के काम शुरू हो गये। ये कार्य नवम्बर के अन्त तक किये गये। २ और ३ नवम्बर की रात को एक गाँव में बाँस के २ पुल जला दिये गये और दूसरी जगहों पर इंस्पेक्शन बंगलों को फूँकने की चेष्टा की गयी। ५ नवम्बर को धुबड़ी सेकेण्डरी स्कूल और ११ नवम्बर को धुबड़ी से २८ मील की दूरी पर स्थित बाँस का एक पुल जलाने की कोशिश की गयी।

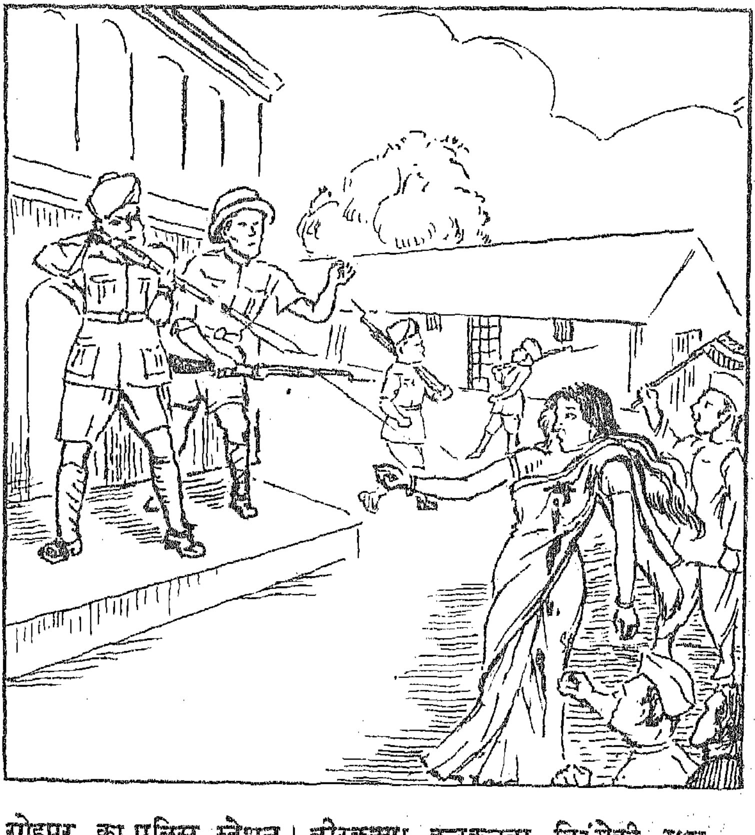
इस जिले में सामूहिक जुर्माने वसूल करने की कहानी बड़ी ही रोमांचक है। श्री आर० के० चौधरी ने प्रांतीय असेम्बली में कहा था——

"यह घटना काकीरी गाँव की है। इस गाँव के निधन राजवंशी से सामूहिक जुर्माने के आठ रुपये वसूल करने के लिये एक कांसटेबुल नियुक्त किया गया। निधन के पास नकद रुपये नहीं थे। इस पर कांसटेबुल ने उसके बैलों की जोड़ी खोल ली। निधन गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा। इस पर कांसटेबुल ने उसे गाली दी

आसाम-प्रान्त



काकीरी गाँव के निधन राजवशी का बैल सामूहिक जूर्माना वसूलने के लिये एक कांसटेबुल ने खोला। निधन के रोकने पर उसे गोली मारी गयी।

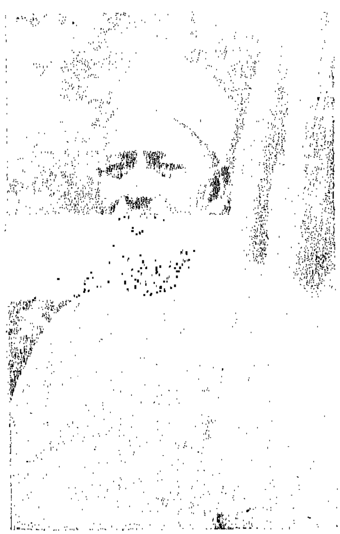


गोहपुर का पुलिस स्टेशन। वीरकन्या। कनकलता तिरंगेकी रक्षा के लिये सीने में गोली खाकर स्वर्ग सिधारी।

आजादी के बहादुर सिपाही—



श्रीभगवती प्रसाद लढिया, गोलाघाट



श्रीनंदराम बजाज, हांसतुली

बदले में निधन ने भी खरी-खोटी सुनायी। तब कांसटेबुल ने उसे लाठी से पीटा। यह गलत है कि निधन ने उस पर भाला चलाया।

"रात में करीब ११ बजे एस० डी० ओ० दुधनाई से लौटा। उसे इसकी खबर मिली। दो लारी सशस्त्र पुलिस और २ यूरोपियन अफसरों के साथ वह घटनास्थल पर पहुंचा। निधन घर के अन्दर था। उसके बाहर आने से इन्कार करने पर गोलियां चलायी गयीं। एक गोली दीवाल छेदती हुई दूसरी ओर पहुंची और खड़े सिपाही को जा लगी। सिपाही फौरन मर गया। तब मकान का दरवाजा तोड़कर सैनिक अन्दर घुस गये। किर्चें भोंक-भोंक कर निधन मार डाला गया।"

अंगरेजी सरकार ने ऐसे अमानवीय जुल्म करने वाले एस० डी० ओ० को तरक्की देकर एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया।

श्री गणेश प्रसाद फोगला

आपका जन्म संवत् १९७० के कार्तिक महीने में हुआ। पिताजी का नाम स्व० श्रीमहादेव प्रसाद फोगला था। शिक्षा आपने मैट्रिक तक प्राप्त की।

बचपन से ही आपका झुकाव राजनीतिक और सामाजिक कार्यों की ओर था। बड़ी ही लगन और दिलचस्पी के साथ आप ऐसे कार्यों में भाग लिया करते थे।

जब बयालीस का खूनी जमाना आया, उस समय आजादी की हवा में आपने जी खोलकर सांस ली। सरकार की आप पर पूरी निगाह थी और जब उसे ऐसा ज्ञात हो गया कि आपका बाहर रहना अंगरेजी सरकार के लिये खतरनाक है, उसी समय आप गिरफ्तार कर लिये गये। दो महीने तक आपको जेल में रखा गया। बाद में रिहा कर दिये गये।

आजकल आप अपना अधिकांश समय राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यों में व्यतीत करते हैं।

श्री भगवती प्रसाद लड़िया

आपके पिताजी का नाम स्व० श्रीलक्ष्मीचन्द लड़िया था। जन्म आपका अगहन शुक्ला द्वितीया, संवत् १९७७ को गोलाघाट में हुआ।

सन् २० में आपका झुकाव कांग्रेस की ओर हुआ। सन् '३६ से आप स्थानीय कांग्रेस-कमिटी के सदस्य हैं।

सन् '४२ के आन्दोलन में आपने काफी काम किया। कलकत्ते से प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र 'करो या मरो' को आसाम मँगवा कर गुप्त रीति से उनका प्रचार करना आपका ही काम था। फिर उक्त पत्र के अनुसार असामिया भाषा में बुलेटिनें छपवा कर बँटवाने का काम भी आपके जिम्मे था।

पता—नवीन स्टोर्स, गोलाघाट (आसाम)

श्री नन्दराम बजाज

आपका जन्म आश्विन कृष्णा षष्ठी, संवत् १९६० में हुआ। पिताजी का नाम श्री मोतीराम बजाज है।

सन् '३० से आप कांग्रेस का काम कर रहे हैं। नमक-सत्याग्रह में आपने सक्रिय भाग लिया था। रांगामाटी कांग्रेस-कमिटी के आप ८ वर्षों तक सभापति रह चुके हैं। सन् '४२ के आन्दोलन में कांग्रेसी बुलेटिनों के प्रकाशन और प्रचार का कार्य-भार आपने शान के साथ सम्हाला। कार्यकर्त्ताओं को उनके कार्यों में आपने हर तरह की सहायता की। आजकल आप जिला-कांग्रेस-कमिटी के सदस्य हैं।

पता—हांमतली, गोलाघाट (आसाम)

श्री पदमसुख अग्रवाल

कांग्रेस के आप एक प्रसिद्ध कार्यकर्त्ता हैं। सोरुपथार कांग्रेस-कमिटी के आप कोषाध्यक्ष रह चुके हैं।

सन् '४२ के आन्दोलन में आपने काफी भाग लिया। सोनपथार में फौजी ट्रेन उलटने के अपराध में आप गिरफ्तार किये गये। जेल में आपको सरकारी नृशंसताओं का बेहद सामना करना पड़ा। पीछे आसाम-सरकार ने आपको निर्वासित कर दिया। आजकल आप राजपूताने में रहते हैं।

श्री छगनलाल जैन

आपके पिता जी का नाम स्व० श्री प्रेमसुख जैन था। जन्म आपका माघ शुक्ला पंचमी, संवत् १९८१ में पलासबाड़ी में हुआ। शिक्षा आपको अच्छी मिली है। कलकत्ता-विश्वविद्यालय से आपने अंगरेजी से एम० ए० पास किया है। साहित्य-सम्मेलन के आप 'विशारद' हैं।

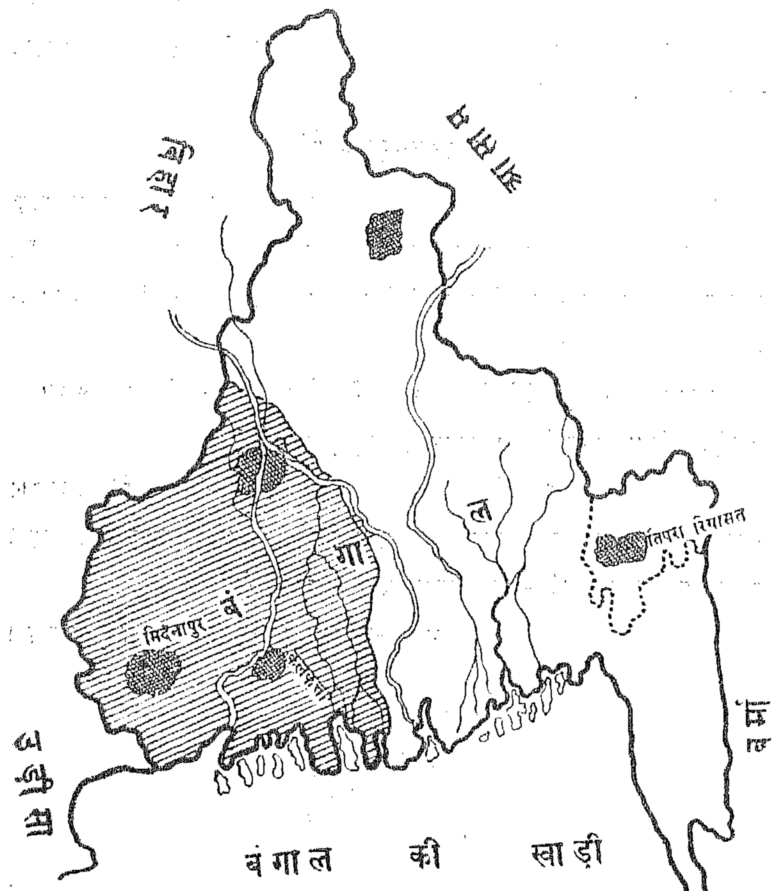
आप सार्वजनिक कामों में विशेष भाग लेते हैं। आसाम में पर्दा-बहिष्कार-आन्दोलन के एक तरह से आप जन्मदाता कहे जा सकते हैं।

सन् '४२ के आन्दोलन में आपने विशेष भाग लिया। विध्वंसक कार्यों में आपका बराबर सक्रिय भाग रहा। आन्दोलन के गुप्त संचालन में भी आपका हाथ रहा। लाख प्रयत्न करने पर भी सरकार आपका पता न लगा सकी।

पता—गुलाबचन्द मन्नालाल, गोहाटी (आसाम)



बंगाल-प्रान्त में



अगस्त-क्रान्ति की प्रगति

सन् '४२ की क्रान्ति में

जनप्रयास और दमन के आँकड़े

आन्दोलन के पहले नजरबन्दों की संख्या	२०००
हड़तालें	१५४
सभाएँ	१६८
जुलूस	२२२
लाठी-प्रहार	६८ बार
गोली चली	४४ बार और १६ जगहें
अश्रुगैस का प्रयोग	११ बार
बर्बाद तथा क्षतिग्रस्त डाकखाने	११८ से अधिक
” ” यूनियन बोर्ड	५७ ” ”
” ” कर्ज-समझौता बोर्ड	२१
” पंचायत यूनियनें	२०
बर्बाद तथा क्षतिग्रस्त डाकबंगले	१४
” ” थाने	११
” ” नशीली वस्तुओं की दूकानें	२६
सरकारी इमारतों पर झण्डे फहराये गये	२०
सरकारी नौकरों के इस्तीफे	१३७
मुअत्तल किये गये सरकारी नौकर	२६९९
अदालतों आदि पर पिकेटिंग	३२ जगह
अदालतों पर हमले	६
मजदूरों की हड़तालें	४०
जलायी और बर्बाद की गयी ट्रामें	१८

टेलीफोन के तार काटे गये	६९ हलकों के
रेलगाड़ियाँ गिरायी गयीं	१६ जगहों पर
बर्बाद पुल और पुलिया	३०
छीने गये घर	८
छीने गये सरकारी स्थान	३३
रेलवे और स्टीमर स्टेशनों पर हमले	१४
बर्बाद खास महाल	६
" सबरजिस्ट्री-आफिस	४
" जमींदारी कचहरियाँ	१८
सरकारी हथियारों पर कब्जा	२ तलवारें और १३ बन्दूकें



बंगाल-प्रान्त



पश्चिम की ओर से गंगा आती है, उत्तर-पूर्व से ब्रह्मपुत्र; दोनों मिलती हैं। फिर साथ-साथ बंगाल की खाड़ी तक जा पहुँचती हैं। बंगाल प्रान्त इन्हीं दोनों नदियों के डेल्टे में बसा हुआ है। उत्तर की ओर नगराज हिमालय, नेपाल और सिक्कम हैं; दक्षिण में बंगाल की खाड़ी टकराती है। पश्चिम बिहार और उड़ीसा के प्रान्त हैं; पूर्व में आसाम और बर्मा।

बंगाल की जमीन उपजाऊ है। साल-भर तक पानी का अक्षय भण्डार लेकर प्रवाहित होने वाली नदियाँ इस प्रान्त की जमीन को काफी समृद्ध बना रही हैं। मिट्टी में वर्द्धन की शक्ति है। आब-व-हवा समशीतोष्ण है। सागर की निकटता के कारण समुद्री जलवायु का भी इस पर प्रभाव है। उपज में प्रधान हैं—जूट और धान। अलावे नील, कपास, चाय आदि की पैदावार भी अच्छी हो जाती है। खनिज पदार्थों में कोयला और ताम्बे की बहुतायत है।

औद्योगिक मामलों में बंगाल बढ़ा-चढ़ा है। प्रान्त में लगभग सब जगह चावल की मिलें हैं। ये मौसिमी हैं। धान की पैदावार होने पर इनमें काम होता है। फिर चटकलों का नम्बर आता है। पश्चिमी और पूर्वी बंगाल में जूट की पैदावार अधिक होती है, जो संसार में और कहीं नहीं होती। आवागमन के लिये रेलगाड़ी का खासा प्रबन्ध है। नदियों के जरिये भी अच्छा व्यापार होता है। इसी कारण भारत के प्रसिद्ध तिजारती नगर कलकत्ते के आसपास जूट-मिलों की बहुतायत है। फिर कपड़ा, लोहा, कागज, दवाइयों, इंजिनियरिंग और अन्यान्य वस्तुओं के भी कारखाने हैं।

शिक्षा का प्रचार बंगाल में काफी है। कलकत्ता-विश्वविद्यालय पुराना है। कालेज और स्कूलों की संख्या भी अधिक है। चूंकि यूरोपियन यहां पहले ही आ गये, अतएव अंगरेजी भाषा और पाश्चात्य सभ्यता का प्रचार यहां अधिक हुआ।

प्रान्त के दक्षिण-पश्चिम भाग में जंगल फैला है, जिसे 'सुन्दर वन' कहते हैं। जंगली लकड़ी, जिसका उपयोग इमारत, कागज, दियासलाई आदि बनाने में किया जाता है, यहां अच्छे परिमाण में पायी जाती है। बंगाल की समशीतोष्ण आब-व-हवा पर भी 'सुन्दरवन' का प्रभाव है।

औद्योगिक धन्धों की प्रचुरता के रहते हुए भी बंगाल कृषि-प्रधान प्रान्त है। आबादी घनी है। लोग गाँवों में बसे हैं। भावुकता और बुद्धि की कुशाग्रता बंगालियों की अपनी विशेषता है। कोई भी ऐसी घटना, जो उन्हें अप्रिय लगती है, बंगालमें सबल विरोध का कारण बनती है। भावुकता और प्रतिरोध की इस मनोवृत्ति ने यहाँ के निवासियों को दल-विशेष की ओर अग्रसर किया है। भारत में जितने आन्दोलन हुए, उनमें बंगाल ने अपनी प्रतिरोधात्मक विकास-बुद्धि के कारण सफल हिस्सा लिया।

राष्ट्रीयता का पिता : बंगाल :—

सोने का देश बंगाल! शिक्षा और सभ्यता का केन्द्र बंगाल! अंगरेजी साम्राज्यवाद का आरम्भ हुआ, बंगाल के नवजवानों ने अंगरेजी भाषा में प्रवीणता प्राप्त की। अंगरेज साहबों का रोब, रंग और चालढाल सब पर वे मोहित हो गये। सौन्दर्य-प्रियता और कोमल भावुकता ने उन्हें गुलामी के नीचे रहने में भी एक प्रकार का सुख प्रदान किया। गंगा में जाने कितना जल निकल गया था। राजा राममोहन राय के 'अंगरेजी पढ़ो' आन्दोलन का विरोध भी एक दिन उन्हीं लोगों ने किया था। पर, बात आयी-गयी-सी हो गयी। भागते जमाने की याद में कुछ मोटी घटनाएँ ही शेष रह गयीं। तब, बात और थी, कुछ साल

बीतने पर और हो गयी। अंगरेजी का किसी दिन विरोध किया गया था। एक समय बंगाल के पढ़े-लिखों के लिये वही प्रधान चीज थी।

लेकिन, बंगाल में एक ऐसा भी दल था, जो इन परिवर्त्तनों को घृणा की दृष्टि से देखा करता था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद का खूनी पंजा, क्रूर शासन की भयानक साया, उन्हें अभिशाप-सी प्रतीत होने लगी। 'सोनार बंगला देश' में यूनियन जैक का लहराना उनके लिये घातक बात हो गयी। अपनों के ही षड्यंत्र और धोखेबाजी की बात उन्हें कम चोट नहीं पहुंचा रही थी कि सन् १९०५ का साल आया।

दुनिया के इतिहास में चाहे सन् १९०५ का जो स्थान रहे, एशिया में तो यह एक आग लेकर आया था। लोगों का उस समय तक ऐसा ख्याल था, पश्चिम के मुल्कों से आने वाले ये गोरे पराश्त नहीं किये जा सकते। इनमें दिलेरी है, अक्ल की बेहिसाब सूझें भी। संगठन इनका मजबूत है। आपस में छोटी-छोटी बातें लेकर झगड़ा ये नहीं करते। एशियावासी इन्हीं विचारों के बीच उलझे थे।

तभी एक विचित्र घटना घट गयी। पूर्व के पड़ोसी राष्ट्र जापान ने रूस की सेना को पछाड़ दिया। छोटे-मोटे टापुओं का देश जापान, रूसी सेना को शिकस्त दे, विश्वास करने के लिये अचानक कोई भी तैयार नहीं था। लेकिन, जो चीज दिन के उजाले में अपनी चमक फेंक रही थी, उस पर यकीन न करने की भला कौन-सी बात थी!

बंगाल अपने पड़ोसी की वीरता पर गर्व करने लगा। वक्त आने पर ऐसी चीजों के लिये वह तैयारी करने लगा। मौका मिला। लार्ड कर्जन उस समय भारत के वायसराय थे। शासन की सुविधा के लिये उन्होंने बंगाल को दो भागों में बांटने की घोषणा कर दी। इसी बात पर उस जमाने के बंगाली मरने-मारने पर तैयार हो गये। वे सोचने लगे—'अच्छा, इस तरह की चालबाजी चली जा रही है? वह भी हमारे साथ! जाने हम कुछ हैं ही नहीं? कुछ कर ही नहीं सकते? अरे हम बतला देंगे, बंगाली मर्द हैं, उनमें देश और संस्कृति-धर्म के लिये मर-मिटने की

समता है। हमने अंगरेजी राज्य की तारीफ की है, तो क्या, उसका विरोध करने से भी हम पीछे नहीं हटेंगे ?

फिर आन्दोलन चला। बंगाली जुट ही तो गये। भावुकता ने यहाँ भी उनकी रक्षा की। इस आन्दोलन से किसी और प्रान्त को तो कोई दिलचस्पी थी नहीं। अतः बंगालियों ने अकेले ही इसे चलाया। बहुत-कुछ इस कारण भी उनमें प्रान्तीयता की भावना दृढ़ हो गयी।

इस आन्दोलन का रूप विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का रखा गया। आन्दोलन के सिलसिले में पिकेटिंग करने का भारत के इतिहास में यह पहला अवसर है। छात्रों ने इसमें तब भी मुख्य भाग लिया। जातिभेद से, 'हिन्दू' ही काम करते रहे। शिक्षा और पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव उन्हीं पर अधिक पड़ा था। सम्पन्नता भी उन्हीं के यहाँ थी।

आन्दोलन चला। समितियाँ खुलने लगीं। व्यायाम और मानसिक उन्नति के लिये युगान्तर, अनुशीलन समितियों आदि का जन्म हुआ। गाँव-गाँव में उनकी शाखाएँ खुलीं। अकेले ढाकासमिति की ही ६०० शाखाएँ थीं। कुछ समय तक ये आमने-सामने काम करती रहीं। फिर सरकार ने इन पर प्रहार किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि ये 'गुप्त समितियों' में बदल गयीं। देश के गुप्त आन्दोलनों का सूत्रपात ऐसे ही हुआ।

ऐसे आन्दोलनों में जो पहला नाम हमारे सामने आता है, वह बारीन्द्र कुमार घोष का है। सन् १९०२ में वे पहली बार बंगाल गये। उनका विचार ऐसे सशस्त्र आन्दोलन चलाने का था जिसकी सहायता से ब्रिटिश सरकार यहाँ से निकाली जा सके। लेकिन, तब उनको सफलता न मिली। सन् १९०३ में वे बड़ौदा लौट गये।

फिर सन् १९०४ में वे आये। अपनी गिरफ्तारी के समय २२ मई, सन् १९०८ को एक मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने कहा था—

"हम बराबर यही सोचते थे कि आगे जाकर एक क्रान्ति होगी। इसके लिये अस्त्र-शस्त्र भी इकट्ठे किये जाने लगे। मैंने ११ पिस्तौलें, ८ राइफलें और १ बन्दूक इकट्ठी कर ली।...उल्लासकर की मदद से हमने ३२ नं० मुरारीपुकुर रोड के एक मकान में बम बनाना शुरू किया।......राजनीतिक हत्याओं से आजादी पाने की बात हमने कभी नहीं सोची। हम हत्याएँ इसलिये करते हैं कि हम समझते हैं कि जनता को इसकी आवश्यकता है।"

क्रान्तिकारी बंगाल ने पहली बार तब अँगड़ाई ली थी। उन दिनों सरकारी अफसरों पर अक्सर गोलियाँ चलायी जाती थीं। लाट साहब पर हमला, ढाका के भूतपूर्व जिला मजिस्ट्रेट मि० एलान की पीठ पर गोली मारना, चन्दननगर के फ्रेंच मेयर पर बम फेंकना और मुजफ्फरपुर में मि० केनेडी की मोटर पर बम मारना, ये उसी आन्दोलन की देन हैं। फिर अलीपुर षड़यन्त्र हुआ। इस षड़यंत्रके मुखबिर नरेन्द्र गोसाईं को जेल में ही गोली मार दी गयी। षड़यन्त्र के सरकारी वकील जान से हाथ धो बैठे। मुकदमे की देखरेख करने वाला सरकारी डी० एस० पी० को दिन-दहाड़े अदालत से निकलते समय गोली मार दी गयी।

लार्ड कर्जन ने बंगाली जाति को ललकारा था। उनकी जवांमर्दी पर शक किया था। लेकिन बंगाल ने दिखला दिया, उसके अन्दर खून है, जोश है और है शहादत की भावना। इसलिये बंगाल 'राष्ट्रीयता का पिता' और 'आतंकवादी षड़यंत्रों का घर' कहा जाता है।

गोलियों के बीच :---

पिस्तौलें कई बार तनीं। छोटे और बड़े बम फूटे। सरकारी अफसरों को दिन-दहाड़े गोलियाँ मारी गयीं। विद्रोहियों के मुकदमों में एक प्रकार का हंगामा मचा। बम के गुप्त कारखाने खोले गये। गुप्त हिंसक समितियाँ बनीं। देश में चेतना आयी। जनता निर्भीकता की ओर बढ़ी। भावुकता ने कलम छोड़ दूर-दूर

तक मार करने वाले हथियार पकड़े। निशाने लगे। खून गिरे! कालापानी की सजाएँ हुईं!

भारत निहाल हो उठा। बंगाल सबसे पहले गुर्राया। इसके पहले एक-दो और संगीन घटनाएँ घट चुकी थीं।

३० मार्च, सन् १९१९। देशव्यापी हड़ताल का आयोजन। फिर तारीख बदली गयी। ६ अप्रील तय हुआ। दिल्ली में सूचना समय पर न मिल सकी। अतः वहां हड़ताल हुई और बाकायदा जुलूस निकले। नेतृत्व स्वामी श्रद्धानंदजी कर रहे थे। एक गोरा मचल पड़ा। स्वामीजी को गोली मार देने की धमकी दी। उनकी छाती खुल गयी। शैतान ठण्डा पड़ गया।

सन् १९१९ का जमाना! पिस्तौल, बम आदि का बाजार गर्म। मारवाड़ी समाज के कुछ बहादुर नवजवानों ने हाथों में पिस्तौलें पकड़ीं। वैसों में कुछ हैं—श्रीप्रभुदयाल हिम्मतसिंहका, श्रीकन्हैयालाल चितलांगिया, स्व० श्रीफूलचन्द चौधरी, श्रीज्वालाप्रसाद कानोडिया, श्रीहनुमान प्रसादजी पोद्दार और श्रीओंकारमल सराफ।

असहयोग का तूफान :---

सन् १९०५, सन् १९१९ और सन् १९२०। राष्ट्रीय संघर्षों के ये तीन पूर्व 'माइल स्टोन' हैं। सन् '२० में सरकार से लोहा लिया गया। बंगाल ने क्रांति के दिन देखे थे। फांसी और आह के बीच साँस ली थी। तरुणाई की पहली उठान वाली जवांमर्दी उसके साथ थी। सब-कुछ करने की स्कीम बनाने वाले दिमाग वहाँ काम कर रहे थे। किसी दिन उनमें स्वाभिमान जगा था; देश के प्रति प्यार उमड़ आया था। सन् '२० ने निर्भयता की ओर इशारा किया, आत्मविश्वास की शिक्षा दी। जमाना ही बदल गया। जमीन नयी, आसमान नया; नया रङ्ग और नयी जवानी। देश में हर तरफ नयापन आ गया। पहले गोरे हमारे लिए भूत थे, शैतान थे। अब सन् '२० ने यह सब बदल डाला। 'गांधी-टोपी', अङ्गरेज और सरकारी

अफसरों के लिये हौवा बन गयी। भारतीय राजनीति के एक कवि ने आवाज लगायी—

"टोपधरों को मात किया
इन गांधी टोपी वालों ने।"

असहयोग-आंदोलन का असर प्रत्येक क्षेत्र में पड़ा। राष्ट्रीयता में एक ओर एक प्रकार की शिथिलता आयी, देश में दूसरी ओर जागृति का जोश उमड़ा। नवजवानों ने क्रान्तिकारी दल का पुनः सङ्गठन किया। पुराने नेता ठहर गये, नये काम में आ जुटे। इनमें जोश था, विस्फोट था, उमङ्ग थी, लगन थी। अनुशीलन-समिति एक बार फिर जोरों से काम करने लगी। कलकत्ते में अमर शहीद यतीन्द्र मुकुर्जी की बर्षी सार्वजनिक रूप से मनायी गयी। सरकार जल-भुन गयी। फिर दूसरी घटना हुई। क्रांतिकारियों की एक संख्या को फाँसी पर लटकाने वाले टेगार्ट को जिन्दा रहने का कोई अधिकार नहीं। बस, उसे जान से मार डालने के लिये गोपी-मोहन साहा तैयार हो गया। उसके बंगले के बीसों फेरे लगाये, दफ्तर में टोह ली, चारों ओर निगाह रखी। आखिर एक दिन मौका मिला और विद्रोही की पिस्तौल गरज पड़ी—धांय! धांय!! धांय!!! लेकिन वह अङ्गरेज टेगार्ट नहीं था। वह कलकत्ते का एक व्यापारी डे था।

साहा को फाँसी दी गयी! अंगरेजी सरकार से उम्मीद भी इसी की थी। लेकिन, साहा की फाँसी ने गजब रङ्ग लाया। बंगाल के युवक, बंगाल की सारी राजनीति में एक उबाल-सा आ गया। प्रान्तीय राजनीतिक सम्मेलन के सिराजगंज अधिवेशन में साहा की शहादत पर श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। बस, सारे देश में हलचल मच गयी। प्रस्ताव का विरोध किया गया। अखबारों में सिराजगंज की घटना को लेकर काफी चर्चा रही। लेकिन बंगाल रुका नहीं, झुका नहीं! चलता रहा—अपनी राह, विद्रोहियों की राह, शहीदों की राह! बंगाल ने तब भी मुल्क की जवांमर्दी को सहारा दिया, राष्ट्र की विद्रोही चेतना को उभाड़ा।

बंगाल ने और भी किया। क्रांति की आग जलती रहे, मुल्क गुलामी से छुट-कारा पा जाय— बंगाल के नवजवानों ने इसके लिये अपना जीवन लगा दिया। मि० ब्रूस की हत्या का प्रयत्न बंगाल ने ही किया। फरीदपुर में बम के कारखाने खुले, शांतिलाल की जान गयी और कलकत्ता-खादी-भण्डार के पास एक आदमी बम से मरा पाया गया। पुलिस का ख्याल था, इन दोनों पर सरकार से मिल जाने का सन्देह था।

सन् '३० की चुनौती :—

बीच में तीन-चार वर्ष और बीते। आंदोलन चलता रहा। कार्य होते रहे॥ मौके की तलाश थी। सरकार से भिड़ जाने के लिये शक्ति संचित की जा रही थी। मुस्तैद पुलिस ने 'मछुआ बाजार बमकेस' में १७ अभियुक्तों को फांसी दी। मि० टेगार्ट पर एक बार फिर हमला किया गया। लेकिन, हाय री फूटी तकदीर! इस बार भी वह बच गया। क्रांतिकारियों के बीच बदनाम मि० लोमैन पर ढाका में तीन गोलियाँ दागी गयीं। दो दिन बाद बेचारे मरे। गोली चलाने वाला पुलिस के बीच से साफ निकल गया। क्रांतिकारियों के इतिहास में यह सबसे महत्त्वपूर्ण घटना है। ऐसी घटनाओं से सरकारी अफसर डरने लगे, जनता के चेहरे पर उत्कंठा नाच उठी।

फिर मैमनसिंह में इंस्पेक्टर पवित्र बोस के घर पर एक बम फूटा। अपनी गैर-हाजिरी से वे तो बच गये, परन्तु उनके दो भाई चुटीले हो गये। उसी दिन तेजेश-चंद्र गुप्त नामक एक पुलिस इंस्पेक्टर के घर भी बम फेंका गया।

बङ्गाल में आतंक का राज्य हो गया था। दफ्तर से निकले नहीं कि गोली मार दी गयी। जेल में निरीक्षण कर रहे हैं, पीछे से पिस्तौल ने धाँय किया और धरती पर लुढ़क गये। गाड़ी में जा रहे हैं, डब्बे में पुलिस के सिपाही बन्दूक ताने पहरा दे रहे हैं। स्टेशन पर गाड़ी रुकती है, बगल से कोई लपकता हुआ आता है, पिस्तौल दाग दी जाती है। घर में बैठे खाना खा रहे हैं, अचानक भयङ्कर धड़ाका होता है और बाद में सारी कहानी खतम। कलकत्ते की राइटर्स बिल्डिङ्ग में, जिसका

टेलीफोन-द्वारा बीसियों सम्बन्ध पुलिस और सेना के दफ्तरों से है, विद्रोही आते हैं, चपरासी को ढकेल कर दफ्तर में घुस जाते हैं। फिर पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल पर गोलियां चलती हैं।

पिस्तौल, बन्दूक और बम—बंगाल की जमीन लाल हो उठी। हत्या, फांसी और अमानुषिक जुल्म, सारा देश उमंगों के बीच था। आंदोलन की असफल परिसमाप्ति के बाद जनता के बैठने वाले दिलों को इन हत्याओं ने काफी प्रभावित किया। सरकार और क्रांतिकारियों के बीच चलने वाली लड़ाई ही अगले आंदोलनों के लिये जनता को तैयार कर सकी। दर्जनों हत्याएँ क्रांतिकारियों ने बङ्गाल में कीं। इक्यावन विद्रोही फांसी पर लटका दिये गये।

अत्याचार, अनाचार और आतंक :—

बंगाल ने जिस दिन से आतंकवादी कार्यों में हाथ लगाया, क्रम-भंग कभी न हुआ। सैंडर्स की हत्या की गयी थी, जवांमर्दी का जोश वहां उमड़ा था; साहस को चुनौती दी गयी थी। लेकिन, राइटर्स बिल्डिंग में घुसकर कर्नल सिमसन की जो हत्या की गयी, भारत का राजनीतिक इतिहास उसका दूसरा उदाहरण नहीं उपस्थित करता। फिर 'चटगांव-शस्त्रागार-काण्ड', हमारे विप्लवी इतिहास की वह घटना है, जिसकी बराबरी का काण्ड आयरलैंड में ही हुआ। बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन की एक और भी विशेषता रही है। अन्य प्रांतों में आतंकवादी कार्य केवल शहरों तक ही सीमित रह गये। इसके पीछे प्रचार एवं साहस, चाहे जिसकी कमी रही हो, गांवों को केन्द्र बनाकर इस प्रकार के कार्य नहीं किये गये। बंगाल इस स्थान पर एक उदाहरण उपस्थित करता है। गांवों की मध्यम श्रेणी के नवजवानों ने ऐसे कार्यों में अपनी जान तक लगा दी। जब सरकार के सर्वग्राही आर्डिनेंसों, अत्याचारों तथा नियन्त्रणों के होते हुए भी इस प्रांत में क्रांतिकारी आंदोलन न दबाये जा सके, तब गांवों के इन्हीं नवजवानों की ओर हमारा ध्यान जाता है। इतिहास केवल घटनाओं

को एक तारतम्य में ही जोड़ने का काम नहीं करता, वरन् उन्हें जन्म लेने का सामान भी मुहैया करता है।

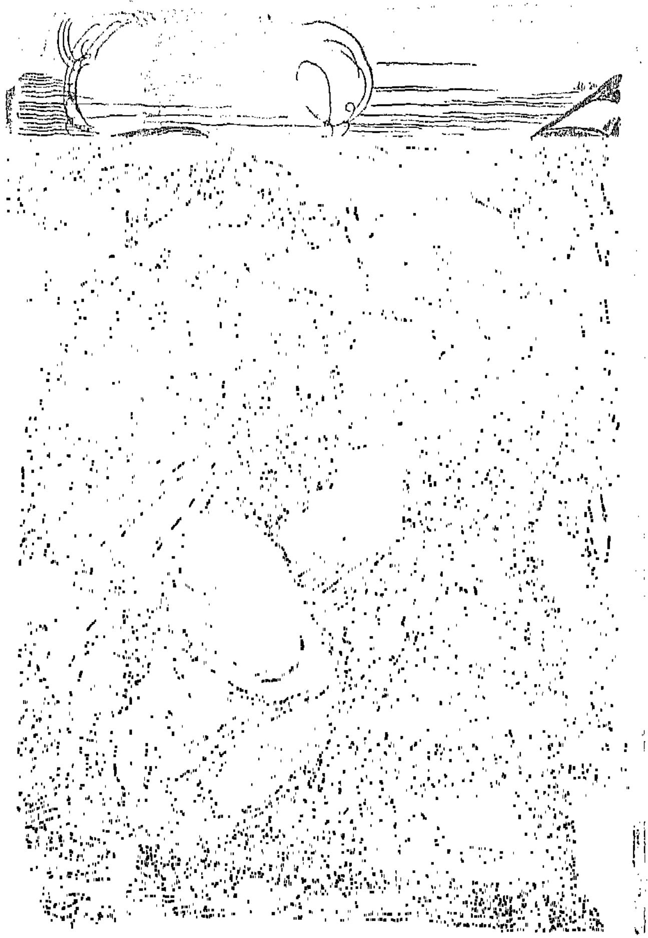
फिर ऐसे कार्यों को दबा देने के लिये बंगाल में सरकार ने अत्याचारों की हद कर दी। आज भी जब उनकी ओर हम दृष्टिपात करते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, बयालीस के आन्दोलन में कहीं-कहीं पर गोरे सैनिकों, उच्छृंखल स्वभाव के अफसरों और हमारी बदकिस्मत से हमारे अपने आदमियों ने जनता पर अमानुषिक जुल्म ढाये। विभिन्न प्रांतों में उन अत्याचारों से होने वाली बर्बादी पर आंसू बहाने वाले जो भी आज बच गये या बच गयी हैं, उनके बयान हमारे कलेजे दहला देने की पूरी क्षमता रखते हैं। परन्तु,बयालीस के आन्दोलन के पारम्भिक दिनों में जनता ने वे सब काम किये, जिनकी उम्मीद, उससे नहीं की जाती थी। माली-नुकसान के जो आँकड़े सरकारी रिपोर्ट में अंकित हैं, वे कम भयावह नहीं हैं। फिर जर्मनी और जापान के संसार में बढ़ते प्रभाव और उनकी तात्कालीन विजय से अकुलायी ब्रिटिश सरकार, कारखानों की हड़ताल, आवागमन के जरिये का विध्वंस और सप्लाई के केन्द्रों को भस्मीभूत देख, अपना धीरज खो बैठी। अत्याचार की प्रतिक्रिया की जड़ बहुत-कुछ इन्हीं घटनाओं में है। परन्तु, बंगाल में ऐसी बात नहीं थी। तब गांधी जी की अहिंसक नीति पर न तो सरकार को ही पूरा विश्वास था और न जनता को ही। इस अजीबो-गरीब चीज की ओर शासक और शासित दोनों ही आश्चर्य की दृष्टि से देख रहे थे। फिर बंगाल के विप्लवी! उनका तो कार्य ही था, सरकारी अफसरों की हत्या करना। हुक्काम किसी पर भी हाथ उठाते एक बार कांप जाते थे। इन सारी बातों के बावजूद भी बंगाल में तब अत्याचार करने की सरकार ने कोई सीमा न रख छोड़ी।

एक वे भी दिन थे! विप्लवी लड़कों के सामने उनकी माँ को नंगा कर उनके साथ बलात्कार की धमकी दी गयी, उनके मुहल्ले वालों तक पर बुरी मार पड़ी और कई अभियुक्त मार खाते-खाते जेल में यों ही शहीद हो गये। किसी भी नवजवान



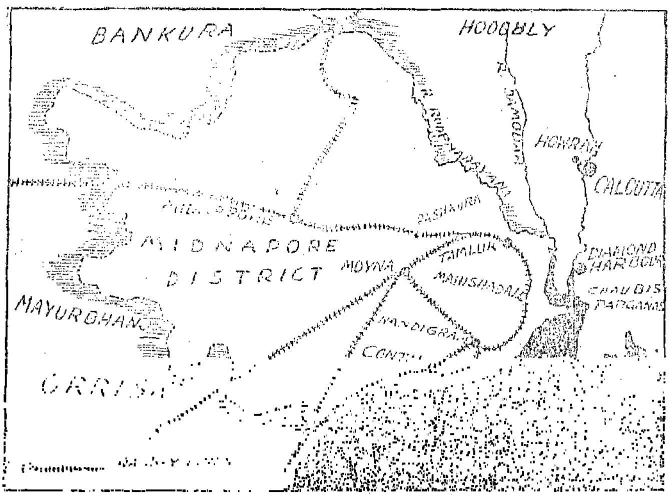
श्रीशतीशचन्द्र मैत्री को तामलुक थाने के थानेदार ने एकदम नंगा कर बेशरमी और बेरहमी के साथ पिटा और उनकी टांगों पर लकड़ी की टांगों के सहारे वजन लादना आरम्भ किया।

आसाम-प्रान्त



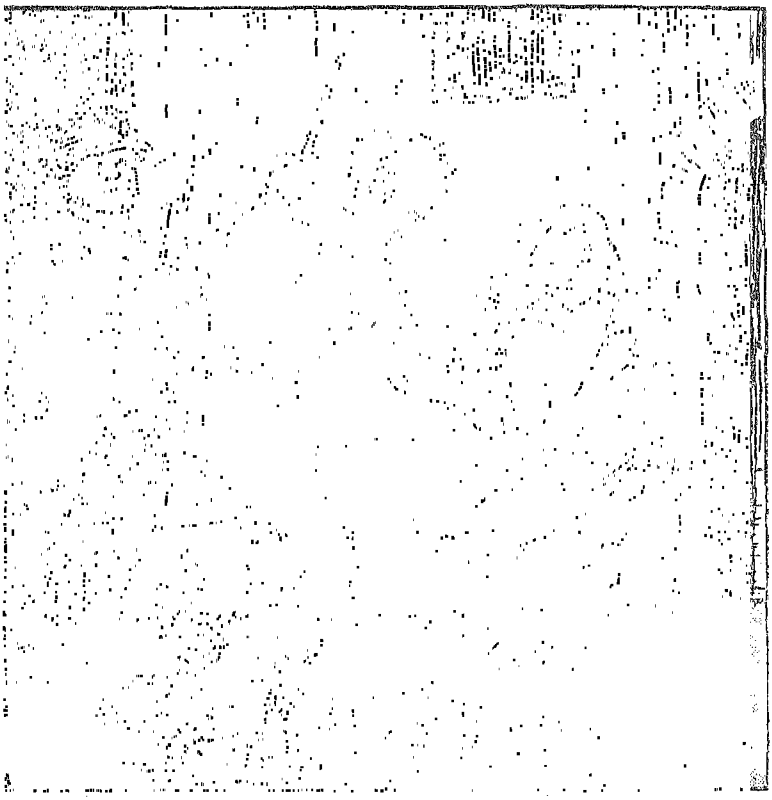
रतनप्रभा और भोगेश्वरी देवीने एक ब्रिटिश अफसर को झंडे की नोंक से मार दिया। बस, इसी 'अपराध पर उसने दोनों महिलाओं को गोली मार दी।

बंगाल-प्रान्त



बयालीस में सरकारी अत्याचार के केन्द्र मिदनापुर का नक्शा।

बंगाल-प्रान्त



चांदपुर गांव में औरतों के साथ राक्षसी तरीकों से गोरे सिपाहियों ने बलात्कार किया।

का अकड़ कर चलना जुर्म करार कर दिया गया। 'वन्दे मातरम्' का गाया जाना गुनाह हो गया। 'आनन्द मठ' और 'देश की बात' पुस्तकें सरकार ने जब्त कर लीं। इन और ऐसे ही अन्य अत्याचारों का सामना अकेले बंगाल को ही करना पड़ा। फिर भी बंगाल ने आह-ऊँह न की, दिल नहीं चुराया और अत्याचार के सामने झुका भी नहीं।

सरकार परेशान करती रही। विप्लवी आतंकवादी कार्यों में जुटे रहे। एक जगह का बम कारखाना पकड़ा गया, कुछ अनुभवी कार्यकर्त्ता बन्दी बना कर फांसी पर चढ़ा दिये गये, परन्तु, इससे हुआ कुछ नहीं। नये कारखाने खुल गये। नये कार्यकर्त्ताओं ने पुरानों की जगह ले ली। काम बन्द नहीं हुआ। बम बनते रहे। गोलियां प्रतिदिन तैयार होती रहीं। पिस्तौल की मार रुकी नहीं।

चटगाँव में पुलिस इंस्पेक्टर शशांक भट्टाचार्य को बरामा गाँव में पेट में गोली मारी गयी। मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रेट जेम्सपेडी को नुमायश में तीन गोलियाँ दागी गयीं। अस्पताल में जाकर दूसरे दिन वे मर गये। चौबीस परगना के जिला और सेशन जज मि० गार्लिक को भरी अदालत की सन-सन करती दुपहरी में गोली से उड़ा दिया गया। कलकत्ते के अंगरेजों के शरीर से पसीना छूटने लगा। सबको अपनी-अपनी जान की बुरी चिन्ता हो गयी। सरकार पर जबरदस्त दबाव डाला गया, विप्लवियों का अन्त करने में वह कोई भी बात उठा न रखे। ढाका के कमिश्नर मि० अलेक्जन्डर की जाँघ में गोली मारी गयी।

असहयोग-आन्दोलन की समाप्ति हुई और बंगाल में विप्लवियों का जोर बढ़ा। सन् १९३१ में बंगाल ने खुलकर गोलियाँ चलायीं। सन् १९३२ भी ऐसी घटनाओं के बीच गुजर गया। सरकार ने जोर-आजमायी की, बंगाल की जवांमर्दी पर नाना कसा और बंगाल ने प्रतिरोध में वह सब किया, जो हमारे इतिहास के ऐसे अध्यायों में बेजोड़ हैं। तेंतीस और चौंतीस बीत गये। पैंतीस की प्रधान घटना कांग्रेस की स्वर्ण-जयन्ती है। छत्तीस और सैंतीस में चुनावों की

लड़ाई लड़ी गयी। कांग्रेस का बहुमत कई प्रान्तों में रहा। उस समय भी बंगाल में राजनीतिक संस्था कांग्रेस पर कहीं-कहीं रोक थी। मिदनापुर में ११० कांग्रेस-कमिटियां गैरकानूनी थीं। दमन का सिलसिला भी जारी था। अड़तीस ऐसे ही चला गया। आया उन्तालीस, संसार में एक नवीन युग की अमंगल सूचना लिये।

उन्तालीस, जिसके सितम्बर महीने में हिटलर ने लड़ाई का बिगुल फूंका! पोलैंड पर नाजी विमान बम बरसाने लगे। वारसा की आलीशान इमारतों से निकला आग का धुंआ आसमान में मँडराने लगा। लाखों जानें गयीं, अरबों-खरबों का माली नुकसान हुआ। जहां पर सड़कें थीं, पार्क की हरियाली अपनी मस्ती में झूमती थी, बिजली की रंगीन रोशनी में शहर जगमग-जगमग करता था, वहां रह गयीं तड़पती लाशें, चीत्कार करते घायलों की दिल दहलाने वाली पुकारें, मकानों के भस्मावशेष, जगह-जगह पर भयानक बमों की मार से विध्वंस धरती, भयावह गड्ढे और मासूम बच्चों एवं औरतों की रुलायी-भरी बिलबिलाहट!

उन्तालीस गया, प्रान्तों में कांग्रेसी सरकारों का शासन लिये। चालीस आया व्यक्तिगत सत्याग्रह की याद के साथ। जमाना बदला। कल तक शासन करने वाले बन्दी किये जाने लगे। देश की जेलों में फिर चहल-पहल शुरू हो गयी। बड़े-बड़े नेता शक्ति-संचित करने के लिये सरकारी मेहमान बन गये। दौड़-धूप शुरू हो गयी। गिरफ्तार होने वालों का तांता लग गया। जनता में जोश उमड़ा। आन्दोलन से अलग रहने को वह विवश थी। अतः मचल पड़ी! उसने आवाज़ लगायी, हमें भी मौका दिया जाय।

चालीस बीत गया। इकतालीस भी अपनी धुंधली याद लिये इतिहास के पृष्ठों पर चमक गया! आया खूनी बयालीस!

सरकारी नीति ने विद्रोह फैलाया :—

अंगरेजी सरकार बंगालियों से बेहद घबड़ाती थी। पिस्तौल और बम लेकर चलने वाले नवजवानों की सूरत वह किसी भी हालत में नहीं भूल सकी। सरकार की

पता था, बंगाल उसका कट्टर विरोधी है। आन्दोलन की सम्भावना जब बढ़ती जा रही है, उसका विश्वास करना अपने को धोखा देना है। एक ऐसी नीति सरकार ने बंगाल में अख्तियार की, जिसके चलते तटवर्ती प्रदेशों के अन्न, नाव, सायकिलें और आवागमन के अन्य साधन जब्त कर लिये गये।

बर्मा की पहाड़ियों में जापानी सेना अबाध गति से बढ़ती आ रही थी। वायुयानों के वजह से बंगाल के निवासियों को भर-नींद सोना दुभर हो गया था। इसी समय सरकार ने मिलीटरी के रहने के लिये बंगाल के गांवों को खाली कराना शुरू कर दिया। बिना नोटिश दिये, कहीं पर रहने का प्रबन्ध किये बिना, जनता मकानों से निकाल दी गयी और सेना ने उनपर कब्जा कर लिया।

सन् १९४२ के मार्च और अप्रील महीने के बीच बड़ी ही भयानक घटनाएँ घटीं। जापान भारत की सीमा पर आकर अंगड़ाइयां लेने लगा था। उसे भय लग रहा था, यदि बंगाली भी जापानी सेना से मिल गये, तो भारत में अंगरेजी राज्य कायम नहीं रह सकेगा। इसी आशंका से उसने जनता को बुरी तरह धन-घर और अन्न-हीन कर देने का दृढ़ संकल्प किया। सरकार एशियावासियों के बदले भाव को समझ रही थी। उसे मालूम हो गया था, आज एशिया गोरों का अपमान करने पर तुल गयी है। फिर अमर सुभाष का गायब हो जाना भी उन दिनों एक महान् घटना हो गयी। बंगाल, रेडियो पर उनका भाषण सुनने लगा "एक मजबूत भारतीय सेना हमने तैयार कर ली है। अंगरेजों को अब भारत से निकाल कर ही दम लेंगे। हम शीघ्र ही भारत पर आक्रमण कर रहे हैं।" सुभाष बाबू के ऐसे भाषणों से सोया पड़ा जोश उमड़ने लगा और सरकार के प्रति दिन-दिन घृणा बढ़ने लगी। अत्याचार और जनता के घर-बार छीन लेने की घटना ने उसका अंगरेजों पर रहा-सहा विश्वास भी उठा दिया।

सरकार की 'अस्वीकृति-नीति' के कारण जनता दाने-दाने के लिये मुँहताज होने की हालत में आ गयी। इसका बुरा परिणाम सन् १९४३ में दीख पड़ा, जब कोई ४० लाख व्यक्ति बेमौत मर गये।

गल्ला-संग्रह करने की सरकारी नीति का मिनिस्टरों ने भी विरोध किया। लेकिन, सर जार्ज हरबर्ट ने अपना काम जारी रखा। पहले इस्पहानी एण्ड कम्पनी के जिम्मे यह काम था। बाद में एच० दत्त, ए० भट्टाचार्य, अहमद खाँ आदि लोगों में इसे बाँट दिया गया।

इस्पहानी एण्ड कम्पनी ने ३ लाख मन चावल और धान खरीदा। बाद में और ७ लाख मन चावल खरीदा गया।

बंगाल के लिये सरकार ने मौत का सीधा रास्ता तैयार कर दिया था। मकान जब्त कर लोगों को गृह-विहीन रहने के लिये मजबूर किया गया। ढाई लाख व्यक्तियों की रोजी का ख्याल न कर उनकी २५००० नावें छीन ली गयीं। मिदनापुर जिले में १० हजार साइकिलें सरकार ने जनता से छीन लीं। सारा बंगाल अत्याचार की चक्की में पीसा जा रहा था। धीरे-धीरे लोग ऊब रहे थे। बंगाल की चिर विद्रोही आत्मा 'संहार-लपट का चीर' पहन रही थी। आसमान में विपत्तियों के काले बादल मँड़रा रहे थे। सोने का देश बंगाल स्मशान की स्थिति में खिसकता जा रहा था।

मिदनापुर—विद्रोह का उग्रतम रूप :—

बयालीस के विद्रोही दिनों में मिदनापुर ने भी बंगाल की लाज रखी। अत्याचारों को सहकर साहस और वीरता के साथ अपना संगठन-कार्य करते जाना यहाँ की विशेषता रही। यहाँ के लोगों ने सरकारी शासन-पुर्जे को तोड़-फोड़ कर अपनी आजाद प्रजातंत्र कायम किया।

९ अगस्त से पहले ही इस जिले के नेता अपनी संगठित सरकार बनाने की योजना पर सोच-विचार कर रहे थे। इसके लिये काफी स्वयंसेवकों की भर्ती कर ली गयी थी।

तामलुक के तूफानी केन्द्र :—

मिदनापुर जिले का तामलुक एक सबडिवीजन है। छः थानों में यह बँटा है—सुनाहटा, नन्दीग्राम, महिषादल, तामलुक, मोयना और पंसकुरा। आबादी तामलुक की १२००० है।

बयालीस के आन्दोलन का उग्र और व्यापक रूप यहाँ दीखा। इस इलाके में युद्ध के चलते जनता पर अनेक प्रकार के अत्याचार किये गये थे। रांची-कन्टाई एयर लाइन बनाने के लिये इस इलाके में हर पाँच मिल पर हवाई जहाजों के अड्डे बनाये गये। जनता की जमीन छीन उसे बेदखल कर दिया गया। आवा-गमन के साधनों—मोटर गाड़ियाँ, सायकिलें, नावें आदि सरकारी कार्यों में जबरदस्ती लगा दी गयीं। जनता प्रतिबन्धों के नीचे कराह रही थी। कहीं जाना-आना उसके लिये मना था। नौकरशाही अत्याचारों के बल पर मनमानी करती जा रही थी। लड़ाई के बाण्ड लोगों के हाथ जबरदस्ती बेंचे जा रहे थे। जनता की हालत उस ज्वालामुखी की तरह थी, जिसके भीतर से आग और राख निकल कर अभी-अभी जमीन को नष्ट-भ्रष्ट कर दे। महात्मा गांधी के 'भारत छोड़ो' नारे ने उसमें एक नयी शक्ति पैदा कर दी।

बम्बई में नेता गिरफ्तार हुए, मिदनापुर में उसकी प्रतिक्रिया शुरू हो गयी। हड़तालों, जुलूसों, विरोधी प्रदर्शनों आदि की बाढ़-सी आ गयी। महिषादल थाने के सामने जो एलान किया गया, उसमें साफ-साफ कहा गया—"हमारी लड़ाई अङ्गरेजों के खिलाफ है।" डिप्टी कमिश्नर हथियारबन्द सिपाहियों के साथ पहुँचे। सिपाहियों को गोली चलाने का हुक्म दिया। लेकिन, उन लोगों ने इंकार कर दिया। इस प्रकार की यह पहली घटना थी। डिप्टी कमिश्नर थाना जनता को सौंप वापस लौट गये। यहाँ पर अखबार निकाले गये, छापाखानों की स्थापना हुई और इधर-उधर डाक भेजने की सुन्दर व्यवस्था भी की गयी।

नामलुक सबडिवीजन में ऐसा एक भी गांव न था, जहाँ जुलूस नहीं निकाला गया और जलसे न हुए। स्कूल और कालेजों में ताले पड़ गये; अदालत और डाकखाने पिकेटिंग करने की प्रधान जगहें हो गयीं। हैट की होली जलायी गयी। आन्दोलन के पहले अध्याय की यह घटना है। दूसरा अध्याय आग और विस्फोटक भावना से भरा है। सरकारी राजसत्ता के चिह्नों पर जनता कब्जा करने लगी। डाकखानों की सामग्रियाँ आग के हवाले कर दी गयीं। २०–३० यूनियन बोर्डों की इमारतों को नुकसान पहुँचाया गया। रेकार्ड जला दिये गये। डाकबंगलों को फूंक कर खंडहर बना दिया गया। शराब और ताड़ी की दूकानों का निशान तक न रहा। ७–८ अफीम की दूकानों के रेकार्ड बर्बाद कर दिये गये। कई अदालतों पर २५–३० हजार जनता ने हमला किया। चुंगी के दफ्तरों और पुलिस क्वाटरों की दुर्दशा कर डाली गयी।

सड़कों, पुलों, पुलियों आदि को बिना किसी काम का बना दिया गया। टेलीफोन और टेलीग्राफ के तार काट डाले गये। बाकायदे अपनी सरकार कायम की गयी। नामलुक में इस सरकार ने १९४२ से १९४४ तक नीचे लिखे कार्य किये :—

७ थानों पर हमले हुए। एक पर कब्जा भी कर लिया गया। एक थाना, २ सबरजिस्ट्री आफिस, १३ डाकखाने, १ खास महाल आफिस, शराब की १७ भट्ठियां, ४ डाकबंगले, १४ डी० एस० बोर्ड, ९ यूनियन बोर्ड, १६ पंचायत बोर्ड, २४ जमींदारी कचहरियाँ और ३५० चौकीदारों के कपड़े जला दिये गये। १२ ब्रिटिश अफसर कैद करके बाद में छोड़ दिये गये।

राष्ट्रीय सरकार ने ६६ दस्तावेजों की रजिस्ट्री की। २९०७ मुकदमें दायर हुए और १६८१ का फैसला हुआ। २५१ स्थानों की तलाशी ली गयी। इसमें गिरफ्तार हुए २७८। ५४३ व्यक्तियों पर राष्ट्रीय सरकार ने ३३ हजार ९ सौ ३७ रुपये १५ आने जुर्माना किया। दूसरी तरह की १६३ सजाएँ दी गयीं।

सार्वजनिक सभाएँ ३१५८ और गुप्त स्थानों में ५०१८ हुईं। सहायना-कार्य में कुल खर्च ७८ हजार ८ सौ ८५ रुपये हुआ। सबडिवीजन में इस सरकार की स्थापना १७ अक्तूबर को हुई। इस सरकार का एक मंत्रिमण्डल था जिसके सदस्यों के जिम्मे अलग-अलग विभाग थे—शिक्षा, न्याय, अर्थ, सहायना आदि।

विद्युतवाहिनी सेना :—

विद्युत-वाहिनी सेना सबसे पहले महिषादल में बनी। बाद में तामलुक और नन्दीग्राम में भी इसकी शाखाएँ खुलीं। ऐसी प्रत्येक सेना में जनरल कमांडिंग अफसर तथा एक कमांडेंट रहते थे। इसके तीन विभाग थे—युद्ध-शाखा, समाचार-शाखा, और सहायना-शाखा। आखिर शाखा में योग्य डाक्टर, कम्पाउंडर, सवारी ढोने और सेवा करने वाले थे। सरकार की एक पुस्तिका में लिखा था—

"बंगाल सूबे के मिदनापुर जिले में विद्रोहियों के कार्य-कलापों से जाहिर होता था कि उनके कार्य पूर्व-निश्चित योजना के अनुसार चल रहे थे। उनके पीछे गम्भीर चिन्तन तथा दीर्घ दृष्टि नजर आती थी। चेतावनी भेजने के उनके तरीके सर्वथा मौलिक थे। किसी बात को फैलाने अथवा किसी गुप्त योजना को कार्यान्वित करने के उनके ढंग स्पष्टतः पूर्व-निश्चित योजनाओं के अनुसार थे।"

यह एक राष्ट्रीय सेना थी। पीछे इसकी निम्नलिखित शाखाएँ खुलीं—गुरिल्ला-विभाग, बहनों की सेवा तथा शान्ति-कानून-विभाग। पिछली शाखा ने सरकार-द्वारा खुले-आम डकैती और लूटपाट करने के लिये छोड़ दिये गये मशहूर डाकुओं और चोरों को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया।

ब्रिटिश सरकार के काले कारनामे :—

मिदनापुर में राष्ट्रीय सरकार जनता ने बनायी जिस पर अंगरेज चिढ़ गये। इस सरकार को नेस्तनाबूद करने के लिये जनता पर ऐसे अत्याचार किये गये जिनके सामने जर्मनों द्वारा उनके विजित प्रदेशों पर किये गये जुल्म भी हलके

ठहरते हैं। पहले अश्रु-गैस छोड़ी गयी। बाद में लाठियों की मार का जमाना आया। तब गोलियाँ दाग कर जनता भूनी जाने लगी। जमीन और आसमान दोनों पर से निहत्थी जनता पर गोलियाँ चलायी गयीं। मशीनगनों से भी गोलियाँ उगली गयीं। तलाशी लेते समय सरकारी पुलिस ने निर्दोष औरत-मर्दों को बुरी तरह पीटा। बच्चे तक इस मार से न बच सके। घरों को फूँक डाला गया। बलात्कार की हद कर दी गयी।

महिषादल में छः स्थानों पर ९ बार, तामलुक में ४ स्थानों पर ४ बार, सुताहाटा में २ स्थानों पर २ बार और नन्दीग्राम में ४ स्थानों पर ४ बार गोलियाँ चलायी गयीं। गोलियों की मार से मरने वालों की संख्या महिषादल में १६, तामलुक में १२, नन्दीग्राम में १४ और सुताहाटा में २ थी। कुल ४४ आदमी मरे, सख्त घायल १९९ हुए और १४२ को मामूली चोटें लगीं। औरतों में एक ७३ वर्षीय महिला को शहादत मिली। १३ से १६ वर्ष तक की अवस्था के ६ लड़के भी मारे गये। जुलूसों और सभाओं पर जो लाठी-चार्ज हुए उनकी संख्या नहीं गिनी जा सकती। लाठी की मार खाने पर भी जनता उत्तेजित न हुई। घायलों की ओर जरा भी ध्यान सरकार ने नहीं दिया। उलटे, जो किसी प्रकार अस्पताल में पहुँच गये, उनको डाक्टरी सहायता नहीं दी गयी।

औरतों पर बलात्कार की अनेक घटनाएँ हुईं। सरकार के बिना जाने-पहचाने मुलाजिमों ने ७४ स्त्रियों के साथ जिनाबिलजब्र किया। इनमें एक गर्भवती स्त्री भी थी। व्यभिचार के परिणामस्वरूप एक स्त्री वहीं मर गयी।

९ जनवरी, सन् १९४३ को ६०० सिपाहियों ने महिषादल के मसूरिया और चाँदीपुर गाँव घेर लिये। जनता के मकान बर्बाद कर दिये गये। लूट जो हुई वह अलग। लेकिन, इतना ही करके सिपाही नहीं लौट गये। उन्होंने एक ही दिन में ४६ स्त्रियों के साथ बलात्कार किया।

बलात्कार के अलावे, स्त्रियों के साथ छेड़छाड़ और बेइज्जती के सैकड़ों काण्ड हुए। बेशुमार स्त्रियों के शरीर पर से सिपाहियों ने गहने उतार लिये। कर्णफूल और बालियों के खींचने से कई स्त्रियों के कानों के निचले भाग फट गये। १६ वर्ष की लड़कियों से लेकर बूढ़ी औरतों तक को कोड़े मारे गये। १५० स्त्रियों को अन्य तरीकों से अपमानित किया गया।

बलत्कार की शर्मनाक घटनाएँ खुलकर घटीं। बेगुनाह नारियों की अस्मत हँस-हँस कर लूटी गयी। इंसान के खून से पैदा होने वाले इन सरकारी कुत्तों ने जरा भी नहीं सोचा, माँ के पद पर प्रतिष्ठित नारी का अपमान जगत के लिये कितना बड़ा अभिशाप होगा।

चाँदीपुर ग्राम की सोलह वर्षीय श्रीमती सिन्धुबाला मैत्री पर दो बार सिपाहियों ने बलात्कार किया। दूसरी बार के बलात्कार के बाद गर्मी की भयंकर बीमारी के कारण वह स्त्री मर गयी। चाँदपुर की २१ वर्षीय श्रीमती खुदीबाला पण्डित पर गर्भवती की हालत में बलात्कार किया गया।

जनता को कई प्रकार से तकलीफें दी गयीं। सैकड़ों देहातियों को मीलों तक पैदल चलाया गया। कड़ाके की सर्दी में उन्हें तालाब में डुबकियाँ लगाने के लिये बाध्य किया गया। कई व्यक्ति नंगा करके सैकड़ों बाल्टियों से नहलाये गये। हजारों आदमियों को शैतानियत के रूप में पीटा गया और उनके बेहोश हो जाने पर भी यह कार्रवाई बन्द न हुई। कितनों के मूत्र-स्थानों से खून तक बह निकला।

एक यूरोपियन अफसर ने कष्ट देने का एक नया ही रास्ता अख्तियार किया। लोगों की गुदाओं में लकड़ी का रूल कर बहुत देर तक उसे घुमाया जाता था। एक आम० बी० अफसर ने एक सत्याग्रही की मूत्र-नली पर सोडा और नीबू का घोल पोत दिया। एक स्थान पर मकान में आग लगा कर उसके भीतर के चौपायों तक को बाहर नहीं निकलने दिया गया। परिणामतः ५ गायें, ५ बकरियाँ, एक मुर्गी और एक बिल्ली जलकर राख हो गयीं।

२२६ आदमियों को चोटें आयीं और १८५९ गिरफ्तार किये गये। गैरकानूनी तौर पर ५०७६ और भारत-रक्षा-नियम के अन्तर्गत ९ व्यक्ति नजरबन्द किये गये। ५०० व्यक्तियों को कठोरतम दण्ड दिये गये। साढ़े सात साल की कठोर सजा लोगों को हुई। स्त्रियाँ और बच्चों तक को साढ़े चार साल की सख्त सजाएँ दी गयीं।

सुताहाटा सबडिवीजन में १२४ घर जलाकर राख कर दिये गये। १ लाख ३९ हजार रुपयों की इनसे हानि हुई। राष्ट्रीय सैनिकों के आवास-गृहों, खादी के केन्द्रों और स्कूल की इमारतों को भी बुरी तरह जलाया गया। मकानों को जलाने में पेट्रोल और घासलेट का तेल प्रयोग में लाये गये। ४९ मकानों को एकदम बर्बाद कर दिया गया, जिसमें ८०७५ रुपयों का नुकसान हुआ। १०४४ घर, लगभग २ लाख ११ हजार ८ सौ ९० रुपयों की हानि के साथ लूट लिये गये। तलाशी के समय पुलिस घरों में घुस कर सोने और चाँदी के गहने, कीमती कपड़े, अन्य सामान, नकद रुपये, सन्दूकें आदि लूट लेती थी। २४ मकानों पर सरकार ने बलपूर्वक अधिकार कर लिया। इनमें हाई स्कूल, मि० ई० स्कूल और ट्रेनिङ्ग स्कूल सभी थे।

तलाशियों की संख्या १०-१२ हजार है। लगभग ३० परिवारों का सामान नीलाम कर दिया गया, जिनकी कीमत २६ हजार ४ सौ ७० रुपये के करीब है।

इस सबडिवीजन में अगस्त-आंदोलन की आग में सबसे अधिक सामान जला। नकदी नुकसान कोई १०-१२ लाख रुपयों का था। यह रकम कई मदों में शामिल है—छिने गये जेवर और कीमती सामान, सायकिलें, मोटर और नावें, मामूली दाम पर बेंचे गये और जलाकर राख हुए मकान एवं नुकसान हुई फसलें। बहुत से परिवार इस आंदोलन में एकदम उजड़ गये। हरी-भरी गृहस्ती ऊसर बन गयी। आलीशान इमारतों की जगह सिसकते और शांत पड़े स्मशान ही शेष रहे। बच्चों की किलकारियाँ, औरतों के कोमल स्वर और वातावरण के उल्लास, सभी विषादमय हो उठे।

सामूहिक जुर्माने की संख्या १ लाख ९० हजार है। सुताहाटा थाने से ५० हजार, नन्दीग्राम थाने से ५० हजार, महिषादल थाने से ५० हजार, तामलुक थाने से २५ हजार और पन्सकुरा थाने से १५ हजार रुपये जुर्माने में वसूल किये गये।

हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ अत्यधिक मज़ाक किया गया। उनके पवित्र ग्रंथ फाड़कर जूतों से ठुकराये गये। मूर्त्तियाँ चुरा ली गयीं और मंदिर अपवित्र किये गये।

नीचे लिखी १७ संस्थायें नाजायज करार दी गयीं—तामलुक थाना कांग्रेस-कमिटी, तामलुक सबडिवीजन कांग्रेस-कमिटी, मोपना कांग्रेस-कमिटी, वासुदेवपुर कांग्रेस-आफिस, केशापथ कांग्रेस-आफिस, कोलाघाट कांग्रेस-आफिस, फ्रेंड्स क्लब, विद्युत वाहिनी, सुताहाटा कांग्रेस वोलांटियर दल, महिषादल कांग्रेस वालंटियर दल, श्रीरामपुर वालंटियर दल, खोदामवारी थाना कांग्रेस-शिविर, तेरा पेखिया बाजार कांग्रेस-शिविर, खेकुटिया बाजार कांग्रेस-शिविर, चाँदीपुर कांग्रेस-शिविर, ग्रामदल और ताम्रलिप्त जातीय सरकार।

कन्टाई का गोलीकाण्ड :—

कन्टाई के इलाके में गोलीकांडकी बहुत घटनाएँ घटीं। लाठी-चार्ज तो रोजाना की बात थी। महीरागोट में २२ सितम्बर को ३०० राउण्ड गोलियाँ एस० डी० ओ० ने जनता पर चलवायीं। २४ आदमी घायल हुए। ३ जख्मी को पुलिस महीरागोट से कंटाई तक घसीटती ले गयी, जिनमें दो अस्पताल में जाते ही मर गये

२७ सितम्बर को एक पुलिस कप्तान एक फौजी जत्थे के साथ बेलवाली कैम्प पर आ धमका। कैम्प में आग लगा दी गयी। सारा सामान धू-धू कर जल उठा। जनता ने विरोध किया। सेना ने गोलियाँ चलायीं। ३ आदमी मारे गये और १४ बुरी तरह घायल हुए। जिस वक्त पुलिस ऐसी लूट मचा रही थी, जनता के

एक दूसरे दल ने मुकाबिला किया। उस पर भी गोलियाँ दागी गयीं जिसमें मरने वालों की संख्या ११ और घायलों की ७ थी।

२९ सितम्बर को भगवानपुर थाने की घटना घटी। ५ हजार की संख्या में जनता ने थाने पर आक्रमण किया। रास्ता केवल एक था। पुलिस ने अन्धाधुन्ध गोलियाँ चलायीं। १६ तो वहीं मर गये। २० को काफी चोट आयी। एक घायल को पानी पिलाते समय मिमलोवर स्कूल का हेड पंडित गोली से मार दिया गया।

मरसिरा के २५ मकानों में पुलिस ने आग लगा दी। रात में रोशनी के लिये वहाँ के स्कूल की इमारत फूँक डाली गयी। निरपराध लोगों को पीटना तो साधारण बात थी। ऐसी घटनाएँ इस इलाके में अत्यधिक हुईं। समूचा इलाका ही पुलिस और सेना के सिपाहियों की मनमानी का अखाड़ा बन गया था, लेकिन, कहीं-कहीं लोग ऐसे जुल्मों के बावजूद भी सरकार से लोहा लेते रहे। सूटाहेरा थाना पर जनता जिस समय कब्जा कर रही थी, उस समय हवाई जहाज से उस पर बम गिराये गये।

विद्रोही जनता को दबाने के लिये जिले के अधिकारियों ने अत्याचारों तक की दुर्दशा कर डाली। उनका ख्याल था, आतंक की ऐसी सृष्टि कर वे जनता को अपने काबू में कर लेंगे। घृणित तरीकों से मकानों को लूटना और आग लगाना जारी रहा। ऐसा नहीं कि केवल कांग्रेस-कार्यकर्त्ताओं के ही मकान जलाये गये ? निर्दोष गाँव वालों के घर और स्कूल भी फूँक दिये गये।

इन सबके अलावा, सरकार ने एक और भी नीच नीति से काम लिया। स्थानीय मुस्लिम जनता को हिन्दुओं के घर लूटने और आग लगाने के लिये खास तौर पर मौका दिया गया। उन्हें केवल सरकारी सहायता ही नहीं दी गयी, वरन् तात्कालीन खूनी और हेय कानूनों से उन्हें बरी कर दिया गया। दमन से बचने के लिये उनके मकानों पर झंडे भी लगा दिये गये। कंटाई सबडिवीजन में जो कुछ हुआ, वह इतना घृणित और अपमान से भरा है, हमारा दिल उसकी याद कर आज भी

जल उठता है। अत्याचार की पाप-भरी कहानियाँ पढ़कर जहाँ एक ओर नवजवानों की जवांमर्दी पर हम गर्व का अनुभव करते हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिस और सेना की हृदयहीनता तथा शैतानियत पर दाँत पीसकर रह जाते हैं। दुनिया में बहुत से मुल्क गुलाम थे और हैं, लेकिन अपने को सभ्य और संस्कृतनिष्ठ कहने वाले अङ्गरेजों के राज्य में भारत ने जिन-जिन कष्टों का सामना किया, इतिहास लिखने वाले ईमानदार व्यक्ति उसकी ओर से कभी अपनी आँखें नहीं फेर सकते ?

कंटाई की जनता ! बयालीस के गैर-जिम्मेवार सप्ताह ! खून से भरे दिन और बलात्कार के कारण सिसकती रातें ! घृणित हो गया था जीवन ! जब बलात्कार की घटनाओं के आँकड़ों पर हमारा ध्यान जाता है, कलेजा दहल उठता है। ओह, २२८ स्त्रियों के साथ बलात्कार किया गया ! १० हिन्दू औरतें गुण्डों को सौंप दी गयीं ! भारत में अंगरेजी इतिहास के यों तो सभी पृष्ठ आह और अत्याचार की रोशनाई से लिखे गये हैं ; लेकिन औरतों पर जिस प्रकार के जुल्म अङ्गरेज अफसरों, गोरे सैनिकों और उनके इशारे पर नाचने वाले नीच तथा बदजात हिन्दुस्तानियों ने किये, हमें यकीन है, वैसी घटनाएँ इतिहास में स्थान नहीं पा सकी हैं।

स्त्रियों के साथ बलात्कार की कहानियाँ इतनी व्यथापूर्ण हैं कि पुराने जमाने के जंगलियों ने भी शायद वैसा न किया हो। अंगरेजी सरकार के कुत्तों ने चौराहों, बाजारों और रास्तों में ऐसी मुनादी करवा दी—"यदि सरकार के विद्रोहियों को उसे सौंपने में मदद नहीं की गयी, तो उनकी औरतों के साथ बाजारों में खुलेआम बलात्कार किया जायगा।"

और यह केवल धमकी नहीं थी, सचमुच बहुत बड़ी संख्या में औरतों पर पशुवत् हमले किये गये।

एक जगह ४६ औरतों के साथ बलात्कार किया गया। यही नहीं, हर औरत के साथ दो, तीन और चार सिपाहियों तक ने बलात्कार किया, जिस कारण वे बेहोश हो गयीं।

'सन् बयालीस के विद्रोह' नामक पुस्तक के प्रणेता संयुक्त प्रान्तीय सरकार के पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी श्री गोविन्दसहाय एम० एल० ए० ने इस सिलसिले में लिखा है—

"मेरे पास ७२ औरतों के पते और उनके बयान मौजूद हैं।"

विद्वान् लेखक ने उन बयानों में तीन का जिक्र अपनी पुस्तक में किया है। उनमें औरतों पर बलात्कार की रोमांचक घटनाएँ लिखी गयी हैं। उसी पुस्तक में आगे लिखा गया है—

"अगर गांव के मर्द और औरतें मिलकर इस पाशविक अत्याचार का मुकाबिला न करतीं, तो ऐसे बलात्कारों की तादाद बहुत अधिक होती। कुछ औरतों ने तो इन मानव शरीरधारी जानवरों को छुरे दिखलाकर उनसे कन्टाई सबडिवीजन अपने सतीत्व की रक्षा की।"

लेकिन, केवल इतने से ही अत्याचारियों ने बस नहीं कर दिया। उन्होंने औरतों के गाल काटे, उनके कपड़े उतार कर उन्हें नंगा कर दिया, उनकी छातियाँ काट लीं और निर्दयता के साथ उन्हें पीटा भी।

लोगों पर और भी अत्याचार किये गये। ऐसे उदाहरणों की संख्या बहुत अधिक है, जब छोटे-छोटे बच्चों को उठा कर फेंकने और मकानों के अन्दर ही गायों को जलाने के काम किये गये। कुछ लोगों को नंगा कर दिया गया। फिर उनके चूतड़ों में डंडे ठूँस दिये गये। कास्टिक सोडे और चूने के पानी का घोल तैयार कर लोगों की मूत्रेन्द्रियों पर लगाया गया।

कंटाई में ९६५ घर जलाये गये, जिससे अन्दाजन ५ लाख ४१ हजार ४ सौ ३१ रुपयों की हानि हुई। २०५९ घरों से करीब २ लाख ५५ हजार २ सौ ४६ रुपये लूट लिये गये। कैद होने वालों की संख्या १२, ६८१ है। ६७२ को सजा मिली। लाठियों की मार से पुलिस ने ३,६८५ व्यक्तियों को घायल किया। ४३८ स्पेशल कांस्टेबुल नियुक्त हुए। सामूहिक जुर्माने की रकम ३०,००० रुपये थी।

विस्फोट के बीच कलकत्ता :—

कलकत्ता बंगाल प्रान्त की राजधानी है और है भारत का सबसे बड़ा शहर। शिक्षा और उद्योगधन्धों का यह केन्द्र है, जिस कारण राजनीतिक जागृति भी यहाँ अत्यधिक है।

बयालीस का साल! अगस्त की नौ तारीख! दिन था रविवार। विश्वविद्यालय बन्द-शहर में शान्ति। बम्बई की इतिहास-प्रसिद्ध घटना और नेताओं की गिरफ्तारी की कोई खास प्रतिक्रिया न हुई। १० अगस्त आया। इस मुल्क में गोलियाँ चलीं, लाठियों की मार पड़ी और अत्याचार हुए। लेकिन, कलकत्ता शान्त था।

१० अगस्त को ही छात्रों के बीच आन्दोलन की चर्चा चलने लगी। परन्तु, उसका कुछ नतीजा न निकला। ११ तारीख की सुबह में भी उनकी एक बैठक हुई, किन्तु कोई फैसला न हो सका। कारण था, कम्यूनिस्ट आन्दोलन के पक्ष में न थे। फिर एक मीटिंग में उन्होंने आन्दोलन के पक्ष में किसी भी प्रकार की कमिटी बनाने का बेरुखेपन से विरोध किया। आगे चलकर आन्दोलन के विचार-विनिमय तक से वे अलग हो गये।

अगस्त की ११ और १२ तारीखें भी बीत गयीं। इसका कारण यह था कि बड़ा बाजार के कांग्रेसी नेता उस समय तक अपने कार्यक्रम निश्चित कर रहे थे।

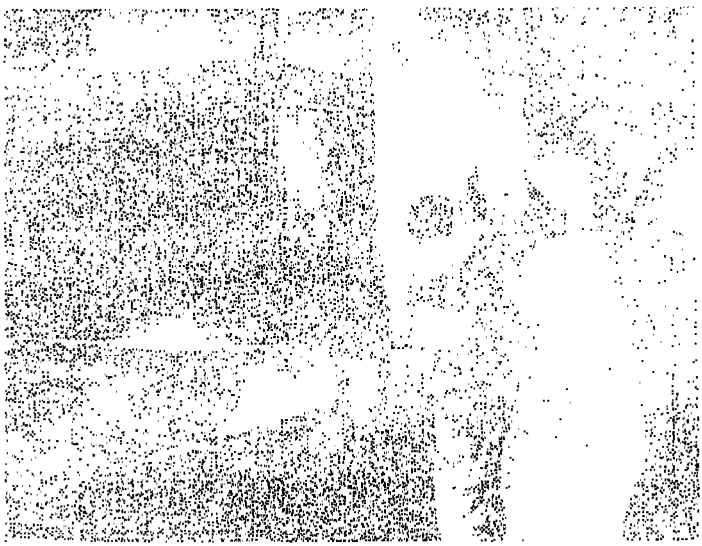
१३ अगस्त को दो शांत व्यक्ति विश्वविद्यालय के बरामदे से निकले और सड़क का रास्ता लिया। उनके पास झंडा, विज्ञापन या किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय प्रदर्शन के निशान न थे। आगे जाने पर उनके साथ और व्यक्ति भी हो गये। कम्यूनिस्टों ने उनके साथ धोखा दिया। विश्वविद्यालय के पास उनके पहुँचते ही पुलिस ने उन्हें रोक मुहम्मद अली पार्क में जाने से मना किया। यहाँ भी कम्यूनिस्ट धोखा देने से बाज न आये। पीछे वाली पंक्तियों के छात्रों को उन्होंने हल्ला कर आतंकित कर दिया।

पुलिस ने गोलियाँ चलायीं। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इन गोलीकाण्डों में ३९ मरे और १५ घायल हुए। लेकिन, एक अमरीकन संवाददाता ने लिखा है—"१४ अगस्त के ही गोलीकाण्ड में १०० आदमी मारे गये थे।"

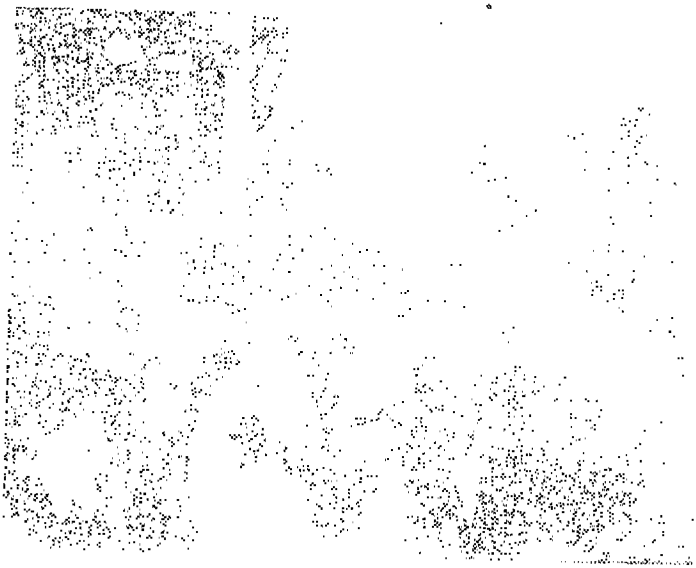
बयालीस में छात्रों ने डटकर कलकत्ते में सरकार से मोर्चा लिया। बहुत दिनों तक कालेज और स्कूल बन्द रहे। तार के खम्भे काट डाले गये। ट्राम की लाइन उखाड़ डाली गयी। फौजी लारियाँ लूट ली गयीं। कितनों में आग लगा दी गयी। डाकखाने नष्ट किये गये। लेटर-बक्सों को जला दिया गया। काशीपुर की तीन जूट-मिलों और कई कारखानों में हड़ताल हो गयी। मोटरड्राइवरों ने भी अपना काम बन्द कर दिया।

बंगाल-प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी गैरकानूनी घोषित की गयी। शक्तिप्रेस को बहुत ही नुकसान पहुँचाया गया। कलकत्ते में गोलियाँ इस प्रकार आँख मूँदकर चलायी गयीं कि अपने मकान के बरामदे में टहलने वाला सात वर्ष का एक बच्चा उनका निशाना बन गया। तीन महीने में १५८ गिरफ्तारियाँ हुईं, जिनमें औरतों की संख्या २० थी। अखिल भारतीय चर्खा- संघ की दूकान और अखिल भारतीय ग्रामोद्योग-संघ का गोदाम सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया।

१६ अक्तूबर को विलिंग्डन हवाई स्टेशन और धर्मतल्ला स्टेशन पर मोटरों में आग लगायी गयी। ८ दिसम्बर को नीमतल्ला में दूकानदारों पर भयानक बमों का प्रयोग किया गया। मोटर और गाड़ी के डब्बों में आग लगाने, दूकानदारों को लूटने, बम फेंकने और शराब की दूकानों को नुकसान पहुंचाने के काम आसानी से चलते रहे। २१ दिसम्बर को स्टाक एक्सचेंज पर भी बम फेंका गया। १४ सितम्बर को अलीपुर कैम्प जेल में २५० कैदियों पर अन्धाधुन्ध गोलियाँ चलायीं गयीं। इन कैदियों में दक्षिणी भारत के कुछ प्रसिद्ध वकील, डाक्टर, ग्रेजुएट्स और कालेज के विद्यार्थी थे।



राष्ट्रीय आन्दोलनों में महिलाओं ने भी काफी काम किया है। श्रीमती इन्दुमती गोयनका को गिरफ्तार कर पुलिस लारी में चढ़ाया जा रहा है।



सन् १९३० के दिन ! श्रीरामचरण भरतिया आदि जुलूस निकालने वालों पर पुलिस घोड़े दौड़ा रही है ।

सन् बयालीस के आंदोलन में कलकत्ते के बड़ा बाजार का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। आंदोलन का गुप्त सञ्चालन-केन्द्र भी बड़ा बाजार और यहाँ का मारवाड़ी समाज रहा है। श्रीजयप्रकाश नारायण, डा० राममनोहर लोहिया, श्रीअच्युत पटवर्धन, श्रीमती अरुणा आसफअली आदि सबको अपने बीच स्थान दे एवं आंदोलन के गुप्त कार्यकर्त्ताओं की धन-जन से सहायता कर बड़ा बाजार ने भारत के राजनीतिक इतिहास में अपने को अमर कर लिया है।

अखिल भारतीय कांग्रेस-कमिटी के बम्बई-अधिवेशन से लौटते हुए श्रीबसन्तलाल मुरारका और श्रीसीताराम सेकसरिया हबड़ा-स्टेशन पर ही गिरफ्तार कर लिये गये। ३-४ दिनों तक कलकत्ते की जनता एक ही सवाल पूछती रही—'हम क्या करें?'

ऐसे तो महात्मा गाँधी ने उन्हें 'करो या मरो' का महामंत्र पहले ही दे दिया था, परन्तु जनता उसका अर्थ ठीक प्रकार से समझ नहीं रही थी। ऐसे ही प्रश्नों का समुचित उत्तर देने के लिये लेक रोड, बालीगञ्ज में एक गुप्त सभा हुई। इस सभा में कलकत्ता और बंगाल में आंदोलन को पूरी तेजी के साथ चलाने पर विचार किया गया। सभा में ही जनता को सही रास्ते पर चलने एवं आंदोलन को गति प्रदान करने का निश्चय कर लिया गया। आंदोलन चलाने के लिये खर्च का भी प्रबन्ध किया गया। २० हजार रुपयों के वचन तत्काल ही मिल गये। रुपये इकट्ठा करने का भार कुछ खास व्यक्तियों को सौंपा गया। उनमें प्रमुख हैं—श्रीरामेश्वरलाल नोपानी, श्रीराधाकृष्ण नेवटिया, श्रीरामकुमार भुवालका, श्रीभागीरथ कानोडिया, श्रीप्रभुदयाल हिम्मतसिंहका आदि।

आंदोलन का कार्य वेग से चलने लगा। कलकत्ते में ट्राम-लाइनों के तार काटे गये। इसी समय 'करो या मरो' नामक दैनिक पत्र हिन्दी और अङ्गरेजी में प्रकाशित किया गया। इस पत्र में आंदोलन-सम्बन्धी खबरें विस्तार के साथ प्रकाशित हुआ करती थीं।

इसी बीच श्रीभागीरथी कानोडिया और श्रीरामकुमार भुवालका गिरफ्तार कर लिये गये। श्रीराधाकृष्ण नेवटिया ने उत्साहपूर्वक आंदोलन एवं 'करो या मरो' पत्र के प्रकाशन और श्रीभालचन्द्र शर्मा ने सम्पादन का कार्य किया। श्रीराधाकृष्ण नेवटिया ने बंगाली कार्यकर्त्ताओं से सम्बन्ध स्थापित किया। आंदोलन के प्रति जनता को जागरूक रखने के लिये आपने बंगाल के कोने-२ में कार्यकर्त्ता भेजे। फिर श्रीमती अरुणा आसफअली कलकत्ता आयीं। श्रीजयप्रकाश नारायण, श्रीपटवर्धन एवं श्रीराममनोहर लोहिया भी आंदोलन के कार्य को सुचारु रूप से संचालित करने के लिये कलकत्ता आये। अगस्त-आंदोलन की इन खूँखार क्रांतिकारी हस्तियों को ठहराने आदि की व्यवस्था करने का सारा भार मारवाड़ी समाज के कुछ खास परिवारों पर रहा। ऐसी सुन्दर व्यवस्था की गयी थी, जिस कारण पुलिस को बार-बार धोखा खाना पड़ा। बड़ा बाजार की ही यह हिम्मत थी, खासकर मारवाड़ी समाज की, जिसने सरकार के लिये सबसे अधिक खतरनाक एवं भयानक दुश्मन को अपने बीच छिपाकर रखा।

तभी बिहार से ब्रह्मचारीजी और श्रीसियारामशरण आये। ब्रह्मचारीजी समूचे बिहार में लाठी चलाने के लिये मशहूर हैं। श्रीसियारामशरण बेहद लम्बे व्यक्ति हैं, जिन्हें छिपाकर कार्य करना सब समय खतरे के भीतर रहने की हालत में था। फिर भी आपको पुलिस के वेष में बराबर रात में बाहर निकाला जाता रहा।

एक जमाना था तब! सन् '४२ की याद वे कभी नहीं भूल सकेंगे, जिन्होंने श्रीमती अरुणा आसफअली को १०५ डिग्री बुखार की अवस्था में भी किसी स्टेशन की वेटिंग रूम या किसी मित्र के मकान पर आंदोलन के संचालन-सम्बन्धी कार्यों की सभाओं में भाग लेते देखा है। उन दिनों श्रीमेघराज सेवक का कार्य बेहद प्रशंसनीय रहा।

रुपये खतम हो गये, लेकिन काम रुका नहीं। इसका सबसे अधिक श्रेय बड़ा बाजार के नवयुवकों और महिलाओं को है। फरारोंको घर में जगह देना आसान

काम न था। स्त्रियां जानती थीं; ऐसा करके वे विपत्ति को आमंत्रित कर रही हैं। फिर भी मारवाड़ी समाज की महिलाओं ने इस कार्य में जिस वीरता, धीरता एवं बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, वह इतिहास की एक बेजोड़ घटना है। ऐसी महिलाओं में श्रीमती ज्ञानवती लाठ, श्रीमती यमुनादेवी नेवटिया आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। श्रीमेघराज सेवक आदि समाज के बीसों व्यक्तियों ने भी हँस-हँस कर आंदोलनकारियों को अपने बीच रखा।

बड़ा बाजार की जनता और मारवाड़ी समाज उस दिन जरूर ही अधिक रूप में प्रफुल्लित हुए, जब श्रीमती अरुणा आसफअली उनके बीच सभी आर्डिनेंसों के हट जाने पर आ उपस्थित हुईं। उनके स्वागत के लिये ५० हजार जनता की भीड़ उस दिन कलकत्ते में इकट्ठी हुई थी।

सन् '४२ के आंदोलन में बड़ा बाजार ने ही आसाम, बंगाल और बिहार प्रांतों के क्रांतिकारियों के बीच सम्बन्ध स्थापित किया।

श्रीप्रभुदयाल हिम्मतसिंहका

आपके पिताजी का नाम स्व० श्रीरामरीख हिम्मतसिंहका था। जन्म आपका भाद्रपद, संवत् १९४६ में संथालपरगना जिले के (बिहार-प्रांत) दुमका में हुआ। शिक्षा आपकी दुमका, भागलपुर टी० एन० जे० कालेज और स्काटिश चर्च कालेज कलकत्ते में हुई।

सार्वजनिक कार्यों में आपने सदा उत्साह और अधिकार के साथ भाग लिया है। मारवाड़ी रिलीफ सोसायटी की स्थापना जिन पाँच व्यक्तियों ने की, उनमें एक आप भी हैं। सोसायटी के सर्व प्रथम सहायक मंत्री आप रहे। सन् १९१३ की दामोदर-बाढ़ में सहायता-कार्य करने के लिये आप बर्दवान गये। सन् '२६ में समाज में सर्व प्रथम विधवा-विवाह हुआ। उसमें समाज के १२ व्यक्ति जाति-बहिष्कृत कर दिये गये। उन एक दर्जन सज्जनों में भी आप एक हैं। कलकत्ता इम्प्रूभमेंट ट्रस्ट के आप ९ वर्षों तक ट्रस्टी रहे।

अखिल भारतीय स्पीनिंग एसोसिएशन के आप सदस्य हैं । हिन्दू-अबलाश्रम लिलुआ को सन् '२६ से आप अपना सक्रिय सहयोग देते आ रहे हैं । मारवाड़ी क्लब की स्थापना सन् १९०९ में हुई, जिसके आप सर्वप्रथम कैप्टेन नियुक्त हुए । हरिजनोद्धार-समिति के आप कई वर्षों तक सभापति रहे । अखिल भारतीय मारवाड़ी सभा के भी आप वर्षों तक पदाधिकारी रहे हैं । युक्तप्रान्तीय अग्रवाल महासभा के बनारस और आसाम प्रान्तीय मारवाड़ी सम्मेलन के डिब्रूगढ़ (सन् १९३५) अधिवेशनों के आप अध्यक्ष रहे । रनींग स्कूलों की शुरुआत आपने ही की ।

कलकत्ते में अखाड़ों की परम्परा आपने ही कायम की । बड़ा बाजार युवक-सभा आदि की स्थापना में आपने काफी भाग लिया । सन् १९२४ से १९४३ तक कलकत्ता-कारपोरेशन के आप सदस्य रहे । मारवाड़ी बालिका-विद्यालय के आप-१०–१२ वर्षों तक सभापति रह चुके हैं । विशुद्धानन्द विद्यालय में आपने अवैतनिक अध्यापन कार्य किया है ।

कांग्रेस के कार्यों में आप सन् १९२० से भाग ले रहे हैं । बड़ा बाजार कांग्रेस-कमिटी के आप वर्षों सभापति और उपसभापति रहे । बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी की कार्यकारणी समिति के आप सदस्य हैं । आप पहली बार सन् '२७ से '३० तक प्रान्तीय कौंसिल के सदस्य रहे और दूसरी बार सन् '३७ से '३८ तक, आसाम प्रान्तीय कौंसिल के आप सन् '४६ में सदस्य चुने गये । सन् '४८ की फरवरी में आप बंगाल प्रान्तीय कौंसिल के सदस्य बने और जून में आपने सदस्यता से इस्तीफा दे दिया । जून में ही विधान-परिषद् के आप सदस्य चुने गये ।

सन् १९१४ के षड्यंत्र में आपकी पहली बार गिरफ्तारी हुई । कुछ विस्फोटक सामान और भयानक अस्त्र-शस्त्र जर्मनी से भारत आ रहे थे । परन्तु रास्ते में ही ५० तमंचे, ४६००० कारतूसें आदि पकड़ ली गयीं । सरकार ने 'बड़ू बाजार-षड़यंत्र केस' के नाम से एक मामला चलाया । आप भी गिरफ्तार हुए और २ महीने नजरबन्द रहे । फिर सन् १९१६ की चौथी मार्च को सरकार ने आप को

बंगालप्रान्त से बाहर निकाल दिया। तब आप दुमका में रहे। सन्ध्या के ६ बजे से सुबह ६ बजे तक आपको मकान से बाहर निकलने की मनाही कर दी गयी। दिन में आपको दुमका पुलिस स्टेशन से बाहर नहीं जाने दिया जाता था। किसी को पत्र लिखना भी बन्द कर दिया गया। ४ वर्षों तक यह हुक्म रहा। सन् '२० की पहली जनवरी को सरकार ने यह आज्ञा वापस ली।

पता—३१ए, गरियाहट्टा, बालीगंज, कलकत्ता

श्री कन्हैयालाल चितलाँगिया

आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रसिद्धि से बहुत ही दूर रहते हैं। आप विचारक सादे, सरल और सुशिक्षित व्यक्ति हैं। सन १९१६ में मारवाड़ी समाज के इने-गिने व्यक्ति ही राजनीति में दिलचस्पी रखते थे। लेकिन, उन दिनों, अपनी विद्यार्थी-अवस्था से ही आप राजनीति में भाग लेते रहे हैं। सन् १९१६ में सरकार ने भारत-सुरक्षा-कानून में आपको गिरफ्तार कर लिया। जेल में आप को काफी यातनाएँ दी गयीं। आप फतहपुर (राजपूताना) निवासी हैं।

स्व० श्रीफूलचन्द चौधरी

आपके पिताजी का नाम स्व० श्रीडालूराम चौधरी था। जन्म आपका पूर्वी पंजाब के हिसार जिले के गावड ग्राम में सन् १८८३ के लगभग हुआ। सातवीं श्रेणी तक हिन्दी, बंगला और साधारण अंगरेजी की आपको शिक्षा मिली।

सन १९१४ के क्रान्तिकारी षड्यंत्र के नाम पर सरकार ने आपको ५ वर्षों के लिये निष्कासन की आज्ञा दी। आप बंगाल से बाहर कर दिये गये। उन दिनों आप पंजाब में रहते थे। सरकार की ओर से आपलोगों पर बाहर से अवैध रूप में अस्त्र-शस्त्र मँगाने का अभियोग लगाया गया था।

आपकी सार्वजनिक सेवाएँ भी अधिक हैं। मारवाड़ी रिलीफ सोसायटी के आप संस्थापकों में थे। हिन्दू-अनाथालय, लिलुआ की स्थापना में भी आपने

अपना पूरा सहयोग प्रदान किया था। विशुद्धानन्द-सरस्वती विद्यालय को कायम करने में आपकी भी शक्ति काम कर रही थी। आपकी मृत्यु मार्च, सन् १९३३ में हुई।

श्रीज्वालाप्रसाद कानोडिया

आपके पिताजी का नाम स्व० श्रीरामनारायण कानोडिया था। जन्म आपका मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी, संवत् १९४१ में हुआ। शिक्षा आपको मैट्रिक तक मिली। संस्कृत, हिन्दी और बंगला भाषाओं का आपको अच्छा ज्ञान है।

असहयोग-आन्दोलन में आपने सक्रिय भाग लिया। परन्तु, इससे पहले आपका सारा सहयोग क्रान्तिकारी आन्दोलनों के प्रति था। सशस्त्र क्रान्ति के द्वारा देश को आजादी हासिल करने के लिये आपने विस्फोटक अस्त्रों का संग्रह किया। क्रान्तिकारी कार्यों के सिलसिले में सन १९१३ में आप कलकत्ते में गिरफ्तार हुए और २ महीने जेल में रहे। फिर सरकार ने आपको ३ वर्षों के लिये प्रान्त से निर्वासित कर दिया।

सार्वजनिक कार्यों में भी आप विशेष भाग लेते हैं। मारवाड़ी रिलीफ सोसायटी के द्वारा आपने जनहित के कई सराहनीय कार्य किये हैं। वैश्य-सभा हिन्दू क्लब के मन्त्री-पद पर आप वर्षों रहे हैं। मारवाड़ी आरोग्य-भवन, हिन्दू अनाथालय, शिल्प विद्यालय आदि संस्थाओं के कई वर्षों तक आप मन्त्री रह चुके हैं। गोविन्दभवन और गीता प्रेस, गोरखपुर के आप आरम्भ से मन्त्री हैं। राजनीति के अलावे, सामाजिक और धार्मिक कार्यों की ओर भी आपकी विशेष दिलचस्पी है।

पता—८ रायल एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता

श्रीहनुमान प्रसाद पोद्दार

आप संस्कृत, अंगरेजी, हिन्दी, बंगला, मराठी और गुजराती भाषाओं के विद्वान् हैं। आपका जन्म आश्विन कृष्णा १२ सम्वत् १९४९ का हुआ। आपके पिताजी का नाम स्व० श्रीभीमराज पोद्दार था।

सन् १९१४ के यूरोपीय महासमर के आसपास भारत में क्रान्तिकारी षड्यन्त्रों का जोर बढ़ गया था। पिस्तौल, बम और अन्य भयानक अस्त्रों की सहायता से क्रान्तिकारी अंगरेजी सरकार को ललकार रहे थे। तभी सन् १९१६ में क्रान्तिकारी षड्यन्त्रों के ही सिलसिले में आपकी गिरफ्तारी हुई। पौने दो साल तक आप सिमलापाल जेल में कैद रहे।

आजकल आप प्रसिद्ध मासिक पत्र 'कल्याण' (हिन्दी)और 'कल्पतरु' (अंगरेजी)का सम्पादन करते हैं।

पता—गीता-प्रेस, गोरखपुर

श्रीओंकारमल सराफ

आप मारवाड़ी समाज के पुराने सेवक हैं। पिछले वर्षों में आपने मारवाड़ी समाज की हर एक हलचल में काफी भाग लिया। सन् १९१६ में भारत-सुरक्षा-कानून के अन्तर्गत सरकार ने आप को कलकत्ते में नजरबन्द किया था।

मारवाड़ी रिलीफ सोसायटी को जन्म देने का श्रेय आपको ही है सोसायटी आज जन-सेवा करने वाली इस देश की सर्व-प्रधान संस्था है! सन् बयालीस के आन्दोलनमें आपने गुप्त रूप से कार्यकर्त्ताओं को काफी सहायता दी

स्व० श्री पद्मराज जैन

आप का जन्म कलकत्ते में प्रसिद्ध रानीवाला घराने में सन् १८८५ में हुआ। आपके पिताजी का नाम स्व० श्रीफूलचन्द था। पांच-छ वर्ष की अवस्था में संस्कृत से आपकी शिक्षा शुरू हुई। दो-तीन वर्ष बाद आप घर पर अंगरेजी पढ़ने लगे। पांच-सात वर्ष तक सिटी स्कूल में पढ़ने के बाद आपको स्कूल छोड़ देना पड़ा। घर पर ही आपने व्याकरण कौमुदी, न्याय और साहित्य की शिक्षा हासिल की।

आपके पिताजी जैन-धर्म के बड़े प्रेमी थे। जैन-मन्दिर-शास्त्र की गद्दी पर आपको बिठाकर उन्होंने दस हजार रुपये भेंट चढ़ाये। जैन-शास्त्र और इतिहास के आप प्रकाण्ड

विद्वान थे। कुछ दिनों तक आपने 'जैन-प्रभाकर' नामक त्रैमासिक पत्र का सम्पादन भी किया था जिसकी प्रशंसा अधिकारी विद्वानों ने की थी।

सन् १९०० में आपके पिताजी का देहान्त हो गया। व्यापार का काम आप देखने लगे। अमरावती में (बरार) आपने करीब तीन-चार लाख रुपये की लागत से रुई का एक बड़ा कारखाना खोला।

सन् १९०२ में अमरावती में केन्द्र बनाकर लोकमान्य तिलक बरार प्रान्त का दौरा करना चाहते थे। जब उनके रहने के लिये किसी ने भी स्थान नहीं दिया, उस समय दादा साहब खापर्डे के कहने पर आपने लोकमान्य को आग्रह पूर्वक कई महीनों तक अपने यहाँ ठहराया। फिर उन्हीं के साथ आप सूरत कांग्रेस में शामिल हुए।

सन् १९२० में कलकत्ते में होने वाली कांग्रेस के विशेष-अधिवेशन के बाद अपने साथियों का संगठन कर आपने महात्मा गांधी का साथ दिया और नागपुर-कांग्रेस में सदलबल शामिल हुए। यहाँ आपकी देशबन्धुदास के साथ मुठभेड़ हुई, परन्तु असहयोग का प्रस्ताव पास हो गया। उसी समय बड़ा बाजार कांग्रेस-कमिटी की स्थापना हुई और उसके प्रधान मंत्री की हैसियत से आपने विदेशी वस्त्र-बहिष्कार आन्दोलन चलाया आपके मन्त्रित्व काल में ही तिलक-स्वराज्य-फण्ड की स्थापना हुई जिसमें बड़ाबाजर से लाखों रुपये दिये गये।

विदेशी वस्त्र-बहिष्कार आन्दोलन में पिकेटिंग का संचालन करने के कारण सन् १९२१ में आप गिरफ्तार हुए और एक साल जेल में रहे। सन् १९२२-२३ में आप रिहा हुए।

लोकमान्य के विचारों का प्रचार करने के लिये आपने दैनिक लोकमान्य पत्र निकालने का निश्चय किया। श्रीहनुमान प्रसाद पोद्दार ने इसके लिये ५,००० रुपयों से शुरू में सहायता की। आपने लाला लाजपत राय और श्रद्धानन्द-स्मारक-फण्ड भी स्थापित किया।

इसी समय बंगाल के किसी गांव से एक मारवाड़ी लड़की को उसका पड़ोसी मुसलमान बहका कर कोपागंज (आजमगढ़ के पास) ले गया। आप स्व०श्रीफूलचन्द्र चौधरी, श्रीयमुनाधर गोयनका और एक मुसलमान नेता के साथ कोपागंज गये, मौलाना शौकत-अली को आपने तार देकर बुलाया। लेकिन, उस लड़की का उद्धार न किया जा सका। बाद में वह लड़की कुएँ में गिरकर मर गयी। आपको इस घटना से काफी दुःख हुआ। फिर मालाबार मोपला काण्ड में (सन् १९२४) हिन्दुओं पर अत्याचार किया गया। सन् १९२६ में कलकत्ते में हिन्दू-मुसलमान दंगा हुआ। इन सारी घटनाओं से आप हिन्दू-महासभा की ओर झुक गये। कई वर्षों तक आप उसके प्रधान मन्त्री भी रहे।

सन् ३०-३१ के आन्दोलन में आपकी पुत्री श्रीमती इन्दुमती गोयनका गिरफ्तार हो गयीं। आपने भी आन्दोलन में प्रमुख भाग लिया और गिरफ्तार हुए।

सामाजिक क्षेत्र को भी आपने अपनी सेवाएँ अर्पित कीं। जब अग्रवाल महासभा का दफ्तर कलकत्ते में आ गया, आपही उसका संचालन करते रहे। उस समय आपके प्रयत्नों से मारवाड़ी समाज की कई कुरीतियों का जोरदार विरोध किया गया। बाल-विवाह और वृद्ध-विवाह रोकने के भी प्रयत्न किये गये। श्रीनागरमल लहीला के विधवा-विवाह में भाग लेने के कारण अपने बारह साथियों के साथ आप जाति-बहिष्कृत कर दिये गये। अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा के लाहौर-अधिवेशन के आप सभापति थे। आपके सभापतित्व में ही महासभा ने सर्वप्रथम विधवा-विवाह का प्रस्ताव पास किया।

मारवाड़ी ट्रेडर्स एसोसियेशन के आप प्रमुख कार्यकर्त्ताओं में थे। सन् ३१ वाले राउण्ड टेबुल कांफ्रेंस में ब्रिटिश सरकार से काफी लिखापढ़ी कर आपने एसोसियेशन को अपना एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्राप्त किया।

बड़ा बाजार के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में प्रगति लाने के लिये आपने कई मित्रों के सहयोग से हिन्दी-नाट्य परिषद् की स्थापना की। कई वर्षों तक आप उस के सभापति रहे। कलकत्ते में हिन्दू-मुसलमान दंगे के समय आपने हिन्दू-रिलीफ कमिटी कीस्थापना में अपना सहयोग दिया। दंगे में अपने छोटे भाई श्रीधर्मचन्द के साथ

आपने हिन्दू-परिवारों की रक्षा के लिये काफी काम किया। उसी समय लिलुआ में हिन्दू-अनाथाश्रम की स्थापना की गयी। दलित-सुधार-सोसायटी की स्थापना कर आपने गरीब हरिजन-बालकों की शिक्षा के लिये विभिन्न बस्तियों में करीब २० पाठशालाएँ स्थापित करायीं। आजकल इसी संस्था का नाम 'हरिजन-उत्थान-समिति' है। हिन्दू-शिल्प विद्यालय, हिन्दू अबलाश्रम और शिशु सदन की स्थापना में भी आपका प्रमुख भाग रहा।

बिहार-भूकम्प के समय हिन्दू-मन्दिरों के पुनर्निर्माण के लिये दान की एक बड़ी रकम निकाली गयी थी जिसके खर्च का भार आप पर था। बिहार का दौरा कर आप ने मन्दिरों की मरम्मत का कार्य सम्पन्न किया।

श्रीबसन्तलाल मुरारका

संवत् १९४९ की शिवरात्रि को जयपुर-रियासत के मुकुन्दगढ़ में आपका जन्म हुआ। पिताजी का नाम स्व० श्रीरामदेव मुरारका था।

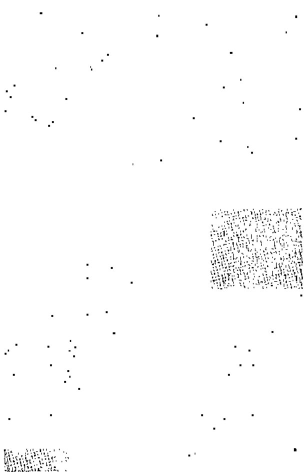
१२ वर्ष की अवस्था तक आप मुकुन्दगढ़ में ही गुरु की पाठशाला में विद्याध्ययन करते रहे। फिर आप कलकत्ता आये।

तब सन् १९०५ का साल था। बंगभंग का जमाना! आन्दोलन का आपके जीवन पर काफी प्रभाव पड़ा। पढ़ने के लिये आप विशुद्धानन्द-विद्यालय में भर्ती हुए। तीन-चार वर्षों तक आपके अध्ययन का क्रम सुचारु रूप से जारी रहा। पढ़ने में आपकी विशेष लगन थी, प्रतिभा थी, प्रति वर्ष पुरस्कार पाते रहे।

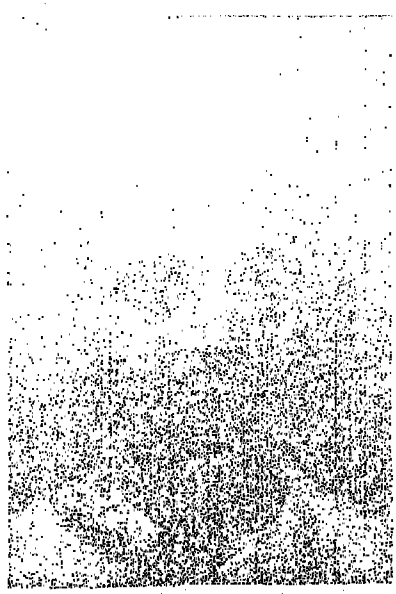
सन १९१७ में मारवाड़ी ट्रेड एसोसियेशन की स्थापना हुई। आप उसके संस्थापकों में एक हैं। सन् १९१३ में 'मारवाड़ी रिलीफ सोसायटी' की स्थापना हुई, जिसमें स्वयंसेवक का काम आप करने लगे।

सन् १९२० के सत्याग्रह-अन्दोलन में आप पूरी तरह राष्ट्रीय क्षेत्र में उतर गये। इसी साल बड़ा बाजार कांग्रेस-कमिटी की स्थापना हुई और आप उसके सहकारी मन्त्री

राष्ट्रीय आन्दोलनों के बहादुर सेनानी—

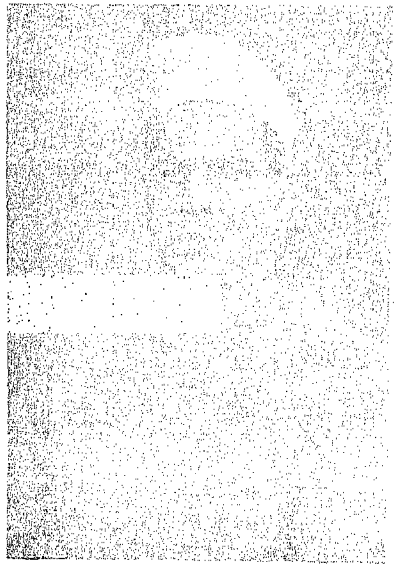


अगस्त-क्रान्ति के संचालक
डा० राममनोहर लोहिया, कलकत्ता



श्रीबसन्तलाल मुरारका, कलकत्ता

विद्रोही दिनों के क्रान्तिकारी—



श्री ज्वालाप्रसाद कानोडिया, कलकत्ता



श्रीमती कमलादेवी, बम्बई

बने। इसी पद पर कार्य करते हुए आपने पहली बार सन् १९२१ में जेल यात्रा की। डेढ़ वर्षों तक प्रेसिडेंसी और सेन्ट्रल जेल में आप रखे गये।

सन् १९३० में नमक सत्याग्रह हुआ। आप बड़ा बाजार सविनय अवज्ञा कमिटी के मंत्री बने और गिरफ्तार होकर एक वर्ष की सजा पायी। जेल से रिहा होने पर आपने विदेशी-वस्त्र बहिष्कार कमिटी की स्थापना की। इस सिलसिले में आपको दो महीने तक सेंट्रल जेल में नजरबन्द रखा गया। यह सन् १९३२ की बात है! जेल से बाहर आने पर आप सरकारी आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण फिर ६ महीने के लिये सेंट्रल और दमदम की जेलों में रखे गये। रिहा होने पर सरकारी कानून की अवहेलना करते हुए आपने कलकत्ता-कांग्रेस- कमिटी का अधिवेशन किया। इस में फिर आपको सात दिनों के लिये प्रेसिडेंसी जेल में नजरबन्द रखा गया।

सन् बयालीस की क्रान्ति के पूर्व अखिल भारतीय कांग्रेस-कमिटी की बम्बई में इतिहास-प्रसिद्ध बैठक हो रही थी। किसी तरह बम्बई में आपकी गिरफ्तारी न हो सकी। लेकिन, हवड़ा स्टेशन पर पहुँचते ही पुलिस ने आपको कैद कर लिया। उस समय डेढ़ वर्ष आप नजरबन्द रखे गये थे। यह अवधि आपने प्रेसिडेंसी जेल में व्यतीत की।

सार्वजनिक कार्यों में आपने अत्यधिक उत्साह के साथ भाग लिया है। हरिजन-उत्थान-समिति की स्थापना करने के बाद आप उसके मंत्री बने। हरिजनों के लिये पाठशालाएँ खुलवायीं और बस्तियों में जाकर प्रचार-कार्य किया। सन् १९३७ में आपने हरिजनों की सेवा के लिये जयपुर रियासत का दौरा किया। वहाँ पर जनता ने आपका स्वागत काले झण्डे, पत्थर आदि से किया था।

सुभाष बाबू जब जेल से रिहा हो गये, उस समय आपने उनके लिये फण्ड इकट्ठा करने का काम किया। महाजाति-सदन की स्थापना में भी आपका विशेष हाथ रहा। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन से आपका बराबर संबन्ध रहा। प्रति वर्ष ५००) का मुरारका पारितोषिक सम्मेलन के द्वारा आप प्रदान करते हैं।

सन् १९१९ में आप अग्रवाल महासभा की बंगाल-प्रान्तीय शाखा के मन्त्री बने। बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह, दहेज-प्रथा आदि का आपने सख्त विरोध किया। सन् १९२५ में आप अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा के मन्त्री रहे। इस समय आपने सामाजिक सुधारों की ओर ही अपना विशेष ध्यान दिया। शारदा एक्ट पास कराने में आपने भी कम मेहनत न की। सन् १९२६ में आपने विधवा-विवाह में सक्रिय रूप से भाग लिया। जिस कारण आप जाति-बहिष्कृत हो गये। परदा-विरोधी दिवस मनाने के लिये आपने सन् १९२९ में देश का दौरा किया। मृतक-बिरादरी भोज के खिलाफ आपने सन् १९३१ में पिकेटिंग की। अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा के प्रयाग-अधिवेशन के आप सन् १९३४ में सभापति निर्वाचित हुए। सन् १९३५ में आपने राजपूताना-नवयुवक-सम्मेलन का सभापतित्व किया।

आपने परदा-निवारण-समिति का गठन किया जिसके द्वारा समाज में परदा न रखने का सख्त विरोध किया गया। सन् १९१८ में गुण्डा एक्ट और रेंट कानून बनाने का आपने आन्दोलन किया।

सन् १९४६ में आप बंगाल प्रान्तीय व्यवस्थापिका असेम्बली के सदस्य निर्वाचित हुए। अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन की समाज-सुधार उपसमिति के आप आजकल सभापति हैं। आप इस उपसमिति के द्वारा इन दिनों समाज में परदा-विरोधी आन्दोलन का संचालन कर रहे हैं। राजपूताना हरिजन-सेवक-संघ के सभापति और बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी की कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस-कमिटी के कई वर्षों तक आप सदस्य रह चुके हैं। 'मातृ-सेवा-सदन', मारवाड़ी बालिका-विद्यालय, बालिका-शिक्षा-परिषद् आदि संस्थाओं की कार्यकारिणी के आप सदस्य हैं। हरलालका अस्पताल के आप सभापति हैं। अपने शब्दों में "आप पुराने विचारों की जगह नये विचारों के हिमायती हैं और समाज के प्रत्येक नवयुवक-नवयुवती को कार्यों में अग्रसर करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। जो शास्त्र विकाश में बाधक होते हैं, वे अतल सागर में डूबो दिये जायँ! सामाजिक

सुधारों में रुकावटें डालने वाले माँ-बाप से विद्रोह किये जायँ। आज का नारा एक ही है—'बदलो या मरो'।"

पता—१ मांडेविला गार्डेन स्ट्रीट, कलकत्ता

श्रीनागरमल मोदी

आपके पिताजी का नाम स्व० श्रीभीमराज मोदी था। जन्म आपका जयपुर के मन्दावा में संवत् १९३४ में हुआ।

लड़कपन में आपका मन लिखने-पढ़ने में नहीं लगता था। दिनभर आप इधर-उधर जुआ खेला करते थे। आपकी यह आदत कलकत्ता आने पर छूटी। सामाजिक कार्यों की ओर आपकी रुचि शुरू से ही है। सर्वप्रथम आप पर आर्य-समाज का प्रभाव पड़ा। १८ वर्ष की अवस्था में आप आर्य-समाज के सदस्य बने। आपके सामाजिक कार्यों की प्रगति देख, समाज ने आपको जाति-बहिष्कृत कर दिया। धोबी और हजाम तक आप के बन्द हो गये। विधवा-विवाह के आप कट्टर समर्थक हैं।

सन् १९०५ में बङ्गाल का विभाजन हुआ। तभी से आप राजनीति में भाग लेने लगे। कांग्रेस में आप सन १९१८ में आये। सन् १९२१ के सत्याग्रह-आंदोलन में पहली बार आपने जेल-यात्रा की। विदेशी वस्त्रों के बायकाट-आंदोलन के सिलसिले में कलकत्ते में आप गिरफ्तार हुए। इस बार कोई २ महीने आप जेल में रहे। फिर सन् १९३० में आप गिरफ्तार हुए और राँची-हजारीबाग की जेलों में १२ महीने कैद रहे। तीसरी बार आपकी गिरफ्तारी सन् १९३२ में हुई। इस जेल-यात्रा में २ वर्षों तक राँची, पटना कैम्प-जेल और हजारीबाग जेल में आप रखे गये। आप पर १०००) का जुर्माना भी हुआ था। फिर आप सन् ४२ की अगस्त क्रांति में कैद कर लिये गये। इस बार राँची और हजारीबाग की जेलों में आप सात या आठ महीने रहे। सन् ४६ के प्रांतीय

चुनाव में कांग्रेस की ओर से आप बिहार व्यवस्थापिका सभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं।

पता—भीमराज नागरमल, रांची

श्रीमूलचन्द अग्रवाल

आपके पिताजी का नाम स्व० श्रीगोपालदास था। उनके पूर्वज झांसी जिले में रहते थे। झांसी के निकट युक्तप्रांत के उरई जिले के कोटरा गांव में वे भटकते-२ आ गये थे। उनकी आर्थिक स्थिति एकदम खराब थी। कोटरा गांव में उनकी एक दूकान थी। कानपुर के एक महाजन ने उन पर कच्ची कुर्की करायी। रुपये पास में न होने के कारण कुएं में कूदकर उन्होंने आत्म-हत्या कर ली।

गरीबी के बीच ही आपकी शिक्षा शुरू हुई। गांव के प्राइमरी स्कूल में आप पढ़ने लगे। सरकारी छात्रवृत्ति मिलने के कारण आगे की आपकी पढ़ाई जारी रही। प्रयाग-विश्वविद्यालय से आपने बी० ए० की परीक्षा पास की, लेकिन इतिहास में अनुत्तीर्ण हो गये। फिर आपने मेरठ जाकर कालेज में अध्ययन किया और इस बार उत्तीर्ण हुए।

आपका झुकाव कलकत्ता आने पर समाचारपत्र-कार्यालय में काम करने की ओर हुआ। 'भारत-मित्र के सम्पादक पंडित अम्बिका प्रसाद वाजपेयी के प्रेस से ४५) मासिक पर आप 'भारत-मित्र' में अनुवादक का काम करने लगे। परन्तु कुछ दिन बाद आप मेरठ चले गये। वहाँ से लौटने पर आपको 'कलकत्ता-समाचार' में सहकारी सम्पादकी मिली। फिर श्रद्धेय पंडित बाबूराव विष्णु पराड़कर की सिफारिश पर माहेश्वरी विद्यालय के आप प्रधान अध्यापक नियुक्त हुए।

सन् १९१७ के मध्य में आपने हेड मास्टरी छोड़ दी और 'दैनिक 'विश्वमित्र' निकाला। पहले इसका नाम 'विश्वामित्र' था, बाद में 'विश्वमित्र' हुआ। फिर आपने प्रतिदिन संध्या को 'साम्यवादी' निकाला और उसके बाद सुबह अंगरेजी दैनिक 'लिबर्टी'। लेकिन, कुछ ही महीनों के बाद 'लिबर्टी' बन्द हो गया।

तभी सन् १९२२ का आंदोलन आया। 'विश्वमित्र' के तीन अग्रलेख अवैध बतलाकर, पत्र के सम्पादक, मुद्रक और प्रकाशक होने के कारण, आपको गिरफ्तार कर लालबाजार थाना में पुलिस ले गयी। अदालत से आपको एक साल सपरिश्रम-कारावास की सजा मिली।

सन् १९३० में हिन्दी के प्रकांड विद्वान जोशी-बन्धुओं (डा० हेमचन्द्र जोशी और श्रीइलाचन्द्र जोशी) के सम्पादकत्व में आपने मासिक 'विश्वमित्र' निकाला। इसके पहले 'विश्वमित्र' का साप्ताहिक संस्करण प्रकाशित होने लगा था। फिर आपने 'इलस्ट्रेटेड इण्डिया' (अंगरेजी साप्ताहिक) निकाला। इस समय कांग्रेस-पक्ष का समर्थन करने के लिये स्व० श्रीदेशप्रिय सेन कम्पनी बनाकर अंगरेजी दैनिक 'एड-वांस' निकालते थे। उनकी मृत्यु के बाद आपने 'एडवांस' का सञ्चालन अपने हाथ में ले लिया। यह पत्र आज भी सन्ध्या को प्रकाशित होता है।

विश्वमित्र-कार्यालय से आपने बंगला-दैनिक 'मातृभूमि' बड़े आकार के बारह पृष्ठों में निकाली। इसकी तीस हजार प्रतियां छपती थीं।

मई, सन् १९४१ में 'विश्वमित्र' का बम्बई संस्करण और उसी साल दिल्ली-संस्करण प्रकाशित हुआ। आज पटना और कानपुर से भी दैनिक विश्वमित्र प्रकाशित होता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका खास स्थान है। सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में आपकी विशेष रुचि है और आप उनमें काफी भाग लेते हैं। अखिल भारतीय हिन्दी-पत्रकार-सम्मेलन के प्रथम दिल्ली-अधिवेशन (जनवरी सन् १९४१) के आप ही सभापति थे।

इस प्रकार आप एक कुशल सम्पादक, सफल पत्र-संचालक, समाज-सुधारक और लगनशील राष्ट्रीय कार्यकर्त्ता हैं।

पता—'विश्वमित्र'-कार्यालय, कलकत्ता।

स्व० श्रीबैजनाथ केडिया

आपका जन्म जयपुर रियासत के चिड़ावर में भाद्रपद शुक्ला अष्टमी, संवत् १९४२ में हुआ। बचपन से ही आप तेजस्वी और स्वच्छन्द स्वभाव के थे। विनोद-प्रिय होते हुए भी गम्भीरता आपके विशेष हिस्से में रही।

आपका विवाह १२ वर्ष की अवस्था में ही हो गया। जब आप ७ वर्ष के थे, कलकत्ता आये। आपने सन् १९०४ से सार्वजनिक संस्थाओं में भाग लेना शुरू किया। मारवाड़ी अग्रवाल महासभा के एक वर्ष आप मंत्री रहे।

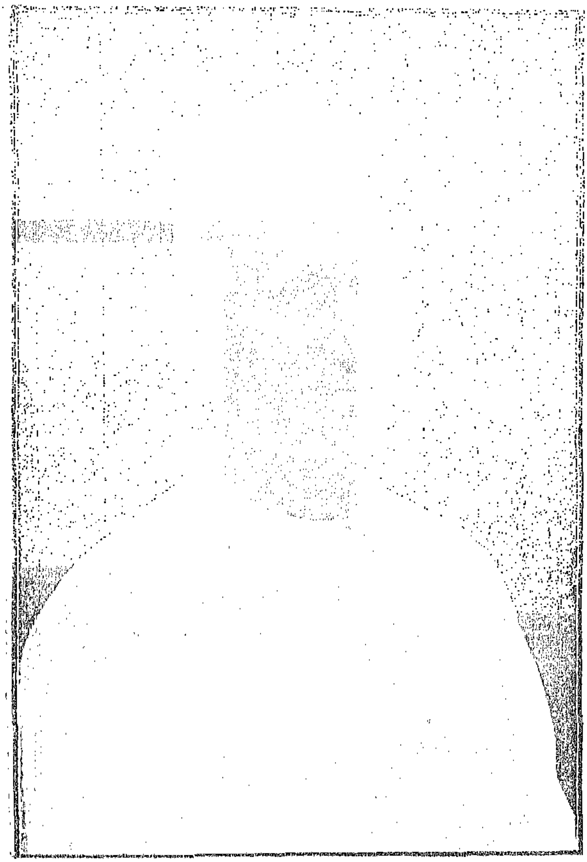
सन् १९०५ के बंगभंग से ही आप राजनीति में भाग लेने लगे। शुरू में आपका झुकाव क्रांतिकारी षड़यंत्रों की ओर था। सन् '२१ के आंदोलन के समय आप कांग्रेस में आ गये। गाँधीजी-द्वारा प्रस्तुत मरे हुए पशुओं के चमड़े के उपयोग वाली योजना को सफल बनाने के लिये स्व० श्रीजमनालाल बजाज के अनुरोध से आपने दस हजार रुपये दिये थे।

सन् '३० के संचालन में आपने सक्रिय भाग लिया। आपको गिरफ्तार कर एक साल कड़ी कैद की सजा दी गयी। २७ जनवरी सन् १९४१ को काशी के पांडेपुर बावनबिगहा के समीप बनियापुर गांव में आप गिरफ्तार हुए। इस बार आपको ६ महीने की सजा हुई।

सन् '४२ में ग्राम-प्रचार करने के लिये बनारस और मुगलसराय के बीच दुलही-पुर नामक जगह में ५० बीघे जमीन खरीद कर आपने वहाँ चरखा-प्रचार का कार्य शुरू किया। परन्तु स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण फिर बनारस चले गये।

सन् १९०६ से आप गोरक्षा-कार्य में दिलचस्पी लेने लगे थे। सन् १९२१ में कलकत्ता-पिंजरा पोल के कार्यों में आप भाग लेने लगे। इस संस्था की सोदपुर और लिलुआ-शाखाओं का काम आपने शाखा-मंत्री की हैसियत से कई साल तक किया। मारवाड़ी रिलीफ सोसायटी के साथ आपका सम्बन्ध उसके जन्म-काल से ही

राष्ट्र और साहित्य के जीवन साधक—



स्व० बैजनाथजी केडिया

चला आता है। सोसायटी की ओर से सन् १९३४ वाले बिहार-भूकम्प में मुंगेर के सहायता-कार्य का आपने सञ्चालन किया था और पूर्व बङ्गाल की भयानक बाढ़ के समय करताई स्थान के व्यक्तियों की सहायता की। सोसायटी के बिक्री-विभाग के आप दो साल तक मंत्री रहे।

श्रीराधाकृष्ण नेवटिया आदि मित्रों के सहयोग से बड़ाबाजार के बच्चों को शीघ्र और उपयोगी शिक्षा प्राप्त करने के लिये स्थापित 'कुमार-सभा विद्यालय' की स्थापना में भी आपका हाथ रहा। आप हिन्दी के एक सिद्धहस्त लेखक थे। आपने करीब ६० पुस्तकें लिखी हैं। हिन्दी में सुन्दर साहित्य के प्रकाशनार्थ आपने 'हिन्दी-पुस्तक एजेंसी' की व्यवस्था सम्भाली।

भारतीय इतिहास में अमर सन् १९४७ के १५ अगस्त को शिवपुर (बनारस) में आप झण्डा फहराने गये थे। झण्डा फहराते समय अचानक मञ्च टूट गया और काफी ऊँचाई से आप नीचे गिरे। महीनों तक अस्पताल में पड़े रहने के बाद कुछ स्वस्थ होने पर साक्षी विनायक के (काशी) अपने निवास-स्थान पर आप लौट आये। परन्तु आप स्वस्थ हो नहीं सकें। २१ दिसम्बर, सन् १९४७ को आपका स्वर्गवास हो गया।

श्रीमती इन्दुमती गोयनका

कलकत्ते के प्रसिद्ध रानीवाला परिवार में उत्पन्न एवं दिल्ली के सुप्रसिद्ध राष्ट्रकर्मी एवं व्यावसायिक स्व० सेठ केदारनाथजी गोयनका की आप पुत्रवधू हैं। विख्यात राष्ट्र-सेवी एवं समाज-सुधारक स्व० श्री पद्मराज जैन आपके पिता थे। जन्म आपका संवत् १९७५ के आसपास कलकत्ते में हुआ। शिक्षा आपने बंगला लेकर मैट्रिकुलेशन तक पायी है।

राष्ट्र के प्रति उत्कट प्रेम की लगन आपमें पितृ-प्रदत्त है। घर में दिन-रात राज-नीतिक चर्चा होने के कारण आपका झुकाव स्वभावतः देश के स्वातंत्र्य संग्राम की

ओर गया। समय पर अपनी उक्त मनोवृत्ति का परिचय देने के लिये आप उतावली हो गयीं। तभी बापूका नमक-सत्याग्रह शुरू हुआ।

दाँडी की उस इतिहास-विख्यात यात्रा ने सारे संसारको चकित कर दिया। पश्चिम के हिंसावादी राष्ट्र अचम्भित हो उठे, 'आखिर पागलपन की इस कार्रवाई से क्या नतीजा निकलेगा? भारत की जनता इस प्रकार के निरुद्देश्य अन्दोलनों में कदापि भाग न लेगी!' लेकिन देश की जनता ने सन् '३० के आन्दोलन में जिस जोश और लगन के साथ भाग लिया, वह भी एक अकल्पित घटना थी।

कन्थाई (बंगाल) में पुलिस के सिपाहियों ने सत्याग्रहियों पर अत्याचार किया था। मारपीट और अत्याचार की इस खबर से आप खीभ उठीं। पुलिस के नाम आपने एक अपील निकाली जिसमें इस प्रकार के कार्यों की निन्दा की गयी थी और उन्हें विदेशी सरकार की नौकरी छोड़ आजादी की लड़ाई में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित किया गया था।

इस अपील पर सरकार ने अपनी क्रियात्मक आपत्ति प्रकट की फलतः आप गिरफ्तार कर ६ महीने के लिये जेल भेज दी गयीं। इसके पूर्व ही सन १९२९ में आपका विवाह श्रीकेशवदेव गोयनका के साथ हो गया था। जेल-यात्रा के समय आपकी अवस्था केवल १५ वर्षों की थी। उस समय आप गर्भवती थीं। समस्त बंगाल और मारवाड़ी समाज में जेल जानेवाली आप पहली महिला थीं। जिस समय आप प्रेसिडेंसी जेल पहुँची, आपकी कच्ची अवस्था और आजादी की पक्की धुन देख जेल-अधिकारी चकित हो उठे। फलतः आप पर उनका अनायास ही स्नेह हो गया।

आपकी इस गिरफ्तारी पर कलकत्ते के प्रसिद्ध हिन्दी दैनिक-पत्र 'विश्वमित्र' ने २६ जून, '३० के अपने अग्रलेख ('इन्दुमती') में लिखा था।

'भारत की कई नारियों ने इस स्वतन्त्रता युद्ध में जेल यात्रा की है लेकिन इन्दुमती की यह जेलयात्रा अपने ढंग की निराली है। ··· जो पर्दे की आड़

में बड़े लाड़-प्यार से पोसी गयी, जिसके सगे-सम्बन्धी देश के सुविख्यात धनी व्यवसायी हैं वही आज अलीपुर सेंट्रल जेल में कैद है।

आपका सार्वजनिक जीवन भी बड़ा ही आकर्षक और गौरवपूर्ण है। दुखियोंकी सहायता करने का जैसा उच्च भाव आपके अन्दर विद्यमान है, उसकी एक झाँकी नीचे दी जाती है।

बात सन् '३१ की है। कानपुर में हिन्दू-मुसलमान एक-दूसरे का गला निर्दयता-पूर्वक काट रहे थे। देश की यह दुर्दशा आप से न देखी गयी। आपने अमर शहीद श्रीगणेशशंकर विद्यार्थी को एक पत्र लिख कर दंगे में स्वयंसेविका का काम करने की अपनी उत्कट इच्छा प्रगट की। स्व० विद्यार्थीजी ने आपको प्रत्युत्तर में एक पत्र लिख कर ऐसा करने से रोका। वह पत्र यों था :—

प्रताप—कार्यालय
२४ मार्च, '३१

आदरणीया बहिनजी

सादर नमस्कार

मैं आपसे भलीभाँति परिचित हूं। मेरी धारणा है कि मैंने आपको कलकत्ते में आज से १० वर्ष पहले देखा था। उस समय आप बहुत छोटी थीं।

यहाँ की दशा निस्सन्देह बहुत बुरी है। हमलोग शान्ति के लिये प्रयत्न कर रहे हैं। आपकी यह इच्छा कि आप प्राणों पर खेलकर भी शान्ति के लिये प्रयत्न करें, बहुत स्तुत्य है। किन्तु मैं अभी आपसे आगे आने के लिये नहीं कह सकता। मुसलमान-नेताओं में से एक भी आगे नहीं बढ़ता। पुलिस का ढंग बहुत निन्दनीय है। अधिकारी चाहते हैं कि लोग अच्छी तरह से निपट लें। पुलिस खड़ी-खड़ी देखा करती है और मस-जिद और मन्दिर में आग लगायी जाती है, लोग पीटे जाते हैं, और दूकानें लूटी जाती

हैं। यह दंगा तो कल ही समाप्त हो जाता, यदि अधिकारी तनिक भी साथ देते। मैं ने अपनी आँखों से अधिकारियों की इस उपेक्षा को देखा है। ऐसी अवस्था में मैं आप से यह कैसे कहूं कि आप आगे आइये। अधिकारियों को तो यह ईश्वरदत्त अवसर प्राप्त हुआ है। वे इस पर सन्तुष्ट हैं। ईश्वर उनके इस सन्तोष को भंग करें; इस बात को सभी भले आदमी चाहेंगे।

विनीत

ग० शं० विद्यार्थी

शायद स्वर्गीय विद्यार्थीजी का यह अन्तिम पत्र था।

समाज की महिलाओं में जागृति लाने के लिये आपने काफी परिश्रम किया और आज अपनी सारी शक्ति इसी ओर लगा रही हैं। बड़ा बाजार महिला-परिषद् की स्थापना में आपका भी हाथ था। सन् '३० में आप इस परिषद् की मंत्रिणी चुनी गयीं। लेकिन, अस्वस्थता के कारण अधिक दिनों तक आप इसमें कार्य न कर सकीं।

अगस्त-आन्दोलन में आप मिदनापुर में रहती थीं। उस समय राष्ट्रीय कार्य-कर्त्ताओं को जी खोल कर आपने अपनी सेवाएँ अर्पित कीं।

पता—बालीगंज, कलकत्ता

श्रीमती गंगादेवी मोहता

आप प्रसिद्ध राष्ट्रकर्मी श्रीबालकृष्ण मोहता की धर्मपत्नी हैं। आपके पुत्र श्रीब्रह्मदेव मोहता राष्ट्रीय आन्दोलनों के सिलसिले में जेल की सजा भुगत चुके हैं। आपके पिताजी का नाम स्व० श्रीरामगोपाल शारदा था। जन्म आपका संवत् १९५४ में हुआ। जन्मभूमि बीकानेर रियासत में भिनासर है। आप साधारण हिन्दी जानती हैं। १८ वर्ष की अवस्था में ही आपने परदे का बहिष्कार कर दिया।

सन् '२० के तूफानी दिनों में आप बालिका-विद्यालय में काम करती थीं। हिन्दू-अबलाश्रम में अपने पति के साथ आपने बारह वर्षों तक समाज की सेवा की है। महिला-मण्डल, बीकानेर की आप सभानेत्री हैं।

सन् '३० के आन्दोलन में आप कपड़े की दूकानों पर पिकेटिंग किया करती थीं। फलतः आपको दो महीने की सजा हुई। रिहा होने के बाद आप जुलूसों में शामिल होने लगीं। सरकार ने आपको फिर गिरफ्तार किया और इस अपराध में आपको २० दिन की सजा हुई। अलीपुर जेल में आपने अपना यह प्रवास-काल बिताया।

पता—खचांजी कटला, बीकानेर

श्रीमती सज्जनदेवी महनोत

आप श्रीसरदार सिंह महनोत की धर्मपत्नी हैं। आपका जन्म ग्वालियर राज्य में हुआ। आपके पिताजी का नाम श्रीसुगनचन्द भण्डारी है।

सन् '३०-३१ के आन्दोलन में आपको कई बार जेल जाना पड़ा। इनमें सब से लम्बी सजा ४ महीने की हुई। सन् '४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह में आप गिरफ्तार हुईं और फिर छोड़ दी गयीं। आखिर, सन् '४२ में सरकार ने आपको नजरबन्द कर लिया। जेल से आपकी रिहाई सन् '४६ में हुई।

श्रीसीताराम सेकसरिया

जन्म आपका नवलगढ़ शेखावटी में (राजपूताना) संवत् १९४९ को हुआ। पिताजी का नाम स्व० श्रीनथमल सेकसरिया था। उनकी मृत्यु, आप जब ९ वर्ष के थे, हुई। थोड़े ही दिन बाद आपकी स्नेहमयी जननी का भी स्वर्गवास हो गया। अब आपके लालन-पालन, शिक्षा आदि का सारा भार आपके पितामह के छोटे भाई स्व० श्रीनारायण पर पड़ा।

सार्वजनिक सेवा-भावना आप में जीवन की शुरुआत में ही जागृत हो गयी। उसी समय आपने 'नवलगढ़ विद्या विवर्धन-पुस्तकालय' की स्थापना श्रीमोहनलाल

मुरारका के सहयोग से की। १८ वर्ष की अवस्था में आप कलकत्ता चले आये। यह पूज्य गाँधीजी के दक्षिण अफ्रीका असहयोग आन्दोलन का जमाना था। पत्रों में आप बराबर दिलचस्पी के साथ अफ्रीका की घटनाओं का वर्णन पढ़ा करते थे। इसी समय के लगभग १९१६ के षड़यन्त्र का भंडाफोड़ हुआ। इसमें मारवाड़ी समाज के कई प्रतिष्ठित नवयुवक भी गिरफ्तार हुए। इसी हलचल के कारण 'मारवाड़ी सहायक समिति' का नाम बदल कर 'मारवाड़ी रिलीफ सोसायटी' कर दिया गया। फिर कुछ मारवाड़ी युवकों के साथ मिलकर आपने 'ज्ञान-विवर्धिनी मित्र-मण्डली' की स्थापना की और इसके मन्त्री नियुक्त हुए। इस प्रकार इन सारी हलचलों में आपने प्रमुख भाग लिया।

सन् १९१७ की कलकत्ता-कांग्रेस की सभानेतृ श्रीमती एनी बेसेंट थीं। आप उस अधिवेशन में शामिल हुए। कांग्रेस की ओर आपका झुकाव उसी समय हुआ और तब से बराबर कांग्रेस अधिवेशनों में भाग लेते रहे। सन् १९१९ में अग्रवाल महासभा की स्थापना हुई। उसमें भी आपने उत्साह के साथ भाग लिया। फिर महामना तिलक और महात्मा गांधी कलकत्ता आये। राजनीति में सक्रियता की ओर आपके कदम बढ़ चले।

फिर सन् १९२१ के असहयोग–आन्दोलन का तूफान आया। कलकत्ते में होने वाली कांग्रेसी सभाओं में आप बराबर भाग लेते रहे। ऐसी ही एक सभा में लाठी-चार्ज आपकी उपस्थिति में किया गया। सन् १९२६ में मारवाड़ी समाज में सुधार की एक लहर आयी। कलकत्ते के कुछ उत्साही युवकों ने एक विधवा-विवाह करा दिया। अग्रवाल समाज ने इस कार्य के कारण १२ नवयुवकों को जाति-बहिष्कृत कर दिया। उनमें आप भी एक थे।

सन् '२८ में कांग्रेस का अधिवेशन फिर कलकत्ते में हुआ। साइमन-कमीशन का बहिष्कार और क्रान्तिकारी आन्दोलन की गति तीव्र थी। अधिवेशन से आप प्रसिद्ध देशभक्त स्व० श्रीजमनालाल बजाज के साथ वर्धा गये। पूज्य महात्माजी

के रचनात्मक कार्यों की ओर भी आपका ध्यान गया। फलस्वरूप पहली जनवरी, सन् १९२९ को महात्माजी के कर-कमलों द्वारा शुद्ध खादी-भण्डार, कलकत्ता की स्थापना हुई, जिसकी देखरेख का भार आपको सौंपा गया।

सन् १९२९ के लाहौर-कांग्रेस-अधिवेशन में आप शामिल हुए। इसके बाद ही सत्याग्रह संग्राम हुआ। बड़ा बाजार में पिकेटिंग का कार्य और कार्यकर्त्ताओं का संगठन आपने किया। सरकार ने आपको गिरफ्तार कर ६ महीने तक प्रेसिडेंसी, सेन्ट्रल और दमदम की जेलों में रखा। जेल से रिहा होने के बाद आपने बंगाल के कलकत्ता आदि आठ जिलों में विदेशी वस्त्र-बहिष्कार-समिति की स्थापना की। आन्दोलन जोरों से चला। सन् १९३२ में आप फिर गिरफ्तार हुए। २ महीने तक प्रेसिडेंसी जेल में नजरबन्द रखने के बाद सरकार ने आपको पेरोल पर रिहा किया। लेकिन, दूसरे ही दिन आपने पेरोल तोड़ दिया और जेल चले गये। इस बार सेन्ट्रल जेल में ६ महीने की सजा आपने काटी। 'सी' क्लास में रहने के कारण आपका स्वास्थ्य इस बार खराब हो गया।

जेल से रिहा होने के बाद आपने रचनात्मक कार्यों में विशेष भाग लेना शुरू किया। हरिजन-आन्दोलन, महिला-सुधार आदि के कार्यों में आपने अपना पूरा समय दिया। सन् '३२ में सरकार ने आपको फिर गिरफ्तार किया। इस बार केवल कुछ ही दिन आप प्रेसिडेंसी जेल में नजरबन्द रखे गये। सन् '४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह में आप एक महीना जेल में रहे। सन् '४२ की अगस्त-क्रान्ति में डेढ़ वर्षों तक आप प्रेसिडेन्सी जेल में नजरबन्द रखे गये थे।

राजनीति के अलावा आपने हिन्दी-भाषा और शिक्षा-प्रचार के उत्थान में अपना योग दिया। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन में हिन्दी-साहित्य की सेवा करने वाली महिलाओं के प्रोत्साहनार्थ प्रतिवर्ष 'सेकसरिया-पुरस्कार' के नाम से ५०० रुपये देने की आपने घोषणा की। शुरू में यह पुरस्कार केवल पाँच वर्षों के लिये था। बाद में स्थायी हो गया।

महिला-विद्यापीठ प्रयाग से भी आपका सम्पर्क स्थापित हुआ। इस समय आप उसके अर्थमन्त्री हैं। बनस्थली-विद्यापीठ की स्थापना में भी आपका विशेष हाथ रहा। अपनी लड़की श्रीमती पन्नादेवी की शादी आपने सादगी और सुरुचिपूर्ण वातावरण में की। इसी अवसर पर स्त्री-सुधार कार्य के लिये आपने २५,००० रुपये दान की घोषणा की, जिसका संचालन ट्रस्टीशीप के अधीन होता है।

सन् १९३४ में पं० बनारसीदास चतुर्वेदी के साथ आप स्व० रवीन्द्रनाथ ठाकुरके शान्ति-निकेतन में गये। वहाँ हिन्दी-शिक्षा की स्थायी व्यवस्था के लिये स्व० रवीन्द्र-नाथ ठाकुर ने आपसे हिन्दी-भवन बनवाने के लिये कहा। आपने उद्योग किया और वह बना। इस प्रकार आप स्व० रवीन्द्रनाथ ठाकुर के निजी सम्पर्क में आये और विश्व-भारती के लिये कवीन्द्र ने आपको ही अपना प्रतिनिधि चुना। स्व० रवीन्द्रनाथ का आपके जीवन पर काफी प्रभाव पड़ा और आप उनके पारिवारिक व्यक्ति बन गये।

बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी के आप बहुत वर्षों से सदस्य हैं। अखिल भारतीय-कांग्रेस कमिटी के आप सन् १९३६ से लगातार सदस्य होते आ रहे हैं। बड़ा बाजार-कांग्रेस कमिटी के आप मंत्री रह चुके हैं।

महिलाओं के इलाज के लिये श्रीभागीरथ कानोडिया और दूसरे कई मित्रों की सहायता से आपने मातृ-सेवा-सदन नामक एक अस्पताल की स्थापना की। शुरू से ही आप उसके मंत्री हैं।

पता—पी २६७४, रसा रोड, कलकत्ता

श्रीरामचरण भरतिया

आपके पिताजी का नाम ला० शिवनारायणजी भरतिया है। जन्म आप का आज से करीब ४२ वर्ष पूर्व हुआ। शिक्षा आपने मैट्रिक तक पायी।

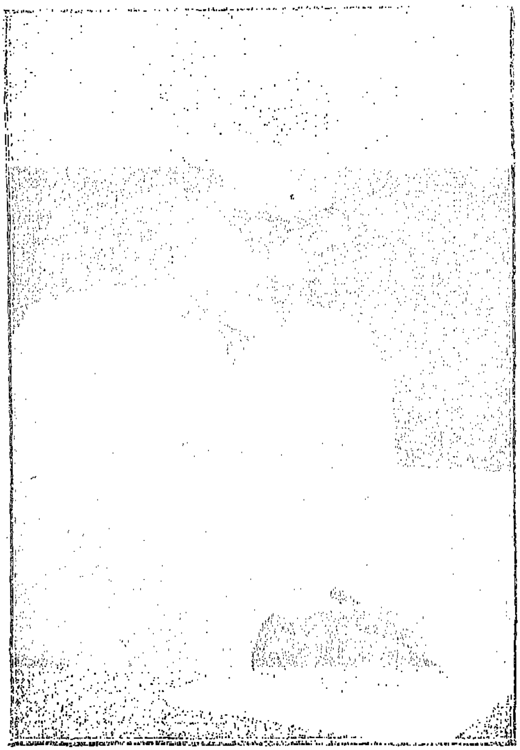
कांग्रेस के कार्यों में आप बहुत दिनों से भाग ले रहे हैं। सन् '२१ में आपने कलकत्ते में एक सभा की। पुलिस ने इसी अपराध में आपको गिरफ्तार कर एक महीने

राष्ट्रीय संग्राम की लामिसाल जोड़ी—



श्रीसरदार सिंह महनोत और श्रीमती सज्जनदेवी महनोत, कलकत्ता

देश और समाज के विद्रोही युवक—



श्रीभँवरमल सिंघी, कलकत्ता

का सपरिश्रम दण्ड दिया। सन् '३० के आन्दोलन में कांग्रेस-बुलेटिन निकालने के अपराध में आप सवा दो वर्ष जेल में रहे। फिर सन् '३१ में इसी अपराध में आपको ६ महीने की सजा हुई। सन् '४० में पाटौदी रियासत के प्रजामण्डल का नेतृत्व करने के कारण रियासती पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया। इस बार आपको एक महीने की सजा हुई। परन्तु, बाद में रियासती सरकार ने मुकदमा उठाकर आपको रिहा कर दिया।

पता—नयागंज, कानपुर

श्रीरामकुमार भुवालका

आपके पिताजी का नाम स्व० श्रीरङ्गलाल भुवालका था। जन्म आपका बीकानेर रियासत के रतनगढ़ में वैशाख शुक्ला तृतीया, संवत् १९५४ में हुआ।

आप ग्यारह वर्ष की अवस्था में ही व्यावसायिक क्षेत्र में आ गये। सार्वजनिक कार्यों की ओर आपका झुकाव शुरू से ही रहा। सन् १९११ में कलकत्ते के हिन्दू-मुसलिम-दंगे में आपने काफी सेवा-कार्य किया। ऐसे कार्यों में आप हमेशा ही निर्भीक रहे। सन् १९१७ में कलकत्ते में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और आप तभी से कांग्रेस के कार्यों में सक्रिय भाग लेने लगे। इसी समय के लगभग हिन्दी-पुस्तक-एजेंसी की स्थापना हुई और श्रीमहावीर प्रसाद पोद्दार के साथ आपका घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हुआ। फिर श्रीमहावीर प्रसाद पोद्दार के विचारों, कार्य-प्रणालियों आदि से आप काफी प्रभावित हुए। मारवाड़ी ट्रेड एसोसियेशन की स्थापना होने पर आपने व्यायाम, शिक्षा और सामाजिक कामों में काफी भाग लेना शुरू किया।

पञ्जाब के जालियानवाला बाग-हत्याकांड की प्रतिक्रिया सारे देश में हुई। कलकत्ते में भी जुलूसों, सभाओं आदि की बाढ़-सी आ गयी। इन हलचलों में आपने पूरी मुस्तैदी और जोश के साथ भाग लिया। इसी साल से आपने खादी पहनना शुरू किया।

सन् १९१९ में अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा की स्थापना हुई। आपने महासभा-द्वारा पास हुए प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिये जी-तोड़ परिश्रम किया। राजनीतिक कार्यों के करते हुए, सार्वजनिक और सामाजिक कार्यों में भी आप पूर्ण उत्साह के साथ भाग लेते रहे।

मारवाड़ी रिलीफ सोसायटी की शुरुआत होने पर आप उसके सदस्य बने और आज तक सोसायटी के द्वारा जन-सेवा एवं अन्यान्य सार्वजनिक कार्यों में भाग लेते आ रहे हैं।

सन् १९२० में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ते में हुआ। फिर १९२१ में बड़ा बाजार जिला कांग्रेस-कमिटी की स्थापना हुई। आपके द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भाग लेने के ये दो प्रमुख वर्ष हैं।

सन् १९२६ में क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों के कारण आप जाति-बहिष्कृत कर दिये गये। विधवा-विवाह को आप प्रारम्भ से ही बल, प्रेरणा और सहयोग देते आये हैं। बाद में आपने स्वयं अपना विवाह एक विधवा से किया। परदा-प्रथा के आप कट्टर विरोधी हैं। अपने घर में आपने सन् १९२० में ही परदा-प्रथा उठा दी।

सन् १९२५ में नवजीवन-मण्डल की स्थापना दिल्ली में हुई, जिसके सभापति श्रीघनश्यामदास बिड़ला और मंत्री श्रीबृजलाल बियाणी और श्रीबसन्तलालजी मुरारका निर्वाचित हुए। वहीं पर मृतक-बिरादरी भोज न करने का प्रस्ताव पास हुआ। इसके कोई १५ दिन बाद आपके पिताजी का देहांत हो गया। तब आपने मृतक-बिरादरी भोज का पूर्णतया परित्याग कर दिया। फिर मृतक-बिरादरी भोज बन्द कराने के लिये आपने पिकेटिंग की।

सन् १९२५ में एक पुस्तक प्रकाशित करने के कारण सरकार ने कुछ दिनों तक आपको नजरबन्द रखा। राजनीतिक आंदोलनों के सिलसिले में आपकी यह पहली नजरबन्दी थी। बाद में कांग्रेस-द्वारा परिचालित सभी आंदोलनों में आपने जेल-यात्रा की।

सन् १९३० का सत्याग्रह-आंदोलन आया। श्रद्धानन्द पार्क में दफा १४४ तोड़ने गये। वहाँ लाठी-चार्ज होने वाला था। फिर भी आपने दफा १४४ तोड़ी ही। सविनय-अवज्ञाकानून कमिटी की ओर से कार्य करते हुए आप गिरफ्तार हुए और ६ महीने जेल में रहे। जून, सन् ३० में देशबन्धु चितरञ्जनदास की पुण्य-तिथि में निकलने वाला जुलूस गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया। लेकिन, जुलूस निकला। सिपाहियों ने लाठी-चार्ज किया। जनता को इस मार से बचाने के लिये आप पुलिस के सामने लेट गये और लाठियों की मार बर्दाश्त की। फिर सन् ३२ में सरकार ने आपको दो-बार नजरबन्द किया। सन् १९३३ में सरकार आपके सम्राट-विरोधी कार्यों से तंग आ गयी। फलतः आप फिर नजरबंद किये गये।

और सन् बयालीस का खूनी आंदोलन शुरू हुआ। कलकत्ते और कई प्रांतों में अगस्त-आंदोलन को सुचारु रूप से चलाने में आप जुट गये। प्रसिद्ध-२-क्रांतिकारी नेताओं से सम्पर्क स्थापित कर आपने आंदोलन की अग्नि प्रज्वलित रखने के काफी प्रयत्न किये। लेकिन, आप सरकार को अधिक दिनों तक धोखे में न रख सके। पुलिस ने गिरफ्तार किया और एक महीना आपको जेल में रखा गया। लेकिन कुछ दिनों तक नजरबन्द रखने के बाद सरकार ने आपको रिहा कर दिया।

बड़ा बाजार की सभी सार्वजनिक संस्थाओं में आपका पूरा हाथ है। मारवाड़ी रिलीफ सोसायटी में आप २५-३० वर्षों और बड़ा बाजार जिला कांग्रेस-कमिटी में सन् १९२१ से हैं। अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा में आप सन् १९१९ से ही कार्य कर रहे हैं। आप बड़ा बाजार कुमार सभा में सन् १९२२ और हिन्दू-रिलीफ कमिटी में सन् १९२९ से हैं। बड़ा बाजार युवक सभा और इण्डियन चेम्बर्स आफ कामर्स की सारी कार्यवाइयों में आप क्रमशः सन् '२६ और ३० से भाग लेते आ रहे हैं। बालिका-विद्यालय, मातृ-सेवा-सदन और बालिका-शिक्षा-परिषद् में लगभग २५-३० वर्षों से आप हैं।

आपका जीवन सर्वदा ही सार्वजनिक, खासकर राजनीतिक और सामाजिक कार्यों के बीच घिरा रहा है। लेकिन, इतना निस्संकोच कहा जा सकता है, संस्थाओं में पद पाने की भावना आपके अन्दर कभी नहीं रही। किसी और के किये काम का श्रेय स्वयं लेने की अभिरुचि आपके स्पष्ट विचार और निर्भीक व्यक्तित्व के स्वभावतः प्रतिकूल पड़ती है और सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तिओं का यह प्रधान गुण माना है। बड़ा बाजार की सार्वजनिक सभाओं में आपका नाम चाहे कमिटी-मेम्बर के रूप में हो, चाहे साधारण, इतना सत्य है, वह वहां है। और आपकी सार्वजनिक सेवा-भावना, राजनीतिक उत्कंठा एवं सामाजिक सुधारों का समस्त केन्द्र वही है।

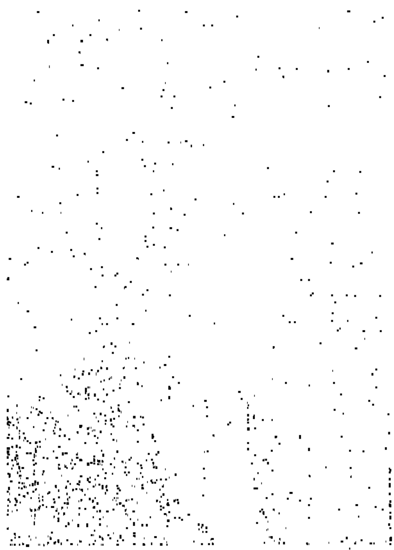
पता-३८-सी, गरचा फर्स्ट लेन, कलकत्ता।

श्रीराधाकृष्ण नेवटिया

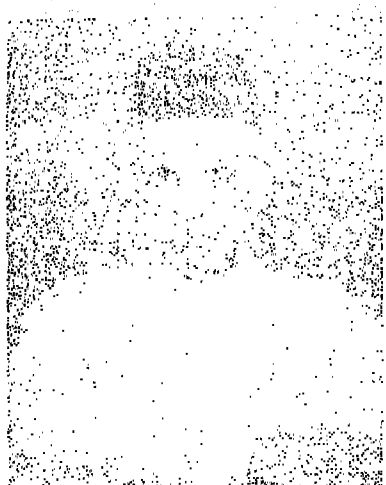
आप का जन्म जुलाई, सन् १९०१ में गाजीपुर में हुआ। दस वर्ष की अवस्था में आप कलकत्ता आ गये। यहीं विशुद्धानन्द विद्यालय में आपकी शिक्षा हुई। बाद में आपका हिन्दी-साहित्य की ओर विशेष झुकाव हुआ। इसी समय श्रीमहावीर प्रसाद पोद्दार की संगति से हिन्दी-साहित्य के पठन-पाठन का आपको विशेष सुअवसर प्राप्त हुआ। फिर आपने हिन्दी-सहित्य- सम्मेलन की 'विशारद-परीक्षा' पास की।

हिन्दी के प्रचार के लिये आपने अथक परिश्रम किया है। बड़ा बाजार में ऐसा एक भी पुस्तकालय न था, जिसमें बैठकर साहित्य-जिज्ञासु अपनी मानसिक तृप्ति कर सकें। अलावे, हिन्दी के अलभ्य प्राचीन-काव्य-ग्रन्थों का पुस्तकालयों में अलग अभाव था। आपने इस पर विचार किया और परिणाम में बड़ा बाजार कुमार-सभा-पुस्तकालय की स्थापना हुई। लगातार बारह वर्षों तक आप उसके मन्त्री-पद पर कार्य करते रहे। अपने अनवरत परिश्रम और अद्भुत लगनशीलता के कारण कुमार-सभा-पुस्तकालय को कलकत्ते का सर्वप्रसिद्ध पुस्तकालय बनने में आपने अटूट सहायता की। आज बड़ा बाजार कुमार-सभा-पुस्तकालय में पुस्तक-

हम आग लगाने आये हैं . .



श्रीराधाकृष्ण नेवटिया, कलकत्ता



श्रीमेघराज सेवक, कलकत्ता

करते थे। इस कार्य में स्व० श्रीजमुनालाल बजाज का आपने काफी सहयोग प्राप्त किया था।

२७ दिसम्बर '२१ में होने वाले अहमदाबाद-कांग्रेस-अधिवेशन में बंगाल की ओर से डेलीगेट होकर आपने भाग लिया। वहाँ से लौटने पर आप बम्बई पहुँचे! सन् '३० का सत्याग्रह-आन्दोलन शुरू हुआ। रचनात्मक कार्यों के संगठन के लिये आपने काफी कार्य किया। फिर आन्दोलन की आपने आर्थिक सहायता भी की। महेश बथान में नमक-सत्याग्रह चल रहा था। सत्याग्रहियों के जत्थों को आप गुप्त रूप से तैयार करते थे। उनके खाने-पीने, ठहरने आदि की व्यवस्था भी आपको करनी पड़ती थी। पुलिस चेष्टा करते-२-थक गयी। लेकिन सत्याग्रह करने वालों का तांता एक दिन भी नहीं टूटा। यह सब आपकी अद्भुत कार्यक्षमता, सफल संचालन-पद्धति और कार्य-संगठन-कौशल का परिचायक है।

आप गया में होनेवाले कांग्रेस-अधिवेशन में भी बंगाल के एक डेलीगेट के रूप में शामिल हुए। बाद सन् '४० का व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ। इसमें भी आपने उत्साह-पूर्वक भाग लिया। कलकत्ते में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आपने गुप्त रूप से संचालन किया। सत्याग्रहियों को प्रत्येक प्रकार की सामयिक सहायता प्रदान करने के पीछे आपकी ही शक्ति कार्य कर रही थी।

साल सन् १९३२ का था। कलकत्ते में आपने स्वदेशी प्रदर्शनी खोली। जिसका उद्घाटन सुभाष बाबू ने किया था। इस प्रदर्शनी में आन्दोलन के सिलसिले में पुलिस-द्वारा स्त्रियों पर किये जानेवाले अत्याचार के दृश्य मिट्टी के बर्तनों पर अंकित थे। पुलिस को इस बात का पता चल गया। एक दिन अचानक प्रदर्शनी में आकर उसने उन 'माडलों' के साथ आपको वहीं गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा चलाकर सरकार ने आपको एक दिन की सजा दी। सन् '३२-३३ में कलकत्ते में कांग्रेस का जो चुनाव हुआ, उसमें बड़ा बाजार जिला कांग्रेस-कमिटी (वार्ड नं० ७) के आप सभापति चुने गये।

सन् '४२ की अगस्त-क्रान्ति। खून के दिन और तूफानी रातें! गोलियों की मार एक बार फिर तेज हो गयी। निहत्थी जनता पर अंगरेजों ने अपनी सारी बहादुरी का अन्त कर दिया। कलकत्ता शुरू में शान्त था। बम्बई की मीटिंग से वापस लौटने वाले श्रीबसन्तलाल मुरारका और श्रीसीताराम सेकसरिया हावड़ा स्टेशन पर ही गिरफ्तार कर लिये गये। आपने पक्का निश्चय कर लिया, चाहे जिस तरह भी हो, आन्दोलन की आग जलनी रखनी होगी।

'करो या मरो' वाला महात्माजी का उद्‌बोध भारत के आसमान में प्रतिध्वनित हो रहा था। बंगाल में आन्दोलन के रूप को सर्वव्यापी बनाने के लिये लेक रोड में एक सभा हुई। वहीं पर आन्दोलन के गुप्त संचालनार्थ सात आदमियों की एक कमिटी बनी। उनमें एक आप भी थे। फिर जब कमिटी के चार सदस्य एक-एक गिरफ्तार हो गये, उस समय आन्दोलन का शान और उत्साह के साथ आपने कार्य संचालन किया। आपके जीवन की वे सबसे अधिक खतरनाक घड़ियाँ थीं। पुलिस खिसियायी हुई आपकी गिरफ्तारी का वारंट लेकर चारों ओर दौड़-धूप कर रही थी, खुफिया विभाग वाले आपका पता लगाने के लिये आकाश-पाताल एक कर रहे थे, लेकिन आप शान्तचित्त, चेहरे पर उपेक्षा-भरी मुस्कुराहट लिये गुप्त आन्दोलन का संचालन कर रहे थे।

उक्त कमिटी ने ही 'करो या मरो' नामक दैनिक हिन्दी और अंगरेजी बुलेटिनें निकालने का तय किया। रात में सुभाष बाबू द्वारा रेडियो पर दिये गये भाषण और भारत में चल रही क्रान्ति की खबरें शानके साथ 'करो या मरो' पत्र में प्रकाशित होने लगीं। पत्र लाख बाधाओं के बावजूद भी बराबर निकलता रहा। परिश्रम करके पुलिस थक गयी, परन्तु पता न लगा सकी। बंगाल में आन्दोलन की गति धीमी न पड़ने देने के लिये कार्यकर्त्ताओं को आर्थिक सहायता देने का आपने प्रबन्ध किया। इन्हीं दिनों बयालीस के गर्वीले वीर श्रीजयप्रकाश नारायण, श्रीमती अरुणा आसफअली श्रीअच्युत पटवर्धन आदि आये। आपके मकान पर उनकी उपस्थिति में सभाएँ होती

रहीं। भागलपुर के फरार ब्रह्मचारीजी और ६ फीट लम्बे श्रीसियाराम शरण भी कलकत्ता आये। इन्हें छिपाकर कार्य करने में आपकी चतुरता और परिस्थिति की जानकारी का पता चलता है। सुभाष बाबू के साथ सम्पर्क कायम करने की आपने बार-बार चेष्टाएँ कीं, आसाम के कार्यकर्त्ताओं से सम्बन्ध स्थापित किया। इन कार्यों में आपके द्वारा लाखों रुपये खर्च हुए।

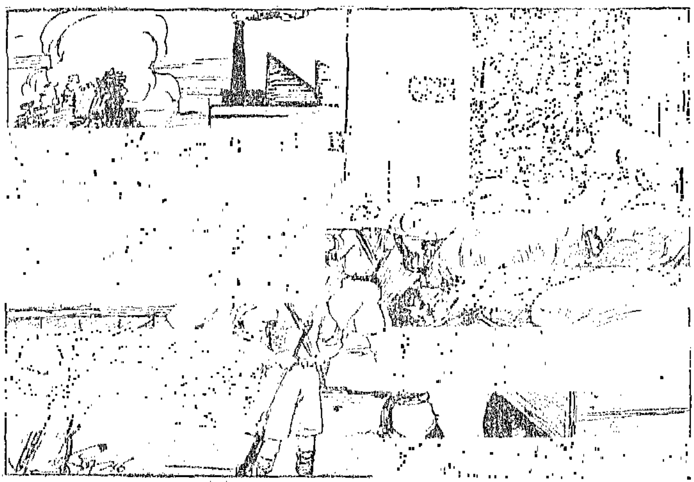
सन् '४६ में बंगाल प्रान्तीय-कांग्रेस कमिटी के डेलीगेटों का चुनाव हुआ, जिसमें आप भी एक चुने गये। उसी साल आप अखिल भारतीय कांग्रेस-कमिटी के सदस्य हुए। जब शरत् बाबू जेल से छूट कर आये उस समय उन्हें एक लाख की जो थैली दी गयी, उसमें श्रीवसन्तलाल मुरारका की सहायता से आपने यथेष्ट कार्य किया। उक्त थैली प्रदान करने वाली कमिटी के आप ही कोषाध्यक्ष थे। फिर आप बड़ा बाजार कांग्रेस कमिटी के उपसभापति निर्वाचित हुए और इस कमिटी के कार्यों को सुचारु ढंग से चलाने के लिये मित्रों की सहायता से आपने १०,००० रु० इकट्ठे किये।

आपकी सार्वजनकि सेवाएँ भी अनुकरणीय हैं। श्रीनागरमल लहौला ने जिस लड़की के साथ विधवा-विवाह किया। वह तीन दिनों तक आपके ही घर में रही। अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन की संस्थापना में आप का जबर्दस्त हाथ रहा। शुरू से ही सम्मेलन के साथ आपका निकट सम्पर्क रहा है।

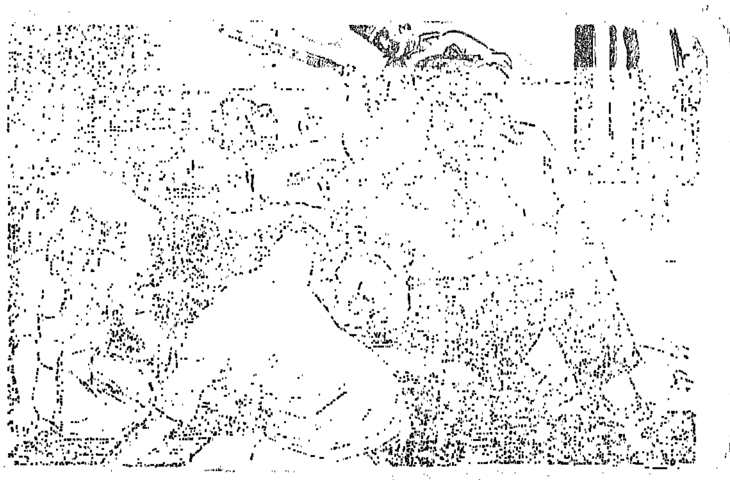
कलकत्ते से प्रकाशित होने वाले अग्रवाल महासभा के मुख मासिक पत्र 'मारवाड़ी अग्रवाल का दो वर्षों तक आपने सफल सम्पादन किया। सम्मेलन के मुख साप्ताहिक पत्र 'समाज-सेवक' के सम्पादन एवं संचालन करने वाले पाँच व्यक्तियों के एक बोर्ड के आप भी सदस्य थे। सन् १९४५ में वार्ड नं० ५, से कलकत्ता कारपोरेशन के आप कौंसिलर चुने गये।

पता—१८५ हरिसन रोड, कलकत्ता

बंगाल-प्रान्त



दानीपुर के ढाई हजार व्यक्तियों ने चावल बाहर भेजने का विरोध किया। फलस्वरूप पुलिसने गोलियां चलायीं जिससे ३ आदमी मर गये।



अलीपुर कैम्प जेलमें जेल-सुपरिंटेंडंट ने कैदियों के सिरों, कंधों और हाथों पर लट्ठ बरसाये।

श्रीमेघराज सेवक

शिक्षा आपने गुरु फूलचन्दजी के यहाँ शुरू की। फिर विशुद्धानन्द-विद्यालय में पढ़ने लगे। १० वीं श्रेणी में आप अध्ययन कर रहे थे कि घर से पिताजी स्व० श्री-अर्जुनदास सेवक की सख्त बीमारी की खबर पहुँची ! आप घर गये। परन्तु,बीमारी ने आप के पिताजी का पिण्ड नहीं छोड़ा ! वे संवत् १९७४ में चल बसे। शादी आप की १४ वर्ष की अवस्था में हुई। उधर पिताजी काल-कवलित हुए और इधर पढ़ाई बन्द कर आप सुतापट्टी के एक फर्म में बही-खाते का काम करने लगे। फिर शेयर बाजार में आपने दलाली का काम शुरू किया।

आपका राजनीतिक जीवन यों तो सन् '३० से शुरू होता है, लेकिन उसका बीज सन् '२१ में ही पड़ गया था। कलकत्ते में स्व० पं० मोतीलालजी नेहरू के आगमन ने आपकी राष्ट्रीय भावनाओं को एक हद तक उभारने में काफी काम किया।

फिर सन् '३० आया। खादी भण्डार से जुलूस निकला। श्रीसीताराम सेकसरिया और श्रीवसन्तलाल मुरारका ने आपको आन्दोलन में शामिल होने के लिये आमन्त्रित किया तीसरे दिन ही सुतापट्टी में स्त्रियों से पिकेटिंग कराने के कार्यक्रम का आप संचालन कर रहे थे कि गिरफ्तार कर लिये गये। मुकदमा चलाकर आपको तीन महीने की सजा दी गयी। बाहर से जेल में आपने बीमारी की हालत में प्रवेश किया। वहाँ खाने-पीने की असुविधा होने से आप का स्वास्थ्य एकदम गिर गया। इसी बीच कमिश्नर मि० टेगार्ट ने बन्दूकों और डण्डों से ८०० सत्याग्रहियों को पिटवाया। बस, आमरण-अनशन शुरू होगया ! शुरू में ४०० आदमी इसमें शामिल हुए। दो-तीन दिन बाद केवल ५० आदमी ही अनशन करते बच गये। सात दिनों के बाद यह अनशन भंग हुआ। अब आपको बरहमपुर जेल भेज दिया गया।

जेल से बाहर आने पर आपने प्रचार कार्य शुरू किया। बुलेटिनें लिखने का काम श्रीरघुनाथ प्रसाद सिंहानिया करते थे। कार्टून का सारा भार प्रसिद्ध साहित्यिक स्व० पं० माधव शुक्ल को सौंपा गया था। तब आप रात में लिलुआ में अवस्थित बिड़लाजी

के बगीचे वाली अपनी डेयरी में रहा करते थे। दिन में कलकत्ता आकर काम करते थे। एक दिन सुबह ४ बजे कलकत्ता खुफिया-विभाग के राय साहब सूर्यनारायण सिंह ने चारों तरफ से बगीचा घेर लिया। बुलेटिनों की पुलिस ने काफी खोज की। लेकिन, मिला कुछ नहीं। उसी दिन राजा द्विजेन्द्र स्ट्रीट में रात को सभा हुई। श्रीसीताराम सेकसरिया ने आपकी गिरफ्तारी की बात बतलायी। दूसरे दिन सुबह बड़तल्ला-स्थित अपने भाई के मकान में आप पकड़े गये। इस बार २० दिनों तक आपको प्रेसिडेंसी जेल में रखा गया। यह सन् १९३२ की घटना है।

जेल से छूटने पर आपने फिर बुलेटिनों का कार्य शुरू किया। इस बार पकड़े जाकर सात दिन आप प्रेसिडेंसी जेल में रखे गये। छूटने पर फिर पकड़े गये और चार दिनों तक प्रेसिडेंसी जेल में नजरबन्द रहे। बीच में दस वर्ष निकल गये। ४० का जमाना भी ऐसे ही चला गया। तब आया सन् '४२ का भारतीय इतिहास में अमर अगस्त-आन्दोलन! आप फरार हो गये। इस समय बयालीस के प्रसिद्ध क्रान्तिकारी नेता डा० राममनोहर लोहिया, श्रीमती अरुणा आसफअली आदि से बराबर आपका सम्पर्क रहा।

अपने फरार जीवन में प्रचार-कार्य करते हुए आप भागलपुर (बिहार) गये। पुलिस को वहाँ पता लगा कि आप सियारामशरण जी और उनके दल की सहायता करते हैं। इसलिये जिस मकान में आप रहते थे, पुलिस ने उसपर छापा मारा। परन्तु, उसी समय बड़ी हिम्मत के साथ बगल वाले मकान की छत फाँद कर आप भाग निकले। फिर कई मील पैदल चल दूसरे स्टेशन पर आपने गाड़ी पकड़ी और कलकत्ता आ गये। यहाँ कुछ ही दिन रहने के बाद भागलपुर का वारंट कलकत्ता खुफिया पुलिस के पास पहुँचा। आपको गिरफ्तार करने की फिराक में पुलिस लग गयी। जिस दिन सुबह चार बजे पुलिस-द्वारा आपका मकान घेर लिया गया, उसी रात के १० बजे पुलिस-विभाग से ही इस धर-पकड़ और छापा मारने की खबर मिल जाने के कारण आप २ घंटे बाद ही श्रीराधाकृष्ण नेवटिया के घर चले गये। छ-सात घंटे

तक पुलिस आप के मकान की तलाशी लेती रही। लेकिन आप तो रात में ही पुलिस को बेवकूफ बना निकल गये थे। फरार की हालत में आप दो महीने तक श्रीराधाकृष्ण नेवटिया के मकान में रहे। इसी बीच आप के लड़के की शादी हुई। शादी में स्वयं शरीक न होकर अपने मित्रों द्वारा ही आपने सब प्रबन्ध कराया। पुलिस को ऐसी उम्मीद थी, शादी में आप अवश्य ही शामिल होंगे और इस प्रकार गिरफ्तार कर लिये जायंगे। लेकिन, ऐसा अवसर आया नहीं।

आपका जन्म कलकत्ते के नारायणप्रसाद स्ट्रीट में कार्त्तिक कृष्णपक्ष एकादशी, संवत् १९६० को हुआ। आपका सार्वजनिक जीवन भी बड़ा सुन्दर है। परदा-निवारण-आन्दोलन के खिलाफ आप अपना पूरा सहयोग देते हैं। मृतक-बिरादरी भोज के खिलाफ भी आपने सराहनीय उद्योग किया है। सन् १९३४ के बिहार-भूकम्प में मारवाड़ी रिलीफ-सोसायटी की ओर से दरभंगा जिले के समस्तीपुर में आप सहायता-कार्य करने गये थे। ८-९ महीने तक आपने वहां काम किया।

पता—१३।१, हरिसन रोड, कलकत्ता

स्व० श्रीहीरालाल लोहिया

आपकी आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं थी। फिर भी आपने डा० राममनोहर लोहिया को विदेश भेजकर उनकी उच्च शिक्षा का प्रबन्ध किया। इस प्रकार के सराहनीय कार्य कर आपने डा० राममनोहर लोहिया के रूप में देश को एक ऐसा पुत्र-रत्न प्रदान किया, जिस पर आज सारा हिन्दुस्तान अभिमान करता है। आप हिसाब-किताब के अच्छे जानकारों में थे।

सन् '२१ के आन्दोलन में आपने पहली बार जेल-यात्रा की। फिर सन् '३३ में आपकी दूसरी जेल-यात्रा हुई। तीसरी बार आप सन् '४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह-आन्दोलन में जेल गये।

आप निर्भीक विचारों के व्यक्ति थे। जब कभी आप गिरफ्तार हुए, पुलिस के बीच आप बराबर बहादुरी और निर्भीकता के साथ राष्ट्रीय नारे लगाया करते थे।

एक बार दिल्ली में राष्ट्रीय झण्डा फहराने के उद्देश्य से कुछ स्वयंसेवकों के साथ आपने कलकत्ते से दिल्ली की पैदल यात्रा की। आप बड़ा बाजार कांग्रेस-कमिटी की कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे। इसी कमिटी के अन्तर्गत चरखा-प्रचार-समिति के आप मन्त्री थे। आप जनता में चरखे का प्रचार करने के लिये उसका वितरण किया करते थे। सन् '४२ के आन्दोलन में आप फिर गिरफ्तार हुए। सन् '४२ में ही बस में बैठे आप कहीं जा रहे थे कि अचानक हृदय की गति अवरुद्ध हो जाने से आपकी मृत्यु हो गयी। आपकी मृत्यु के बाद बड़ा बाजार के राष्ट्रकर्मियों की सहायता एवं लगन से आपका एक शानदार जुलूस निकाला गया।

श्रीमती भगवानदेवी सेकसरिया

आपके पिताजी का नाम स्व० श्रीगणपतिरामजी था। जन्म आपका संवत् १९५६ में नवलगढ़ (राजपूताना) में हुआ। सामाजिक कार्यों की ओर आपकी अभिरुचि बहुत पहले हुई! सन् १९२७ में ही आपने परदा छोड़ा और तब से आप बराबर सामाजिक कार्यों में अपना सक्रिय सहयोग दे रही हैं।

सन् १९३० के सत्याग्रह-आन्दोलन में गांधीजी ने महिलाओं को विदेशी वस्त्र-बहिष्कार और शराब बन्दी के लिये पिकेटिंग करने का आदेश दिया। तब आपने कई दिनों तक कलकत्ते के विदेशी कपड़ों की दूकानों पर पिकेटिंग की। उन दिनों की सभाओं, जुलूसों आदि में भी आपने काफी भाग लिया। फिर इसी पिकेटिंग के सिलसिले में आपको जेल की सजा हुई। गांधी-इरविन समझौते के बाद विदेशी वस्त्र-बहिष्कार-समिति की ओर से जो काम हुआ था, उसमें कई महिनों तक लगातार घर-घर जाकर आपने खादी-फेरी की और विदेशी वस्तुएँ छोड़ने की प्रतिज्ञाएँ ली। सन् १९३२ में मारवाड़ी समाज में मृतक-बिरादरी-भोज की पिकेटिंग हुई, उसमें आपने भाग लिया। और इस सिलसिले में आपने रानीगंज आदि स्थानों में जाकर पिकेटिंग की।

सन् १९३४ में कलकत्ते में परदा-निवारक सम्मेलन की, जो श्रीमती जानकी देवी बजाज की अध्यक्षता में हुआ था, स्वागत-समिति की आप मन्त्रिणी रहीं। समाज-सुधार और राजनीति-सम्बन्धी जितने भी कार्य होते हैं, उनमें आप सोत्साह भाग लेती हैं।

स्व० श्रीमती चमेलीदेवी

आप एक बहुत ही निर्भीक राष्ट्रीय कार्यकर्त्री थीं। सन् १९३० के आन्दोलन में आपने कई महीनों तक कलकत्ते में विदेशी वस्त्रों की दूकानों पर प्रभावशाली पिकेटिंग की और इसी आन्दोलन में, गर्भावस्था में ही, आप जेल गयीं। जेल में प्रश्रय होने के बाद आप वहां बीमार पड़ीं और बीमारी बढ़ जाने पर आपको सरकार ने कुछ शर्तों पर रिहा करने के लिये कहा तो आप अपने निर्भीक स्वभाव के अनुसार उत्तर दिया कि शर्त 'मैं क्या स्वीकार करूँ, मेरी लाश भी नहीं करेगी?' हालत खराब हो जाने पर सरकार को विबस होकर आपको छोड़ना पड़ा, लेकिन, बाहर आने पर भी अवस्था सुधरी नहीं और आप की मृत्यु हो गयी। जिस नारी-सत्याग्रह–समिति में आप कार्य करती थीं, उसने आपके शोकमें एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला और आपके शोक में एक बहुत बड़ी सभा हुई। आपकी पुत्री श्रीमती सरस्वतीदेवी आपके जीवन और उसके बाद भी राजनीति और सार्वजनिक कार्यों में भाग लेती रहीं। यह आपकी शिक्षा और चरित्र का प्रभाव था।

श्रीमती सरस्वतीदेवी

आप स्व० श्रीमती चमेली देवी की पुत्री हैं। आपने भी सन् १९३० की पिकेटिंग में अपनी माता के साथ काफी कार्य किया। इसी में आप जेल गयीं।

स्व० श्रीमती देवी रांका

आप श्रीसरदार सिंह महनोत और श्रीमती सज्जन देवी महनोत की भतीजी थीं। सन् १९३० के आन्दोलन में अपनी चाची श्रीमती सज्जनदेवी महनोत के साथ आपने

आन्दोलन में काफी भाग लिया। कई महीनों विदेशी वस्त्रों की दूकानों पर आपने पिकेटिंग की। इसमें आपको दो बार जेल की सजा हुई। आप बहुत ही सरल और ओजस्वी विचारों की महिला थीं। बाद में आपका विवाह श्रीपूनमचन्द रांका (नागपुर) के छोटे भाई के साथ हुआ। नागपुर में भी आप सार्वजनिक कार्यों में भाग लेती रहीं। आपकी असामयिक मृत्यु से मारवाड़ी समाज की एक अच्छी कार्यकर्त्री महिला का स्थान रिक्त हो गया।

श्रीयमुना प्रसाद पाण्डेय

आपके पिताजी का नाम स्व० श्रीगिरधारीलाल सेवक था। आज से कोई ४४ साल पहले आपका जन्म बीकानेर में हुआ। शिक्षा आपकी साधारण हिन्दी की है। बड़ाबाजार कांग्रेस-कमिटी के आप शुरु से ही सदस्य हैं।

सन् '२१ के आन्दोलन से ही राष्ट्रीय हलचलों में आप सक्रिय भाग लेते आ रहे हैं। उस समय आपकी अवस्था केवल १५ वर्ष की थी। १५ दिनों के लिये आपको प्रेसिडेंसी जेल में कैद किया गया था। दूसरी बार नमक-सत्याग्रह में आपको ३ महीने प्रेसिडेंसी और ८ दिन अलीपुर सेंट्रल जेल में रखा गया। यह सजा आपको महेश बथान स्थान में गैरकानूनी नमक बनाने के कारण हुई। पुलिस के आने पर आप नमक की कड़ाई लेकर पोखरे में कूद गये। आप पर मार पड़ी और अत्याचार किये गये।

बयालीस के अगस्त-आन्दोलन में कलकत्ते से निकलने वाली विप्लवी विज्ञप्ति 'करो या मरो' के प्रचार का कार्य आपने ही किया। आन्दोलन-सम्बन्धी खबरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचाने का कार्य भी आपने किया। झरिया के कोयले की खान से डायनामाइट लाने की बात जिस समय तय हुई, उस समय उसे लाने का जिम्मा किसी ने भी लेना स्वीकार नहीं किया। यह आपकी ही बहादुरी थी कि झरिया जाकर आपने डायनामाइट लायी। पुलिस आपको पकड़ने की काफी चेष्टा करती रही। एक दिन मूनलाइट सिनेमा में आप नृत्य-कला सिखा रहे थे कि पुलिस

आपको गिरफ्तार करने के लिये पहुँची। उस समय संयोगवश एक मित्र से बात करने के लिये आप भीतर से बाहर आये ही थे कि पुलिस ने आप से पूछा—'यमुना पाण्डेय कहाँ हैं?' दूर पुलिस की लारी खड़ी थी। सादी वर्दी में रहने पर भी आप पहचान गये कि यह पुलिस है और गिरफ्तार करने के लिये आयी है। आपने जवाब दिया—'भीतर हैं। आपलोग ठहरिये, मैं बुला लाता हूं।' सिनेमा में घुसकर औरतों के निकलनेवाले रास्ते से आप भाग निकले।

आपका समय नृत्य-कला के उत्थान और प्रचार में ही अधिक व्यतीत होता है। हिन्दी-नाट्य-परिषद्, कलकत्ता के आप प्रारम्भ से ही एक प्रमुख सदस्य हैं।

पता—२२ बांसतला गली, कलकत्ता

श्रीबृजलालजी गोयनका

आप एक तपे-तपाये और स्पष्टवक्ता कार्यकर्त्ता हैं। आपका स्वभाव सरल है और सचाई विरासत में मिली है। उच्च एवं अधिकारी व्यक्ति का सैद्धान्तिक मतभेद होने पर, आप सगर्व विरोध कर बैठते हैं।

कांग्रेस के आन्दोलन में आप प्रारम्भ से ही भाग ले रहे हैं। सन् '३० के आन्दोलन में आपने सक्रिय भाग लिया। फलस्वरूप पुलिस की बेहिसाब लाठियों का सामना आपको करना पड़ा। और यह मार इतनी कड़ी और भयावह थी कि आप बेहोश हो गये। इतनी सख्त चोट बर्दाश्त न कर सकने के कारण आपका मस्तिष्क विकृत हो गया। नीरोग होने पर आप गिरफ्तार कर दूसरी बार जेल भेजे गये। लाठी की मार खाने से पहले आपको एक बार और जेल जाना पड़ा था।

इसके बाद आप नवलगढ़ चले गये। वहाँ भी आपने प्रजा-मण्डल के आन्दोलनों में सक्रिय हिस्सा लिया। नवलगढ़ के राष्ट्रीय आन्दोलनों में आपका स्थान सर्वदा प्रथम रहा। रियासत-सम्बन्धी सभी आन्दोलनों में आप बराबर भाग लेते रहे।

श्रीहरिराम बगड़िया

आपकी अवस्था इस समय लगभग ३५ वर्षों की है। आप एक उत्साही कार्यकर्त्ता हैं। सन् '३० के नमक-सत्याग्रह-आन्दोलन में आपने सक्रिय भाग लिया। बड़ा बाजार से महेश बथान नामक स्थान में सत्याग्रहियों का एक जत्था गया। डा० सतीश बाबू के तत्वावधान में आपने भी वहां नमक बनाकर सरकारी कानून की अवहेलना की। फलतः गिरफ्तार कर लिये गये। जेल में आप करीब ३ महीने रहे। आजकल आप स्टोर सप्लाई का काम करते हैं।

श्रीनथमल सराफ

कांग्रेस के आप एक लगनशील कार्यकर्ता हैं। राष्ट्रीय आन्दोलनों में आपने काफी भाग लिया है। सन् १९३० के सत्याग्रह-आन्दोलन में भाग लेने के कारण सरकार ने आपको गिरफ्तार कर ६ महीने जेल में रखा।

श्रीबनवारीलाल झुन्झारसिंहका

आपका जन्म पौष शुक्ला द्वितीया, संवत् १९६४ में हुआ। कांग्रेस के कार्यों में आपकी शुरू से ही अभिरुचि रही। कांग्रेस-आन्दोलनों में आपने बराबर भाग लिया है। सन् १९३० के सत्याग्रह-आन्दोलन में आप कलकत्ते में गिरफ्तार हुये और ६ महीने जेल में रहे। सन् बयालीस की अगस्त-क्रान्ति में आपको सरकार ने कैद कर लिया। बीस दिनों तक जेल में रखने के बाद आप छोड़ दिये गये।

पता—हिन्द-स्टोर सप्लायिंग कम्पनी
१८ काली गोदाम, कलकत्ता

श्रीचिरंजीलाल सराफ

आप ओजस्वी विचारों के एक युवक कार्यकर्त्ता हैं। बंगाल में सन् '३०-३२ के दमन-चक्र में हजारों युवक, बिना मुकदमा चलाये जेलों में बन्द कर दिये गये।

उस समय मारवाड़ी समाज के आप पहले युवक थे, जिनको सरकार ने जेल में 'डिटेन' किया था। फिर आप पर मुकदमा चलाकर जेल की सजा हुई। इसके बाद आप मजदूरों के कार्यों में भाग लेते रहे।

श्रीनथमल अग्रवाल

कांग्रेस के कार्यों में आप बहुत दिनों से भाग लेते आ रहे हैं। राष्ट्रीय आन्दोलनों में आपने सक्रिय हिस्सा लिया है। सन् १९३० के आन्दोलन में सरकार ने आपको गिरफ्तार कर ६ महीने जेल में रखा।

श्रीनारायण शर्मा

राष्ट्रीय कार्यों की ओर आपका झुकाव बहुत पहले हुआ। कांग्रेस के राष्ट्रीय और राजनीतिक कार्यों में आप बराबर भाग लेते रहे हैं। सन् १९३० के आन्दोलन में आप गिरफ्तार हुए और ६ महीने जेल में रहे।

श्रीहनुमान प्रसाद बाजोरिया

आप कांग्रेस की प्रत्येक हलचल में पूरी दिलचस्पी रखते हैं। राष्ट्रीय आन्दोलनों में आपने बराबर भाग लिया है। सन् १९३० के सत्याग्रह-आन्दोलन में आपको ६ महीने की सजा हुई।

श्रीरामकिसन सरावगी

कांग्रेस के कार्यों में आप पूरा भाग लेते हैं। राष्ट्रीय आन्दोलनों को आपकी सक्रिय सहानुभूति मिलती रही है। सन् १९३० के सत्याग्रह-आन्दोलन में आपको सरकार ने गिरफ्तार कर ६ महीने जेल में रखा।

स्व० श्रीमदनगोपाल जोशी

आप कांग्रेस के एक प्रधान कार्यकर्त्ता थे। राष्ट्रीय कार्यों में आपने सन् २० से भाग लेना शुरू किया था। असहयोग-आन्दोलन में आपने काफी काम किया था।

आप बड़ा बाजार कांग्रेस कमिटी के एक सम्मानित सदस्य थे। आपने नमक-सत्याग्रह में भाग लिया और जेल गये। आप एक निर्भीक और स्पष्ट वक्ता व्यक्ति थे।

डा० राममनोहर लोहिया

समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी के आप भारत-विख्यात नेता हैं। आपकी प्रारम्भिक शिक्षा बम्बई में हुई। वहीं से 'डाक्टरेट' पदवी प्राप्त करने के लिये आप जर्मनी गये।

आपके पिताजी स्व० श्रीहीरालाल लोहिया भी अपनी राष्ट्रीयता और देशप्रियता के लिये प्रख्यात हैं। इस प्रकार देश पर मर मिटने की भावना आपको पैतृक-सम्पत्ति के रूप में मिली है। चौदह वर्ष की अवस्था में आपने गया में होने वाले कांग्रेस-अधिवेशन में भाग लिया। सन् १९३३ में आप जर्मनी से वापस हुए। उस समय नवस्थापित कांग्रेस-समाजवादी दल में आप शामिल हो गये। थोड़े ही दिन बाद आपका उक्त दल में एक प्रमुख स्थान हो गया। समाजवादी दल के प्रधान पत्र 'कांग्रेस-सोशलिस्ट' का आपने सम्पादन भी किया है।

पं० जवाहरलालजी नेहरू के कहने पर आपने सन् १९३५ में कांग्रेस के विदेशी विभाग का उत्तरदायित्व सम्हाला। आप कई विदेशी भाषाओं के ज्ञाता हैं। अन्तर्राष्ट्रीय इतिहास और राजनीति का आपका ज्ञान महत्त्वपूर्ण है। सन् १९३८ में आप अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस-कमिटी के सदस्य चुने गये।

परन्तु, आपकी प्रतिभा, कार्यक्षमता एवं संचालन-शक्ति का परिचय आम जनता को सन् '४२ के आन्दोलन में मिला। उन दिनों जनता का कोई भी जान-पहचानी नेता जेल के बाहर न था। आपने ही अट्ठारह महीनों तक ऐसी जनता का सफल नेतृत्व कर बयालीस के अगस्त-आन्दोलन को भारतीय इतिहास में अमर होने का स्वर्ण-सुअवसर प्रदान किया। आन्दोलन के जमाने में कांग्रेस-रेडियो आपकी ही योग्यता और बुद्धिमत्ता से शुरू हुई जिसका आपने अन्त तक संचालन किया। 'लिनलिथगो,' 'हेलेट' और 'लॉस्की' के नाम लिखे गये, आपके पत्र ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त कर चुके हैं। आप एक सिद्धहस्त लेखक और स्पष्ट वक्ता हैं।

श्रीभँवरमल सिंघी

आपके पिताजी का नाम श्रीइन्द्रचन्द्र सिंघी है। जयपुर में ९ अगस्त, सन् १९१४ को आपका जन्म हुआ।

सन् १९३६ में आपने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से बी० ए० की परीक्षा पास की। काशी के अपने अध्ययन-काल में ही आपने राजनीतिक एवं साहित्यिक सेवाओं में योग देना शुरू किया। उस समय आपके लेखादि अक्सर हंस, जागरण, माधुरी, आज, लेखक, सहेली आदि पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ करते थे।

बी० ए० कर लेने के बाद ही आप कलकत्ता चले आये। अपनी सेवा-भावना और कर्मठता के कारण बड़ाबाजार के सार्वजनिक जीवन में आपका एक विशेष स्थान हो गया। समाज-सुधार-सम्बन्धी कार्यों में भी आपने पूरी तत्परता के साथ भाग लिया। मारवाड़ी छात्रसंघ, कलकत्ते के प्रधान मन्त्री (सन् १९३७-३८) की हैसियत से आपने मारवाड़ी नवयुवकों का संगठन किया। 'ओसवाल-युवक' का सम्पादन भी आप उस समय करते थे। 'वेदना' नामक आपका एक गद्य-काव्य उन्हीं दिनों प्रकाशित हुआ।

सन् १९४१ में आप अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन के संयुक्त प्रधान मन्त्री और साप्ताहिक 'समाज-सेवक' की संचालन-समिति के सदस्य बने। 'तरुण जैन-संघ' के आप अध्यक्ष और उसकी ओर से प्रकाशित मासिक पत्र 'तरुण जैन' के सम्पादक हैं।

सन् १९४२ की अगस्त-क्रान्ति में आपने चार महीने तक लगातार आन्दोलन का कार्य किया। आसाम और उड़ीसा के कतिपय कार्यकर्त्ताओं से बराबर बंगाल का सम्पर्क आपने कायम रखा। इसी सिलसिले में आपने संयुक्त प्रान्त, बम्बई और मध्य-प्रान्त का दौरा किया। २२ नवम्बर, सन् '४२ को आप गिरफ्तार हुए और सिक्यु-रिटी कैदी बनाकर प्रेसिडेंसी जेल भेज दिये गये। यहाँ आपने स्वाध्याय की ओर

अधिक ध्यान दिया और कलकत्ता-विश्वविद्यालय से आपने एम० ए० की परीक्षा पास की। बीमारी की हालत में मार्च, सन् '४५ में आप रिहा हुए। परन्तु, सरकार ने आप पर 'बंगाल-प्रवेश-निषेधाज्ञा' लगायी, जो ६ महीने बाद रद्द की गयी।

इस समय आप 'पूर्व भारत राष्ट्रभाषा-प्रचार-सभा' के मंत्री, अखिल भारतीय हरिजन-सेवक-संघ के बंगाल बोर्ड के सदस्य, रियासती लोक-सभा के मन्त्री, बड़ाबाजार कांग्रेस-कमिटी की कार्यसमिति के सदस्य और बड़ा बाजार कांग्रेस-कमिटी की राजनीतिक उपसमिति के मन्त्री हैं। अपना पुनर्विवाह एक मित्र जातीय विधवा के साथ करके आपने समाज के सामने एक उदाहरण रखा है।

पता—११६, चित्तरंजन एवेन्यु, कलकत्ता

श्रीसिद्धराज ढड्ढा

कलकत्ता चेम्बर आफ कामर्स के आप प्रथम मन्त्री हैं। आपके कार्यक्षेत्र का आरम्भ और विकास कलकत्ते में ही हुआ।

फिर आप जयपुर चले गये। वहीं जन-जागृति के कार्यों में आपने अपना जीवन लगाया। वहीं से आप दैनिक 'लोक-वाणी' (हिन्दी) का सम्पादन और संचालन भी कर रहे हैं। सन् '४२ के आन्दोलन में आप गिरफ्तार करके जेल में डाल दिये गये। आजकल जयपुर प्रजामण्डल के आप प्रधान मन्त्री हैं।

पता—प्रजामण्डल, जयपुर

श्रीसरदार सिंह महनोत

आपके पिताजी का नाम स्व० सेठ सौभाग्यचन्दजी महनोत था। वे ग्वालियर-नरेश स्व० माधवराव शिन्दे के प्रियजनों में एक थे। शिक्षा आप की मैट्रिक तक हुई। आपके जीवन का प्रारम्भ शिवपुरी (ग्वालियर) विद्यालय की सुपरिटेंडेंटी से हुआ। फिर आप केशोराम काटन मिल्स कलकत्ता के सेल्स विभाग में रहे, 'बसन्त

काटन मिल्स ' के जेनरल मैनेजर हुए, सुगर सिण्डीकेट की शाखाओं की व्यवस्था की और बनारस काटन एण्ड सिल्क मिल के जेनरल मैनेजर बने।

सन् '३१ के नमक-सत्याग्रह के दिनों मजदूर-आन्दोलनों के कारण आप गिरफ्तार हुए और पुलिस की मार सही। सन् ४२ के आन्दोलन में आपको नजरबन्द कर लिया गया। सन् '४६ में आप रिहा हुए।

पता—बनारस काटन एण्ड सिल्क मिल्स, बनारस

श्रीविजयसिंह नाहर

आपके पिताजी स्व० श्रीपूरनचद नाहर एम० ए०, बी० एल० (अजीमगञ्ज) एक प्रसिद्ध कलाकार और विद्वान् थे। जन्म आपका सन् १९०६ में हुआ। बङ्गला लेकर कलकत्ता-विश्वविद्यालय से आपने बी० ए० की परीक्षा पास की। हिन्दी का भी आपको अच्छा ज्ञान है।

सन् '३० के आंदोलन में आप कानून का अध्ययन कर रहे थे। असहयोग की लहर आप तक पहुँची। फलतः आपने कानून का अध्ययन छोड़ राजनीति में सक्रिय भाग लेना शुरू किया। सन् '३० और ३२ के बीच करीब १०-१२ बार आपके मकान की पुलिस ने तलाशी ली। सन् '३३ से ४४ तक आप तीन बार कलकत्ता कारपोरेशन के सदस्य चुने गये। अपने पिताजी के नाम पर विश्वविद्यालय में जैन-धर्म और ललित-कला के अनुसंधानार्थ आपने पूरनचन्द नाहर फेलोशीप की स्थापना की है। आप बंगाल-आसाम रेलवे एडवाइजरी बोर्ड और कलकत्ता-फिल्म-सेंसर के सदस्य रहे हैं और मुद्रा-अनुसंधान-समिति के आजीवन सदस्य हैं। आप सन् '३७ से ३९ तक ओसवाल कांफ्रेंस के मन्त्री, जैन-सभा कलकत्ता, ओसवाल बालिका-विद्यालय और नालतला पब्लिक लाइब्रेरी के सभापति एवं 'तरुण जैन' के भूतपूर्व सम्पादक हैं।

बङ्गाल के आप एक प्रसिद्ध कांग्रेस-कर्मी हैं। आप बङ्गाल-प्रांतीय कांग्रेस-कमिटी के सदस्य और कलकत्ता केन्द्रीय जिला कांग्रेस-कमिटी के उपसभापति रहे हैं। बङ्गाल-

लेजिस्लेटिव कौंसिल में सन् '४६-४७ के चुनाव में आप कांग्रेसी एम० एल० सी० बने। उसी समय से कांग्रेस-कौंसिल-पार्टी के मंत्री पद पर आप कार्य करते आ रहे हैं।

सन् '४२ में आप एक सेक्युरिटी कैदी के रूप में जेल भेज दिये गये। उस समय अपने आठ साथियों के साथ आपने हिरासत की आज्ञा की वैधता को चुनौती दी और हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच-द्वारा मुक्त कर दिये गये। लेकिन, नम्बर १८१८ की दफा ३ में आपको फिर गिरफ्तार कर लिया गया और १९४५ की मई तक आप शाही कैदी के रूप में जेल रहे।

पता—४८ इण्डियन मिरर स्ट्रीट, कलकत्ता

श्रीनागरमल शर्मा

जन्म आपका गुड़गाँव जिला-अन्तर्गत शाहजहाँपुर में श्रावण शुक्ला १, संवत् १९७९ को हुआ। पिताजी का नाम स्व० जगन्नाथजी शर्मा था। शिक्षा आपने मैट्रिक तक हासिल की। हिन्दी के अलावे आपको अंगरेजी और बंगला का अच्छा ज्ञान है। हिन्दी के आप एक स्वतंत्र विचारवादी साहित्यिक हैं। साप्ताहिक 'समाज सेवक' और 'विश्वमित्र' में आपकी रचनाएँ अक्सर प्रकाशित होती आयी हैं। आपका सार्वजनिक जीवन उत्साह और लगन का प्रतीक है। जीवन में निर्भीकता आपको शायद विरासत के रूप में मिली है। स्पष्टवादिता के आप विशेष कायल हैं।

सन् '४२ के आंदोलन में आपने फरार के रूप में काफी कार्य किया। उन्हीं दिनों आपको समाजवादी दल के कार्यकर्त्ताओं के साथ बंगाल और बिहार में कार्य करने का अवसर मिला। नतीजा यह हुआ कि आप कांग्रेस की अपेक्षा समाजवादी दल के अधिकाधिक समीप होते गये। आज बड़ाबाजार में समाजवादी दल का जो स्थान है, उसके निर्माण में सबसे अधिक आपका ही क्रियात्मक हाथ है। पहली बार सन् १९३७ के अक्तूबर-नवम्बर में आप गिरफ्तार हुए। उस समय बंगाल में हक-मिनिस्टरी थी। छात्रों के दमन के विरोधस्वरूप मंत्रि-मंडल के खिलाफ

कलकत्ते में एक जुलूस निकाला गया। २१ विद्यार्थियों के साथ आप पकड़े गये। इस समय सरकार ने ६ दिनों तक आपको नजरबंद रखा। अगस्त-आंदोलन में आप दूसरी बार जेल गये। इस बार अट्ठारह महीने आप दमदम, प्रेसिडेंसी और अलीपुर सेंट्रल जेल में नजरबन्द रहे।

सन् '४५ की १३ वीं जनवरी को 'जालियानवाला बाग-दिवस' मनाया जा रहा था। सरकार ने आपके भाषण को आपत्तिजनक बतला कर आप पर मुकदमा चलाया। नीचे की अदालत से आपको ६ महीने की सजा दी गयी। परन्तु, कलकत्ता हाईकोर्ट में अपील करने पर २ महीने बाद आप जेल से रिहा कर दिये गये।

पता—बड़ा बाजार सोशलिस्ट पार्टी, लोअर चितपुर रोड, कलकत्ता

श्रीबालकृष्ण मोहता

आपके पिताजी का नाम स्व० श्रीछगनलाल मोहता था। जन्म आपका अगहन कृष्णपक्ष एकादशी, संवत् १९४९ को बीकानेर में हुआ। शिक्षा आपको साधारण अँगरेजी की मिली। स्वाध्याय के बल पर आपने हिन्दी और मारवाड़ी की जानकारी हासिल की। राजनीति में आप मार्क्सवादी विचारों के अनुयायी और प्रबल प्रचारक हैं। पिछले पच्चीस वर्षों से आप मार्क्सवाद का प्रचार कर रहे हैं। इस सिलसिले में आपने २१ बुलेटिनें प्रकाशित की हैं, जिनके लिये रुपये-पैसों का सारा प्रबन्ध आपको ही करना पड़ा।

यदि यह कहा जाय कि राजनीति में अराजकतावादी कार्यों को आपने प्रश्रय दिया, तो आपके विषय में यह बात कहीं अधिक ठीक होगी। लुक-छिप कर कार्य करने की आपकी प्रणाली सराहनीय रही है। वैसे दिनों में आग लगाने वाले विस्फोटक पदार्थों का आप निर्माण किया करते थे। नागपुर के प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता श्रीमगनलाल बागड़ी से आपकी मुलाकात दिल्ली में हुई। उन्हें साथ लेकर आप कलकत्ता आये। तीन महीने तक श्रीबागड़ी कलकत्ते में रहे। इस गुप्त प्रवास-काल में

से ५-७ दिनों तक आपके मकान में रहे। इसी अपराध में आपके पुत्र श्रीब्रह्मदेव मोहता सरकार-द्वारा गिरफ्तार किये गये।

सन् '४२ के आन्दोलन में आपने कलकत्ते में क्रान्तिकारियों के लिये रिवाल्वर, स्टेनगन आदि के खरीदने का प्रबन्ध किया और इन्हें लोगों में बाँटा। साथ ही छोटे-छोटे बम, गोलियाँ आदि भी गुप्त रूप से इकट्ठी कर आन्दोलनकारियों तक आप पहुंचाते रहे। उन दिनों प्रकाशित होने वाले क्रान्तिकारी साहित्य का जनता में आपने काफी प्रचार किया।

करीब ३० वर्षों से आप सार्वजनिक कार्यों में अपना समय दे रहे हैं। अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के मन्त्री और सभापति के पद पर आप कार्य कर चुके हैं। हिन्दू-अबलाश्रम के बारह वर्षों तक सहायक मन्त्री के पद पर अवैतनिक रूप से आपने कार्य किया है। माहेश्वरी विद्यालय के भी आप मन्त्री रह चुके हैं।

आपके घर में २५ वर्षों से परदे की प्रथा नहीं है। अपने लड़के की शादी आपने अग्रवालों में की। विधवा-विवाह के आप कट्टर समर्थक हैं। आपके ही परिश्रम से कलकत्ते में सर्वप्रथम विधवा-विवाह समाज में हुआ। जिसके फलस्वरूप बारह व्यक्ति जाति-बहिष्कृत कर दिये गये थे। शिक्षा-प्रचार में भी आपने सराहनीय कार्य किया है। आपके उद्योग से ज्ञानवर्द्धन-पुस्तकालय, बीकानेर की स्थापना हुई, जिसके लिये आपने ४,०००) प्रदान किये। साम्यवाद के प्रचारार्थ अब तक आपके कोई तीस हजार रुपये खर्च हुए हैं।

पता—१२६, तुलापट्टी, कलकत्ता

श्रीडालिमचन्द सेठिया

आपके पिताजी का नाम श्रीमूलचन्द सेठिया है। जन्म आपका २२ नवम्बर, सन् १९१० में हुआ। सन् '३० में आपने बी० काम० पास किया। बयालीस के अगस्त-आन्दोलन में डा० राममनोहर लोहिया ६ महीने आपके घर पर फरार की हालत में रहे। श्रीजयप्रकाशनारायण तथा अन्य फरार क्रान्तिकारियों को

बंगाल-प्रान्त



असहयोग का जमाना। कानून तोड़ने के लिये सत्याग्रहियों के जत्थे जुलूस के रूप में आगे बढ़ रहे हैं।



सुताहाटा में १०४४ मकान लूटे गये। तलाशी के समय १५ से लेकर ८० तक सशस्त्र सिपाही घरों में घुसते थे। ऊपर पुलिस लारी खड़ी कर बन्दूकों और किचों की सहायता से कांसटेबुल लूट का माल गाड़ी में लाद रहे हैं।

अपने घर पर रखने के कारण आपको गिरफ्तार करके लाल बाजार थाने में बन्द कर दिया गया। जेल में आप ५४ दिन रहे। आपका सार्वजनिक जीवन भी बड़ा शानदार रहा है। एक साल तक आप मारवाड़ी छात्र-संघ के सभापति रह चुके हैं। कलकत्ते के आप एक प्रसिद्ध बैरिस्टर हैं।

पता—पी १६, न्यु जगन्नाथ घाट रोड, कलकत्ता

श्रीबाबूलाल पोद्दार

इस समय आपकी उम्र करीब ४० वर्ष की है। कांग्रेस में आप सन् १९२१ से बराबर कार्य कर रहे हैं। राजनीतिक के अलावे, सार्वजनिक कार्यों में भी आप उत्साह-पूर्वक भाग लेते हैं। जब महात्माजी का नमक सत्याग्रह-आन्दोलन सन '३० में हुआ, उस समय आपने आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया। नमक कानून तोड़ने के अपराध में आप गिरफ्तार कर जेल भेज दिये गये।

श्रीशेरसिंह बांठिया

आपके पिताजी का नाम श्रीजयवन्त सिंह बांठिया है। आप माघ शुक्ला ४, संवत् १९७१ को जयपुर में पैदा हुए। आपकी अभिरुचि लड़कपन में ही शिक्षा की ओर विशेष रूप से आकृष्ट हो गयी। आगरा-विश्वविद्यालय से आपने बी० ए० पास किया।

आप सार्वजनिक और राजनीतिक कार्यों में विद्यार्थी-जीवन से ही भाग लेते आ रहे हैं। सन '४४ में सरकार को आपके कार्यों पर सन्देह हो गया। फलतः डेढ़ वर्षों तक आपको अलीपुर जेल में नजरबन्द रखा गया।

पता—१८ पांचीधोबानी गली, कलकत्ता

श्रीभागीरथ कानोडिया

मारवाड़ी समाज के आप एक प्रतिष्ठित एवं राष्ट्र के कर्मठ व्यक्ति हैं। शिक्षा-प्रचार एवं दान देने में आपके शान के व्यक्ति कम हैं। कभी-कभी ऐसे भी अवसर आये हैं जब आपने ऐसा खयाल किया है कि आज अच्छे कार्य में सहायता प्राप्त करने

के लिये कोई नहीं आया। अधिकतर गुप्त रूप से ही आप दान दिया करते हैं जिसकी संख्या कभी-कभी लाखों तक पहुँच जाती है।

हिन्दू विश्वविद्यालय के कार्यों में महामना मालवीयजी को आपने अत्यधिक रुपये प्रदान किये। हरिजन-उत्थान-समिति, पूर्व भारत-राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति आदि संस्थाओं के आप सर्वस्व हैं। आपके दान देने का आधार पूज्य महात्माजी का सिद्धान्त है।

शान्ति-निकेतन में हिन्दी-विभाग की स्थापना के लिये किया गया आपका उद्योग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पूर्वभारत-राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति और मारवाड़ी रिलीफ-सोसायटी के आप सभापति हैं। सन् '४२ के आन्दोलन में आपके द्वारा आन्दोलन का कार्य जोर-शोर से सम्पादित करने में रुपयों की सहायता मिली। इसके कारण पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया। जेल में एक लम्बे अरसे तक आप बन्दी रहे। पता—लेक रोड, कलकत्ता

श्रीशिवरतनलाल बिन्नानी

आपके पिताजी का नाम श्रीवैजनाथ बिन्नानी है। जन्म आपका जनवरी, सन् १९०० में हुआ। हिन्दी और अंगरेजी की आपने शिक्षा हासिल की है। आपका सार्वजनिक जीवन संवत १९१७ से शुरू होता है। सन् '२१ के आन्दोलन में पिकेटिंग करते हुए पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया और माजर हाट ब्रिज से आगे ले जाकर छोड़ दिया। सन् '३१ में आप दो-तीन बार गिरफ्तार हुए। लेकिन, छोड़ दिये गये। सन् १९३८ में आप पर नौ मुकदमें चलाये गये जिनमें एक मुकदमे में आपको ६ महीने की सज़ा हुई। सन् '४२ के अक्तूबर में आप गिरफ्तार हुए। जेल में खाने-पीने की कुव्यवस्था के कारण आपने ९ दिनों तक लाल बाजार थाने में उपवास किया। महात्माजी के आगा खां महल में किये गये उपवास की प्रतिक्रिया स्वरूप आपने भी प्रेसिडेंसी जेल में २० दिनों का उपवास किया था। इनके अलावे, समय-२ पर आपने बारह उपवास और किये। इस आन्दोलन में आप १० महीने जेल में रहे।

पता—२९-बी, जकरिया स्ट्रीट, कलकत्ता

श्रीब्रह्मदेव मोहता

आप के पिताजी का नाम श्रीबालकृष्ण मोहता है। वे एक प्रसिद्ध राष्ट्रकर्मी हैं और राष्ट्रीय आन्दोलनों में उन्होंने बराबर सक्रिय भाग लिया है। आपका जन्म फाल्गुन शुक्ला चौथ,संवत् १९७० को बीकानेर में हुआ। शिक्षा आपको साधारण मिली। सामाजिक सुधारों की ओर आपकी विशेष रुचि है। अपना विवाह भी आपने ओसवालों में किया है।

सन् '४२ के अगस्त-आन्दोलन में प्रसिद्ध फरार क्रान्तिकारी श्रीमदनलाल बागड़ी को अपने यहाँ ठहराने के कारण सरकार ने आपको गिरफ्तार कर लिया। आप पर मुकदमा चलाया गया। अलीपुर जेल से २ महीने बाद आप की रिहाई हुई। १५ दिनों तक आप खुफिया पुलिस की कस्टडी में भी रखे गये थे।

पता—१२६ तुलापट्टी, कलकत्ता

श्रीभालचन्द्र शर्मा

आप का जन्म संवत् १९६५ में जयपुर-रियासत के सवाई माधोपुर के त्रिवेदी-परिवार में हुआ। आप के पिताजी का नाम स्व० श्रीसूर्यप्रसाद त्रिवेदी था। लिखने-पढ़ने की ओर आपकी विशेष रुचि थी। हिन्दी में लेख आप कालेज के दिनों से ही लिख रहे हैं। शिक्षा आपको एफ०ए० तक मिली है। सन् १९२० की कांग्रेस के कलकत्ता वाले विशेष अधिवेशन में आप स्वयंसेवक के रूप में शामिल हुए।

सन् १९२१ के आन्दोलन में स्व० श्री सी०आर० दास की धर्मपत्नी श्रीवासन्तीदेवी के आदेशानुसार आप खादी की फेरी करते हुए पकड़े गये। लेकिन, अवस्था कम होने के कारण सरकार ने आपको तीन दिनों तक थाने में रखने के बाद छोड़ दिया। तब से आप बराबर कांग्रेस में भाग ले रहे हैं।

सन् १९२६ में अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी ब्राह्मण-सभा के कलकत्ता अधिवेशन के के प्रचार और सहायक मंत्री तथा सन् १९२९ में अखिल भारतीय गौड़ महासभा के

३१ वें अधिवेशन की स्वागत-समिति के आप संयुक्त मन्त्री निर्वाचित हुए। सन् '२९ से '३६ तक आप अ०भा० मारवाड़ी ब्राह्मण-सभा के प्रधान मन्त्री रहे। हरिजन-उत्थान-समिति कलकत्ता और अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन के तीन वर्षों तक आप क्रमशः सहकारी और संगठन मन्त्री रहे। विधवा-विवाह के आप कट्टर समर्थक हैं।

शुरू में आप विश्वमित्र के व्यापारिक सम्पादक रहे। 'मारवाड़ी ब्राह्मण-हितैषी' के दो वर्षों तक आप अवैतनिक सम्पादक रह चुके हैं। 'समाज-सेवक' की प्रबन्ध समिति के आप सदस्य हैं। बड़ाबाजार पुस्तकालय के आप ४ वर्षों से उपसभापति होते आ रहे हैं।

सन् १९३९ के जयपुर-सत्याग्रह में आप कलकत्ते से पहला जत्था लेकर गये। वहाँ एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए आप गिरफ्तार हुए और मोहनपुरा जेल में साढ़े चार महीने रहे। बयालीस की अगस्त-क्रान्ति में आपने काफी काम किया।

पता—१२२ चितरंजन एवेन्यु, कलकत्ता

श्रीविनायक प्रसाद हिम्मतसिंहका

आपके पिताजी का नाम श्रीकेदारनाथ हिम्मतसिंहका है। जन्म आपका संथाल-परगना जिले के दुमका में ३ अक्तूबर, सन् १९११ में हुआ। सन् '३० में आपने विशुद्धानन्द-विद्यालय से मैट्रिक, सेंट पाल कालेज से सन् '३२ में इंटर और सन् '३४ में प्रेसिडेंसी कालेज से सम्मान-सहित बी० ए० पास किया। सन् '३९ में आपने बी० एल० किया। सन् '३२-३३ में आप अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा के प्रचार मन्त्री रहे। महासभा के वालंटियर कोर के सन् '३३-३४ में कप्तान नियुक्त किये गये।

सन् '३८ में राजगिरि मिडिल स्कूल की स्थापना की। सन् '४३ में यही हिम्मत-सिंहका हाई स्कूल में बदल गया। सन् ४१ में आपने अपनी पुरी-यात्रा में उत्कल हिन्द-विद्यालय स्थापित किया। सन् '४५ में आप आसाम-विश्वविद्यालय के ट्रस्टी ट्रेजरर नियुक्त हुए।

आपका परिवार ही राष्ट्रीय विचारों का प्रचारक और सक्रिय समर्थक है। सन् '३१ के आन्दोलन में आप पर वारंट निकला, जो गांधी-इरविन पैक्ट के अनुसार रद्द कर दिया गया। कांग्रेस के बम्बई-अधिवेशन से लौटते समय आपको दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया। आप पर क्रान्तिकारी पार्टी के कार्यकर्त्ता होने का सन्देह किया गया था। सन् '४२ के आन्दोलन में सरकार ने आपके मकान की तलाशी ली। फिर आपको गिरफ्तार कर अलीपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया।

पता—३९, बालीगंज सरकुलर रोड, कलकत्ता

श्रीगोविन्दराम गोयनका

आपके पिताजी का नाम श्रीरामकुमार गोयनका है। आपका जन्म चैत्र शुक्ला ११, संवत् १९७८ को हुआ। आपने आई० ए० तक शिक्षा प्राप्त की है। सन् '४२ के अगस्त-आन्दोलन में 'करो या मरो' बुलेटिन छापने के सन्देह में आप गिरफ्तार हुए और २ महीने प्रेसिडेंसी जेल में रखे गये।

पता—५-ए वैशाख स्ट्रीट, कलकत्ता

श्रीपन्नालाल गोयनका

आपके पिताजी का नाम श्रीसूरजमल गोयनका है। भाद्रपद कृष्णा ९, संवत् १९७३ को आपका जन्म हुआ। हिन्दी और साधारण अंगरेजी की आपको शिक्षा मिली है। सन् १९३० के नमक-आन्दोलन में आप गिरफ्तार हुए और २८ दिनों तक जेल में रहे।

पता—२६ आडी बाँसतल्ला, कलकत्ता

श्रीराजेन्द्र कुमार महनोत

आप श्रीसरदार सिंह महनोत के ज्येष्ठ पुत्र हैं। सन् '४२ के आन्दोलन में पढ़ना छोड़ कर देश का कार्य करना शुरू किया। आप अपने घर में सबसे पहले गिरफ्तार हुए। सन् '४६ में आपकी रिहाई हुई।

श्रीताजबहादुर महनोत

आप श्रीसरदार सिंह महनोत के भतीजे हैं। परिवार के लोगों की गिरफ्तारी के बाद आप घर की व्यवस्था करने बनारस आये। परन्तु, अपने कार्यों द्वारा आपने सरकार को परेशान करना शुरू किया। फलतः आप गिरफ्तार हुए और सन् १९४५ के अन्त में जेल से छोड़े गये।

श्रीतुलसीराम सरावगी

आपके पिताजी का नाम स्व० श्रीगणपतराय सरावगी था। आपका जन्म कलकत्ते में मार्गशीर्ष कृष्णा ६, संवत् १९५० को हुआ। शिक्षा आपकी ८ वीं श्रेणी तक हुई। सार्वजनिक जीवन में सन् १९०८ से आप हैं। अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा, अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन, मारवाड़ी बालिका-विद्यालय, मारवाड़ी ट्रेड्स एसोसियेशन, बड़ा बाजार कांग्रेस-कमिटी, हिन्दी-नाट्य-परिषद् आदि संस्थाओं में आप विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं। बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी के आप सदस्य हैं।

बीकानेर के राजनीतिक आन्दोलन में भी आपने भाग लिया। उन आन्दोलनों में समय-समय पर आपने कलकत्ते से आर्थिक सहायता की है। सन् '४२ के आन्दोलन में लालबाजार थाने में ढाई दिन आप रखे गये। मारवाड़ी रिलीफ-सोसायटी की कार्यकारिणी के आप सदस्य हैं।

पता—१ ढाका पट्टी, कलकत्ता

श्रीरामनिरञ्जन सरावगी

आपके पिताजी प्रसिद्ध समाजसेवी श्रीतुलसीराम सरावगी हैं। जन्म आपका बीकानेर रियासत के तारानगर में हुआ। आजकल आप प्रथम वर्ष बी० ए० में अध्ययन कर रहे हैं। आप समाजवादी विचार-धारा के युवक कार्यकर्त्ता हैं। समाजवाद में आपकी दिलचस्पी विशेष रहती है। बड़ाबाजार छात्र-कमिटी के आप मंत्री भी रह

चुके हैं। सन् '४२ के अगस्त-आन्दोलन में चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट की अदालत में आपने तिरंगा झण्डा फहराया और सरकारी मुलाजिमों से नौकरी छोड़ने के लिये जोरदार शब्दों में अपील की। इसीलिये सरकार द्वारा आप गिरफ्तार कर लिये गये। ढाई महीने आपको प्रेसिडेंसी जेल में रखा गया था।

पता—१ ढाका पट्टी, कलकत्ता

श्रीरामेश्वरलाल नोपानी

पहले आप लोग जालान कहलाते थे। परन्तु, आपसे चार-पाँच पीढ़ी पहले जालान से बदलकर आप लोग नोपानी कहलाने लगे। आपके पिताजी का नाम स्व० श्रीदौलतराम नोपानी था। जन्म आपका सन् १९०२ में कलकत्ते में हुआ। स्काटिश चर्च कालेज, कलकत्ते में इंटर तक आपने शिक्षा प्राप्त की। जिस समय महात्मा गांधी का सन् '२१ वाला असहयोग-आन्दोलन चल रहा था, उस समय आपने कालेज छोड़ दिया।

सन् '४२ के आन्दोलन में गुप्त रूप से कार्य करने वालों की आपने काफी सहायता की। आन्दोलन की प्रत्येक गतिविधि से आप परिचित रहते थे। कांग्रेस के सभी आन्दोलनों में आपने अपना सहयोग प्रदान किया है।

आपकी सार्वजनिक सेवाएँ काफी प्रसिद्ध हैं। सामाजिक कार्यों में बराबर आप सक्रिय भाग लेते हैं। सन '४० से '४२ तक आप अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन के अवैतनिक प्रधान मन्त्री रहे। सामाजिक, शिक्षा सम्बन्धी एवं रोग-निवारण के लिये चैरिटेबुल ट्रस्ट एण्ड इंस्टीच्युट आपने खोला है। तीन साल तक आप फेडरेशन आफ इंडियन चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री तथा इंटरनेशनल चेम्बर आफ कामर्स की इंटरनेशनल कमिटी के कोषाध्यक्ष रह चुके हैं।

पता—१७८, हरिसन रोड, कलकत्ता

डा० किशोरीलाल शर्मा

आपके पिताजी का नाम स्व० श्रीमूलचन्द शर्मा था। जन्म आपका सन् १९०० में जयपुर रियासत के कोटपुतली में हुआ। आपने डाक्टरी का अध्ययन किया और कलकत्ते से एल० एम० एफ० और डा० टी० पास किया।

कांग्रेस में आप सन् '३० से कार्य कर रहे हैं। बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी के आप सन् '३२ से सदस्य हैं। आप वार्ड नं० ७ कांग्रेस-कमिटी के सन् '३८ से सभापति हैं। सन् '३९ से '४८ तक आप बड़ा बाजार जिला कांग्रेस-कमिटी के उप-सभापति रहे।

सार्वजनिक कार्यों में आप काफी भाग लेते हैं। कलकत्ते में आपने सर्वप्रथम विधवा-विवाह किया।

पता—११, मल्लिक स्ट्रीट, कलकत्ता

श्रीमती ज्ञानवती लाठ

कलकत्ता-मारवाड़ी समाज की आप एक प्रख्यात महिला हैं। समाज के महिला-वर्ग में आपने एक इन्किलाब पैदा किया है। ऐसे-ऐसे कार्य करने वाली आप सर्व-प्रथम मारवाड़ी महिला हैं।

साधारण शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् आपका विवाह एक पूर्ण शिक्षित परिवार में हुआ। परिणाम यह हुआ कि अपनी अल्प शिक्षा का ख्याल कर आपने पढ़ना शुरू कर दिया। और यह शिक्षा-प्रेम आप में इतना प्रबल हो उठा कि आज आप कालेज में अध्ययन करने से अपने को किसी प्रकार रोक न सकीं। इन दिनों 'बाल अभिनव भारती' का, जिसमें छोटे-२-बच्चों को तालीम दी जाती है, आप सञ्चालन करती हैं।

राष्ट्रीय कार्यों में आपकी रुचि पहले ही जाग्रत हो गयी। सन् '४२ के आन्दोलन में आपने गुप्त रूप से निर्भीक भाग लिया। परिवार की समूची रुकावटों का सामना कर आपने श्रीमती अरुणा आसफअली आदि फरारों की प्रत्येक प्रकार से सहायता की।

आप एक प्रभावशालिनी महिला हैं। सभाओं में दिये गये आपके भाषण जनता पर स्थायी प्रभाव छोड़ जाते हैं। आज अस्वस्थता की हालत में आप समाज के परदा विरोधी आन्दोलन में उत्साह के साथ भाग ले रही हैं। नव स्थापित बालिका-शिक्षा-सदन के कार्यों में आप काफी भाग ले रही हैं।

पता—शान्ति-भवन, न्यु जगन्नाथ घाट रोड, कलकत्ता

श्रीबालकृष्ण गुप्त

शिक्षा की ओर आपका ध्यान विशेष रहा है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये आप विलायत गये। वहां आपने गम्भीर अध्ययन किया। आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विषयों का आपने जम कर अध्ययन किया है।

इंगलैंड से लौटने पर राष्ट्रीय कार्यों में आपने प्रच्छन्न रीति से भाग लेना शुरू किया। सन् '४२ के आन्दोलन में आपने विशेष कार्य किया। उस समय आपने क्रान्तिकारी नेता श्रीजयप्रकाश नारायण, श्रीमती अरुणाआसफअली, डा० राममनोहर लोहिया, अच्युत् पटवर्धन से सम्पर्क स्थापित किया। भारत-सरकार के इन सबसे बड़े खतरनाक व्यक्तियों को गुप्त रूप से अपने मकान में आश्रय देकर आपने बहुत भारी खतरा मोल लिया था। आन्दोलन के सभी गुप्त कार्यों में आप मनोयोग-पूर्वक भाग लेते रहे। एक पूंजीपति होकर भी उस समय जिस प्रकार के संयम, त्याग और राष्ट्र-प्रेम का आपने परिचय दिया, वह एक गौरव की वस्तु है। आज आप साम्यवाद के प्रचार में काफी सहायता देते हैं।

पता—मार्बल हाउस, न्यु जगन्नाथ घाट रोड, कलकत्ता

श्रीरंगलाल जाजोदिया

आप मारवाड़ी समाज के एक उत्साही कार्यकर्त्ता हैं। राष्ट्रीय आन्दोलनों में भी आप बराबर सक्रिय भाग लेते आये हैं। उच्च शिक्षा की दृष्टि से समाज के उन इने-गिने व्यक्तियों में आपका स्थान है, जिनकी विद्वता और अध्ययन की आज कद्र की जाती है।

आपका सार्वजनिक जीवन अग्रवाल महासभा के कार्यों से प्रारम्भ होता है। इसके आप मन्त्री रह चुके हैं। सामाजिक कार्यों में आपने विशेष भाग लिया है। अग्रवाल-महासभा-द्वारा जितने सुधार-सम्बन्धी आन्दोलन हुए, उनमें आपका प्रमुख हाथ रहा है। समाज के लब्ध-प्रतिष्ठित और सम्पत्तिशाली व्यक्ति होते हुए भी आपने अपने पुत्र का विवाह श्रीतुलसीराम सरावगी सरीखे एक कार्यकर्त्ता की लड़की के साथ किया।

सन् '३१ के आन्दोलन में आपने भाग लिया। उस समय बंगाल में आन्दोलन चलाने के लिये आपने प्रचुर आर्थिक सहायता की।

शिक्षा-प्रचार में आपने काफी सहयोग दिया। इस कार्य के लिये आपने भरपूर आर्थिक दान दिया। फिर आप मद्रास चले गये। वहाँ व्यवसाय करते हुए भी कांग्रेस के कार्यों में आप दिलचस्पी के साथ भाग लेते हैं।

श्रीगंगाप्रसाद भौतिका

आप एम० ए०, एल० बी० और काव्य-तीर्थ हैं। आपकी वेष भूषा निहायत सादगीपूर्ण रहती है। आप एक बहुत ही सरल, सीधे और मनस्वी व्यक्ति हैं।

मारवाड़ी समाज के आप एक पुराने कार्यकर्त्ता हैं। समाज-सुधार, शिक्षा, हरिजन सेवा, महिला-उत्थान आदि कार्यों में आप बराबर भाग लेते हैं। राष्ट्रीय आन्दोलनों में आपने काफी भाग लिया है। बड़ा बाजार जिला कांग्रेस-कमिटी के आप आरम्भ से ही सदस्य हैं।

श्रीमोतीलाल लाठ

सार्वजनिक कार्यों में आपकी बराबर दिलचस्पी रही है। मारवाड़ी समाज में सुधार-सम्बन्धी जितने आन्दोलन हुए आपने सब में भाग लिया। समाजिक कार्यों में आपकी विशेष रुचि है। राजनीतिक आन्दोलनों में भी आपने अपने मित्रों को बराबर सहायता दी है।

श्रीगोविंद प्रसाद कानोडिया

आप जयपुर रियासत में मुकुन्दगढ़ के रहने वाले हैं। शिक्षा आपको अच्छी मिली है। छोटे बच्चों की शिक्षा में आपकी विशेष रुचि है। 'अभिनव भारती' के संचालन में आपका हाथ है और मारवाड़ी रिलीफ सोसायटी के प्राकृतिक चिकित्सा-विभाग के आप मंत्री हैं।

सामाजिक सुधारों में आप जमकर भाग लेते हैं। समाज से परदा-प्रथा का मूलोच्छेदन करने वाले सत्याग्रहियों का आप प्रतिनिधित्व करते हैं।

राजनीतिक कार्यों में आपने बराबर भाग लिया है। सन् बयालीस के आंदो-में गुप्त रूप से कार्य करने वालों की आपने सहायता पहुँचायी। रङ्गपुर जिले से आप कांग्रेस के डेलीगेट हैं।

पता—८ रायल एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता

श्रीहजारीलाल जैन

आप मारवाड़ी छात्र-निवास के एक मेधावी विद्यार्थी रह चुके हैं। सन् '४२ के आंदोलन में आपने श्रीमती अरुणा आसफअली के साथ सम्पर्क स्थापित कर काफी काम किया। वारंट निकलने पर पुलिस की आँखों में धूल झोंक आप बम्बई चले गये। वहाँ भी आपने आंदोलन का काम करना शुरू किया। लेकिन, पुलिस के पीछा करने के कारण आप रियासतों में चले गये और वहाँ गुप्त रूप से आंदोलन-संबन्धी कार्य करते रहे।

श्रीमदनलाल अग्रवाल

मारवाड़ी छात्र-निवास के आप विद्यार्थी रह चुके हैं। सन् बयालीस के आंदोलन में आपका अध्ययन जारी था। लेकिन, आजादी की पुकार पर ध्यान दे आप आंदोलन के गुप्त सङ्गठन में भाग लेने लगे। श्रीमती अरुणा आसफअली के कार्यों में आपने काफी मदद पहुंचायी।

पता—जकरिया स्ट्रीट, कलकत्ता

कुष्टिया जिला

श्रीफतेहचंद नाहटा

आप के पिताजी का नाम श्रीकालूराम नाहटा है। जन्म पञ्जाब प्रांत के हिसार जिले का सिरसा गाँव है।

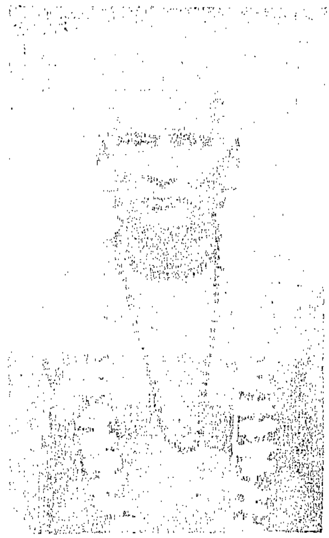
सन् '२० में आपका ध्यान पहली बार कांग्रेस की ओर गया। उस समय आप कलकत्ते में दलाली का काम करते थे। स्व० श्रीपद्मराज जैन के व्यक्तिगत प्रभाव के कारण आप राजनीति में भाग लेने लगे। नागपुर-सत्याग्रह के समय बड़ा बाजार कांग्रेस-कमिटी के सेवा-विभाग के मंत्री की हैसियत से आपने भाग लिया। फिर सन् २७ में आप कलकत्ते से मानभूम जिले के पुरुलिया में चले गये। तीन वर्षों तक वहाँ आपने कांग्रेस-कार्यसमिति में रहकर कार्य किया।

आपकी पहली जेल-यात्रा सन् १९२१ में आपके कलकत्ता-निवास के समय हुई। आप खिदिरपुर जेल में रखे गये। दूसरी बार सन् '२८ में आपको पुरुलिया में ३ महीने के लिये जेल की सजा हुई। वहाँ से आप आरा जेल में भेजे गये। तीसरी बार आप सन् ३० में एक वर्ष के लिये जेल गये। लेकिन, सरकार और कांग्रेस से समझौता हो जाने के कारण बीच में ही रिहा कर दिये गये। चौथी बार अपनी जन्मभूमि हिसार में सन् '३२ में आप जेल गये। हिसार जेल में एक महीना आप पर मुकदमा चला। फिर आप मुलतान भेज दिये गये, जहाँ से सन् '३३ में आप रिहा हुए।

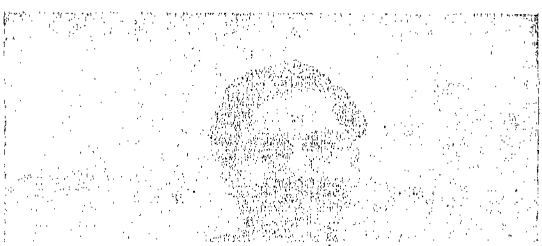
जेल की अव्यवस्था के कारण आपका स्वास्थ्य एकदम खराब हो गया था। अतएव बाहर आने पर आपने हरिजन-सेवा का कार्य शुरू किया। उन दिनों मेहतरों के लड़के और लड़कियों को आप महल्ले में घूम घूम कर पढ़ाया करते थे।

सन् १९३६ में आप कुष्टिया कांग्रेस-कमिटी के सभापति निर्वाचित हुए। मारवाड़ी नवयुवक पुस्तकालय के सभापति, कुष्टिया सेवक-संघ के मंत्री, कुष्टिया जिला

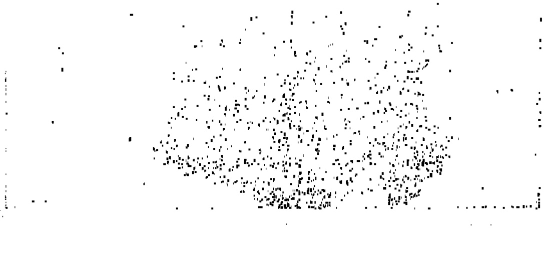
जिन्हें देखकर डोल गयी...



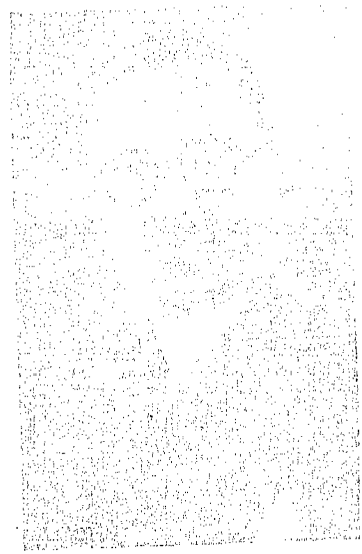
श्रीविलासराय अग्रवाल, झाड़ग्राम



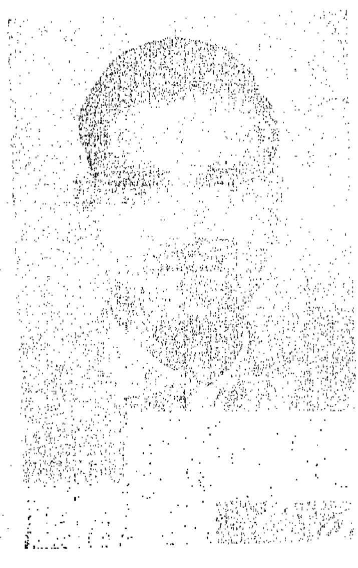
श्रीनिवास पुरोहित,
बोलपुर

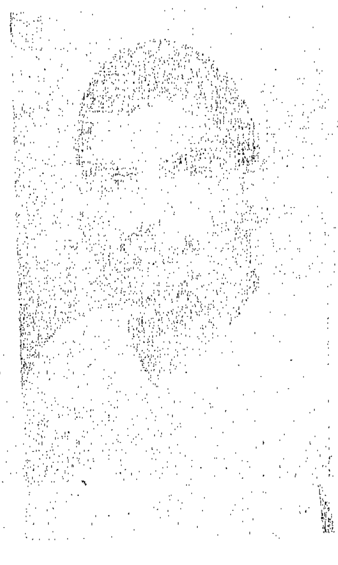


हिम्मत दिलेर मरदानों की



श्री डालिमचन्द सेठिया, कलकत्ता





मारवाड़ी सम्मेलन के सभापति और उपसभापति एवं कुष्टिया गोशाला के मंत्री पद पर कार्य करते हुए आपने राजनीतिक और सामाजिक कार्यों का विधिवत् सञ्चालन किया।

आपका सार्वजनिक जीवन सन् १९१७ से ही शुरू होता है। पहली बार कलकत्ते में आपने स्वामी विश्वानंद की पुकार पर घुड़दौड़ मैदान में अवस्थित शिव-मंदिर के तोड़े जाने के खिलाफ १५ दिनों तक सत्याग्रह किया। श्रीलखुराम चोरड़िया की तीन लड़कियों और तीन लड़कों को हिन्दू बनाने में आपका ही काफी हाथ रहा। फिर उन लड़कियों का विवाह आपने ओसवाल लड़कों के साथ कराया। अपने भाई की शादी भी आपने एक विधवा के साथ की।

जनता की सेवा करने के लिये मारवाड़ी रिलीफ-सोसायटी, कलकत्ता की ओर से नोआखाली के तमाम रिलीफ केन्द्रों का इंचार्ज होकर आपने तीन महीनों तक कार्य किया। दिल्ली के स्टेशन कैम्प का संचालन भी सोसायटी की ओर से आपने एक महीना तक किया।

सन् '४२ के आन्दोलन में आप कृष्णनगर जेल में छ महीने तक रखे गये।

पता—कुष्टिया, पूर्वी पाकिस्तान

श्रीविलासराय अग्रवाल

आप के पिताजी नाम स्व० श्रीवक्तारमल अग्रवाल था। आपका जन्म कुष्टिया जिले के दामुक्दिया में माघ शुक्ला ५, संवत् १९४८ को हुआ। बंगला में आपकी विशेष गति है। दो-तीन कविता पुस्तकें भी आपने बंगला में लिखी हैं। अलावे, हिन्दी, अंगरेजी और मारवाड़ी भाषाओं का भी आपको ज्ञान है।

सन् '३१ के नमक-सत्याग्रह में आपको तीन महीने की सजा हुई। उस समय आप कुष्टिया और दमदम की जेलों में रखे गये थे।

राजनीति के साथ ही आपकी सामाजिक सेवाएँ भी कम मूल्यवान नहीं हैं। कुष्टिया जिला-बोर्ड के सन् '४७ से आप सदस्य हैं। अलावे, नदिया जिला-बोर्ड के सन् '४२

से '४७ तक सदस्य रहे। कुष्टिया लोकल-बोर्ड के सन् '४३ से '४७ तक आप वायस-चेयरमैन रहे। भेड़ामारा कांग्रेस-कमिटी के सन् '२४ से '४४ तक आप सभापति रहे हैं। बंगाल-प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी के भी कई वर्षों तक आप सदस्य रहे हैं।

सार्वजनिक कार्यों में आपकी रुचि विशेष रही है। गरीबों को मुफ्त दवा मिले, इसके लिये आपने अपने पिताजी की मृत्यु के बाद 'बक्तारमल चैरिटेबुल डिस्पेंसरी' सन् १९२६ में खोली। तब से आज तक आप ही उसके मन्त्री हैं। भेड़ामारा यूनियन बोर्ड के सन् '२३ से ३३ तक सदस्य और सन् '३२से३३ तक सभापति रहे। बी० सी० जे० के० इंस्टीच्युट के, जिसमें हाई स्कूल की शिक्षा दी जाती है, आप डोनरों में एक हैं। सन् '१८-१९ से आप उसके सदस्य रहते आये हैं। बीच के दो निर्वाचनों के अनुसार सात वर्षों तक आप उसके मन्त्री भी रह चुके हैं। सन् १९४३ के अकाल में भेड़ामारा रिलीफ कमिटी के आप मन्त्री और जलपाईगुड़ी जिला-अधिवेशन के आप सभापति रहे। सन् १९४४ से भेड़ामारा मारवाड़ी सम्मेलन के आप उपसभापति हैं। अलावे, भेड़ामारा की सार्वजनिक सभाओं में आप उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं।

समाज-सुधार की ओर आप विशेष ध्यान देते हैं। परदा-प्रथा का रिवाज आपके यहाँ नहीं है। विधवा-विवाह के लिये आप सन् १९२० से ही प्रचार कर रहे हैं। भेड़ामारा में आपने १५०० रु० की पूँजी से चरखा-संघ स्थापित किया। पाँच वर्षों तक उक्त कार्य करने के बाद देश-विभाजन की उत्पन्न परिस्थित के कारण उसे बन्द कर देना पड़ा।

जब पूज्य महात्माजी साबरमती-आश्रम में रहते थे उस समय अपनी पत्नी और पुत्र श्रीकृष्णलाल अग्रवाल के साथ आप एक सप्ताह तक वहाँ रहे। उन्हीं दिनों आप जाति-बहिष्कृत कर दिये गये। अपनी अक्षमता के कारण समाज ने सात वर्षों के बाद अपनी भूल स्वीकार कर ली। नदिया जिला राजनीतिक कांग्रेस के, जो स्व० देशबन्धु चित्तरंजनदासजी के सभापतित्व में हुई, आप स्वागताध्यक्ष थे।

अबतक कांग्रेस और सार्वजनिक कार्यों में निम्नलिखित रकम आपने खर्च की है—नीलकर-आन्दोलन ७००), कुष्टिया जिला राजनीतिक अधिवेशन १,२००),बक्तार-मल चेरिटेबुल डिस्पेंसरी ७,०००), चरखा संघ, भेड़ामारा १,५००), बी० सी० जे० के० इंस्टीच्युट २,०००) और बंगाल-अकाल २५०)।

पता—भेड़ामारा, कुष्टिया, पूर्वी पाकिस्तान

श्रीकृष्णलाल अग्रवाल

आप प्रसिद्ध राष्ट्रसेवी श्रीविलासराय अग्रवाल के पुत्र हैं। जन्म भेड़ामारा में आश्विन कृष्णा ७, संवत् १९८१ को हुआ। आपने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की है। बंगला, अंगरेजी, हिन्दी और मारवाड़ी का आपको अच्छा ज्ञान है।

भेड़ामारा कांग्रेस-कमिटी के सन् '४६ में आप मन्त्री रहे। कुष्टिया सबडिवीजनल कांग्रेस-कमिटी के भी आप सन् '४६ में सदस्य थे। सन् '४२ के आन्दोलन की गति धीमी रहने के कारण आपको काफी क्षोभ होता था। नवयुवकों से मिलकर आपने एक कमिटी बनायी जिसकी बैठकें अक्सर रात में यहाँ-वहाँ हुआ करती थीं। तार काटना, सरकारी इमारतों में आग लगाना आदि इसी कमिटी के कार्य थे। सरकार लाख प्रयत्न करने पर भी आपकी कार्यक्षमता के कारण इस कमिटी का पता न लगा सकी। सन् '४६ में लीग की ओर से १६ अगस्त के 'प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस' का आपने विरोध किया। हिन्दुओं की सारी दूकानें खुली रहीं। फल यह हुआ कि मुसलमानों ने आप तथा आपके पिताजी को जान से मार डालने की धमकी दी। आपलोग नवद्वीप चले गये। फिर एस० डी० ओ० के प्रयत्न से यह मामला खतम हुआ।

सन् '४२ में आप टाउन क्लब भेड़ामारा के मन्त्री रहे। आप भेड़ामारा मारवाड़ी सम्मेलन के सन् '४४ में प्रचार, सन् '४५ से '४७ तक सहकारी और सन् '४८ में सभापति, अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन के बम्बई-अधिवेशन में प्रतिनिधि, अ०भा०

मारवाड़ी सम्मेलन और सम्मेलन की राजनीतिक उपसमिति के सन् '४७ से सदस्य हैं। आपका अधिकांश समय सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में व्यतीत होता है।

असेम्बली के पिछले चुनाव में आपने कांग्रेस की ओर से जिले भर का दौरा कर प्रचार किया। कांग्रेस के ऐसे कार्यों में आपकी सब समय सक्रिय सहायता पदाधिकारियों को मिलती रही है। आजाद हिन्द-फौजियों की सहायता के लिये आपने एक अच्छी रकम भेड़ामारा से भेजवायी। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती लतादेवी अग्रवाल भी राष्ट्रीय कार्यों में काफी भाग लेती हैं। आप स्थानीय कांग्रेस-कमिटी की सदस्या हैं। सामाजिक आन्दोलनों में भी आपकी सक्रिय सहायता मिलती है।

पता—भेड़ामारा, कुष्टिया, पूर्वी पाकिस्तान

श्रीरामप्रसाद जोशी

आप के पिताजी का नाम स्व० पं० दुर्गाप्रसाद जोशी है। जन्म कुष्टिया जिले के भेड़ामारा में आश्विन शुक्ला ९, संवत् १९७९ को हुआ। आप बंगला, हिन्दी और अंगरेजी भाषाएँ आसानी के साथ बोल लेते हैं।

राजनीति की ओर आपकी विशेष झुकाव सन् १९४२ के समय में हुआ। अगस्त-आन्दोलन के समय आपने तोड़-फोड़ की नीति का समर्थन किया। रात में सरकारी मकानों, स्टेशनों आदि पर धावा करने, तार के खम्भे उखाड़ने एवं गुप्त सभाओं के आयोजन करने में आपका ही विशेष हाथ रहा। आन्दोलन-सम्बन्धी प्रचार की सारी जिम्मेवारी आप पर थी।

भेड़ामारा कांग्रेस-कमिटी के आप सन् '४५ से ४७ तक सदस्य रहे। एक वर्ष तक कुष्टिया सबडिवीजनल कांग्रेस-कमिटी के भी आप सदस्य रहे।

आजकल आप भेड़ामारा मारवाड़ी सम्मेलन के प्रचार-मन्त्री हैं। कुछ दिनों तक आप इसके अस्थायी मन्त्री भी रह चुके हैं। सामाजिक और सेवा-सम्बन्धी कार्यों में आप बराबर उत्साह के साथ भाग लेते हैं।

पता—भेड़ामारा, कुष्टिया, पूर्वी पाकिस्तान

मुर्शिदाबाद जिला

श्रीसंदीप सेठिया

जियागंज के आप एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय कार्यकर्त्ता हैं। राष्ट्रीय आन्दोलनों में आप कई बार जेल-यात्रा कर चुके हैं। नोआखाली के पीड़ितों की सहायता, सुरक्षा आदि कार्यों में आपने विशेष भाग लिया था।

पता—जियागंज, मुर्शिदाबाद

बाबू जगत सिंह लोढ़ा

जियागंज-कांग्रेस कमिटी के आप सन् १९१८ से ही मन्त्री हैं। सन् '२० में आपकी श्रीमतीजी ने ही परदा का प्रथम बार समाज में बहिष्कार किया था। सन् '२१ के स्वदेशी आन्दोलन और विदेशी वस्त्र-बहिष्कार में आपने काफी काम किया। सन् '२६ में शराब, ताड़ी आदि बन्द करने की आपने पिकेटिंग करायी। इन कार्यों में आपको २ बार जेल जाना पड़ा। आपके कार्यों की प्रशंसा जे० एन० सेन तथा सुभाष बाबू ने बार बार की। कुछ दिनों तक आप हिन्दू-महासभा के भी मन्त्री रहे, परन्तु कांग्रेस और महासभा के बीच विरोध हो जाने पर आपने महासभा का कार्य करना छोड़ दिया।

पता—जियागंज, मुर्शिदाबाद

श्रीभूपति सिंह दूगड़

आप आजमगंज के निवासी हैं। कांग्रेस-कार्यों में आप बराबर भाग लेते आ रहे हैं। कांग्रेस-आन्दोलनों के सिलेसिले में आप कई बार जेल-यात्रा भी कर चुके हैं।

पता—आजमगंज, मुर्शिदाबाद

बर्दवान जिला

श्री चिरंजीलाल केजड़ीवाल

आपके पिताजी का नाम श्रीबनारसीलाल केजड़ीवाल है। जन्म आपका पौष, संवत् १९७६ को हुआ। शिक्षा आपकी मैट्रिक तक हुई।

रानीगंज टाउन कांग्रेस-कमिटी के उपसभापति, रानीगंज सबडिवीजनल कांग्रेस-कमिटी के आप डेढ़ वर्षों से सदस्य हैं।

सन् '३० से ही आपका झुकाव राजनीतिक कार्यों की ओर हुआ। सन् '४२ के आन्दोलन में आपको ९ महीने की सजा हुई। आपका सार्वजनिक जीवन भी बड़ा सुन्दर है। सन् १९३७ में आपने बिना दहेज के अपनी शादी की। परदा-प्रथा के आप सख्त विरोधी हैं।

पता—भारत एयरवेज लिमिटेड, हिन्दुस्तान बिल्डिंग,
४ चित्तरंजन एवेन्यु, कलकत्ता

श्रीश्यामनारायण झुनझुनवाला

आपके पिताजी का नाम श्रीवंशीधर झुनझुनवाला है। टाउन कांग्रेस-कमिटी रानीगंज की कार्यकारिणी के आप सदस्य हैं। सन् '४२ के आन्दोलन में एक वर्ष तक आप 'सेक्युरिटी कैदी' की हालत में बर्दवान जेल में रखे गये थे।

पता—क्लाथ मर्चेंट, बड़ाबाजार, रानीगंज, बर्दवान

श्रीमहादेव शर्मा

आपका जन्म चैत्र कृष्णा ८, संवत् १९५९ में नवलगढ़ में हुआ। आपके पिताजी स्व० श्रीलक्ष्मीनारायण शर्मा का देहान्त सन् १९०८ में हो गया। उस समय आपकी अवस्था ६ वर्षों की थी। सत्रह वर्ष की अवस्था में अपनी विधवा माता के साथ आप कलकत्ता आये। लड़कपन में ही आप में मिलनसारी की पूरी मात्रा पायी

जाती थी। उसी समय राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में आपकी अभिरुचि जाग्रत हुई। कलकत्ते में रानीगंज के श्रीरामेश्वर बजाज के दफ्तर में काम करने लगे। आपका झुकाव व्यायाम, खेलकूद, नाटक आदि की ओर सदा ही रहा। उसी समय कलकत्ते की 'बजरंग-परिषद्' का सदस्य होकर नाटक आदि में भाग लेने का अवसर आप को मिला।

यह उस समय की बात है, जब देश में पूज्य महात्माजी के असहयोग की धूम मची थी। देश के अन्दर तरुणाई का जो जोश लहरा रहा था, आप भी उसमें पूरी तरह डूबने-उतारने लगे। स्वतन्त्रता की सक्रियता ने आपका ध्यान बरबस अपनी ओर खींचा। एक वह भी जमाना था, जब 'वन्दे मातरम्' और 'महात्मा गांधी की जय' कहना ब्रिटिश सरकार के लिये सब से बड़ा अपराध था।

एक दिन की बात है। कलकत्ते के प्रसिद्ध हाली उड पार्क में (अब मुहम्मद अली पार्क) कांग्रेस की ओर से एक सभा का आयोजन किया गया। एक स्वयं-सेवक की तरह आप भी उसमें शरीक हुए। भीड़ खासी थी। खबर पाकर पुलिस सदलबल पार्क में पहुंच गयी। अत्याचार किये जाने लगे। फलतः जनता भागने लगी। आप से यह सब नहीं देखा गया और प्रतिक्रिया-स्वरूप आपने बुलन्द आवाज में राष्ट्रीय नारे लगाने शुरू किये। उस दिन उस सभा में तीन व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोई-एक शुक्लजी, एक हरिजन-बन्धु और तीसरे स्वयं आप। पुलिस आप लोगों को पकड़ कर सीधे बड़ाबाजार थाना ले गयी। आप एक कोठरी में बन्द कर दिये गये। बस, आपने उसी में राष्ट्रीय नारे लगाना शुरू किये।

दारोगा बहुत बिगड़ा। आप थाने में बुलवाये गये। दारोगा ने पूछा—'महात्मा गांधी की जय बोलना बन्द नहीं करोगे?' आपने एक वीर की तरह उत्तर दिया—'नहीं, जब तक दम है, यह नारा बन्द नहीं हो सकता।'

दारोगा जल-भुन गया। वह आपको थप्पड़ों से मारने लगा। आपके दोनों गाल सूज गये। अन्त में हारकर दारोगा ने आपको फिर कोठरी में भेज दिया।

दूसरे दिन आपके मामले की पेशी हुई। अदालत ने दोनों साथियों सहित आपको दो वर्ष कड़ी कैद की सजा दी। आप प्रेसिडेंसी जेल भेज दिये गये। जेल की अवधि से ६ महीने पूर्व ही सरकार ने आपको रिहा कर दिया। तब से बराबर आप कांग्रेस का साथ देते आ रहे हैं। इसके बाद आप सपरिवार रानीगंज आ गये। कांग्रेस के रचनात्मक कामों में आप लगन के साथ भाग लेते हैं। पता—रानीगंज, बर्दवान

श्रीबनवारीलाल भालोटिया

रानीगंज के आप एक अच्छे कार्यकर्त्ता हैं। तिलक-पुस्तकालय और सावित्री कन्या-पाठशाला रानीगंज के संचालन में आपने बराबर सहयोग दिया है। आप समाज-सुधार के कार्यों में भी दिलचस्पी रखते हैं। सन् १९३० के सत्याग्रह-आन्दोलन में आप जेल गये। पता—रानीगंज, बर्दवान

पं० जयनारायण शर्मा

आपका जन्म बराकर में हुआ। लड़कपन से ही आप राष्ट्रीय कार्यों में भाग लेने लगे। राष्ट्रीय आन्दोलनों के सिलसिले में आप कई बार जेल-यात्रा कर चुके हैं।

आप बर्दवान जिला और आसनसोल महकमा कांग्रेस-कमिटी के सदस्य हैं। बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी के भी आप सदस्य हैं। स्थानीय मजदूरों की भलाई के लिये आपने 'खान-मजदूर-कांग्रेस' की स्थापना की। इसके आप ही मन्त्री हैं। बराकर यूनियन कांग्रेस-कमिटी के आप मन्त्री हैं। पता—पो० बराकर, बर्दवान

श्रीनथमल अग्रवाल

आपका जन्म बराकर में आश्विन कृष्णा पंचमी, संवत् १९७७ में हुआ। आपके पिताजी का नाम श्रीबालाबक्स अग्रवाल है। बांकुड़ा कालेज से आपने आई० एस-सी० की परीक्षा पास की।

राष्ट्रीय और सार्वजनिक कार्यों की ओर आपका झुकाव छात्रजीवन में ही हुआ। सन् '४० के अगस्त में बांकुड़ा कालेज में 'वन्दे मातरम्' गीत के लिये आपने छात्रों

के साथ दो महीने की हड़ताल का सफल संचालन किया। सन् '४२ के आन्दोलन में सरकार ने आपको गिरफ्तार कर लिया। तब २ महीने आप जेल में रहे।

पता—बराकर, बर्दवान

श्रीसागरमल अग्रवाल

आप एक अच्छे विचार के नवयुवक हैं। शिक्षा और समाज-सुधार के कार्यों में आप काफी दिलचस्पी लेते हैं। सन् १९३० के आन्दोलन में आप जेल गये।

पता—बराकर, बर्दवान

वीरभूमि जिला

श्रीनिवास पुरोहित

आप बोलपुर के रहने वाले हैं। स्थानीय बंगाली समाज के लोगों से आपका घनिष्ट सम्पर्क है। आप एक अच्छे राष्ट्रीय कार्यकर्त्ता, समाज-सुधारक और देश-सेवक हैं। आपका स्वभाव बहुत ही सरल और सौम्य है। आप बराबर देश के राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेते रहे हैं। इस सिलसिले में आप कई बार जेल-यात्रा भी कर चुके हैं।

पता—बोलपुर, वीरभूमि

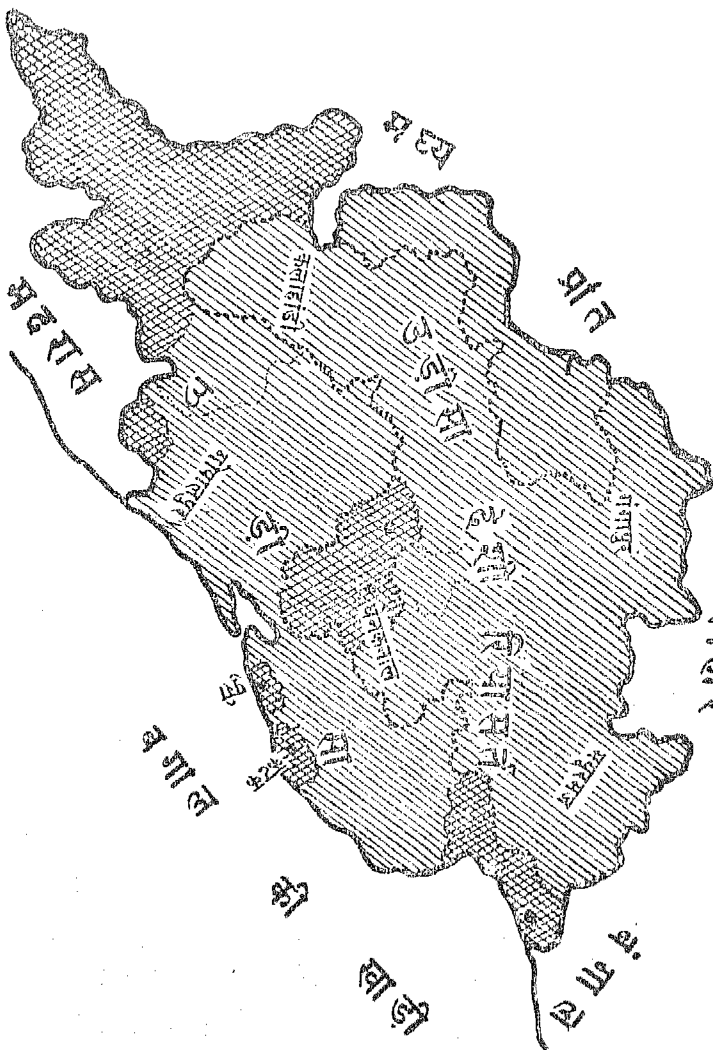
पश्चिमी दिनाजपुर

श्री हजारीलाल अग्रवाल

आपका जन्म चैत्र पूर्णिमा, संवत् १९६४ को हुआ। आपके पिताजी का नाम स्व० श्रीद्वारिका प्रसाद अग्रवाल था। बंगला, हिन्दी, उर्दू और अङ्गरेजी का आपको ज्ञान है। रानीगञ्ज के सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में आपका विशेष हाथ रहा है। महिला-शिक्षा की ओर भी आपका झुकाव है। सन् '३० में भागलपुर के अस्थायी गांधी-कैम्प में आप चार महीने तक रहे। आपका अधिकांश समय जनता की भलाई में ही व्यतीत होता है।

पता—पश्चिमी दिनाजपुर

उड़ीसा-प्रान्त में



अगस्त-क्रान्ति की प्रगति

सन् '४२ की क्रान्ति में

जनप्रयाग और दमन के आँकड़े

गिरफ्तार	१९७०
दण्डित	५६०
नजरबन्द	११
जुलूस और प्रदर्शन	६००
लाठी–चार्ज	३५०
बलात्कार की घटनाएँ	१२
गोली-कांड	६ जगह
मृत्यु	७६
घायल	२,२४३
सामूहिक जुर्माना	१,१६,००० रु०



उड़ीसा-प्रान्त



उड़ीसा-प्रांत सन् १९३६ की पहली अप्रील को बनाया गया। पहले यह विहार-प्रांत के साथ मिला हुआ था। इसके उत्तर में विहार-प्रांत, दक्षिण में बङ्गाल की खाड़ी, पश्चिम में बङ्गाल-प्रांत और पूर्व में मध्य-प्रांत तथा मद्रास-प्रांत है।

यहाँ की प्रधान नदियाँ महानदी, बैतरणी, ब्राह्मणी और सुवर्णरेखा हैं। महानदी का उपजाऊ डेल्टा भी इसी प्रांत में है। यहाँ चौबीस रियासतें थीं, जिन्हें वर्तमान नेहरू-सरकार ने उड़ीसा-प्रांत में मिला दिया है। इस प्रांत की आब-व-हवा समशीतोष्ण है। वर्षा देर में शुरू होती है और जल्दी खतम हो जाती है। समुद्री किनारे के भागों में वर्षा अधिकता से होती है। उड़ीसा में नारियल की खेती होती है।

यहाँ के बाशिन्दे उड़िया भाषा बोलते हैं। देश-भक्ती के लिये यह जाति प्रख्यात है। अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति इनमें काफी मोह है। उड़ीसा में जमींदारों की संख्या अधिक है।

बयालीस के अगस्त-आंदोलन के पहले उड़ीसा के पूर्वी समुद्री तट पर जापान ने अङ्गरेजों के कई समुद्री जहाज डुबा दिये। जापानी आक्रमण की चिंता वहाँ प्रति-क्षण की जा रही थी। फलतः प्रांत का सदर मुकाम कटक से हटाकर १६० मील भीतर सम्भलपुर में चला गया। यातायात के साधनों पर सरकार ने कब्जा कर लिया। सायकिलें और नावें जनता से छीन ली गयीं।

इन नयी मुसीबतों के कारण लोग झुंझला उठे। सरकार के प्रति तीव्र कटुता के भाव उनके दिल में आश्रय लेने लगे। कांग्रेस के नेताओं ने समुद्री तट की रक्षा

करने के लिये स्वयंसेवकों की भर्ती की, लेकिन सरकारी हस्तक्षेप के कारण यह कार्य स्थगित कर दिया गया। जनता इस घटना से क्रोधित हो उठी।

६ अगस्त की चुनौती :—

तभी बम्बई में कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को सरकार ने ९ अगस्त '४२ को कैद कर लिया। जनता ने सरकार की यह कार्रवाई चुनौती के रूप में स्वीकार की। क्रांति की आग सारे प्रांत में लग गयी। कारण चाहे जो हो, उड़ीसा में आंदोलन का रूप बिखरा रहा। शुरूआत यहां भी और प्रांतों की तरह हड़तालों, जुलूसों और सरकारी सभाओं से हुई। बाद में सरकारी इमारतों पर कब्जा करने के प्रयत्न किये गये।

विद्यार्थियों ने यहां भी अगले मोर्चे पर काम किया। सरकारी विज्ञप्तियों में उड़ीसा के आंदोलन को 'अधिकारियों के प्रति विद्यार्थियों का विद्रोह' कहा गया। जनता को आंदोलन की हर प्रकार से सहायता करने की शिक्षा विद्यार्थी ही देते थे—आंदोलन-विस्तार की शिक्षा देना, हड़ताल करवाना, सरकार-विरोधी सभाओं का सङ्गठन, विध्वंसात्मक कार्य की प्रेरणा आदि। उनके इन्हीं सब कार्यों के कारण सरकार ने बहुत दिनों तक शिक्षा-संस्थाओं को बन्द रखा।

स्त्रियों ने भी इस आंदोलन में सराहनीय भाग लिया। एरम में प्रदर्शनकारियों पर जिस समय पुलिस गोलियां चला रही थी, करीब २०० स्त्रियां गोलियों की बौछार में पुलिस के सामने जा खड़ी हुईं। कटक जिले के रावनशा गर्ल्स कालेज की छात्राओं ने भी उल्लेखनीय काम किया।

उड़ीसा में पुलिस ने लाठी-चार्ज किया और गोलियां चलायीं। गाँव के गाँव लूटे गये और उनमें आग लगा दी गयी। स्त्रियों के साथ बलात्कार के भी कम कांड नहीं हुए। आम जनता को कई प्रकार से तकलीफें दी गयीं। लोगों की सम्पत्ति जब्त कर ली गयी। खादी-भंडारों पर सरकार ने कब्जा कर लिया।

बालासोर जिले की अद्भुत वीरता :—

गिरफ्तार	३०० से अधिक
नजरबन्द	२५०
मृत्यु	८२
घायल	२७०
गोली कांड	३ जगह
सामूहिक जुर्माना	६,००० रु०

आन्दोलन में इस जिले की करीब तीन-चौथाई जनता ने भाग लिया। नेताओं की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही विद्यार्थी स्कूलों और कालेजों से बाहर आ गये। दूर देहातों में भी हड़तालों का सिलसिला जारी रहा। मीलों लम्बे जुलूस निकाले गये। पहला गोलीकाण्ड यहाँ ९ अगस्त को ही हुआ। इसमें ४५ व्यक्ति मरे और ३०० घायल हुए।

सितम्बर के आखिरी दिनों में आन्दोलन का रूप भयंकर हो गया। जगह-जगह तार काटे गये, सरकारी संस्थाओं पर हमले हुए, सरकारी इमारतों में आग लगायी गयी और पुल नष्ट किये गये। एस० डी० ओ० की अदालत में घुसकर ६ व्यक्तियों ने सरकारी कागजात जला डाले। चौकीदारों की वर्दियां आग में फेंक दी गयीं।

२२ सितम्बर को कटशाही स्थान में ४,००० जनता की भीड़ पर पुलिस ने ३५ राउण्ड गोलियाँ चलायीं। इसमें ६ मरे और ५ सख्त घायल हुए। २ घायल अस्पताल में जाकर मरे। पुलिस का एक सब-इंस्पेक्टर और कुछ सिपाही जख्मी हुए। कई स्थानों पर जनता ने सशस्त्र पुलिस को आमने-सामने ललकारा। दामनगर में पुलिस ने निरपराध जनता पर गोली चलायी। यहाँ ८ व्यक्ति मरे और ४० घायल हुए। ४० व्यक्ति बन्दी भी बनाये गये।

पुलिस ने स्त्रियों के शरीर से जबरदस्ती गहने उतार लिये। बालासोर जेल में ऐसा एक भी गाँव शेष न बचा, जहाँ की जनता पर कोड़ों और बेंतों की मार न पड़ी हो? कुछ गाँवों पर इतने अनुचित गोलीकाण्ड हुए, सरकार ने उनकी रिपोर्ट प्रकाशित करने पर रोक लगा दी।

श्रीज्वालाप्रसाद सरावगी

जयपुर रियासत में लक्ष्मणगढ़ के आप निवासी हैं। पिछले ६०-७० वर्षों से बालासोर में आपका कारोबार है। आप एक कर्मठ कार्यकर्त्ता हैं। राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में आप बराबर भाग लेते हैं।

सन् '४२ के आन्दोलन में आप गिरफ्तार किये गये। सरकार ने दो वर्षों तक आपको जेल में रखा। जेल से रिहा होने के बाद आप राजनीतिक उत्पीड़ितों के परिवारों के सहायता-कार्य में जुट गये। अपनी सच्ची सेवा-भावना के कारण ही आप उड़ीसा प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी की प्रान्तीय राजनीतिक सहायता-समिति के मन्त्री बनाये गये।

पता—गनपतराम ज्वालाप्रसाद, बालासोर

स्व० श्रीलक्ष्मीनारायण छापड़िया

आप सेठ हरिनारायणजी के छोटे भाई थे। कांग्रेस-कार्यों में आप सदा सक्रिय भाग लेते थे। सन् '२१ के आन्दोलन में आपके मकान की तालाशी हुई। पं० सुन्दरलालजी-द्वारा लिखित 'भारत में अंगरेजी राज्य' पुस्तक रखने के कारण आप गिरफ्तार कर लिये गये। सरकार ने आपको ६ महीने की सजा और २,००० रु० जुर्माना किया। जेल से रिहा होने के थोड़े ही दिन बाद आप स्वर्ग सिधारे।

पुरी भी जाग उठी थी :—

यहाँ आन्दोलन में प्रधान भाग लिया संस्कृत कालेज और देलांग थाने के विद्यार्थियों ने। पुरी कालेज के भी सभी छात्रों ने हड़ताल में भाग लिया। जनता ने यहाँ

भी सरकारी इमारतों पर कहीं-कहीं हमले किये। नीमपाड़ा थाने की पुलिस पर ईंट और पत्थर फेंके गये। इसमें कुछ सिपाही घायल हो गये। पुलिस ने जनता पर यहाँ ११ राउंड गोलियाँ चलायीं, जिनसे एक व्यक्ति मरा और ११ घायल हुए।

श्रीभोलानाथ शाह

आपका जन्म जयपुर-राज्य के उदयपुर गांव में संवत् १९४१ में हुआ। संवत् १९५९ में व्यापार करने के लिये आप कलकत्ता गये। फिर कटक पहुँचे। उड़ीसा के सार्वजनिक क्षेत्र में आपका अत्युच्च स्थान है। सन् '२१ की भयंकर बाढ़ के समय आपने पुरी की जनता के बीच सराहनीय सेवा-कार्य किया। उसी समय अनाथ बालकों की रक्षा के लिये बिड़ला-बन्धुओं की सत्प्रेरणा और लाला सखीचन्दजी अग्रवाल की सहायता से पुरी में आपने एक अनाथालय की स्थापना की।

उड़ीसा के राजनीतिक जीवन में आपका सम्मानित भाग है। सन् '३० के झण्डा-आन्दोलन में आपने जेल-यात्रा की। सन् '३२ के नमक-सत्याग्रह में तीन बार आप जेल गये।

श्रीसूरजमल शाह

उड़ीसा के प्रसिद्ध राष्ट्र-कर्मी श्रीभोलानाथ शाह के आप भतीजे हैं। आपके पिताजी का नाम श्रीभागीरथ शाह है। आपकी शिक्षा बी० ए० तक हुई है। कानून का अध्ययन करते समय फारवार्ड ब्लाक से सम्बन्ध रखने के कारण आप गिरफ्तार कर लिये गये। कांग्रेस-आन्दोलनों के सिलसिले में आप तीन बार जेल-यात्रा कर चुके हैं।

सम्हलपुर भी डट गया :—

यहाँ की जनता भी शान्तिपूर्वक आन्दोलन में काम करती रही। कई व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कांग्रेस-दफ्तर पर छापा मार कर पुलिस वहाँ से साइक्लोस्टाइल मशीन उठा ले गयी।

श्रीप्रह्लादराय लाठ

उड़ीसा-प्रान्त के मारवाड़ी समाज में आपका विशिष्ट स्थान है। आपके पूर्वज जयपुर-रियासत में ग्राम सुल्ताना के निवासी थे। पिछले उड़ीसा प्रान्तीय कांग्रेस-मन्त्रि मण्डल के आप सदस्य थे। अखिल भारतीय कांग्रेस-कमिटी के सदस्य, सम्बलपुर जिला कांग्रेस-कमिटी और चरखा-संघ की प्रान्तीय काटन-कमिटी के आप सभापति रह चुके हैं।

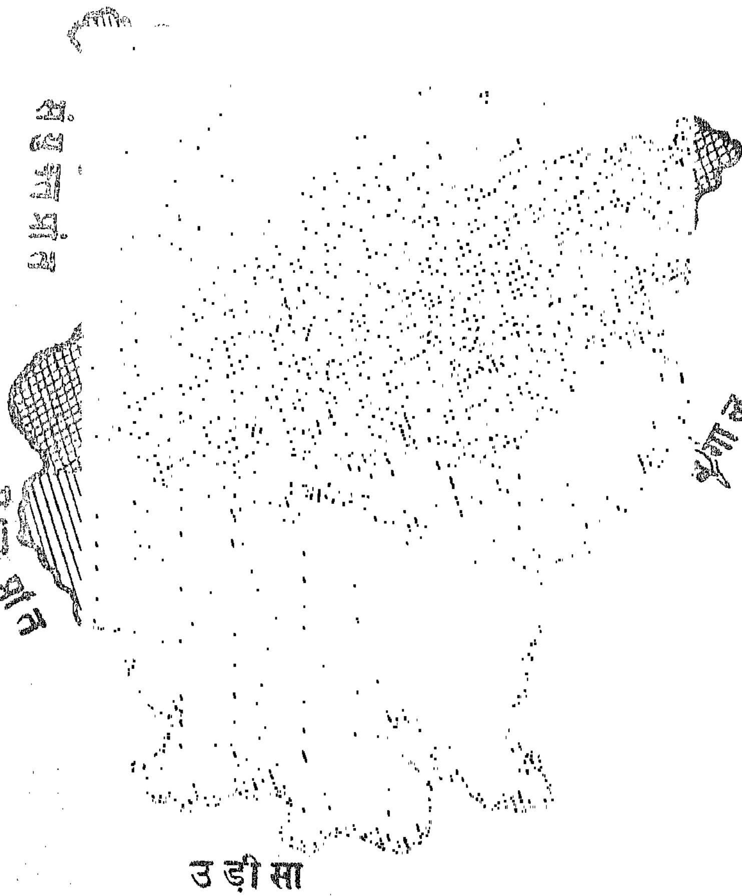
सन् '४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह-आन्दोलन में आप गिरफ्तार हुए और ८ महीने जेल में रहे।

श्रीशिवचन्द्रराय अग्रवाल

आपका जन्म राजपूताने के बापोड़ा नामक गाँव में हुआ। सार्वजनिक कार्यों में आप बराबर भाग लेते रहे हैं। सन् '२१ के आन्दोलन में आप जेल गये। फिर '३२ के आन्दोलन में आप गिरफ्तार कर जेल भेज दिये गये। उड़ीसा में राष्ट्रभाषा-प्रचार के कार्यों में वर्षों तक आपने भरपूर मदद दी।



बिहार-प्रान्त में



नक्शों में

निशान वाले वह स्थान हैं जहां आंदोलन तीव्रता से हुआ है। और

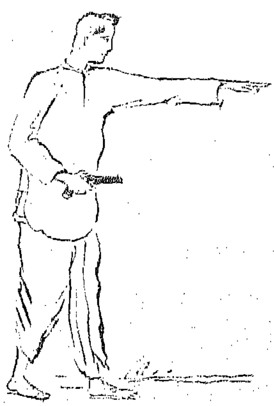
निशान वाले वह स्थान हैं जहां आंदोलन साधारण अवस्था में रहा।

सन् '४२ की क्रान्ति में—

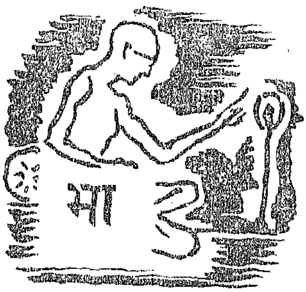
जनप्रयास और दमन के आँकड़े

नज़रबन्द	८७१
गिरफ़्तार	३३, ८१३
दण्डित	१७, ३३१
मृत्यु	१, ८१७
घायल	२, ८०४
सामूहिक जुर्माना	२२,०६, ८३४ रु०

जनता ने ५, २५० सरकारी संस्थाओं पर आक्रमण किया। १, ४४५ गाँ और ४७ संस्थाओं को सरकारी दमन और लूट का सामना करना पड़ा।



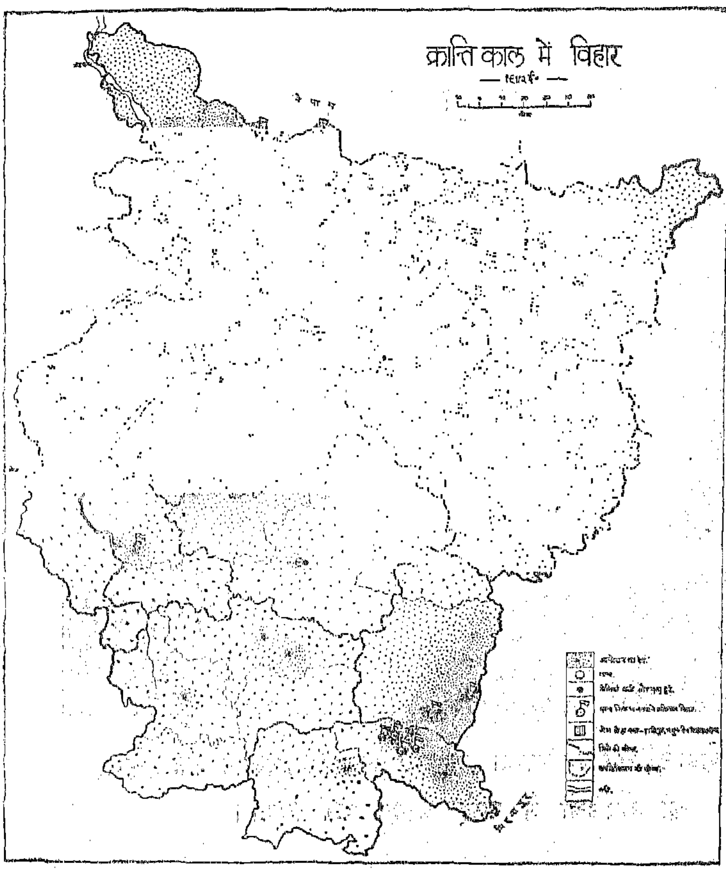
विहार-प्रान्त



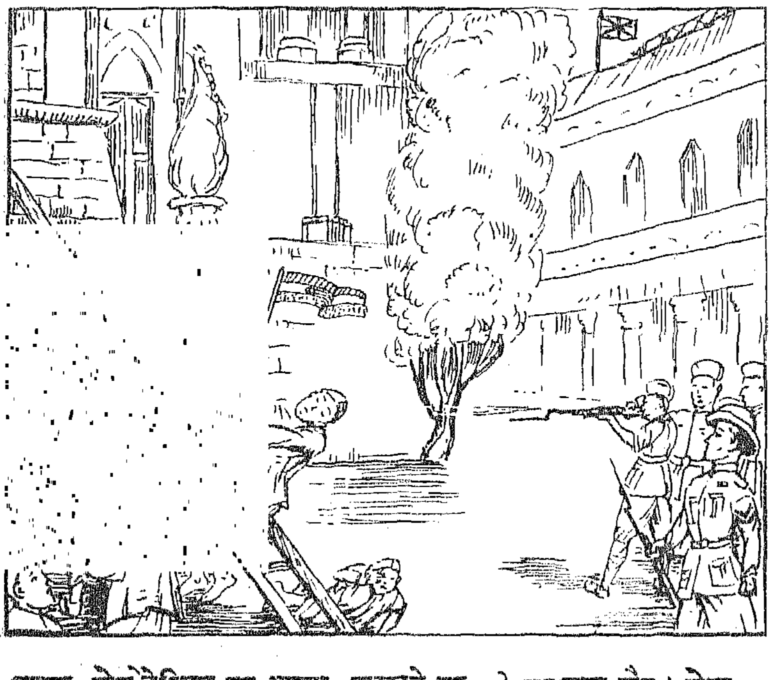
भारत के राष्ट्रीय आन्दोलनों में विहार ने सदा ही प्रमुख भाग लिया है। अपने जोशीले कारनामोंके द्वारा विहार की जनता ने देश की स्वतन्त्रता-प्राप्ति में हर समय अपना कन्धा लगाया।

विहार की भूमि आजादी की गन्ध से भर गयी है। यह वही जमीन है, महात्माजी ने पहली बार देश के अन्दर अपने सत्याग्रह-अस्त्र की परीक्षा की। चम्पारण जिले के गोरे निलहों के अमानुषिक अत्याचार के प्रतिकूल जो सक्रिय आवाज़ उन्होंने उठायी, देश के इतिहास पर उसका तत्क्षण अनुकूल प्रभाव पड़ा। महात्माजी की अंगरेज नौकरशाही के विरुद्ध वह पहली क्रियात्मक नैतिक विजय थी। तभी विहार की जनता महात्माजी के पीछे आकर खड़ी हो गयी।

विहार की प्राकृतिक बनावट सुन्दर है। मोटे तौर पर उसके दो भाग किये जा सकते हैं—(१) गंगा के उत्तर का मैदान और (२) दक्षिण की पहाड़ी जमीन। उत्तर के मैदान में कृषि का एकच्छत्र राज्य है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दीखती है। इसे ही 'भारत का बगीचा' कहा जाता है। पहाड़ी जमीन में छोटानागपुर का प्लेटो आता है। खनिज पदार्थ यहाँ बहुतायत से मिलते हैं। कोयला, लोहा आदि की प्रसिद्ध खानें यहीं हैं। दुनिया में अबरख का सबसे बड़ा कारखाना यहीं अवस्थित है। एशिया में लोहे का सर्वश्रेष्ठ कारखाना तातानगर में है।



प्रान्त में अगस्त-आन्दोलन का प्रभाव और सीमा-विस्तार



पटना सेक्रेटेरियट पर झण्डा फहराते हुए श्रीसन्तलाल जैन। सेना की गोलियों ने उन्हें आहत कर दिया।

इन दोनों के बीच भी एक मैदान है। बिहार के कुछ जिले इसमें शामिल हैं। परन्तु, यहाँ की जमीन में पहाड़ी का हिस्सा कहीं-कहीं आ गया है। गंगा-प्रांत के बीच से होकर गयी है। गङ्गा के अलावे प्रसिद्ध नदियों में सोन, घाघरा, फल्गू, बूढ़ी गंगा आदि हैं। इन नदियों में साल-भर तक जल का अक्षुण्ड भंडार है, जिससे भूमि ऊर्वर रहती है।

बिहार, जैसा कि ऊपर कहीं लिखा गया है, कृषि-प्रधान प्रांत है। शहरों की संख्या यहां कम है। यहां के बाशिन्दे प्रकृतितः सीधे, सरल और धार्मिक होते हैं। इनमें विश्वास, धीरता और लगन की मात्रा अधिक है। फलतः रचनात्मक कार्यों की ओर विशेष झुकाव रहता है। यहाँ के नेता गावों के हैं। प्रसिद्ध क्रांतिकारी समाजवादी श्रीजयप्रकाश नारायण और देशभक्त डा० राजेन्द्र प्रसादजी की जन्मभूमि सारन जिला है, जहाँ समाजवादी और गांधीवाद विचार परस्पर में टक्कर लेते हैं।

सन् '२१ से लेकर सन् '४२ तक के कांग्रेस-आंदोलनों में बिहार कीजनता ने सीना खोलकर सरकार का सामना किया। अनेक प्रकार के दंड, यातना और अपमान सहकर भी उसने आजादी की अपनी मांग कभी बन्द नहीं की। अगस्त-आंदोलन में बिहार ने शानदार हिस्सा लिया। उन्हीं दिनों श्रीजयप्रकाश नारायण ने नेपाल की घाटियों में बन्दूक की मार आजमायी और भागलपुर में महेन्द्र चौधरी ने भाले की धार तेज की। बिहार, इतिहास की आज वाली विजय पर गर्व करता है।

बिहार की राजनीतिक जागृति में मारवाड़ी समाज का भी प्रमुख हाथ रहा है। आर्थिक रूप में जितनी सहायता इस समाज ने राष्ट्रीय आंदोलनों की की, वह तो है ही, साथ ही राजनीतिक संग्राम में सक्रिय भाग लेकर मारवाड़ी नवयुवकों ने राष्ट्रीय गतिविधि में सराहनीय प्रयत्न किये।

सन् '२१ से लेकर सन् '४५ तक के आंदोलनों पर दृष्टिपात्र करने से यह बात एक तरह से प्रमाणित हो जाती है, यहाँ की राजनीतिक प्रगति में इस समाज की अतुलनीय सेवा निहित है। प्रांत के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक अपने अर्थ

और बलिदानों के द्वारा जो सम्पर्क कार्यकत्ताओं के बीच, इस समाज ने स्थापित किया उस ओर से आँखें मूँद लेना कृतघ्नता का सूचक है।

प्रान्त में आंदोलन की लहरें :—

९ अगस्त को बम्बई में कांग्रेसी नेता गिरफ्तार हुए। बिहार में हड़तालें शुरू हो गयीं। प्रांत के प्रायः सभी कालेजों और स्कूलों से विद्यार्थी बाहर आ गये। प्रांत के मजदूरों और व्यापारियों ने भी हड़ताल कर दी। विरोध में सभायें होने लगीं, जुलूस निकलने लगे। १३-१४ अगस्त से ही जनता के कार्य आग लगाने वाले हो गये। सरकारी व्यवस्था अस्त-व्यस्त कर देने की भरपूर कोशिशें की गयीं। आवागमन के सभी साधन—रेल, टेलीफोन, टेलीग्राफ, सड़क, स्टीमर-स्टेशन डाकखाने आदि नष्ट कर दिये गये। कटिहार से मैरवा तक, लगभग २६० मील ओ० टी० रेलवे की लाइन उखाड़ डाली गयी।

जनता ने एक हजार से अधिक डाकखाने जला दिये। सारा प्रांत विद्रोह के बीच धधक रहा था। परन्तु, गाँवों में लूट-मार के कांड नहीं हुए। गाँवों में पञ्चायतें कायम की गयीं। सैनिकों का सामना तक किया गया। मुजफ्फरपुर ज़िले के एक गांव में जनता ने लकड़ी की ढाल बनाकर गोलियों का मुकाबला किया।

उत्तेजित जनता ने कई जेलों पर भी हमला किया। मधुबनी में कैदियों ने विद्रोह कर दिया। वहां का जेल सुपरिंटेंडेंट पकड़ कर जबरदस्ती जेल में ठूस दिया गया। राजनीतिक कैदियों के अलावे बाकी सब भाग गये। ३००० व्यक्तियों ने हाजीपुर जेल पर हमला किया। जेल का फाटक तोड़ दिया गया। १०० कैदी, जिनमें कुछ राष्ट्रीय भी थे, फरार हो गये। बाद में कुछ राजनीतिक कैदियों को खुफिया पुलिस ने पकड़ लिया। उन्हें बुरी तरह पीटा गया। गधे पर चढ़ाकर वे घुमाये भी गये। फिर ८०,००० रु० उन पर जुर्माना किया गया। आरा की जेल से ७०० और गोंडा जेल (संथाल परगना) से ६०० कैदी भगा दिये गये।

२० अगस्त से ही तातानगर के ३०,००० मजदूरों की हड़ताल शुरू हो गयी। स्त्री, बच्चे, जवान, बूढ़े सभी इसमें शरीक थे। १३ दिनों तक यह हड़ताल चलती रही। इस हड़ताल पर टी० एम० शाह ने कहा है "हड़ताल इतनी स्वाभाविक और शान्तिपूर्ण थी कि अमरीकन और अन्य विदेशी सैनिकों को इसकी भूरी-भूरी प्रशंसा करनी पड़ी और यह कहना पड़ा कि इस तरीके की हड़ताल की, हम अपने देश के मजदूरों से भी, आशा नहीं कर सकते।"

आन्दोलन को दबाने के लिये सरकार ने देहातों तक में फौज भेजी। सरकारी सैनिकों को मजबूर करने के लिये जनता ने यातायात के साधनों को नष्ट कर देने का निश्चय किया। प्रान्त के अधिकांश स्टेशन जला दिये गये। हजारों मील तक की रेल लाइन बर्बाद कर दी गयी। अगस्त और १५ सितम्बर तक यही हालत रही। रेल के टिकट और उन्हें काटने वाली पंचिंग मशीनें तक नहीं मिलती थीं। तार आदि भेजने का सिलसिला तो कई महीने बाद शुरू हुआ। ८० प्रतिशत देहातों के थाने अपने सदर मुकाम में चले गये। कई जगहों के सदर मुकाम भी डाँवाडोल स्थिति में कार्य करते थे। जिले की कचहरियाँ बन्द हो गयी थीं। ऐसी स्थिति कुछ जिलों में कई महीने तक चलती रही।

सरकार के नीचता-भरे कृत्य :—

बिहार-प्रान्त में सरकारी दमन का इतिहास दिल दहलाने वाली तथा शर्म-भरी घटनाओं से भरा है। जिस प्रकार देहात के गाँवों को उज्जड और नृशंस सैनिकों ने उजाड़ डाला, उसकी गाथा आँखों में खून उतार देती है।

गोरे सिपाहियों से प्रान्त भर गया था। वे अन्धे होकर जनता पर गोलियाँ चलाते थे। बहुत स्थानों पर उन्होंने मनबहलाव के लिये ही लोगोंको अपने निशाने बनाये। गाँव लूटे और जलाये गये। स्त्रियों पर अनेक जुल्म किये गये। उन्हें नंगी कर पीटना, घसीटना और बेइज्जत करना अदना काम हो गया था।

पटना जिला

गिरफ्तार	४,२३४
दण्डित	२,२४३
मृत्यु	३०
घायल	१२१
गोली चली	१० जगह
सामूहिक जुर्माना	८,००,००० रु०

बम्बई में नेता गिरफ्तार हुए और पटने में राजेन्द्र बाबू। जनता उत्तेजित हो उठी। विद्यार्थियों ने स्कूल और कालेजों में जाना बन्द कर दिया। रेल, तार, डाक आदि सरकारी जगहों पर जनता ने कब्जा कर लिया। सरकार लाचार कर दी गयी। पुलिस-चौकियों और कचहरियों पर भी अधिकार कर लिया गया। यातायात के सभी साधन नष्ट कर दिये गये।

१० अगस्त, सोमवार पटना के इतिहास में अमर है। सैकड़ों-हजारों की संख्या में विद्यार्थी राष्ट्रीय नारे लगाते शहर की सड़कों पर घूम रहे थे। सरकारी अधिकारियों ने भीड़ पर पुलिस को लाठी-चार्ज करने का हुक्म दिया। परन्तु, सिपाहियों ने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया। ११ अगस्त को सबेरे शहर में प्रभात-फेरियां निकलीं। स्कूलों और कालेजों में पिकेटिंग शुरू हुई। पिकेटिंग करने वालों पर पुलिस ने लाठी-चार्ज किया। कुछ पकड़े गये और कुछ घायल हुये। विद्यार्थियों के एक जुलूस पर गर्ल्स हाई स्कूल के पास बेंतों की वर्षा शुरू हुई, घोड़े दौड़ाये गये और लाठियों की मार पड़ी। बलूची सिपाहियों ने बर्बरता का काफी परिचय दिया। अत्यधिक संख्या में विद्यार्थी घायल हुए।

जुलूस सेक्रेटेरियट पर झण्डा गाड़ने के लिये रवाना हुआ। गुरखा सैनिकों के साथ मि० आर्चर वहाँ मौजूद था। उसने जुलूस का रास्ता रोक दिया। भीड़ में से

11 छात्र बाहर आये। उन्होंने सैनिकों के सामने अपना सीना खोल दिया। गोलियाँ चलीं, ६ छात्र वहीं शहीद हो गये। तीन को अस्पताल में पहुँचने पर शहादत मिली। एक छात्र आपरेशन टेबुल पर लिटाया गया। मूर्च्छा टूटने पर उसने डाक्टर से पूछा 'मुझे गोली कहां लगी है?' डाक्टर बालक का भाव समझ गया। बोला—'सीने में।' लड़का मुस्कुराया और धीमी आवाज में बोला—'ठीक' लोग यह तो नहीं कहेंगे, भागते वक्त गोली लगी?' उसके ये अन्तिम शब्द थे।

"घायलों के शरीर से जो गोलियाँ निकाली गयी थीं, उनकी जाँच करने से पता चला कि वे 'दमदम गोलियाँ' थीं; जिनका व्यवहार अन्तर्राष्ट्रीय विधान के अनुसार युद्ध-काल में भी मना है।"

सरकारी दमन के कारण जनता हिंसक हो उठी। पटना सिटी स्टेशन गोदाम, शहर के सभी लेटर बक्स, पटना जँक्शन, पोस्ट आफिस आदि उसने जला डाले। अनेक रेलवे इंजन नष्ट कर दिये गये। बिजली के तार और टेलीफोन के खम्भे काट डाले गये। रेलवे लाइनें उखाड़ी गयी। फतुहा में दो कनाडियन अफसर जला दिये गये। मुकामा और बिहटा में कपड़े की हजारों गांठें लूटी गयीं। जिले के बहुत से स्टेशनों में आग लगा दी गयी।

फुलवारी के गोली-काण्ड में १७ व्यक्ति शहीद हुए। बाद में एक व्यक्ति मरा और ८ घायल हुए। कहा जाता है कि बिहारशरीफ की जेल में कैदियों पर भयंकर अत्याचार किये गये। पानी के बदले में उन्हें पेशाब पिलाया गया था। कई जगहों में प्रतिष्ठित व्यक्तियों से नालियाँ साफ करायी गयीं। सामूहिक जुर्माने की रकम इस जिले में सबसे अधिक रही।

श्रीनारायण प्रसाद अग्रवाल

आपके पिताजी का नाम श्रीछेदीलाल अग्रवाल है। जन्म आपका पहली जनवरी, सन् १९१९ को हुआ। कलकत्ता-विश्व-विद्यालय से आपने सन् १९४४में बी० ए० पास किया। फिर वकालत की परीक्षा पास की।

आपका परिवार बहुत पहले से ही राष्ट्रीय कार्यों में सहायता प्रदान करता रहा है। श्रीकेदारनाथ अग्रवाल ने सन् ३० के आन्दोलन में पूरा सहयोग दिया था। सन् '४२ के अगस्त-आन्दोलन में आपने सक्रिय भाग लिया। दो वर्ष आप जेल में रहे।

पता—गोविन्दमित्र रोड, पटना

सेठ मोहनलालजी

पटना जिले में आप बौरीसराय के रहने वाले हैं। सन् '४२ के आन्दोलन में आप जवानी की देहली पार कर गये थे, परन्तु, आपके ही प्रोत्साहन से हारमोनियम आदि द्वारा देहातों में क्रान्ति का प्रचार किया जाने लगा। पुलिस ने आपको ढूँढ़ निकाला और गिरफ्तारकर लिया। थाना फूँकने, रेलकी पटड़ियाँ उखाड़ें, लगानबन्दीका प्रचार करने के नाम पर केस चलाया गया, परन्तु, जुर्म साबित न हो सकने के कारण आप छोड़ दिये गये।

पता—बौरीसराय, पटना

श्रीसन्तलाल जैन

आप भागलपुर के रहने वाले हैं। अवस्था तब आपकी २२ वर्षों की थी।

उस दिन पटना सेक्रेटेरियट पर तिरंगा फहराया जाने वाला था। जनता का समूह उमड़ता आ रहा था। आर्चर डटा हुआ था। कुछ लड़के झण्डा फहराने के लिये भीड़ में से निकल कर आगे आये। उन्हीं में एक आप भी थे। बदनसीब गोलियों ने आजादी के लिये सर से कफन बाँधकर अलख जगाने वालों की जान ली। लेकिन आपको गोली पैर में लगी आप बच गये।

गया जिला

गिरफ्तार	१०३५
दण्डित	७८९
नजरबन्द	४६
मृत्यु	१४
सामूहिक जुर्माना	२,४३,६०० रु०
सरकारी संस्थाओं पर हमले	
थाने	१४
डाकखाने और अन्य जगहें	५६

गया में सबसे अधिक अत्याचार हुआ जहानाबाद सबडिवीजन में। लूटपाट में पुलिस और सैनिकों ने यहां अत्याचार की हद कर दी। कन्हाई साहु पकड़ कर जेल भेज दिये गये। फिर उनके मकान में पहुँच पुलिस ने ५२ भर सोना, दस सेर चांदी के जेवर और बीस-पच्चीस बर्तन भी उठा ले गयी।

ग्रैंड-ट्रंक-रोड गया जिला होकर ही जाती है, जिस कारण औरंगाबाद सबडिवीजन में अंगरेजी और अमरीकन फौज का अखाड़ा बन गया। इस जिले के आन्दोलन में मुसलमानों ने काफी भाग लिया। कई मुसलमान कार्यकर्ता अन्ततक आन्दोलन का संचालन करते रहे। गया में पठानों की बड़ी-बड़ी जमींदारियां हैं, लेकिन, ऐसी एक भी घटना वहां न घटी, जिसमें पठानों ने पुलिस के अत्याचार-भरे कार्यों में उसकी सहायता की हो।

जनता ने कई थानों पर हमला किया ? १४ थाने सबडिवीजनों में जला लिये गये। कई रेलवे स्टेशन फूंक दिये गये। शराब की भट्ठियों और १६ पोस्ट-आफिसों को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया गया। नहर के कुछ आफिसों को भी नष्ट कर दिया गया। गया से पटना, मुगलसराय और नवादा रेलवे लगभग एक महीना बन्द रही। टेहटा स्टेशन से लगातार करगांव तक रेल की पटड़ियाँ उखाड़ डाली गयीं। बाद

में तार के खम्भे भी काटे गये। नवादा में तो १४ अगस्त से ही गाड़ियों का आना-जाना बन्द हो गया था।

१८ अगस्त को कुर्था थाने पर जनता झण्डा फहरा रही थी। पुलिस ने वहीं और भालों से उस पर हमला किया। थाना-कांग्रेस कमिटी के मन्त्री भाले से मारे गये।

श्रीमुरलीधर खेतान

आप गर्ग गोत्रीय अग्रवाल मारवाड़ी हैं। आपके पिताजी का नाम श्रीगोपीलाल खेतान है। जन्म आपका आश्विन शुक्ला त्रयोदशी, सवत् १९६२ को हुआ। १३ वर्ष की अवस्था से ही आप राजनीतिक कार्यों में भाग लेने लगे। सन् ३० के आन्दोलन में आप स्थानीय कांग्रेस-कमिटी के नायक बनाये गये। आप थाना कांग्रेस-कमिटी के मन्त्री और जिला तथा सबडिवीजनल कांग्रेस-कमिटी के सदस्य रह चुके हैं। इस आन्दोलन में आपको ६ महीने तक जेल में रखा गया। जेल में आप से कड़ा काम लिया जाता था।

सन् '३२ में आप गिरफ्तार किये गये। परन्तु, सरकार ने केवल ६०० रु० का जुर्माना कर के ही छोड़ दिया। आन्दोलनों के दौरान में पुलिस-द्वारा आपके मकान की पाँच बार तलाशी ली गयी। इस विषय की चर्चा करते हुए आपने लिखा है "पुलिस के अफसरों ने मेरे घर की बार-बार तलाशी ली, मकान का कोना-कोना छान डाला। लेकिन, स्वीकार करता हूँ, ऐसे भलेमानसों के आदर-सत्कार करने में सर्वदा असमर्थ रहा।"

सार्वजनिक कार्यों में भी आप विशेष भाग लेते हैं। जहानाबाद में 'आर्य-समाज' की स्थापना का सारा श्रेय आपको ही है। सन '३३ में आपने गोपीलाल पुस्तकालय, जहानाबाद स्थापित किया। आप जहानाबाद यूनियन कमिटी के अध्यक्ष, जहानाबाद अस्पताल, श्रीजमनालाल-पुस्तकालय, श्रीगोपीलाल-पुस्तकालय और थाना कांग्रेस-कमिटी के मन्त्री तथा जिला कांग्रेस-कमिटी के सदस्य हैं।

पता—जहानाबाद, गया

श्रीनथमल चूड़ीवाला

आपके पिताजी का नाम स्व० श्रीबद्रीदास चूड़ीवाला था। जन्म आपका आश्विन शुक्ला षष्ठी, संवत् १९५६ को हुआ।

स्व० श्रीठाकुरप्रसाद चूड़ीवाला ने सन् '३३ के आन्दोलन में भाग लिया था। गया जेल में उन्हें तीन महीने की सजा भुगतनी पड़ी थी। वंश-परम्परा की यह देन आपको भी मिली। जहानाबाद-कांग्रेस-अधिवेशन में आप सम्मिलित हुए। '४२ के आन्दोलन में सरकार ने आपको गिरफ्तार किया। हजारीबाग जेल में आप ६ महीने रहे। आजकल आप मारवाड़ी सभा, जहानाबाद के मन्त्री हैं।

पता—बद्रीदास नथमल, जहानाबाद, गया

शाहाबाद जिला

गिरफ्तार	२२५५
दण्डित	१८१०
नजरबन्द	७९
गोलीकाण्ड	१९ जगह
सामूहिक जुर्माना	५०,००० रु०
सरकारी संस्थाओं पर आक्रमण—	
थाने	३०
रेलवे स्टेशन	१५
डाकखाने	१७

१७ अगस्त को आरा में एक विशाल सभा हुई। सशस्त्र पुलिस ने भीड़ पर लाठी चलाने से इन्कार कर दिया। सभा खतम होने पर सभी सरकारी दफ्तरों

पर तिरंगा फहराया गया। बिना खून-खराबी के जनता ने १७ थानों पर कब्जा कर लिया। कई थानों में जनता ने ताले डाल दिये। सहसराम थाना डेढ़ महीने तक जनता के अधिकार में रहा। रेलवे-स्टेशन जलाये गये। डाकखानों को फूंक दिया गया।

पुलिस ने १८ जगहों में गोली चलायी। सहसराम में मशीनगन का व्यवहार किया गया। गंगा नदी के तट वाले गाँव घेर कर घरों को लूटा गया। लोगों के मकानों में आग भी लगायी गयी।

मामूली-२-अपराधों पर कार्यकर्त्ताओं को २०-२० साल की सख्त सजा दी गयी। ५ व्यक्ति फांसी पर लटका दिये गये। घनसोई में स्त्रियों के साथ बलात्कार किया गया।

श्रीनगेन्द्र कुमार

आप आरा शहर के श्रीचण्डीप्रसाद के पुत्र हैं। सन् '४१ में आपका झुकाव राजनीतिक कार्यों की ओर हुआ। आप समाजवादी विचार-धारा के समर्थक हैं।

सन् '४२ के आन्दोलन में आपने ध्वंसात्मक कार्यों में विशेष रूप से भाग लिया। उस समय आपका प्रधान कार्य कांग्रेस-बुलेटिन और पोस्टर लिखने का था। शहर में बाँटना और इधर-उधर चिपकाने का काम भी आप करते थे। अगस्त में ही आपके नाम वारंट निकल गया। कई जगहों की तलाशी लेने के बाद भी पुलिस आपको गिरफ्तार न कर सकी। १४ सितम्बर को अपने दल के साथ दिन में १०-११ बजे आप एक खंडहर में पोस्टर चिपका रहे थे। उसी समय गोरी फौज की एक टुकड़ी-द्वारा घेर कर आप गिरफ्तार कर लिये गये। २३ तारीख तक आप आरा में रखे गये। बाद में आप पर मुकदमा चलाया गया और ३ वर्ष की सख्त सजा दी गयी। पटना कैम्प जेल में भी आप रखे गये थे। परन्तु, कुछ दिन बाद

अपील करने पर आप रिहा हुए। बिहार-ट्रेन-दुर्घटना-केस में भी पुलिस ने आपको फंसाना चाहा, लेकिन सबूत के अभाव से आप बच गये।

पता—आरा, शाहाबाद, बिहार

सारन जिला

गिरफ्तार	२,०००
दण्डित	५५
नजरबन्द	७२१
मृत्यु	५१७
सामूहिक जुर्माना	१,९५,००० रु०
सरकारी संस्थाओं पर हमले—	
थाने	१८
रेलवे स्टेशन	२४
डाकखाने	३
रजिस्ट्री-आफिस	२

१३ अगस्त की संध्या को सिवान की पक्की सराय में सभा हो रही थी। पुलिस ने जनता पर गोलियां चलायीं। ३ मरे और ९ घायल हुए। जनता भी पुलिस पर ईंट और पत्थर फेंकने लगी। आखिर में गोलियां चुक जाने पर पुलिस सदर थाने भाग गयी। दूसरे दिन सिवान स्टेशन जला डाला गया। इस सबडिवीजन के ९ थाने देहातों से उठ गये। १४ अगस्त को २० हजार आदमियों की भीड़ ने छपरा जङ्कशन घेर लिया और स्टेशन में आग लगा दी। इसी दिन छपरा कचहरी स्टेशन और लोको इञ्जिन शेड भी फूँक दिया गया। १५ अगस्त को महाराजगंज-

थाने पर जनता ने धावा किया। पुलिस ने गोलियाँ चलायीं। फुलेना प्रसाद को नौ गोलियाँ दागी गयीं। वे वहीं शहीद हुए। महौरा में कई अङ्गरेज टामी मार डाले गये। सोनपुर जङ्कशन पर एक बड़ी भीड़ ने आक्रमण किया। रजिस्ट्री-आफिस जला दिया गया। इञ्जिन-शेड में खड़े तीन इञ्जिन चलाकर छोड़ दिये गये, जो नदी में जाकर गिरे।

इस जिले में रेलवे के सभी स्टेशन और पोस्ट आफिस जला दिये गये। रेल की पटड़ियां उखाड़ कर पानी में फेंक दी गयीं। तार के खम्भे काट डाले गये। सड़कों पर के पुल नष्ट कर दिये गये। आंदोलन का रूप भयङ्कर हो उठा। देहात की जनता ने भी उसमें विशेष भाग लिया। दरौली मि० ई० स्कूल के हेड मास्टर पं० रामबली दुबे को गोरे कप्तान ने 'शूट' करने का हुक्म दिया। इसी थाने के पचबेनिया गाँव में अवस्थित स्टीमर-घाट फूंक दिया गया।

जब फौज इस जिले में आयी, पुलिस ने उसकी सहायता से काफी अत्याचार किया। बिहार-सरकार के आबकारी मंत्री श्रीजगलाल चौधरी के दो वर्ष का अबोध बालक गोली से उड़ा दिया गया। खेतों में काम करने वाले १३ से १८ वर्ष के दो लड़कों को मनचले टामियों ने गोली मार दी। रेलवे लाइन पार करने वालों तक को गोली मार दी गयी। ३ सितम्बर को जब गोरों की पलटन छपरा जेल के पास से गुजर रही थी, बन्दियों ने जेल के अन्दर से नारे लगाये। गोरा कप्तान चिढ़ गया और उसने जेल में जाकर अपने सामने १६ प्रसिद्ध राजनीतिक कैदियों को ३०-३० बेंत लगवाये।

इस आंदोलन में जिले की लगभग ६,००,००० जनता ने भाग लिया। बिहार-प्रांत में बयालीस के आंदोलन में सबसे अधिक व्यक्ति इसी जिले में मारे गये। उनकी संख्या ५१७ है।

श्रीहीरालाल सराफ

आपका जन्म संवत् १९०७ के मार्गशीर्ष महीने में हुआ। आपके पिताजी का नाम श्रीवंशीधर सराफ है। शिक्षा आपको मैट्रिक तक मिली है। जिले के कांग्रेसी नेताओं में आपका प्रमुख स्थान है। छपरा लोकल बोर्ड के आप एक प्रसिद्ध सदस्य हैं। कांग्रेस के रचनात्मक कार्यों में आप विशेष भाग लेते हैं। इसके लिये दिघवारा में आपने शिल्प-कला-विद्यालय खोला है।

कांग्रेस के सभी आन्दोलनों में आप जेल-यात्रा कर चुके हैं। सन् '३० के सत्याग्रह-आन्दोलन में आपको गिरफ्तार किया गया। उस समय हजारीबाग सेंट्रल जेल में आप ६ महीने रहे। दूसरी बार सन '३२ में आप फिर गिरफ्तार हुए। इस बार भी हजारीबाग सेंट्रल जेल में आपको ६ महीने रखा गया। सन '४२ के आन्दोलन में आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया। मोतीहारी जेल में आप ३ महीने रहे। फौजियों ने आपका मकान फूंक दिया और शिल्प-कला-विद्यालय जला दिया। बिहार-प्रांत की लेजिस्लेटिव-असेम्बली के आप एक सदस्य हैं।

पता—दिघवारा, सारन

चम्पारण जिला

गिरफ्तार	२,०१८
नजरबन्द	१६
दण्डित	७००
मृत्यु	२२
घायल	५५
गोलीकाण्ड	६ जगह
सामूहिक जुर्माना	१,०३,३६० रु०

सरकारी संस्थाओं पर आक्रमण—

थाने	९
डाकखाने	५
रेलवे स्टेशन	२
अन्य दफ्तर	३

११ अगस्त को मोतीहारी के जुलूस पर पुलिस ने लाठी-चार्ज किया। इसमें पाँच आदमी घायल हुए। १२ अगस्त को लाइन उखाड़ने, तार काटने आदि का कार्य रक्सौल से शुरू हुआ। कई स्टेशनों को नष्ट कर दिया गया। मोतीहारी का इंकमटैक्स-आफिस जला दिया गया, रिक्रूटिंग-आफिस पर धावा किया गया और पुल, तार आदि नष्ट कर दिये गये। कितने ही डाकखानों और नहर-आफिसों को लूटने-फूँकने की चेष्टाएँ की गयीं। मोतीहारी के एक ईसाई-मिशन की लूट में एक लड़के ने ५०० रु०की एक थैली ले ली। पीछे यह मिशन के पादरी को लौटा दी गयी। सुगौली से सेमरा तक तार के खम्भे काट गिराये गये। शिकारपुर स्टेशन पर कुण्डिया कोठी के एक अंगरेज का हैट उतार कर उसे गांधी-टोपी पहनायी गयी।

चम्पारण के हिन्दू कलक्टर का सारा अधिकार उससे छीन दो यूरोपियनों को, एक सकिल मैनेजर और दूसरा मधुबन स्टेट का मैनेजर, सौंप दिया गया। टामियोंने यहां काफी अत्याचार किये। पांच स्थानों पर गोलियाँ चलायी गयीं। ५० जगहों पर फौज ने लूट की। स्त्रियों के साथ बलात्कार किया गया। लोगों को यहाँ ४० वर्ष तक की सजा दी गयी।

श्रीमुरलीधर मोदी

आपके पिताजी का नाम श्रीरामदेवराम मोदी है। जन्म आपका भाद्रपद, संवत् १९६५ में हुआ। सन् १९२१ से ही आप कांग्रेस-कार्यों में दिलचस्पी लेने लगे। सन् '४२ के आन्दोलन में आपने काफी काम किया। सुगौली थाने में

ताला आपने ही लगाया। जी० आई० पी० थाने की अपार क्षति में आपका भी हाथ था। १० दिसम्बर को आप गिरफ्तार कर जेल भेज दिये गये।

पता—सुगौल, चम्पारण

श्रीबैजनाथ प्रसाद भावसिंहका

आप का जन्म संवत् १९-३ में हुआ। आप चुरू निवासी सिंघल गोत्रीय अग्रवाल हैं। आप चम्पारण जिले में केसरिया गांव के रहने वाले हैं।

सन् '२१ से ही आप राष्ट्रीय आन्दोलनों में भाग लेते रहे हैं। कांग्रेस के सभी आन्दोलनों में आप जेल-यात्रा कर चुके हैं। सन '२१, ३०, '३२ और '४२ में आप कभी ६ महीने, कभी डेढ़ और कभी तीन साल तक सरकार द्वारा जेल में बन्द रहे। बयालीस के आन्दोलन में आपका मकान लूट लिया गया जिसमें लाखों रुपयों का सामान चला गया। चम्पारण जिला-बोर्ड के आप पांच साल और बीरगंज गोशाला के तीन साल सभापति रह चुके हैं। आप एक मिलनसार, उदार और संगीत-प्रेमी व्यक्ति हैं।

पता-केसरिया, पो० रक्सौल, चम्पारण

श्रीराधाकृष्ण भावसिंहका

आप श्रीबैजनाथ भावसिंहका के छोटे भाई हैं। कांग्रेस-कार्यों में आप बहुत दिनों से भाग ले रहे हैं। सन् '३० के आन्दोलन में सरकार ने आपको गिरफ्तार कर लिया। उस समय आप ९ महीने जेल में रहे।

पता—केसरिया, पो० रक्सौल, चम्पारन

दरभंगा जिला

गिरफ्तार	१९,०००
नज़रबन्द	१८
दण्डित	१,९००
मृत्यु	३८
घायल	९७
गोलीकाण्ड	९ जगह
सामूहिक जुर्माना	४, ८९, ५०० रु०

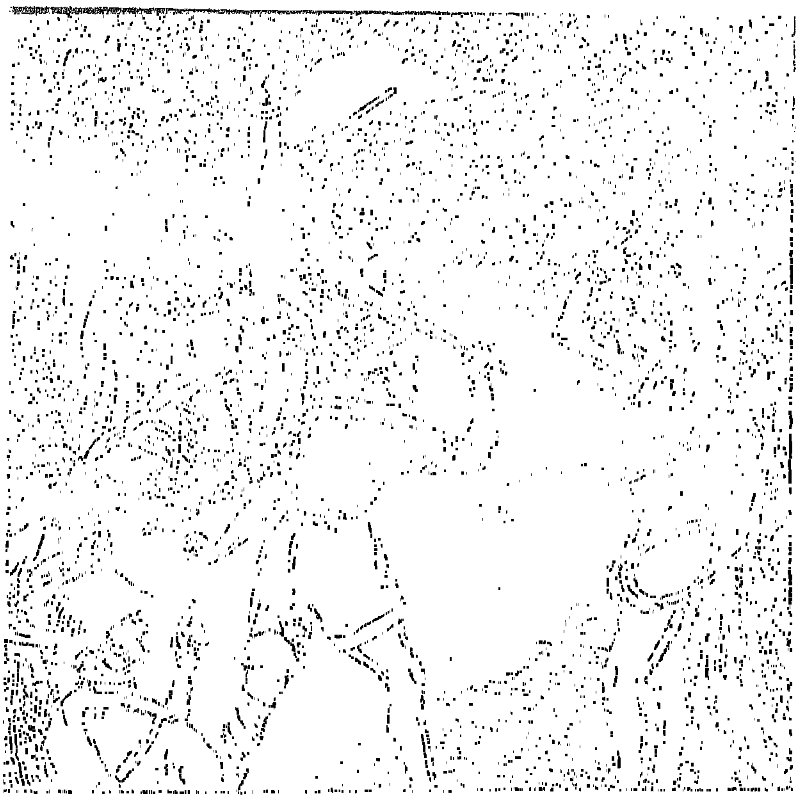
सरकारी संस्थाओं पर हमले—

थाने	१८
रेलवे स्टेशन	११
डाकखाने	४
दूसरी इमारतें	५

९ अगस्त को दरभंगा में दोपहर को तांगे और रिक्शेवालों ने अपना जुलूस निकाला। प्रांत में यह एक विचित्र घटना थी। रेल की पटड़ियाँ उखाड़ डाली गयीं और तार के खम्भे काटे गये। ट्रेनों पर बागी जनता ने कब्जा कर लिया। थानों के रेकार्ड जला दिये गये। १७ अगस्त को दरभंगा स्टेशन पर देहात के एक जुलूस को पुलिस ने अपनी गोलियों का निशाना बनाया। इसमें एक व्यक्ति शहीद हुआ और १० घायल। बूट की ठोकरों से एक आदमी की जान ली गयी।

मधुबनी में १२ अगस्त को एक जुलूस पर कचहरी के पास पुलिस ने लाठी-चार्ज किया। कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार कर हंटरों से पीटा गया। १५ अगस्त को मधुबनी थाने के सामने ६ हजार व्यक्तियों के एक जुलूस पर पुलिस ने लाठी-चार्ज किया। लेकिन, जनता जब टस से मस न हुई, उस पर गोली चलायी गयी। एक

उड़ीसा-प्रान्त

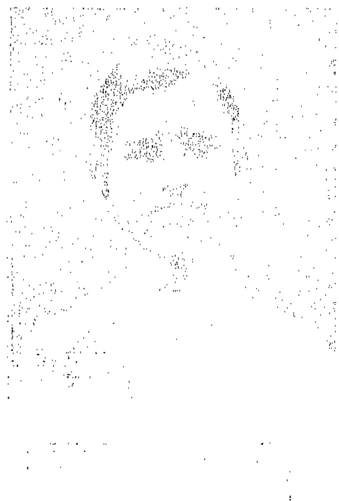


बालासोर जिले में ऐसा एक भी गांव शेष न बचा, जहाँ की जनता पर कोड़ों और बेंतों की मार न पड़ी हो। कुछ गाँवों में पुरुषों और स्त्रियों को नंगी कर पीटा गया।



कोरापुर गाँवमें एक स्त्री को पेड़से उलटा लटका कर लाठी और बेंत से पीटा गया।





श्रीहरनारायण जैन, भागलपुर

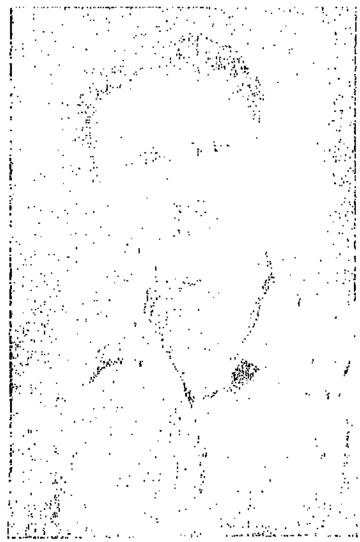
श्रीमोतीलाल झुनझुनवाला, दरभंगा



श्रीपरमेश्वरलाल जैन 'सुमन', दरभंगा



श्रीमुरलीधर मोदी चम्पारण



श्रीरामगोपाल सराफ, दरभंगा



श्रीदेवीप्रसाद तुलस्थान, दरभंगा

आदमी वहीं शहीद हो गया। दूसरे एक घायल को पैर पकड़ पुलिस घसीटती हुई थाने में ले गयी, जहाँ वह मर गया। १४ अगस्त को खजौली थाने के कुलआही गाँव में सबडिवीजनल अफसर की मोटरकार नष्ट कर दी गयी और सिपाहियों की साय-किलें छीन ली गयीं। फलैक्स कम्पनी जला दी गयी, जिसमें २,००,००० रु० का नुकसान हुआ।

१६ अगस्त को समस्तीपुर कचहरी पर झण्डा फहराने के लिये विद्यार्थियों ने धावा किया। २०० विद्यार्थी वहीं पर पुलिस-द्वारा पकड़ लिये गये, जिन्हें दो घंटे बाद छोड़ दिया गया।

गोरे सिपाही और पुलिस ने यहाँ काफी अत्याचार किये। सिंघिया थाने में १८ परिवारों के घर जलाये गये। एक सम्मानित वृद्ध कांग्रेसी के मुँह में डोम से पेशाब डलवाया गया। यहां बलात्कार की काफी घटनाएँ हुईं। दो हजार के घरों वाली बस्ती सिंघिया रात भर पुलिस और मिलिटरी के व्यभिचार का अड्डा बनती थी। लाट साहब तक से इसकी शिकायत की गयी थी। खेतों में घास काटती हुई लड़कियों के साथ भी व्यभिचार किया गया। लौकिहा थाने में तो वहाँ की पुलिस ने कई लड़कियों को गायब रखा।

५४ स्थानों के खादी-भंडार जला या नष्ट कर दिये गये। इसमें ३०-३१ हजार की हानि हुई। दीप नामक गाँव के २०० घर जला दिये गये। १५ अगस्त को टामियों की एक स्पेशल ट्रेन बरौनी से समस्तीपुर जङ्कशन पर आकर रुकी। गुमटी पर गाड़ी से जनता पर गोलियाँ बरसायी गयीं। २१ आदमी शहीद हुए और ५० सख्त घायल। ऐसा खयाल किया जाता है, यदि ड्राइवर ट्रेन की चाल तेज न करता तो जाने किस प्रकार की आफत उस दिन गोरों की वे गोलियाँ जनता पर ढातीं ?

श्रीरामगोपाल सराफ

आपके पिताजी स्व० श्रीमहावीरप्रसाद सराफ राजनीतिक संस्थाओं में प्रारम्भ से ही दिलचस्पी लेते रहे। कमतौल कांग्रेस-कमिटी की वे सर्वविधि सहायता किया करते थे।

सन् '४२ के आंदोलन में आपने पहले लुक-छिप कर कार्य किया। परन्तु, पुलिस की आंखों से छिपे न रह सके। आपको गिरफ्तार करने के लिये सरकार ने इनाम की घोषणा की। दो वर्षों तक आप फरार रहे। पुलिस ने आपके परिवार को काफी परीशान किया। परन्तु, आप हाजिर न हुए।

पता—रामकुमार महावीर प्रसाद, कमतौल, दरभंगा

श्रीमहेश्वर प्रसाद धानूका

आपका जन्म संवत् १९७८ में हुआ। पिताजी का नाम स्व० श्रीछोटेलाल धानूका था। सन् '४२ के आंदोलन में दलसिंहसराय के विध्वंसक कार्यों में सम्मिलित होने के कारण आप गिरफ्तार हुए और ५ महीने नजरबंद रहे।

पता—पो० दलसिंहसराय, दरभंगा

स्व० श्रीगौरीशंकर धानूका

आपके पिताजी का नाम स्व० श्रीछोटेलाल धानूका था। सन् '३० के आन्दोलन में आपने सक्रिय भाग लिया। उस समय नशीली वस्तुओं के विरुद्ध आपने पिकेटिंग की थी। यहाँ तक कि अपने पिताजी के अफीम खरीदने पर भी पिकेटिंग करना आपने नहीं छोड़ा। शराब की दूकानों पर पिकेटिंग करते हुए आपको गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया।

श्रीपरमेश्वर लाल जैन, 'सुमन'

आपका जन्म २० जनवरी, सन् [illegible]२० में हुआ। आपके पिताजी का नाम श्रीरामप्रसाद जैन है। शिक्षा आपने इंटर तक पायी। देवघर-विद्यापीठ से आपने 'साहित्यालंकार' की परीक्षा पास की है।

सन् '४२ के आन्दोलन में टामियों की गोली से समस्तीपुर में १४ आदमी मारे गये। उनके सम्मान में जो जुलूस निकाला गया, उसका नेतृत्व आपने ही किया। इस कारण पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर एक साल जेल में रखा। आप हिन्दी के एक होनहार कवि हैं।

पता—जैन-निवास, समस्तीपुर, दरभंगा

स्व० श्रीवंशीधर केजड़ीवाल

कार्त्तिक कृष्णा चतुर्दशी, संवत् १९४५ को आपका जन्म हुआ। पिताजी का नाम श्रीबलवन्तराय केजड़ीवाल है। सन् १९१३ से ही आपने राष्ट्रीय कार्यों में भाग लेना शुरू किया। सन् '३० के आन्दोलन में आप थाने के डिक्टेटर थे। उस समय आपको एक महीने की सजा हुई थी। सन् '३१ में आप फिर गिरफ्तार कर लिये गये। दरभंगा जेल में २४ दिन रखने के बाद सरकार ने आपको रिहा कर दिया।

सन् '४७ की ७ सितम्बर को आपका देहान्त हुआ।

श्रीदेवीप्रसाद तुलस्थान

आपके पिताजी का नाम श्रीब्रिजलाल तुलस्थान है। जन्म आपका कार्त्तिक कृष्णा सप्तमी, संवत् १९७३ में हुआ।

सन् '३२ के आन्दोलन में विदेशी वस्त्र-बहिष्कार-आन्दोलन में आपने भाग लिया। कानपुर में पिकेटिंग करते हुए आप गिरफ्तार हुए और सात दिन जेल में रहे। '४२ के आन्दोलन की भी आपने गुप्त रूप से काफी सहायता की।

पता—दलसिंहसराय, दरभंगा।

श्रीमोतीलाल झुनझुनवाला

आपका जन्म माघ शुक्ला चतुर्दशी, संवत् १९७० में हुआ। आपके पिताजी का नाम श्रीगोपीकृष्ण झुनझुनवाला है। कांग्रेस के आप एक लगनशील कार्यकर्त्ता

हैं। सन् '३० से ही आप राष्ट्रीय कार्यों में अपना सहयोग दे रहे हैं। समस्तीपुर नगर कांग्रेस-कमिटी के आप सदस्य रह चुके हैं।

सन् '३३ में पहली बार आप जेल गये। केन्द्रीय सरकार के वर्तमान सचेतक श्रीसत्यनारायण सिंह के आदेशानुसार २६ जनवरी को आपने सबडिवीजनल अफसर मि० ई० टी० प्रिडोक्स की अदालत पर तिरंगा फहराया। फलतः आपको कैदकर लिया गया। सन् '४२ के आन्दोलन में आप शुरू में ही गिरफ्तार कर लिये गये।

सार्वजनिक कार्यों में आप विशेष दिलचस्पी रखते हैं। समस्तीपुर गोशाला के आप तीन-चार वर्षों से मन्त्री और म्युनिसिपल कमिश्नर हैं।

पता—हरदत्तराम गोपीराम, समस्तीपुर, दरभंगा

श्रीमहावीर प्रसाद खेमका

आपके पिताजी का नाम बाबू कन्हैयालाल खेमका है। जन्म आपका सन् १९२२ में हुआ। शिक्षा आपकी इंटर तक हुई। सन् '३० के आन्दोलन में, स्कूल में पढ़ते समय, शराबबन्दी-आन्दोलन के सिलसिले में आपने दूकानों पर पिकेटिंग की, जिस कारण दो दिनों के लिये आप जेल में रहे। सन् '३७ में भागलपुर में रथयात्रा की सरकार-द्वारा स्वीकृति न मिलने के कारण आपने सत्याग्रह कर उसे प्राप्त की।

पता—दलसिंहसराय, दरभंगा

श्रीबजरंगलाल केजड़ीवाल

राष्ट्रीय कार्यों में आपने उत्साह के साथ कार्य किया है। सन् '३० के आन्दोलन में क्रियात्मक भाग लेने के कारण आप को एक महीने की सजा हुई।

पता—पो० झंझारपुर बाजार, दरभंगा

भागलपुर जिला

गिरफ्तार	४,०००
दण्डित	१,०००
नजरबन्द	१००
मृत्यु	२१८
घायल	३६२
गोली-काण्ड	५५ जगह
सामूहिक जुर्माना	२,१८,४८० रु०
सरकारी संस्थाओं पर हमले—	
थाने	२१
डाकखाने	७
रेलवे स्टेशन	२५

भागलपुर शहर के कालेज के रेकार्ड, इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स का आफिस और इन्कमटैक्स दफ्तर फूँक दिये गये। भागलपुर का रेलवे गोदाम लूट लिया गया। थानों के दफ्तर, पोस्ट आफिस और रजिस्ट्रेशन दफ्तर एकदम जला दिये गये। माल-गोदाम से जनता ने चीनी के सैकड़ों बोरे लूट लिये। खगरिया से कटिहार तक १०० मील रेल की पटड़ियां उखाड़ डाली गयीं। पसराहा और नारायणपुर के बीच की लाइन ६ महीने तक बन्द रही।

१२ तारीख को सहफाबाद-चरखा-शिक्षण-शिविर पर हमला कर पुलिस उसके सारे समान उठा ले गयी। जनता ने थाने पर हमला कर उसे नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। तीन रेलवे स्टेशनों के माल-गुदाम की लूट में जनता को १०,००० स्लीपर और दूसरे सामान मिले।

सरकार भी अत्याचार पर तुल गयी। गनपतगंज में पुलिस ने श्रीवंशीधर अग्रवाल और श्रीरामचन्द्र अग्रवाल का मकान जला दिया।

भागलपुर और बांका सबडिवीजन में फौज के अत्याचारों से ऊब, बचे-खुचे कार्यकर्त्ताओं ने 'परशुराम-दल' तैयार किया। इसका प्रधान काम सरकारी इमारतों पर हमला करना था। कुछ दिन बाद परशुराम गिरफ्तार हो गये। तब इसका नेतृत्व-भार सियाराम बाबू ने सम्हाला। दल का नाम बदल कर 'सियाराम-दल' हो गया। इस दल की खोज करने वाले सैकड़ों आदमियों के नाक-कान या हाथ की ऊंगलियां काट ली गयीं। सरकार-द्वारा रिहा किये गये ८० डकैत भी महेन्द्र गोप के साथ इस दल में मिल गये। कुछ दिन बाद महेन्द्र गोप गिरफ्तार हुए और उन्हें फाँसी दी गयी।

भागलपुर जेल के १२५ कैदी मार डाले गये। बिहार के अन्य जिलों की अपेक्षा यहां अधिक जगहों पर पुलिस ने गोली चलायी। बलात्कार की घटनाएँ यहाँ भी अधिक हुईं। अमरपुर थाने के कुशल गांव में बलूचियों ने ४ घरों में घुसकर बलात्कार किया। कटोरिया थाने के भितिया गाँव में एक गर्भवती के साथ बलात्कार किया गया, जिस कारण उसका गर्भ-स्राव हो गया। यहीं के एक सत्रह वर्षीय लड़के की धोती खोलकर उसके साथ यह नीच काम किया गया। इस गांव में बलूचियों ने एक बकरी के साथ भी बलात्कार किया।

श्रीबनारसीलालझुनझुनवाला

कांग्रेस के आप एक सम्मानित नेता हैं। भारत को आजाद करने के लिये कांग्रेस ने जितनी बार अंगरेज नौकरशाही से मोर्चा लिया, आप उन सबमें सक्रिय भाग लेते रहे। प्रान्त की राजनीति में आपका भी हाथ है।

कांग्रेस के गया और रामगढ़-अधिवेशनों में उन्हें सफल बनाने का भार स्वागत-समिति की ओर से आप पर ही डाला गया था और आपने उसे अतीव सुन्दरता के साथ निबाहा।

बिहार प्रान्तीय असेम्बली के आप पिछले चुनाव में सदस्य निर्वाचित हुए हैं। विधान-परिषद् के भी आप सदस्य हैं।

राष्ट्रीय आन्दोलनों में आपने बराबर भाग लिया है। सन् १९२१ के आन्दोलन में आपने पहली जेल-यात्रा की। फिर नमक-सत्याग्रह के सिलसिले में जेल गये। सन् १९४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह-आन्दोलन में भी आपने जेल-यात्रा की। सन् बयालीस की क्रान्ति में आपको सरकार ने कैद कर वर्षों जेल में रखा।

बिहार में आप कांग्रेस के एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। सार्वजनिक कार्यों में भी आप बराबर अपना सहयोग प्रदान करते हैं। जन-सेवाके अधिकतर कार्य आपकी देखरेख में सम्पन्न होते हैं।

पता—भागलपुर सिटी

श्रीकिशुनलाल केड़िया

आपका जन्म श्रावण शुक्ला एकादशी, संवत् १९८० में हुआ। पिताजी का नाम स्व० श्रीरामेश्वरलाल केड़िया था।

सन् '३९ में भागलपुर में झण्डा-सत्याग्रह हुआ। आप सत्याग्रह के कामों में पुरी दिलचस्पी के साथ कार्य करने लगे। फलतः पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया। २४ दिनों तक आप भागलपुर सेंट्रल जेल में रखे गये।

पता—उमाशंकर मिल्स लिमिटेड, भागलपुर

श्रीगदाधर प्रसाद चौधरी

आप भागलपुर जिले में कहलगांव के रहने वाले हैं। कांग्रेस के आप एक कर्मठ कार्यकर्त्ता हैं। सभी राष्ट्रीय आन्दोलनों में आपने डटकर कार्य किया है। सन् '३० और '३१ के आन्दोलनों में आप गिरफ्तार होकर जेल की सजा भुगत चुके हैं। कांग्रेस के रचनात्मक कार्यों में आप उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं।

पता—कहलगांव, भागलपुर

श्रीअगरचन्द जैन

आपका जन्म आषाढ़ कृष्णा नवमी, संवत् १९७४ में हुआ। आपके पिताजी का नाम श्रीनारायण जैन है। श्रीहरिनारायण का स्थान भागलपुर के सार्वजनिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में प्रमुख है।

कांग्रेस की ओर आपका झुकाव शुरू में ही हुआ। सन् '३० के आन्दोलन में आपको ६ महीने की सजा दी गयी। '४२ के आन्दोलन में आप गिरफ्तार कर ३ महीने जेल में रखे गये।

पता—भागलपुर, बिहार

श्रीत्रिलोकचन्द केडिया

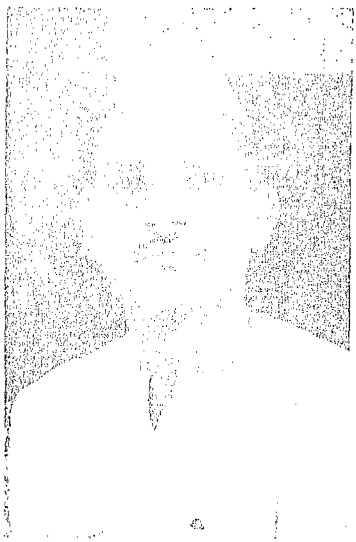
आप कांग्रेस के एक प्रसिद्ध कार्यकर्त्ता हैं। सन् '३० और '३१ के सत्याग्रह-आन्दोलनों में आपने थाना कांग्रेस-कमिटी के सदस्य की हैसियत से काफी काम किया। सन् '४० में आप जिला कांग्रेस-कमिटी के सदस्य बने। सभी आन्दोलनों में आपने कार्यकर्त्ताओं की आर्थिक सहायता की। अगस्त-आन्दोलन को जीवित रखने के लिये आपने १, २०० रु० दिये।

पता—पो० किशुनगंज, भागलपुर

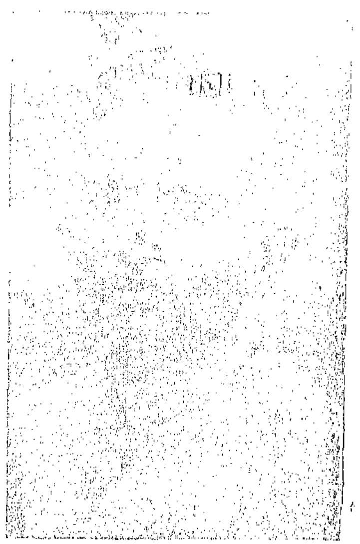
श्रीचम्पालाल जैन

जन्म आपका आश्विन कृष्णा तीज, संवत् १९७० में हुआ। आपके पिताजी का नाम श्रीमगनलाल जैन है। राष्ट्रीय कार्यों में आप बराबर सहयोग देते रहे हैं। सन् '४२ के आन्दोलन में भाग लेने के कारण सरकार ने आप पर वारंट निकाला। परन्तु, आप फरार हो गये। फरार की हालत में आपने गुप्त रूप से आन्दोलन में काफी काम किया।

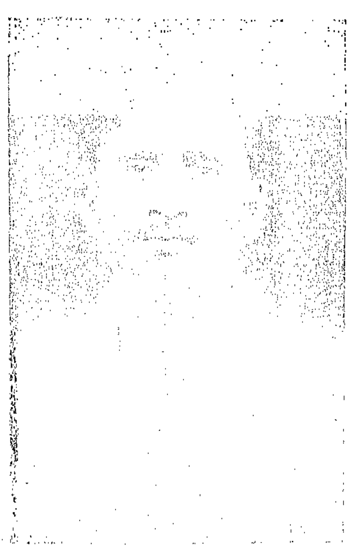
पता—भागलपुर, बिहार



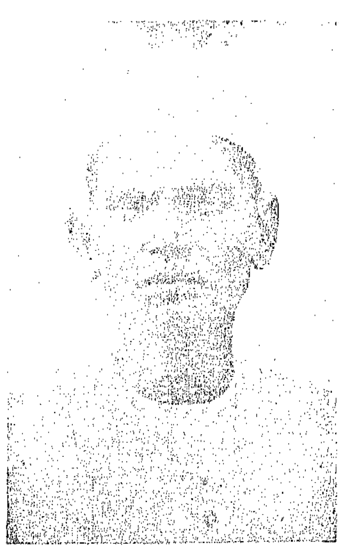
श्रीहरिप्रसाद शर्मा, भागलपुर



श्रीमहादेवलाल सुरेका, पूर्णिया



श्रीबैजनाथप्रसाद सुल्तानिया, मुंगेर



श्रीबंशीधर हलवाई, संथालपरगना

संथाल परगना के कर्मठ कार्यकर्ता :—



श्रीगौरीशंकर डालमिया, संथालपरगना

श्रीश्यामसुन्दर खेमका

आपके पिताजी का नाम श्रीबनारसीलाल खेमका है। पौष कृष्णा सप्तमी, संवत् १९८१ में आपका जन्म हुआ। शिक्षा आपने मैट्रिक तक पायी है।

भागलपुर वाले हिन्दू-महासभा के अधिवेशन-अवसर पर आप सन् १९४१ में पुलिस-द्वारा गिरफ्तार कर लिये गये। सन् '४२ की क्रांति में आपको बम्बई में कैद कर लिया गया।

पता—भागलपुर सिटी, विहार

श्रीहरनारायन जैन

भागलपुर के आप प्रसिद्ध समाजसेवी और राष्ट्रीय कार्यकर्त्ता हैं। कांग्रेस के आन्दोलन में आपने सदैव उत्साह के साथ भाग लिया है। सन् '४१ के सत्याग्रह आन्दोलन में आपको ६ महीने की सजा और ५० रु० जुर्माना हुआ।

पता—भागलपुर, विहार

श्रीहरिप्रसाद शर्मा

आपके पिताजी का नाम श्रीमोहनलाल शर्मा है। जन्म आपका आश्विन कृष्णा नवमी, संवत् १९८१ में हुआ। आई० काम० तक आपने शिक्षा प्राप्त की है। भागलपुर शहर कांग्रेस-कमिटी और विहार प्रान्तीय मारवाड़ी सम्मेलन के आप सदस्य हैं। सामाजिक कार्यों में आप विशेष भाग लेते हैं। सन् '४२ के आन्दोलन में भाग लेने के कारण सरकार ने आप पर वारंट निकाला, जिस कारण आप फरार हो गये।

पता—सुजागंज, भागलपुर सिटि

श्रीसोहनलाल अग्रवाल

आपके पिताजी का नाम श्रीलक्ष्मीनारायण अग्रवाल है। जन्म आप का करीब सन् १९२३ में हुआ। शिक्षा आपको मैट्रिक तक मिली है। सन् '४२ के आन्दोलन

में आपने काफी काम किया। सरकार चिढ़ गयी। पुलिस ने आपका मकान फूँक दिया, जिसमें कोई ३,५०० रु० नकद वह लूट ले गयी और ३०० रु० की चीजें जला डाली।

पता—राघोपुर, पो० भपटियाही, भागलपुर

श्रीवंशीधर अग्रवाल

आपका जन्म पौष शुक्ला तीज, संवत् १९६८, मंगलवार को हुआ। पिताजी का नाम बाबू जीयाराम अग्रवाल है। कांग्रेस के कार्यों में आपने सदा ही भाग लिया है। सन् '३०-'३१ के आन्दोलन में आपने कांग्रेस को आर्थिक सहायता दी। आप थाना और जिला कांग्रेस-कमिटी के सदस्य रह चुके हैं। सन् '४२ के आन्दोलन में पुलिस ने आपका मकान जला दिया, जिसमें आपको कोई ३,००० रु० की हानि उठानी पड़ी। परन्तु, आप राष्ट्रीय कार्य-कर्त्ताओं को बराबर सहायता देते रहे।

सन् '३८ में प्रतापगंज थाना कांग्रेस-कमिटी की स्थापना आपने ही की। उस समय एक वर्ष तक आप उसके प्रधान मन्त्री रहे। सन् '३९ में आपको थाना कांग्रेस-कमिटी का सभापति चुना गया। तबसे आज तक आप उसकी कार्यसमिति के सदस्य रहते आये हैं।

पता—पो० गनपतगंज, भागलपुर

श्रीबुधमल शारदा

आप सन् '२१ से कांग्रेस-क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तभी से आप बराबर कांग्रेस-कमिटी के सदस्य भी रहते आ रहे हैं।

सन् '४२ के आन्दोलन में आपने काफी काम किया। गोरी पलटन ने आपका मकान जला दिया जिसमें कोई १०,००० रु की हानि आपको उठानी पड़ी। फिर आप पुलिस-द्वारा गिरफ्तार कर लिये गये और सवा दो महीने जेल में रहे।

पता—करजाइन बाजार पो० टेटीबाजार, भागलपुर

श्रीगोकुलचन्द हरलालका

आपके पिताजी का नाम श्रीनागरमल हरलालका है। जन्म आपका संवत् १९६० के लगभग हुआ।

सन् '२१ से ही आप कांग्रेस-कार्यों में भाग लेते आ रहे हैं। उस समय कार्यकर्त्ताओं का संगठन आप घूम-घूम कर किया करते थे। सन् '४२ के आन्दोलन में आपको गिरफ्तार कर जेल में बन्द कर दिया गया।

पता—राघोपुर, मपटियाही, भागलपुर

मुंगेर जिला

गिरफ्तार	९२७
नजरबन्द	५४
दण्डित	४८८
मृत्यु	७३
घायल	८५
गोली-काण्ड	१७ जगह
सामूहिक जुर्माना	१,९७,७०० रु०
सरकारी संस्थाओं पर हमले	७०

१४ अगस्त से जिले की जनता तोड़-फोड़ के कामों में जुट गयी। जनता ने रेल की पटड़ियाँ उखाड़नी शुरू कर दीं। परन्तु, आसाम मोर्चे पर सीधी लाइन इसी जिला होकर गयी है, अतएव रेलवे लाइन की हिफाजत के लिये हवाई जहाज से पहरा दिया जाने लगा। लक्खीसराय स्टेशन पर लड़ाई के सामान से भरी एक मालगाड़ी में आग लगा दी गयी। पीछे स्टेशन के कर्मचारियों ने ही स्टेशन लूट लिया। बलिया थाने भर के चौकीदारों और दफादारों की वर्दियाँ जला डाली गयीं।

इस जिले के १७ थानों पर जनता ने हमला किया। जिले भर के प्रधान स्टेशन जला दिये गये। बरौनी जंकशन पर मालगाड़ी के १६०० डब्बे लूट लिये गये।

गोरे सिपाहियों ने यहां काफी अत्याचार किये। बालहा बाजार के कुछ व्यक्तियों को पकड़ कर उनके शरीर को असंख्य बार संगीनों से छेदा गया। फिर उनकी आंखें फोड़ी गयीं और उन्हें गोली मारने का हुक्म हुआ। हवाई जहाज से गोलियां बरसा कर ४० व्यक्ति मार डाले गये। ३५ को संगीन चोटें लगीं। कोचाही में राहगीरों पर भी गोलियां चलायी गयीं। जमुई में मलयपुर गांव के एक व्यक्ति के मुँह पर टामियों ने थूक दिया और कागजों तथा चिथड़ों में लगे मल-मूत्र उनसे साफ करवाया। झाझा में एक कार्यकर्त्ता का सारा शरीर सिगरेट से जला दिया गया।

श्रीबैजनाथप्रसाद सुल्तानिया

आपका जन्म भाद्रपद, संवत् १९७९ में हुआ। आपके पिताजी का नाम श्री कन्नीराम सुल्तानिया है। आपने हाई स्कूल तक शिक्षा प्राप्त की है।

सन् '४२ के आन्दोलन में आपने डट कर भाग लिया। आप पर पुलिस ने थाना जलाने, डाकखाने लूटने, कचहरी पर राष्ट्रीय झण्डा फहराने, रेलवे लाइन उखाड़ने, सड़क काटने, अंगरेजों की हत्या करने आदि के अनेक अभियोग लगाये। आप फरार हो गये। दो-महीनों तक आपने जंगलों में रहकर आन्दोलन का काम किया। गोरे सिपाहियों ने आपका मकान लूट लिया। आप एक उत्साही कार्यकर्त्ता हैं।

पता—तेघड़ा, बेगूसराय, मुंगेर

श्रीरघुनाथप्रसाद अग्रवाल

आप जमालपुर के एक प्रसिद्ध कार्यकर्त्ता हैं। कांग्रेस के कार्यों में आप बहुत दिनों से भाग लेते आ रहे हैं। जमालपुर कांग्रेस-कमिटी के आप मन्त्री हैं। सन् '४२ के आन्दोलन में आपने गिरफ्तार होकर जेलकी सजा भुगती।

पता—जमालपुर, ई० आई० आर०, बिहार

श्रीनौरङ्गराय सिंहानिया

आपके पिताजी का नाम श्रीभगवानदास सिंहानिया है। जन्म आपका श्रावण, संवत् १९७३ में हुआ। शिक्षा आपने आई० एस-सी० तक पायी।

सन' ४२ के आन्दोलनमें आप मोकामामें गिरफ्तार हुए और २ वर्ष जेलमें रहे।

पता—मोकामा जकशन, बिहार

श्रीमती किशोरीदेवी डोलिया

लक्खीसराय के श्रीचौथमल डोलिया की आप पत्नी हैं। ३ वर्षों तक आप महिलाश्रम वर्धा में रहीं। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की आप 'विशारदा' हैं। सन '४१ के आन्दोलन में आप गिरफ्तार कर ली गयीं और ३ महीने जेल में रहीं।

पता—लक्खीसराय, मुंगेर

पूर्णिया जिला

गिरफ्तार	१४७५
नजरबन्द	२५
दण्डित	७००
मृत्यु	४५
घायल	६०
गोली-काण्ड	९ जगह
सामूहिक जुर्माना	१, २८, ००० रु०
सरकारी संस्थाओं पर हमले—	
थाने	१३
डाकखाने	१८
रेलवे स्टेशन	२२

१३ अगस्त से इस जिले में तोड़-फोड़ के कार्य शुरू हो गये। इसी दिन कटिहार थाने पर जनता ने हमला किया। पुलिस ने गोली चलायी, जिसमें ८ आदमी मारे गये। १३ थानों पर जनता ने आक्रमण किया, जिसमें एक सब-इंस्पेक्टर और ३ सिपाही मारे गये, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों को भी जनता ने फूँक दिया। करीब ७० गाँवों पर बलूचियों, गोरों और पुलिस ने हमला किया। ५०० परिवारों के घर लूटे और जलाये गये। रूपौली थाने के मथुरापुर गाँव की एक सोलह वर्षीय नवयुवती को फौजी अम्बरपुर कैम्प में पकड़ ले गये। चार दिनों तक वह वहाँ रोक रखी गयी। वहाँ उस पर बलात्कार किया जाता रहा। रूपौली के फौजी कैम्प में एक बीस वर्षीय युवती दस दिनों तक व्यभिचार करने के लिये रखी गयी। कोढ़ा थाने के मगहा कैम्प में पुलिस के इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर ने एक स्त्री के साथ बलात्कार किया। इस जिले में ७२ गाँव, २ गैर सरकारी संस्थाएं और ५०० मकान सरकारी दमन के शिकार हुए।

श्रीमहादेवलाल सुरेका

आपके पिताजी का नाम स्व० श्रीसाँवलराम सुरेका था। जन्म आपका आश्विन कृष्णा अष्टमी, शुक्रवार, संवत् १९६२ में शेखावटी के (जयपुर-रियासत) रामगढ़ शहर में हुआ। सार्वजनिक कार्यों में आप पूरा हाथ बँटाते हैं। अछूतोद्धार-आंदोलन, परदा-प्रथा, विधवा-विवाह आदि कार्यों में बराबर आप लगन के साथ काम करते हैं। मारवाड़ी पाठशाला, कटिहार के संस्थापकों में आप एक हैं। कटिहार-म्युनिसिपलिटी के आप २० वर्षों से सदस्य रहते आ रहे हैं।

सन् '२१ से ही आप कांग्रेसी आंदोलनों में भाग ले रहे हैं। सन् '३१ के आंदोलन में आपने सक्रिय भाग लिया। कटिहार में कांग्रेस-कार्यों के सञ्चालनार्थ आपने अपना आधा मकान दे दिया। पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया। आपको ६ महीने की सजा हुई और ५० रु० जुर्माना किया गया।

पता—बड़ा बाजार, कटिहार, पुर्णिया

श्रीरावलमल अग्रवाल

आपके पिताजी का नाम श्रीरामेश्वरलाल अग्रवाल है। आपकी जन्म-तिथि २ अक्तूबर, सन् १९१६ है। शिक्षा आपने आई० एस-सी० तक पायी है। राष्ट्रीय कार्यों में आप सदा ही अपना सहयोग देते रहे हैं। पूर्णिया जिला कांग्रेस-कमिटी की वर्किङ्ग कमिटी और विहार कांग्रेस-कमिटी के आप सदस्य हैं।

सन् '४० के आंदोलन में आपने इस्लामपुर में सत्याग्रह किया जिसमें आपको ६ महीने की सजा मिली।

पता—पो० किशनगंज, पूर्णिया

श्रीनागरमल जाटूका

जन्म आपका फाल्गुन कृष्णा द्वादशी, संवत् १९६० को पूर्णिया जिले के भवानीपुर राजधाम में हुआ। पिताजी का नाम श्रीबलदेवराम जाटूका है।

सन् '२१ से राष्ट्रीय कार्यों में आपकी लगन देखी जाती है। कई बार आप रूपौली थाना-कांग्रेस-कमिटी के सभापति रह चुके हैं। सन् '३८ में ग्राम-संगठन-समिति के आप मंत्री रहे।

सन् '४२ के आंदोलन में आपको 'रूपौली मर्डर केस' का प्रधान मुदालह पुलिस ने बनाया। आप फरार हो गये। आपको पकड़ने के लिये ५,००० रु० का पुरस्कार सरकार की ओर से रखा गया। आपको गोली मार देने की आज्ञा निकली थी।

१० जनवरी, सन् '४३ को नेपाल राज्य के धान नगर में अंगरेजी और नेपाल सरकार की पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया। नेपाल राज्य के विराट नगर जेल में आपको १ महीना ५ दिन और फिर पूर्णिया जेल में २ वर्ष से ऊपर रखा गया।

'रूपौली मर्डर केस' में आपके कोई १,००,००० खर्च हुए। इस मुकदमे की पैरवी करने के लिये कांग्रेस ने स्व० श्रीभूलाभाई देसाई को नियुक्त किया था। इस

आंदोलन में अमरीकन फौज की सहायता से पुलिस ने आपका मकान लूट उसमें आग लगा दी। इसमें आपके ५०,००० रु० बर्बाद हो गये। आप पूर्णिया जिले के एक प्रमुख कांग्रेस-कार्यकर्त्ता हैं।

पता—पो० भवानीपुर राजधाम, पूर्णिया

श्रीमाँगीलाल जादूका

आपके पिताजी का नाम श्रीबलदेवराम जादूका है। जन्म आपका पूर्णिया जिले के भवानीपुर राजधाम में ४ अप्रील सन् १९२२ में हुआ।

कांग्रेस के कार्यों में आप सन् '३० से ही भाग ले रहे हैं। बयालीस के आंदोलन में पुलिस ने स्वराज्य-आश्रम, बीहपुर में ताला लगा दिया। छात्रों के साथ आप उसे तोड़ने पहुंचे। वहाँ पुलिस ने आप लोगों पर गोली चलायी। नौगछिया में आंदोलन का सञ्चालन आपने ही किया। यहां फौजियों से जबरन ६ बन्दूकें आप लोगों ने छीन लीं। 'रूपौली मर्डर-केस' के आप भी अभियुक्त थे। १० महीनों तक आप फरार रहे। आजकल आप युवक-कांग्रेस-सङ्घ, भवानीपुर राजधाम के मंत्री हैं।

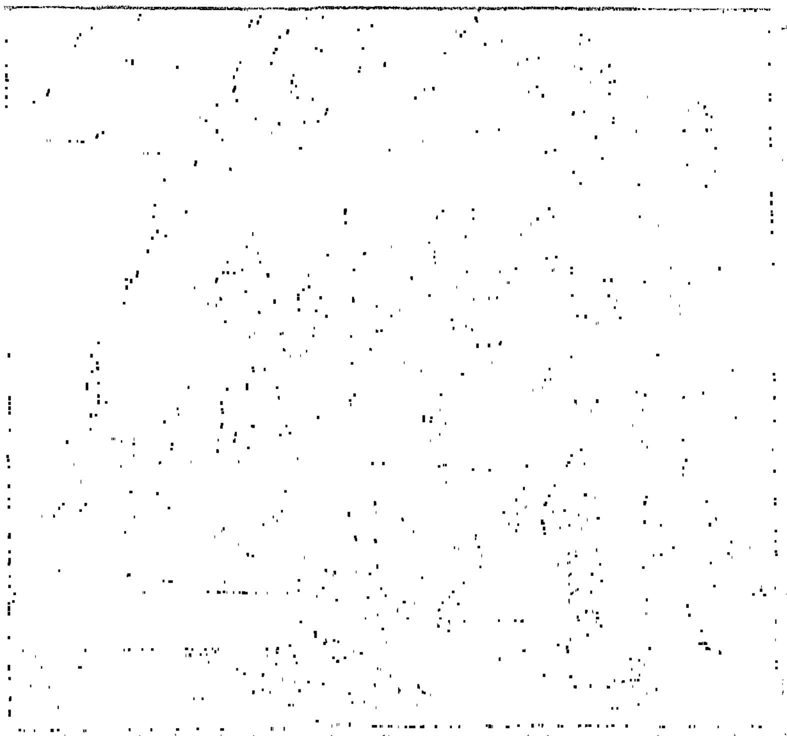
पता—पो० भवानीपुर राजधाम, पूर्णिया

श्रीचिरञ्जीलाल जादूका

सन् '२० से ही कांग्रेस-कार्य को आप सक्रिय और आर्थिक सहायता दे रहे हैं। सन् '३० के आंदोलन में कुछ दिनों तक आप जेल में रहे।

'रूपौली-मर्डर-केस' के आप तीनों भाई अभियुक्त थे। मुकदमा चलाने पर आप फरार हो गये। पाँच महीने के बाद सितम्बर में आप पटने में गिरफ्तार किये गये। एक महीना पटना कैम्प जेल और ९ महीने पूर्णिया जेल में आपको रखा गया। आपका जन्म भवानीपुर राजधाम, जिला पूर्णिया में २५ जनवरी, सन् १९२० को हुआ। आपके पिताजी श्रीबलदेवराम जादूका हैं।

पता—पो० भवानीपुर राजधाम, पूर्णिया



पटने के श्रीरामसिंह को नोकदार खूँटे पर गुदा-द्वार के सहारे बैठाकर दो-दो आदमियों ने उन्हें दबाया। जब खूँटा उनका सर फोड़कर निकला, उन्हें छोड़ा गया।

श्रीसुन्दरमल मुनका

आपके पिताजी का नाम स्व० श्रीहनुमानदास मुनका था। जन्म आपका भागलपुर जिले के अमियाबाजार में भाद्रपद कृष्णा दशमी, संवत् १९५१ में हुआ।

अगस्त-आंदोलन में आपने खूब काम किया। पूर्णिया के सरकारी अफसरों ने फौज की सहायता से आपका मकान लूट लिया, जिसमें आपको १,०८,५२५ रु० १२ आने के करीब नुकसान हुआ।

आप पर भी 'रूपौली-मर्डर-केस' पुलिस ने चलाया। सन् '४३ की जनवरी में नेपाल राज्य में आप गिरफ्तार किये गये। विराटनगर जेल में आपको दो महीने रखा गया। फिर ८ महीने तक आप पूर्णिया जेल में रहे। जेल-अधिकारियों के दुर्व्यवहार के कारण कई बार आपको अनशन भी करना पड़ा था।

पता—भवानीपुर राजधाम, पूर्णिया

श्री मोतीलाल मुनका

'रूपौली-मर्डर-केस' के अभियुक्त श्रीसुन्दरमल मुनका के आप पुत्र हैं। जन्म आपका अमिया बाजार, जिला भागलपुर में ज्येष्ठ अमावस्या संवत् १९७८ में हुआ। आप भी 'रूपौली-मर्डर-केस' के अभियुक्त थे।

नेपाल राज्य के विराटनगर जेल में २ महीने और पूर्णिया जेल में आप १५ महीने रखे गये। कांग्रेस के आप एक लगनशील कार्यकर्त्ता हैं। कांग्रेस के रचनात्मक कार्यों में आप विशेष भाग लेते हैं। पता—पो० भवानीपुर राजधाम, पूर्णिया

संथालपरगना जिला

गिरफ्तार	४००
मूल निवासी	२००
मृत्यु	२६
सामूहिक जुर्माना	५०,०००रु०

१४ अगस्त को छात्रों ने देवघर में तोड़-फोड़ का काम शुरू किया। बिशनपुर और केंदुवन काटी के बीच, आधी मील की रेलवे लाइन उखाड़ डाली गयी और तार के खम्भे काट डाले गये। १७ अगस्त को श्रीगौरीशङ्कर डालमिया पकड़े गये। दुमका में १५ अगस्त को जुलूस निकल कर सभा की गयी। तार के कुछ खम्भे उखाड़े गये। शहर में उस दिन पूरी हड़ताल रही। श्रीमोतीलाल केजड़ीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। रोहणी देवघर में एक स्त्री पर कई बलूचियों ने बलात्कार किया। देवघर में एक राजा वायु-सेवन के लिये निवास कर रहे थे। १९ अगस्त को गोरों ने उनकी बहन के साथ बलात्कार किया। इस जिले में कई कार्यकर्त्ताओं को ३५ साल की सजा हुई थी।

श्रीमोतीलाल केजड़ीवाल

आप गिरिडीह के रहने वाले हैं। संथालपरगना जिले के आप एक प्रधान कार्य-कर्त्ता हैं। कांग्रेस-द्वारा परिचालित पिछले राष्ट्रीय आंदोलनों में आपने बराबर सक्रिय भाग लिया है। राष्ट्रीय कार्यों में आपने कांग्रेस की यथेष्ट सहायता की है।

आप एक निर्भीक और लगनशील कार्यकर्त्ता हैं। राजनीतिक विचारों में आप गांधीवाद के हिमायती हैं। सन् बयालीस की क्रांति में सरकार ने आपको शुरू में ही गिरफ्तार कर जेल में बन्द कर दिया। आजकल आँखों से कम दिखाई देने पर भी आप कांग्रेस के कार्यों में उत्साह के साथ भाग लेते हैं।

श्रीमती महादेवी केजड़ीवाल

संथालपरगना जिला कांग्रेस-कमिटी के सभापति और जिला-बोर्ड के चेयर-मैन श्रीमोतीलाल केजड़ीवाल की आप धर्मपत्नी हैं। कांग्रेस-कार्यों में आप विशेष भाग लेती हैं। सन् '४१ के सत्याग्रह-आन्दोलन में आप गिरफ्तार हुईं और जेल गयीं।

पता—वैद्यनाथ धाम, संथालपरगना

श्रीगौरीशङ्कर डालमिया

आपके पिताजी का नाम स्व० श्रीद्वारिकादास डालमिया था। जन्म आपका फाल्गुन शुक्ला द्वितीया, संवत् १८६६ में हुआ। मैट्रिक तक आपने शिक्षा पायी। कांग्रेस-कार्यों में आपने बराबर अपना सहयोग दिया है। आंदोलनों में आप सन '३० से ही भाग ले रहे हैं। सन '३२ के आंदोलन में आप सरकार-द्वारा गिरफ्तार किये गये। उस समय देवघर, भागलपुर और हजारीबाग जेल में आपको साढ़े ४ महीने रखा गया। सन '४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी आप गिरफ्तार किये गये। इस बार दुमका और हजारीबाग जेल में आपको एक वर्ष तक रखा गया।

सन '४२ के अगस्त-आंदोलन में आप ने पूरा भाग लिया। सरकार-द्वारा गिरफ्तार कर आप भागलपुर जेल भेज दिये गये, जहां से चार महीने बाद आपकी रिहाई हुई। बिहार-प्रांत की लेजिस्लेटिव असेम्बली के आप कांग्रेस-सदस्य हैं।

पता—जसीडीह, देवघर, सन्थालपरगना

श्री वंशीधर हलवाई (मारवाड़ी)

आप पिलानी के रहने वाले हैं। जन्म आपका श्रावण कृष्णा एकादशी, संवत् १९५४ को जामतारा में हुआ। सन् '२१ से ही आप कांग्रेस कार्यों में दिलचस्पी लेने लगे। उस समय जामतारा में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिये आपके ही प्रयत्नों से हड़ताल हो सकी।

आपके ही प्रयत्न और परिश्रम से जामतारा कांग्रेस कमिटी की स्थापना हुई। आप उसके सबडिवीज़नल मंत्री चुने गये। तब से बराबर आप उक्त पद पर काम करते आये। संथालपरगना जिला और अखिल भारतीय कांग्रेस-कमिटी के भी आप समय-समय पर सदस्य रह चुके हैं।

सन् '३१ के आंदोलन में आप पहली बार गिरफ्तार हुए। आपको ६ महीने की सजा हुई और ५० रु० जुर्माना किया गया। सन् ४२ के आंदोलन में जामतारा

में तार काटने और डाकखाना फूंकने के अभियोग में पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया। परन्तु, एक घण्टा हवालात में रखने के बाद आप रिहा कर दिये गये।

एक महीना बाद, मधुपुर के खुफिया दारोगाने एक दर्जन गोरे सैनिक और सेना के बारह सिपाहियों के साथ, एक रात आपका मकान घेर लिया। आप फिर गिरफ्तार किये गये और एक महीना बाद आपकी रिहाई हुई।

पता---जामतारा, संथालपरगना

श्रीरामजीवन हिम्मतसिंहका

आप कांग्रेस के प्रसिद्ध कार्यकर्त्ता श्रीप्रभुदयालजी के भाई हैं। सन् '४२ के आंदोलन में पुलिस ने आपके मकान की तलाशी ली। फलतः आप गिरफ्तार कर लिये गये। जेल में आपको ३ महीने रखा गया था।

रांची जिला

गिरफ्तार	३९४
नजरबन्द	२२
दण्डित	३१६
सामूहिक जुर्माना	६,००० रु०

१७ अगस्त को रांची में पूरी हड़ताल थी। एस० डी० ओ० के तीन बार कहने पर सिपाहियों ने जुलूस पर लाठी चलाने से इन्कार कर दिया। कुंडू को छोड़कर शेष सभी थानों में जनता ने ताले लगा दिये। बीसों जगह तार काटे गये। रांची और लोहरदग्गा के बीच रेलवे लाइन उखाड़ी गयी। हिन्दू के हवाई अड्डे, लोहरदग्गा के फौजी कैम्प, रांची पोस्ट आफिस तथा ग्रीष्मकालीन सेक्रेटेरियट पर जनता ने हमले किये।

श्रीराजकुमार बजाज

आपका जन्म संवत् १९६३ में हुआ। पिताजी का नाम श्रीजेठमल बजाज है। आप कांग्रेस के एक प्रधान कार्यकर्त्ता हैं। सन् '२१ से ही आप कांग्रेस-कार्यों में भाग ले रहे हैं। उसी समय से विभिन्न कांग्रेस-कमिटियों में आप कार्य करते आ रहे हैं।

मानभूम जिला

गिरफ्तार	५६२
नजरबन्द	१३३
दण्डित	३४२
मृत्यु	२
सामूहिक जुर्माना	३४, ६४० रु०

यहां २८ अगस्त से जनता तोड़-फोड़ के काम करने लगी। इस दिन खरीद्वारा की चौकीदारी तहसील और मान बाजार थाने की बड़ी कलाली जला डाली गयी। ३० अगस्त को बड़ा बाजार थाने का डाकघर, चौकीदारी आफिस के कागजात, सिन्दरी की कलाली और सोलजर घर फूँक दिये गये। जिले भर में तार काटे गये।

श्रीगौरीशंकर अग्रवाल

धनबाद सबडिवीजन के (जिला मानभूम) गोविन्दपुर में चैत्र शुक्ला अष्टमी, संवत् १९७८ में आपका जन्म हुआ। पिताजी का नाम श्रीबद्रीदास अग्रवाल है।

सन् '४२ में कोडर्मा में होने वाले विध्वंसक कार्यों के आप एक प्रधान हिस्सेदार हैं। झुमरी तलैया स्टेशन फूँकने में भी आपका काफी हाथ रहा। फिर सरकार-द्वारा आप गिरफ्तार कर लिये गये। पुरुलिया जेल में आपको तीन दिनों तक रखा गया। कांग्रेस के आप एक कर्मठ कार्यकर्त्ता हैं। सार्वजनिक कार्यों में भी आप पूरा भाग लेते हैं। पता—पो० गोविन्दपुर, मानभूम

सिंहभूम जिला

गिरफ्तार	२७५
नज़रबन्द	१७२
दण्डित	५२
सामूहिक जुर्माना	२, २६४ रु०

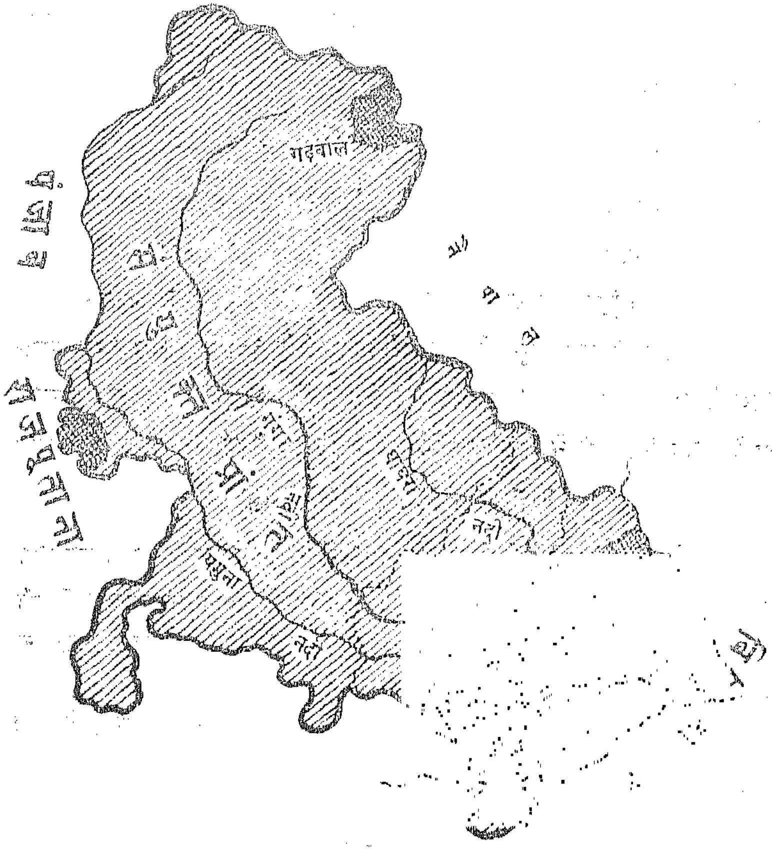
५ अगस्त को जमशेदपुर की टाटा स्टील कम्पनी के ३०,००० और अन्य कम्पनियों के ५,००० मजदूरों ने हड़ताल कर दी। पूरे १३ दिनों तक यह हड़ताल चली। २८ सिपाहियों ने अपनी बन्दूकें रख सरकारी नौकरी से इस्तीफे दे दिये।

श्रीरामस्वरूप अगृवाल

आपके पूर्वज हिसार जिले से संवत् १९७२ में जमशेदपुर आये। आप सन् '२१ से ही राजनीतिक कार्यों में भाग ले रहे हैं। सन् '२१ के सत्याग्रह-आन्दोलन में भी आपने काफी काम किया। सन् '४१ के आन्दोलन में भाग लेने के कारण सरकार-द्वारा गिरफ्तार कर आप जेल पहुँचा दिये गये।

पता—जमशेदपुर, सिंहभूम





नक्शों में

निशान वाले वह स्थान हैं जहाँ आंदोलन तीव्रता से हुआ है। और

निशान वाले वह स्थान हैं जहाँ आंदोलन साधारण अवस्था में रहा।

अगस्त-क्रान्ति की प्रगति

सन् '४२ की क्रान्ति में—

जनप्रयास और दमन के आँकड़े

दण्डित		१५, १८२
नजरबन्द		५, ३१७
गोलीकांड		६८ जगह
सामूहिक जुर्माने की जगह		५७२
सामूहिक जुर्माना		३८, ८९, ३८० रु० ८ आ० २ पा०
स्थायी रास्तों को नुकसान		९५
राजद्रस की संख्या	रिवाल्वर	२६६
	मस्कट	१५८७
	१२ बोर	१४९
	रायफल	३०१

मृत्यु	१३३
सख्त घायल	२२७
कितनी बार गोली चली	११६

पुलिस की क्षति—

थानों पर हमले		१५
थाने जलाये गये		१५
पुलिस सामान की क्षति	रिवाल्वर	१३
	मस्कट	७५
मारे गये कर्मचारी		१८
सख्त घायल „		१२

डाक-विभाग की हानि—

डाकखाने बरबाद हुए	९
डाकखानों पर हमले	८७
लेटरबक्स नष्ट हुए	७०
डाकियों पर हमले	५०
टेलीफोन और टेलीग्राफके तार काटे गये	३३७ जगह

रेलवे विभाग की हानि—

स्टेशनों पर हमले	७२
फूँके गये स्टेशन	१५
रेलगाड़ियाँ गिरायी गयीं	१४
रेलवे नौकरों की मृत्यु	९
घायल रेलवे कर्मचारी	१४

आहतों की संख्या—

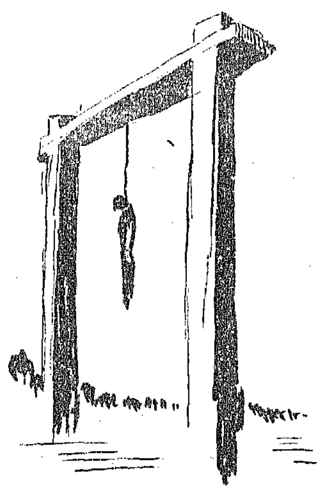
जनता	मृत्यु	१०७
	घायल	४५८
पुलिस	मृत्यु	१६
	घायल	३३३

विस्फोटक पदार्थों का प्रयोग—

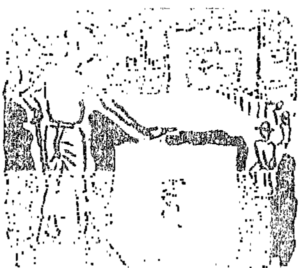
बम फटे	६० जगह
फटने से पहले पकड़े गये बम-केस	१५७

तोड़-फोड़ के कार्य—

बिजली सप्लायिंग कम्पनी	७ जगह
सड़कें	८४ ”
नहर और सिंचाई के साधन	४० ”
अन्यत्र	३२७ ”
सरकारी हानि	३,६२,२६६ रु०
अन्य पार्टियों की हानि	१,०२,७७८ रु०



युक्त प्रान्त



सके उत्तर में हिमालय पहाड़ और नेपाल, दक्षिण में रीवाँ, बुन्देलखण्ड, ग्वालियर और धौलपुर की रियासतें, पूर्व में बिहार और पश्चिम पंजाब और राजपूताना हैं। इस प्रान्त की लम्बाई पूर्व से पश्चिम तक ५०० मील और उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई लगभग ३०० मील है।

बाढ़ के समय आकर जम गयी मिट्टी से यह सूबा बना है। अतएव यहां की जमीन उपजाऊ है। बंगाल को छोड़कर हिन्दुस्तान के सब सूबों से यह अधिक उपजाऊ और आबाद है। हिमालय के नीचे का भाग तराई कहा जाता है। यहाँ जंगल और दलदल की अधिकता है। मिरजापुर जिले में छोटी-छोटी पहाड़ियां हैं। यहां की प्रधान नदियां गंगा, यमुना, रामगंगा, काली, सरयू, गोमती, सई, शारदा, राप्ती, सोन, चम्बल, बेतवा, और केन हैं।

उत्तर के पहाड़ी जिलों में सर्दी अधिक पड़ती है। बाकी जिलों की आब-व हवा खुश्क और गर्म है। यहाँ की प्रधान पैदावार ज्वार, मक्का, बाजरा, तिल, चावल, रुई, गन्ना, गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों वगैरह है। साल, देवदारु और तुन यहां अधिकता से होती है। चिरौंजी, कत्था, मूसली, आबनूस वगैरह कीमती चीजें भी यहां पैदा होती हैं। अफीम और चाय भी यहाँ पैदा होती है।

बंगाल जीतने के बाद सरकार ने इस सूबे को जीता। बंगाल के उत्तर और पश्चिम में होने के कारण पहले इस सूबे का नाम पश्चिमोत्तर देश रखा गया। सन् १८५६ में अवध सूबा इसमें शामिल किया गया। सन् १९०२ में इसका नाम

संयुक्त प्रान्त आगरा व अवध रखा गया । सन् १८३३ में यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नरी कायम हुई और सन् १९२१ में गवर्नर के जिम्मे यह किया गया ।

२१ गुजरा । ३० के तूफानी दिन भी बीते । अंगरेज गये नहीं । जनता की आँखों में खून था । दिल में फांसी की इच्छा । अत्याचार और अनाचार की बातें सुन वह काँपती थी, दोनों हाथों की मुट्ठी बाँधी हुई । कई बार तो उसने अंगरेजों की नेकनियती पर यकीन किया । लेकिन, हुआ क्या ?

इतिहास तो बतलायेगा ही, दमन और अत्याचार की खून-भरी कहानी युक्त-प्रान्त के हिस्से में कितनी पड़ी है ? जान और माल से खेल करने वाले नौकरशाही के पालतू कुत्ते आज भी गवाही दे सकते हैं, उस जमाने में कातिल ने कौन-सी आफत न ढायी ?

चौरीचौरा की छाती पर आज भी गोलियों के निशान मौजूद हैं । बनारस की गलियों में जो नारकीय कृत्य किये गये, उनके गवाह आज भी साँस ले रहे हैं और बेशर्म जमाने पर इठलाने वाले राक्षसों के काले चेहरे आज भी उसी तरह हीनता और नपुंसकता का परिचय दे रहे हैं ।

राख में दबी आग :—

अमर है वह ८ अगस्त ! अकेले बम्बई को ही उस पर गर्व है, झूठ है ऐसा कहना । बम्बई ने मुट्ठी में जान लेकर सौदा किया । सतारा में ललकारी गयी बर्तानिया की सरकार ! अंगरेजों के गोलों और बन्दूकों की मार कितनी तेज होती है, आजमाया गया था उस समय !

लेकिन, युक्तप्रान्त ? टाटेनहम ने अपनी बदनाम पुस्तिका में लिखा है—"बिहार के सबसे दक्षिणी जिलों को छोड़कर सारे प्रान्त और पूर्वी युक्त प्रान्त में एक बार परिस्थिति बड़ी भीषण हो गयी थी । इन क्षेत्रों में शहरों से देहातों तक उपद्रव शीघ्र फैल गये ।"

उपद्रव बारूद में आग लगने की तरह फैले। पहिले के कुछ दिनों में रुआब से बोलने वाले दारोगा और पुलिस के जालिम नौकर बेंत की तरह काँप उठे। वह भी था एक जमाना।

—०—

बनारस जिला

नजरबन्द	३१०
दण्डित	५६३
निर्वासित	११७
फाँसी	४० से ५०
मृत्यु	१८
घायल	८५
सामूहिक जुर्माना	२,२४,२,२६५ रु०

आन्दोलन का श्रीगणेश विश्वविद्यालय के एक जुलूस पर पुलिस-द्वारा लाठी-चार्ज करने से हुआ। ११ और १२ अगस्त को निकाले गये जुलूस पर पुलिस ने गोलियाँ चलायीं। १३ तारीख को जुलूस निकालने के लिये दशाश्वमेध घाट पर तैयारी होने लगी। खबर पाकर सशस्त्र पुलिस के साथ मजिस्ट्रेट आ धमके। जनता पर लाठियाँ चलने लगीं। पुलिस पर पत्थर फेंके गये। उसने जवाब में २६ राउंड गोलियाँ चलायी। बीसों आदमी मरे और घायल हुए।

तोड़-फोड़ के कार्य शुरू हो गये। बनारस शहर के टेलीग्राफ और टेलीफोन के सभी खम्भे उखाड़ डाले गये और तार काटे गये। रेलवे लाइनें उखाड़ डाली गयीं। रेलवे स्टेशनों को जला और लूट कर गांववालों ने रकम आपस में बाँट ली। ग्रांड ट्रंक रोड काट डाली गयी। राजवाडी और इवतपुर के हवाई अड्डे नष्ट कर दिये गये। कई स्थानों पर पुलिस के सब-इंस्पेक्टरों ने आपने हाथ से झण्डे फहराये।



हैलेट शाही अत्याचार का नमूना अपनी गरीबी के कारण रुपये न देने पर माँ-बाप के सामने उनके डेढ़ साल के बच्चे को आग में जला दिया गया।

आन्दोलन का संचालन करने के लिये विश्वविद्यालय के विद्यार्थी बाहर निकल पड़े। गोरखपुर जिले के देवरिया और बलिया जिलों तक उन्होंने जनता का नेतृत्व कर उसे सरकारी इमारतें जलाने, लाइन उखाड़ने, तार काटने आदि के कार्यों में लगाया। २८ तारीख को सैयद रजाबाजार के एक जुलूस पर सैनिकों ने गोली चलायी। ६०-७० व्यक्ति घायल हुए।

एक बड़ी सशस्त्र फौज ने विश्वविद्यालय पर कब्जा कर लिया। लड़कियों तक के होस्टल पर इन्होंने अधिकार किया। उनके सामान तक रोक लिये गये। महामना मालवीय जी और वायसचांसलर सर राधाकृष्णन् के निवास-स्थान पर पहरा बैठा दिया गया। सैयद राजा गांव में स्त्रियों पर गोली चलायी गयी। उन्हें हवालात में रखा गया। दूसरी जगहों में उन्हें नंगा कर पीटा भी गया।

जुर्माने की रकम वसूल करने में काफी सख्ती से काम लिया गया। एक किसान की अपनी गरीबी के कारण रुपये न देने पर मां-बाप के सामने उनके डेढ़ साल के बच्चे को आग में जला दिया गया। उस समय युक्तप्रान्त के गवर्नर मारिस हैलेट थे। उनके सलाहकार थे मार्श स्मिथ और '४२ का बदनाम नेदरसोल। इन्होंने बनारस जिले के गांव २-में सैनिक भेज कर उनसे रुपये, पैसे, अनाज और गहने लुटवा लिये। स्त्री-पुरुषों पर अत्याचार भी काफी किये गये। इस जिले में २३ स्थानों पर २००२ राउंड गोलियां चलायी गयीं।

प्रो० खुशालचंद अग्रवाल

आपने एम० ए० तक शिक्षा प्राप्त की है। संस्कृत-भाषा के आप साहित्याचार्य हैं। काशी-विद्यापीठ में आप इतिहास के प्रोफेसर हैं। राजनीतिक क्षेत्र में आपकी प्रसिद्धि सन् '४१ के व्यक्तिगत सत्याग्रह-आंदोलन के जमाने में हुई। उस समय आप कांग्रेस-सत्याग्रह-आंदोलन के प्रमुख संचालक और युक्त प्रांतीय कांग्रेस-कमिटी के मंत्री थे। और इन दो पदों पर कार्य करते हुए प्रांत की आपने जो सेवा की, वह

युक्तप्रांत के इतिहास में एक प्रधान घटना है। आपके द्वारा आंदोलन के संगठन और सञ्चालन की सब ने सराहना की।

जुलाई, सन् १९४१ में आप पुलिस-द्वारा गिरफ्तार किये गये। दफा १२९ में आप २ महीने नजरबन्द रखे गये और दफा ३९ में आपको ४ महीने की सजा हुई। फिर सन् '४२ के आन्दोलन में आप पकड़े गये और कई वर्षों तक जेल में बन्द रहे।

कुछ समय के लिये आप आरा जैन-कालेज में भी अध्यापक रहे। लेकिन, वहाँ के प्रिंसिपल-द्वारा राष्ट्रीय नेताओं की शान में अपशब्द कहे जाने के कारण आपने कालेज छोड़ दिया। इस पर विद्यार्थियों ने तीन दिनों तक हड़ताल कर दी। फिर आपके समझाने-बुझाने ही से वे कालेज गये। आरा से लौटने पर युक्तप्रान्त के माननीय शिक्षा-मंत्री श्रीसम्पूर्णानन्द जी और अन्य नेताओं के कहने पर काशी-विद्यापीठ में आप फिर अध्यापन कार्य करने लगे।

पता—काशी-विद्यापीठ, बनारस

श्रीअमोलकचन्द जैन

एक सम्भ्रान्त जैन ओसवाल कुल मुगल-बादशाही के अन्तिम दिनों में बंगाल से आकर बनारस में बस गया। इस शाखा के वंशधरों में एक 'बालूजी के फर्श' मुहल्ला, में आज भी निवास करता है। इसी परिवार में सन् १९०७ की ११ जनवरी को आपका जन्म हुआ। बी० ए० कर लेने के बाद आपने प्रथम श्रेणी में वकालत पास की और प्रैक्टिस करने लगे।

जब सन् '३० के आन्दोलन में राजनीतिक मुकदमे शुरू हुए, आपने उन सभी मुकदमों की पैरवी बिना एक पैसा लिये की। इसी कारण सरकार ने जेल में हुए अत्याचारों के भण्डाफोड़ को लेकर आप पर दफा ५०० में मुकदमा चलाया और ५०० रु० जुर्माने की सजा दी। अपील से आप निर्दोष साबित हुए।

ऐसी ही घटनाओं ने आपको सक्रिय राजनीति की ओर खींचा। सन् '३७ में युक्तप्रान्त के प्रधानमन्त्री श्रीगोविन्दवल्लभ पन्त की अध्यक्षता में हुए जिला राजनीतिक

सम्मेलन के आप प्रधान मन्त्री चुने गये। सन् '३८-३९ में युक्तप्रान्त के माननीय शिक्षा-मंत्री बाबू सम्पूर्णानन्द के आप निजी सेक्रेटरी बने।

सन् '४० के सत्याग्रह में भाग लेने के कारण आपको ६ महीने की सजा और १०० रु० जुर्माना हुआ। सन् '४२ में आप ग्वालियर राज्य में थे। पहले वहीं आप गिरफ्तार कर लिये गये। फिर वहाँ से निकाले जाने पर हैलेटशाही के शिकार हुए और २५ दिसम्बर, सन् '४४ तक नजरबन्द रहे। आजकल आप बाबू सम्पूर्णानंदजी, शिक्षामंत्री युक्तप्रांत के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं।

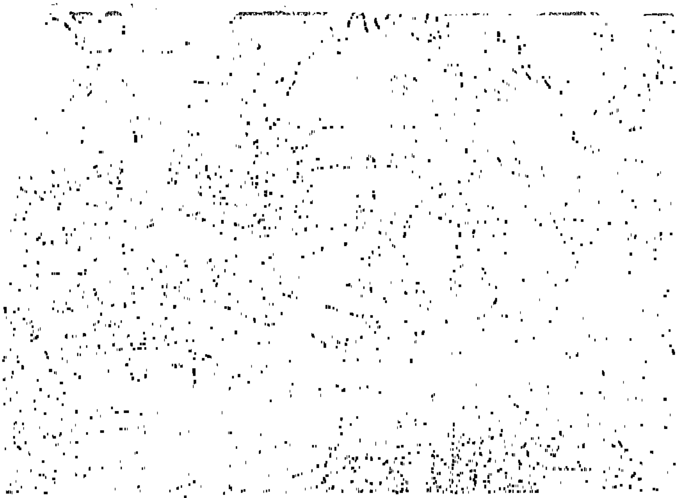
श्रीबालचंद

सन् '४२ के अगस्त-आंदोलन में बनारस का हिन्दू-विश्वविद्यालय एक प्रधान सञ्चालन-केन्द्र हो गया था। ऐसे कार्यों में स्याद्वादविद्यालय का भी एक प्रमुख स्थान था।

७ फरवरी, सन् '४३ को अचानक हिन्दू-विश्वविद्यालय में एक विस्फोट हुआ। इस आंदोलन में आप स्थानीय स्याद्वादविद्यालय के कैप्टन चुने गये। विस्फोट के सिलसिले में पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया। जेल में आपको काफी यातनाएँ दी गयीं, इसलिये कि षड्यंत्र में भाग लेने वालों के नाम आप बतला दें। लेकिन, पुलिस को निराशा ही मिली। ऐसा कहा जाता है कि उस समय आपका सम्बन्ध देश के बड़े-बड़े षड्यंत्रकारियों के साथ स्थापित था। यूनीवर्सिटी बमकांड के मामले में एक वर्ष बाद आप गिरफ्तार कर लिये गये। आपके पास दर्जनों पिस्तौलें रहने का आरोप पुलिस ने लगाया था। २ वर्षों तक आप जेल में रहे।

श्रीशीतलप्रसाद

सन् '४२ का जमाना था। पुलिस बड़े पैमाने पर धर-पकड़ कर रही थी। सबसे पहले आपत्तिजनक पर्चे बांटने के अभियोग में आप पकड़े गये। उस समय आप एम० ए० और दर्शनाचार्य के छात्र थे। आपको दो साल की सजा हुई। अपने



शैतानियत-भरा बयालीस :—

बनारस में नेदरसोल के शैतानी-भरे कारनामें। पुलिस ने देहातियों को तंग किया और लूट में काम की सारी चीजें वह उठा ले गयी।

अक्खड़ स्वभाव के कारण जेल में आपको काफी कष्टों का सामना करना पड़ा। इसी कारण आप जिला जेल से सेंट्रल जेल भी भेजे गये।

श्रीरतनचन्द पहाड़ी

सन् '४२ के आन्दोलन में आपने उत्साहपूर्वक भाग लिया। परन्तु, अधिक दिनों तक आप पुलिस की निगाह से बचे न रह सके। गिरफ्तारी के समय आपकी अवस्था काफी कम थी।

श्रीसुगमचन्द

सन् '४२ के तूफानी आन्दोलन में आपत्तिजनक कार्य करने के कारण आप गिरफ्तार हुए। जिला जेल में आपकी सबसे छोटी अवस्था थी।

श्रीधन्यकुमार

सन् '४२ की अगस्त-क्रान्ति में आपने बढ़-चढ़ कर भाग लिया। आन्दोलन के संगठन और संचालन-सम्बन्धी कई ठोस कार्य आपने किये। परन्तु, आपकी कार्रवाई का पता पुलिस को लग गया और गिरफ्तार कर आप जेल पहुँचा दिये गये।

श्रीदयाचंद

आप टीकमगढ़, ओरछा रियासत के रहने वाले हैं। सन् '४२ में आप भी गिरफ्तार हुए। एक दिन आपके न लौटने पर लोग कहने लगे, 'आप गोली के शिकार हो गये।' हिन्दू-विश्वविद्यालय में एक शोक-प्रस्ताव भी पास हो गया था। लेकिन दूसरे दिन आप सकुशल लौट आये।

श्रीहरीन्द्रभूषण

सन् '४२ की पहली धर-पकड़ में आप गिरफ्तार हुए। रिहा होने के बाद ७ फरवरी, सन् '४३ को विश्वविद्यालय में बम-विस्फोट हुआ। इस प्रसंग में पुलिस को आपके नाम का पता चला। फलस्वरूप, पढ़ाई स्थगित कर आप रातोंरात फरार हो गये।

श्रीगुलाबचंद

आपने एम० ए० तक शिक्षा प्राप्त की है। खतरनाक हथियार छिपाने के सिलसिले में स्याद्वादविद्यालय की तलाशी हुई। आपको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। १८ दिन हवालात में बन्द रहने के बाद आप जमानत पर रिहा किये गये।

श्रीअमृतलाल

आपने 'दर्शनाचार्य' की उपाधि हासिल की है। श्रीगुलाबचन्द के साथ पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया और १८ दिन बाद जमानत पर आप रिहा हुए।

श्रीघनश्यामदास

श्रीअमृतलाल के साथ आप गिरफ्तार हुए और १८ दिन हवालात में रहने के बाद जमानत पर रिहा किये गये।

श्रीमती किशोरीदेवी

महात्माजी के वर्धा-आश्रम में आप २ वर्ष रह चुकी हैं। राष्ट्रीय कार्यों में आप उत्साह के साथ भाग लेती हैं। सन् '४१ के आन्दोलन में बनारस जिले के सैयद राजा में ३ फरवरी को आपने सत्याग्रह किया और गिरफ्तार हुईं।

गाजीपुर जिला

गिरफ्तार	३,०००
नजरबन्द	१००
मृत्यु	१६७
घायल	२३९
सामूहिक जुर्माना	३,२९,१७९, रु० ४ आ० ३ पा०

बयालीस की क्रान्ति की ललकार में गाजीपुर ने सीना तान कर शहादत का बाना पहना। १९ से २३ अगस्त, पूरे पाँच दिनों तक गाजीपुर आजाद रहा। चारों ओर से आवागमन के रास्ते काट डाले गये थे। रेल के इंजिनों तक में आग धधक रही थी। स्टेशनों से शोले उठ रहे थे। सरकारी इमारतों की शहतीरें चट-चट कर जल रही थीं। सादात थाने के थानेदार ने लोगों पर धुँआंधार गोलियाँ चलवायीं। जनता डटी रही। गोलियाँ चलती रहीं। लेकिन, हाय री किस्मत, उनका भी अन्त आ गया। कारतूसें खतम हो गयीं। सिपाही खड़े थे, थानेदार काँप रहा था। खून में नहायी जनता का क्रोध आग के शोले की तरह भड़क रहा था। उसने थाने में आग लगा दी। सभी सिपाही और थानेदार उसमें झोंक दिये गये। पाप की बुनियाद पर इठलाने वाला अत्याचार खतम हो गया।

गोरे आये। बलूचियों की नापाक साया गाजीपुर की सुवासित जमीन पर पड़ी। एक बार अत्याचार का बाजार फिर गर्म हो उठा। नन्दगंज स्टेशन फूँका जा रहा था। सैनिकों ने गोली चलायी। ७०-८० युवक मौत के घाट उतर गये। मुहम्मदाबाद में फौजियों की क्रूर गोलियों ने ६ को शहीद बनाया। बनारस के नजदीक रेल का मार्ग एकदम बेकार बना दिया गया था। सिपाहियों ने गोमती को नाव पर पार किया। रास्ते के गाँव लूटे और जलाये गये। फसल बर्बाद कर दी गयी। लेकिन क्रूरता और दुष्टता की हद हो गयी रामपुर और शेरपुर में। गोलियाँ चलीं। किचें भोंकी गयीं। १२ घंटे तक लूट चलती रही। क्या बाकी छोड़ दिया था गोरों और बलूचियों ने? जबरदस्ती के साथ स्त्रियों के शरीर पर से गहने उतार लिये गये। बलात्कार तो उन दिनों महज मामूली बात थी। लाखों रुपयों का नुकसान किया गया। देश की आजादी हासिल करने के लिये जेलोंमें अलख जगानेवाले नंगे कर धूप में लिटाये गये और उनके हाथ-पाँव बाँधकर लात-घूसों से उनका स्वागत किया गया। एक दिन बेरहमी की मार ने एक आदमी को बेहोश कर दिया।



मैजिस्ट्रेट के दुष्टता-भरे कृत्य !

बनारस जिले में दो स्थानों पर क्रोध में आकर मैजिस्ट्रेट ने ही कैदियों को पीटना शुरू किया ।

यह रही गाजीपुर में '४२ के दिनों की घटना। मारवाड़ी समाज के जिन बन्धुओं ने मुल्क की पुकार पर जेल की चहारदीवारी लांघ भारत-माता के जयघोष से आसमान को गूँजायमान कर दिया था, उनमें कुछ का संक्षिप्त परिचय नीचे लिखी जा रहा है—

श्रीगजानंद टीबड़ेवाल

कांग्रेस का ऐसा एक भी आन्दोलन न हुआ, जिसमें आपने सक्रिय भाग न लिया हो। श्रावण शुक्ला चतुर्दशी, संवत् १९४८ को आपका जन्म हुआ। पिताजी का नाम स्व० श्रीलादूराम टीबड़ेवाल था। पहली बार सन् १९२१ में आप जेल गये। देश की वह पहली ललकार थी। जरा सा धक्का हमने दिया था भारत की गोरी सरकार को। नींव तो उसकी खिसकी थी। उस समय आपको एक साल की कैद हुई और ५००) जुर्माना। गाजीपुर और फैजाबाद जेल में आप एक-एक महीना रहे, बनारस में दो और लखनऊ में आठ महीने।

सन् '३० का असहयोग-आन्दोलन आया। तब आपने दूसरी जेल यात्रा की। दो महीने गाजीपुर और दस महीने बांदा जेल में रहे। इस बार भी सजा एक वर्ष की हुई थी। जुर्माना हुआ था ५००)। फिर आप सन् '३२ में जेल गये। इस बार भी एक साल की सजा और ५००) जुर्माना हुआ। १५ दिन गाजीपुर में रहे और लखनऊ जेल में डेढ़ महीने। रायबरेली में सात महीने और फैजाबाद जेल में ३ महीने की सजा आपने काटी।

सन् '४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह में आपको एक साल की सजा मिली। गाजीपुर में डेढ़ महीने और फैजाबाद में साढ़े दस महीने रहे। बयालीस के खूनी आन्दोलन में आपको दो साल की सजा हुई। गाजीपुर में केवल एक महीना रहे। शेष सजा बनारस सेंट्रल जेल में काटी।

सन् १९१० से '१५ तक आपने धार्मिक और सामाजिक कार्यों तक ही अपने को सीमित रखा। लेकिन, गुलाम और बेबस भारत की पुकार जब तेज हो उठी, आप

कांग्रेस-झण्डे के नीचे आ गये। वह सन् १९१६ का साल था। तब से, आज तक राष्ट्रीय कार्यों में आप सहयोग दे रहे हैं।

गाजीपुर जिला कांग्रेस-कमिटी के आप सन् १९२० से ही सदस्य और मन्त्री रहते आये हैं। आप प्रांतीय कांग्रेस-कमिटी के दो वर्ष और अखिल भारतीय कांग्रेस-कमिटी के भी सदस्य रह चुके हैं। सन् १९१६ से १९३१ तक आप गाजीपुर जिला-बोर्ड के सदस्य रहे। सन् १९२५ से '३५ तक गाजीपुर म्युनिसिपलिटी के आप सदस्य थे।

पता—गांधी रोड, गाजीपुर

श्रीरामकृष्ण प्रसाद

गाजीपुर के मारवाड़ी समाज में आप धीर प्रकृति और सहनशील स्वभाव के व्यक्ति हैं। आप मारवाड़ी अग्रवाल स्व० लाला नाथूरामजी के वंशज हैं। स्व० लाला नाथूरामजी चर्खी दादरी (जींद रियासत) के रहने वाले थे। गाजीपुर मंडल कांग्रेस-कमिटी के आप सन् १९४४-४५ में सदस्य रहे और एक वर्ष तक गाजीपुर जिला-कस्तूर बा-स्मारक कमिटी के कोषाध्यक्ष। कांग्रेस की आर्थिक सहायता यथाशक्ति आपने सन् १९३० से ही करनी शुरू की, जो आज तक जारी है।

सन् '४२ के आंदोलन में आपने भाग लिया। सितम्बर ४२ में तोड़-फोड़ और आग लगाने के अपराध में आपकी गिरफ्तारी हुई। नौ महीने और कुछ दिनों तक आप गाजीपुर जिला जेल में रखे गये। परन्तु, जुर्म साबित न हो सकने के कारण सरकार ने आपको रिहा कर दिया। जेल में आपको नाना प्रकार की तकलीफें दी गयीं।

जन्म आपका १५ अक्तूबर, सन् १९१६ को हुआ। पिताजी का नाम स्व० श्रीप्रह्लाद प्रसाद था।

पता—कोट, गाजीपुर

श्रीऋषिकेश प्रसाद

आपके द्वारा स्थानीय संस्थाओं को समय-समय पर यथेष्ट आर्थिक सहायता मिलती रही है। सन् '४२ के आंदोलन में गिरफ्तार कर आप जिला जेल गाजीपुर भेज दिये गये। आप बिना किसी जुर्म के ही गिरफ्तार हुए थे। पुलिस ने आप पर अत्यधिक अत्याचार किये। पिताजी आपके स्व० श्रीदेवकीनन्दन प्रसाद थे। जून नवीं तारीख, सन् १९०३ में आपका जन्म हुआ।

पता—कोट, गाजीपुर

श्रीवंशीधर गुप्त

बयालीस के अगस्त-आंदोलन में आपने अङ्गरेज नौकरशाही को ललकारा। सातवीं श्रेणी तक शिक्षा प्राप्त करने वाले इस व्यक्ति ने सरकारी नुमायन्दों को खूब ही छकाया। बाद में आप गिरफ्तार हुए और ढाई महीने गाजीपुर और दो वर्ष फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में रहे। सन् '४४ के अगस्त-महीने में आप रिहा हुए। जेल में आपसे चक्की चलवायी गयी थी। एक बार भूख-हड़ताल करने पर आपको बेंतों से पीटा गया।

आपके पिताजी का नाम स्व० श्रीकबूलचन्द गुप्त था।

पता—प्रसाद एण्ड कम्पनी, कोट, गाजीपुर

गोरखपुर जिला

गोलीकांड	३ जगह
सामूहिक जुर्माना	२८,१९,१७० रु०

लूट-पाट और आग लगाने का काम युक्तप्रांत के पूर्वी जिलों में अधिक हुआ। गोरखपुर जिले में रेल की लाइनें उखाड़ी गयीं; पुलों को नष्ट किया



गाजीपुर में स्त्रियों और पुरुषों को नग्न किया गया।
फिर पेड़ों से उलटा लटका कर उन्हें पिटा गया।

गया और तार के खम्भे उखाड़ फेंके गये। सैनिकों ने स्त्रियों के साथ अत्याचार किया। मालपुरी गाँव पूरा का पूरा जला दिया गया। सरकार-द्वारा २८ लाख रुपये सामूहिक जुर्माना हुआ।

खोपापार (बांसगांव) में १२ घर जलाये गये, ७६ को लूटा गया और १०३ घरों की छतें नष्ट की गयीं। ८ आदमियों को सजाएँ दी गयीं। इस जिले में करीब २ लाख ३४ हजार ९ सौ ७९ रुपये का नुकसान हुआ।

श्रीमहावीर प्रसाद पोद्दार

आपके पिताजी का नाम स्व० श्रीमहादेव प्रसाद पोद्दार था। आपकी अवस्था इस समय लगभग ६० साल की है। मारवाड़ी समाज में सुधारवादी कार्यों में यदि आपका नाम सर्वप्रथम लिया जाय, तो अत्युक्ति नहीं होगी। कारण, समाज में आज से कोई ३५ साल पूर्व जहाँ अश्लील गीत गाये जाते थे, वहाँ आप सम्मिलित नहीं होते थे। आप उनका सख्त विरोध करने में भी पीछे नहीं हटते थे। यह उस समय की बात है, जब समाज में प्रचलित रीति-रिवाजों के विरुद्ध, चाहे जैसी भी विरोधी आवाज उठाने की हिम्मत किसी में न थी। इसलिये मारवाड़ी समाज के सुधारों के इतिहास में आपका नाम सबसे पहले लिया जाना चाहिए।

जीवन के प्रथम प्रभात में ही आपका झुकाव हिन्दी-भाषा और साहित्य की सेवा एवं विवर्द्धन की ओर गया। अट्ठारह वर्ष की अवस्था में आपने 'टाम काका की कुटिया' को हिन्दी-भाषा में अनुदित किया। यह पुस्तक इण्डियन प्रेस, लिमिटेड इलाहाबाद से प्रकाशित हुई। स्व० आचार्य श्रीमहावीर प्रसाद द्विवेदी ने आपकी विद्वता और अनुदित पुस्तक की मासिक 'सरस्वती' में भूरि-भूरि प्रशंसा की। हिन्दी साहित्य की स्वतंत्र रूप से सेवा करने के लिये अपने पिताजीको नाराज कर कलकत्ते में बिना पूंजी के आपने 'हिन्दी-पुस्तक-एजेंसी' की स्थापना की और पुस्तक-प्रकाशन में सुविधा के लिये आपने 'वणिक-प्रेस' का संचालन करना शुरू किया।

गोरखपुर में रहते समय ही स्व० प्रेमचन्दजी से आपका घनिष्ट सम्बन्ध हो गया था। यह वह समय था, जब प्रेमचन्दजी उर्दू में नवाबराय के नाम से कहानियाँ लिखा करते थे। उन दिनों प्रेमचन्दजी गोरखपुर के नार्मल स्कूल में अध्यापक थे। अक्सर आप दोनों साहित्यिक मिला करते थे। आपने प्रेमचन्दजी को हिन्दी लिखने के लिये बाध्य किया। रोज-रोज के तकाजे ने उन्हें हिन्दी लिखनेके लिये मजबूर कर दिया। और प्रेमचन्द जी ने हिन्दी लिखने के लिये कलम उठायी—कहानियाँ पत्रों में छपने लगीं। आपने 'हिन्दी-पुस्तक-एजेंसी' से एक-एक कर उनके कहानी-सग्रह, उपन्यास आदि प्रकाशित करना शुरू किया। सतसरोज, सेवा-सदन, प्रेमाश्रम गबन, रंगभूमि आदि पुस्तकें हिन्दी-जगत को मिलीं। इसी बीच एक बार बंगला के एक प्रमुख उपन्यासकार को कलकत्ते में आपने 'सेवासदन' की एक प्रति पढ़ने और सम्मति देने के लिये प्रदान की। दूसरे दिन उस प्रमुख उपन्यासकार ने आपसे मिलने पर कहा—"यह व्यक्ति 'उपन्यास-सम्राट' है।" प्रेमचन्द जी के 'उपन्यास-सम्राट' बनने की यह कथा है।

हिन्दी-में सुन्दर ज्ञानवर्द्धक और सस्ती पुस्तक प्राप्त होने के लिये 'सस्ता-साहित्य-मण्डल', नयी दिल्ली की स्थापना में आपका भी उद्योग कार्य कर रहा था। मण्डल की समिति के आज भी आप एक प्रमुख सदस्य हैं।

कांग्रेस में आपका पदार्पण सन् १९३० में हुआ। तब नमक-सत्याग्रह का जमाना था। आप कलकत्ते में रहते थे। महेश बथान नामक स्थान में नमक बनाने के लिये जाने वाले सत्याग्रहियों के पहले जत्थे का संचालन आपने ही किया। आपने नमक-कानून तोड़ा और सरकार-द्वारा गिरफ्तार होकर ७ दिन जेल में रहे।

कांग्रेस के रचानात्मक कार्यों में आपकी दिलचस्पी बहुत दिनों से है। 'शुद्ध खादी भण्डार' कलकत्ता की स्थापना आपने ही करायी। जब आप गोरखपुर चले गये, श्रीसीताराम सेकसरिया के जिम्मे इसकी देखरेख का भार किया गया। तिलक-स्वराज्य-फण्ड में आपने अपना प्रेस बेंचकर उसके सब रुपये दे दिये। गोरखपुर जाने

पर आपने गीता-प्रेस की स्थापना की और फिर गोशाला की। बाद में ये दोनों संस्थाएँ आपने दूसरों को दे दीं। सरकार ने आपको आनरेरी-मैजिस्ट्रेट बनाया था, जिससे एक दिन बाद ही इस्तीफा देकर आप अलग हो गये।

सन् १९४० का व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ। गांधीजी की आज्ञा लेकर आपने उसमें भाग लिया। आपको एक साल की सजा और ७५० रु० जुर्माना हुआ। जेल से रिहा होने के बाद आप २ महीने तक नजरबन्द रखे गये।

युक्तप्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी की सभा गोरखपुर में होने वाली थी। लेकिन, स्थान कहीं नहीं मिल रहा था। खुफिया पुलिस द्वारा लाख तंग किये जाने पर भी आपने नेताओं को अपने बगीचे में ठहराया और इस प्रकार कांग्रेस की सभा हुई।

सन् बयालीस के आन्दोलन में आप ९ अक्तूबर को ही गिरफ्तार कर लिये गये। साढ़े तीन साल जेल में रखने के बाद सरकार ने आपको सन् १९४५ में रिहा किया। जेल से ही आपने 'जीवन-साहित्य' का सम्पादन और हिन्दी में कई पुस्तकों का अनुवाद किया। आपके गिरफ्तार हो जाने पर सरकार ने एक लिमिटेड कम्पनी-द्वारा संचालित, जिसके आप मैनेजिंग डायरेक्टर थे, १०० एकड़ आबाद जमीन हवाई अड्डा बनाने के लिये ले ली और आपके बैंक-खाते बन्द कर दिये।

गोरखपुर में खादी और चरखे का प्रचार करने के लिये आपने चरखा-विद्यालय की स्थापना की। बाद में यह बन्द कर दिया गया। प्राकृतिक चिकित्सा के आप अच्छे जानकारों में हैं। इस विषय पर प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका 'आरोग्य' में आप छद्म नामों से लेख लिखा करते हैं। 'आरोग्य' की स्थापना में भी आपका सहयोग रहा है।

नोआखाली के दंगे में महात्माजी ने आपको वहाँ बुलाया था। लेकिन, एक नजदीकी रिश्तेदार की सख्त बीमारी के कारण आप जा न सके। महात्माजी के आप निकट व्यक्तियों में थे। आप पर उनकी विशेष कृपा रहती थी।

सन् १९४६ में युक्तप्रान्तीय असेम्बली की सदस्यता के लिये आपका नाम आया। लेकिन, असेम्बली में जाने से आपने एकदम इन्कार कर दिया। आजकल आप 'गाँधी-ग्रन्थावली' का प्रकाशक कर रहे हैं। यह ग्रन्थावली ला जरनल प्रेस, इलाहाबाद में इस समय छप रही है। आप हिन्दी, अंगरेजी, बंगला, गुजराती, संस्कृत, मराठी और उर्दू भाषाओं के पूर्ण जानकार हैं।

आप गो-सेवा-संघ के उपसभापति, हरिजन-सेवक-सङ्घ की अखिल भारतीय कमिटी और भारत-सरकार-द्वारा नव-निर्मित 'पशु-रक्षा धन' कमिटी के गैरसरकारी नामजद सदस्य हैं।

पता—उर्दू बाजार, गोरखपुर

स्व० श्रीआनन्दशङ्कर पोद्दार

आप कांग्रेस के प्रसिद्ध कार्यकर्त्ता श्रीमहावीर प्रसाद पोद्दार के पुत्र थे। जन्म आपका गोरखपुर में हुआ था। लड़कपन से ही आप मेधावी छात्रों में थे। कालेज में पढ़ते समय आप कांग्रेस के कार्यों में बराबर भाग लिया करते थे। कलकत्ता-विश्वविद्यालय से आपने एम० ए० (अर्थशास्त्र) सर्वप्रथम रह कर पास किया। दूसरे वर्ष आपने दर्शन-शास्त्र में फिर एम० ए० किया। रूसी भाषा से आप काफी प्रभावित हुए थे। राजनीति में आपका झुकाव मार्क्सवादी सिद्धान्तों की ओर था। अर्थ-शास्त्र का विशेष अध्ययन करने के लिये विदेश जाने की आप तैयारी कर रहे थे कि बयालीस का अन्दोलन शुरू हुआ।

आपने कलकत्ता आदि स्थानों में कार्य करने वालों से बराबर अपना सम्पर्क कायम रखा। बस, पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया। २ वर्ष तक आप जेल में रखे गये थे।

जाने, जेल-जीवन में आपके हृदय पर कौन-सी भयानक दुर्घटना का प्रभाव पड़ा कि आपने रिहा होने के १५-२० दिन बाद ही आत्महत्या कर ली। अपने आखिरी

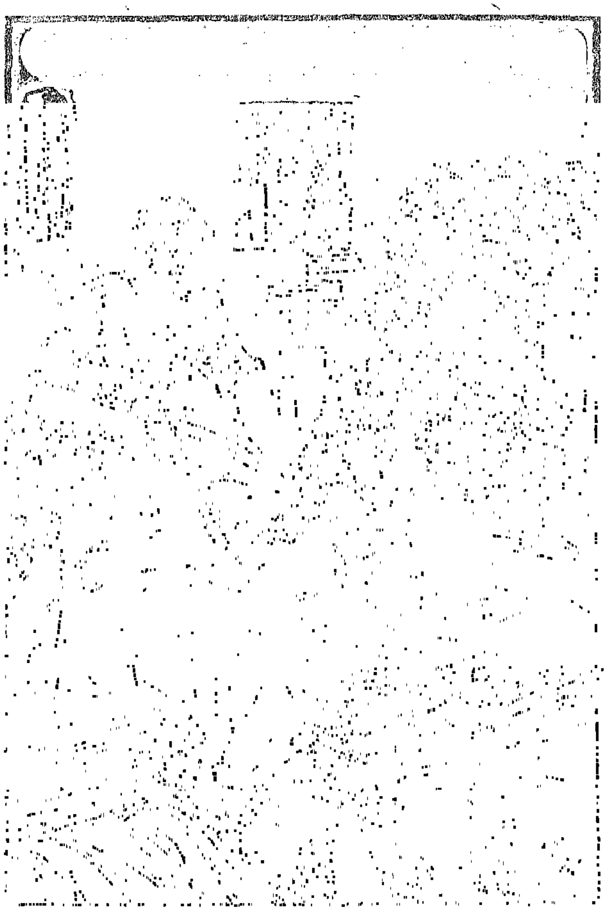
पत्र में आपने लिखा था—"जेल में जाने के बाद मेरी आशा जीवन-मृत हो गयी थी। न जाने मुझे कैसा लगता था।" लेकिन, हम कहेंगे, बदनसीब जेल ने अंगरेजी हुकूमत के पाये को मजबूत करने की झूठी आशा में आपकी बलि ले ली। मरते समय आप २५,००० रु० अपने अन्तिम पत्र के अनुसार दान कर गये—१५,००० रु० श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर के 'शान्ति-निकेतन' और १०,००० रु० विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये अपने एक मित्र को।

डा० विट्ठलदास मोदी

आप गोरखपुर के मोदी-परिवार के उत्साही, विनीत और परिश्रमी युवक हैं। इस समय आपकी उम्र ३६ वर्ष की है। काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय से आपने बी० ए० तक शिक्षा प्राप्त की है।

स्कूल के अपने जीवन से ही आप की अभिरुचि साहित्यिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यों की ओर रही है। १६ वर्ष की अवस्था में ही आप नगर कांग्रेस-कमिटी गोरखपुर की कार्यकारिणी समिति के सदस्य चुने गये। राजनीतिक कार्यों में तब से आप विशेष भाग लेने लगे। सन् १९४५ के सितम्बर महीने में गुप्त रूप से राजनीतिक कार्यों का संगठन करने के अपराध में सरकार ने आपको गिरफ़्तार किया। ११ महीने तक आप जेल में नजरबन्द रखे गये।

हिन्दुस्तान के आप प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक और अपने विषय के लेखक एवं विचारक हैं। जेल-जीवन में आपने प्राकृतिक चिकित्सा का विशेष अध्ययन और 'एडोल्फ जुस्ट' कृत प्राकृतिक चिकित्सा की प्रसिद्ध पुस्तक 'रिटर्न टु नेचर' का अनुवाद किया। आप एक कुशल सम्पादक हैं। सस्ता-साहित्य मण्डल से प्रकाशित होने वाले मासिक पत्र 'जीवन-साहित्य' का आपने सन् १९४२, १९४४ और '४५ में सम्पादन किया। आपके सम्पादन-काल का 'जीवन-साहित्य' प्राकृतिक चिकित्सा से अधिक सम्बन्धित रहा और उसके इस रूप को लोगों ने काफी पसन्द किया।



गोरों का कालापन—

बस्ती जिले के रामपुर गांव में चेतू हरिजन के घर में घुस उसकी युवा पत्नी के साथ बीस गोरों ने बलात्कार किया। बलात्कार के बीच ही वह बेचारी स्वर्ग सिधार गयी।

कालेज के दिनों में आप अक्सर रोगी रहते थे। दवाइयों का बराबर व्यवहार करते रहने पर भी आप स्वस्थ न हो सके। तब आपने प्राकृतिक चिकित्सा का अध्ययन कर अपने को रोगमुक्त किया। इस चिकित्सा की ओर आपका ध्यान इतना अधिक आकर्षित हुआ कि लेखों और प्रयोगों के द्वारा आपने इसका प्रचार करना शुरू कर दिया। रोगियों की समुचित चिकित्सा करने के लिये सन् १९४० में आपने 'आरोग्य-मन्दिर' नामक प्राकृतिक चिकित्सालय की गोरखपुर में स्थापना की। उस समय से आजतक लगभग १५०० रोगी इस चिकित्सा-द्वारा स्वास्थ्य-लाभ कर चुके हैं।

आपके द्वारा लिखी 'उपवास से लाभ' और 'दुग्ध-कल्प' पुस्तकें हिन्दी-संसार में बहुत समादृत हैं। 'आदर्श आहार' और 'सर्दी, जुकाम, खांसी' नामक दो पुस्तकें आपने ऐसी लिखी हैं, जिनकी प्रशंसा उस विषय के अधिकारी विद्वानों ने की है।

मासिक 'आरोग्य' का सम्पादन और प्रकाशन आप ही करते हैं। 'आरोग्य-मन्दिर' गोरखपुर से प्रकाशित होने वाला शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य-सम्बन्धी यह पत्र है।

पता—आरोग्य-मन्दिर, गोरखपुर

मिर्जापुर जिला

आंदोलन का रूप यहाँ कुछ धीमा रहा। परन्तु, जनता सरकारी इमारतों पर धावे और तोड़-फोड़ के कार्य करने से यहाँ भी बाज न आयी। पुलिस ने गोली चलायी। यहाँ १०,१९० रु० सामूहिक जुर्माना किया गया।

श्रीविष्णुदत्त शर्मा

जयपुर के श्रीदिगम्बर जैन-विद्यालय' के अध्यापक स्व० श्रीअर्जुनलाल सेठी से मिलने के लिये वर्ष में कई बार आप जयपुर जाने लगे। आपका ध्यान अधिकतर

क्रान्तिकारी कार्यों की ओर था। जब पैसे के अभाव में काम बन्द होने पर आ गया, उस समय आप लोगों ने २० मार्च, सन १९१३ को शाहाबाद जिले के (बिहार) निमेज गाँव के महन्त को मार डाला। परन्तु, रुपयों के सन्दूक की चाबी न मिलने के कारण आप लोगों को निराश होना पड़ा।

फिर इन्दौर में एक युवक के गिरफ्तार होने पर सरकार को आप लोगों के कार्यों का पता चला। कई महीने तक आपलोगों पर मुकदमा चला। कुछ को फांसी की सजा हुई और आपको १० वर्षों के लिये कालेपानी की।

इलाहाबाद जिला

गिरफ्तार	५८१
दण्डित	४५८
सामूहिक जुर्माना	९३,०३८रु०

९ अगस्त को ही इलाहाबाद के नेताओं के गिरफ्तार होने की खबर आयी। बस, दूकानें बन्द होने लगीं। देखते-देखते सारे शहर में हड़ताल की हवा फैल गयी। कालेज और स्कूल के विद्यार्थी क्लासों से बाहर आ गये। जुलूस निकाले गये। जय-जयकारों से शहर की धरती कांप उठी। १० और ११ अगस्त तक यही हालत रही।

इस बीच पुलिस शहर के कांग्रेसी दफ्तरों की तलाशी लेती रही। उनमें ताला लगाना और प्रमुख कांग्रेसियों को पकड़ना उसने जारी रखा। १२ अगस्त को विद्यार्थियों के एक जुलूस पर उज्जड सिपाहियों ने ईंटें फेंकी। उत्तेजित भीड़ जब ईंटों का जवाब पत्थर से देने लगी, लाठी-चार्ज किया गया। जुलूस का नेतृत्व करने वाली लड़कियों तक के सर फोड़े गये। लेकिन इतने से ही अन्त न हो गया। अब गोलियां चलायीं गयीं जिनमें मरने और घायल होने वालों की संख्या अधिक है।

१३ और १४ अगस्त को काफ्र्यू आर्डर जारी किया गया। सड़कों पर पुलिस की गश्त जारी हो गयी। क्रुद्ध भीड़ तार और सड़क काटने, रेल की लाइन उखाड़ने आदि में लगी रही। १५ और १७ अगस्त के बीच गांधी टोपी पहनने वालों पर जुल्म किये गये। इलाहाबाद में साल भर तक की पुलिस सुपरिंटेंडेंट की नादिरशाही बनी रही। कांग्रेसियों को गाली देना पुलिस का पहला काम हो गया। कोतवाली में कई रईसों के साथ बुरा बर्ताव किया गया। लेकिन सबसे अधिक अत्याचार हुए विद्यार्थियों पर, जिस कारण एक मुसलमान डिप्टी कलक्टर ने अपनी नोकरी पर लात मार दी।

श्रीचित्तरञ्जन कुमार

सन् '४२ के आंदोलन में आप गिरफ्तार कर लिये गये। कुछ महीनों तक जेल में रखने के बाद सरकार ने आपको रिहा कर दिया। संगीत-कला से आपका विशेष प्रेम है।

कानपुर जिला

नजरबन्द	२०३
दण्डित	३९४
सामूहिक जुर्माना	१,९९,२५० रु०

डाकखानों की लारियों और यूरोपियन ड्राइवरों के द्वारा चलायी जाने वाली कारों पर यहाँ हमला किया गया। १० अगस्त तक शहर की तीन पुलिस चौकियों पर सामूहिक धावे किये गये। लगभग डेढ़ महीने तक कालेज और स्कूलों में हड़ताल रही।

श्रीरामचन्द्र मुसद्दी 'आर्य'

आपके पिता स्व० सेठ रामगोपाल मुसद्दी 'होमरूल लीग' के सभापति थे। सन् १९०५ में 'बंगभङ्ग' आन्दोलन के समय उन्होंने श्रीमती एनी बेसेंट के साथ काम

किया था। कानपुर के मारवाड़ियों में वे प्रथम आर्य-समाजी थे। उन्होंने तीन-चार आर्य-समाज की स्थापना की थी।

आपका जन्म फाल्गुन, संवत् १९५९ को अलवर स्टेट के राजगढ़ में हुआ। शिक्षा आपको इंटरमीजियट तक मिली। शुरू से ही आपका झुकाव राजनीति की ओर रहा। शुरू में आपने क्रांतिकारी आंदोलनों में कार्य किया। प्रसिद्ध क्रांतिकारी शहीद चन्द्रशेखर 'आजाद' सन् १९३० में १२ महीने तक आपके यहाँ छिपे रहे।

सन् '३० में ही आप पहली बार जेल गये। उस समय ६ महीने आपको कानपुर और फैजाबाद की जेलों में रखा गया। सन् '४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह में एक साल तक आप कानपुर, आगरा सेंट्रल जेल और उन्नाव में रहे। सन् '४२ के आन्दोलन में आपको ६ महीने की सजा दी गयी। उस समय २ महीने कानपुर और ४ महीने बरेली जेल में रहे।

पता—आर्यसमाज, मेस्टन रोड, कानपुर

श्रीमती श्रीदेवी मुसद्दी

आपके पिताजी का नाम सेठ लछमनदासजी गोयनका है। आपका जन्म आगरे के सदर बाजार में सन् १९१२ के लगभग हुआ। आपके भाई स्व० सेठ केदारनाथजी गोयनका कांग्रेस के एक कर्मठ कार्यकर्त्ता थे। जिस समय आप जेल में थीं, सेठ केदारनाथजी का स्वर्गवास हुआ। आप कानपुर के प्रसिद्ध राष्ट्रीय कार्यकर्त्ता श्रीरामचन्द्र मुसद्दी 'आर्य' की धर्मपत्नी हैं।

आप कानपुर शहर कांग्रेस कमिटी के महिला-विभाग की उपसभानेतृ हैं। सन् १९२६ में कानपुर में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ, उसमें स्वयंसेविका-दल का आपने संचालन किया था। यह कार्य करने वाली आप पहली मारवाड़ी महिला हैं। कानपुर में होने वाले मारवाड़ी सम्मेलन की महिला-सभा की भी आप सभानेतृ थीं।

शुरू से ही आप आर्य-समाज में कार्य करती आ रही हैं। शुद्धि और विधवा-विवाह पर आप विशेष ध्यान देती हैं। हरिजनों के बीच काम करना भी आपके

सार्वजनिक जीवन का एक प्रधान अंग है। परदा का रिवाज आपके यहां कभी नहीं रहा। आपके पिताजी इस प्रथा के सख्त विरोधी थे। ससुराल आने पर आपने कभी परदा नहीं किया। सन् '४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह में आपको ६ महीने की सजा हुई थी जिसे आपने कानपुर (डेढ़ महीने) और लखनऊ (साढ़े चार महीने) जेल में काटी।

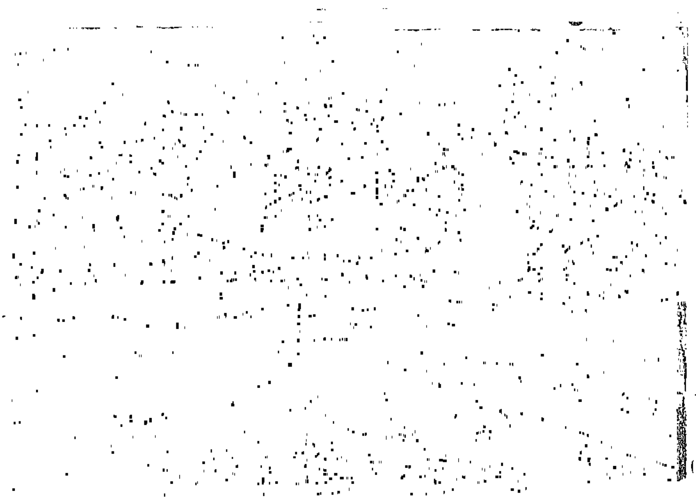
पता—आर्य-समाज-भवन, मेस्टन रोड, कानपुर

स्व० श्रीमदनलाल चौधरी

आप एक स्वतन्त्र विचारक और कट्टर समाज-सुधारक थे। कानपुर के मारवाड़ी सम्मेलन के अधिवेशन में आपने १४ वर्ष की लड़की और १८ वर्ष के लड़के के विवाह-प्रस्ताव का विरोध किया। अपने विचारों में संकीर्णता का स्थान आपने कभी न दिया। चूड़िया अजीतगढ़ (जयपुर रियासत) में आप हवेली बनवा रहे थे। बरगद की एक डाल सीमा में आ गयी। मन्दिर के पुजारियों ने रोका। गाँव के ब्राह्मणों और वैश्यों ने विरोध किया। परन्तु, डाल आपने कटवा ही डाली। आपका जन्म श्रावण, संवत् १९४४ को जयपुर-रियासत के चूड़िया ग्राम में हुआ। पिताजी का नाम स्व० लाला जवाहरमलजी चौधरी था। सन् १९३१ के नमक-सत्याग्रह में तीन महीने की आपको सजा मिली थी। आप कानपुर जेल में रखे गये थे।

श्रीहीरालाल शर्मा

आप बीकानेर रियासत में बीदासर के स्व० पं० ऋषभचन्द दाहिमा ब्राह्मण के पौत्र और पं० नेमचन्द के पुत्र हैं। आपके प्रपितामह बीदासर राजघराने में प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाते थे। लड़कपन में ही आपने सार्वजनिक सेवा-भावना से प्रेरित हो पुस्तकालय और क्लबों की संस्थापना की। फिर आप हिन्दू-महासभा के मंच पर दीखने लगे। कुछ दिनों तक यही क्रम चला।



इलाहाबाद के एक सिपाही ने घास काटने वाले एक देहाती पर गोली का निशाना लगाया जिससे वह वहीं मर गया।

सन् बयालीस में जब देश ने 'करो या मरो' का महामन्त्र सुना, स्कूल की पढ़ाई पर लात मार आप राष्ट्रीय मैदान में आ गये। सन् '४२ की आग आप तक पहुँची। विध्वंसात्मक कार्यों में आप भाग लेते रहे। बीच में कई वर्ष बीत गये। कितने तूफान विनाश के अवशेष छोड़ चले गये। देश में एक नया जमाना आया। उसे आजादी मिली। लेकिन, रियासतों में जनता पर किये जाने वाले अत्याचार बन्द न हुए। धन-जन की लूट उसी प्रकार चल रही थी। बर्बादी और विरोध के बाजार पहले की ही तरह गर्म थे। जनता की बिलबिलाहट सुन अलवर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर आदि रियासतों में प्रजा-परिषदों के नेताओं के साथ आप घूमने लगे।

बीकानेर की रियासती सरकार से आपने लोहा लिया। फलतः आपके भाषण और प्रचार को राज्यविरोधी, शान्ति भंग करने वाला आदि नाम देकर आपको तीन वर्षों तक जेल में बन्द रखा गया। आपकी गिरफ्तारी सन् १९४६ के जून महीने की २६ तारीख को रात के एक बजे हुई। यह लम्बी सजा आपने बीकानेर केन्द्रीय कारागार में काटी। बाद में परिस्थितियों से विवश होकर सरकार ने आपको रिहा कर दिया।

आपका जन्म पौष कृष्णा ७, सोमवार, संवत् १९८२ को हुआ।

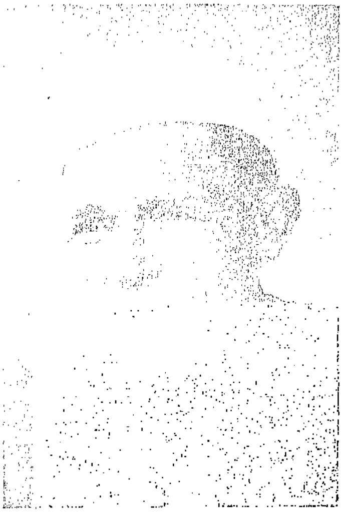
पता—प्रकाश घी स्टोर्स, कालू कोठी, कानपुर

श्रीरामचन्द्रमुसद्दी 'जेलयात्री'

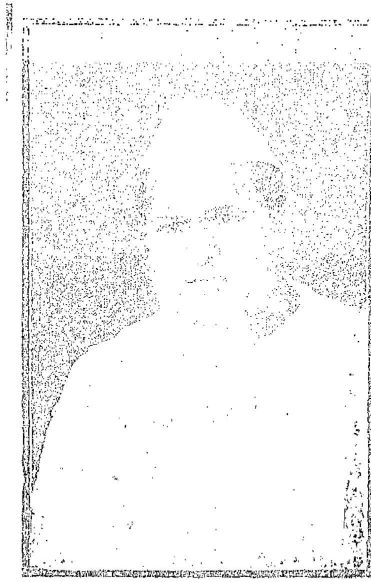
आपके पिताजी का नाम स्व० श्रीगंगाबक्स मुसद्दी था। जन्म आपका मेरठ जिले के चमरावल गाँव में श्रावण, संवत् १९६१ में हुआ।

सामाजिक कार्यों में आपने शुरू से ही महत्वपूर्ण भाग लिया। विधवा-विवाह के आप सदा ही पक्षपाती रहे। सन् १९३६ से १९३८ तक कानपुर शहर कांग्रेस-कमिटी के आप प्रधान मन्त्री रहे। शुरू में क्रान्तिकारी आन्दोलनों की ओर आपका झुकाव था। परन्तु, बाद में आपने कांग्रेस कार्यक्रम को अपना लिया।

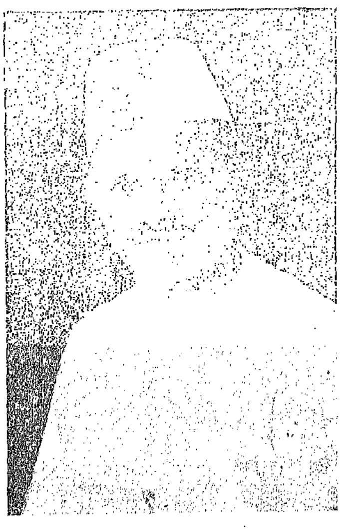
क्रान्ति के पुजारी :—



श्रीहीरालाल साह, नैनीताल

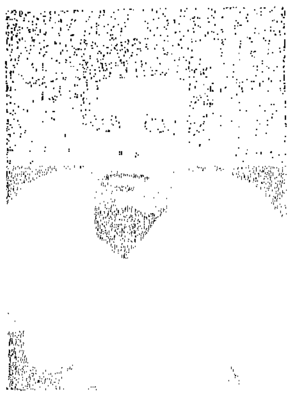


श्रीरामचन्द्र मुसद्दी 'आर्य', कानपुर

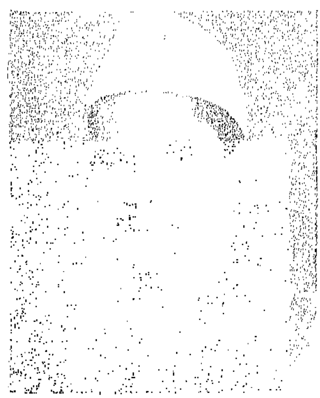


बा० रतनलालजी, बिजनौर

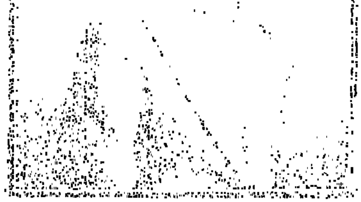
आज़ादी के ५ दीवाने :—



श्रीहरीन्द्रभूषण, बनारस



श्रीगोवर्धनदास जैन, आगरा।



डा० विट्ठलदास मोदी, गोरखपुर

अब तक करीब ८ बार आप जेल-यात्रा कर चुके हैं। पहली बार भाषण देने के अपराध में सन् '२१ में आप जेल गये। सजा एक साल की हुई थी। रहे लखनऊ, आजमगढ़ और बनारस की जेलों में। ३१ जुलाई, सन् '२२ को बनारस जेल से रिहा हुए और वहाँ से सीधे नागपुर चले गये। नागपुर स्टेशन पर उतरते ही ३ अगस्त को आप फिर गिरफ्तार कर लिये गये। लेकिन, सरकार और कांग्रेस में समझौता हो जाने के कारण आप छोड़ दिये गये। यह रही आपकी दूसरी जेल-यात्रा।

तब आया सशस्त्र सत्याग्रह। सन् १९२७-२८ में नागपुर में यह छेड़ा गया था। नागपुर जेल में १५ दिन के लगभग आप रहे। महात्माजी के कहने से जब सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया, उस समय आपकी रिहाई हुई। आपकी तीसरी जेल-यात्रा थी। सन् १९२९ से '३१ तक बारी-बारी से आप तीन बार जेल गये। तीनों में ६ महीने की सजा हुई। गोरखपुर, गोंडा और कानपुर की जेलों में आप रखे गये थे। सन् '३२ में आप रिहा हुए। सन् '४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह में आपको एक साल की सजा हुई। यह आपकी सातवीं जेल यात्रा थी। कुल मियाद आपने फतेहगढ़ जेल में काटी। सन् '४२ के अगस्त-आन्दोलन में आप कानपुर में गिरफ्तार किये गये। दो महीने के बाद सरकार ने आपको छोड़ दिया।

पता—५६।३०, सतरंजी मुहाल, कानपुर

कुमारी सुशीला मुसद्दी

आपके पिताजी का नाम श्रीरामचन्द्र मुसद्दी 'आर्य' और माताजी का नाम श्रीमती श्रीदेवी मुसद्दी है। २० अक्तूबर, सन् १९२७ को आपका जन्म हुआ। आप एम० ए० हैं। अगस्त-आन्दोलन में आप लड़कियों के एक जुलूस का बनारस में नेतृत्व कर रही थीं। तब आप हिन्दू-विश्वविद्यालय की एक छात्रा थीं, बनारस-जिला-निष्कासन की सरकार ने आपको आज्ञा दी। आप कानपुर चली आयीं। यहाँ हड़ताल कराते समय

आप गिरफ्तार कर ली गयीं और एक दिन हिरासत में रख कर पुलिस ने आप को छोड़ दिया।

पता—आर्यसमाज भवन, मेस्टन रोड, कानपुर

श्रीजयनारायण गोयनका

हिसार जिले के चंगोई गाँव में आपका जन्म संवत् १९५८ में हुआ। जयपुर-रियासत में नवलगढ़ के स्व० श्रीचोखीराम ने आपको गोद लिया। कांग्रेस के कार्यों की ओर आपका झुकाव शुरू से ही रहा। सन् '२१ के आन्दोलन में आपने भाग लिया और फिर गिरफ्तार होकर ६ महीनों तक कानपुर और फैजाबाद जेल में रहे।

श्रीहनुमान प्रसाद शर्मा

आपके पिताजीका नाम पं० जगन्नाथ प्रसाद शर्मा है। आपका जन्म सन् १९१५ के आसपास जयपुर-रियासत के फतेहपुर सिकरी में हुआ।

सन् '४२ के अगस्त-आन्दोलन में आपको साढ़े ग्यारह महीने की सज़ा हुई। सन् '४३ में आपको फांसी की सजा हुई थी। फाँसी की सजा हो जाने पर भी आप पर अत्याचार किये गये। हाईकोर्ट की अपील से आप रिहा हुए। फाँसी की यह सजा आपको कानपुर के नान बाजार डकैती केस के सिलसिले में हुई। इसमें ६ अभियुक्त थे। एक को फांसी दी गयी और एक फरार हो गये। तीन को कालापानी की सजा मिली, जिनकी रिहाई कांग्रेस-मन्त्रिमण्डल की स्थापना के बाद हुई।

पता—काहू कोठी, कानपुर

वैद्यराज कन्हैयालाल

आपकी गणना भारत के इने-गिने वैद्यों में की जाती है। युक्तप्रान्तीय वैद्य-सम्मेलन के सभापति और भारतवर्षीय वैद्य-सम्मेलन के आप कोषाध्यक्ष रह चुके हैं।

लड़कपन से ही आपका झुकाव राष्ट्रीय आन्दोलनों की ओर रहा। स्व० पूज्य बालगंगाधरजी तिलक के बम्बई में चलाये स्वदेशी आन्दोलनों में आपने स्वदेशी व्रत

धारण कर लिया। सन् '३० के आन्दोलन में आपको ६ महीने की सजा दी गयी। कांग्रेस की ओर से आप कानपुर म्युनिसिपल बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं।

स्व० धर्मपत्नी वैद्यराज कन्हैयालाल

स्वयं कम शिक्षा पाने पर भी आपका ध्यान अपने लड़कों को पूर्ण शिक्षित करने की ओर बराबर रहा। आपकी एक लड़की एम० ए० पास है। समाज की स्त्रियों के बीच स्वदेशी आन्दोलन का आपने खूब प्रचार किया।

सन् '२१ में कांग्रेस, सरकार-द्वारा गैरकानूनी संस्था करार दी गयी थी। उसी समय युक्तप्रान्तीय कांग्रेस का जल्सा श्रद्धेय बाबू पुरुषोत्तमदासजी टंडन के सभापतित्व में हुआ। आप उसकी स्वागताध्यक्षा थीं। इसी अपराध में आपको ६ महीने की सजा दी गयी थी।

आयुर्वेदाचार्य महेशचन्द्र जैन

प्रसिद्ध वैद्यराज श्रीकन्हैयालाल जैन के आप मँझले पुत्र हैं। चाँद औषधालय का संचालन आप ही करते हैं। कानपुर के नवजवानों में कांग्रेस के प्रति सक्रिय सहानुभूति उत्पन्न करने में आपने सराहनीय उद्योग किया है। सन् '४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह-आन्दोलन में आपको २ महीने की सजा दी गयी।

बाबू सुन्दरलाल जैन

वैद्यराज श्रीकन्हैयालाल के आप सबसे बड़े पुत्र हैं। सन् '४० में आपको एक साल की सजा हुई। आप आनरेरी मजिस्ट्रेट भी रह चुके हैं, जिसे आपने कांग्रेस की आज्ञा से त्याग दिया। आप बी० एस-सी०, एल-एल० बी० हैं।

आगरा जिला

गिरफ्तार	१,०००
नजरबन्द	१५५
सामूहिक जुर्माना	६८,१७५ रु०

पहले सप्ताह में एक हजार के लगभग कार्यकर्त्ता यहाँ पकड़ लिये गये। आन्दोलन का बाहरी रूप तो पाँच-सात दिन बाद धीमा पड़ गया, लेकिन तोड़-फोड़ के काम चलते रहे। शहर के नजदीक तक टेलीग्राफ और टेलीफोन के तार काफी मात्रा में काटे गये। ई० आई० आर० के कई स्टेशन जला दिये गये। बी० बी० एण्ड सी० आई० की मालगाड़ियाँ गिरा दी गयीं; दो इञ्जन बिलकुल टूट गये और चार को काफी नुकसान हुआ। २०० आदमियों के जत्थे-द्वारा चंदौला स्टेशन पर आक्रमण हुआ जिस पर पुलिस ने गोली चलायी। यहाँ पाँच मरे और ३५ घायल हुए। आगरे में लगभग १०० घायल हुए।

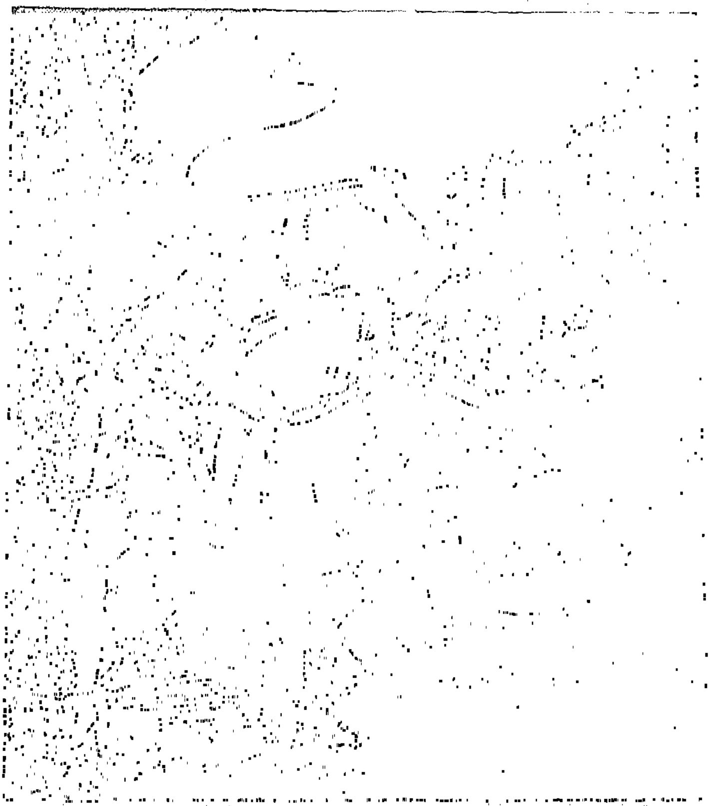
जनता ने कई थानों में आग लगायी। २२ सितम्बर को गवर्नमेंट कपड़ा-फैक्टरी फूँकी गयी। आगरा-षड़यंत्र-केस दिसम्बर १९४२ में चलाया गया।

स्व० बाबू चाँदमल जैन

आप श्वेताम्बरी ओसवाल समाज के एक प्रधान राष्ट्रीय कार्यकर्त्ता थे। जब सन् '२१ में देश ने गुलामी के खिलाफ महात्माजी की नेतागिरी में सरकार को पहला धक्का दिया था, उस समय आपने आंदोलन में भाग लिया। पुलिस-द्वारा आपको काफी कष्टों का सामना करना पड़ा था। हंटरों से मारते-२-आपके शरीर का आधा चमड़ा उधेड़ डाला गया था। आगरा शहर के आप प्रभावशाली व्यक्ति थे।

सेठ रतनलाल जैन

आप स्थानक वासी अग्रवाल हैं। आगरे में लोहे के आप प्रसिद्ध व्यापारी हैं। आपकी फर्म का नाम 'भिकामल छोटेलाल' है। राष्ट्रीय कार्यों की ओर आपका



अल्मोड़ा जेल में कांग्रेस-कार्यकर्त्ताओं पर बड़ी बेरहमी के साथ कोड़े लगाये गये। इतने कि खून से सारी जमीन लाल हो उठी!

झुकाव सन् '३६ में हुआ। जब सन् '४२ का आन्दोलन आया, आपको नजरबन्द कर जेल भेज दिया गया। ९ महीने के बाद आप रिहा हुए। वार्ड कांग्रेस-कमिटी के सदस्य और अधिकारी पद पर आप काम कर चुके हैं। इस समय आगरा नगर कांग्रेस-कमिटी के आप कोषाध्यक्ष हैं। 'नव सन्देश' नामक साप्ताहिक पत्र आपने ही निकाला था। इन दिनों आपके ही उद्योग से मासिक 'अग्रवाल लोहिया' प्रकाशित हो रहा है।

पता—भिक्कामल छोटेलाल, आगरा

श्रीमहेन्द्र

बचपन से ही आपकी रुचि हिन्दी-साहित्य की ओर रही। अपने नाना के पास रहते हुए आप 'जैसवाल जैन' का सम्पादन किया करते थे। सन् '३० के आन्दोलन के समय आप आगरे के प्रसिद्ध पत्र 'सैनिक' के प्रबन्धक नियुक्त हुए। बड़ी ही तत्परता और निर्भीकता के साथ आपने उस समय आन्दोलन का प्रचार किया। परन्तु, अधिक दिनों तक 'सैनिक' निकल न सका। सरकार ने आज्ञा निकाल कर उसे बन्द कर दिया। तब आपने सायक्लोस्टाइल पर छापकर 'सिंहनाद' नामक पत्र निकाला। इस अखबार में विजेन्द्र नामक एक पल्लीवाल जैन-युवक आपकी काफी सहायता कर रहे थे। आपके कार्यों से चिढ़कर सरकार ने आपको ६ महीने के लिये जेल भेज दिया। लेकिन, गांधी-इरविनपैक्ट के कारण अधिक दिनों तक आपको जेल में न रहना पड़ा।

सन् '३४ में आप 'आगरा पंच' निकाल रहे थे। आगरे में नूरी दरवाजे और फुलट्टी में होकर जैन रथयात्रा नहीं निकल पाती थी। आगरा दिगम्बर-जैन-परिषद् के सभापति के पद से आपने यह रोक उठा लेने के काफी प्रयत्न किये और सफल हुए। दिगम्बर-जैन-परिषद् आगरा के आप मन्त्री रह चुके हैं।

सन् '४० में महात्माजी का व्यक्तिगत सत्याग्रह-आन्दोलन शुरू हुआ। सरकार का ऐसा ख्याल था, कांग्रेस की बुलेटिनें वगैरह छापने-प्रचार करने का सारा कार्य

आप ही करते हैं। सन् '३० से ही आप पर ऐसा सन्देह किया जा रहा था। सन् '४१ के अप्रील महीने में आप नजरबन्द कर लिये गये, लेकिन ८ महीने बाद, नवम्बर में आपको छोड़ दिया गया।

बयालीस के अगस्त-आन्दोलन में आपका वारंट फिर जारी कर दिया गया। ९ सितम्बर को आप गिरफ्तार हुए। उस समय आपके साहित्य-प्रेस और मासिक 'साहित्य-सन्देश' पत्र सरकार ने जब्त कर लिये। आपके प्रेस से 'आजाद हिन्द' प्रकाशित होने का आरोप सरकार ने लगाया था। २ वर्षों तक आप जेल में रहे।

शिक्षा-प्रचार के लिये भी आप बराबर कोशिशें करते रहे हैं। महावीर दिगम्बर हाई स्कूल, आगरा आपके ही बल पर चल रहा है। साहित्य-रत्न-भन्डार, आगरा के द्वारा आपने हिन्दी में सत्साहित्य का प्रकाशन किया है। आप एक सफल व्यवसायी भी हैं। स्वदेशी बीमा कम्पनी के आप ही डायरेक्टर हैं।

पता—साहित्य-रत्न भन्डार, ५३-ए, सिविल लाइंस, आगरा

श्रीमती अंगूरी देवी

आप श्रीमहेन्द्र की धर्मपत्नी हैं। कांग्रेस के आन्दोलनों में आपने सक्रिय भाग लिया है। सन् '३० के आन्दोलन में आपको ६ महीने की सजा दी गयी। सन् '४० और सन् '४२ के आन्दोलनों में भी आपने पूरा कार्य किया।

पता—५३-ए, सिविल लाइंस, आगरा

लाला नेमीचन्द जैन मीतल

सन् '३० के आन्दोलन में श्रीमहेन्द्र के साथ बुलेटिनों के प्रकाशन का कार्य आप भी करते थे। 'आगरा पंच' का प्रकाशन भी आपने किया है। वार्ड कांग्रेस-कमिटी के आप कई बार अधिकारी रह चुके हैं। नगर कांग्रेस-कमिटी के सदस्य की हैसियत से काफी दिनों तक आप कार्य कर चुके हैं।

सरकार ने सन् '४२ में आप पर 'आजाद हिन्दुस्तान' और कांग्रेस-बुलेटिनें प्रकाशित करने का अभियोग लगाया। आगरा षड़यन्त्र केस के १४ अभियुक्तों में आप भी एक थे। परन्तु, सेशन जज की अदालत से आप निर्दोष करार दिये गये।

फिर भी सरकार ने आपको नजरबन्द कर लिया। क्रान्तिकारी दल से आपका सम्बन्ध बतला कर आपको फतेहगढ़ जेल भेज दिया गया। २ वर्षों तक आप जेल में रहे। आगरे के आप प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। जनता की सेवा करने के भाव आपमें अधिक मात्रा में पाये जाते हैं।

बाबू सन्तलाल

आप पर सन् '४२ में डाकबंगला फूँकने का अभियोग लगाया गया। इसी अपराध में सरकार ने आपको छोटी जेल भेज दिया! परन्तु केस आप पर साबित न हो सका, अतः आप नजरबन्द कर लिये गये। सन् '४३ में थाने में हाजिरी देने की शर्त लगाकर सरकार ने आपको रिहा कर दिया। परन्तु, ऐसी आज्ञा मानने से इन्कार कर देने के कारण आप फिर गिरफ्तार कर लिये गये। सन् '४६ के अक्तूबर में आप रिहा हुए।

पता—फीरोजाबाद, आगरा

श्रीराम बाबू

आप पर भी डाक-बंगला फूँकने का अभियोग लगाया गया। बाबू सन्तलाल के साथ आप भी जेल में नजरबन्द रखे गये।

पता—फीरोजाबाद, आगरा

श्रीबसन्तलाल

डाकबंगला फूँकने का अभियोग सरकार ने आप पर भी लगाया। लेकिन, जुर्म साबित न हो सकने के कारण आप नजरबन्द कर लिये गये। मई, सन् '४३ में शर्त लगाकर सरकार ने आपको रिहा कर दिया। लेकिन, सरकारी शर्त का पालन

न करने के कारण आप फिर गिरफ्तार कर लिये गये। आप पर मुकदमा भी चलाया गया, जो साबित न हो सका। पता—फीरोजाबाद, आगरा

श्रीरतनलाल बंसल

सन् '४२ के आन्दोलन में सरकार ने आपको नजरबन्द कर लिया। परन्तु, जेल में बीमार पड़ जाने के कारण आप छोड़ दिये गये। आप हिन्दी के एक सिद्धहस्त लेखक हैं। पता—फीरोजाबाद, आगरा

श्रीगोविन्दराम जैन

सन् '४२ के आन्दोलन में आपने भी भाग लिया। पुलिस की रिपोर्ट थी कि आन्दोलन के कार्यों में आप ने श्रीनेमीचन्द को काफी सहायता दी। आपके घर की तलाशी ली गयी, जिसमें मशीन के एक पुर्जे को पुलिस उठा ले गयी। २ महीने तक नजरबन्द रहने के बाद आप रिहा हुए।

पता—फीरोजाबाद, आगरा

श्रीबंगालीमल जैन

सन् '४२ में पुलिस ने आपको नजरबन्द कर दिया। सेवाटेज आदि मुकदमों में पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया था। आपके तीन साथी मुखबिर बन गये। प्रान्त में कांग्रेस-मन्त्रि-मण्डल स्थापित होने पर आप रिहा हुए।

पता—फीरोजाबाद, आगरा

बाबू मानिकचन्द जैन

सन् '३० के आन्दोलन से ही आप राष्ट्रीय कार्यों में भाग लेते आ रहे हैं। उस समय आपको ६ महीने की सजा हुई।

सन् '४२ के आन्दोलन में 'आजाद हिन्दुस्तान' के प्रकाशनादि में सहयोग देने का अभियोग लगाकर सरकार ने आपको गिरफ्तार कर लिया। ११ महीने तक आप नजरबन्द रहे।

वार्ड कांग्रेस-कमिटी के आप जिम्मेदार सदस्यों में रहे हैं। कांग्रेसी क्षेत्र में आपका काफी सम्मान है।

पता—आगरा

बाबू कपूरचन्द जैन

सन् '३० में राष्ट्रीय पत्र 'हिन्दुस्तान-समाचार, आपने महावीर प्रेस से निकाला। १० अंक ही उसके निकाल पाये कि सरकार ने प्रेस से २, ००० रु० की जमानत माँगी। जमानत देना ठीक न समझ आपने ६ महीने तक प्रेस बन्द रखा।

सन् '४२ में भी सरकार ने आपका प्रेस २ साल के लिये बन्द करा दिया। उस समय सरकार ने आपके ही प्रेस से 'आजाद हिन्दुतान' पत्र के प्रकाशित होनेका शक किया था। अलावे, पुलिस की ओर से आप पर बा० नेमीचन्द जैन सीनल के मित्र होने और आन्दोलन के प्रत्येक कार्य में उनकी सहायता करने का चार्ज लगाया गया था। दिगम्बर-जैन-परिषद्, आगरा के आप प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। सन् '२७ में 'वीर सन्देश', सन् '२७ में 'जैन-सन्देश' और वर्षों तक बच्चों का मासिक पत्र 'झुनझुना' आपने निकाला।

पता—आगरा

बाबू मानिकचन्द जैन

आप फीरोजाबाद के रहने वाले हैं। सन् '४२ के आन्दोलन में भाग लेने का जुर्म लगाकर, सरकार ने आपको जेल भेज दिया।

पता—फीरोजाबाद, आगरा

श्रीनिर्मलकुमार जैन

सन् '४२ के आन्दोलन में राक्सी-सिनेमा में बम रखने के अभियोग में आप गिरफ्तार किये गये। आखिर में अदालत ने आपको निर्दोष बतलाया और आप रिहा कर दिये गये।

पता—आगरा

श्रीनेमीचन्द जैन

आप जौनराज बसैया आगरा के रहने वाले हैं। '३० से ही आप राष्ट्रीय आन्दोलनों में भाग लेते आ रहे हैं। सन् '३० के आन्दोलन में आपको एक साल की सजा हुई। सन् ४० में सरकार ने आपको नजरबन्द कर दिया। रिहाई के एक महीना बाद आप फिर गिरफ्तार कर लिये गये। कुछ दिन जेल में रखने के बाद सरकार ने आपको छोड़ दिया। सन '४२ के आन्दोलन में आप पर कागारौल डाकबंगला फूँकने का अभियोग पुलिस ने लगाया। लेकिन, अदालत में जुर्म साबित न हो सका। फिर भी पुलिस ने आपको २ वर्षों के लिये नजरबन्द कर दिया।

पता—जौनराज बसैया, आगरा

श्रीगोवर्धनदास जैन

आपके अन्दर शुरू से राष्ट्र और समाज की सेवा करने के भाव विद्यमान रहे। सन् ' ३० में आप जैन-सेवा-मण्डल के उपमंत्री थे। मण्डल की ओर से मंदिरों में खादी-वस्त्र इस्तेमाल करने की घोषणा की गयी। इस कार्य के लिये आपने सत्याग्रह भी किया। अपने सहयोगियों के कार्यकौशल के कारण इसमें आपको पूरी सफलता मिली।

सन् '४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह-आन्दोलन में आपने काफी भाग लिया। सन् '४२ के आन्दोलन में पुलिस ने आप पर गुप्त रीति से आन्दोलन के सञ्चालन और 'आजाद हिन्दुस्तान' के सम्पादन-प्रकाशन का अभियोग लगाया। इसी अभियोग में आपकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन, आप पर जुर्म साबित न हो सका। फिर भी रिहा न कर डेढ़ साल के लिये आप नजरबन्द कर दिये गये। सन् ' ४२ के आन्दोलन में महावीर-प्रेस को सरकार ने जब्त कर लिया। अतः अपने सम्पादकत्व में प्रकाशित होने वाले 'पल्लीवाल जैन' को आपने बन्द कर दिया। जैन-समाज के आप एकनिष्ठ कार्यकर्त्ता हैं।

पता—फिरोजाबाद

बा० किशनलाल

सन् '३० के आन्दोलन में आपको पहली बार सजा हुई। 'हार्डी-बम-केस' के अभियुक्तों में आप भी एक थे। सन् '४० के आन्दोलन में आप नजरबन्द कर लिये गये। सन् '४२ में ९ अगस्त के पहले ही कई कार्यकर्त्ताओं की तरह क्रान्तिकारी होने के कारण सरकार ने आपको नजरबन्द कर दिया। करीब २ वर्षों के बाद आप रिहा हुए। क्रान्तिकारी होने के कारण सरकार ने आपको सन् '४३ के अप्रील महीने में फतेहगढ़ जेल भेज दिया था।

पता—आगरा

बा० उत्तमचंद

आप बरारा के (आगरा) रहने वाले हैं। यों, तो बहुत पहले से ही आप राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेते आ रहे हैं, परन्तु सन् '३६ में ही आप प्रकाश में आये। बराबर आप जिला कांग्रेस-कमिटी के सदस्य और मण्डल कांग्रेस-कमिटी के पदाधिकारी रहते आये हैं। आप समाजवादी विचार के व्यक्ति हैं।

सन् '४० के आन्दोलन में कुछ दिनों तक आप फरार रहे। फिर गिरफ्तार हुए और लगभग एक साल तक नजरबन्द रहे। सन् '४२ में ९ अगस्त को पुलिस ने आपको कैद कर लिया। सन् '४४ की मई में आप जेल से छूटे। बड़ी लगन के साथ आप राष्ट्रीय कार्यों में भाग लेते हैं। आगरा जिले के आप एक प्रसिद्ध वकील कार्यकर्त्ता हैं।

पता—बरारा, आगरा

बा० चिम्मनलाल

सन् '४२ के आंदोलन में ध्वंसात्मक कार्य करने के अपराध में सरकार ने आपको गिरफ्तार किया। पुलिस ने आपको क्रान्तिकारी बतलाया। लेकिन, जुर्म आप पर साबित न हो सका, जिस कारण आप नजरबन्द कर लिये गये। आप वार्ड कांग्रेस-कमिटी के सदस्य और एक कुशल कार्यकर्त्ता हैं।



बयालीस में लोगों को हाथी के पैर में बांध कर घसीटा गया।

श्रीपीतमचंद जैन

अगस्त आन्दोलन में सरकार ने आपको कैद कर लिया। आप पर टेलीफोन के तार काटने का जुर्म लगाया गया था। लेकिन, काफी प्रयत्नों के बावजूद भी पुलिस आप पर जुर्म साबित न कर सकी। इसी कारण कई महीनों तक जेल में नजरबन्द रखने के बाद आप रिहा कर दिये गये। आप रायभा (आगरा) के रहने वाले हैं।

पता—रायभा, आगरा

स्व० श्यामलाल जैन

श्रीपीतमचन्द के साथ ही पुलिस ने आप पर मुकदमा चलाया। अभियोग भी आप दोनों का एक था। अदालत से आप भी बेदाग छूट गये। लेकिन, पुलिस ने आपको नजरबन्द कर लिया। जेल में ही आपको लकवे की बीमारी हो गयी। रिहा होने के बाद आप स्वर्ग सिधारे। आप भी रायभा के (आगरा) रहने वाले थे।

श्रीबाबूलाल जैन

मंडल कांग्रेस-कमिटी के मंत्री होने के कारण आप ९ अगस्त को ही गिरफ्तार कर लिये गये। आपको पुलिस ने दो महीने तक नजरबन्द रखने के बाद रिहा किया। रहने वाले आप किरावली के (आगरा) हैं।

पता—किरावली, आगरा

श्रीश्यामलाल सत्यार्थी

सन् '३० के आंदोलन में आपको ६ महीने कड़ी कैद की सजा दी गयी। जब आप जेल में थे, उसी समय आपकी पत्नी और पुत्र का देहान्त हो गया।

पता—किरावली, आगरा

श्रीमती शरबती देवी

आप स्व० श्रीसाँवलदास की सुपुत्री हैं। सन् '३० के आन्दोलन में आपको कठिन कारावास की सजा भुगतनी पड़ी। आजकल आप आर्जिका हो गयी हैं।

बाबू प्रतापचन्दजी

आपका अधिकांश समय राष्ट्रीय कार्यों में ही व्यतीत होता है। सन् '३० के आन्दोलन में आपने कांग्रेस की आर्थिक सहायता के लिये काफी प्रयत्न किये। 'पल्लीवाल जैन' के सम्पादक और 'जैन-सेवा-मंडल' के आप मुख्य पदाधिकारी रह चुके हैं। श्रीकपूरचन्द और श्रीनेमीचन्द जैन के मित्र होने के अपराध में पुलिस ने आप पर शङ्का की दृष्टि डाली। नतीजा यह हुआ कि आप सरकारी नौकरी से मुअत्तल कर दिये गये। परन्तु अभियोग साबित न होने के कारण आपको फिर सरकारी नौकरी मिल गयी। दिगम्बर हाई स्कूल के आप मन्त्री रह चुके हैं। तबादला हो जाने के कारण आजकल आप इलाहाबाद में रहते हैं।

श्रीरामकुमार

आप फीरोजाबाद (आगरा) के रहने वाले हैं। सन् '४२ के आंदोलन में आप पर डाकबंगला जलाने का अभियोग पुलिस ने लगाया। लेकिन जुर्म न साबित हो सका। फिर भी आप नजरबन्द की हालत में जेल भेज दिये गये। सन् '४३ की मई में आपकी रिहाई हुई। लेकिन, शर्त तोड़ने के कारण आप फिर कैद कर लिये गये। इस बार अक्तूबर '४३ तक नजरबन्द रखने के बाद आपको रिहा किया गया।

पता—फीरोजाबाद, आगरा

श्रीधनपति सिंह जैन

आप श्रीरामकुमार के ज्येष्ठ भ्राता हैं। उन्हीं के साथ एक ही अपराध में आप गिरफ्तार किये गये। आपको आन्दोलन-कर्त्ताओं का नेता कहकर पुलिस ने मुकद्दमा चलाया। डेढ़ साल तक आपको जेल में रहना पड़ा।

पता—फीरोजाबाद, आगरा

मा० रामस्वरूप भारतीय

आप जारखी (आगरा) के रहने वाले हैं। आप एक सुयोग्य कार्यकर्त्ता हैं। सन् ४२ के आन्दोलन में कार्यकर्त्ताओं को सहायता देने के अभियोग में पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया। दो महीने तक जेल में रखने के बाद आपको रिहा किया गया।

पता—जारखी, आगरा

श्रीपन्नालाल जैन 'सरल'

आप नारखी के (आगरा) रहने वाले हैं। नारखी मंडल से आप एकमात्र व्यक्ति रहे, जिसने सन् '४२ के आन्दोलन में भाग लेकर जेल-यात्रा की। सन् '४२ में आपने 'निर्धन-सेवा-मंडल', की स्थापना कर अपने खर्च से गल्ला वगैरह मंगवा गाँववालों को बाँटा। चोरबाजारी के कट्टर विरोधी होने के कारण अपने कपड़े का सुव्यवस्थित व्यवसाय आपने बन्द कर दिया। आगरा-जिला-सम्मेलन के सेवा विभाग के आप इञ्चार्ज थे। सन् '४६ में आपको मण्डल-कांग्रेस-कमिटी का सर्वसम्मति से प्रधान मंत्री चुना गया।

पता—नारखी, आगरा

मा० मोतीलाल

कांग्रेस के कार्यों में आपने बराबर सहयोग दिया है। सन् '४२ के आन्दोलन में 'आजाद हिन्दुस्तान' की प्रतियाँ बाँटने का जुर्म लगाकर आपको ६ महीने की सजा दी गयी। परन्तु, अपील से आप रिहा हो गये।

श्रीगुलजारीलाल

आप फीरोजाबाद (आगरा) के एक सम्मानित व्यक्ति हैं। सन् '४० के सत्याग्रह में सरकार ने आपको नजरबन्द कर लिया। फीरोजाबाद म्युनिसिपलिटी के आप चेयरमैन रह चुके हैं।

पता—फीरोजाबाद, आगरा

सेठ अचलसिंह जैन

लगभग २५ वर्षों से आप राष्ट्रीय क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। आगरा जिला और नगर कांग्रेस-कमिटी के आप कई बार सभापति रह चुके हैं। इस समय भी आप आगरा नगर कांग्रेस-कमिटी के सभापति हैं। कांग्रेस की ओर से आप चुङ्गी और कैंटोमेंट बोर्ड के लिये कई बार सदस्य चुने गये। सन् १९३६ में प्रांतीय असेम्बली के आगरा नगर से आप सदस्य चुने गये। इस बार भी आप आगरा नगर की ओर से प्रान्तीय असेम्बली के सदस्य निर्वाचित हुए हैं।

सन् '४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह में आपको एक साल जेल में रहना पड़ा। सन् '४२ में सरकार ने आपको १९ अगस्त को ही गिरफ्तार कर लिया। २ वर्षों तक नजरबन्द रहने के बाद आप रिहा हुये।

मैनपुरी जिला

नजरबन्द	१९
गिरफ्तार	२३२
दण्डित	३७
सामूहिक जुर्माना	२१,२००रु०

नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में यहां सभाएँ की गयीं और जुलूस निकाले गये। इस जिले में २३२ व्यक्ति गिरफ्तार हुए और ३७ को सजा दी गयी।

श्रीरामस्वरूप जैन

आप खैरगढ़ के (मैनपुरी) रहने वाले हैं। अपने मण्डल के आप मंत्री रह चुके हैं। सन् '४२ के आन्दोलन में आप फरार हो गये। पुलिस बराबर आपकी

तलाश लगाया करती थी। जनवरी, सन् '४३ में आप फीरोजाबाद में गिरफ्तार कर लिये गये। लगभग सवा वर्षों तक नजरबन्द रहने के बाद आप रिहा हुए।

पता—खैरगढ़, मैनपुरी

श्री देशदीपक

आप मैनपुरी जिले में कुरावली के रहने वाले हैं। सन् '४० से आप कांग्रेस के कार्यों में भाग ले रहे हैं। सन् '४२ के आन्दोलन में आपको १४ महीने का कठिन कारावास और १५० रु० दण्ड दिया गया। आप प्रसिद्ध कांग्रेसी कार्यकर्त्ता श्रीगुणधरलाल के सुपुत्र हैं।

पता—कुरावली, मैनपुरी

श्रीगुणधरलाल

आप कुरावली, जिला मैनपुरी के रहने वाले हैं। सन् '२९ से ही आपने कांग्रेस के कार्यों में भाग लेना शुरू किया। नमक-सत्याग्रह में आपको एक वर्ष की कड़ी सजा हुई। अन्त में गांधी-इरविन-पैक्ट के अनुसार आप रिहा हुए। उस समय आप पर १०० रु० का जुर्माना भी किया गया था।

पता—कुरावली, मैनपुरी

सेठ दरबारीलाल

आप भी मैनपुरी जिले में कुरावली गाँव के रहने वाले हैं। सन् '४२ के अगस्त आन्दोलन में आपको एक वर्ष की सख्त सजा और ५०० रु० जुर्माना हुआ। जब आप जेल में थे, उसी समय आपकी चाची और बुआ का देहावसान हो गया और १०-१२ हजार रुपये का गबन भी। आजकल आप स्थानीय मंडल कांग्रेस-कमिटी के कोषाध्यक्ष हैं।

पता—कुरावली, मैनपुरी

सहारनपुर जिला

श्रीझूमनलाल

आप सहारनपुर के एक प्रसिद्ध वकील रह चुके हैं। सन् '२० के आन्दोलन में आपने अपनी वकालत पर लात मार दी और कांग्रेस में आ गये। तब से आप बराबर कांग्रेस के कार्यों में भाग लेते रहे हैं।

आप एक स्पष्ट वक्ता, बेजोड़ लेखक और उत्साही कार्यकर्त्ता हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि सहारनपुर जिले में म्युनिसिपल विधान के आप आचार्य हैं। सन् '३२ के आन्दोलन में आपको गिरफ्तार कर सजा दी गयी।

श्रीहंसकुमार

जवानी को हाथ में लिये झूमने वाले श्रीहंसकुमार एक लामिसाल व्यक्ति हैं। सन् '३० में रुड़की छावनी के फौजियों को भड़काने का उनपर अभियोग लगाया गया। जिस समय अदालत ने उन्हें ४ साल सख्त कैद की सजा सुनायी, जिले भर में एक तरह का सन्नाटा छा गया। लेकिन, बहादुर हंसकुमारजी विचित्र मुस्कराहट लिये अपनी बैरक में लौटे और उस रात जैसी खुशी उन्होंने प्रकट की, आज भी उनके साथी कैदी उसे याद कर गर्व का अनुभव करते हैं।

सन् '३२ और सन् '४२ में भी वे जेल गये। जेल का निर्मम और मनहूस वातावरण सदा उनकी हंसी की खिलखिलाहट से गूँजा रहता था। जेल के साथियों से वे अक्सर कहा करते थे 'अरे यार, रोना ही था तो जेल में क्यों आये? आपके पिताजी का नाम बा० झूमनलाल है।

श्रीमती लक्ष्मीदेवी जैन

आप श्रीअजितप्रसाद जैन, एम० एल० ए० और सदस्य विधान-परिषद् की पत्नी हैं। अपने पति को राष्ट्रीय कार्यों में आपने सब समय सहयोग दिया है।

कांग्रेस के आन्दोलनों में आपने बराबर भाग लिया है। कई बार आप जेल-यात्रा भी कर चुकी हैं। एक बार कुछ महीने की आपकी पुत्री टोई भी साथ में जेल रही।

श्रीहुलाशचन्द्र जैन

सन् '२० में आपका झुकाव राजनीति की ओर गया। आप उत्सुकता के साथ कांग्रेस-कार्यों में भाग लेने लगे। सन् '३० में देवबन्द तहसील में जागृति लाने के लिये आपने दिन-रात परिश्रम किया और अन्त में गिरफ्तार हो गये। सन् '४२ के आंदोलन में आप काफी दिनों तक जेल में रहे। आप रामपुर गांव, जिला सहारनपुर के रहने वाले हैं।

पता—रामपुर, सहारनपुर

श्रीमामनचन्द जैन

सन् '३० में आप तिरंगे झण्डे के नीचे आकर खड़े हो गये। फलतः सरकार ने एक दिन उन्हें गिरफ्तार कर सहारनपुर जेल में डाल दिया। आप एक योग्य कार्यकर्त्ता हैं और सहारनपुर जिले में देवबन्द के रहने वाले हैं।

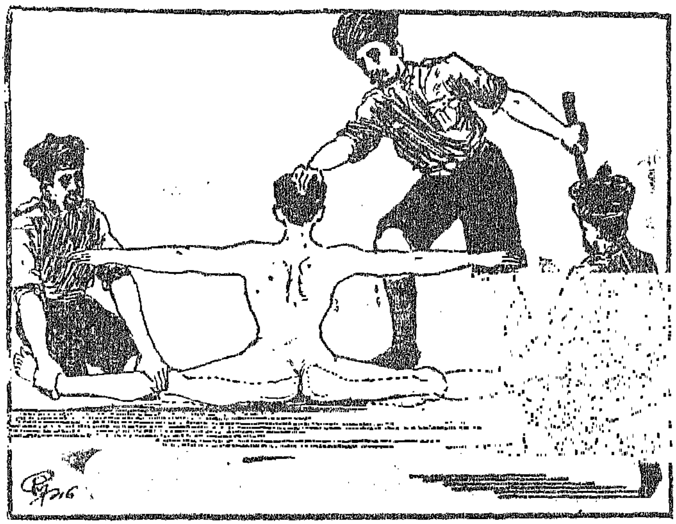
पता—देवबन्द, सहारनपुर

शहीद प्रकाशचन्द्रजी

सन् '४२ के आंदोलन में आप गिरफ्तार होकर जेल गये। जेल में ही आपको दो दिन बुखार आया और सदा के लिये आपने यह संसार छोड़ दिया।

श्रीशिखरचन्द मुनीम

कांग्रेस के आप एक योग्य कार्यकर्त्ता हैं। सन् '४२ के अगस्त-आंदोलन में एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए आप गिरफ्तार कर लिये गये। उस समय आपको ६ महीने की सजा दी गयी।



हैलेटशाही अत्याचार का दूसरा नमूना। जौनपुर में 'करेंट' का प्रयोग कर लोगों को नपुंसक बनाया गया!

श्रीप्रकाशचन्द मुनीम

९ अगस्त, '४२ को सहारनपुर के सभी नेता कैद कर लिये गये। उनकी गिरफ्तारी के बाद आंदोलन के कार्यों में आप जिम्मेवारी के साथ भाग लेने लगे। फलतः आपको सरकार ने ३ महीने सख्त कैद और ३०० रु० जुर्माने की सजा दी।

श्रीबाबूराम जैन दुकानदार

अगस्त-आंदोलन में शहर की हड़ताल में आपने भी विशेष भाग लिया। सरकार ने आपको कैद कर लिया और ६ माह सख्त कैद की सजा दी।

श्रीकैलाशचन्द दुकानदार

सहारनपुर में ९ अगस्त से ही हड़तालों का दौर शुरू हुआ। जिले में लायड साहब ने तूफानी शक्ति के साथ आंदोलन को दबाने के लिये कमर कस लिया। आप पर पुलिस की निगाह गयी। आप पकड़े गये और ६ महीने तक जेल में रहे।

श्रीशांतिस्वरूप जैन 'कुसुम'

सन् '४२ के आंदोलन में आपका झुकाव आंदोलन और जेल की ओर से हटकर क्रांतिकारी कार्यों की ओर गया। कुछ ही दिनों में पुलिस को आपके कार्यों का पता चल गया। फलतः आप पकड़ लिये गये। परन्तु, जुर्म साबित न हो सकने के कारण आप रिहा कर दिये गये।

बा० अजितप्रसाद जैन

सन् '३० में आपने राजनीति में प्रवेश किया। सन् '३६ में आप प्रांतीय असेम्बली के सदस्य चुने गये। कांग्रेस-मंत्रिमण्डल बनने पर आपको 'रेवेन्यू विभाग' का पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी बनाया गया। विधान-परिषद् के भी आप सदस्य हैं। किसान-कानून आपकी ही प्रतिभा का परिणाम है। जब संसार की किसान-समस्याओं

का अध्ययन करने के लिये आप विदेश गये, उस समय एक जर्मन पत्रकार ने आपको 'संसार के सबसे बड़े कानून का प्रमुख विधाता' ('किसान-कानून पर २,४०० संशोधन आये थे) कहा था।

बिजनौर जिला

गिरफ्तार	३१४
नजरबन्द	८६
गोली से मृत्यु	६
घायल	१०

१२ अगस्त को विद्यार्थियों का धामपुर में जुलूस निकला। इसने रास्ते के सरकारी स्थानों, तहसील और थानों पर तिरंगा फहराया। डाकखानों को जला दिया। टेलीफोन के तार आदि काट डाले। नूरपुर थाने के कई गाँवों की जनता का एक विशाल जुलूस १६ अगस्त को निकला जिसने फेजपुर और गोहावर के नलदार कुएँ, पी० डब्लू० डी० के बंगले और रतनगढ़ पोस्ट आफिस तोड़-फोड़ डाला। नूरपुर थाने की पुलिस ने इस पर लाठी चार्ज किया। फिर गोलियाँ चलायी गयीं। एक व्यक्ति की वहीं मृत्यु हो गयी। एक जेल में मरा। लाठी चार्ज से १० घायल हुए।

अखेड़ा के पास सड़क काटी गयी। हल्दौर कस्बे वाले जुलूस पर होने वाले गोलीकाण्ड में ६ आदमी घायल हुए। श्यामपुर थाने का एक सिपाही गुम हो गया। मोटरों का जलाना, तार काटना, पुल तोड़ना और रिकार्ड जलाना चलता रहा। फीनाग्राम के लोगों को ८० गोरखों ने पीटा और उनके घर बर्बाद किये।

बाबू रतनलाल

आप एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय और सामाजिक कार्यकर्त्ता हैं। सन् '२१ में आप गिरफ्तार कर लिये गये। आप पर ५०० रु० जुर्माना भी हुआ। वाह री, आपकी

वीर पत्नी ! सरकार लाख समझाती रही, परन्तु जुर्माने का रुपया किसी भी हालत में आपने नहीं दिया ।

इसके बाद नमक-सत्याग्रह का जमाना आया । आपके ही घर पर नमक बनाया गया था । जिले भर के कार्यकर्त्ता वहां उपस्थित थे । नमक तैयार हो गया, जिसे १२०० रु० की बोली पर बा० राजेन्द्र कुमारजी ने खरीद लिया । उसी समय बा० रतनलालजी अपने साथियों के साथ गिरफ्तार हो गये । इस बार आप ३ वर्षों तक जेल में रहे । आपके पिताजी का नाम ला० हीरालालजी था । आपका चलना-फिरना बीमारी के कारण बन्द हो गया था । लेकिन, उसी समय महात्माजी ने आवाज लगायी और २ वर्षों के लिये जेल में दाखिल हो गये ।

जेल से रिहा होने पर आप युक्त प्रांतीय असेम्बली के सदस्य चुने गये । फिर सन् '४२ का तूफान आया और आपको जेल के लौह सीखचों के भीतर बन्द कर दिया गया । बिजनौर जिले में किसानों की रक्षा के लिये आपने कितने ही हजार रुपये लगान के छोड़ दिये और आपने घर में से लगभग २,००० रु० के मखमल, तजेब आदि विदेशी कपड़ों की बिजनौर के बाजार में होली जला दी । यह सन् '२४ की घटना है ।

बा० नेमीशरण जैन एडवोकेट

आपके राष्ट्रीय जीवन की शुरुआत सन् १९१२ से होती है । उस समय आप अमन-सभा के 'वायस चेयरमैन' थे । लेकिन, सन् १९१४ में आप का झुकाव कांग्रेस की ओर हुआ । उसी साल आपको जेल जाना पड़ा । उसके बाद सन् '२२-'२९ और '४२ के आन्दोलनों में आपने जेल-यात्रा की ।

आप भूतपूर्व एम० एल० सी० हैं । लेजिस्लेटिव कौंसिल के सदस्य की हैसियत से आपने जन-सेवा-सम्बन्धी कार्यों में सहयोग प्रदान किया । शहर के सार्वजनिक कार्यों में आप सदा ही उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं ।

श्रीमती शीलवती देवी

आप बाबू नेमीशरण जैन की धर्मपत्नी हैं। कांग्रेस के कार्यों में आपने बराबर भाग लिया है और दो बार जेल-यात्रा भी कर चुकी हैं। आप इस समय भी राष्ट्रीय कार्यों में अपना सहयोग प्रदान करती हैं। आपके परिवार के सभी व्यक्ति राष्ट्रीय कार्यों में लगन के साथ भाग लेते हैं। पिछले चुनाव में आपने कांग्रेस-पक्ष में काफी काम किया है।

बाबू मूलेशचन्द

आपकी अवस्था ३१ वर्षों की है। आप प्रसिद्ध साहू परिवार के व्यक्ति हैं। इसी अवस्था में आप तीन बार जेल-यात्रा कर चुके हैं। बिजनौर जिले में आप नजीबाबाद के रहनेवाले हैं।

पता—नजीबाबाद, बिजनौर

बहराइच जिला

श्रीहनुमान प्रसाद अग्रवाल

आपका जन्म आषाढ़ शुक्ला अष्टमी, रविवार, संवत् १९७५ में बहराइच जिले के मटेरा गांव में हुआ। पिताजी का नाम श्रीमुकुन्दीलाल अग्रवाल है। सन् १९३६ में बहराइच से आपने हाई स्कूल परीक्षा पास की। शुरू में ही आपका झुकाव आर्य-समाज की ओर हुआ। फलतः आप कट्टर सुधारवादी हो गये। अपने विवाह में आपने किसी प्रकार का आडम्बर न होने दिया। अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन के कानपुर-अधिवेशन में आप प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए।

कांग्रेस की ओर आपका झुकाव सन् १९३५ में हुआ। आपकी ही प्रेरणा से मटेरा में कांग्रेस की स्वर्ण-जयन्ती मनायी गयी। इसी साल मटेरा कांग्रेस-कमिटी

की स्थापना हुई जिसके आप मन्त्री चुने गये। सन '४१ के आन्दोलन में आपने सक्रिय भाग लिया। फलतः २० जनवरी को पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया। गोंडा और बहराइच जेल में ९ महीने रहने के बाद ९ सितम्बर, '४१ को आपकी रिहाई हुई। इस बार आप पर जुर्माना भी किया गया था। सन '४२ के आन्दोलन में आप १३ अगस्त को दफा १२६ के अन्तर्गत गिरफ्तार कर नैनी सेंट्रल जेल मे नजरबन्द किये गये। १० मई, सन '४३ को आप जेल से रिहा हुए।

आजकल आप अखिल भारतीय कांग्रेस-कमिटी के प्रतिनिधि और प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी के सदस्य हैं। बहराइच जिला बोर्ड और उसके अन्तर्गत टैक्स और अर्थ कमिटी के भी आप सदस्य हैं। मटेरा मण्डल कांग्रेस-कमिटी के आप मन्त्री हैं।

पता—मटेरा, बहराइच

श्रीजगदीशप्रसाद नारायण

आप भी मटेरा, जिला बहराइच के रहने वाले हैं। कांग्रेस के आप एक प्रसिद्ध कार्यकर्त्ता हैं। सन '४१ के व्यक्तिगत सत्याग्रह-आन्दोलन में आप गिरफ्तार किये गये। अदालत से आपको ८ महीने की सजा और २०० रु० जुर्माना हुआ।

पता—मटेरा, बहराइच।

मेरठ जिला

गिरफ्तार	२८८
दण्डित	२४५
नजरबन्द	३५९
सामूहिक जुर्माना	१,६७, ३४२ रु०

आन्दोलन का जोर यहाँ भी रहा। तार काटना, सरकारी इमारतें जलाना, रेल की लाइनें उखाड़ना आदि कार्य यहाँ भी किये गये और जुलूस निकाले गये।

पं० शीलचन्द्र शास्त्री

आप मेरठ जिले में बेजवाड़ा के रहनेवाले हैं। अध्ययन के बाद आपने विशेष रूप से कांग्रेस की ओर ध्यान दिया। सन् '४२ के आन्दोलन में आपने जी खोल कर भाग लिया। पुलिस बराबर आपके पीछे लगी रही, लेकिन, पुलिस आपको गिरफ्तार न कर सकी। इस समय आप मवाना तहसील कांग्रेस-कमिटी के प्रमुख कार्यकर्त्ताओं में हैं। अलावे, मवाना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन के मन्त्री, मवाना ऐंग्लो संस्कृत हाई-स्कूल के प्रबन्धक और हस्तिनापुर तीर्थक्षेत्र-प्रबन्धक कमिटी के पदाधिकारी हैं।

नैनीताल जिला

श्री हीरालाल साह

आपके पिताजी का नाम स्व० जयीलाल जी साह था। कुमायूँ के एक सम्मानित परन्तु साधारण परिवार में आपका जन्म हुआ।

सन् '२१ से आपने राष्ट्रीय कार्यों में भाग लेना शुरू किया। कुमायूँ के आप प्रमुख कांग्रेस-कार्यकर्त्ताओं में हैं। सन् '३२ से '४४ तक आप भुवाली कांग्रेस-कमिटी के सभापति और जिला कांग्रेस-कमिटी के सदस्य रहे। सन् '३७ से ३९ तक भुवाली चुंगी बोर्ड के आप प्रथम गैरसरकारी अध्यक्ष नियुक्त हुए। सन् '३६ से '३९ तक आप ग्रामोद्योग-समिति की कार्यकारिणी सभा के सदस्य रहे।

सन् '४१ के व्यक्तिगत सत्याग्रह-आन्दोलन में आप भुवाली में गिरफ्तार हुए और एक वर्ष की सख्त सजा जेल में आपने काटी। सन् '४२ के अगस्त-आन्दोलन में ९ तारीख को ही देश के अन्य नेताओं के साथ आपको गिरफ्तार कर नैनीताल जेल में रखा गया। इस बार आप १६ महीने जेल में रहे।

पता—भुवाली, नैनीताल

मुजफ्फरनगर जिला

गिरफ्तार	४६
दण्डित	४४
नजरबन्द	६
सामूहिक जुर्माना	६,००० रु०

आन्दोलन की आंधी ने इस जिले की जनता को भड़का दिया। जनता ने सरकार-विरोधी जुलूस निकाले और सभाएँ कीं।

बाबू सुमति प्रसाद

आपने बी० ए० तक शिक्षा प्राप्त की। फिर एल०-एल० बी० कर लेने के बाद वकालत करनी शुरू की। मुजफ्फरनगर जिले के आप एक प्रमुख कांग्रेसी नेता हैं। आप बराबर कांग्रेस के आन्दोलनों और कार्यों में अपना समय व्यतीत करते रहे हैं। सन् '२१ में आपने २ वर्षों के लिये वकालत छोड़ दी। सन् '३०-'३२ के आंदोलनों में आपको जेल-यात्रा भी करनी पड़ी। सन् '४१ और '४२ के आन्दोलनों में आप नजरबन्द रखे गये।

लाला उग्रसेनजी

आप महात्माजी के पक्के अनुयायी हैं। सन् १९१९ से ही आप बराबर कांग्रेस के कार्यों में भाग लेते रहे हैं। सन् '३० और '३२ के आन्दोलनों में आपको जेल-यात्रा करनी पड़ी। सन् '४१ और '४२ में सरकार ने आपको नजरबन्द कर दिया। सामाजिक कार्यों में भी आप सोत्साह भाग लेते हैं। अपनी चार लड़कियों की शादी आपने बिना किसी दहेज, बाजे-गाजे आदि के साथ कर समाज के सामने एक आदर्श उपस्थित किया।

लाला बनवारीलाल चरथावल

आपका परिवार ही राष्ट्रीय भावनाओं से ओत प्रोत है। परिवार के सभी व्यक्ति शुद्ध खादी का व्यवहार करते हैं। अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिये आप काफी प्रसिद्ध हैं। सन् '३० के आन्दोलन में आपने जेल-यात्रा की।

लाला चुन्नीलाल चरथावल

आप लाला बनवारीलालजी चरथावल के सुपुत्र हैं। राष्ट्रीय कार्यों में आपने बराबर भाग लिया है। सन् '४१ और '४२ के आन्दोलनों में आपने जेल-यात्रा भी की। कांग्रेस के आप एक उत्साही कार्यकर्त्ता हैं।

लाल उलफत राय

आप भी एक प्रसिद्ध कांग्रेसी कार्यकर्त्ता हैं। सन् ३०, '३२ और ४२ के आन्दोलनों में आपने वीरतापूर्वक सरकार को ललकारा और जेल की सजा पायी।

बा० दीपचन्द वकील

आपने वकालत पास की है और स्थानीय प्रसिद्ध वकील हैं। कांग्रेस के कार्यों में आप विशेष भाग लेते हैं। सन् '४२ के आन्दोलन में सरकार ने आपको गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया।

बाबू भारतचन्द

जब सन् '४२ का आन्दोलन आया, उस समय आप कालेज में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। देश की पुकार पर अध्ययन को लात मार आप कालेज से बाहर आ गये। सरकार ने आपको गिरफ्तार किया और जेल की सजा दी।

बाबू अकलंक प्रसाद

लड़कपन से ही अध्ययन की ओर आपने विशेष ध्यान दिया। शिक्षा आपने बी० ए० तक प्राप्त की। कांग्रेस के कार्यों में सक्रिय भाग लेने के कारण सन् '४२ के आन्दोलन में आपने जेल-यात्रा की।

बाबू माामचन्द

सन् '४२ की खूनी क्रान्ति के समय आप पढ़ रहे थे। लेकिन, अधिक दिनों तक आप किताबों के बीच न रह सके। आन्दोलन के कार्यों में आपने सक्रिय भाग लिया और एक दिन जेल में पहुंच गये।

लाला सुखवीर सिंह घीवाले

कांग्रेस-कार्यों में आपकी रुचि सदा रही। सन् '४२ के आन्दोलन में पुलिस आप पर सन्देह करने लगी। फिर आप पकड़े जाकर जेल के सीखचों के भीतर बन्दकर दिये गये।

बा० आनन्दप्रकाश

शुरू से ही आपके विचार क्रान्तिकारी रहे। क्रान्तिकारी पार्टी के आप सदस्य भी रह चुके हैं। सन् '४२ में आपको जेल-यात्रा करनी पड़ी।

बा० प्रेमचन्द

सन् '४२ के आन्दोलन के समय आप कालेज में थे। लेकिन, ऐसी स्थिति अधिक दिनों तक न रह सकी। शीघ्र ही आपने कालेज छोड़ दिया और आंदोलन में भाग लेकर जेल पहुंच गये।

मुरादाबाद जिला

गिरफ्तार	१५४
सामूहिक जुर्माना	१,७,३९७ रु०

११ अगस्त को ३५-४० हजार के एक जुलूस पर पुलिस ने गोलियां चलायीं। फिर फौज बुलायी गयी। फलस्वरूप १५ व्यक्ति मरे और ५० घायल हुए। १२ अगस्त को जनता ने रेलवे स्टेशन और बुकिंग आफिस पर हमला किया। इसमें ४७ व्यक्ति गिरफ्तार हुए जिसमें ३६ को सजा हुई।

स्व० मुंशी गेंदनलाल

आपका जन्म सम्भल तहसील, ज़िला मुरादाबाद में हुआ। मुरादाबाद में किसी वकील के आप मुहर्रिर थे। समाज-सुधार के कार्यों में उन दिनों आपने विशेष भाग लिया, जब वैसे कार्य समाज में विद्रोह के प्रतीक माने जाते थे। जैन-सेवा-समिति, मुरादाबाद के आप कप्तान थे।

सामाजिक कार्यों की अपेक्षा राजनीति में आपने आँधी की तरह प्रवेश किया। सन् '२१ के आन्दोलन में भी आपने भाग लिया। सन् '३० का तूफ़ान आया और आप जेल में दाखिल हो गये। वहीं आप बीमार पड़े। ६ महीने बाद आप रिहा हुए। घर आकर आपने चारपाई पकड़ ली। बीमारी इस तरह बिगड़ गयी कि ४१ वर्ष की ही अवस्था में आपको यह शरीर छोड़ देना पड़ा।

श्रीमती गंगी देवी

आपके पिताजी का नाम मुंशी मुकुन्दरामजी है। मुरादाबाद के राष्ट्रीय आन्दोलनों में भाग लेने वाली आप एकमात्र जैन-महिला हैं। नारी-जागृति के लिये भी आपने शानदार कार्य किया है। बड़े-बड़े जुलूसों का नेतृत्व और विशाल जन-सभा में अभिभाषण, ये आपके साधारण कार्य हैं। पिछले कांग्रेस-आन्दोलनों में आप जेल-यात्रा भी कर चुकी हैं

हकीम टेकचन्दजी

मुरादाबाद जिले में आप ड्योढ़ी गाँव के रहने वाले हैं। ड्योढ़ी गाँव से कांग्रेस-आन्दोलनों के सिलसिले में जेल-यात्रा करने वाले आप एकमात्र व्यक्ति हैं। आप चिकित्सा का कार्य करते हैं। कांग्रेस के कार्यों में पूरी शक्ति के साथ आप भाग लेते हैं।

पता—ड्योढ़ी, मुरादाबाद

लाला केशोशरणजी

मुरादाबाद से पन्द्रह मील दूर हरियाना नामक गाँव में आप रहते हैं। आप एक पुराने कांग्रेस-कार्यकर्त्ता हैं। कई बार आप जेल यात्रा कर चुके हैं। सन् '४२ के आन्दोलन में आपने कचहरी में तिरंगा लहराया और गिरफ्तार हुए। एक लम्बी अवधि तक आप जेल में रहे। जेल-जीवन में ही आपकी प्रिय पुत्री का शरीरान्त हुआ और पत्नी सख्त बीमार पड़ीं।

श्रीमती प्रेमकुमारी 'विशारदा'

आप कुनाड़ी (कोटा) निवासी सुप्रसिद्ध समाज-सुधारक लाला मोतीरामजी पहाड़्या की पुत्री और अमरोहा, जिला मुरादाबाद के प्रसिद्ध नवयुवक लेखक, समाज-सुधारक और स्वतंत्र विचारक बाबू रघुवीरशरणजी दिवाकर, बी० ए० एल-एल० बी० की पत्नी हैं। आपका विवाह प्रथा-विहीन रीति से हुआ। इसके लिये आपकी ससुराल वालों ने काफी विरोध किया। परन्तु, विरोध का डटकर मुकाबला करने के कारण गतिरोध का अन्त हो गया।

सन् '४२ के आंदोलन में वर्धा में आपने काफी भाग लिया। इस आंदोलन में आपको जेल भी जाना पड़ा। शुरू में कुछ दिनों तक आप नागपुर जेल में रखी गयीं। कांग्रेस की ओर से आप वर्धा की म्युनिसिपल कमिश्नर रह चुकी हैं। अपने वर्धा-प्रवास में सत्याश्रम से प्रकाशित होने वाले मासिक पत्र 'संगम' का आपने प्रकाशन किया।

देहरादून जिला

श्रीनरेन्द्रकुमार जैन

रहने वाले आप कस्बा देवबन्द, जिला सहारनपुर के हैं। सार्वजनिक कार्यों में आपकी रुचि लड़कपन से ही रही। मेरठ कालेज में पढ़ते समय अपनी रुचि-विशेष

और उत्साह के कारण आप हिन्दुस्तान स्काउट एसोसियेशन के जिला-आर्गनाइजर नियुक्त हुए।

सन् '४२ के आंदोलन के समय आप बी० ए० के द्वितीय वर्ष में अध्ययन कर रहे थे। उस समय आपने आंदोलन में भाग लिया और अपने कुछ साथियों के साथ पुलिस-द्वारा हिरासत में ले लिये गये। लेकिन, जुर्म साबित न हो सकने के कारण कुछ दिनों बाद सरकार ने आपको रिहा कर दिया।

बाबू सन्तकुमार

अवागढ़ के राजनीतिक क्षेत्र में आपका अत्युच्च स्थान है। अवागढ़ कांग्रेस-कमिटी के आप मंत्री हैं। सन् ४२ के अगस्त-आंदोलन में आपको ९ महीने की सजा हुई। परन्तु, ढाई महीने बाद ही सरकार ने आपको रिहा कर दिया।

पता—अवागढ़, देहरादून

अलीगढ़ जिला

गिरफ्तार	४५०
मृत्यु	८ से १०
सामूहिक जुर्माना	८,५०० रु०

यहाँ धर्मसमाज कालेज के विद्यार्थियों पर पुलिस ने लाठी-चार्ज किया। आठ-दस वर्ष के कई बच्चे उसमें मरे। पुलिस ने जिले में ४५० व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। अतरौली कस्बे में दस फायर जनता पर किये गये। पुलिस के दारोगा ने एक आदमी को पिस्तौल मारी जो वहीं मर गया। रेल के एक पुल को नुकसान पहुँचाया गया। २० से अधिक स्थानों पर इस जिले में तार काटे गये। ई० आई० आर० के पत्ती, हाथरस, सलेमपुर आदि स्टेशनों पर जनता ने आक्रमण किया। हरदुआगंज का डाकखाना भी जलाया गया।

मास्टर हरदयाल जैन

सन् '३१ से आप कांग्रेस का कार्य कर रहे हैं। सन् ३१-३२ में आप अलीगढ़ जिला कांग्रेस-कमिटी के सदस्य थे। इगलास, जिला अलीगढ़ कांग्रेस-कमिटी के मंत्री की हैसियत से अलीगढ़ जिले के बेसबाँ गाँव में प्रचार करते समय आपको सन् '३२ में गिरफ्तार कर लखनऊ कैम्प जेल और फैजाबाद जेल में रखा गया। जेल से रिहा होने पर आप स्व० रमेशचंद्र आर्य और श्रीगनपतचंद केला, सम्पादक 'उजाला' के साथ अलीगढ़ जिले के विजयगढ़ में कार्य करने लगे। आजकल आप आजाद हिंद फौज के कर्नल भण्डारी डेमोक्रेटिक क्लब में अवैतनिक संगीत-शिक्षक का कार्य कर रहे हैं।

झांसी जिला

गिरफ्तार	४१
दण्डित	३६
नजरबन्द	१०
सामूहिक जुर्माना	३, ८५० रु०

वैद्यभूषण मथुराप्रसाद जैन

बयालीस की अगस्त-क्रांति ने यहां भी गजब ढाया। तोड़-फोड़ और विध्वंसक कार्यों से सरकार परेशान हो गयी।

आप बुंदेलखण्ड आयुर्वेदिक फार्मेसी, ललितपुर के मालिक हैं। करीब ८-९ वर्षों तक आप म्युनिसिपल बोर्ड के सदस्य रहे। कई बार ललितपुर मण्डल कांग्रेस-कमिटी के सभापति और जिला कांग्रेस-कमिटी झांसी के सदस्य रह चुके हैं। सन् ३० के आंदोलन में आपको एक वर्ष की सजा हुई। सन् ४२ के अगस्त-आंदोलन में एक साल तक आप नजरबंद रखे गये। पता—ललितपुर, झाँसी

श्रीहुकुमचंद बुखारिया

सन् ४० के आंदोलन में आपको ४ महीने की सजा हुई। सन् ४२ की क्रांति में आपको एक साल की सजा और १०० रु० जुर्माना हुआ। सन् १९३६ से आप कांग्रेस के कार्यों में भाग ले रहे हैं।

हिन्दी के आप एक सफल कवि हैं। अब तक आपकी दो कविता-पुस्तकें 'पाकिस्तान' और 'आहुति' प्रकाशित हो चुकी हैं। तीसरी पुस्तक 'आग' प्रेस में है।

पता—ललितपुर, झाँसी

श्रीअभिनन्दन कुमार टड़ैया

आप बी०ए०एल० एल० बी० हैं। ललितपुर के प्रसिद्ध टड़ैया परिवार के आप सदस्य हैं। आपके पिताजी का नाम सेठ पन्नालालजी टड़ैया है। कालेज में पढ़ते समय आपका ध्यान कांग्रेस की ओर गया। सन् '४२ के आन्दोलन में आपको एक साल की सजा और १०० रु० जुर्माना हुआ। यह सजा आपने झाँसी जेल में काटी।

आप जिला और मंडल कांग्रेस-कमिटी के सदस्य हैं। कांग्रेस-सरकार की ओर से आप सर्किल कमिटी के सदस्य नियुक्त किये गये हैं।

पता—ललितपुर, झाँसी

श्रीवृंदावनलाल इमलया

आप ललितपुर की आजाद हिन्द फार्मेसी के मालिक हैं। सन् १९२८ से आप कांग्रेस का कार्य कर रहे हैं।

पहली बार सन् '३० में आपको एक साल की सजा हुई। सन् '३२ में आप कांग्रेस-अधिवेशन के समय भी जेल में रहे। कई वर्षों तक आप मण्डल कांग्रेस कमिटी के मन्त्री रह चुके हैं। आज भी आप उसके सदस्य हैं। जिला-कांग्रेस-कमिटी के आप सदस्य रहे हैं।

पता—ललितपुर, झाँसी

श्रीउत्तमचन्द जैन कठरया

आप एच० एम० जैन आयुर्वेदिक फार्मेसी के मालिक हैं। लगभग ४२ वर्षों से आप कांग्रेस का कार्य कर रहे हैं। सन् '४२ के आन्दोलन में आपको एक साल की सजा और १०० रु० जुर्माना हुआ।

पता—ललितपुर, झाँसी

श्रीमती केशरबाई जैन

ललितपुर की आप एकमात्र कांग्रेस-कार्यकर्त्री हैं। सन् '४० से आप कांग्रेस का कार्य कर रही हैं। सन् '४१ के व्यक्तिगत सत्याग्रह-आन्दोलन में आपको एक महीने की सजा हुई। ललितपुर म्युनिसिपलिटी की पांच वर्षों तक आप सदस्या रहीं। आपके पति श्रीमोतीलाल जैन भी कांग्रेस के कार्यों में भाग लेते हैं।

पता—ललितपुर, झाँसी

श्रीमोतीलाल टड़ैया

सन् '४२ के आन्दोलन में आपको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस-कार्यकर्ताओं की गुप्त रीति से सहायता करने के कारण भारत-रक्षा-कानून की दफा ३८ के अनुसार अदालत में आप पर मुकदमा चलाया गया। जिस कारण आपको एक साल की सजा और १०० रु० जुर्माना हुआ। एक वर्ष तक आप मंडल कांग्रेस कमिटी के सभापति रहे और आजकल उसके मंत्री हैं। जिला कांग्रेस-कमिटी के आप सदस्य रह चुके हैं।

पता—ललितपुर, झाँसी

श्रीशिखरचन्द सिंघई

सन् '४२ के आन्दोलन में आपको एक वर्ष की सजा हुई और १०० रु० जुर्माना। आजकल आप मण्डल कांग्रेस-कमिटी के सदस्य हैं।

पता—ललितपुर, झाँसी

श्रीधन्नालाल गुड़ा

कांग्रेस के आप एक उत्साही कार्यकर्त्ता हैं। सन् '४२ के आन्दोलन में भाग लेने के कारण पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया। अदालत से आपको एक साल की सजा और १०० रु० जुर्माना हुआ।

पत—ललितपुर, झाँसी

श्रीताराचन्द जैन कंजियावाले

आप कांग्रेस के आन्दोलनों में बहुत दिनों से दिलचस्पी रखते हैं। सन् '४२ की क्रांति में आपने सक्रिय भाग लिया और पुलिस-द्वारा गिरफ्तार होकर एक वर्ष की कैद भोगी और १०० रु० जुर्माना दिया।

पता—ललितपुर, झाँसी

श्रीसुखलाल इमलया

कांग्रेस के पुराने कार्यकर्त्ता श्रीवृन्दावनलाल इमलया के आप छोटे भाई हैं। सन् '४२ के आन्दोलन में आप गिरफ्तार कर लिये गये। अदालत से आपको एक साल की सजा और १०० जुर्माना हुआ।

पता—ललितपुर, झाँसी

श्रीहुकमचन्द बड़घरिया

सन् '४२ के अगस्त-आन्दोलन में आपको एक वर्ष की सजा हुई और १०० रु० जुर्माना। बहुत वर्षों से आप कांग्रेस का कार्य कर रहे हैं।

पता—ललितपुर, झाँसी

श्रीबाबूलाल घीवाले

कांग्रेस के आप एक योग्य कार्यकर्त्ता हैं। सन् '४२ के आन्दोलन में आपको १२ महीने की सजा और १०० रु० जुर्माना हुआ।

पता—ललितपुर, झाँसी

श्रीकुन्दनलाल मलैया

आप पुराने कांग्रेस-कार्यकर्त्ता हैं। सन् '४१ के सत्याग्रह-आन्दोलन में आपको एक वर्ष और सन् '४२ की क्रान्ति में १२ महीने तक जेल में रहना पड़ा।

पता—ललितपुर, झांसी

श्रीगोपीचन्द जैन

आपकी अवस्था इस समय लगभग ३७ वर्षों की है। कांग्रेस के कार्यों में आप बहुत दिनों से भाग ले रहे हैं। सन् '४१ के व्यक्तिगत सत्याग्रह-आन्दोलन में आपको एक साल की सजा हुई। सन् '४२ के आन्दोलन में भी आपको १ वर्ष तक जेल में रहना पड़ा।

पता—ललितपुर, झांसी

श्रीशिवप्रसाद जैन

सन् '४२ में लगभग १ वर्ष तक आप नजरबन्द रहे। कांग्रेस के कार्यों में आप बराबर उत्साह के साथ भाग लेते रहे हैं। आप स्थानीय कांग्रेस-कार्यकर्त्ताओं में एक विशिष्ट व्यक्ति हैं।

पता—ललितपुर, झांसी

श्रीदुलीचन्द जैन

कांग्रेस के आप एक पुराने कार्यकर्त्ता हैं। सन् '४१ के आन्दोलन में लगभग ६ महीने आप जेल में रहे।

पता—ललितपुर, झांसी

श्रीगोविन्ददास जैन

आप एक प्रसिद्ध सामाजिक और राष्ट्रीय कार्यकर्त्ता हैं। कांग्रेस के कार्यों में आप बहुत वर्षों से सक्रिय भाग लेते आ रहे हैं। प्रसिद्ध जैन-कवि श्रीहरिप्रसाद 'हरि' के आप बड़े भाई हैं। सन् '४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह-आंदोलन में आपको गिरफ्तार कर ६ महीने जेल में रखा गया।

पता—ललितपुर, झांसी

श्रीशिखरचन्द मिठया

आप कम्युनिस्ट कार्यकर्त्ता हैं। कम्युनिस्ट कार्यों के ही सिलसिले में आपको एक बार ३-४ महीने की सजा हुई थी।

पता—ललितपुर, झांसी

श्रीडालचन्द जैन

पहले कांग्रेस के आप एक प्रसिद्ध और लगनशील कार्यकर्त्ता थे। परन्तु, बाद में आप कम्युनिस्ट हो गये। कांग्रेस और कम्युनिस्ट कार्यों के सिलसिले में आप दो-तीन बार जेल-यात्रा कर चुके हैं।

पता—ललितपुर, झांसी

श्रीखूबचन्द जैन

सन् '४२ के आन्दोलन में आपने सक्रिय भाग लिया। बाद में पुलिस-द्वारा गिरफ्तार कर लिये गये। आपको १ साल की सजा और ५०० रु० जुर्माना हुआ। आप हिन्दी में सुन्दर कविताएँ लिखते हैं।

श्रीशिवप्रसाद जैन

आप झांसी जिले में जाखलौन के रहने वाले हैं। आपके विचार उग्र हैं। सन् '३४ में आप कांग्रेस में आये और तब से जाखलौन कांग्रेस-कमिटी के सभापति हैं। सन् '३७ में जंगल काटने सम्बन्धी झगड़े में आपने किसानों की ओर से जमीन्दार का विरोध किया। २०० किसानों के साथ आपने आबाद जंगल काटा। जाखलौन पंचायत बोर्ड के आप ३ वर्षों तक सरपंच रहे।

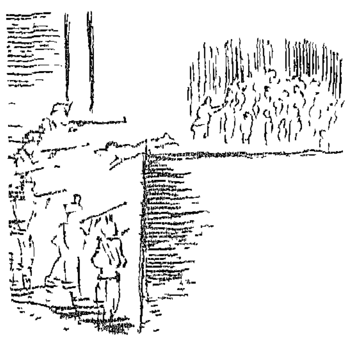
सन् '४२ के आन्दोलन में आपको ११ महीने की सजा हुई। झांसी जेल के सबसे बड़े अफसर के साथ कांग्रेसियों के झगड़े में सरकार ने आपको ही गुनाहगार ठहराया। फलतः अपने साथियों सहित आपको आगरा सेंट्रल जेल भेज दिया गया।

पता—जाखलौन, झांसी

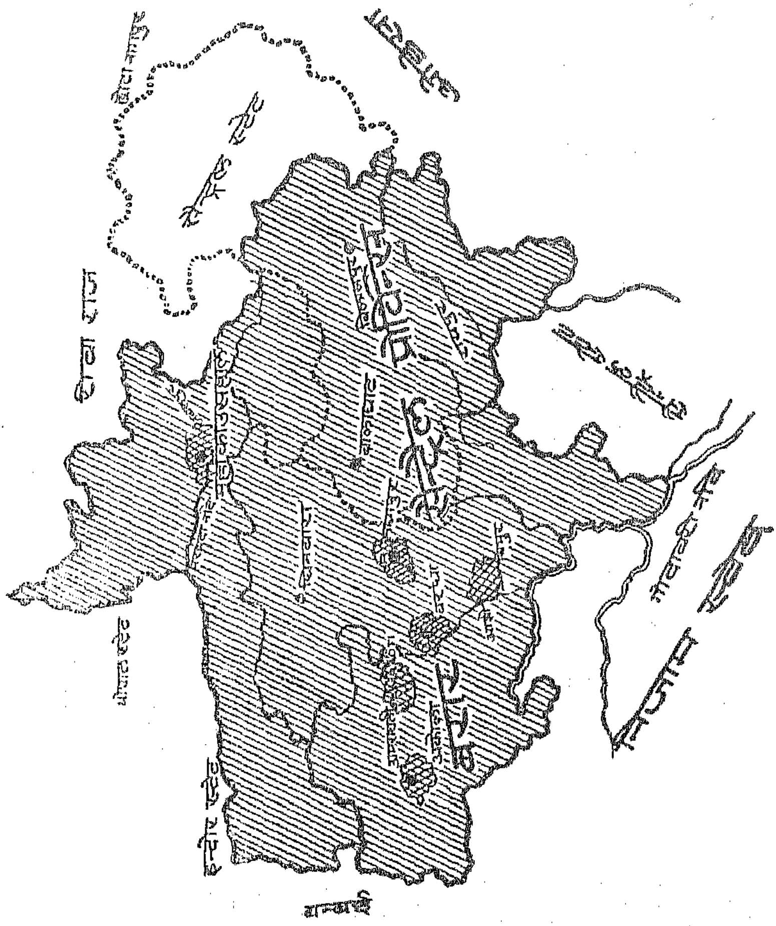
भाई राजधरवैद्य

सन् '३२ में आप कांग्रेस में आये। जाखलौन कांग्रेस-कमिटी की नीव एक तरह से आपने ही डाली। स्थानीय कांग्रेस-कमिटी के आप सन '३२ से मन्त्री हैं। सन '४२ के आन्दोलन में आपको बाबू शिवप्रसादजी के साथ ११ महीने की सजा हुई। स्थानीय सरकारी पंचायत बोर्ड के आप ३ साल तक पंच रहे। जेल से घूमने पर आपको एक ऐसी भयंकर बीमारी हो गयी थी, जिसके कारण आप मुँह से बोल नहीं सकते थे।

पता—जाखलौन, झाँसी



मध्य प्रान्त में :: ⊛—

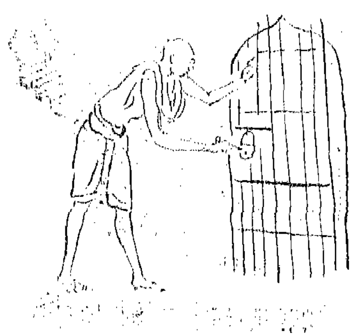


अगस्त-क्रान्ति की प्रगति

सन् '४२ की क्रान्ति में—

जनप्रयास और दमन के आँकड़े

नजरबन्द	३,२२७
दण्डित	५,०७०
गोली-काण्ड	७० जगह
मृत्यु	३४५
सख्त घायल	१६१
सरकारी इमारतों पर हमले	६२
जुलूस और प्रदर्शन	१७८
सामूहिक जुर्माना	२, १८, १०० रु०



मध्य प्रान्त



यह प्रांत हिन्दुस्तान के करीब बीच में पड़ता है। इस कारण इसका नाम मध्य प्रांत है। बरार पहले निजाम हैदराबाद के पास था। सन् १९०५ में निजाम ने इसे अंगरेजों को दे दिया। तब तात्कालीन ब्रिटिश सरकार ने शासन की सुविधा के लिये इसे मध्य प्रान्त के साथ मिला दिया। तभी से इसका नाम मध्य प्रान्त और बरार पड़ा।

इसके उत्तर में मध्य भारत की रियासतें हैं। जिन्हें आज मालव-मण्डल कहा जाता है। दक्षिण में हैदराबाद की रियासत, पूर्व में बिहार और उड़ीसा के प्रान्त तथा पश्चिम में बम्बई-प्रान्त हैं। इस प्रान्त का रकबा १,३१,५५७ वर्गमील है और आबादी १६,८,२२,५८४। यह प्रान्त पहाड़ी है और अधिकतर ऊँची भूमिपर बसा हुआ है। इसके पश्चिमी भाग में 'काली मिट्टी' है, जो रुई की खेती के लिये ज्यादा उपजाऊ होती है। प्रान्त का पूर्वी भाग वन और जंगलों से भरा हुआ है।

इसके उत्तर में विन्ध्याचल है, जो सतपुरा, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है। दूसरा पहाड़ अमरकन्टक है। यहाँ की नदियों में प्रधान हैं—बानगंगा, वारदा, ताप्ती, सोन और महानदी।

यहाँ की आब-व-हवा मातदिल है। पानी काफी होता है। यहाँ का मौसम ठण्डा और सुहावना है। बरार के बीच की जल-वायु खुश्क है। इस प्रान्त की भूमि उपजाऊ है, लेकिन अधिक नहीं। जहाँ की जमीन अच्छी है, वहाँ फसलें खूब होती हैं। यहाँ की खास पैदावारों में रुई और गेहूं हैं। छत्तीसगढ़ के मैदान में चावल अच्छा होता है, बरार में कपास काफी होती है। जंगली पैदावार में बाँस की बहुतायत है।

खनिज पदार्थों में यहां प्रमुख हैं कोयला और लोहा। लेकिन, लोहा यहाँ का साफ नहीं होता। यहाँ बोली जाने वाली भाषाएँ हैं हिन्दी और मराठी। यहाँ के प्राचीन निवासी गोंड हैं। इस कारण इस प्रान्त का पहले गोण्डवाना नाम था।

सन् १५६१ में यहाँ चीफ कमिश्नरी स्थापित हुई। तब संयुक्त प्रान्त से जब्बलपुर निकाल कर इसमें मिला दिया गया। पीछे निमाड़ जिला भी मिलाया गया। सन् १९०५ में बरार भी इसमें मिला दिया गया। जनवरी सन् १९२१ से इस प्रांत के हाकिम को गवर्नर कहा जाने लगा। भाषा के आधार पर कांग्रेस ने इस सूबे के तीन विभाग किये हैं—(क) महाकोशल, (ख) मराठी मध्य प्रांत और (ग) विदर्भ।

मर्द वे हैं जो जमाने को बदल देते हैं!

तूफानी रातें! खामोशी के दिन!! अत्याचार-भरे अफ़साने!!! दिल दहलाने वाले बलिदान! बयालीस की यह खूनी तस्वीर है। मध्यप्रांत ने भी अँगड़ाई ली। सेवाग्राम का फकीर-भारत की करोड़ों जनता के हृदय पर शासन करने वाले के मोहक जादू ने सबको अभिभूत कर लिया। परन्तु; अहिंसा की रट? सत्य की पुकार? नवजवानी मचल कर रह गयी। दिलेरी कसमसा कर अपना जौहर दिखलाने लगी। मध्यप्रांत ने अहिंसा का रास्ता पकड़ा। कुर्बानियाँ दीं। जेल की सूनी पड़ी रौनक जाग पड़ी। आष्टी और चिमूर हमारे इतिहास में सदा के लिये अमर हो गये। फिर मध्यप्रांत का वह बलिदान! फाँसी की वर्षों से सूनी पड़ी रस्सी को आबाद करने वाला नागपुर का वह पहला युवक! इतिहास क्यों नहीं अभिमान करेगा उस पर?

नेता गिरफ्तार हुए। सूबे की कई जगहों पर कठोरता और भयानकता का राज्य फैल गया। विद्रोह को जीवित रखने वाले जेलों के अन्दर अकुला उठे। सरकार तो उन्हें सड़ा-सड़ा कर जान लेने पर ही उतारू हो गयी थी।

सूबे के कुछ भागों में कार्फ्यू आर्डर लगा दिया गया। उस रास्ते से आने-जाने की मनाही कर दी गयी। जनता अहिंसक रही, इतनी ज्यादतियों और यातनाओं के

बावजूद भी। बिना किसी अपराध के लोग गिरफ्तार किये गये। गाँव के गाँव सैनिकों ने फूँक डाले। बलात्कार की कहानियाँ रो पड़ीं। इतिहास नहीं बतलाता है, इस मुल्क में इससे पहले कभी नारी-जाति पर ऐसे जघन्य अत्याचार हुए हों? सामूहिक जुर्माने न दे सकने वालों पर भयानक अत्याचार किये गये।

मराठी मध्य प्रान्त

इसमें मध्यप्रांत के चार जिले हैं—वर्धा, नागपुर, भंडारा और चाँदा। यहाँ की प्रधान भाषा मराठी है।

वर्धा जिला

नजरबन्द	१३७
दण्डित	४३४
सरकारी इमारतों पर हमले	७
गोली-काण्ड	३ जगह
मृत्यु	७
घायल	२०
सामूहिक जुर्माना	४०,००० रु०

लंदन में रहने वाली अङ्गरेजी सरकार ने दिल्ली को भारत की राजधानी स्वीकार किया है। मुल्क की करोड़ों जनता वर्धा को ही अपना सदर मुकाम मानती रही है। कारण, भारत की आत्मा पूज्य बापू की कुटियाँ वहीं थी। भारतीय इतिहास के पिछले २०-२५ वर्षों में यदि ऐसे किसी व्यक्तित्व की खोज की जाय, जिसके आसपास इतिहास की घटनाओं का निर्माण हुआ, तो वह महात्माजी का ही है। वे सम्पूर्ण अर्थ में एक इतिहास थे।

परन्तु, इस इतिहास के पीछे एक ऐसे व्यक्ति का शानदार जीवन छिपा है, जिसकी विलक्षणताओं पर बरबस ध्यान चला जाता है। वह है स्व० जमनालालजी

धजाज का। बापू को साबरमती आश्रम से लाकर वर्धा में आपने ही बैठाया। फिर उनके रचनात्मक और राष्ट्रीय विचारों को कार्यरूप में परिणत करने का अनवरत परिश्रम यदि आप नहीं करते, कहा नहीं जा सकता, महात्माजी को इतनी सफलता मिलती ही? यह आपकी ही प्रतिभा-शक्ति और लगनशीलता का परिणाम था कि वर्धा में भारतीय राजनीति का निर्माण हुआ। अखिल भारतीय चरखा-संघ, गांधी-सेवा-संघ, अखिल भारतीय गो-सेवा-संघ, अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ, महिलाश्रम, महिला-सेवा-मण्डल, राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति, हिन्दुस्तानी तालीमी संघ आदि संस्थाओं के आप ही सर्वस्व थे।

बम्बई नगर से 'करो या मरो' प्रस्ताव वर्धा पहुँचा। 'भारत-छोड़ो' के नारे से वर्धा का कोना-२ गूँज रहा था। अजीब जोश और उल्लास के साथ जनता पुलिस और सेना का सामना कर रही थी। एक ओर बर्बरता और अत्याचार की हद की जा रही थी और दूसरी ओर शांत भाव से जनता उनका स्वागत कर रही थी। बेनजीर सीन था वह!

ग्यारह अगस्त! मारवाड़ी समाज के रत्न श्रीदीनदयाल चूड़ीवाल बम्बई से वापस लौटे। गांधी चौक में सभा हो रही थी। अपने 'बापू' का सन्देश सुनने के लिए, जनता उतावली हो सागर की भाँति उमड़ती आने लगी। पुलिस ने बन्दूक, पिस्तौल लाठियाँ सम्हालीं। पुलिस ने हुक्म दिया 'सभा नहीं हो सकती। जनता घर लौट जाय। नहीं, तो लाठी और बन्दूकों के बल पर उसे वापस होने को विवश कर दिया जायगा, जनता ने 'इन्किलाब जिन्दाबाद' 'अंग्रेज भारत छोड़ दें, आदि नारों से पुलिस हुक्म की तौहीनी की।

काफी था इतना! कल तक पैरों के नीचे रहने वालों की यह जुर्रत! पुलिस कब सहने वाली थी! लाठियाँ चलीं, गोलियाँ दागी गयीं। शहादत का सेहरा सर से बाँध कर घूमने वाले अगली कतार में आ गये। धरती उनके खून से लाल हो उठी,

भारत-माता निहाल। २८ वर्षीय जवान जंगलू शहीद हुआ। घायलों की संख्या अधिक रही।

आगा खां महल से बापू रवाना हुए। वर्धा आकर सबसे पहले वे उस स्थान पर गये, जहाँ पर जंगलू की लाश निश्चिन्त सोयी पड़ी थी, निर्दयी सरकार की बर्बरता की गवाही देती। ३ अगस्त, सन् १९४४ को पूज्य बापू ने आंसू भरी-आंखों से जंगलू की समाधि पर आपने श्रद्धांजलि-पुष्प अर्पित किये।

पुलिस की बन्दूकों ने आग उगली। जनता सीना ताने खड़ी रही। गोलियाँ चलीं, शहादत अमर हो गयी। लेकिन, कतार टूटी नहीं।

पुलिस एक कदम और आगे बढ़ी। सारा प्रान्त १४४ धारा के अन्दर घोषित कर दिया गया। वर्धा सेना को सौंपा गया। रास्ता चलना बन्द हो गया। सड़कें सूनी थीं। खिड़कियों से मौन की काली छाया झाँक रही थी। बाहर जो भी पकड़ा गया, पुलिस ने जी खोलकर उसे पीटा।

बापू और वर्धा! वर्धा और अमर जमनालालजी बजाज। भारत की करवट लेती राजनीतिः बापू की चिन्तना। स्व० जमनालालजी की एकनिष्ठ सेवा-भावना और उत्कट देशप्रियता। गान्धी चौक उनके मकान का एक हिस्सा है, जहाँ आज भी कांग्रेसी सभाएँ हुआ करती हैं। गांधी चौक, जो भारतीय इतिहास को प्रेरणा देता रहा, जीवन-प्रदान करता रहा, घटनाओं के क्रम में सिलसिला लगाया। वही गांधी चौक। दाईं ओर, पीछे बच्छराज कम्पनी, लिमिटेड की इमारत है। बायें हाथ पार्श्व-नाथजी का मन्दिर। आगे की ओर वर्धा स्टेशन से शहर को जाती सड़क। बीच में खाली जमीन, चहारदीवारी से घिरी। यही गांधी चौक है। जब कभी आप वर्धा जायँ, सेवाग्राम की तीर्थयात्रा करें, न भूलें इस गांधी चौक को। वर्षों से लहराता तिरंगा आज भी अपनी निराली छटा के साथ हवा में झूल रहा है।

स्व० जमनालालजी बजाज

"यों तो हमारे यहाँ कई राजनीतिज्ञ हैं और प्रसिद्ध हैं। जिनकी सेवा और सार्वजनिक कार्य का लेखा अच्छा है, लेकिन जमनालाल बजाज उनमें एक ही थे और उनकी जगह भर सकने वाला दूसरा कोई नहीं रहा। इस भयङ्कर संकटकाल में उनको खो बैठना तो एक ऐसा प्रहार है जिसे भूला नहीं जा सकता।"

—पं० जवाहरलाल नेहरू

स्व० जमनालालजी का राष्ट्रीय क्षेत्र में इतना उच्च स्थान था। राष्ट्र की खोयी स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिये महात्मा गांधी की छत्रछाया में पिछले २५-३० वर्षों से जो प्रयत्न किये गये, उनमें आपका एक प्रमुख स्थान है। राष्ट्र-निधि के अध्यक्ष की हैसियत से आपने गौरवपूर्ण कार्य किया है,

आपकी जन्मभूमि जयपुर रियासत के सीकर ठीकाना में 'काशी का वास' नामक गाँव है। उस दिन सन् १८८९ की ४ नवम्बर (कार्तिक शुक्ला द्वादशी, संवत् १९४६) थी। आपके पिताजी का नाम स्व० कनीरामजी बजाज था। ज्येष्ठ, संवत् १९५१ को पाँच वर्ष की अवस्था में वर्धा में सेठ बच्छराजजी के स्व० पुत्र रामधनजी के आप गोद आये। सन् १८९६ की पहली फरवरी को शिक्षारम्भ कराया गया और एक मराठी स्कूल में भर्ती हुए जहाँ आपने चौथी श्रेणी तक पढ़ा। ३१ मार्च, सन् १९०० को आपने स्कूल छोड़ा।

लक्ष्मणगढ़ निवासी सेठ गिरधारीजी जाजोदिया की पुत्री श्रीमती जानकीदेवी के साथ सन् १९०१ में आपका विवाह हुआ। उस समय आपकी अवस्था बारह वर्षों की थी। इसी समय से आपने व्यवसाय को देखना शुरू किया। व्यापार-कौशल के बल पर पाँच-६ लाख रुपये की सम्पत्ति आपने इतनी बढ़ायी कि बीच-पच्चीस लाख रुपये दान करने पर भी उस पर किसी प्रकार की आँच न आयी।

त्याग और निस्पृहता की भावना आपमें लड़कपन से ही थी। संवत् १९६४ की वैशाख कृष्णा द्वितीया को आपने सेठ बच्छराजजी को अपने प्रसिद्ध पत्र में लिखा—"यदि ईश्वर ने चाहा तो भविष्य में आपके पैसों पर मन नहीं जायेगा।"

सन् १९०७ में सेठ बच्छराजजी का देहान्त हो गया। फलतः दिसम्बर, सन् १९०८ में आप आनरेरी मैजिस्ट्रेट बने। लेकिन, देशभक्ति का रंग आप पर और गहरा चढ़ता गया। उस समय भारत के राजनीतिक गगन पर लोकमान्य तिलक छा रहे थे। वेलेन्टाइन सिरोल पर चलाये गये मानहानि के मुकदमे में आपने उनकी पूरी सहायता की।

उस समय महात्माजी दक्षिण अफ्रीका में थे। सन् १९१५ में उनके स्वदेश लौटने पर आप उनसे मिले। सन् १९१७ की कलकत्ता-कांग्रेस में महात्माजी आपके मेहमान रहे। इसी साल आपको 'रायबहादुर' का खिताब मिला।

सन् १९२० में आप नागपुर कांग्रेस के स्वागताध्यक्ष और अखिल भारतीय कांग्रेस-कमिटी के कोषाध्यक्ष बने। इसी साल महात्मा गांधी के आप पांचवें पुत्र बन बैठे। इस प्रसंग का उल्लेख करते हुए आपने लिखा है—"गुरु और पिता में अन्तर है। पिता लड़के की कमजोरियों से वाकिफ रहते भी उसकी उन्नति की कामना करता है। आदमी बाप से लड़ सकता है, पर गुरु के सामने आँख उठाकर देख भी नहीं सकता। इसीलिये मैंने गांधीजी को पिता बनाना ही श्रेयस्कर समझा।"

तब से गांधीजी जमनालाल हो गये और जमनालालजी गांधी। देश के सफल नेतृत्व करने में बापू के पीछे जमनालालजी का बहुत बड़ा हाथ था। महात्माजी को यदि आप न मिले होते, तो उन्हें इतनी प्रसिद्धि मिल ही जाती, ठीक तरह से ऐसा नहीं कहा जा सकता। बापू के शब्दों में :—

"उन्होंने मेरे सभी कामों को पूरी तरह अपना लिया था। यहाँ तक कि मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता था। मैं जैसे ही कोई काम शुरू करता वे स्वयं ही उसका

सारा बोझ उठा लेते।...जहाँ तक मैं जानता हूं मैं कह सकता हूं कि ऐसा पुत्र आज तक शायद किसी को नहीं मिला।"

सन् १९२१ के असहयोग-आन्दोलन में आप सम्मिलित हुए। राष्ट्रीय आन्दोलन में आपने पूरी तरह से अपने को एकाकार कर दिया। आन्दोलन चलाने के लिये आपने एक लाख की निधि अर्पित की। इसी साल की ९ अप्रील को वर्धा सत्याग्रहाश्रम की स्थापना की। अपनी 'रायबहादुरी' का खिताब भी आपने इसी तारीख को सरकार को लौटा दिया।

बात सन् १९२३ की है। महात्माजी तब जेल में थे। कांग्रेस-क्षेत्र में कौंसिल-प्रवेश की बात चल रही थी। १३ अप्रील को जालियानवाला बाग दिवस की स्मृति मनायी जानेवाली थी। नागपुर में जुलूस निकालने की मनाही हो गयी। झगड़ा राष्ट्रीय झण्डे को लेकर था।

सत्याग्रह शुरू हुआ। इसका संचालन भार आपने उठाया। दूसरे प्रान्तों से भी सत्याग्रह में शामिल होने के लिये सत्याग्रही आने लगे। १० जून को २२० सत्याग्रहियों के साथ आप गिरफ्तार किये गये। सरकार ने आप पर मुकदमा चलाया और १० जुलाई को १८ मास कड़ी कैद की सजा और ३ हजार रुपये आप पर जुर्माना हुआ। जुर्माना वसूलने के लिये १८ जुलाई को आपकी मोटरगाड़ियाँ जब्त कर ली गयीं। लेकिन, खरीददार के अभाव में उन्हें काठियावाड़ की एक रियासत में ले जाकर बेंचा गया।

आपकी गिरफ्तारी के बाद सरदार पटेल ने सत्याग्रह का संचालन किया। माता कस्तूर बा भी स्त्रियों के सत्याग्रही जत्थे की तैयारी करने लगीं। पांच महीने बाद सरकार दब गयी। झण्डे पर लगी रोक उसने उठा ली। आपके साथ सभी सत्याग्रही रिहा कर दिये गये।

उस समय आपका एक जुलूस निकाला गया था। लोग कहते हैं कि वैसा शानदार जुलूस मध्य प्रान्त में कभी नहीं निकला। स्वर्गीय मौलाना मुहम्मद अली ने

आपको बधाई का तार भेजा—"मेरे बहादुर बनिया, तुमने खूब किया। तुम्हारे पैर छूने के लिये मैं तरस रहा हूं।"

सन् १९२९ में आपने साइमन कमीशन के बहिष्कार-आन्दोलन में भाग लिया। इसी साल आपने बिजोलिया की यात्रा की।

सन् १९३० में महात्माजी ने नमक-सत्याग्रह-आन्दोलन छेड़ा। सत्याग्रह के लिये आपने बिले पार्ले में छावनी कायम की। सन् १९३२-३३ में आप गिरफ्तार हुए और सजा काटी।

सन् १९३८ में आप जयपुर राज्य प्रजामण्डल के अध्यक्ष चुने गये। इसी साल आपने जयपुर-सीकर प्रकरण में मध्यस्थता की। परन्तु जयपुर राज्य के अंगरेज दीवान की उद्दण्डता के कारण २९ दिसम्बर, सन् १९३८ को आपको जयपुर राज्य में प्रवेश-निषेध की आज्ञा दी गयी। सन् १९३९ की पहली फरवरी को आपने उक्त आज्ञा का उल्लंघन कर जयपुर राज्य की सीमा में प्रवेश किया। दो बार आपको पकड़ कर सीमा से बाहर कर दिया गया। ५ फरवरी को फिर आपने आज्ञा-भंग किया। इस बार जयपुर से ९० मील दूर एक निर्जन स्थान में आपको कैद कर दिया गया। सत्याग्रह ने जोर पकड़ लिया। करीब ५०० व्यक्ति जेल गये। लेकिन, महात्माजी के कहने पर सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया। ६ महीने तक जेल में रहने के बाद अगस्त में आप रिहा हुए। अंगरेज दीवान हटा दिया गया।

फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह का जमाना आया। आपने सत्याग्रह किया और नागपुर जेल में सजा भोगी।

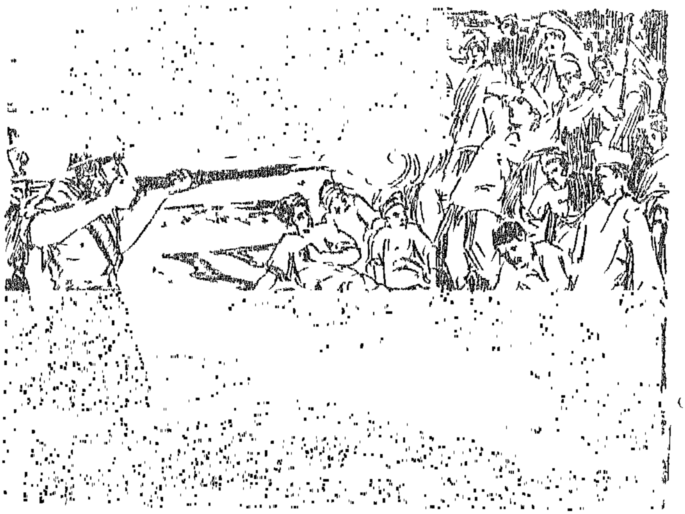
वे राजनीति में दिलचस्पी लेते थे, लेकिन दिल से यह मानते थे कि राजनीति अच्छे अच्छों को फिसलाने वाली सीढ़ी है, अतएव उनकी अपनी रुचि सदा राजनीति में प्राण फूंकने वाले रचनात्मक कार्यों में ही रहा करती थी। अपनी इस रुचि के फलस्वरूप उन्होंने अनेक रचनात्मक प्रवृत्तियों का बड़े उल्लास के साथ पोषण किया। हिन्दुस्तान में हरिजनों के लिये सबसे पहला मन्दिर उनका खुला और अपने सेवाग्राम

की सारी आमदनी उन्होंने गाँव के हरिजनों के लिये दे डाली ।···ग्रामोद्योग के लिये तो उन्होंने अपनी वह जबरदस्त जायदाद दान में दे डाली, जो आज मगनबाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है।

"रचनात्मक कार्यक्रम का कोई अंग ऐसा न था, जिसमें उन्होंने पूरी तरह हाथ न बँटाया हो।" —स्व० महादेव भाई के शब्द

रचनात्मक और सार्वजनिक कार्यों में आपकी ऐसी रुचि थी। हिन्दी-प्रचार आपके जीवन का ध्येय था। हिन्दी में उपयोगी पुस्तकों के प्रकाशन के लिये आपने श्रीउदयलाल काशलीवाल को 'गांधी-हिन्दी-पुस्तक-भण्डार' खोलने में काफी सहायता की। काशलीवालजी की मृत्यु के पश्चात् वह प्रयाग के साहित्य-भवन, लिमिटेड में मिला दिया गया। 'साहित्य-भवन' की स्थापना में भी आपका हाथ था। आप इसके डायरेक्टरों में थे। सन् १९२५ में फतहपुर (राजपुताना) वाले अग्रवाल-महासभा के अधिवेशन में अल्प मूल्य पर हिन्दी में राष्ट्रीय ढंग के साहित्य का प्रचार करने की चर्चा आपने श्रीजीतमल लूणिया और श्रीहरिभाऊ उपाध्याय से की। 'सस्ता साहित्य-मंडल, नयी दिल्ली, इसी का परिणाम है। पहले इसका दफ्तर अजमेर में था। जब श्रीघनश्यामदास बिड़ला ने इसका भार अपने ऊपर ले लिया, उस समय इसका दफ्तर नयी दिल्ली आया।

'मण्डल' की ओर से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका 'त्यागभूमि' का नाम आपने ही रखा था। दक्षिण भारत में हिन्दी-प्रचार के लिये आपने पूर्ण सहयोग दिया। इसी कार्य के लिये सन् १९२९ में आपने मद्रास-यात्रा भी की। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की ओर से राष्ट्रभाषा प्रचार के लिये सन् १९३५ में आपने महात्मा गाँधी को भेंट करने के लिये एक लाख रुपये इकठ्ठा किया। इस प्रकार साहित्य-सम्मेलन से आपका सीधा सम्पर्क कायम हुआ। उसके अधिवेशनों में आप बराबर सम्मिलित हुआ करते थे। अपनी ऐसी सेवाओं के कारण २७ मार्च, सन् १९३७ में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के मद्रास अधिवेशन के आप अध्यक्ष हुए।



निरीह जनता पर पुलिस ने अन्धाधुन्ध गोलियाँ चलायीं। वर्धा में ११ अगस्त को पुलिस की गोलियों की मार से तड़पती लाशों का एक दृश्य !

इस तरह ज्ञात होता है कि शिक्षा-प्रचार की ओर आपकी विशेष रुचि थी। सन् १९१० में आपने वर्धा में 'मारवाड़ी विद्यार्थी-गृह' की स्थापना की। इस साल मारवाड़ प्रान्त की यात्रा में आपने अनेक शिक्षा-संस्थाओं का निरीक्षण किया। सन् १९१२ में आपने वर्धा में मारवाड़ी हाई स्कूल की स्थापना की। सन् १९१५ में मारवाड़ी विद्यालय और मारवाड़ी शिक्षा मण्डल की बम्बई में आपके ही द्वारा स्थापना हुई। वर्धा का नवभारत विद्यालय इसी संस्था की देखरेख में संचालित होता है। फिर सन् १९२० में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये गरीब विद्यार्थियों की सहायता के उद्देश्य से आपने मारवाड़ी अग्रवाल जातीय कोष की स्थापना की। अग्रवाल जाति के प्रतिभाशाली विद्यार्थी इसी कोष से छात्रवृत्ति, सहायता आदि प्राप्त कर विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं। गोविन्दराम सेकसरिया कामर्स कालेज वर्धाकी स्थापना का श्रेय भी आपको है। महिला विद्यालय वर्धा और वनस्थली विद्यापीठ जयपुर आपके महिला-शिक्षा-अनुराग के प्रतिफल हैं। गुरुकुल कांगड़ी में तीस हजार रुपये दान देकर आपने अर्थशास्त्र की शिक्षा के लिये वहाँ महात्मा गांधी के नाम पर उपाध्याय की गद्दी स्थापित करायी। अलावे, काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय, बसु विज्ञान-अनुसंधानशाला, गुजरात-विद्यापीठ आदि शिक्षण-संस्थाओं की भी आपने भरपूर सहायता की।

समाज-सुधार के कार्यों में भी आपने विशेष भाग लिया था। सन् १९१९ में आप मारवाड़ी अग्रवाल महासभा, वर्धा के स्वागताध्यक्ष बने। इसके द्वारा समाज के जागरण में काफी सहयोग मिला और समाज-सुधार के कई क्रान्तिकारी कार्य किये गये।

अन्तर्जातीय विवाह के आप कट्टर हिमायती थे। इसीलिये अपने भतीजे श्रीरामकृष्ण बजाज का अन्तर्जातीय विवाह कर आपने समाज के सामने एक साहसपूर्ण उदाहरण उपस्थित किया। अपने पुत्र और पुत्रियों का भी आपने अन्तर्जातीय विवाह किया। आपके इन क्रान्तिकारी कार्यों से चिढ़कर समाज ने आपको जाति-बहिष्कृत कर दिया।

सन १९२४ में नागपुर का हिन्दू-मुसलिम दंगा हुआ। घटनास्थल पर आप मोटर से पहुंचे। इसी बीच किसी गुंडे ने आपको लाठी मार दी। आप बुरी तरह घायल हो गये।

अखिल भारतीय चरखा-संघ की स्थापना का बहुत बड़ा श्रेय आपको भी है। आप इसके अध्यक्ष थे। तिलक स्वराज्य फण्ड के बहुत बड़े अंश को आपने चरखा-संघ के लिये सुरक्षित रख दिया। राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति और ग्रामोद्योग संघ में भी आपका जबरदस्त हाथ था। गांधी सेवा संघ आपकी ही कल्पना की वस्तु है। आप इसके अध्यक्ष और संरक्षक थे। महात्मा गांधी से आग्रह कर आचार्य विनोबा भावे को वर्धा लाने में आपका ही एक मात्र हाथ था। महिला-सेवा-मण्डल वर्धा, महिलाश्रम वर्धा, क्वेटा भूकम्प-समिति, हरिजन-सेवा-उपसमिति, लक्ष्मीनारायण मन्दिर वर्धा, गुमाश्ता-परिषद् बम्बई, महाराष्ट्र प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी नागपुर और अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के आप (स्थानापन्न) अध्यक्ष थे। इन सभी संस्थाओं के आप संरक्षक भी थे। इनके अलावे, नवजीवन अहमदाबाद, बिहार-रिलीफ-कमिटी पटना, बिहार-सेवानिधि पटना, कमला मेमोरियल प्रयाग, सत्याग्रहाश्रम साबरमती, बिड़ला-शिक्षण-समिति, बजाज कमिटी बम्बई, भगिनी सेवा मण्डल बम्बई, कनखल धर्मशाला, हरनन्दराय कालेज रामगढ़, जालियानवाला बाग लाहौर, श्रीगांधी-आश्रम मेरठ, अभ्यंकर मेमोरियल नागपुर, रामनारायण रूइया ट्रस्ट बम्बई, मद्रास-हिन्दी-प्रचार-सभा मद्रास आदि संस्थाओं के भी आप संरक्षक थे।

"सन् १९३४ में बापू वर्धा में आकर रहे। बल्कि यह कहूं कि सन् '३४ में बापू बिक गये। जमनालालजी ने अपना सर्वस्व देकर गांधीजी को मोल लिया, मानो भगवान् को ही मोल लिया। कबीर, मीरा मध्यकालीन भक्त हैं, जमनालाल जी आधुनिक भक्त कहे जा सकते हैं।"

—स्व० महादेव भाई देसाई

सन् १९३६ में जब महात्माजी वर्धा से सेवाग्राम जाने लगे, तो जमनालालजी ने उन्हें रोकने की भरपूर चेष्टा की। उस समय महात्माजी और आप के बीच हुई बातचीत का जिक्र करते हुए स्व० महादेव भाई देसाई ने एक जगह लिखा है :—

"जमनालालजी की जब एक न चली तब उन्होंने बनिया के साथ बनिया की दलाली की; 'देखिए, आप वहाँ जाकर बैठेंगे तो आपके सब मेहमानों को रखना, वहाँ पहुंचाना, यह सब भार मुझ पर पड़ेगा। कब तक मेरे सर पर बोझ बढ़ाते जाना है?' गांधीजी ने कहा—'वह तो जिस रोज मुझे वर्धा बुलाया, सोच लिया होगा।'

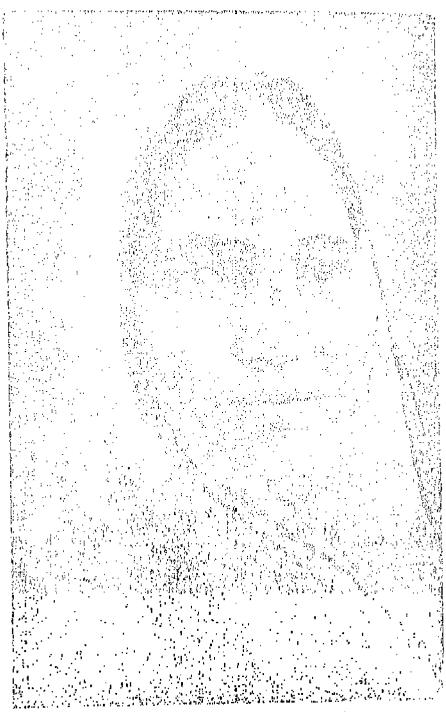
महात्माजी के वर्धा में रहने के कारण कांग्रेस-कार्यसमिति की बैठकें प्रायः वहीं हुआ करती थीं। पं० जवाहरलालजी नेहरू ने एक बार लिखा था—"कार्य समिति में तो शायद वे ही सबसे अधिक रहे होंगे। सार्वजनिक या निजी कई मामलों में मैं उनसे सलाह और पथ-प्रदर्शन लेता था।"

इसी प्रसंग पर स्व० भूलाभाई देसाई ने लिखा है।—"कार्यसमिति के सदस्य की हैसियत से उनके बिना काम नहीं-सा चलता था।"

कार्यसमिति की बैठकें वर्धा में होने के कारण नेताओं के ठहरने आदि की सारी व्यवस्था आपके ही यहाँ हुआ करती थी। इस प्रकार की अतिथि-सेवा में प्रतिमास आपके कोई ३०,००० रु० व्यय होते थे।

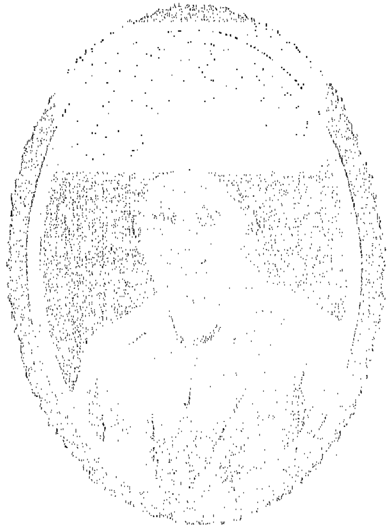
"उनके (आपके) अतिथि-गृह में देश के सभी नेता और कार्यकर्त्ता ठहरा करते थे। वर्किंग कमिटी के जलसे इधर कई वर्षों से प्रायः वर्धा में ही हुआ करते थे। और सब मेम्बर उन्हीं के (आपके) अतिथि होकर ठहरा करते थे। गेस्ट—हाउस के नौकरों ने सबको जान लिया था और वहाँ के कमरे भी प्रायः हमीं लोगों के नाम से मशहूर हो गये थे, जैसे राजेन्द्र बाबू का कमरा, भूलाभाई का कमरा, डाक्टर पट्टाभि का कमरा आदि······जिस बंगले में सेठजी स्वयं रहते थे

राष्ट्र और समाज की मौन सेविका—



श्रीमती जानकी देवी बजाज, वर्धा

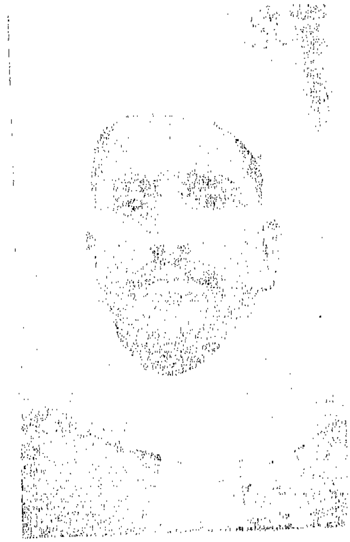
आजादी के परवाने —



श्रीभगवानदास [illegible], धामणगांव



सिंघई नेमचंदजी, मण्डला



पं० उदयचन्दजी, मण्डला

उसमें भी कांग्रेसी लोग ठहरा करते थे, क्योंकि गेस्ट-हाउस काफी नहीं होता था। ऐसा मौका अक्सर आता था जब सेठजी को अपना कमरा छोड़ देना पड़ता था। श्रीमती जानकी देवी शहर के अपने पुराने मकान में जाकर रहती थीं। लड़के-लड़कियाँ भी अपने-अपने कमरे छोड़कर महिलाश्रम अथवा शहर के मकान में चली जाती थीं।"

—राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद

दान आप मुक्तहस्त होकर दिया करते थे। सन् १९०६ की बात है। नागपुर से लोकमान्य के 'केसरी' पत्र का हिन्दी-संस्करण निकालने की बात तय हुई जिसके लिये एक अपील निकाली गयी। आपने अपने जेबखर्च से बचाये १०० रु० भेज दिये। राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसादजी ने आपकी दानशीलता की चर्चा करते हुए लिखा है :—

"इसका पता किसी को नहीं होगा कि उन्होंने (आपने) कितनों को आर्थिक सहायता दी। जिसको जरूरत पड़ती थी या तो वह जानता या वह स्वयं जानते। ......गाढ़े समय में बहुतेरों को उन्हीं की सहायता से सांस लेने और जीवित रहने का मौका मिला है।......प्रकट दान के अलावा सेठजी के गुप्त दानों की तालिका उनके दफ्तर में ही मिलेगी और किसी को पता नहीं होगा।"

सन् १९४१ में जेल से लौटने पर आपने गो-सेवा का व्रत लिया। सन् १९४२ की पहली फरवरी को आपने वर्धा में गो-सेवा-सम्मेलन बुलाया और गो-सेवा-सङ्घ की स्थापना की। इसके लिये आपने वर्धा और नलवाड़ी के बीच एक बहुत बड़ी भूमि खरीदी और उस पर 'गोपुरी' नामक एक गाँव बसाया। वहीं पर आप एक झोपड़ी में रहने लगे। गोपुरी में आपने एक गोशाला और चर्मालय खोला तथा दूध, घी, मक्खन आदि तैयार करने की व्यवस्था की।

उस दिन एकादशी थी, फाल्गुन कृष्णा, सन् १९४२ की ११ फरवरी। महात्मा जी से मिलने चीन के भाग्य-विधाता मार्शल चांग काई शेक आने वाले थे।

पिछली रात को टेलीफोन पर स्व० महादेव देसाई से आपकी बातें उन्हें ठहराने के विषय पर हुई थीं।

रात में शौच से आप पौने तीन बजे आये। सिर में बेहद पीड़ा हो गयी। थोड़ी ही देर में आप बेहोश हो गये। उस समय आपका रक्तचाप ११० और २५० था। पौने चार बजे आत्मा ने यह नश्वर शरीर छोड़ दिया।

दाह-संस्कार के लिये स्थान महात्माजी ने गोपुरी पसन्द किया। अर्थी निकली, पुष्प-वर्षा हुई। जनता साथ-२-चलने लगी। अर्थी खादी में लिपटी थी। ऊपर तिरंगा लहरा रहा था। उस दिन वर्धा की सिसकियाँ जारी थीं, सेवाग्राम सूना पड़ा था। 'रामधुन लागी, गोपाल धुन लागी' गातीं महिलाश्रम की छात्राएँ साथ-साथ चल रही थीं।

आपकी प्यारी कुटिया के सामने चिता सजायी गयी। विनोबा भावे वहीं खड़े थे। परचुरे शास्त्री भी गोपुरी आ गये थे। दोनों ने मन्त्रोच्चार किये। चिता धू-धू कर जल उठी।

अग्निदाह बीता। सम्पूर्ण ईशोपनिषद् और गीता का नवां अध्याय विनोबा भावे ने सुनाया। परचुरे शास्त्री ने वेद मंत्र पढ़े।

श्रीमती जानकी देवी बजाज

आप स्व० जमनालालजी बजाज की धर्मपत्नी हैं। आपका विवाह ९ वर्ष की अवस्था में हुआ। जन्म वैष्णव परिवार में होने के कारण आचार-विचार, पूजा-पाठ की भावना आपमें स्वतः आ गयी। १० वर्ष की अवस्था से पहले ही आप ससुराल आ गयीं। एक बार बातचीत के सिलसिले में आपने एक सज्जन से कहा था—"दस वर्ष की अवस्था में सोचा करती थी कि सती होने से ही स्त्री को स्वर्ग मिलता है। इसलिये कभी-२-ऐसे विचार मेरे मन में आते थे, यदि सेठजी पहले मर जायँ, तो मुझे सती होने का सौभाग्य मिले।" जब बजाज जी की मृत्यु हो गयी, पुराने संस्कारों ने जोर मारा। उस समय लोगों को ऐसी शंका हुई, शायद आप आग में

न कूद पड़ें । महात्माजी ने आपको काफी समझाया और अन्त में कहा—"तुम्हें सच्ची सती बनना चाहिए ।"

स्व० बजाजजी के विशाल राजनीतिक, सार्वजनिक आदि जीवन में आपका काफी हाथ रहा । बजाजजी का जीवन निहायत सादा, सरल और राष्ट्रीयतापूर्ण था । उनके साथ साबरमती-आश्रम, सेवाग्राम-आश्रम, विनोबा का नलवाड़ी-आश्रम तथा पौनार-आश्रम में वर्षों रहकर आप अपने जीवन को सरलता और उच्चता की ओर ले गयीं । हिन्दुस्तान के बड़े-से-बड़े राजनीतिक, समाज-सुधारक, सार्वजनिक कार्यकर्त्ता वर्धा में इकट्ठे हुआ करते थे । उनके सेवा-सत्कार आदि की व्यवस्था आपको ही करनी पड़ती थी । इस प्रकार एक साथ रहकर आप उनके विचारों, कार्य-प्रणालियों आदि से पूर्णतया अवगत हो गयीं । बीसों वर्षों तक आपने उनका सत्संग-सुख उठाया । मारवाड़ी समाज में आप-जैसी महिला कम हैं ।

सन् १९३० के आन्दोलन में बजाजजी के जेल जाने पर आपने देश का दौरा किया । विलायती कपड़े की दूकानों पर आपने पिकेटिंग की । समाज-सुधार के कार्यों में भी आपने काफी भाग लिया है । आजकल आप गो-सेवा-संघ का कार्य-संचालन करती हैं ।

पता—गोपुरी, वर्धा

श्रीकृष्णदास जाजू

बीकानेर से सात मील दूर अकासर में भाद्रपद कृष्णा प्रतिपदा, संवत् १९३९ को आपका जन्म हुआ । आपके पिताजी का नाम स्व० मूलचन्दजी जाजू था । कलकत्ता विश्वविद्यालय से आपने बी० ए० परीक्षा पास की । बाद में बी० एल० की परीक्षा पास की । महात्माजी के रचनात्मक कार्य-केन्द्र वर्धा में वर्षों से आप रहते हैं । निस्पृह भाव से एकाग्रचित्त हो राष्ट्र और समाज की सेवा करना ही आपके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है ।

अखिल भारतीय चर्खा-संघ वर्धा के आप पहले मन्त्री रह चुके हैं। आज उसके एक ट्रस्टी हैं। ग्रामोद्योग-संघ, वर्धा के आप पहले सभापति रहे हैं। आज उसके संरक्षकों में हैं। हिन्दुस्तानी तालीमी संघ की कार्यकारिणी के आप सदस्य हैं।

सन् '४२ के अगस्त-आंदोलन में आप गिरफ्तार हुए। वर्धा, अकोला, बुलडाना, नागपुर और सिवनी की जेलों में घूमते हुए सन् १९४४ की जुलाई में आप रिहा हुए।

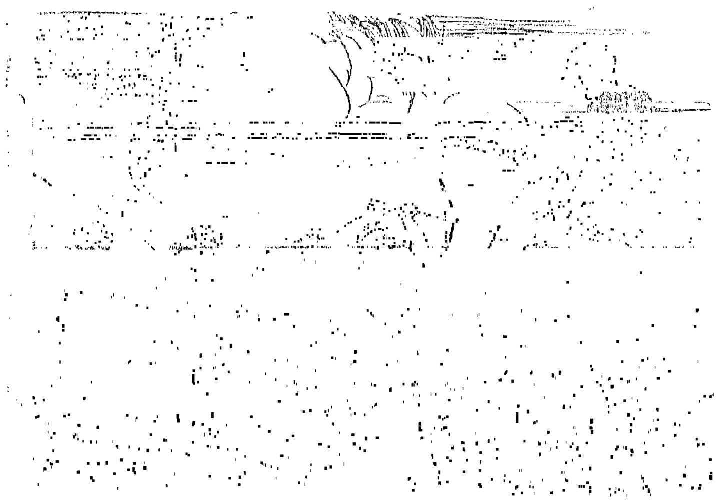
पता—सेवाग्राम, वर्धा

श्रीकमलनयन बजाज

आप स्व० जमनालालजी के पुत्र हैं। लड़कपन में आप आचार्य विनोबाजी के साथ आश्रम में रहे। आपके चरित्र, शिक्षा आदि का संगठन विनोबाजी की देखरेख में हुआ। सन् १९३० में जब पूज्य गांधीजी ने डांडी-यात्रा की, जिसमें आश्रम के तपे हुए ८० कार्यकर्त्ताओं को साथ लिया, उनमें एक आप भी थे। इसी सत्याग्रह में आपको जेल हुई। जेल से रिहा होने के बाद आपको अजमेर में फिर सत्याग्रह करने के लिये भेजा गया। फिर आप जेल गये। इस बार आप 'सी' क्लास में रखे गये। इस क्लास के सारे कष्ट आपने सहर्ष झेले।

सन् १९३२ के सत्याग्रह में आप फिर जेल गये। इसके बाद शिक्षा प्राप्त करने के लिये आप विदेश चले गये। शिक्षण प्राप्त कर लौटने के बाद आप बराबर सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में भाग लेते हैं। बयालीस के आंदोलन में आपने काफी भाग लिया। खासकर, श्रीभंसाली के उपवास के समय सारा इन्तजाम आपने ही किया। और पिछले कई वर्षों से आप देशी राज्यों की राजनीति में काफी भाग ले रहे हैं। अखिल भारतीय देशी राज्य-लोक-परिषद् के आप कोषाध्यक्ष और खास कार्यकर्त्ता हैं। आप मिलनसार और उग्र विचार के सुधारक हैं। देश के बड़े से बड़े नेताओं से आपका घरेलू सम्बन्ध है। पूज्य गांधीजी तो आपको अपने कुटुम्ब के ही मानते थे।

पता—वर्धा, सी०पी०



क्रोधित जनता के विध्वंसक कार्य !

वर्धा में जनता-द्वारा तार काटने और रेलवे लाइन उखाड़ने का एक साहस-भरा दृश्य !

श्रीरामकृष्ण बजाज

आप स्व० जमनालालजी बजाज के कनिष्ठ पुत्र हैं। स्व० जमनालालजी का परिवार एक राष्ट्रीय परिवार है। और वर्षों जमनालालजी के यहाँ राष्ट्रीय नेताओं, समाज-सुधारकों और देश-सेवकों का आवागमन और कांफ्रेंसें होती रहीं। वर्धा हमारे देश का एक राष्ट्रीय नगर है। खासकर, जब पूज्य बापूजी सेवाग्राम में आये, तबसे यह स्थान सारे संसार का एक खास स्थान बन गया। श्रीविनोबा, श्रीजाजू, श्रीकिशोरलाल भाई, श्रीकाका कालेलकर आदि महानुभाव वर्षों से वर्धा में बिराजते हैं। इन सब बातों और इनके सत्संग का श्रीराधाकृष्ण के चरित्र पर काफी असर पड़ा है। और स्व० जमनालालजी के नजदीक में आये हुए लोग आपसे बहुत आशा करते हैं।

आपने १९४२ के आन्दोलन में अच्छा भाग लिया। और श्रीविनोबा के साथ कोई दो वर्षों से अधिक जेल में रहे।

पता—वर्धा, सी० पी०

श्रीदामोदरदास मूंदड़ा

आपका जन्म निजाम स्टेट के औरंगाबाद में ३० जून, सन् १९१० में हुआ। आपके पिताजी का नाम श्रीकिशनदास मूंदड़ा है। सन् १९३२ के आन्दोलन में आपको साढ़े सात साल की सजा हुई। दूसरी बार बयालीस के अगस्त-आन्दोलन में तीन साल के लिये आप फिर बन्दी बना लिये गये।

पता—परमधाम पौनार, वर्धा

श्रीराधाकृष्ण बजाज

आपके पिताजी का नाम स्व० माधवजी बजाज था। जन्म आपका आषाढ़ शुक्ला दशमी, संवत् १९६२ को जयपुर रियासत के 'काशी का बास' (सीकर) नामक गाँव में हुआ। रचनात्मक कार्यों में आपकी विशेष लगन है। गो-सेवा-संघ,वर्धा का

सफल संचालन आजकल आपकी ही देखरेख में हो रहा है। इसके आप मन्त्री हैं।

सन् १९३२ में आपको ६ महीने की सजा हुई। अकोला और खंडवा की जेलों में आप रखे गये थे। सन् १९३४ में आप फिर गिरफ्तार हुए और शिवनी तथा नागपुर जेल में ४ महीने रहे। सन् ४२ के आन्दोलन में बुलडाना, वर्धा और नागपुर की जेलों में आप तीन साल रहे।

पता—गो सेवा संघ, गोपुरी, वर्धा

श्रीगंगाबिशन बजाज

आपका जन्म माघ, संवत् १९५२ में 'काशी का वास' नामक गांव में (सीकर, जयपुर राज्य) हुआ। आपके पिताजी का नाम स्व० हरभगतजी बजाज था। शिक्षा आपको मैट्रिक तक मिली। तीन वर्षों तक आप वर्धा म्युनिसिपलिटी के अध्यक्ष और १८ वर्षों तक सदस्य रहे। ६ वर्ष आप उसके सभापति भी रह चुके हैं। मारवाड़ी शिक्षा-मण्डल वर्धा के पहले मन्त्री थे, आजकल उसके एक सदस्य हैं।

कांग्रेस के कार्यों में आपने बराबर अपना सहयोग प्रदान किया है। करीब ४ ५ साल तक आप वर्धा ताल्लुका कांग्रेस-कमिटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। सार्वजनिक और राष्ट्रीय कार्यों में आपने अबतक कोई ५,०००) खर्च किया है। आजकल आप बच्छराज फैक्टरीज के मैनेजर हैं।

पता—बच्छराज फैक्टरीज, वर्धा

श्रीचिरंजीलाल जैन

आपकी जन्मभूमि उम्रावास है। यह जिला सवाई जयपुर में पो० फलेरा के अन्तर्गत है। आपकी जन्मतिथि आश्विन कृष्णा अष्टमी, संवत् १९५२ है।

कांग्रेस के कार्यों में आप सन् १९२१ से हैं। वर्धा जिला कांग्रेस-कमिटी के आप ३ वर्षों तक सभापति रह चुके हैं। १४ वर्षों तक आप वर्धा म्युनिसिपलिटी

के सदस्य भी रह चुके हैं। मारवाड़ी सेवा-समाज के आप २ वर्षों तक मन्त्री, एक वर्ष सभापति और १० वर्ष सदस्य रहे हैं। मारवाड़ी शिक्षा-मण्डल और जैन बोर्डिंग वर्धा के आप १० वर्षों तक मन्त्री रह चुके हैं। भारत जैन महामण्डल के आप १५ वर्षों तक मन्त्री-पद पर काम कर चुके हैं। आजकल सहायक मन्त्री हैं।

सार्वजनिक जीवन में भी आपने सराहनीय कार्य किया है। १०,००० रु० से आपने जैन-सेवा-ट्रस्ट की स्थापना की। अलावे, राष्ट्रीय और सार्वजनिक कार्यों में आपने इतनी ही रकम और खर्च की है। नागपुर के झण्डा-सत्याग्रह में आप पहली बार सवा महीने के लिये जेल गये। सन् १९३० के सत्याग्रह में आपको ६ महीने की सजा मिली। आजकल सार्वजनिक और राष्ट्रीय कार्य करते हुए आप जमनालाल एण्ड संस, लिमिटेड के मैनेजर का काम भी देखते हैं।

पता - जमनालाल एण्ड संस, लि०, वर्धा

श्रीकन्हैयालाल भैया

आपका जन्म वर्धा जिले के खरांगना में संवत् १९६० में हुआ। आपके पूर्वज जोधपुर जिले में फलोदी गांव के रहने वाले थे। पिताजी का नाम स्व० अम्बालाल भैया था। कालेज की शिक्षा आपने इंटरमीजियट तक पायी। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के आप 'विशारद' हैं।

वर्धा-कांग्रेस-कमिटी को आपने सदा ही अपना सहयोग प्रदान किया। वर्धा म्युनिसिपलिटी के आप विगत १० वर्षों से सदस्य रहते आये हैं। माहेश्वरी महासभा की कार्यकारिणी के आप सदस्य रह चुके हैं। अखिल भारतीय मारवाड़ी नवयुवक-मण्डल के मंत्रिपद पर आप काम कर चुके हैं, आर्य-समाज वर्धा के आप सात साल तक मन्त्री रहे हैं। सार्वजनिक जीवन में आप सुधारवाद के कायल हैं। पर्दा आपके यहां नहीं है। सन् १९३० में अपनी शादी आपने कोलवार में की।

'कर्मवीर' (खंडवा) और 'राजस्थान-केशरी (वर्धा) के सम्पादकीय विभाग में आप काम कर चुके हैं। 'प्रणवीर' (नागपुर) और 'माहेश्वरी जगत' (अमरावती)

नामक पत्रों का आपने सम्पादन भी किया है। आपकी पत्नी श्रीमती सत्यवती भैया हिन्दी-साहित्य-जगत् की एक प्रकाशमान कहानी-लेखिका हैं। सन् १९३० के असहयोग-आन्दोलन में आप गिरफ्तार हुए और वर्धा जेल में ६ महीने रखे गये।

पता—कन्हैयालाल एण्ड कम्पनी, वर्धा

श्रीगुलाबचन्द् बजाज

जयपुर रियासत में 'काशी का वास' नामक गाँव में भाद्रपद शुक्ला पंचमी, संवत् १९६८ में आपका जन्म हुआ। शिक्षा आपने मैट्रिक तक पायी। साहित्य-सम्मेलन के आप 'कृषि-विशारद' हैं।

राष्ट्रीय आन्दोलनों में आपने शुरू से ही भाग लिया है। नमक-सत्याग्रह में पुलिस ने आपको लाठी से पीटा था जिसमें आपका सर फूट गया था। अहमदाबाद की गुजरात-विद्यापीठ में आपने कुछ दिनों तक अध्यापक का काम किया था। वहाँ स्वयंसेवकों को शिक्षा देकर नमक सत्याग्रह के लिये भेजना ही आपका काम था। पूरी शिक्षा देकर आप टुकड़ियाँ रवाना कर दिया करते थे। साबरमती-आश्रम में महात्माजी के साथ आप सन् १९२३ से '३१ तक रहे।

सन् '३० के आन्दोलन में आप गिरफ्तार किये गये। सरकार ने आपको नड़ियाद, साबरमती कैम्प और यरवदा जेल में तीन महीने कैद रखा। सन् १९३१ में आप फिर जेल गये। इस बार वर्धा, नागपुर और जब्बलपुर की जेलों में आप चार महीने रहे। सन् १९३८-३९ के जयपुर-सत्याग्रह में प्रचार-विभाग का संचालन आप ही करते थे। वहाँ करीब ७-८ महीनों तक साइक्लोस्टाइल पर बुलेटिनें छाप उन्हें गुप्त रूप से जनता में वितरित कराना आपका ही काम था। रियासती पुलिस आपके कार्यों से परीशान हो गयी थी।

पता—बच्छराज जमनालाल, वर्धा

श्रीरामगोपाल बजाज

आपके पिताजी का नाम स्व० देवीदत्तजी बजाज था। वर्धा जिले के हींगनघाट में आपका जन्म हुआ। कांग्रेस के कार्यों में आपने बराबर भाग लिया है। सन् १९२३ के नागपुर-झण्डा-सत्याग्रह में आपको एक महीने की सजा हुई।

पता—बच्छराज-भवन, वर्धा

श्रीमोतीलाल बजाज

आपका जन्म जयपुर रियासत के 'काशी का बास' में फाल्गुन पूर्णिमा, संवत् १९६४ को हुआ। आपके पिताजी का नाम स्व० हरभगतजी बजाज था। सन् १९२३ के झण्डा-सत्याग्रह में नागपुर जेल में आप दो महीने रहे। कांग्रेस के राजनीतिक और सार्वजनिक कार्यों में आप बराबर भाग लेते हैं।

पता—वर्धा

श्रीघनश्याम बजाज

आपके पिताजी का नाम श्रीलक्ष्मीनारायण बजाज है। जन्म आपका वर्धा में पहली मार्च, सन् १९२७ को हुआ। शिक्षा आपने मैट्रिक तक पायी। परिवार की राष्ट्र-प्रियता ने आपका ध्यान आकर्षित किया। राष्ट्र-गौरव स्व० जमनालालजी बजाज आपके पितृज थे। कांग्रेस के रचनात्मक कार्यों में आपने दिलचस्पी लेना शुरू किया।

सन् १९४२ के अगस्त-आंदोलन में पुलिस ने आपको तीन बार गिरफ्तार किया। पहली बार १३ अगस्त से २८ अगस्त तक आप वर्धा जेल में रखे गये। दूसरी बार आप ४ सितम्बर को गिरफ्तार हुए। वर्धा जेल में आपको ६० बेंत की सजा दी गयी। तीसरी बार २६ सितम्बर को पुलिस ने आपको फिर पकड़ा। इस बार नागपुर और वर्धा जेल में आप १३ महीने कैद रहे।

पता—बच्छराज-भवन, वर्धा

श्रीमन्नारायण अग्रवाल

आपका जन्म युक्तप्रांत के इटावा जिले में १५ जून, सन् १९१२ को हुआ। पिताजी का नाम बाबू धर्मनारायणजी अग्रवाल है। कलकत्ता-विश्व-विद्यालय के आप एम० ए० हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भी आपने एम० ए० किया है। लंदन से आपको एफ० आइ० ई० एस० की उपाधि मिली है।

गोविन्दराम सेकसरिया कामर्स कालेज के आप प्रिंसिपल और अखिल भारतीय हिन्दुस्तानी प्रचार-सभा, वर्धा की कार्यसमिति के सदस्य हैं। नागपुर विश्वविद्यालय के 'बोर्ड आफ स्टडीज' के आप अध्यक्ष और नागपुर विश्वविद्यालय की एकडमिक एण्ड एक्जीक्यूटिव काउंसिल तथा आल इण्डिया फेडरेशन आफ एजूकेशनल एसोसियेशन के सदस्य हैं। मारवाड़ी एजूकेशन सोसायटी और महिलाश्रम, वर्धा के आप क्रमशः प्रधान मन्त्री और अध्यक्ष हैं।

अंगरेजी और हिन्दी में आपने कई पुस्तकें भी लिखी हैं। हिन्दी के आप एक कुशल कवि हैं। हिन्दी में आपकी प्रकाशित पुस्तकें 'रोटी का राग,' 'सेगाँव का सन्त,' 'मानव,' 'जुगनू' और 'अमर आशा' हैं।

अंगरेजी में आपने 'गांधीयन प्लैन आफ इकानामिक डेवलपमेंट फौर इंडिया,' 'मीडियम आफ इंस्ट्रक्शन', 'गांधीयन कांस्टीच्यूशन फौर फ्री इंडिया, कंस्ट्रक्टीव प्रोग्राम फौर स्टूडेंट्स, इंगलैंड थ्रू इंडियन आइज और फाउंटेंस आफ लाइफ पुस्तकें लिखी हैं। इनमें कई के भूमिका-लेखक स्वयं महात्माजी हैं।

बयालीस के अगस्त-आंदोलन में आपको १८ महीने की सजा हुई। आपकी पत्नी श्रीमती मदालसा देवी भी, जो प्रसिद्ध देशभक्त स्व० जमनालालजी बजाज की पुत्री हैं, राष्ट्रीय आंदोलनों में सोत्साह भाग लेती हैं। सन् '४२ के आंदोलन में आपको भी सजा मिली थी।

पता—वर्धा

श्रीप्रह्लादराय पोद्दार

आप फतेहपुर निवासी श्रीजोरावरमल पोद्दार के पुत्र हैं और देशभक्त जमनालालजी बजाज के भानजे। आपने स्व० जमनालालजी से देश और समाज-सेवा का संस्कार लिया। उनकी देखरेख में ही आपका शिक्षण आदि हुआ। आप गुजरात-विद्यापीठ के एक अच्छे छात्र रहे हैं। पूज्य गांधीजी ने सन् '३० में डांडी-यात्रा की थी, तो उसके आगे विद्यार्थियों की जो एक टुकड़ी चलती थी, उसमें आप भी थे। इसके बाद आप बराबर आंदोलन में भाग लेते रहे हैं।

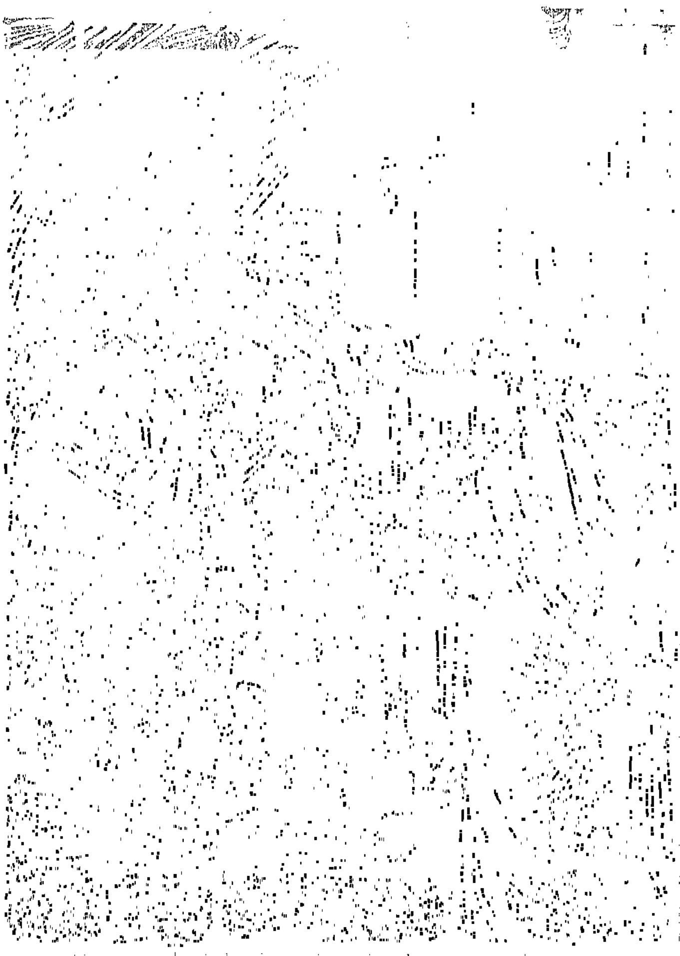
सन् १९३२ में आपको वर्धा में गिरफ्तार कर सरकार ने जेल में रखा। इसके बाद जब जयपुर-सत्याग्रह हुआ था, तब भी आप जयपुर में जेल गये थे। इसके बाद जब सन् १९४२ का आंदोलन शुरू हुआ, तो आप कलकत्ते में थे। यहीं आंदोलन में आपने काफी भाग लिया। समाज-सुधार के कार्य में आपकी दिलचस्पी काफी है। आजकल आप बम्बई में रहते हैं।

श्रीवल्लभदास जाजू

आपके पिताजी का नाम श्रीभीखमचन्द जाजू है। जन्म आपका वर्धा जिले के आर्वी में सन् १९०४ के लगभग हुआ। शिक्षा आपने मैट्रिक तक पायी है। आप सम्मेलन के 'विशारद' और देवघर-विद्यापीठ के 'साहित्य-भूषण' हैं।

कांग्रेस के कार्यों में आप बहुत दिनों से भाग ले रहे हैं। आर्वी कांग्रेस-कमिटी के आप मंत्री हैं। सन् '३०, '३१ और ३२ के आंदोलनों में आप गिरफ्तार हुए और तीन बार में १६ महीने जेल में रहे। सन् '४२ के आंदोलन में आप पर वारंट निकला। लेकिन, पुलिस आपको गिरफ्तार न कर सकी। उस समय कांग्रेस-बुलेटिनों के छापने और बाँटने के काम का आप योग्यतापूर्वक संचालन करते रहे। कांग्रेस के कार्यों में आप उत्साह के साथ शामिल होते हैं। सार्वजनिक कार्यों की ओर भी आपकी विशेष रुचि है।

पता—बच्छराज, वर्धा



चिमूर में बलात्कार की बेबसी !

एक गोरे और भारतीय सिपाही ने एक गर्भवती स्त्री के साथ बलात्कार किया ।

श्रीमती नर्मदादेवी भैया

आज से कोई ५८ साल पहले वर्धा में आपका जन्म हुआ। सन् '३१ के नमक-सत्याग्रह-आंदोलन में आपने भाग लिया और पुलिस-द्वारा गिरफ्तार कर ली गयीं। आपकी यह गिरफ्तारी शराब की दुकानों पर पिकेटिंग करने के सिलसिले में हुई। ६ महीने तक आपको वर्धा और नागपुर की जेलों में रखा गया।

पता—भैया-विलास, वर्धा

स्व० बद्रीनारायणजी अग्रवाल

आपके पिताजी का नाम श्रीहरकिसन राय अग्रवाल है। जिला कांग्रेस-कमिटी के आप ५ वर्षों तक सभापति रह चुके हैं। प्रांतीय धारासभा के पिछले कांग्रेस-मंत्रिमण्डल में आप सदस्य रह चुके हैं।

सन् '४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में आपने भाग लिया और पुलिस द्वारा गिरफ्तार होकर ६ महीने जेल में रहे। मार्च, सन् '४६ में आपका स्वर्गवास हो गया।

श्रीगोविन्दराम शर्मा पालीवाल

आपके पिताजी का नाम श्रीभीमराज शर्मा पालीवाल है। आपका जन्म भाद्रपद शुक्ला पंचमी, संवत् १९६९ को हुआ। सन् १९३२ के जंगल-सत्याग्रह में आपने तालेगांव (आर्वी) में भाग लिया। पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर कुछ दिन बाद छोड़ दिया। सन् '४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी आप गिरफ्तार हुए। इस बार आपको नागपुर जेल में रखा गया। तीन बार की जेल-यात्रा में आपने १४ महीने की सजा काटी।

पता—आर्वी, वर्धा

श्रीबालाप्रसाद चर्खा

आपके पिताजी का नाम श्रीआशाराम चर्खा (बाहेती) है। जन्म आपका फाल्गुन शुक्ला सप्तमी, संवत् १९५८ में अकोला जिले के वाशीम में हुआ।

प्रारम्भ में आप सामाजिक कार्यों में ही विशेष दिलचस्पी लेते थे। अपना विवाह भी आपने एक विधवा से ही किया। सन् १९३० में अखिल भारतीय चर्खा संघ में आप काम करने लगे। यहां आपने श्रीकृष्णदास जाजू के साथ साढ़े पाँच वर्षों तक काम किया। आंदोलन के दिनों आप महिलाश्रम का काम देखते थे और सत्याग्रहियों के जत्थे को तैयार करने का भार भी उठाया था। इस बीच कई बार आप पुलिस-द्वारा गिरफ्तार होकर रिहा किये गये।

पता—पुलगाँव, वर्धा

नागपुर जिला

नजरबन्द	१०९
दण्डित	५७१
गोलीकाण्ड	२ जगह
मृत्यु	२
घायल	२
सरकारी इमारतों पर हमले	१४
सामूहिक जुर्माना	५३,५००, रु०

बयालीस के आन्दोलन में नागपुर का अपना इतिहास है। जनता में जोश और जागृति का सागर लहरा रहा था। आन्दोलन में पहली कुर्बानी नागपुर ने

ही दी। १८ वर्षीय बालक शंकर यहीं का था जो आजादी के लिये बयालीस में सबसे पहले फांसी पर झूल गया। शंकर जिन्दाबाद! नागपुर जिन्दाबाद!!

पूरे ७२ घंटों तक नागपुर पर जनता का राज्य रहा। ९, १० और ११ अगस्त ये तीन तारीखें हैं, जिन पर नागपुर अभिमान करता है। आन्दोलन में तेजी आती गयी। जनरल पोस्टआफिस जल उठा। सरकारी राशन गोदाम और कपड़े के गोदाम लूटे गये। सभी सरकारी इमारतों पर धावे किये गये। खजाने की लूट हुई। बिजली के बल्ब तोड़े गये। टेलीफोन और टेलीग्राफ के तार कटे। शराब की भट्ठियाँ और फायर-ब्रिगेड जलाकर राख कर दिये गये। शहर के सभी स्थानों पर अधिकार कर लिया गया।

आन्दोलन का छठा दिन। बयालीस का १४ अगस्त। कौफर्यू आर्डर लगा। फौजी, शहर में शासन करने लगे। दोषी या निर्दोषी गोलियों के शिकार बने। अपने मकान की खिड़कियों से झाँकने वालों को भी बर्बर फौजियों ने गोली मार दी। लोगों के मकानों में घुस उन्हें जलाना, उनकी बहू-बेटियों को बेइज्जत करना आदि कार्य उनके लिये कुछ भी न थे। सम्भ्रान्त व्यक्तियों से गन्दी नालियाँ साफ करवायी गयीं। नवाबपुरा सर्किल में गोलियों से कुल ३२ आदमी मरे और तीन सौ से ज्यादा घायल हुए। लगभग एक हजार व्यक्ति नजरबन्द किये गये।

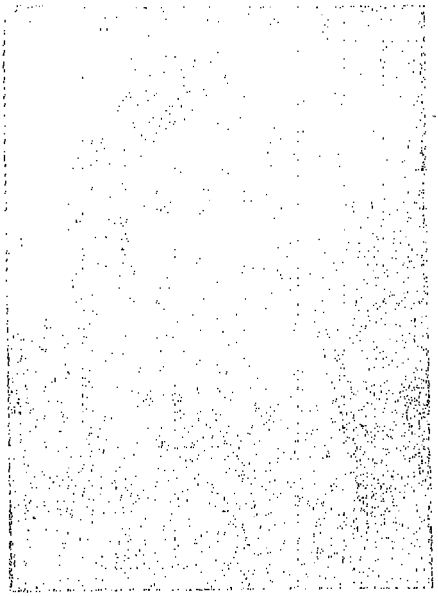
फिर झंडा-सत्याग्रह शुरू हुआ। टोलियाँ गर्वीली आवाज में —

इसकी शान न जाने पाये

चाहे जान भले ही जाये

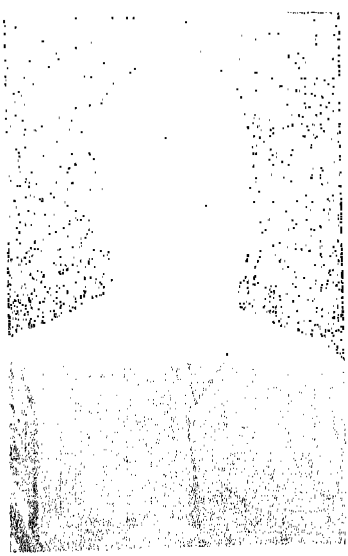
—गाती निकलती थीं। पुलिस उन पर लाठियों का जोर आजमाती थी। बाद में प्रमुख कार्यकर्त्ता गिरफ्तार कर लिये जाते थे। नागपुर में इतनी बार गोलियाँ चलीं कि उनका हिसाब नहीं।

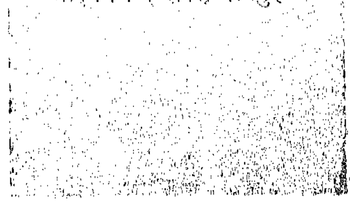
मध्यप्रान्त के दो सेवा व्रती :—



श्रीमती सावित्रीदेवी नियाणी

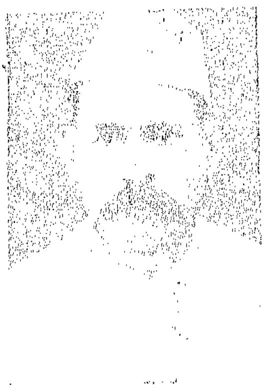
अकोला



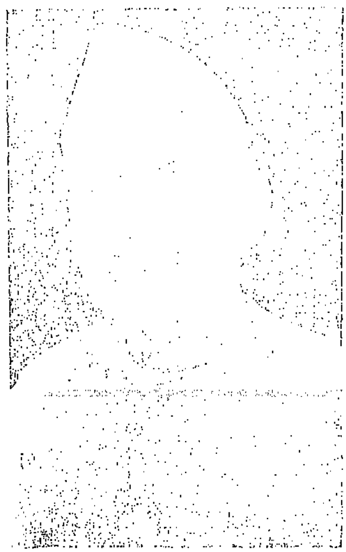


श्रीपूनमचन्द रांका, नागपुर

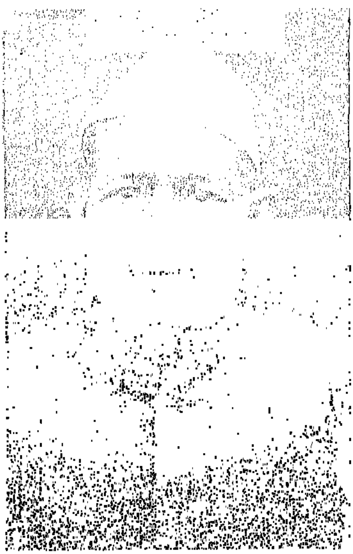
बांध कफ़न सर...



सिंघई कालूरामजी, जबलपुर



श्रीमूलचंद बागड़ी, रायपुर



सेठ ओमप्रकाश बालकीराम शर्मा

श्रीपूनमचन्द रांका

आप सन् १९२० से ही राष्ट्रीय आन्दोलनों में प्रमुख भाग लेते आ रहे हैं। आन्दोलनों के सिलसिले में कोई ६-७ बार आप जेल-यात्रा कर चुके हैं। महात्माजी के आप प्रिय-पात्रों में थे। नागपुर प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी के अध्यक्ष पद पर कार्य करते हुए आपने योग्यतापूर्वक अपने उत्तरदायित्व की रक्षा की है। अपनी वैयक्तिक सम्पत्ति का एक खासा भाग आपने देशहित के कार्यों में व्यय किया है।

पता—रांका महल, नागपुर

श्रीमती धनवती बाई रांका

आप प्रसिद्ध देशभक्त श्रीपूनमचन्दजी रांका की धर्मपत्नी हैं। कांग्रेस के रचनात्मक कार्यों में पूरा भाग लेती हैं। राष्ट्रीय आन्दोलनों में आप जेल-यात्रा कर चुकी हैं।

पता—रांका-महल, नागपुर

श्रीछगनलाल भारूका

मध्यप्रान्त की राजनीति में आपका प्रमुख स्थान है। प्रान्त में कांग्रेस के आप एक योग्य कार्यकर्त्ता हैं। जिस समय खरे-मन्त्रि-मण्डल भंग हुआ, पं० रविशंकर शुक्ल की मिनिस्ट्री में आपको भी मन्त्री-पद प्रदान किया गया। राष्ट्रीय आन्दोलन के सिलसिले में आप कई बार जेल-यात्रा भी कर चुके हैं।

श्रीमती चम्पादेवी भारूका

आप मध्यप्रान्तीय सरकार के भू०पू० मन्त्री और प्रसिद्ध राष्ट्र-कर्मी श्रीछगनलाल भारूका की पत्नी हैं। पहले पहल सन् १९३२ में आप जेल गयीं। उस समय से सभी राष्ट्रीय आन्दोलनों में आपने सोत्साह भाग लेकर जेल यात्रा की है।

श्रीमती विश्वम्भरनाथ शर्मा

नागपुर के प्रसिद्ध साहित्यिक और पत्रकार श्रीविश्वम्भरनाथ शर्मा की आप पत्नी हैं। राष्ट्रीय हलचलों में आपने बराबर भाग लिया है। इसी अपराध में कई बार आपको जेल भी जाना पड़ा है।

श्रीमगनलाल बागड़ी

नागपुर के उग्रवादी कार्यकर्ताओं में आपका विशेष स्थान है। बम-कांडों और षड़यंत्रों के सिलसिले में आपको बहुत बार जेल जाना पड़ा है जिनमें आपको भयङ्कर यातनायें दी गयीं। फारवर्ड ब्लाक का काम भी आपने साहसपूर्वक किया था। क्रांतिकारी आन्दोलनों में आपने सब समय अभिमान के साथ कार्य किया है।

श्रीरत्नीदास मूंदड़ा

पञ्जाब-हत्याकांड की प्रतिक्रिया ने आपको राष्ट्रीय आन्दोलनों में ला खड़ा किया। आपके पिताजी ने शुरू में आपको ऐसा करने से रोका। उनका कहना था—पहले पढ़ाई पूरी कर लो, फिर राष्ट्र-सेवा करना। परन्तु, तब तक आप रुके रहना नहीं चाहते थे। आपने नागपुर से 'प्रणवीर' (साप्ताहिक पत्र) का प्रकाशन शुरू किया। आन्दोलनों की प्रगति में इस पत्र ने उत्साहपूर्वक भाग लिया था।

आप मध्यप्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी के कार्यकारीमण्डल के सदस्य, मध्यप्रान्त यूथ लीग के उपाध्यक्ष, लोकमान्य तिलक स्मारक मन्दिर के ट्रस्टी और अखिल भारतीय [illegible] कमिटी के सदस्य रह चुके हैं।

श्रीपन्नालाल देवड़िया

[illegible] के प्रसिद्ध राष्ट्रीय कार्यकर्त्ता हैं। सन् १९२० से ही आप कांग्रेस [illegible] हैं। जनरल अवारी तथा स्व० अभ्यङ्कर के साथ आपको [illegible] मिली है। राष्ट्रीय आन्दोलनों में भाग लेने के कारण आपको

पाँच बार जेल जाना पड़ा है। आजकल आप नागपुर प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी के उपाध्यक्ष हैं।

श्रीमती विद्यावती देवड़िया

आप श्रीपन्नालाल देवड़िया की पत्नी हैं। सन १९३० से ही राष्ट्रीय आन्दोलनों में आप सक्रिय भाग लेती आ रही हैं। आपको कई बार जेल जाना पड़ा है। आप वार्ड कांग्रेस-कमिटी की अध्यक्षा और एक सुयोग्य कवियित्री हैं।

सेठ राजमल लखाणी

आप बीकानेर के रहने वाले हैं। कांग्रेस की ओर से आप केन्द्रीय असेम्बली के सदस्य चुने जा चुके हैं।

श्रीहरिश्चन्द्र मरोठी

आपके पिताजी का नाम श्रीसेठ लक्ष्मीचन्द मरोठी है। जन्म आपका दमोह (सी० पी०) के एक जमींदार परिवार में ७ दिसम्बर, सन १९१६ में हुआ। शिक्षा आपने बी० ए० तक पायी है। सन '४० में आपने एल-एल० बी० की परीक्षा भी पास की।

वकालत पास करने के कुछ ही महीने बाद सन '४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह-आन्दोलन में गिरफ्तार कर लिये गये। ६ महीने तक जेल में रखने के बाद सरकार ने आप पर मुकदमा चलाया जिसमें आपको ३ मास की सजा हुई। अमरावती जेल में अधिकारियों से आपका झगड़ा हो गया। इस कारण ८७ दिनों के लिये आप 'सेल' में रखे गये। अधिकारियों ने आपको 'बी' क्लास से 'सी क्लास' में कर दिया।

रिहाई के समय सरकार ने दमोह से बाहर न जाने की शर्त लगा दी। जब्बलपुर में आप चार महीने रहे और '४४ की जनवरी में दमोह लौटे। अप्रील, सन '४८ तक आप महाकोशल प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी के सदस्य रहे। अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी के नाशिक-अधिवेशन के फैसले के कारण आपने प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया।

२ जनवरी, '४८ को सेंट्रल हिन्दुस्तान औरेंज कोल्डस्टोरेज कं०, लिमिटेड, नागपुर के आप व्यापारिक प्रबन्धक बने। प्रान्त में प्रान्तीय सरकार द्वारा 'फूड प्रीजर्वेशन इंडस्ट्री' के लिये सहायता पाने वाली यह एकमात्र संस्था है।

पता—मोतीबाग, नागपुर

विदर्भ प्रांत

इस प्रान्त में अकोला, अमरावती, बुलडाना और यवतमाल जिले हैं।

अकोला जिला

नजरबन्द	१५०
दण्डित	३५०
सरकारी इमारतों पर हमले	१
गोली-कांड	१ जगह
घायल	५०
सामूहिक जुर्माना	२,७००रु०

मध्यप्रान्त के राजनीतिक इतिहास में अकोला का भी एक प्रमुख हाथ है। सन् '४० के व्यक्तिगत सत्याग्रहियों की रिहाई हो जाने पर भी यहाँ भारत-रक्षा-कानून के अन्तर्गत कार्यकर्त्ताओं पर मुकदमे चलते रहे। यही अकोला, जहाँ गौरवपूर्ण अगस्त-क्रान्ति के पहले ही कांग्रेस के चार प्रधान कार्यकर्त्ता गिरफ्तार कर लिये गये।

अकोला की इस जवांमर्दी और राष्ट्र-प्रियता के पीछे एक ऐसा व्यक्तित्व कार्य कर रहा है, जिसकी हस्ती कांग्रेस के अन्दर अपना खास स्थान रखती है। वे हैं माननीय श्रीबृजलालजी बियाणी। अकोला को इस स्तर तक राष्ट्र-प्रेम के रंग में रंगने का घोरतम परिश्रम आपने ही किया है। आज अकोला अपनी कुर्बानी, देशभक्ति और निर्भीकता पर जो गर्व करता है, उसका निर्माण करने में आपकी तपस्या और कर्मठता का ही सहयोग दीखता है।

बयालीस में देश के राजनीतिक गगन के प्रतिक्षण बदलनेवाले रंग को अकोला की जनता हसरत-भरी नजरों से देख रही थी। एक ओर वह दुश्मन की ताकत का अन्दाजा लगा रही थी और दूसरी ओर अपनी वीरता और जवांमर्दी को भी तौल रही थी। बयालीस के दिनों सरकार ने अकोला में नृशंस अत्याचार किये। पहाड़ी रास्तों में बच्चे और बूढ़े घसीटे गये। बौखलायी पुलिस ने उन्हें पागल बन कर पीटा। उनके हाथ-पाँव तोड़ दिये गये और उनके पाखाने के रास्ते पर तेज पाउडर रखा गया। अकोला के नेशनल कालेज पर सरकार ने कब्जा कर लिया।

माननीय श्रीबृजलाल बियाणी

"सुनूँ क्या सिन्धु मैं गर्जन तुम्हारा
स्वयं युगधर्म की हुँकार हूँ मैं।"

—'दिनकर'

माननीय बरार-केशरी बृजलालजी बियाणी का यह सच्चा परिचय है। आँखों में गम्भीर भाव, पलकों पर न झुकने की मनोवृत्ति, दृष्टि में गौरव और सम्मान का उत्कट दिग्दर्शन, अधरों पर अस्पष्ट स्वाभाविक मुस्कराहट जो दुःख-दर्द में तने रहने की प्रेरणा प्रदान करती है, मस्तक पर जागरूक चिन्तक की सजगता और पद-क्षेप में कर्त्तव्यनिष्ठ का ज्योति-संबल, श्रीबियाणीजी का ऐसा ही कुछ शब्द-चित्र खींचा जा सकता है।

विचारों में गांधीवाद की निर्भीकता, कार्य में लगनशील गौरव की सजगता, भावना में कलाकार की कोमल सरसता और अभिव्यक्ति में किसी मर्मान्तक कवि की अन्तस्तल को छूने वाली चेतनता, माननीय बरार-केशरी के आन्तरिक भावों का परिचय कुछ-२-ऐसा ही दिया जा सकता है।

मारवाड़ी समाज में ऐसे अनेक नर-रत्न आविर्भूत हुए, जिनके बलिदान और त्याग देश की तरुणाई के सामने एक उदाहरण की वस्तु हैं। देशभक्त स्व०

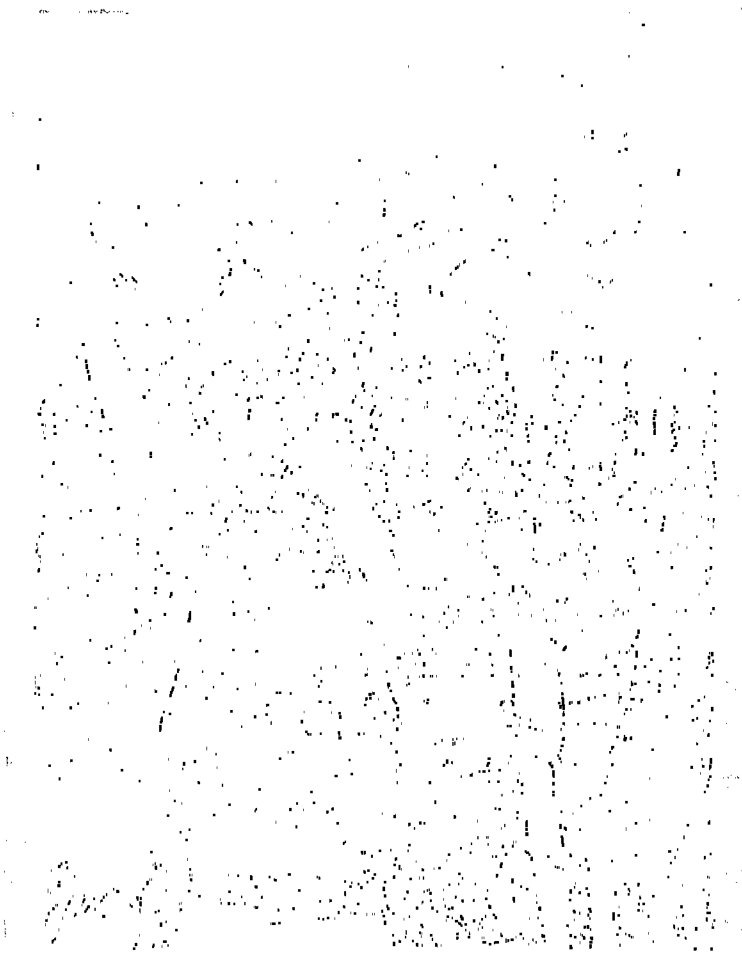
जमनालालजी बजाज का स्थान उनमें अग्रगण्य है। और आज, यह स्थान माननीय श्रीबियाणीजी को प्राप्त है।

सन् १९३६ के दिसम्बर में आपकी स्वर्ण-जयन्ती अकोला में मनायी गयी थी। उत्साह और समारोह के वे दिन अकोला की राजनीति और सार्वजनिक जीवन में अपूर्व थे। समय ने समझा; जनता के प्रेम, आदर, श्रद्धा और आकर्षण का कितना बड़ा अंश आपको मिला है। प्रान्त की तीस सार्वजनिक संस्थाओं ने अकोला में आकर आपको अभिनन्दन पत्र समर्पित किये। राजनीतिक, सामाजिक और सार्वजनिक संस्थाओं के प्रतिनिधि उस दिन अकोला में एकत्रित हुए थे। आपको १,००,००० रु० की थैली भेंट की गयी।

विदर्भ, मध्यप्रान्त और बरार का मराठी भाषा-प्रान्त है। श्रीबियाणीजी भाषण देना शुरू करते हैं—मराठी भाषा आपकी जुबान पर अपने कौतुक प्रकट करने लगती है। मजाल नहीं, उस समय ऐसा ज्ञात हो जाय, यह वक्ता मराठी नहीं, वरन् मारवाड़ी है। आपके इस गुण की बदौलत ही मराठी जनता ने अपने स्नेह और सम्मान आपके चरणों पर रख दिया है। ऐसी घटनाएँ संकेत करती हैं, आपमें असाधारण वैयक्तिक गुण हैं।

लोकमान्य तिलक का स्वर्गवास हुआ। महात्माजी के हाथों में देश की बागडोर थमा दी गयी। महाराष्ट्र ने इस परिवर्तन का घोर विरोध किया। भारत की राजनीति में वे दिन जहर से भरे थे। उस समय आपने बड़े-बड़ों का विरोध किया। विदर्भ में कांग्रेस को जो गौरव प्राप्त है, वह आप की ही तपस्या, लगन और कार्य-क्षमता का परिणाम है।

सन् १९३५ से ही आप बरार प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी के सभापति निर्वाचित होते आये हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस-कमिटी के आप सन् १९२९ से सदस्य हैं। कौंसिल आफ स्टेट में बरार-प्रान्त का प्रतिनिधित्व आपने सन् १९२६ से '४६ तक किया है। सन् १९२६ से '२८ तक आप मध्यप्रान्त और बरार की प्रान्तीय



बर्बर सिपाहियों द्वारा कोड़े मारने का एक दृश्य। सैकड़ों व्यक्तियों के साथ ऐसा अत्याचार किया गया। कोड़ों की संख्या कभी-कभी ४६ तक पहुंच जाती थी।

लेजिस्लेटिव कौंसिल के सदस्य रहे। सन् १९४६ में आप विधान-परिषद् के सदस्य निर्वाचित हुए। सन् १९३० से '३५ तक आपने पूर्ण क्षमता के साथ विदर्भ प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी के मन्त्रिपद का भार सम्हाला। सन् १९३० और '३२ के सत्याग्रह-आन्दोलन में बरार-प्रांत की सत्याग्रह समिति के आप डिक्टेटर थे। परन्तु, आपके राष्ट्रीय बलिदानों के पूर्ण विकास का समय उस समय आया, जब सन् '४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह में महात्माजी ने आचार्य विनोबा भावे के बाद आपको ही दूसरा सत्याग्रही नियुक्त किया।

समाज-सुधार के कार्यों में आपने आशातीत क्रांति लायी। अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के निर्माता एक तरह से आप ही हैं। 'कोलवार-आंदोलन' को गति एवं सफलता प्राप्त कराने में श्रीकृष्णदास जाजू के बाद आपसे ही सर्वाधिक सहायता मिली। समाज के सुधार-आंदोलनों में यह बड़ा ही भयंकर था। आपके ही प्रताप की बदौलत माहेश्वरी महासभा उस विकट परिस्थिति से निकल गयी। महासभा के मन्त्री और अध्यक्ष-पदों को आप सुशोभित कर चुके हैं।

साल १८९७ ई० का था। दिसम्बर महीने की ६ ठी तारीख। स्व० सेठ नन्द-लालजी बियाणी के घर अकोला जिले के बालापुर ताल्लुके में आपका जन्म हुआ। तीन वर्ष की अवस्था में ही आपकी माताजी का स्वर्गवास हो गया। आपका घराना प्रतिष्ठित और वैभवसम्पन्न था।

हाथरूण में आपको दर्जा तीन तक शिक्षा मिली। फिर पढ़ाई छूट गयी। गांव में प्लेग आने पर आप खानदेश को रवाना हुए। वहाँ के शिवपुर गांव में आपकी बुवा रहती थीं। उन्हीं के विशेष आग्रह पर आप शिवपुर में रहने लगे। वहाँ आप मराठी भी पढ़ा करते थे। जब आपके पिताजी शिवपुर आये उस समय लाख मना करने पर भी आप उनके साथ हाथरूण चले गये।

वहाँ आने पर आपकी शिक्षा का प्रबन्ध अकोला में किया गया। एक ही वर्ष में आपने अंगरेजी के दो वर्ष की पढ़ाई समाप्त की। आपकी शिक्षा मैट्रिक तक [illegible]ोला में ही हुई। इसके पहले आपका विवाह हो गया था।

सन् १९१५ में आप नागपुर के मारिस कालेज में ऊँची शिक्षा प्राप्त करने के लिये भर्ती हुए। बी० ए० आपने यहीं से किया।

निर्भीकता आप में लड़कपन से ही थी। नागपुर में आप मारवाड़ी बोर्डिंग हाउस में रहते थे। वर्धा के मारवाड़ी बोर्डिंग हाउस की यह एक शाखा थी, जिसके संचा-लन का सारा प्रबन्ध वर्धा से होता था। हर शनिवार को भजन करने की आज्ञा वर्धा से आयी जिसे आपने अस्वीकार कर दी। आपको जब निकाल देने की धमकी दी गयी, उस समय सभी लड़के बोर्डिंग छोड़ने के लिये तैयार हो गये। लाचार हो, आज्ञा वापस ले ली गयी।

सन् १९२० में आप कानून का अध्ययन कर रहे थे। पहला वर्ष बीत गया था। तभी देश में असहयोग-आन्दोलन की आँधी आयी। कलकत्ते में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन वाले सत्याग्रह-प्रस्ताव पर सन् '२० में नागपुर के कांग्रेस-अधिवेशन ने आखिरी मुहर लगा दी। नागपुर में महात्माजी के ठहरने का प्रबन्ध मारवाड़ी बोर्डिंग हाउस में ही किया गया था। महात्माजी के प्रबन्ध का सारा भार आप पर ही था। उनके सम्पर्क का इतना प्रभाव आप पर पड़ा कि वकालत की पढ़ाई आपने छोड़ दी।

सन् '३० के आन्दोलन में आपको डेढ़ साल की सजा मिली। अकोला, नाग-पुर और दमोह की जेलों में आप रखे गये थे। सन् '३२ में आप फिर गिरफ्तार किये गये। इस बार नागपुर, सिवनी और दमोह की जेलों में आप डेढ़ साल कैद रहे। सन '४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह-आन्दोलन में एक वर्ष आप नागपुर जेल में रहे।

सन् '४२ की तूफानी क्रान्ति में आप तीन साल जेल के सीखचों के भीतर बन्द रहे। यह जेल-अवधि आपने नागपुर, बुलडाना और बेलौर (मद्रास) जेल में व्यतीत की।

शिक्षा की ओर आपकी अभिरुचि विशेष रूप से अभिमुख रही है। सन् '२२ में इसीलिये आपने अकोला में 'राजस्थान प्रेस' खोला। सन् '२९ में राजस्थान प्रिंटिंग एण्ड लिथो वर्क्स के नाम से यह एक लिमिटेड संस्था हो गयी। इस समय मध्यप्रान्त का यह सबसे बड़ा प्रेस है।

अ० भा० हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन वाले नागपुर-अधिवेशन के आप स्वागताध्यक्ष थे। साहित्य-सम्मेलन की स्थायी समिति के आप सन् '४० से ही सदस्य हैं। मध्य-प्रान्तीय साहित्य-सम्मेलन की कार्यसमिति के भी आप सदस्य हैं। महाविदर्भ राष्ट्र-भाषा-प्रचार-समिति के सदस्य आप सन् '३७ से हैं। मारवाड़ी शिक्षा-मण्डल वर्धा के आप सन '४२ से उपसभापति हैं। नागपुर-विश्वविद्यालय की एक्जीक्यूटिव कमिटी के आप सन् '३७ से '४० तक सदस्य रहे। विदर्भ शिक्षण प्रसारक मण्डल की संचालन समिति के आप तीन वर्षों तक सदस्य रहे। हिन्दी-गुजराती-शिक्षा-मण्डल, अकोला और राजस्थानी आर्यन एजूकेशन सोसायटी, बासीम की कार्यकारिणी समिति के आप सन् '३७ और सन '४५ से क्रमशः सदस्य हैं।

राजनीति की व्यस्तता के बीच उलझे रहने पर भी आपके भीतर का कलाकार सदैव चेतन रहा है। आपका साहित्यिक क्षेत्र भी सम्मानित और गौरवास्पद है। यदि राजनीति में आप सक्रिय भाग न लिये होते तो निश्चयतः हिन्दी साहित्य में आज आप शीर्ष स्थान के अधिकारी होते। अपने विद्यार्थी जीवन में आपने एक उपन्यास लिखा था, जिसे प्रकाशित करने के काफी प्रयत्न स्व० जमनालालजी ने किये। परन्तु, आपने उसे आग के हवाले कर दिया। सन् '४२ के अपने प्रवास-काल में लिखे गये निबन्धों का एक संग्रह 'कल्पना-कानन' के नाम से आपने प्रकाशित कराया है। 'गद्य-गीत' के क्षेत्र में यह एक बेजोड़ प्रकाशन है।

मासिक और साप्ताहिक 'राजस्थान' का आपने सफल सम्पादन किया है। मराठी का एक अर्द्ध साप्ताहिक पत्र 'मातृभूमि' आज भी आपके संरक्षकत्व में प्रकाशित हो रहा है। 'नव राजस्थान' का प्रकाशन भी आपने कुछ दिनों तक किया। आजकल

गांधीवाद-विचार-धारा का प्रतीक 'प्रवाह' आपके ही संरक्षण में अकोला से प्रकाशित हो रहा है।

महात्माजी के रचनात्मक कार्यों में आपकी अटूट श्रद्धा है। साम्प्रदायिक ऐक्य के आप प्रबल समर्थक हैं। आपके ही प्रयत्न से अकोला के कितने होटलों में हरिजनों का प्रवेश हो सका है।

पता—राजस्थान-भवन, अकोला

श्रीमती राधादेवी गोयनका

धरती पर त्याग उतरा। बलिदानी भावना ने जन्म लिया। आसमान में शहीदों की जलती चिताओं से निकले धुँए फैल गये, फैलते गये, फैलते गये। आँखें कुछ भी देख न सकीं। भारत की जमीन, हिन्दुस्तान का आसमान। जमीन, जिस पर देश-प्रेम में दीवानों की लाशें तड़पी थीं, फांसी की तख्ती खड़ी की गयी थी और जुल्म-बर्बादी का इतिहास गढ़ा गया था। और आसमान? आसमान, जिसके नीचे भारत के वीर शहीदों की हुँकारें प्रतिध्वनित हो रही थीं, जिसके आगे-पीछे उनके खून में सनी हवा गमगीनी की हालत में बही जा रही थी।

ऐसा देश? जलती धरती! धधकता आसमान!!

दिल के अन्दर निर्भीकता और आँखों में उल्लास—कितनों के परिचय में इतनी ही बातें काफी हैं। दुनिया के बड़े-चढ़े आराम पर लात मार जेल की सुनसान 'सेलों' को आबाद करने वालों के जीवन आज शान के साथ सर ऊँचा किये हैं। युग की परवशता और पराधीनता के नीचे कराहने वाली जनता आज सीना तान कर खड़ी है।

यह सब है। क्यों? किस तरह? जवाब देंगे, भारत के आष्टी-चिमूर, खून में लथपथ जालियानवाला बाग, हैलेटशाही के खूनी कारनामें और गोरे सिपाहियों के वे शर्म-भरे कृत्य, जिनके कारण किसी दिन भारत की जमीन आहें भर रही थी।

दिन बीत गये। कितने साल भी गुजरे। ५ वर्ष कम आज ८ युग भी बीतने पर हैं। पौष शुक्ल पक्ष की उस दिन षष्ठी थी। संवत् १९६१। पिलानी के चिड़ावा में स्व० उमराव सिंहजी डालमिया को एक बच्ची पैदा हुई। उस दिन किसे पता था, आज जिस कन्या-रत्न का जन्म हुआ है, उसका भावी जीवन देश की सेवा में व्यतीत होगा?

स्व० उमराव सिंहजी ने उक्त लड़की को स्कूल में बैठा दिया। मराठी उसकी दूसरी भाषा बनी। अंगरेजी के दर्जा चार तक वह पहुँच गयी। तभी स्कूल से उसका सदा के लिये सम्बन्ध टूट गया। हाँ, अपने स्वाध्याय के बल पर उसने 'साहित्य-रत्न' की परीक्षा पास की। उसी लड़की को आज हम श्रीमती राधादेवी गोयनका के नाम से पहचानते हैं।

मध्यप्रान्त की राजनीति में आज आपको एक स्थान मिला है। मध्यप्रान्त की लेजिस्लेटिव असेम्बली की आप सदस्या हैं। बजट-कमिटी, हेल्थ-कमिटी, सेकण्डरी एजूकेशन और प्रान्त की कई सरकारी उपसमितियों में आपको स्थान दिया गया है। अकोला जिला कांग्रेस-कमिटी की आप सदस्या हैं। महिला-अस्पताल बोर्ड की व्यवस्था आपके ही जिम्मे है।

सार्वजनिक सेवार्थ योग्य कार्यकर्त्ता तैयार करने के लिये आपने अकोला में मारवाड़ी सेवा-सदन की स्थापना की है। सेवासदन के अन्तर्गत 'विद्यामन्दिर' संस्था है, जिसमें हाई स्कूल तक की सहशिक्षा दी जाती है। मातृ-मन्दिर में स्त्रियों की शिक्षा का प्रबन्ध है।

सन् '४२ के आन्दोलन में तीन महीनों के लिये आपको अकोला जेल में कैद किया गया था। जेल से रिहा होने पर आपने गुप्त आन्दोलन के संचालन का भार उठाया। इस कार्य में आप प्रति मास १,००० रु० व्यय करती थीं। लगभग १२ महीने तक आपने आन्दोलन को ऐसी सहायता दी। इसके अलावे, समय-समय पर आपने राष्ट्रीय आन्दोलनों, समाज और साहित्य को आर्थिक सहायता प्रदान की है।

मारवाड़ी सेवा-सदन अकोला १,००,००० रु०, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन से स्वीकृत मध्यप्रान्त की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक पर प्रति वर्ष ५०० रु०, अखिल भारतवर्षीय महिला-परिषद् के सन् '४७ वाले अकोला-अधिवेशन ५०० रु०, इसी अधिवेशन की स्वागत-समिति २,००० रु०, प्रांतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन अकोला ८०० रु०, पंजाब-शरणार्थी २,१०० रु०, कस्तूर बा स्मारक फण्ड २,५०० रु०, नोआखाली फण्ड ५०० रु०, हिन्दी-भवन निर्माण के लिये साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग ५०० रु० और राष्ट्रभाषा प्रचार-समिति-वर्धा को १,००० रु० आपने प्रदान किये हैं। असेम्बली की ओर से मिलने वाले १५० रु० के मासिक भत्ते में ७५ कांग्रेस-कमिटी और ७५ रु० महिला-संस्थाओं को आपने पौने दो साल तक दिये।

पता—अकोला, बरार

श्रीमाणिकलाल सोमाणी

अकोला जिले के माना में ५ मई, सन् १९१४ को आपका जन्म हुआ। आपके पिताजी का नाम स्व० भूरालालजी सोमाणी था। मराठी के साथ आपने बी० ए० पास किया। फिर वकालत की परीक्षा भी पास हुए। देश-सेवा का व्रत आपके लड़कपन में ही दीखता है। सन् १९२९ में आप अमरावती कालेज के विद्यार्थी थे। उस समय प्रिंसिपल थे मि० टासदिवन। विद्यार्थी-सम्मेलन की ओर से आपने सुभाष बाबू को आमंत्रित किया। इसी अपराध में प्रिंसिपल ने आपको कालेज से निकाल दिया।

सोलह वर्ष की अवस्था में ही पुलिस ने आपको 'भयानक' व्यक्ति करार दिया। उसी समय से आप पर सरकार विशेष नजर रखने लगी। सन् '३० के आन्दोलन में गिरफ्तार करके आपको एक दिन माना थाने में रखा गया।

सन् १९३२ में अमरावती जिला कांग्रेस-कमिटी के चौथे डिक्टेटर की हैसियत से पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया। अमरावती जेल में ६ महीने तक आप तीसरे दर्जे में रखे गये थे। उस समय आप पर ५०० रु० जुर्माना भी हुआ था। '४० के

व्यक्तिगत सत्याग्रह में अकोला कचहरी में आप दिन भर हिरासत में रखे गये सन् '४२ के अगस्त-आन्दोलन में अकोला और नागपुर सेंट्रल जेल में आप २ वर्ष ९ महीने रहे।

अकोला जिला कांग्रेस-कमिटी के आप ६ साल तक मन्त्री और एक साल अध्यक्ष रह चुके हैं। अकोला शहर कांग्रेस-कमिटी के आप ६ वर्ष अध्यक्ष रहे हैं। मध्य-प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी के आप डेढ़ साल सदस्य रह चुके हैं। त्रिपुरी-अधिवेशन में एक प्रतिनिधि के रूप में आप सम्मिलित हुए।

राष्ट्रीय कार्यों में आपने आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया। बियाणी जयन्ती फंड में १,००० और स्फुट रूप से और १,००० रु० की सहायता आपने दी।

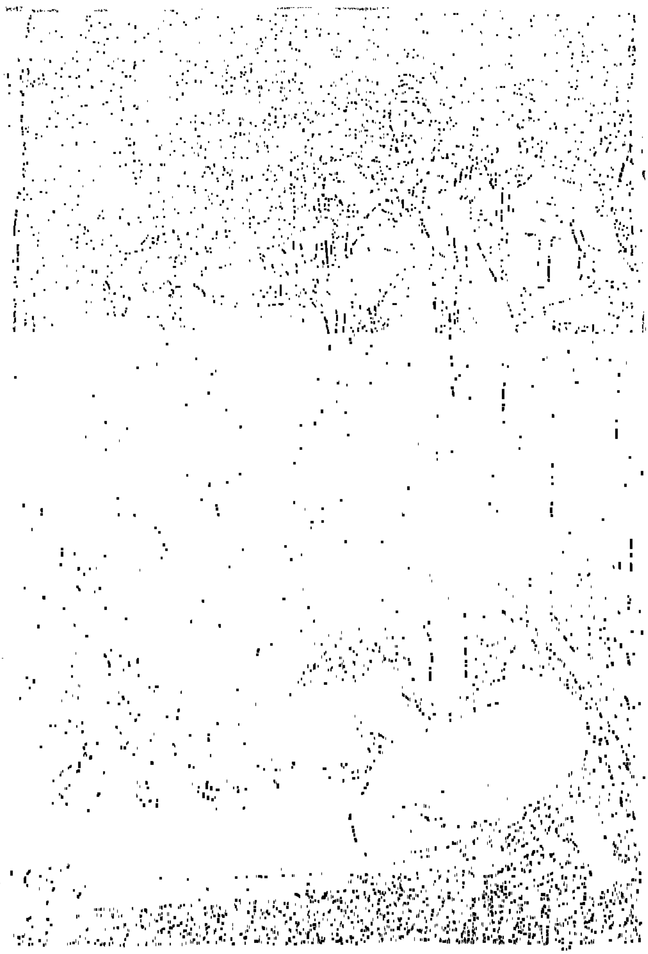
पता—अकोला, बरार

श्रीमती सावित्रीदेवी बियाणी

आपका जन्म सन् १८९८ में जोधपुर स्टेट के कुचामण गाँव में हुआ। साधारण शिक्षा प्राप्त करने के बाद कम उम्र में ही आपका विवाह माननीय श्रीब्रिजलाल बियाणी के साथ हुआ। माननीय बियाणीजी के सम्पर्क से सभी पुरानी रूढ़ियों और कुरीतियों का शीघ्रता के साथ आपने परित्याग कर दिया। इन सामाजिक क्रान्तिकारी विचारों के कारण ही आप अजमेर में हुए माहेश्वरी महिला सम्मेलन की सभानेतृ चुनी गयीं। सामाजिक कार्यों के अलावे, राजनीतिक हलचलों की ओर भी आपका ध्यान गया।

सन् १९३० के सत्याग्रह-आन्दोलन में पिकेटिंग करना साधारण बात न थी। स्त्रियों से पिकेटिंग करवाने के लिये आपने कांग्रेस से खास आज्ञा ली। और, पति की आशाओं को साकार रूप देने के लिये आपने शराब की दूकानों पर पिकेटिंग की।

माननीय बियाणी जी के सार्वजनिक जीवन का सारा उत्तरदायित्व आप पर ही है। घर की चहारदीवारी के भीतर माननीय बरार-केशरी की जीवन वृत्तियों को गतिशील बनाने की स्फूर्ति आप बराबर प्रदान करती हैं।



बयालीस में पुलिस और सेना मासूम बच्चों पर अत्याचार करने से बाज न आयी। लड़कों को जिन्दा आग में जलाया गया।

सन बयालीस की तूफानी क्रान्ति में आप भी गिरफ्तार हुईं। आप पर २५०रु० का जुर्माना हुआ और १५ दिन की सजा। इस प्रकार आजादी की लड़ाई में अपनी शक्ति भर आपने भाग लिया और त्याग के अवसरों पर उसका सच्चा और निर्भीक रूप सामने रखा। पता—अकोला, बरार

श्रीबाबूलाल बियाणी

आपका जन्म मारवाड़ में सन् १९२७ में हुआ। प्राथमिक शिक्षा आपकी मालवा में हुई और बाद में अकोला, नागपुर, पूना आदि स्थानों में आपने शिक्षा पायी। आप एक मेधावी छात्र हैं। मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास कर आपने अपनी कुशाग्र बुद्धि का परिचय दिया।

सन् बयालीस के खूनी दिन इस देश के इतिहास में अपना गौरवशाली स्थान रखते हैं। मौजूदा और पुरानी संस्कृति की आकांक्षा तब विस्फोटक स्वरूप धारण कर चुकी थी। देशकी तरुणाई ने अंगरेजी सरकार की ताकत को एक चुनौती दी थी। आप सायंस कालेज के विद्यार्थी थे। जीवन की महत्त्वाकांक्षा आपको अधिक देर तक रोक न सकीं। आपने आन्दोलन में भाग लिया। गुलामी से देश को छुटकारा दिलाने का यह प्रयास सरकार बर्दाश्त न कर सकी और आप गिरफ्तार कर लिये गये। तीन महीने सख्त कैद की सजा दी गयी। जेल से रिहा होने के बाद सरकारी कालेज में आपको पढ़ने नहीं दिया गया। फलतः आपने फार्ग्युसन कालेज पूना से बी० एस-सी० की परीक्षा पास की। आजकल आप नागपुर में कानून के अन्तिम वर्ष की तैयारी कर रहे हैं। आप एक सहृदय युवक और मिलनसार हैं।
पता—अकोला, बरार

श्रीसुगनचन्द तापड़िया

आपके पिताजी का नाम स्व० सुखदेवजी तापड़िया था। जन्म आपका बीकानेर रियासत के लाननदेसर में फाल्गुन शुक्ला अष्टमी संवत् १९५५ को हुआ। शिक्षा आपको इंटरमीजियट तक मिली है।

अकोला म्युनिसिपलिटी के आप सीनियर वायस-प्रेसिडेंट रह चुके हैं। राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति और तिलक राष्ट्रीय स्कूल, अकोला के आप क्रमशः अध्यक्ष और कार्य-कारिणी के सदस्य हैं। बरार चेम्बर आफ कामर्स के मन्त्रिपद पर आप काम कर रहे हैं। विदर्भ प्रांतीय और अकोला शहर कांग्रेस-कमिटी के आप सदस्य हैं।

सन् '४२ के आंदोलन में पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया। अकोला और नागपुर की जेलों में आप १४ महीने नजरबन्द रखे गये।

राष्ट्रीय और सार्वजनिक कार्यों में आप मुक्त-हस्त से दान दिया करते हैं। सार्वजनिक कार्यों में आजतक आपने कोई ५०,००० रु० खर्च किये हैं। अलावे, समय-समय पर आपने कस्तूरबा फण्ड १,००० रु०, बंगाल का अकाल २५० रु०, बियाणी जयन्ती फण्ड ३,५०० रु० और प्रांतीय हिन्दी-साहित्य सम्मेलन १०१ रु० प्रदान कर राष्ट्रीय और सार्वजनिक कार्यों की सहायता की है। भारत पिक्चर्स, लिमिटेड, अकोला के आप मैनेजिंग डायरेक्टर और 'मिल जिन स्टोर्स' अकोला के मालिक हैं। पता—सुगनचन्द एण्ड कम्पनी, अकोला, बरार

श्रीगोपीलाल शर्मा

आपके पिताजी का नाम स्व० जगन्नाथजी शर्मा था। जन्म आपका सन् १९१८ की ८ अगस्त को बूंदी स्टेट में हुआ। आपकी शिक्षा बी० ए० तक हुई है।

कांग्रेस के रचनात्मक कार्यों की ओर आपका सर्वप्रथम झुकाव हुआ। सन् १९४१-४२ तक आप गो-सेवा-संघ वर्धा के एक कर्मठ कार्यकर्ता रहे। आजकल आप अकोला शहर कांग्रेस-कमिटी, बूंदी-राज्य प्रजामण्डल और डूंगरपुर प्रजामण्डल, अकोलाके सदस्य हैं। अकोला की हरिजन-पाठशाला का सञ्चालन भी आप कर रहे हैं।

सन् १९३८ में राजद्रोह के अपराध में आप पर सरकार ने १,००० रु० जुर्माना किया। सन् '४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह में आप हिन्दू-विश्वविद्यालय, बनारस में पढ़ते थे। उस समय एक महीना आपको बनारस जेल में नजरबन्द रखा गया था।

सन् '४२ के आंदोलन में आप गिरफ्तार करके ६ महीने जेल में रखे गये। रिहा होने पर आप फिर पकड़े गये और जब्बलपुर सेंट्रल जेल में तीन वर्ष कैद रहे।

पता—सरावगी प्लाट, अकोला, बरार

श्रीमोहनलाल छाछड़िया

आपका जन्म द्वितीय भाद्रपद की अमावस्या, संवत् १९७४ को जयपुर रियासत के छावछड़ी गाँव में हुआ। आपके पिताजी का नाम स्व० पीरमलजी छाछड़िया था।

जयपुर सत्याग्रह में एक महीना सात दिन आप मोहनपुरा कैम्प जेल में कैद रहे। सन् '४२ के आंदोलन में आपको गिरफ्तार किया गया। उस समय अकोला जेल में आप सोलह महीने रहे।

सामाजिक सुधारों के आप विशेष पक्षपाती हैं। अपना विवाह भी आपने एक मराठी लड़की से किया है।

आजकल अकोला में सोशलिस्ट पार्टी का सारा प्रबन्ध आप ही करते हैं।

पता—नया होटल, तिलक रोड, अकोला, बरार

अमरावती जिला

नजरबन्द	७००
दण्डित	६५०
सरकारी इमारतों पर हमले	७
गोली-काण्ड	३ जगह
मृत्यु	१४
घायल	४०

यहाँ पोस्ट-आफिस लूटे गये, रजिस्ट्री आफिस जला डाले गये। शराब की दूकानें बर्बाद की गयीं। थाने फूंके गये और तार के खम्भे उखाड़े गये। मौरसी में तहसीलदार को जुलूस के साथ घुमाया गया और तहसील पर तिरंगा लहरा उठा। बनौरा थाने के हमले में पुलिस की गोली से ५ मरे और २५ घायल हुए। इस घटना के कारण तीन गाँवों पर सामूहिक जुर्माना हुआ। अमरावती शहर की बिजली के बल्व तोड़े गये। पवाली में तार काटे गये। सरकार ने वहाँ के लोगों पर सामूहिक जुर्माना किया। परन्तु वसूली के समय पुलिस और जनता में मुठभेड़ हो गयी। पुलिस ने गोली चलायी। फलस्वरूप ७ व्यक्ति मरे। कुछ घायल भी हुए। फिर अदालत में कुछ मनुष्यों पर पुलिस ने मुकदमे चलाये। परन्तु, जज ने पुलिस-कार्य की निन्दा कर उन्हें छोड़ दिया।

श्रीरघुनाथमल कोचर

आप मध्यप्रान्त के प्रमुख नेताओं में हैं। सन् १९३१ में आप अमरावती के प्रसिद्ध दलाल श्रीसरवसुख कोचर के यहां दत्तक पुत्र के रूप में आये। सन् '३० से ही आपने सार्वजनिक कार्यों में भाग लेना शुरू किया। अमरावती सराफा एसोसियेशन, जैन-समाज और मध्यप्रान्त बरार ओसवाल सभा के मन्त्री और म्युनिसिपल कमिटी तथा काटन मार्केट कमिटी के सदस्य रह चुके हैं। आपके ही सत्प्रयत्नों के कारण मध्यप्रान्त बरार ओसवाल सभा का अधिवेशन त्यागमूर्ति श्रीरांकाजी के सभापतित्व में अमरावती में हो सका।

सन् '३२ से '३५ तक अमरावती नगर कांग्रेस-कमिटी के मंत्री, सन् '३५ से '३७ तक उपाध्यक्ष, सन् '३८ में हरिपुरा-कांग्रेस-अधिवेशन के प्रतिनिधि, विदर्भ प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी के सदस्य तथा सन् '४१ से ४५ तक नगर कांग्रेस-कमिटी, अमरावती के आप सदस्य रह चुके हैं। सन् '४१ के आन्दोलन में आपको दो बार ६-६ महीने की सजा हुई। सन् '४२ के आन्दोलन में आप गिरफ्तार हुए

और एक साल जेल में रहे। मध्यप्रान्त और बरार धारा सभा के आप कांग्रेसी सदस्य भी हैं। पता—अमरावती, बरार

श्रीदेवीदास महाजन

आपका जन्म वर्धा जिले में हुआ। सन् '२१ के आन्दोलन में आपने स्कूल छोड़ दिया। सन् '३३ से '३७ तक आप विदर्भ प्रान्तीय दिगम्बर-जैन-परिषद् के संयुक्त मन्त्री और अमरावती सराफा एसोसियेशन के अध्यक्ष रहे। अमरावती नगर कांग्रेस-कमिटी के उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष भी आप कई वर्षों तक रह चुके हैं। बहुत वर्षों तक आप प्रान्तीय और नगर कांग्रेस-कमिटी के सदस्य भी रहे हैं। सन् '४१ के आन्दोलन में आपको ६ महीने की सजा हुई। सन् '४२ के आन्दोलन में आपको गिरफ्तार कर १३ महीने तक नजरबन्द रखा गया।

सिंघई सुदर्शन वकील

आपकी शिक्षा बी० ए० तक हुई है। आपने वकालात भी पास की है। सन् '४२ के आन्दोलन में आपको गिरफ्तार कर पहले नजरबन्द रखा गया। फिर एक साल की सजा हुई।

श्रीबालकृष्ण भण्डारी

आप बी० ए०, एल० बी० हैं। अमरावती के आप उत्साही कार्यकर्त्ताओं में हैं। सन् '४१ के आन्दोलन में आपको चार महीने की सजा और २०० रु० जुर्माना हुआ था।

श्रीकन्हैयालाल अग्रवाल

आपका जन्म पहली जनवरी, सन् १९०३ में हुआ। पिताजी का नाम श्री पन्नालाल अग्रवाल है। शिक्षा आपकी मैट्रिक तक हुई। कांग्रेस में आप सन् १९२० से हैं। अमरावती नगर और अमरावती ताल्लुका कांग्रेस-कमिटी के आप सभापति भी रहे हैं।

सन् '४१ के आन्दोलन में आप गिरफ्तार किये गये। उस समय आपको ४ दिन की सजा और २०० रु० जुर्माना हुआ। रिहा होने पर आपने गाँवों में कांग्रेस का प्रचार किया।

महाकोशल

मध्यप्रान्त के ग्यारह हिन्दी-भाषा-भाषी जिलों से कांग्रेस ने महाकोशल प्रान्त का निर्माण किया है। वे जिले हैं जब्बलपुर, बैतूल, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, मंडला, छिन्दवाड़ा, बालाघाट, दुर्ग, सागर, रायपुर और बिलासपुर।

जब्बलपुर जिला

नजरबन्द	१५०
दण्डित	४००
सरकारी इमारतों पर हमले	४
गोली-काण्ड	२ जगह
मृत्यु	१

९ अगस्त को जब्बलपुर में नेताओं की गिरफ्तारी हुई। १० अगस्त से शहर के हाई स्कूल के छात्रों ने हड़ताल कर दी। विद्यार्थियों के १४ अगस्त वाले जुलूस पर पुलिस ने गोली चलायी। श्रीगुलाबसिंह को यहां पहली शहादत मिली। पुलिस ने कुल मिला कर यहां बारह बार गोलियाँ चलायीं। कुछ मरे और सैकड़ों घायल हुए। इसी गोलीकाण्ड में श्रीडूंडीबाई नामक एक औरत शहीद हुई।

भीड़ को तितर-बितर करने के लिये पुलिस ने कई बार अश्रु-गैस का प्रयोग किया। मकानों में रात को भी पुलिस फाँद कर घुस जाती थी। खादी-भण्डार के मैनेजर श्रीसीताराम के मकान पर पुलिस ने ३५ बार हमला किया था।

महाकोशल प्रान्तीय और जिला कांग्रेस-कमिटियों के दफ्तर जब्त कर लिये गये, उनके सामान लूटे गये। १७ सितम्बर, ४२ को जब्बलपुर जेल में एक ब्लाक के कैदियों पर पुलिस ने दो बार लाठीचार्ज किया। कई बुरी तरह घायल हुए।

तार के खम्भे काटे गये। रेल की पटड़ियाँ उखाड़ दी गयीं। सरकारी इमारतों में आग लगायी गयी। बिजली के बल्ब तोड़े गये। एक पोस्ट-आफिस और मदन महल स्टेशन जला दिये गये। इस जिले में २०० औरतों और बच्चों को अलग से कैद किया गया। ५०० को बहुत दिनों तक जेलों में रखा गया।

सेठ गोविन्ददासजी मालपाणी

आपके पिताजी का नाम दीवान बहादुर स्व० सेठ जीवनदासजी था। करीब १५० वर्ष पूर्व आपके पूर्वज जैसलमेर से जब्बलपुर आये। प्रसिद्ध राजा गोकुलदास जी आपके ही पूर्वज थे। जन्म आपका संवत् १९५३ की विजयादशमी को हुआ। शिक्षा आपने बी० ए० तक पायी।

सन् २० के असहयोगी दिनों में आप कांग्रेस में शामिल हुए। तबसे आज तक वह उत्तरोत्तर सन्निकटता लाता जा रहा है। उसी समय आपका सम्बन्ध माहेश्वरी महासभा से हुआ।

सन् '२० से ही आप महाकोशल प्रान्तीय और अखिल भारतीय कांग्रेस-कमिटी के सदस्य हैं। सन् २८ से ३४ तक आप महाकोशल प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी के सभापति रहे। सन् '४६ से फिर आप उसके सभापति हैं। सन् '२३ से '२५ तक केन्द्रीय धारा-सभा और सन् '२६ से '२९ तक कौंसिल आफ स्टेट के सदस्य रहे। सन् '३४ से आप फिर केन्द्रीय असेम्बली के सदस्य हैं। सन् '३९ में होने वाले त्रिपुरी-कांग्रेस-अधिवेशन की स्वागत-समिति के आप सभापति थे। अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा और कई प्रान्तीय माहेश्वरी महासभाओं के आप सभापति रह चुके हैं।

राजनीति की तरह आपकी साहित्यिक सेवाएँ भी अत्यधिक हैं। हिन्दी के आप एक सफल नाटककार माने जाते हैं। मध्य प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य सम्मेलन के आप दो बार सभापति रह चुके हैं। हिन्दी में नाटक आदि विषयों पर आपने अबतक कोई ८५ पुस्तकें लिखी हैं। आपकी उच्च साहित्य सेवाओं के उपलक्ष में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ने इस साल आपको ही अपना सभापति चुना है।

पता—राजा गोकुलदास महल, जब्बलपुर, सी० पी०

बा० टीकाराम 'विनोदी'

सन् '२० के नागपुर-कांग्रेस अधिवेशन के समय अपने साथियों के साथ आपने स्कूल छोड़ दिया। उसी समय से राष्ट्रीय आन्दोलनों में आप प्रमुख भाग लेने लगे। सन् २३ के झंडा-सत्याग्रह में कम उम्र होने के कारण आपको भाग न लेने दिया गया। सन् '२९ में गाँव से आप जब्बलपुर आ गये। सन् '२९ की लाहौर-कांग्रेस के बाद साथियों की सहायता से आपने जब्बलपुर में 'नवजवान भारत-सभा' की स्थापना की। इस सभाकी ओर से सबसे पहले आपने ही छावनी की सीमा में घुसकर सरकारी कानून का उल्लंघन किया। वैसा करते समय अपने अन्य साथियों के साथ आपको पुलिस के लाठी चार्ज, सड़कों पर घसीटे जाने आदि यातनाओं का सामना करना पड़ा। उन दिनों आपने कांग्रेस के रचनात्मक कार्य, पिकेटिंग आदि में भाग लिया। सन् '३० के जंगल सत्याग्रह के पहले जत्थे में आप गिरफ्तार हुए और ६ महीने की सजा पायी। जेल से रिहा होने पर आपने जब्बलपुर में 'नेशनल स्काउट एसोसियेशन' कायम किया। 'नवजवान भारत-सभा, सरकार द्वारा पहले ही गैरकानूनी घोषित कर दी गयी थी। यह एसोसियेशन भी सरकारी कोप-भाजन का शिकार बना और लगान-बन्दी आन्दोलन के सिलसिले में कई साथियों के साथ आप गिरफ्तार हुए।

सन् '३४ में बाबू जयप्रकाश नारायण ने महाकोशल में 'सोशलिस्ट पार्टी' की स्थापना की। आप उसके डेलीगेट चुने गये। तभी से आपका झुकाव समाजवाद की

और हुआ। मजदूर-आन्दोलनों में आपका विशेष हाथ रहने लगा। एक वर्ष तक आप मजदूर यूनियन के मन्त्री रहे। त्रिपुरी-कांग्रेस-अधिवेशन के समय जिस किसान और मजदूर-रैली का नेतृत्व स्वामी सहजानन्द सरस्वती और प्रो० रंगाने किया था, उसके निर्माण में आपका भी हाथ था। सन् '४२ के आन्दोलन में आप पर वारंट निकला। पुलिस द्वारा घिर जाने पर भी आप फरार हो गये। ऐसी अवस्था में आप करीब डेढ़ महीने रहे। उन दिनों आपने गांवों का दौरा कर किसान-आन्दोलन खड़ा किया। रात को अपने साथियों की सहायता से क्रान्तिकारी पर्चे छाप आप उसे जनता में वितरित किया करते थे। उस समय सशस्त्र पुलिस और अतिरिक्त सेना का शहर पर अधिकार था, किसी भी प्रकार का कार्य खतरे से खाली न था। परन्तु, उस समय भी, कार्फ्यू की अंधेरी रातों में शहर के बाहरी भागों में अपने साथियों के साथ आप कार्य करते थे। कई बार आप पुलिस के घेरे में आ गये, लेकिन हर बार बच गये। आखिर १७ सितम्बर, सन् '४२ की आधी रात को पुलिस द्वारा आप घेर लिये गये। डेढ़ साल तक आप जब्बलपुर सेंट्रल जेल में नजरबन्द रखे गये। सन् '४४ की ३१ वीं दिसम्बर को आपकी रिहाई हुई। आजकल आपका अधिकांश समय किसानों के बीच व्यतीत होता है।

श्रीसिंघ काल्लूईराम

राजनीतिक क्षेत्र में आप सन् १९२३ में आये। पाटन तहसील में आपने सन् '२४ में ग्राम संगठन किया। उस समय आपने ग्राम-पंचायतें स्थापित कीं, उनके फैसले किये और चरखे का प्रचार भी। सन् '३५ में आपने ताड़ी-शराब की दूकानों पर सत्याग्रह किया। इसी समय राबर्टसन कालेज, जब्बलपुर के विद्यार्थियों के साथ पाटन तहसील के गाँव-गाँव में जाकर आपने जनता को जाग्रत किया।

सन् '३६ में आप कटनी चले गये, जहाँ ६ वर्षों तक कटनी म्युनिसिपल बोर्ड के सदस्य रहे। इसी बीच कर्ज-समझौता-बोर्ड के आप सदस्य चुने गये। शराब-विरोधी

कमिटी के भी आप सदस्य रहे। फिर सन '४० का व्यक्तिगत सत्याग्रह आया और कटनी तहसील के देहातों में व्यक्तिगत सत्याग्रह करते हुए आपने पैदल दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। पुलिस आपके साथ थी। सागर जिले के रौंधा गांव में आप गिरफ्तार किये गये। इसमें आपको ६ महीने की सजा और १०० रु० जुर्माना हुआ।

सन '४२ की ९ अगस्त को आप कटनी में गिरफ्तार हुए। आपकी गिरफ्तारी के विरोध-स्वरूप कटनी में ९ दिन गजब की हड़ताल रही। ३ वर्षों तक आप जब्बलपुर जेल के 'बी क्लास' में रखे गये। आजकल आप पाटन में रहते हैं। पाटन तहसील कांग्रेस-कमिटी के आप सभापति हैं। तहसील के ४५५ गांवों में आपने ग्राम-पंचायतें कायम करायी हैं।

पता—पाटन, जब्बलपुर, सी० पी०

श्रीनरसिंहदास अग्रवाल

आपका जन्म जब्बलपुर में कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी, संवत् १९५६ में हुआ। आपके पिताजी का नाम स्व० मूंगालालजी अग्रवाल था। शिक्षा आपने १० वीं श्रेणी तक पायी। साहित्य-सम्मेलन की 'विशारद' परीक्षा भी आपने पास की है।

सन् '३० के आंदोलन में आपको एक वर्ष की सजा दी गयी। सन् '३३ में आप फिर गिरफ्तार हुए और जब्बलपुर तथा अमरावती की जेलों में एक महीना रखे गये। जेल से छूटने पर आपको फिर गिरफ्तार किया गया। इस बार जब्बलपुर और नागपुर जेल में आप साढ़े सात महीने रहे। बयालीस के आंदोलन में आपको ढाई वर्ष जब्बलपुर सेंट्रल जेल में रखा गया था। आप जब्बलपुर शहर कांग्रेस-कमिटी के अध्यक्ष और प्रांतीय कांग्रेस-कमिटी के सदस्य हैं।

पता—सदर बाजार, जब्बलपुर

नरसिंहपुर जिला

छिकाली गाँव में २४ ता० को जनता की एक सभा पर तहसीलदार ने स्वयं गोली चलायी। एक आदमी घटनास्थल पर ही शहीद हो गया। दूसरे दिन इस गोलीकाण्ड के विरोध में एक सभा हुई, जिसपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस जिले में १४० व्यक्तियों को नज़रबन्द किया गया, जिनमें ३६५ पर मुकदमे चलाये गये ४ सरकारी इमारतों पर हमले किये गये। तीन जगह गोलियाँ चलीं, जिनमें २ आदमी शहीद हुए। सामूहिक जुर्माने की रकम १५,००० रु० है।

पं० लोकमणि जैन वैद्य

गोटेगाँव के प्रधान कांग्रेस-कर्मियों में आप हैं। स्थानीय और तहसील कांग्रेस-कमिटी के आप सभापति तथा नरसिंहपुर जिला-कांग्रेस-कमिटी के उपसभापति हैं। सन् '२० से ही आप कांग्रेस का कार्य कर रहे हैं। सन् '४० के व्यक्तिगत-सत्याग्रह-आंदोलन में आपको नागपुर जेल में रखा गया था। सन् '४२ के आंदोलन में आपको २१ महीने की सजा हुई, जिसे आपने जब्बलपुर जेल में कटी।

पता—गोटेगाँव, नरसिंहपुर, सी० पी०

श्रीमंगलचन्द सिंघवी

आप भी गोटेगाँव के एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय कार्यकर्त्ता हैं। स्थानीय कांग्रेस-कमिटी के आप मन्त्री हैं और जिला कांग्रेस-कमिटी के सदस्य। कांग्रेस-टिकट पर आप म्युनिसिपल बोर्ड के सभापति भी रह चुके हैं। सन् २० से ही आप कांग्रेस के एक सच्चे सेवक हैं। सन् '४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह में आपको नागपुर जेल में रखा गया था और सन् '४२ की क्रान्ति में जब्बलपुर सेंट्रल जेल में।

पता—गोटेगाँव, नरसिंहपुर, सी० पी०

श्री शिखरचन्द

गोटेगाँव के आप एक प्रसिद्ध कार्यकर्त्ता हैं। श्वेताम्बर-समाज के एक प्रमुख घराने के आप व्यक्ति हैं। कांग्रेस-टिकट पर आप म्युनिसिपल सदस्य भी रह चुके हैं। सन् '३१ से कांग्रेस के आन्दोलन में आप २ बार जेल-यात्रा कर चुके हैं।

पता—गोटेगाँव, नरसिंहपुर, सी० पी०

बालाघाट जिला

श्री हुलासचन्द जैन

सन् '३१ से ही आप कांग्रेस-कार्य कर रहे हैं। सन् '४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह-आन्दोलन में आपने तीन बार जेल-यात्रा की। उस सिलसिले में आपने गोटेगाँव से झाँसी तक की पैदल यात्रा की। उक्त आन्दोलन में जब आप तीसरी बार सत्याग्रह कर रहे थे, उस समय आपके भाइयों ने आपको लात-जूतों तक से रोकने की चेष्टा की। लेकिन, आपने सत्याग्रह करके ही दम लिया। त्रिपुरी कांग्रेस-अधिवेशन में आप एक स्वयं-सेवक के रूप में सम्मिलित हुए। सन् '४२ के आन्दोलन में आपको जब्बलपुर जेल में रखा गया था। आजकल आप बालाघाट में रहते हैं।

पता—बालाघाट, सी० पी०

श्री फूलचन्द बमोरहा

आप सन् '२५ से कांग्रेस-कार्यों में दिलचस्पी ले रहे हैं। त्रिपुरी-कांग्रेस-अधिवेशन में आप एक स्वयंसेवक की हैसियतसे शामिल हुए। सन् '४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह में आपने दो बार जेल-यात्रा की। गोटेगाँव से झाँसी तक पैदल यात्रा करने के बाद आप गिरफ्तार किये गये और आपको बारी-बारी से ४ जेलों में रखा गया।

श्रीभागचन्द जैन

सन् '३५ से आप कांग्रेस-कार्यों में भाग ले रहे हैं। सन् '४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह-आन्दोलन में श्रीफूलचन्द बमोरहा के साथ आपने भी सत्याग्रह के लिये की गयी गोटेगांव से झाँसी तक की पैदल यात्रा में भाग लिया। गिरफ्तार करने के बाद आपको भी क्रमशः ४ जेलों में रखा गया।

श्रीदालचन्द जैन

सन् '३१ से आप कांग्रेस के कार्य कर रहे हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह में आपको दो बार सजा हुई। श्रीफूलचन्द बमोरहा और श्रीभागचन्द जैन की तरह आप भी झाँसी तक पैदल गये तथा गिरफ्तार करके बारी-बारी से ४ जेलों में रखे गये।

मण्डला जिला

नजरबन्द	२५
दण्डित	५४
सरकारी इमारतों पर हमले	५
गोली-काण्ड	३ जगह
मृत्यु	१
घायल	५

फतह दरवाजे पर १५ अगस्त को कम्पाउंड की दीवाल पर खड़े एक लड़के को कोड़ों से पीटा गया। रिजर्व इंस्पेक्टर मि० फौक्स की आज्ञा पर पुलिस ने भीड़ पर गोली चलायी, उदयचन्द शहीद हुआ।

पुल तोड़ा गया, तार काटे गये और पटड़ियाँ उखाड़ दी गयीं। पिन्डोर्ग में लेटरबक्स नष्ट किये गये। काजी हाउस तोड़ा गया और शराब की दूकानों पर

धरना दिया गया। पाँच पोस्ट-आफिस और ग्राम पंचायत के दफ्तर जला दिये गये। नायपुर के लाठीचार्ज में दो लड़के घायल हुए।

शहीद उदयचन्द

जगन्नाथ हाई स्कूल १० अगस्त से १४ अगस्त तक बन्द रहा। १५ अगस्त को कुछ लड़के फीस देने के लिये गये। १६ अगस्त के प्रातःकाल शहीद उदयचन्द जी ने 'फीस मत दो' का नारा लगाया। इसी सिलसिले में फतह दरवाजे पर २००० की भीड़ एक सभा कर रही थी। पुलिस ने उसपर अन्धाधुन्ध लाठियाँ चलायीं। अपने भाई कालूरामजी के साथ आप घायल हो गये, परन्तु, हटे नहीं। इसी बीच पुलिस ने गोलियाँ चलायीं, जिनमें एक आपकी छाती में लगी।

सरकारी अस्पताल में आपका आपरेशन किया गया। पेट में से गोली निकाल ली गयी। परन्तु दूसरे दिन सुबह ४ बजे आप आजादी के लिये शहीद हो गये। डिप्टी कमिश्नर ने आपके शव को जुलूस में ले जाने की आज्ञा नहीं दी। उसी समय मुंशी इब्राहीम मियां ने अंगरेजी सरकार को ललकारते हुए कहा—'आज यदि शव के साथ जुलूस न निकला, तो मण्डला में कितने नवजवान उदयचन्द की तरह शहादत पायेंगे, नहीं कहा जा सकता?'

जुलूस निकला। कहा जाता है, सन् '३२ के बाद ऐसा एक भी जुलूस वहाँ नहीं निकला था। मण्डला की १२,००० आबादी में से कोई ९,००० व्यक्ति उस शव-यात्रा में शरीक हुए थे। आप गम्भीर, परिश्रमी, साहसी, अध्ययनशील और मौन साधना करने वाले थे। उस समय आपकी अवस्था १९ साल की थी।

आपके पिताजी का नाम श्रीतिलोकचन्द है। जेल से रिहा होने पर मध्यप्रान्त के प्रधान मंत्री पं० रविशंकरजी शुक्ल और शिक्षा-मंत्री पं० द्वारिका प्रसादजी मिश्र, जहाँ आपको शहादत मिली वहाँ गये थे।

श्रीमन्नूलाल मोदी

सन् '४२ का आन्दोलन शुरू ही हुआ था। जगन्नाथ हाई स्कूल, मण्डला के छात्रों की फीस देने वाली बात के विरोध में फतह दरवाजे पर एक सभा हो रही थी। आप जैसे ही भाषण देने के लिये उठे, पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया।

श्रीअमरचन्द जैन

मण्डला के आप एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय कार्यकर्त्ता हैं। बयालीस के आन्दोलन में सरकार ने आपको गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया।

श्रीश्यामलाल

सन् '३० के आन्दोलन से आपने कांग्रेस-कार्यों में भाग लेना शुरू किया। पिछले सभी आन्दोलनों में आप जेल जा चुके हैं। मण्डला के आप एक प्रसिद्ध राष्ट्रकर्मी हैं।

श्रीअमीरचन्द

आप एक स्पष्टवक्ता और कर्मठ सैनिक हैं। पहली बार आप सन् '४१ के व्यक्तिगत सत्याग्रह में जेल गये। आप श्रीश्यामलाल के छोटे भाई हैं। सन् ४२ की क्रान्ति में आपको डेढ़ वर्षों तक जेल में रहना पड़ा था।

श्रीगुलाबचन्द सेठ

आप पिण्डरई गाँव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। सन् '४२ के आन्दोलन में आपको ६ महीने की सजा हुई। राष्ट्रीय कार्यों में आप सोत्साह भाग लेते हैं।

पता—पिंडरई, मंडला, सी० पी०

श्रीखेमचन्द

आप भी पिंडरई के रहने वाले हैं। सन् '४२ की क्रान्ति में आपको ढाई वर्ष की कैद और १०० जुर्माना हुआ। जेल में भी आपको सख्त सजाएँ दी गयीं। आप एक युवक कार्यकर्त्ता हैं।

पता—पिण्डरई, मंडला, सी०पी०

पं० उत्तमचन्दजी

आपकी जन्मभूमि सागर जिले की बंडा तहसील में कदवां गाँव है। आजकल आप पिंडरई में रहते हैं। ९ वर्षों तक लखनादौन ग्राम-पंचायत कमिटी के सदस्य और तहसील कांग्रेस कमिटी के मंत्री की हैसियत से आपने कार्य किया है। सन् ४१ के आन्दोलन में गाँव-गाँव आप प्रचार-कार्य करते रहे। इसी कारण सरकार ने आपको १४ दिन नजरबन्द रख बाद में बिना शर्त रिहा कर दिया। आजकल आप पिंडरई मंडल कांग्रेस-कमिटी के उपसभापति हैं। समाज के आप एक उत्साही कार्यकर्त्ता हैं।

पता—पिंडरई, मंडला, सी०पी०

श्रीउत्तमचन्द बांसल

आप पिंडरई मंडल कांग्रेस-कमिटी के मन्त्री हैं। ग्राम एवं समाज-सुधार की ओर आपकी विशेष दिलचस्पी है। सन् '४२ के आन्दोलन में आपको ६ महीने की सजा हुई।

पता—पिंडरई, मंडला, सी० पी०

श्रीगुलाबचन्द हलवाई

आप पिंडरई के कर्मठ कार्यकर्त्ताओं में एक हैं। सन् '४२ के आन्दोलन में आपको ढाई वर्ष की कैद और १०० जुर्माना हुआ।

पता—पिंडरई, मंडला, सी० पी०

श्रीकेवलचन्द

आपके पिताजी का नाम सेठ गुलाबचन्दजी है। आप एक उत्साही और निर्भीक कार्यकर्त्ता हैं। आपको सन् '४२ के आन्दोलन में ६ महीने की सजा हुई। आपकी निर्भीकता से चिढ़ कर सरकार ने आपको 'बी क्लास' से 'सी क्लास' में रखा।

पता—पिंडरई, मंडला, सी०पी०

श्रीचुन्नीलाल

राष्ट्रीय कार्यों में आप उत्साह के साथ भाग लेते हैं। सामाजिक कार्यों की ओर भी आपकी विशेष रुचि है। सन् '४२ के आन्दोलन में आपको ६ महीने की सजा हुई।

पता—पिंडरई, मंडला, सी० पी०

श्रीमिट्ठूलाल

सन् '३० से आप राष्ट्रीय क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। सन् '४२ के आन्दोलन में गिरफ्तार कर सरकार ने आपको एक साल सेन्ट्रल जेल में रखा। आप सभी तरह से राष्ट्र की सेवा करते हैं।

पता—पिंडरई, मंडला, सी० पी०

श्रीगुलाबचन्द हलवाई

आप एक निर्भीक कार्यकर्त्ता हैं। जनता को आकृष्ट करने की आपमें अद्भुत क्षमता है। सन् '४२ के आन्दोलन में आप गिरफ्तार हुए और ६ महीने जेल म रहे।

पता—पिंडरई, मंडला सी० पी०

श्रीगुलाबचन्द

सन् '४२ के आन्दोलन में आपको जब्बलपुर जेल में रखा गया। जेल से रिहा होने पर आप आन्दोलन में काम करते रहे।

पता—पिंडरई, मंडला, सी० पी०

नोट—इनके अलावे पिंडरई के मारवाड़ी समाज के करीब १५-२० और व्यक्तियों ने सन् '४२ के आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया और जेल गये।

श्रीबाबूलाल

आप मंडला जिले में नैनपुर के रहने वाले हैं। सन् '४२ में आपको ६ महीने की सजा हुई। सन् '३० से ही आप कांग्रेस के ठोस कार्य करते हैं। नगर-कांग्रेस-कमिटी नैनपुर के आप मंडल-अध्यक्ष हैं। पता—नैनपुर, मंडला, सी० पी०

श्रीदालचन्द रईस

आप डिन्डौरी के रहने वाले हैं। खादी-प्रचार के निमित्त आपने एक स्थानीय खादी-केन्द्र खोल रखा है। कई बार आप जेल-यात्रा भी कर चुके हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस-प्रचार के लिये आपने करीब ३०० रु० खर्च किये। सन् '४२ में आपको ६ महीने की सजा और २०० रु० जुर्माना हुआ।

पता—डिन्डौरी, मंडला, सी० पी०

श्रीनेमचन्द

सन् '४२ के आन्दोलन में आपको ६ महीने की सजा हुई और २०० रु० जुर्माना। परन्तु, अस्वस्थता के कारण आपको तीन महीने बाद सरकार ने रिहा कर दिया। आप एक सच्चे और कर्मठ व्यक्ति हैं। पता—डिन्डौरी, मंडला, सी०पी०

श्रीप्रभाचन्द

आप एक उत्साही नवयुवक हैं। १७ वर्ष की अवस्था में ही सन् '४२ के आन्दोलन में आपको ६ महीने की सजा हुई। जेल में आपसे माफी माँग लेने के लिये बार-बार कहा गया। पुलिस ने इसके लिये आपको डराया-धमकाया भी। परन्तु, आप अपनी शान पर अटल रहे। पता—डिन्डौरी, मंडला, सी०पी०

सिंघई श्रीनेमचन्द

आप मंडला जिले में निवास के रहने वाले हैं। पिछले ८-९ वर्षों से आप पिंडरई मंडल-कांग्रेस-कमिटी के प्रधान मन्त्री हैं। सन् '४२ के आन्दोलन में आपको

दफा २६ में गिरफ्तार किया गया। १३ महीनों तक आप जेल में रहे। जेल-प्रवास में ही आपके नवजात पुत्र और पुत्र वधू की मृत्यु हो गयी। जिस दिन आप रिहा हुए आपके ससुर डा० भैयालाल जैन, पी-एच० डी० का उसी दिन देहान्त हुआ।

पता — निवास, मंडला, सी०पी०

श्रीसुगनचन्द

आप श्रीनेमचन्द के छोटे भाई हैं। सन् '४२ के आन्दोलन में सरकार ने आपकी गिरफ्तारी का वारंट निकाला। परन्तु, बाद में उसे रद्द कर दिया।

पता — निवास, मंडला, सी०पी०

श्रीशिखरचन्द

आप श्रीनेमचन्द के चचेरे भाई हैं। राष्ट्रीय कार्यों में आप विशेष भाग लेते हैं। सन् '४२ के आन्दोलन में आप ६ महीने जेल में रहे।

पता—निवास, मंडला सी०पी०

दुर्ग जिला

भटंग में शान्तिपूर्ण जुलूस पर पुलिस ने पहले गोली चलायी। फिर लाठी-चार्ज किया। इस जिले में २५० नजरबन्द किये गये। दण्ड ५० व्यक्तियों को दिया गया।

सेठ मोहनलाल बाकलीवाल

आपका जन्म दुर्ग के सरावगी जैन-परिवार में हुआ। आपके पिताजी का नाम स्व० प्रेमसुखजी था। सेवा-भावना आपमें लड़कपन में ही आ गयी। उसी समय आपने जैन-समाज-द्वारा संचालित महावीर पुस्तकालय का सुन्दर प्रबन्ध किया। सन '३० के आंदोलन में आपने क्रियात्मक भाग लिया। बालोद-सत्याग्रह-कैम्प का संचालन

आपकी ही अध्यक्षता में हुआ। जिला-डिक्टेटरों की अनुमति न मिलने के कारण आप जेल जाने से वंचित रहे।

सन् '३२ में आप गिरफ्तार किये गये। आप पर १,००० रु० जुर्माना हुआ और एक वर्ष की सजा। लेकिन, जुर्माने की रकम न देने के कारण आपकी सजा ३ महीने और बढ़ा दी गयी। फिर सरकार ने आपकी दूकान नीलाम करा १,००० रु० वसूल किया। जेल से छूटने पर जिले का दौरा कर आपने कांग्रेस-संगठन को मजबूत बनाया। सन् '३७ के चुनाव में आप मध्यप्रांत असेम्बली के सदस्य निर्वाचित हुए। इस समय स्थानीय म्युनिसिपल कमिटी के शिक्षा विभाग के प्रधान की हैसियत से आपने जनता की काफी सेवा की।

सन् '४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह-आन्दोलन में आपको ६ महीने की सजा मिली। जेल से रिहा होने के बाद आप कांग्रेस के रचनात्मक कार्यों में जुट गये। जिले भर में आपने चरखाकेन्द्र खुलवाये। सन् '४२ में आपको गिरफ्तार कर नागपुर सेंट्रल जेल में ढाई वर्ष रखा गया। आप अखिल भारतीय कांग्रेस-कमिटी के सदस्य भी रह चुके हैं। आजकल आप दुर्ग जिला बोर्ड के चेयरमैन हैं।

पता—दुर्ग, सी० पी०

स्व० मानमलजी जोधा

आपका जन्म दुर्ग में हुआ। सन् '३० के आन्दोलन में आप पूरी तरह जुट गये। सरकार ने आपको ६ महीने की सजा दी। तीस वर्ष की अवस्था में आपका देहान्त हुआ।

श्रीरूपचंद पाटनी

आप राष्ट्रीय कार्यों में उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं और एक योग्य कार्यकर्त्ता हैं। सन् '३० के आंदोलन में आप गिरफ्तार हुए और ६ महीने जेल में रहे।

श्रीगेंदमल देशलहरा

आपके पिताजी का नाम श्रीहंसराज देशलहरा है। राष्ट्रीयता की ओर आपका झुकाव लड़कपन में ही हुआ। सन् '३० के आंदोलन में आपने काफी कार्य किया। हरिजन आंदोलन में आप विशेष भाग लेते हैं। सन् '३२ में आप गिरफ्तार किये गये। आजकल आप देहातों में कांग्रेस-संगठनों और रचनात्मक कार्यों में भाग लेते हैं।

श्रीधनराज देशलहरा

आपका जन्म दुर्ग जिले के नेवारी ग्राम में हुआ। सन् '४२ के आंदोलन में आप तोड़-फोड़ के कार्यों का संचालन करते थे। फिर आप गिरफ्तार हुए और तीन महीने जेल में रहे। आजकल आप नगर-कांग्रेस-कमिटी के सदस्य हैं।

स्व० गुलाबचंदजी पहाड़िया

राष्ट्रीय कार्यों की ओर आपका झुकाव प्रारम्भिक जीवन में ही हुआ। सन् '३० में एक कांग्रेसी जुलूस निकला था। उस समय आपकी अवस्था सात वर्ष की थी। आप खादी पहनने के लिये आग्रह कर बैठे। उस रात खाया भी नहीं। दूसरे दिन आपको खादी का चूड़ीदार पायजामा, बंगाली कुर्त्ता और टोपी दी गयी।

सन् '४२ के आन्दोलन में आपको ६ महीने कड़ी कैद की सजा दी गयी।

सामाजिक सुधारों की ओर आपका काफी ध्यान रहा। अपना विवाह आप अन्तर्जातीय करना चाहते थे। लेकिन, वैसा कर न सके। फलतः एक रात अपनी स्त्री के साथ आपने आत्महत्या कर ली।

सागर जिला

यह जिला कांग्रेस का केन्द्र है। गढ़कोटा के एक शान्तिपूर्ण जुलूस पर पुलिस ने गोलियाँ चलायीं। इसमें एक मरा और १५ व्यक्तियों पर पुलिस ने मामला चलाया।

३४ धारा के अन्तर्गत बहुत से व्यक्ति चालान किये गये। इस जिलेमें २०० व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया और ४०० दण्डित हुए।

शहीद साबूलाल जैन

आपके पिताजी का नाम श्रीबैसाखिया सुक्केलाल जैन है।

जमाना अगस्त-आन्दोलन का था। गढ़कोटा ग्राम में हड़ताल थी। जनता ने पहले डाकखाने पर तिरंगा फहराया। फिर थाने की ओर बढ़ी। पुलिस तैयार थी ही। उसने २५-३० व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। लाठी-चार्ज शुरू हो गया। फिर पुलिस ने गोली चलायी। ५ आदमी घायल हुए। अस्पताल में डाक्टर ने उन सबमें खतरनाक हालत आपकी बतलायी। फलतः सरकारी मोटर में आप सागर रवाना कर दिये गये। लेकिन, सागर से पाँच मील इधर ही आप शहीद हुए।

शव सागर पहुंची। हजारों व्यक्ति अन्तिम दर्शन के लिये इकट्ठे हो गये। दूसरे दिन सुबह करीब ४ बजे गढ़कोटे में सोते हुए प्रमुख-प्रमुख व्यक्ति जगाकर मिलिटरी की लारियों में सागर भेज दिये गये। इनमें १५ व्यक्ति मारवाड़ी समाज के थे।

श्रीसिंघई भैयालाल

सन् ३१-३२ में आप सागर-जिला कांग्रेस-कमिटी और समय-समय पर जिला कार्यकारिणी सभा के सदस्य रहे हैं। प्रांतीय कांग्रेसके सदस्य और जिले की ओर से प्रतिनिधि भी आप रह चुके हैं। सन् '४१ से आज तक आप जिला कांग्रेस-कमिटी के कोषाध्यक्ष हैं।

सन् '४१ के व्यक्तिगत सत्याग्रह में आपका नाम आया और प्रांतीय डिक्टेटरों द्वारा सागर से दिल्ली जानेवाले सत्याग्रहियों की व्यवस्था आदि के लिये आप मुकर्रर किये गये। २३ सितम्बर, सन् '४२ को आप गिरफ्तार हुए। २६ नवम्बर, सन् '४३ को नागपुर सेंट्रल जेल से आप की रिहाई हुई। आप एक प्रतिष्ठित राष्ट्र-कर्मी हैं और प्रांतीय असेम्बली के सदस्य भी।

पं० वंशीधरजी व्याकरणाचार्य

आप बीना के रहने वाले हैं। अध्ययन छोड़ने के बाद सन् '३१ से ही आपने राष्ट्रीय कार्यों में भाग लेना शुरू किया। '४२ के आंदोलन में नागपुर सेन्ट्रल जेल में आप ६ महीने नजरबन्द रहे। फिर आप पर मुकदमा चलाया गया। अदालत ने आपको तीन महीने की सख्त सजा दी। आप अमरावती जिला जेल में भेज दिये गये। अमरावती जेल के सुपरिंटेंडेंट मि० मासूम अली के दुर्व्यवहारों का आपने विरोध किया, जिस कारण शुरू से ही आपको 'सेल' में रखा गया। तीन महीने आपको रोशनी आदि नहीं दी गयीं। आपका क्लास भी बदल कर 'सी' कर दिया गया।

जेल से रिहा होने के कुछ ही दिन पहले आप पर जेल अनुशासन भंग कराने का आरोप लगा, दो बार झूठे मुकदमे किये गये। परन्तु, अदालत ने आपको निर्दोष बतलाया। इस तरह आप एक वर्ष बाद रिहा हुए। जेल-प्रवास में ही आपके पुत्रका देहान्त हो गया। आजकल आप महाकोशल प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी के सदस्य और बीना नगर-कांग्रेस-कमिटी के अध्यक्ष हैं। आप एक शान्त एवं जनप्रिय व्यक्ति हैं।

पता बीना, सागर, सी० पी०

श्रीनन्हेलाल बुखारिया

सन् '३० के सत्याग्रह में आप गिरफ्तार होते-२-बचे। सन् '४२ के आन्दोलन में आपको ६ महीने तक 'सी क्लास' में रखा गया। रचनात्मक कार्यों की ओर आप विशेष ध्यान देते हैं।

पता—बीना, सागर, सी०पी०

पं० भुवनेन्द्र कुमार शास्त्री

अनेक सामाजिक विवशताओं और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद भी आपने सन् '४२ के आन्दोलन में भाग लिया और ६ महीने जेल में रहे।

पता— बीना, सागर, सी०पी०

पं० फूलचन्दजी सिद्धान्तशास्त्री

जैन-सिद्धान्त के आप एक लब्ध-प्रतिष्ठित विद्वान् हैं। सन् '४० के आन्दोलन में एक जोरदार भाषण देने के सिलसिले में ललितपुर में गिरफ्तार किये गये। उस समय आपको तीन महीने की सख्त सजा और १०० रु० जुर्माना हुआ। सन् '४२ के आन्दोलन में आपने जैन-विद्यालय, बनारस के छात्रों को क्रान्तिकारी कार्यों के लिये खूब ही उभाड़ा।

पता—बीना, सागर, सी०पी

श्रीरामजीलाल नायक

सन् १९३८ से आप कांग्रेस-क्षेत्र में लगन के साथ कार्य कर रहे हैं। त्रिपुरी-कांग्रेस-अधिवेशन में आप सागर जिले से प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। महाकोशल प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी और जिला कांग्रेस-कमिटी की कार्यकारिणी के सदस्य और खुरई तहसील कांग्रेस-कमिटी के आप अध्यक्ष रह चुके हैं। आजकल आप सागर जिला कांग्रेस-कमिटी के मंत्री हैं। सन् '४२ के आंदोलन में आपको ६ महीने की सजा हुई थी।

पता—बीना, सागर, सी० पी०

श्रीसुन्दरलाल चौधरी

आप एक उत्साही कार्यकर्त्ता हैं। कांग्रेस कार्यों में आप पूर्ण तत्परता के साथ भाग लेते हैं। सन् '४२ के अगस्त आंदोलन में सरकार ने आपको गिरफ्तार कर लिया। जेल में आपने ६ महीने तक सख्त सजा भोगी।

पता—बीना, सागर, सी० पी०

श्रीनाथूराम पुजारी

आप 'आजाद सेवा-दल' के एक प्रमुख कार्यकर्त्ता हैं। सन् '४० और '४२ के आंदोलनों में आपने सक्रिय भाग लिया और दोनों बार जेल गये।

पता—बीना, सागर, सी० पी०

श्रीधन्नालाल विद्यार्थी परसोन

सन् '४२ के अगस्त-आंदोलन में आप बीना जैन-विद्यालय के छात्र थे। उस समय कांग्रेस-बुलेटिनें आप बड़ी मुस्तैदी और निर्भयता के साथ बाँटा करते थे। ऐसी ही बुलेटिनें वितरित करते समय आप गिरफ्तार कर जेल भेज दिये गये।

पता— बीना, सागर, सी० पी०

स्व० गनेशीलालजी बाबा

सन् '४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह में आप तीन बार जेल गये। बीना के आप प्रमुख कांग्रेस-कार्यकर्त्ताओं में एक थे। लगातार जेल यात्रा ने आपका स्वास्थ्य चौपट कर दिया। तीसरी बार जेल से रिहा होने के थोड़े ही दिन बाद हृदय-गति अवरुद्ध हो जाने के कारण आपका स्वर्गवास हुआ।

स्व० हरिश्चन्द्रजी

सन् '२१ के आन्दोलन में आप बीना कांग्रेस के एक सफल और उत्साही कार्य-कर्त्ता थे। सरकार ने आपको गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया, जहाँ की भयंकर यातनाओं ने आपकी जीवन-शक्ति बर्बाद कर दी। रिहा होने के कुछ ही दिन बाद आप स्वर्ग सिधारे।

श्रीपन्नालाल बासाल

आप सागर जिले में बामोरा मंडी के रहने वाले हैं। कट्टर समाज-सुधारक और राष्ट्रीय कार्यकर्त्ताओं में आपकी गणना होती है। सन् '४२ के आंदोलन में भाग लेने के कारण आपको ६ महीने की कठिन सजा दी गयी। आजकल आप बामोरा मण्डल कांग्रेस-कमिटी के सभापति और सागर जिला कांग्रेस-कमिटी के सदस्य हैं।

पता—बामोरा मंडी, सागर, सी० पी०

सेठ जवाहरलाल मालगुजार

आप बरोदिया कला, जिला सागर के रहने वाले हैं। आप कट्टर देशभक्त कांग्रेस-कार्यकर्त्ता हैं। बरोदिया कांग्रेस मण्डल के आप सभापति और जिला कांग्रेस-कमिटी के सदस्य हैं। अपने मण्डल में आप कांग्रेस-कार्यों को बहुत ही मुस्तैदी के साथ किया करते हैं। पता—बरोदिया कला, सागर, सी० पी०

सिंघई श्रीराजधरलाल

आप सागर जिले में शाहपुर के रहने वाले हैं। सन् '२१ से आप कांग्रेस-क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं। सन् '४२ के आंदोलन में आपको गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। इस समय आप शाहपुर गाँव के मण्डलेश्वर हैं।

पता—शाहपुर, सागर, सी० पी०

श्रीलक्ष्मीचंद सोंधिया

सन् '४१ के व्यक्तिगत सत्याग्रह में आपको कैद कर लिया गया। सन् '४२ में आप २० अगस्त को ही गिरफ्तार किये गये। आपके जेल जाने के दो महीने बाद आपके पिताजी का देहान्त हो गया। परिवार के आप अकेले थे। सरकार द्वारा १५ दिन की छुट्टी आपने नामंजूर कर दी। पुलिस ने आपके ऊपर ६ केस चलाये, जिनमें आपको २ वर्ष ७ महीने की सजा हुई। आप सुरखी, जिला सागर के रहने वाले हैं। पता—सुरखी, सागर, सी० पी०

सिंघई श्रीकुंजीलाल जैन

आप सागर जिले में शाहगढ़ के रहने वाले हैं। सन् १९१८ से ही कांग्रेस के कार्यों में भाग लेते आ रहे हैं। पाँच वर्षों तक आप तहसील कांग्रेस कमिटी के सभापति रहे हैं। सन् '३० के आन्दोलन में आपको एक वर्ष की सजा हुई। सन् '३२ में आपको ६ महीने की सख्त सजा और २०० रु० जुर्माना हुआ।

पता—शाहगढ़, सागर, सी० पी०

श्रीसेवड़िया खूबचंद्र जैन

आप भी शाहगढ़, जिला सागर के रहने वाले हैं। सन् '४२ के अगस्त-आन्दोलन में आपको ६ महीने की सजा हुई। आप शाहगढ़ कांग्रेस-कमिटी के मन्त्री और सागर जिला-कांग्रेस-कमिटी के सदस्य हैं।

पता—शाहगढ़, सागर, सी० पी०

श्रीबालचंद्र जैन

सन् '४२ के आन्दोलन में आपने भाग लिया। सरकार द्वारा गिरफ्तार होकर आप ४ महीने जेल में रहे। रहने वाले आप सागर जिले में शाहगढ़ के हैं।

पता—शाहगढ़, सागर, सी० पी०

सेठ प्यारेलालजी जैन

सन् '३५ से ही आप शाहगढ़ कांग्रेस-कमिटी के सभापति हैं। सागर जिला कांग्रेस-कमिटी के आप भारी बहुमत से सदस्य भी चुने गये हैं। शाहगढ़ कोर्ट के आप चेयरमैन भी हैं। स्थानीय तथा आसपास की सभी कांग्रेसी और सार्वजनिक सभाओं में आप उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। आप एक जनप्रिय राष्ट्रीय-कर्मी हैं। आप भी शाहगढ़, जिला सागर के रहने वाले हैं।

पता—शाहगढ़, सागर, सी० पी०

बाबू गुलाबचंद

आप सागर जिले में ढाना के रहने वाले हैं। आपने हिन्दी में ओजस्विनी कविताएँ लिखी हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह में (सन् १९४०) आपको ६ महिने की सजा हुई।

पता—ढाना, सागर, सी० पी०

श्रीवीरचंद जैन

सन् '४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह में ६ महीने नजरबन्द रहने के बाद आप रिहा हुए।

पता—कटनी, सी० पी०

श्रीशिखरचन्द जैन

सन '४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह में आप पर १०० रु० जुर्माना हुआ। सन् ४२ के आंदोलन में १८ महीने नजरबन्द रहने के बाद आप रिहा हुए।

पता—कटनी, सी० पी०

स्व० फूलचन्दजी जैन

कटनी के आप एक दक्ष कार्यकर्त्ता थे। कांग्रेस-कार्यों में लगन के साथ भाग लिया करते थे। सन् '४२ के आंदोलन में आपको ६ महीने नजरबन्द रखा गया था।

श्रीकोमलचन्द जैन

कटनी के आप एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय और सामाजिक कार्यकर्त्ता हैं। सन् ४२ के आंदोलन में आप १२ महीने 'सी क्लास' में नजरबन्द रखे गये।

पता—कटनी, सी० पी०

श्रीटेकचन्द जैन

कटनी के आप एक कर्मठ राष्ट्रीय कार्यकर्त्ता हैं। कांग्रेस के कार्यों में आप बराबर भाग लिया करते हैं। सन '४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह-आंदोलन में आप गिरफ्तार किये गये। सरकार ने आप पर २५० रु० जुर्माना किया।

पता—कटनी, सी० पी०

श्रीजयकुमार जैन चौधरी

कटनी के आप एक प्रसिद्ध कांग्रेस-कार्यकर्त्ता हैं। सन '४२ के आंदोलन में आपको १४ महीने सरकार ने नजरबन्द रखा। पता—कटनी, सी० पी०

डा० अभयकुमारजी जैन

कटनी के राष्ट्रीय क्षेत्र में आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति समझे जाते हैं। सन् '३० के आंदोलन में आपको ६ महीने की सजा हुई। पता—कटनी, सी० पी०

श्रीबाबूलाल जैन

आप सागर जिले में गौर झामर के रहने वाले हैं। सन् २१ के आंदोलन में आपने बी० ए० की पढ़ाई बन्द कर दी। धारासराज और बड़ाला गाँव के नमक-सत्याग्रह में शामिल होने के लिये आप रवाना हुए, लेकिन, पुलिस की कृपा के कारण आपको बम्बई अस्पताल में जाना पड़ा। आरोग्य-लाभ करने पर आप फिर बारडोली के लिये रवाना हुए। वहाँ पुलिस ने आपको गिरफ़्तार कर लिया। साढ़े पाँच महीने आप जेल में रहे।

पता—गौरझामर, सागर, सी०पी०

सेठ नाथूलालजी हलवाई

आप सागर जिले में लखनादौन के रहने वाले हैं। सन् '३९ के त्रिपुरी-कांग्रेस-अधिवेशन में आपने योग्यतापूर्वक मैस इंस्पेक्टर का कार्य किया था। सन् '४१ के व्यक्तिगत सत्याग्रह में, घर में अकेले होते हुए भी, आपने १९ अप्रील को लखनादौन तहसील के आदेगाँव में सत्याग्रह किया। वहाँ से १५ दिन के लगभग पैदल चलकर आप होशंगाबाद जिले के डोभी गाँव में पहुंचे, जहां पुलिस ने आपको गिरफ़्तार कर लिया। आपको छिंदवाड़ा ले जाया गया। वहीं से २ महीने बाद आप रिहा हुए।

पता—लखनादौन, सागर, सी० पी०

धामनगाँव

श्रीसुगनचन्द लुंडावत

आप धामनगाँव के रहने वाले हैं। प्रान्त की राजनीति में आपका खास स्थान है। अपनी राष्ट्रीय सेवाओं के कारण आप प्रान्तीय असेम्बली के सदस्य रह चुके हैं। कांग्रेस-आन्दोलनों में आप कई बार जेल-यात्रा कर चुके हैं।

पता — धामनगाँव, सी० पी०

रायपुर जिला

नजरबन्द	१००
दण्डित	७००
सरकारी इमारतों पर हमले	२

बयालीस के आन्दोलन में तोड़-फोड़ के कार्य यहाँ भी काफी हुए। रेलवे लाइनों का उखाड़ना, तार काटना, आग लगाना आदि जनता के प्रधान कार्य थे।

श्रीमूलचन्द बागड़ी

आपके पिताजी का नाम स्व० सुखदेवजी बागड़ी था। जन्म आपका रायपुर में श्रावण शुक्ला दशमी, संवत् १९४८ में हुआ। राष्ट्रीय कार्यों में आप प्रारम्भ से ही भाग ले रहे हैं। सन् १९१७ में 'होम रूल आन्दोलन, के समय आपने ४-५ सौ आदमियों के हस्ताक्षर से एक पत्र तात्कालीन भारत-मन्त्री को, जो उस समय भारत आये हुए थे, भेजा। फिर सन् २० के कलकत्ता-कांग्रेस-अधिवेशन में आप शामिल हुए।

सन् '३० के मई महीने में मध्यप्रान्त और बरार के वर्तमान प्रधान मन्त्री पं० रविशंकर शुक्ल के साथ नमक बनाकर रायपुर जिले में सर्वप्रथम आपने नमक-कानून भंग किया। १६ नवम्बर, सन् '३० को रायपुर के 'आनन्द समाज-पुस्तकालय' में 'जवाहरलाल-दिवस' मनाते समय राजद्रोहात्मक भाषण देने के अपराध में आप गिरफ्तार किये गये। आपको ६ महीने की सजा और १०० रु० जुर्माना हुआ।

फिर ८ जनवरी, सन् '४१ को रायपुर से १६ मील दूर गोढ़ी गाँव में आपने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया। वहीं आप गिरफ्तार हुए। इस बार आपको ६ महीने की सजा हुई। सन् '४२ के आन्दोलन में १७ अगस्त को आप नजरबन्द कर दिये गये। करीब दो वर्ष आप जेल में रहे। सामाजिक कार्यों में भी आपने विशेष भाग लिया है। 'कोलतार-प्रकरण' को लेकर रायपुर की माहेश्वरी पंचायत से ६ साल तक आप जाति-बहिष्कृत रहे।

श्रीगोपीकिसन बागड़ी

रायपुर के प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता श्रीमूलचन्द बागड़ी के आप ज्येष्ठ पुत्र हैं आपका जन्म सन् १९२२ के आसपास हुआ।

सन् '४२ के आन्दोलन में आपने सक्रिय भाग लिया। ६ सितम्बर को पुलि द्वारा आप गिरफ्तार किये गये और ६ महीने की सजा पाकर जेल में बन्द हो गये परन्तु, अस्वस्थता के कारण ३ महीने बाद सरकार ने आपको रिहा कर दिया।

पता—राजस्थान स्टोर्स, सदर बाजार, रायपु

श्रीशिवदास डागा

आप बीकानेरी माहेश्वरी हैं। जन्म आपका रायपुर में संवत् १९४२ में हुआ सन् '२० के सत्याग्रह-आन्दोलन में आपने आनरेरी मैजिस्ट्रेट का पद ठुकरा दिया उसी समय से एक जिम्मेवार कांग्रेसी नेता के रूप में आप राष्ट्र का कार्य कर रहे हैं। सन् '३० के आन्दोलन में आप गिरफ्तार हुए। सन् १९२३, २६ और २९ में मध्यप्रान्तीय धारा-सभा की स्वराज्य पार्टी के आप सदस्य रहे। त्रिपुरी कांग्रेस-अधिवेशन के समय आप स्वागत-समिति के उपाध्यक्ष और कोष संग्रह-कमिटी के अध्यक्ष थे।

श्रीजमनालाल चोपड़ा

जोधपुर के आप मोहावर ओसवाल हैं। रायपुर की हरिजन बोर्डिंग, अनाथालय आदि संस्थाओं के मन्त्री और सभापति-पद पर आप काम कर चुके हैं। सन् '४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह-आन्दोलन में आपको ६ महीने की सख्त सजा दी गयी थी।

श्रीकन्हैयालाल बाजारी

आपका जन्म जयपुर रियासत के लालसोट गाँव में सन् १९१२ में हुआ। पिताजी का नाम श्रीनाथूलाल बाजारी है। सन् १९२८ से आप कांग्रेस के कार्यों में भाग ले रहे हैं। कांग्रेस के आन्दोलनों में आपने बराबर सक्रिय भाग लिया है। सन्

'२९, '३० और ३२ के आन्दोलनों में आप तीन बार गिरफ्तार किये गये और कुछ दिनों तक जेल में रहने के बाद रिहा हुए।

सन् '४१ के व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी आपने भाग लिया। पहली बार गिरफ्तार करने के बाद सरकार ने ५० रु० जुर्माना कर छोड़ दिया। दूसरी बार ७७० मील पैदल यात्रा करने के बाद सागर जिले के गढ़कोटा नामक गांव में आप गिरफ्तार किये गये। ४५ दिनों तक आप को नजरबन्द रखा गया। तीसरी बार आपको १० दिनों तक नजरबन्द रखने के बाद अदालत में लाया गया। इस बार आपको अदालत उठने तक की सजा हुई। चौथी बार आप फिर गिरफ्तार हुए और २ माह जेल में रहे। इस आन्दोलन में आपको आखिरी बार पुलिस ने पकड़ कर ५-७ दिनों तक नजरबन्द रखा। सन् '४२ के आन्दोलन में पुलिस ने आपको १६ अगस्त को ही गिरफ्तार कर लिया। इस बार रायपुर जेल में आप १६ महीने नजरबन्द रहे।

पता—स्टेशन रोड, रायपुर

कटंगी

श्रीशुकदेव अग्रवाल

मध्यप्रान्तीय कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति के सदस्य और कटंगी तहसील कांग्रेस-कमिटी के आप अध्यक्ष रह चुके हैं। जिला कौंसिल भण्डारा के आप चेयरमैन भी रहे हैं। सन् १९२३ के प्रसिद्ध नागपुर-झण्डा सत्याग्रह में शामिल हुए। पुलिस द्वारा गिरफ्तार होकर आप जेल भेज दिये गये। सन् '३२ के आन्दोलन में आप दो बार जेल गये। '४२ की जनवरी में युद्ध-विरोधी नारे लगाने के कारण पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

पता—कटंगी, सी० पी०

बैतूल जिला

९ अगस्त को जनता ने पुलिस पर पत्थर फेंके। जवाब पुलिस ने गोलियों से दिया। एक आदमी मर गया। फिर जनता ने डाकखाने और पटवारीखाने के कागजात जला दिये। १५ अगस्त को १००० व्यक्तियों की भीड़ ने रानीपुर थाना जला दिया। १६ अगस्त को धाराखोह रेलवे स्टेशन २,५०० आदमियों ने जला दिया। घोरा डोंगरी स्टेशन जलाने के लिये करीब साढ़े चार हजार व्यक्ति पहुँचे। लकड़ी की टाल में आग लगा देने पर डिप्टी कमिश्नर ने गोली चलाने का हुक्म दिया। गोली लगने से एक आदमी मरा, ६ घायल हुए और बहुत से पकड़े गये।

इस जिले में ६४७ व्यक्ति गिरफ्तार हुए और १९७ नजरबन्द। ४५२ पर सरकार ने मुकदमे चलाये, जिसमें १८ महीने से लेकर २० साल तक की सजा हुई। ३ स्थानों पर गोलियाँ चलायी गयीं। इसमें १२ मरे और ६ घायल हुए। ६ राजनीतिक कैदी जेल में मरे। इस जिले पर २,४०० रु० सामूहिक जुर्माना हुआ।

श्रीदीपचन्द गोठी

आपका जन्म कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा, संवत् १९५४ में हुआ। सन् २० से आप कांग्रेस का कार्य कर रहे हैं। आप बैतूल जिला कांग्रेस कमिटी के सभापति, म्युनिसिपल कमिटी के उपसभापति और मन्त्री रह चुके हैं। आजकल आप जिला कांग्रेस कमिटी के सभापति हैं।

सन् '३० के आन्दोलन में आप पर लाठी-चार्ज किया गया और अदालत उठ जाने तक की सजा हुई। सन् '३१ में आप एक वर्ष जेल में रहे। सन् '४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन में आपको ६ महीने की सजा हुई। सन् '४२ में पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया। साढ़े पाँच वर्षों तक नजरबन्द रहने के बाद आपकी रिहाई सन् '४६ में हुई।

पता—बैतूल, सी० पी०

यवतमाल जिला

आंदोलन की गति यहां भी काफी तीव्र रही। शान्तिमय तरीकों से यहां की जनता ने सभाओं का आयोजन किया और जुलूस निकाले। करीब १०० व्यक्तियों को सरकार ने इस जिले में नजरबंद किया।

श्रीरामकुमार अग्रवाल

आपके पिताजी का नाम स्व० रामनारायणजी अग्रवाल था। जन्म आपका आश्विन शुक्ला अष्टमी, संवत् १९३६ में हुआ। सन् १९०५ में ही आप कांग्रेस-सम्पर्क में आ गये। सन् ९०७ की सूरत-कांग्रेस में आप शामिल हुए। राजनीतिक सिद्धांतों में आप लोकमान्य तिलक के अनुयायी थे। सन् '२० तक आप उनके साथ कार्य करते रहे।

यवतमाल कांग्रेस-कमिटी के आप अध्यक्ष रह चुके हैं। जंगल-सत्याग्रहमें आपने सक्रिय भाग लिया। सन् '४१ के आंदोलन में आपने दो बार सत्याग्रह किया। उस समय गाँव-२-घूमकर आप कांग्रेस का प्रचार करते रहे।

पता—यवतमाल, बरार

श्रीताराचंद

आपके पिताजी का नाम श्रीशोभमल है। जन्म आपका कातिक पूर्णिमा, संवत् १९५३ को हुआ। आप यवतमाल जिला कांग्रेस-कमिटी के सभापति और म्युनिसिपल कमिटी के भूतपूर्व सभापति हैं। मध्यप्रांतीय कांग्रेस-कमिटी के सदस्य, अखिल भारतीय ओसवाल सम्मेलन के उपसभापति और ओसवाल शिक्षण समिति, नागपुर के कोषाध्यक्ष हैं।

सन् '४१ के आंदोलन में आपने तीन बार सत्याग्रह किया। आपको तीन महीने की सजा और १२५० रु० जुर्माना हुआ। यवतमाल जिले के आप एक प्रतिष्ठित कांग्रेसी सज्जन हैं।

पता—यवतमाल, बरार

श्रीअमोलकचंदजी

डोंगरगांव के जंगल-सत्याग्रह की लहर निमाड़ पहुंची। स्थानीय कार्य-कर्त्ताओं के गिरफ्तार हो जाने पर आपने जिले के डिक्टेटर की हैसियत से आन्दोलन को कुछ समय तक चलाया। कुछ वर्षों तक आप जिला कांग्रेस-कमिटी के मन्त्री और प्रांतीय कांग्रेस कमिटी के सदस्य रहे। खंडवा म्युनिसिपलिटी के आप कई वर्षों तक लगातार सदस्य रह चुके हैं। सन् ४२ के आंदोलन में सरकार ने एकाएक आपको चुपके से गिरफ्तार कर लिया। इस आंदोलन में लगभग डेढ़ वर्षों तक आप खंडवा और जब्बलपुर की जेलों में रहे। पता – खंडवा, सी० पी०

बुलडाना जिला

इस जिले में पुलिस ने १०० व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। इसी के विरोध में जनता ने सभाएँ कीं और जुलूस निकाले। रेलवे लाइन के पास घूमने वाले २ बच्चों को गोली मार दी गयी।

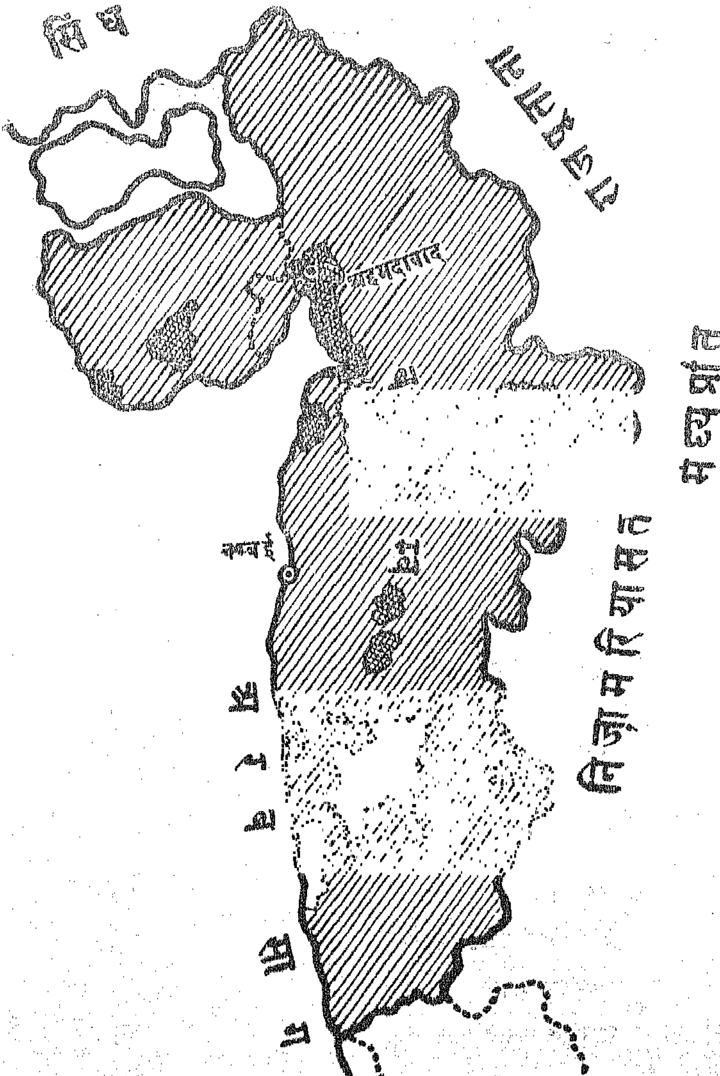
श्रीओंकारदत्त राठी

आपके पिताजी का नाम श्रीनारायणदास राठी है। जन्म आपका जोधपुर रियासत में २५ सितम्बर, सन् १९१० में हुआ। शिक्षा आपने मलकापुर में मैट्रिक तक पायी। मलकापुर तालुका कांग्रेस कमिटी के आप सन् १९३७ से '४० तक मन्त्री, मलकापुर शहर कांग्रेस कमिटी के सन् १९३९ से ४८ तक सभापति और बुलडाना जिला कांग्रेस कमिटी के सन् ४० से आजतक सदस्य हैं। सन् १९३८ से ३९ तक आप मलकापुर म्युनिसिपल कमिटी के वायस चेयरमैन रहे।

सन् '४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह में आपने सक्रिय भाग लिया। २३ दिसम्बर, '४० को आप गिरफ्तार हुए और ६ महीने बाद २१ मई ४१ को रिहा हुए।

पता – मलकापुर, बुलडाना (बरार)

बम्बई-प्रान्त में :—



अगस्त-क्रान्ति की प्रगति

सन् '४२ की क्रान्ति में—

जनप्रयास और दमन के आँकड़े

गिरफ्तार	५०००
पुलिस ने गोलियां चलायीं	१९५ बार
जनता — मृत्यु	१०६
[जनता] — घायल	३३२
पुलिस — मृत्यु	५
[पुलिस] — घायल	५२७
टियर गैस का प्रयोग	११ बार
अन्य सरकारी नौकर की मृत्यु	१
,, ,, ,, घायल	११५
फौज ने गोलियां चलायीं	१४
मृत्यु	८
घायल	३२
सरकारी इमारतों को नुकसान—	
थाने आदि	४३
प्रान्तीय सरकार की इमारतें	१८२
बम फटे	३७५
रेलगाड़ियां उलटी गयीं	१३
सामूहिक जुर्माना	६,९३,४५० रु०
सामूहिक जुर्माने वाले गांव	१४०

बम्बई-प्रान्त

गर की हरहराती लहरों के माथे में बसी बम्बई भारत का एक प्रधान शहर है। तिजारत में आज यह कलकत्ता को भी मात कर रही है। भारत का यह सबसे बड़ा सामुद्रिक बन्दरगाह है। पूर्व की यह एक प्रधान तिजारती मंडी है। कपास के लिये यह संसार-विख्यात जगह है। भारत में पश्चिमी सभ्यता के रंग में यह शहर सबसे अधिक रँगा हुआ है। कला, विज्ञान, व्यापार आदि का यह केन्द्र है। अमेरिका के गृह-युद्ध के बाद बम्बई की रौनक बढ़ चली। तब अमेरिका ने इसे कपास-बाजार का सर्वप्रधान स्थान घोषित कर दिया। इस शहर की आबादी ११, ६१,००० है।

बम्बई प्रेसिडेंसी में २६ ब्रिटिश जिले और १९ देशी रियासतें हैं। नर्मदा नदी के उत्तर में यह प्रान्त चौड़ा और उपजाऊ है। इस भाग में कपास, अफीम और गेहूं की खेती अधिक परिमाण में होती है। दक्षिण में लोहे और कोयले की खानें हैं। परन्तु, कोयला थोड़ी मात्रा में ही उपलब्ध है जिस कारण इसे कोयले के लिये बिहार की कोयला खानों से अपना सम्बन्ध बनाये रखना पड़ता है। समुद्री किनारे और मैदान की आब-व-हवा गर्म और नम है; लेकिन प्लेटो की सुखद। भारत के विभिन्न स्थानों से यहाँ पर्यटक स्वास्थ्य-सुधारने के लिये आते हैं। प्रान्त की प्राकृतिक सुन्दरता और स्वास्थ्यवर्द्धक जलवायु ने इसे कई जातियों और संस्कृतियों का सगम-स्थल बना दिया है। इस कारण देश का यह एक विकसित और जागृत प्रान्त बन गया है। यहाँ से सूती कपड़े, चीनी, चाय, ऊन और दवाइयाँ बाहर भेजी जाती हैं।

बम्बई प्रेसिडेंसी का क्षेत्रफल लगभग ७७, २२१ वर्गमील और आबादी १ करोड़ ४० लाख है।

जवांमर्द और खूनी बयालीस ! हरारत और हशरत से भरा बयालीस !! पिस्तौल और बन्दूकों की आवाज़ से गूँजा बयालीस !!! फाँसी की रौनक, लूट की बेशर्मी और बलात्कार के कारनामें—बयालीस सिसक रहा था! गोलियाँ चलीं, मासूम बच्चों का करेजा उछला; किर्चें भोंकी गयीं, नारियों की छातियाँ दरकीं; तोपें गरजीं और गवर्नरों ने अपनी मूछों पर हाथ फेरा। फिर आग लगायी गयी, गांव लूटे गये और वे सब हुए, जिनके नाम पर अंगरेज दुनिया के सामने शेखी बघारते हैं !

बाँध कफ़न सर...

वह रात बम्बई की थी, जब पंडित नेहरू ने 'भारत छोड़ो' का प्रस्ताव पेश किया। बम्बई की ओर से बोलते हुए पंडित नेहरू ने कहा था—'जो अमरीकन और अंगरेज समझते हैं कि हम भूल कर रहे हैं, उनसे मेरा यही कहना है कि अपनी परेशानी हमीं ठीक कर सकते हैं।'

६ अगस्त का सूर्य अभी क्षितिज के नीचे था। आसमान पर मायूसी छा रही थी। आने वाली आफ़त का ख़याल कर धरती अकुला उठी थी। बम्बई सोयी थी—निश्शब्द, पर आतुर। पुलिस महात्माजी को गिरफ़्तार कर रही थी। वे मुस्करा रहे थे। भारत की करोड़ों जनता के सर पर साया करने वाले हाथ भगवान् की ओर उठे थे। बम्बई सोयी थी !

पौ फटी। रात बीत गयी। उजेला फैलने लगा। बम्बई जगी। बापू की गिरफ्तारी की खबर इस-उस कान से उसके पास पहुँची। शोले भड़के। ज़माने से राख के नीचे सुलगी आग ने जोर पकड़ा। बम्बई तब विद्रोहिणी के वेश में सज रही थी।

८ अगस्त को रात १२ बजे 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव पास हुआ। सभी नेता अपने-अपने ठहरने की जगहों पर चले गये। उसी समय नयी दिल्ली में वायसराय की कौंसिल में कुछ घंटे पहले तय हुई बात को एसोसियेटेड प्रेस के सम्वाददाता ने बम्बई भेजा। एक सम्वाददाता ने टेलीफोन से सरदार पटेल को सूचना दी—

"कौन? सरदार साहब हैं? अच्छा महाशय, अब आपको सोने के बजाय जेल की तैयारी कर लेनी चाहिये।"

सरदार ने हँसते हुए कहा - "अगर इतनी जल्दी इस प्रकार की तैयारी हो जायगी, इसे सोचा किस प्रकार जाय!"

फिर टेलीफोन खटखटाये जाने लगे। लेकिन, बेकार। तबतक नेताओं की गिरफ्तारी के सभी गुप्त प्रबन्ध कर लिये गये थे। उस समय रात के २ बज रहे थे। पुलिस ने टेलीफोन के सभी कनेक्शन काट दिये थे।

इसके साथ बम्बई के हर स्टेशन पर पुलिस का पहरा तैनात कर दिया गया था। ऐसी घटनाओं से जनता चौंक पड़ी। उसे सन्देह हो गया कि महात्माजी गिरफ्तार कर लिये गये। सुबह सम्वाददाताओं की एक भीड़ बिड़ला हाउस में असलियत का पता लगाने पहुँची। अभी वे लौट रहे थे कि गेट पर पुलिस की लारियाँ दीख पड़ीं। दरवाजा खोलने के लिये कहने पर चौकीदार ने बतलाया कि तालियाँ कहीं खो गयी हैं। पुलिस फाटक पर चढ़कर अन्दर कूद गयी। १० मिनट में तालियाँ मिल गयीं और दरवाजा खुल गया।

५ बजे, जिस समय पुलिस दरवाजा फाँद कर अन्दर घुसी, महात्माजी बकरी के दूध और सन्तरे के रस का नाश्ता कर रहे थे। कायदे से पुलिस ने उनको सूचना दी। इसके बाद उन्होंने 'वैष्णव जन तो तेने कहिए' और कुरान की आयतें सुनीं। प्रार्थना खतम होने पर उन्होंने बिस्तर ठीक कराया जिसमें गीता, कुरान, कवायद उर्दू और भजन की एक पुस्तक रखवायी।

यह सारा प्रबन्ध काफी होशियारी के साथ पुलिस कर रही थी। बात खुल जाने के भय से उसने सम्वाददाताओं को घेर लिया। परन्तु, कुछ रिपोर्टर खिसक गये और उनके जरिये पेत्रों में खबर पहुँच गयी।

इसके पहले कार्यसमिति के एक सदस्य श्रीशंकरराव देव गिरफ्तार हो चुके थे। पान्च बजे सुबह तक कार्यसमिति के प्रायः सभी सदस्य बन्दी बनाये जा चुके थे। बम्बई के सभी दैनिक पत्रों में पौने सात बजे इस गिरफ्तारी की खबर छप गयी। जनता उतावली होकर विक्टोरिया टरमिनस स्टेशन पर सात बजे पहुंच गयी। 'इन्किलाब जिन्दाबाद' से बम्बई गूंज रही थी। स्टेशन पर महात्माजी के साथ सभी नेता मोटर बसों द्वारा लाये गये।

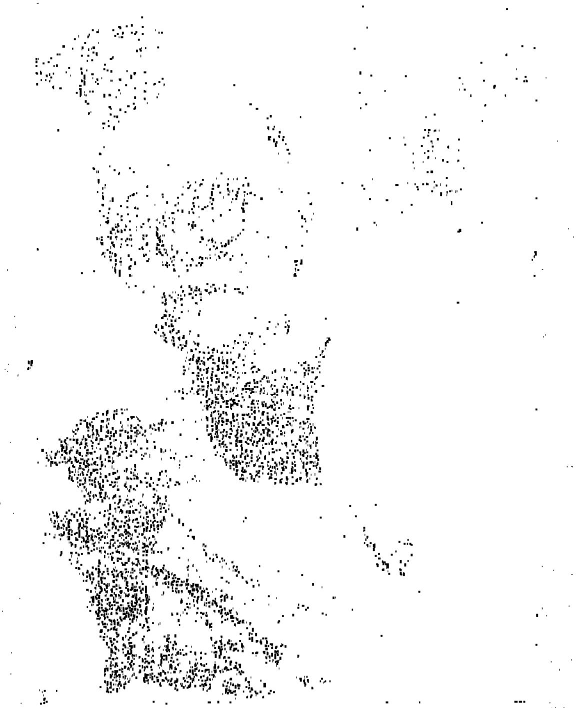
महात्माजी का डब्बा सबसे आगे था। किसी को भी पुलिस ने वहां नहीं जाने दिया। स्टेशन से जब गाडी हट गयी, सब नेताओं को जलपान कराया गया।

नाश्ते के बाद जब यूसुफ मेहरअली अपने डब्बे को जा रहे थे, पट्टाभि से बात करने के लिये वे उनके डब्बे में चले गये। सी०आई०डी० के इंस्पेक्टर जनरल मि० शार्पर ने डब्बे के भीतर झांक कर कहा—'यदि यहां बम्बई के कोई सज्जन हों तो कृपा कर वे अपने डब्बे में चले जायें।' मेहरअली साहब ने बात खतम करके जाने को कहा। मि० शार्पर जरा गरम होकर बोले--अभी नाश्ते में आप साथ थे, फिर भोजन के समय मुलाकात होगी।' मेहरअली साहब ने जवाब दिया—'जरा मुलायमियत से बोलिये। दो मिनट में ही मैं चला जाऊँगा।' कुछ देर बाद रुककर उस उज्जड अफसर ने कहा—'हाय बॉय। अब चलो।'

बात बिगड़ने लगी। मेहर अली ने कहा-'तुम जानते हो, मैं क्या हूँ ?' अफसर ने जवाब दिया--'तुम जानते हो, मैं क्या हूं ?'

'मैं बम्बई का मेयर हूं'—मेहरअली साहब बोले। 'मैं तुमको यहीं बैठा सकता हूं'—कहते हुए शार्पर ने उनके कन्धे पर हाथ रख धीरे से दबा दिया। बस, गरमा-

अमर शहीद श्रीमहादेव देसाई



(बापू के दाहिने हाथ)

बयालीस ने इनकी भी बलि ले ली। आगाखाँ महल में बन्दी की हालत में ये शहीद हुए।

गरम बात छिड़ गयी। अंगरेज ने नम्र शब्दों में क्षमा मांगी। परन्तु, उनका क्रोध शान्त न हुआ। थोड़ी देर बाद ही कुछ लोग गाड़ी से उतार लिये गये।

चिंचवड़ मुकाम पर गाड़ी खड़ी करके महात्माजी का और किरकी में बम्बई वाला दल उतार लिया गया। बम्बई वाले दल के एक सज्जन ने डब्बे में से उतरने से इन्कार कर दिया। फलतः पुलिस आपको कन्धे पर लाद कर ले गयी।

पूना में अखबारों और रेडियो के द्वारा इस गिरफ्तारी की खबर सुबह ही लग गयी थी। जब गाड़ी वहाँ पहुँची, जनता ने राष्ट्रीय नारों से नेताओं का स्वागत किया। बस, इसी अपराध पर पुलिस लाठियाँ चलाने लगी। पंडित नेहरू ने यह सब देखा और चिल्लाकर कहा—'छि! बच्चों पर लाठी चार्ज।' फिर वे खिड़की पर चढ़ कर कूद पड़े। जैसे ही लाठी-चार्ज करने वाले अफसर के पास वे पहुँचे, मि० शार्पर ने उन्हें पकड़ लिया। अब लगी खिंचतान होने। नतीजा यह हुआ कि पुलिस के एक सिपाही को नेहरूजी के घूंसों और थप्पड़ों का जोशभरा स्वागत कबूल करना पड़ा।

स्थिति की गम्भीरता देख शंकररावजी देव डब्बे से कूदे और नेहरूजी के पास जाने की कोशिश करने लगे। तभी पुलिस के एक सिपाही ने आपकी लंगोटी पकड़ और अपने कन्धे पर लाद डब्बे में पहुँचा दिया। पीछे नेहरूजी को इसी प्रकार कन्धे पर लादकर डब्बे में पहुँचा दिया गया। फिर पूना से दूसरी ट्रेन रवाना हुई। अहमदनगर फोर्ट में नेताओं को उतार कर किले में पहुँचा दिया गया। गांधी जी आगा खां पैलेस और बम्बई के नेताओं को अहमदाबाद जेल भेज दिया गया।

गिरफ्तारियों के विरोध में सभाएँ हुईं। शहर में हड़ताल मनायी गयी। पुलिस ने टक्कर ली। १५ जगह उसने अपनी गोलियों की मार आजमाई। सरकारी रिपोर्ट का कहना है, 'इसमें ८ मरे और १६९ घायल हुए।'

फिर तो अगस्त तक यह रवैया कायम रही। सरकार ने लाख चिल्ल-पों मचायी, पर विद्रोहियों के सर न झुके। एक बार जो सर पर कफन बाँध लिया, उसे उतारने का अवसर हाथ न आया।

१० अगस्त को पुलिस और फौज की गोलियों से १६ मरे, ११४ घायल हुए। जनता तब भी न रुकी। अतः ११ अगस्त को पुलिस ने कोड़ामार कानून को अपना अस्त्र बनाया। १४ अगस्त को शहर के प्रमुख २५ व्यापारी पकड़े गये, इन लोगों ने बाजार और स्टाक एक्सचेंज बन्द रखा था। सरकार जोर लगाती गयी और जनता तनती। इधर सरकार ने बिना पूछे किसी को गोली मार देने का आर्डर दिया और उधर प्रति तीसरे दिन किसी न किसी प्रकार का सरकार-विरोधी प्रदर्शन चलता रहा। राष्ट्रीय झण्डे को सलामी, जुलूस और सभाओं का क्रम जारी रहा। सन ४४ की फरवरी तक यह अवस्था कायम रही।

श्रीकुन्दनमल फिरोदिया

कालेज जीवन से ही आप लोकमान्य तिलक के अनुयायी थे। अहमदनगर के आप प्रतिभाशाली वकील हैं। सन् १९१६ में आप जिला कांग्रेस-कमिटी के मन्त्री थे। उसी साल अहमदनगर में होने वाली बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस के भी आप मन्त्री चुने गये। सन् '२० में अहमदनगर राष्ट्रीय विद्यालय की संस्थापना करने वालों में आप भी एक थे। तिलक-स्वराज्य-फण्ड के लिये आपने बहुत काम किया।

सन् '२७ में महात्माजी के साथ आपने अहमदनगर जिले का दौरा किया। सन् ३०-'३२ के आन्दोलन में आपने काफी आर्थिक सहायता प्रदान की। सन् '४० में आप जिला-बोर्ड के सदस्य चुने गये। २० वर्षों तक आप पिंजरापोल के मन्त्री रहे और सन् १९१७ से ही आयुर्वेद महाविद्यालय के सभापति हैं। 'नगर-शिक्षा-कमिटी' के सदस्य और मर्चेन्ट्स एसोसियेशन के आप सभापति रह चुके हैं। कांग्रेस की प्रमुख पत्रिका 'संघ-शक्ति' के सम्पादकीय विभाग में भी आपने कार्य किया है। नगर कोआपरेटिव बैंक के आप सन् '३० से चेयरमैन रहे। पिछले कांग्रेस-मन्त्रि-मण्डल के समय आप प्रान्तीय असेम्बली के सदस्य थे।

सन् '४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह-आन्दोलन में पहली बार आप ६ महीने के लिये जेल गये। सन् '४२ की क्रान्ति में आपको २१ महीने की सजा हुई। आज-

कल आप बम्बई प्रान्तीय असेम्बली के स्पीकर हैं। आपका जन्म कार्तिक शुक्ला षष्ठी, संवत् १९४२ को अहमदनगर में हुआ। पिताजी का नाम स्व० सोमाचन्दजी फिरोदिया था।

पता—बम्बई कौंसिल हाल, बम्बई

स्व० रामकृष्णजी धूत

आपका जन्म सन् १८९६ में जोधपुर के एक गाँव में हुआ। लेकिन, आपका रहना वहाँ अधिक दिनों तक न हो सका। अपने चाचा के साथ आप सन् १९०२ में हैदराबाद (दक्षिण) में आ गये। उस समय से आप बराबर हैदराबाद में रहे।

प्रारम्भ में आपने सामाजिक कार्यों की ओर अपने कदम बढ़ाये। अपने कई मित्रों की सहायता से आपने 'मारवाड़ी मण्डल' नामक एक सभा और 'मारवाड़ी हिन्दी-पुस्तकालय' नामसे एक वाचनालय की स्थापना की। यह सन् १९१७ की विजया-दशमी के दिन की बात है। हैदराबाद और अन्य देशी रियासतों में ये सभाएँ आज भी अपना कार्य कर रही हैं। 'मारवाड़ी मण्डल', हैदराबाद रियासत के सुधारक मारवाड़ी वर्ग की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है। बहुत दिनों तक आप इसके प्रधान मन्त्री रहे। बाद में सभापति चुने गये।

कोकोनाडा कांग्रेस-अधिवेशन के समय से आप राष्ट्रीय कार्यों में दिलचस्पी लेने लगे। आपकी ही लगन से हैदराबाद में 'खादी-भण्डार' कायम हुआ, जो बाद में महाराष्ट्र-संघ के अन्तर्गत हो गया। हैदराबाद जिला कांग्रेस-कमिटी के आप कोषाध्यक्ष भी थे। हैदराबाद स्टेट-कांग्रेस की एक स्थायी समिति सन् '३८ में बनायी गई, उसके आप संयोजक नियुक्त हुए। फिर स्टेट-कांग्रेस की कार्य-समिति के आप प्रधान मन्त्री निर्वाचित हुए। जब सत्याग्रह की तैयारी हुई, उस समय आप ही पहली कड़ी के डिक्टेटर बनाये गये थे। उस सिलसिले में आपको कैद कर लिया गया था।

अपनी निर्भीकता और राष्ट्रीय सेवा-भावना से जनता के बीच आपका एक स्थान सुरक्षित हो गया। दक्षिण भारतीय राजस्थानी युवक-सम्मेलन के इगतपुरी अधि-

वेशन और बरार प्रान्तीय मारवाड़ी कार्यकर्त्ता-सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के आप ही सभापति चुने गये थे। हैदराबाद की हिन्दी-प्रचार-सभा के भी आपने शिक्षा मन्त्री पद पर काम किया था।

आपकी सार्वजनिक सेवा दक्षिण में प्रख्यात है। हैदराबाद में ऐसी एक भी राष्ट्रीय और सामाजिक संस्था नहीं, जिसमें किसी-न-किसी रूप में आप शामिल न हुए हों। आपका स्वभाव सरल, मिलनसार, निरभिमानी और सुन्दर था। मित्रों के बीच आपका स्थान सदा ही आकर्षक और सम्मानपूर्ण रहा।

श्रीमदनलाल जालान

आपके पिताजी का नाम स्व० भूरामलजी जालान था। जन्म आपका जयपुर रियासत के फतेहपुर में हुआ। सन् '३० के नमक-सत्याग्रह में आपको तीन महीने की सजा हुई। '३२ के आन्दोलन में रूई बाजार में बायकाट, अर्थ-संग्रह आदि का काम आपके ही जिम्मे था। उसी समय 'सेलो-कमिटी' की आपने काफी आर्थिक सहायता की। सन् '४२ के आन्दोलन में बम्बई के गुप्त कार्यकर्त्ताओं की आपने विशेष सहायता की। पता—२१२ कालबा देवी रोड, बम्बई २

श्रीनिवास बगड़का

जयपुर स्टेट के बगड़ गाँव में आपका जन्म हुआ। उस दिन संवत् १९५४ के आषाढ़ की पूर्णिमा थी। आपके पिताजी का नाम स्व० भगवानदासजी बगड़का था। सन् ३२ में 'सेलो-कमिटी' के आप इंचार्ज थे। उसी साल सर्वप्रथम आपको २ महीने की सजा हुई। दूसरी बार फिर गिरफ्तार हुए। इस बार २ महीने जेल में रहे। रिहा होने के बाद पुलिस ने आपको फिर गिरफ्तार किया और १८ महीने तक जेल में रखा।

सन् '३९ में जयपुर सत्याग्रह-आन्दोलन हुआ। बम्बई से ५ आदमियों का एक जत्था सत्याग्रह करने के लिये जयपुर भेजा गया। आप उसके इंचार्ज थे। आप

गिरफ्तार हुए और ४ महीने की सजा हुई। यही बाद में बढ़ा कर ५ महीने कर दी गयी, जिसे आपने जयपुर के मोहनपुर जेल में काटी। सन् '४२ के आन्दोलन में जब आपने आन्दोलन-कार्यों में शिथिलता का अनुभव किया, पुलिस कमिश्नर को फोन पर सूचना देकर अपने आपको गिरफ्तार करा दिया। दो महीने की सजा हुई। आपको रिहा करते समय सरकार ने दिन में एक बार पुलिस चौकी में आकर हाजिर होने की शर्त आपके साथ की। लेकिन, जैसे ही आप जेल से बाहर निकले, फरार हो गये। ५ महीने तक लगातार पुलिस आपकी खोज करती रही, परन्तु पता न पा सकी। बाद में गिरफ्तार हुए। इस बार १५ महीने की सजा मिली। बम्बई प्रान्त की सबसे खराब जेल विशापुर में आप रखे गये।

पता—२१२ कालबा देवी रोड, बम्बई

श्रीइकड़मल मोदी

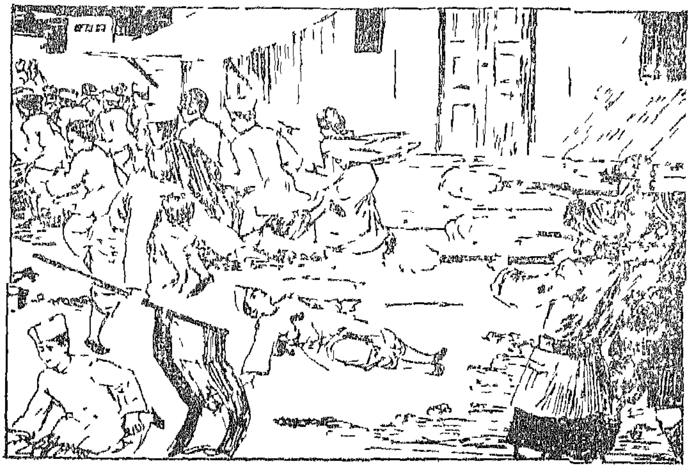
आपका जन्म जयपुर स्टेट के रामगढ़ में संवत् १९६१ की कार्तिक पूर्णिमा को हुआ। पिताजी का नाम स्व० जीवनराम मोदी था।

जयपुर-सत्याग्रह से आपके राष्ट्रीय जीवन में विकास आ गया। बम्बई से जयपुर जाने वाले दूसरे जत्थे के आप इंचार्ज थे। मोहनपुर जेल में आपने पौने पाँच महीने की सजा काटी।

पता—अग्रवाल नगर, बिल्डिंग नं० ६,
ब्लाक नं० १२, विन्सेंट रोड, मांटुंगा, बम्बई

श्रीसोहनलाल अग्रवाल

पहली बार जयपुर-सत्याग्रह के सिलसिले में सन् '३९ में आप जेल गये। श्रीनिवासजी बगड़का के इंचार्ज में जाने वाले पहले जत्थे में एक आप भी थे। मोहनपुर जेल में आप ५ महीने रखे गये।



आजादी हासिल करने के लिये खूनी कुर्बानियाँ !
बम्बई के धुलिया जिले में पुलिस थानेदार
का अत्याचार ! हाथ में तिरंगा लिये
एक १४ वर्षीय बच्चेका शरीर
गोलियों से चलनीकर दिया गया ।

सन '४२ के तूफानी आन्दोलन में आप फिर गिरफ्तार किये गये। उस समय बम्बई से क्रान्तिकारी पैम्फलेट निकालने वालों में आपका भी हाथ रहा। वार्ली और यरवदा की जेलों में आप ९ महीने रहे।

पता—साप्ताहिक 'आवाज', हमाम स्ट्रीट, फोर्ट बम्बई

श्रीलक्ष्मीनारायण मूंदड़ा

सन '४२ की क्रान्ति में आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया। वार्ली और भाईखाला जेल में आपको ९ महीने तक रखा गया। कांग्रेस के आप एक कुशल कार्यकर्त्ता हैं।

पता—सागरमल लोयलका, शेयर बाजार, बम्बई १

श्रीपशुपतिनाथ कानोडिया

आपके पिताजी का नाम श्रीनगरमल कानोडिया है। जन्म आपका युक्तप्रान्त के गोरखपुर जिले के पडरौना गांव में हुआ। आपको मैट्रिक तक शिक्षा मिली है।

सन '४२ के आन्दोलन में आपको १२ महीने की सजा हुई। थाना, वार्ली और नासिक जेलों में आप रखे गये। आप कांग्रेस के एक कुशल कार्यकर्त्ता हैं।

पता गणेशनारायण ओंकारमल, कालबा देवी रोड बम्बई-२

श्रीशिवचन्द्र राय गुप्त

शुरू से ही कांग्रेस-कार्यों में आपकी दिलचस्पी रही। '४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह-आन्दोलन में आपको सात-आठ महीने की सजा दी गयी। इस बार वार्ली और नासिक जेल में आप १८ महीने रहे।

आपके पिताजी का नाम श्रीरामस्वरूप गुप्त है। शिक्षा आपकी मैट्रिक तक हुई है। आजकल कांग्रेस के रचनात्मक कार्यों में आप विशेष भाग लेते हैं।

पता-मार्फत श्रीरामेश्वर गुप्त, ईस्ट इण्डिया काटन एसोसियेसन बिल्डिंग, मारवाड़ी बाजार, बम्बई २

श्रीबाबूलाल मारवारिया

आपके पिताजीका नाम श्रीपीरामल मारवारिया है। बम्बई विश्वविद्यालय से आपने बी० ए० परीक्षा पास की है।

आपकी राष्ट्रीय सेवाएँ काफी हैं। लड़कपन से ही आपके अन्दर देशभक्ति की भावना उत्पन्न हो गयी। सेंट जेवियर्स कालेज में पढ़ते समय आपने विद्यार्थी-संघ, बम्बई में दिलचस्पी लेना शुरू किया। आप उसकी कार्यकारिणी के सदस्य और कोषाध्यक्ष भी रहे। इसी समय आपका सम्बन्ध श्रीमिहरअली से हुआ, जिस कारण आपका झुकाव कांग्रेस-समाजवादी पार्टी में हो गया।

सन १९३८ में आप बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी के सदस्य चुने गये। उस समय तक आपसे कम उम्र का कोई भी व्यक्ति बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी का सदस्य नहीं बना था।

सन '४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह में आप गिरफ्तार हुए। नासिक जेल में आपको ६ महीने रखा गया। सन '४२ के आन्दोलन में आप ९ अगस्त को ही गिरफ्तार हो गये। दो वर्षों तक आप नासिक, वार्ली और आर्थर रोड की जेलों में रहे। पता चतुर्भुज पीरामल, मारवाड़ी बाजार, बम्बई-२

श्रीपरमानंद कुँअरजी

आप बी० ए०, एल-एल० बी० हैं। राष्ट्रीय आन्दोलनों के सिलसिले में आप कई बार जेल-यात्रा कर चुके हैं। आप एक कट्टर समाज सुधारक हैं। 'प्रबुद्ध जैन' मासिक पत्रिका के सम्पादन में आपकी उत्कण्ठ सुधार-प्रियता और कट्टर देश-भक्ति का परिचय मिलता है।

स्व० रतनलालजी जोशी

आप एक कर्मठ कार्यकर्त्ता थे। सन् १९३० और '३२ के आन्दोलनों में आपको सजा हुई थी। सन् '३२ में आप विशापुर जेल में रखे गये थे। जेल में

ही आप बीमार पड़े। इसी बीमारी के चलते हृदय की गति बन्द हो जाने से आपकी मृत्यु हो गयी।

सेठ जमुनादास अडूकिया

सन् '३२ के सत्याग्रह में आपका कार्य महत्त्वपूर्ण था। उस समय आप सक्रिय राजनीति में भाग लिया करते थे। रूई के पाटिये के बहिष्कार में आपका जबरदस्त हाथ था। फिर आपको डिक्टेटर बनाया गया, जिस हैसियत से आपने जेल-यात्रा की

स्व० बैजनाथजी सेकसरिया

सन् '३२ के आन्दोलन में आपने बम्बई में काफी काम किया। रूई के पाटिये के बहिष्कार-आन्दोलन के आप एक जबरदस्त स्तम्भ थे। कांग्रेस ने आपको बाद में आन्दोलन का डिक्टेटर बनाया। इस आन्दोलन में आपको सजा भी हुई।

श्रीबनारसीदास खेतड़ीवाला

सन् '३२ के आन्दोलन में आपने देश-हित के लिये कार्य किया। रूई के पाटिये पर किया गया आपका काम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसी सिलसिले में आपको गिरफ्तार किया गया था।

श्रीमतीसौभाग्यवती देवी दानी

सन् '३२ के आंदोलन में आपकी सेवाएँ काफी हैं। समाज की आप एक विशिष्ट महिला हैं। उक्त आंदोलन में आपने जेल-यात्रा भी की।

श्रीमती दयावती देवी सराफ

सन् '३२ के सत्याग्रह में आपने उत्साह के साथ भाग लिया और जेल गयीं। आप बराबर उत्साह और निर्भयता के साथ राष्ट्रीय और सामाजिक कार्यों में भाग लेती हैं।

श्रीमहावीरप्रसाद

आप श्रीमदनलाल के सुपुत्र हैं। सन् '४२ के आंदोलन में बम-सम्बन्धी किसी जुर्म में पुलिस-द्वारा आप गिरफ्तार कर लिये गये। परन्तु, सबूत के अभाव में आप रिहा हो गये।

श्रीमदनलाल पित्ती

आप रायबहादुर श्रीगोविन्दलाल पित्ती के लड़के हैं। भारत में युवक-आन्दोलन की पहली संस्था 'बम्बई यूथ लीग' की स्थापना में आपका काफी हाथ रहा। सन् '३२ के आंदोलन में आप पर गैरकानूनी रेडियो-संचालन का अभियोग लगा। गिरफ्तार कर लिया गया। इस सिलसिले में आपको ९ महीने की सजा हुई। सन् '४२ के आंदोलन में भी आप पकड़े गये। इस बार आप पर आन्दोलन के प्रसिद्ध फरार श्रीअच्युत् पटवर्धन आदि को अपने यहाँ ठहराने का अभियोग लगाया गया। आर्थर रोड जेल में तीसरे दर्जे के आप कैदी रहे।

श्रीपशुपतिनाथ कारुण्डिया

सन् '४२ के आन्दोलन में आप गिरफ्तार हुए। आप पर पुलिस ने संगीन मामला चलाया। सरकारी रिपोर्ट में कहा गया था कि आप तोड़-फोड़ के कार्यों में भाग लेते रहे हैं। बम्बई में जिन तारों के द्वारा बिजली आती है, उन्हें तुड़वा कर आपने समूचे शहर को अन्धकारमय बना देने का प्रयत्न किया था। पुलिस-द्वारा लाख दौड़-धूप करने पर भी आप पर जुर्म साबित न किया जा सका। फिर भी आपको लम्बी सजा भुगतनी पड़ी। आप भी समाजवादी दल के एक प्रसिद्ध कार्यकर्त्ता हैं।

श्रीनारायण अग्रवाल

सन् '४२ के आंदोलन में पुलिस ने आपको श्रीपशुपतिनाथ कारुण्डिया के साथ गिरफ्तार किया। तीन महीने आपको जेल में रहना पड़ा।

श्रीकृष्णगोपाल माहेश्वरी

आप एक कर्मठ कार्यकर्त्ता हैं। सन '४२ के आंदोलन में भाग लेने के कारण आप गिरफ्तार कर जेल पहुँचा दिये गये।

श्रीधर शर्मा

सन '४२ के आंदोलन में ४ महीने तक गुप्त रहकर आपने कार्य किया। आप पर वारंट निकला। लेकिन, पूरी कोशिश करने पर भी पुलिस आपको गिरफ्तार न कर सकी। मजदूर-संघ और विद्यार्थी आंदोलनों में आप काफी भाग लेते हैं। जयपुर के सत्याग्रह-आन्दोलन में भी आपने संगठन, प्रचार आदि का दृढ़ता और सफलता के साथ संचालन किया।

श्रीरमणलाल अग्रवाल

आप सक्रिय राजनीति में विशेष भाग लेते रहे हैं। आपकी शिक्षा देश की प्रसिद्ध राजनीतिक शिक्षण संस्था 'काशी-विद्यापीठ' में हुई। अध्ययन के बाद ही आपको जेल चला जाना पड़ा। रेडिकल डिमोक्रेटिक पार्टी, बम्बई के आप कभी प्रमुख कार्यकर्ता रह चुके हैं।

श्रीरत्नाकर भारतीय

आपकी जेल-यात्रा जयपुर-सत्याग्रह के समय हुई। सन '४२ के अगस्त आंदोलन में आपने राजपूताने की रियासतों में काफी काम किया। आप एक लगनशील कार्यकर्त्ता हैं।

श्रीरामेश्वर जाजोदिया

सन '३२ के आंदोलन में आप बम्बई में गिरफ्तार किये गये। विशापुर जेल में आपको रखा गया। उस जमाने में आपकी गणना कांग्रेस के योग्य कार्यकर्त्ताओं में की जाती थी। आजकल आप कलकत्ते में रहते हैं।



सन् बयालीस के खूनी दिन ! सतारा में फरार व्यक्तियों की स्त्रियों और बहिनों पर पुलिस ने बलात्कार किया ।

सोलापुर जिला

आजादी के ज्वलन्त प्रतीक शिवाजी। महाराष्ट्र की अदम्य बलिदानी भावना। गौरव और देश-प्रेम का तब भी एक जमाना था। दिल्ली में गुलामी की बेड़ियों को मजबूत करने वाले औरंगजेब की नींद हराम हो गयी थी। सारा रनिवास रंजोग़म में डूबा था। भूषण ने लिखा है—

"ऐसी परीं नरम हरम पातसाहन की
नासपाती खातीं ते बनासपाती खाती हैं।"

महाराष्ट्र ने वह खेल खेला है! इतिहास है, गुजरी सदियां साक्षी हैं और पहाड़ तथा जंगलों में देश के नाम पर गिरे आंसू बता रहे हैं, महाराष्ट्र की जवांमर्दी लामिसाल है। इलाके की जमीन कड़ी, पथरीली और पहाड़ी है। निवासी मजबूत, मेहनती और गठीले। गुरिल्ला लड़ाई यहाँ के मुआफिक है।

सन् बयालीस आया। सरकार सकते की हालत में हो गयी। सभी सरकारी इमारतों पर धावा किया गया। हड़तालें हुईं, कारखानों में ताले लग गये। सरकार ने ज्यादती का सहारा लिया, जनता तन गयी। पुलिस और सेना ने गोलियां चलायीं, शहीदों की छातियां खुल गयीं। बर्बरता ने अमानुषिकता की ओर पांव बढ़ाया, विद्रोह और विरोध उभर आये।

लेकिन, सोलापुर की कसमसाती छाती को सहारा दिया एक ऐसे व्यक्ति ने, जिसका सारा जीवन ही देश की खलने वाली गुलामी और अत्याचार के विरुद्ध लोहा लेने में बीता है। सन् '२१ में वह नौकरशाही का बल आजमा रहा था। अत्याचारों और मनमानी के विरुद्ध शान्तिपूर्ण ढंग से लड़ने वालों की गतिविधि पर गौर कर रहा था। तब भी उसकी आँखों में उत्कंठा की भावना थी, दिल में कुछ करने की धुन। सोलापुर के वे योद्धा हैं—

श्रीरामकृष्ण जाजू

२१ अपनी आह-भरी याद देकर चला गया। '२२ में भी देश ने झुक कर सलाम करने की जरूरत न समझी। आंदोलन की जो लहर देश की तरुणाई में नवजीवन का संचार कर रही थी, उसकी ओर आपका भी ध्यान था। तरुणाई ने तब पहली बार जोरसे अंगड़ाई ली थी। वे दो साल गुजरे और आप पर राष्ट्रीयता ने अपना पूरा रंग जमा लिया।

१८ वीं जून। साल सन् १९२३ का। नागपुर में झण्डा-सत्याग्रह शुरू हुआ। आगे-पीछे सोचते-सोचते तो पूरे दो साल हाथ से निकल गये थे। इस बार आप चुके नहीं।

हाँ, नागपुर का झण्डा-सत्याग्रह! स्वर्गीय जमनालाल बजाज, जिनका बुद्धि-कौशल और अनुकरणीय सेवा-भावना आज भी देश के लिये एक गौरवपूर्ण वस्तु है, साथ रहे। सरकार ने आपको तीन महीने की सजा दी।

फिर सोलापुर का वह मार्शल-सत्याग्रह। तब आपको सात साल की सजा और २,००० रु० जुर्माना हुआ। जेल में आपसे ३ महीने चक्की चलवायी गयी। बीजापुर और यरवदा की जेलों में आप एक साल रहे। फिर महात्माजी के प्रयत्न से आपकी रिहाई हुई।

तब आया सन् '३०। असहयोग का वह जमाना! याद आज भी ताजा बनी है। ढाई वर्षों के लिये आप जेल गये। फिर सन् '४० के आंदोलन में आप गिरफ्तार हुए। लेकिन, दो महीने बाद ही रिहा कर दिये गये। फिर सरकार ने आपको बन्दी बनाया। इस बार आप एक वर्ष जेल में रहे। इस आंदोलन में सोलापुर के आप प्रथम सत्याग्रही थे। आचार्य विनोबा के बाद आप की ही गिरफ्तारी हुई।

सन् बयालीस। आग, आह और तूफान! जेल की दीवारें तक चीख पड़ीं। सन् १८५७ के बाद ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध यह दूसरी हुँकार थी—ईंट, पत्थर और

आग्नेयास्त्रों से भरी। कांग्रेस के बम्बई-अधिवेशन से आप वापस लौटे। सोलापुर स्टेशन पर ही पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया। सन् '४४ की जुलाई में आप छोड़े गये। इस प्रकार सब मिलाकर आपने सात बार बदनाम अंगरेज नौकरशाही की जेलों में अलख जगायी।

सामाजिक और रचनात्मक कार्यों की ओर भी आपका विशेष ध्यान रहा है। कस्तूरबा स्मारक-फण्ड में आपने सोलापुर से ९६,००० रु० भेजवाये। नोआखाली के दंगे में स्वयंसेवकों का एक जत्था ले आप सहायता-कार्य करने पहुंच गये। वहां १६ दिनों तक रहे। पंजाब-शरणार्थियों की सहायता के लिये आपने १० गांठ कपड़े और २,७०५ रु० भेजवाये। देश और समाज की सेवा में अबतक आपके द्वारा कोई १५,००,००० रु० का दान हुआ है।

दक्षिण प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन के आप मन्त्री रह चुके हैं। बम्बई प्रांतीय माहेश्वरी युवक-मण्डल और अखिल भारतीय मारवाड़ी युवक-मण्डल के अजमेर-अधिवेशन, सन् १९३५ के आप अध्यक्ष भी रहे।

जन्म आपका बीकानेर राज्य के जांगलू नामक गांव में ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया, संवत् १९५३ में हुआ। आपके पिताजी का नाम स्व० गणेशरामजी आजू था। आप सोलापुर जिले के एक प्रसिद्ध कार्यकर्ता हैं।   पता—तिलक चौक, सोलापुर

स्व० तपस्वी परशुरामजी राठी

आपके पिताजी का नाम श्रीसीताराम राठी है। सार्वजनिक कार्यों में आप विशेष भाग लेते थे। मृतक-बिरादरी भोज बन्द कराने में आपने काफी काम किया था। बाल-विवाह, अनमेल-विवाह आदि के आप कट्टर विरोधी थे।

सन् '३० के आंदोलन में आपकी पहली जेल-यात्रा हुई। दो वर्ष सीखचों के भीतर आप बन्द रखे गये थे। दूसरी बार सन् '३२ के आंदोलन में आप गिरफ्तार हुए। इस बार आपको यरवदा जेल में रखा गया था।

श्रीबिहारीलाल बलदवा

जन्म आपका संवत् १९४४ के लगभग रियासत जयपुर के मोड़ी गाँव में हुआ। आपके पिताजी का नाम स्व० सुखदेवजी बलदवा था। सन् '४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में आप गिरफ्तार हुए और ६ महीने की सजा आपने अरोरा (पूना) जेल में काटी। आप एक कट्टर समाज-सुधारक हैं। अपने द्वितीय पुत्र, श्रीरामकृष्ण बलदवा की शादी में, उनके नाबालिग होने के कारण आप शरीक नहीं हुए।

पता—४७१, मंगलवार पेठ, सोलापुर

श्रीमुरलीधर आसावा (माहेश्वरी)

आपका जन्म चैत्र कृष्णा द्वादशी, संवत् १९५९ को अहमदनगर जिले के संगमनेर में हुआ। आपके पिताजी का नाम स्व० रामलालजी आसावा था। जंगल-सत्याग्रह में आपको एक साल की सजा हुई। दूसरी बार आपको फिर गिरफ्तार किया गया और सौंवतवाड़ी कैम्प जेल में डेढ़ महीने तथा रत्नागिरी जेल में ढाई महीने आप रखे गये। 'मार्शल ला' के दिनों सोलापुर में सरकार ने आपको घुसने ही नहीं दिया।

पता—रामलाल बंशीलाल, चाटीगली, सोलापुर

श्रीमुरलीधर शारदा

फाल्गुन कृष्णा दशमी, संवत् १९७१ को सोलापुर में आपका जन्म हुआ। पिताजी का नाम स्व० मोहनलालजी शारदा था। राष्ट्रीय कार्यों में आपने बराबर भाग लिया है। सोलापुर कांग्रेस-कमिटी के आप मन्त्री और कोषाध्यक्ष रह चुके हैं। आजकल आप उसकी कार्यकारिणी में हैं। सन् '४२ के आन्दोलन में सरकार ने आपको एक साल तक नजरबन्द रखा। उस समय आप ११ महीने यरवदा और १ महीना नासिक जेल में रहे। पूना से प्रकाशित होने वाले हिन्दी साप्ताहिक पत्र 'नया राजस्थान' का संचालन आप ही करते हैं।

समय-समय पर आपने राष्ट्रीय और सामाजिक कार्यों में आर्थिक सहायता भी दी है। कस्तूर-बा-स्मारक फण्ड ५०१ रु०; अगस्त-आन्दोलन-१,००० रु०; हैदराबाद स्टेट-कांग्रेस-आन्दोलन ५०१ रु० और सरयूबाई स्मारक-फण्ड को १०,००० रु० की आपने सहायता दी है।

पता—१९४ बुधवार पेठ, मित्रनगर, सोलापुर

शहीद बालकृष्णजी शारदा

आपके पिताजी का नाम स्व० लक्ष्मीनारायणजी शारदा था। सन् '३० के आन्दोलन में आपने खुलकर भाग लिया। सरकार ने आपको गिरफ्तार किया। अदालत से आपको फांसी की सजा हुई। भारत की आजादी के लिये यह नौनिहाल सन् १९३१ की १२ जनवरी को फांसीपर लटका दिया गया।

स्व० बंकटलालजी सोनी

आपके पिताजी का नाम स्व० किशनलालजी सोनी था। जोधपुर स्टेट के डिड-वाना में आपका जन्म हुआ। शिक्षा आपको हाई स्कूल तक मिली थी।

राष्ट्रीय आन्दोलनों में आपके घरवालों ने काफी भाग लिया है। आपके लड़के श्रीहरिनारायण सोनी भी जेल-यात्रा कर चुके हैं। प्रान्तीय माहेश्वरी सभा के सोला-पुर-अधिवेशन के आप मन्त्री थे। सन '३० के 'मार्शल ला' में आपको एक साल की सजा हुई। यरवदा और बीजापुर की जेलों में आप रखे गये थे।

श्रीहरिनारायण सोनी

आपके पिताजी प्रसिद्ध राष्ट्रीय कार्यकर्ता स्व० बंकटलालजी सोनी थे। सोलापुर के 'मार्शल ला' में आपको एक साल की सजा हुई। आपका जन्म सोलापुर में हुआ। सन् '४२ के आन्दोलन में आपको ६ महीने की सजा और ५०० रु० जुर्माना हुआ। जेल से रिहा होने के बाद आपने गुप्त रूप से आन्दोलन की आर्थिक और सक्रिय सहायता की।

पता—सदर बाजार, सोलापुर

शहीद मोतीचन्दजी

सोलापुर से अध्ययन करने के लिये आप श्रीदिगम्बर-महाविद्यालय, जयपुर गये। परन्तु, वहां जाने पर आप क्रान्तिकारी दल में शामिल हो गये। इन्दौर पुलिस द्वारा जब श्रीशिवनारायण द्विवेदी गिरफ्तार किये गये, उस समय सरकार को क्रान्तिकारी दल और निमेज के (जिला शाहाबाद, बिहार) महन्त की हत्या का (२० मार्च, १९१३) पता लगा। इसी हत्या के सिलसिले में आप गिरफ्तार कर लिये गये।

कई महीने तक आप पर मुकदमा चला। अदालत ने आपको गुनाहगार ठहराया। फलतः आप फांसी पर लटका दिये गये।

स्व० माणीकचन्दजी

आप भी शहीद मोतीलालजी की तरह सोलापुर से श्रीदिगम्बर-महाविद्यालय, जयपुर में पढ़ने गये थे। उन्हीं की तरह आप क्रान्तिकारी दल के सदस्य बन गये। निमेज गाँव के महन्त की हत्या आदि अपराधों में आप भी गिरफ्तार हुए थे।

नासिक जिला

शहर में नेताओं की गिरफ्तारी शुरू हुई और हड़तालों का जोर बढ़ गया। रोज जुलूस निकलने लगे। पुलिस लोगोंको गिरफ्तार करने के लिये आयी, परन्तु उसके हथियार छीन लिये गये। फिर पुलिस का दूसरा जत्था आया और उसने लाठी-चार्ज शुरू किया। गोलियाँ भी चलायी गयीं। आमने-सामने होकर सामना करने वाला रास्ता जनता ने छोड़ दिया। लुक-छिप कर तार काटने, डाकखाने जलाने, रेलवे लाइन उखाड़ने आदि के कार्य सामूहिक रूप में किये जाने लगे।

श्रीपरशुराम कलंत्री

नासिक ताल्लुके में घूम-घूम कर आपने कांग्रेस का प्रचार किया। परन्तु, अधिक दिनों तक आप सरकार की निगाहों से बचे न रह सके। सन '४२ के १० अगस्त को आप पकड़े गये और ६ महीने बाद २१ जनवरी, सन् '४३ को रिहा हुए। जन्म आपका नासिक जिले के भगूर गांव में १८ सितम्बर, सन् १९२५ को हुआ। आप भगूर कांग्रेस-कमिटी के मन्त्री और नासिक ताल्लुका कांग्रेस-कमिटी के कोषाध्यक्ष रह चुके हैं। पता - भगूर, जिला नासिक

श्रीलक्ष्मीचंद आवड

आपके पिताजी का नाम श्रीरामचन्द्र आवड है। जन्म आपका ८ जुलाई, सन् १९१७ में हुआ। आप कांग्रेस के एक कर्मठ कार्यकर्त्ता हैं। सन् '४६-४७ तक आप जिला कांग्रेस-कमिटी के अध्यक्ष रहे।

सन् '४२ के आंदोलन में आपने सक्रिय भाग लिया। अतः गिरफ्तार होकर एक वर्ष लगभग जेल में रहे। पता—रविवार करंजा, तेली गली, नासिक

श्रीवंकटलाल लाहोटी

आपके पिताजी का नाम श्रीराधाकिशन लाहोटी है। जन्म आपका १५ अक्तूबर, सन् १९२१ को हुआ। कांग्रेस के कार्यों में आपने बराबर हिस्सा लिया है। भगूर कांग्रेस-कमिटी के आप सन् '४६ से ४७ तक मन्त्री और सन् ४४ से ४६ तक कोषाध्यक्ष रह चुके हैं। नासिक ताल्लुका कांग्रेस-कमिटी के आप सदस्य भी रहे हैं। भगूर म्युनिसिपलिटी के आप चेयरमैन भी रह चुके हैं।

सन् '४२ के आंदोलन में आपने सक्रिय भाग लिया। आंदोलन के गुप्त संचालन में आपका विशेष सहयोग रहा। कार्यकर्त्ताओं को हर तरह से सहायता प्रदान कर आपने आन्दोलन के कार्य को आगे बढ़ाया।

पता—भगूर, जिला नासिक

अहमदनगर जिला

कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य अहमदनगर के किले में बन्द रखे गये थे। देश ने इसकी ओर हसरत भरी नजर से देखा। तोड़ फोड़ के कार्य यहां भी किये गये। अहमदनगर जिले के एक बेंच मजिस्ट्रेट की अदालत फूंक डाली गयी। छावनी में पुलिस के सिपाहियों की वर्दियां तक उतरवा डाली गयी।

कोपर गांव में तार काटने के काम चलते रहे। मिलिटरी आयी, पुलिस के अफसर आये और ऊपर के हुक्कामों ने अपने होठ चबाये, परन्तु जनता ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जिला मजिस्ट्रेट के इजलास पर बम फेंका गया। माडर्न हाई स्कूल और लड़कियों के स्कूलों में कई बार बम विस्फोट हुए। स्कूलों में ताले डाल दिये गये। कचहरियों में स्मशान का सन्नाटा सांय-सांय करने लगा। हां, पुलिस की ओर से तलाशी के कार्य खूब किये गये।

श्रीजगन्नाथ नाउन्दर

आपका जन्म संगमनेर में हुआ। आपके पिताजी का नाम स्व० रामदयालजी नाउन्दर था। सन '३० के आन्दोलन में आपने सक्रिय भाग लिया। फलतः सरकार ने आपको गिरफ्तार कर लिया। नेलगाव जेल में आपको साढ़े तीन महीने रखा गया।

पता—जगन्नाथ रामदयाल नाउन्दर,
रा। मनेर, अहमदनगर

अहमदाबाद जिला

बयालीस के आन्दोलन में अहमदाबाद का एक गौरवपूर्ण स्थान है। पुलिस परीशान थी, टैंक और मशीनगनों की मार चुप्पी साधे पड़ी थी, कालेज और स्कूल बन्द

थे तथा कारखानों की चिमनी का धुँआ उड़ गया था। ढाई या तीन हजार की संख्या में लड़कों ने यहाँ जुलूस निकला। १० अगस्त को ही शहर में ७०० सैनिक आ गये। लड़कों और लड़कियों का जुलूस रोक दिया गया। सैनिकों ने उन्हें उठा-उठा कर बाहर फेंका। जुल्म के वे दिन कभी भूलने वाले हैं ?

सेना आयी। सारा शहर बौखला उठा। नारे लगते रहे, जुलूसों का निकलना रुका नहीं। टामी चिढ़े और बूढ़े-बच्चों तक को अपने क्रूर कारनामों का शिकार बनाया। मार-पीट में इतना अन्धेरखाता मचा था कि बड़े-बड़े व्यक्ति तक पीटे गये। करीब ४ महीने तक बड़े और छोटे बाजार बन्द रहे। लाठी-चार्ज की संख्या गिनती के बाहर है। २० बार पुलिस ने गोलियाँ चलायीं। १५ से २५ वर्ष तक की अवस्था के लोगों ने ही इस आन्दोलन में ज्यादातर अपनी छातियाँ खोलीं। १,०५७ आदमी पकड़े गये। ३९७ को नजरबन्द किया गया और ४३० को सजाएँ मिलीं। मरने वालों की संख्या १४ रही और २२२ को सांघातिक चोटें लगीं।

जनता ने भी तोड़-फोड़ के काफी काम किये। ५ बिजली स्टेशन, विक्टोरिया की मूर्ति, मेडिकल स्कूल होस्टल, पुलिस चौकी आदि स्थानों पर विद्रोहियों ने बम फेंके। रेलगाड़ियाँ गिराने के ३ प्रयत्न किये गये।

पं० बेचरदास न्यायतीर्थ

आप सन् '२० से ही कांग्रेस में काम करते आ रहे हैं। राष्ट्रीय आन्दोलनों में आप कई बार जेल-यात्रा कर चुके हैं। जब महात्माजी के आह्वान पर स्कूल और कालेज से विद्यार्थी हटने लगे, उसी समय गुजरात-विद्यापीठ की स्थापना हुई। इस विद्यालय के आप प्रोफेसर नियुक्त हुए।

श्रीरमणीकलाल मोदी

आप एक सुयोग्य कार्यकर्त्ता हैं। कांग्रेस के कार्यों में आप सन् '२० से ही भाग लेते आ रहे हैं। गुजरात-विद्यापीठ के संचालन का दायित्व आपने मन्त्री

बनकर निभाया। कांग्रेस-आन्दोलनों के सिलसिले में आप कई बार जेल-यात्रा कर चुके हैं।

श्रीरसिकलाल, एम० ए०

आप एक लगनशील कांग्रेस-कार्यकर्त्ता हैं। भारतीय इतिहास में गांधी-युग के आविर्भाव काल से ही आप राष्ट्रीय कार्यों में दिलचस्पी लेने लगे। बाद में कई आन्दोलनों में आप सरकार-द्वारा गिरफ्तार होकर जेल में बन्द रहे।

सूरत जिला

हड़तालों का यहाँ काफी जोर रहा। सूरत के कई कसबों में ये लम्बे अर्से तक चलती रहीं। कपड़ा-मिलों में साढ़े तीन महीने और बाजार में ढाई महीने तक हड़-ताल चली। लेकिन, विद्यार्थियों की हड़ताल पूरे साल भर तक चलती रही। सूरत, जलालपुर और बारडोली में पुलिस ने कई बार गोलियाँ चलायीं।

३० से अधिक पुलिस-चौकियों पर जनता ने हमले किये। बहुत से डाकखाने फूँक डाले गये। इस जिले पर १, ६५, २५० रु० सामूहिक जुर्माना किया गया। जिले में १, २८१ व्यक्ति गिरफ्तार हुए और ३७६ नजरबन्द। सजा ९०५ के व्यक्तियों को हुई।

पं० परमेष्ठीदासजी न्यायतीर्थ

आप कांग्रेस के एक योग्य और कर्मठ कार्यकर्त्ता हैं। सन् '४२ के आन्दोलन में आप सूरत में इंडिया आर्डिनेंस के अन्दर गिरफ्तार कर लिये गये। आप कांग्रेस कार्यों में बराबर भाग लेते हैं।

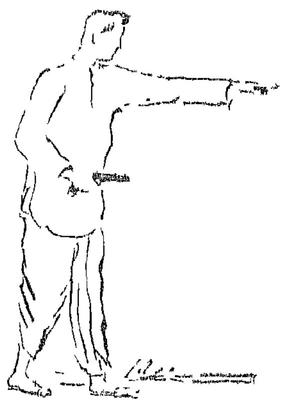
श्रीमती कमलादेवी

सन् '४२ के आन्दोलन में आपने सभाबन्दी कानून भंग कर गांधी चौक, सूरत में भाषण दिया। पुलिस ने इस अपराध पर आपको गिरफ्तार कर लिया। आप

अपने पति पं० परमात्माराम जी त्यागी के साथ साबरमती जेल में (अहमदाबाद) रखी गयीं। साथ में आपका तीन वर्ष का लड़का चि० जैनेन्द्र भी था। जेल में आप पांच महीने रहीं।

श्रीनवनीतलाल मोदी

आप एक उत्साही कार्यकर्ता हैं। सन '४२ के आन्दोलन में आप गिरफ्तार कर जेल भेज दिये गये। आजकल आप म्युनिसिपल कमिश्नर हैं।



दिल्ली-प्रान्त



यहां ९ अगस्त की सुबह ही सारे शहर में हड़ताल हो गयी। दोपहर को घंटाघर के पास से एक जुलूस निकला और ६ बजे सन्ध्या को गांधी-मैदान में उसने सभा का रूप ले लिया। इसमें १०,००० व्यक्ति शामिल थे। १० अगस्त की शाम को पुरानी दिल्ली में १,००,००० जनता की एक सभा हुई। १२ अगस्त को सुबह ८ बजे जनता की एक भीड़ पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। परन्तु, भीड़ हटी नहीं। कोतवाली के पास उसके पहुंचने पर डिप्टी कमिश्नर पर किसीने सोडावाटर की बोतल फेंकी। इससे उनकी आंख में चोट लगी। पुलिस ने गोलियां चलायीं, जिससे १ व्यक्ति घटनास्थल पर मरा और बहुत से घायल हुए।

जनता विध्वंसात्मक कार्यों में जुट गयी। टेलीफोन और टेलीग्राफ के तार काट डाले गये। इस सम्बन्ध में पुलिस द्वारा अनेक व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। म्युनिसिपल आफिस में आग लगाने के बाद पुलिस ने वहां पहुंच कर जनता पर गोली चलायी। आग बुझाने के दो इंजिन और आग बुझाने वाली एक मोटर सायकिल जनता द्वारा आग में झोंक दी गयीं।

फतेहपुर के पास गोरे सैनिकों द्वारा जनता पर गोली चलायी जाने के परिणामस्वरूप दो व्यक्ति मरे और अनेक हताहत हुए। पेट्रोल पम्प जला दिया गया। शहर के सबसे बड़े रेलवे क्लीयरिंग एकाउन्ट्स आफिस जलाकर राख कर दिया गया। एक व्यक्ति पर गोली चलाने के कारण एक पुलिस इंस्पेक्टर जान से मार डाला गया। पहाड़गंज के पास अंगरेजी फौज के बैरक पर धावा हुआ। फौजी भाग गये।

शामको करीब १२ स्थान दो घंटे में जलाये गये। पुलिस और फौज ने कई जगहों में गोली चलायी। शहर की बिजली के तार काट डाले गये। १३ अगस्त तक करीब १५० व्यक्ति गोली के शिकार बने थे।

ए० जी० सी० आर० आफिस के १२५ सरकारी क्लर्कों ने इस्तीफा दे दिया। सप्लाई विभाग के नेक-डिपार्टमेंट को काफी अंश तक फूंक दिया गया। १४ सितम्बर को कुछ छात्राओं ने थोड़े से मजदूरों की सहायता से असेम्बली भवन में पिकेटिंग की। उन पर पुलिस ने लाठी-चार्ज किया।

पिकेटिंग करते समय दिल्ली में २७० व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। ३० सितम्बर को जेल के भीतर राजनीतिक कैदियों पर लाठी-चार्ज किया गया।

बिजवासन और गुड़गांव के बीच बी० बी० एण्ड सी० आई० रेलवे की एक मालगाड़ी गिरायी गयी। बादली स्टेशन के कुछ रेकार्ड जला दिये गये। चांदी चौक के रेलवे बुकिंग आफिस पर बम फेंका गया।

स्व० पार्वतीदेवीजी डीडवानिया

जन्म आपका हुआ बंगाल प्रांत के रानीगंज में और कार्यक्षेत्र रही भारत की राजधानी दिल्ली। मारवाड़ी समाज के एक साधारण परिवार में पैदा हुईं, लेकिन राष्ट्र और समाज के प्रति आपके अन्दर इतनी लगन थी कि प्राचीन कुरीतियों को बात की बात में लात मार दिया। फिर आपने दिल्ली के उच्चतम समाज में विशेष स्थान प्राप्त कर लिया। अपने त्याग, सरलता, तपस्या और देशभक्ति की अदम्य भावना के कारण राष्ट्र ने आपका पूरा सम्मान किया। दिल्ली प्रांतीय कांग्रेस-कमिटी की आप उपाध्यक्षा बनायी गयीं। अलावे, कई सामाजिक और राजनीतिक सम्मेलनों की मनोनित अध्यक्षा हुईं।

आपका विवाह उदार विचार वाले श्रीचतुर्भुज डीडवानिया के साथ हुआ। ग्वालियर में आपने परदे का बहिष्कार कर दिया। उस समय आपके पति जियाजीराव

कॉटन मिल में काम करते थे। ग्वालियर में आपने 'महिला-शक्ति-सभा' नामकी संस्था भी स्थापित की। इन कार्यों में श्रीमती सत्यवतीजी आपकी पूरी सहायता कर रही थीं। सन १९२९ में लाहौर में होने वाले कांग्रेस-अधिवेशन में आप शरीक हुईं। राष्ट्र के प्रति अदम्य उत्साह और प्रेम के भाव यहीं पर आपके अन्दर घुसे।

यह प्रेम अधिक दिनों तक अन्दर न रह सका। उस दिन बिड़ला मिल में एक जुलूस निकलने वाला था। उसका नेतृत्व करने के लिये जाते समय आपने अपने पन्द्रह वर्षीय पुत्र से कहा था—"बद्री, मैं जा रही हूं। यह मुझे नहीं मालूम, वहां से लौटूंगी या जेल में अनिश्चित समय के लिये बन्द कर दी जाऊंगी! लेकिन, मुल्क अभी गुलाम है। तुम तबतक चैन न लेना, जबतक यह आजाद न हो जाय।"

सन् '३१ का आंदोलन। ६ मई को दिल्ली में पुलिस ने मशीनगन से जनता पर गोलियां चलायीं। वह आतङ्कित हो उठी। ऐसा मालूम होने लगा, अब सत्याग्रह की बात आयी-गयी-सी हो जायी। वह रात बीती, ७मई की सुबह। जनता ने आंखों में हर्ष और विस्मय के साथ देखा—श्रीमती पार्वती देवीजी और श्रीमती सावित्री देवी के साथ दिल्ली की महिलाएं धारा १४४ भंग कर सरकार के मुँह पर तमाचे लगा रही हैं। श्रीमती सत्यवती जी के गिरफ्तार हो जाने पर दिल्लीमें आंदोलन का नेतृत्व भार आप पर ही पड़ा। कोतवाली पहुंच आपने पुलिस को खरी-खोटी सुनायी। बस, आप कैद कर ली गयी।

फिर आप कई बार जेल गयीं। सन् '४२ के आंदोलन में आप फिर गिरफ्तार की गयीं। जेल में आपको कष्टों का सामना करना पड़ा। जेल में अधिकारियों की सतर्कता रहने पर भी आपने स्वतन्त्रता-दिवस मना लिया। इसी कारण आप पीटी गयीं। जेल के इन अत्याचारों ने आपका बायां हाथ और शरीर का बायां हिस्सा एकदम बेकार कर दिया। जेल में आप बहुत दिनों तक रहीं। जब आपके बचने की आशा एकदम न रह गयी, सरकार ने आपको रिहा किया। दिल्ली प्रांतीय कांग्रेस कमिटी की आप वर्षों तक उपाध्यक्षा रहीं। महिला-जागरण में आप बराबर सक्रिय

भाग लेती थीं। अखिल भारतीय महिला राष्ट्र में भी आपका निकट सम्बन्ध था।

७ मई, सन १९४७ की रात, सी० पी० टैंक रोड, बम्बई में स्थित अपने मकान पर आप मृत-अवस्था में पायी गयीं। जो गहने पहन कर आप सोयी थीं, वे सारे गायब थे।

स्व० सेठ केदारनाथजी गोयनका

आपके पिताजी का नाम स्व० सेठ कन्हैयालालजी गोयनका था। जन्म आपका जयपुर रियासत के नवलगढ़ में सन १८९१ के आसपास हुआ।

दिल्ली के सार्वजनिक जीवन में आपका प्रमुख हाथ था। मारवाड़ी पुस्तकालय, दिल्ली की स्थापना आपने अपने दान से सन १९१५ में की। हिन्द यंग मेंस एसोसियेशन, इन्द्रप्रस्थ सेवक मण्डल और मारवाड़ी एसोसियेशन दिल्ली (सन १९१३-१४) की स्थापना भी आपके द्वारा हुई। दयानन्द कालेज और स्कूल की स्थापना में भी आपका हाथ था। दिल्ली में हिन्दी-प्रचार के लिये आपने काफी सहायता दी। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के दिल्ली-अधिवेशन की सफलता का सारा श्रेय आपको ही है।

सन '३० में आप कांग्रेस के कार्यों में भाग लेने लगे। सन् '३१ में आप दिल्ली कांग्रेस-कमिटी के डिक्टेटर निर्वाचित हुए। दिल्ली के एक बहुत बड़े व्यवसायी के कपड़ों की गांठें कांग्रेस की ओर से 'सील' की गयीं। आपको १०,००० रु० देकर उन्होंने गांठें छुड़ाने की प्रार्थना की। अन्दर से दियासलाई लाकर आपने उनके देखते-देखते १०,००० रु० की उन नोटों में आग लगा दी। इस समय आपको एक वर्ष की सजा हुई थी।

सन् '४१ के व्यक्तिगत सत्याग्रह में आप फिर जेल गये। जेल की कठोरता, अत्याचार आदि के कारण आप बीमार पड़ गये। हालत चिन्ताजनक होने पर १५ दिन बाद आप रिहा हुए। इसी के एक महीना बाद २९ मार्च, सन '४१ को

सुबह ५॥ बजे आपका देहान्त हुआ। शुरू में आपका झुकाव आर्य-समाज की ओर था। दिल्ली आर्य-समाज के आप मन्त्री और सभापति थे।

आपका परिवार ही राष्ट्रीय भावनाओं से भरा है। आपकी एक बहन श्रीरानी श्रीदेवी मुसद्दी का विवाह कानपुर के प्रसिद्ध कार्यकर्त्ता श्रीरामचन्द्र मुसद्दी के साथ हुआ है। सन '४१ के आन्दोलन में श्रीदेवीजी युक्त प्रान्त में सत्याग्रह करने वाली प्रथम मारवाड़ी महिला थी। आपके पुत्र श्रीकेशवदेव गोयनका का विवाह मारवाड़ी समाज के सुप्रसिद्ध व्यक्ति स्व० पद्मराजजी जैन की सौभाग्यवती कन्या श्रीमती इन्दुमती के साथ हुआ। आपने अपनी उपस्थिति में उक्त विवाह-कार्य सम्पन्न कराया। स्वयं मन्त्रोच्चार किये और परदे का एक कोना तक नहीं रखा। समाज में इस तरह का यह पहला विवाह था।

आपकी मृत्यु पर दिल्ली के प्रसिद्ध पत्र 'दैनिक हिन्दुस्तान' ने ३० मार्च, सन ४१ को लिखा—"दिल्ली की पहली शानदार आहुति सत्याग्रह की वेदी पर दी गयी। ......दिल्ली के मारवाड़ी समाज का अनमोल रत्न लुट गया। दिल्ली की कांग्रेस का सहारा जाता रहा। दिल्ली के सार्वजनिक जीवन का दीपक बुझ गया! शान्त कार्यकर्त्ता, गुमसुम रहने वाला नेता, प्रबल समाज-सुधारक और ठोस कार्य में विश्वास रखने वाला एक आदर्श व्यक्ति हम में से उठ गया।"

आपकी मृत्यु पर श्रीकेशवदेव गोयनका के नाम महात्माजी ने एक पत्र में लिखा था—

सेवाग्राम
वर्धा होकर (मध्यप्रान्त)
४—४—४१

भाई केशवदासजी,

श्रीकेदारनाथजी के स्वर्गवास से दुःख होना स्वभाविक है, लेकिन उन्होंने जीवन कृतार्थ किया। हम शान्त रहें।

बापू के आशीर्वाद।

श्रीफूलचन्द

आपका जीवन दैनिक 'अर्जुन' के संवाददाता के रूप में शुरू हुआ। उसके चीफ रिपोर्टर की हैसियत से आपको कई बार जेल की सजा हुई। कांग्रेस के कार्यों में आप बराबर भाग लेते आये हैं।

श्रीब्रजकृष्ण चांदीवाले

दिल्ली के राष्ट्रीय जीवन में आपका व्यक्तित्व बड़ा ही लुभावना रहा है। अपनी दिल्ली-यात्रा में महात्माजी कई बार आपके यहां ठहरे थे। राष्ट्रीय आंदोलनों में आप जेल-यात्रा कर चुके हैं।

सेठ आनन्दराजजी सुराणा

कांग्रेस के आन्दोलनों में आपने बराबर भाग लिया है। कांग्रेस के आप एक प्रसिद्ध कार्यकर्त्ता हैं। पिछले आन्दोलनों में आप कई बार जेल जा चुके हैं।

ला० दुलपत सिंह सुराणा

कांग्रेस के रचनात्मक कार्यों में चरखा की ओर आपका विशेष झुकाव है। चरखा-प्रचार के लिये आप बराबर सचेष्ट रहते हैं। कांग्रेस-आंदोलनों में आप कई बार जेल जा चुके हैं।

श्रीअयोध्या प्रसाद गोयलीय

पहली बार आपको ढाई महीने की सजा नमक-सत्याग्रह में हुई। उस समय पुलिस ने आपको काफी कष्ट दिया। आपके गुप्तांगों में सूइयां तक घुसेड़ी गयीं। आप एक सफल लेखक और कवि हैं।

श्रीजैनेन्द्र कुमार

हिन्दी-साहित्य के आप प्रख्यात कहानीकार, उपन्यासकार और विचार-प्रधान लेखक हैं। राजनीति से भी आपको गहरा प्रेम है। अपने इसी प्रेम के कारण पिछले कांग्रेस-आंदोलनों में आप जेल की सजा भुगत चुके हैं।

वैद्य मामन सिंहजी प्रेमी

कांग्रेस के आप एक सफल कार्यकर्त्ता हैं। कांग्रेस आंदोलनों में सक्रिय भाग लेने के कारण आप गिरफ्तार किये गये और कई बार जेल की सजा काटी।

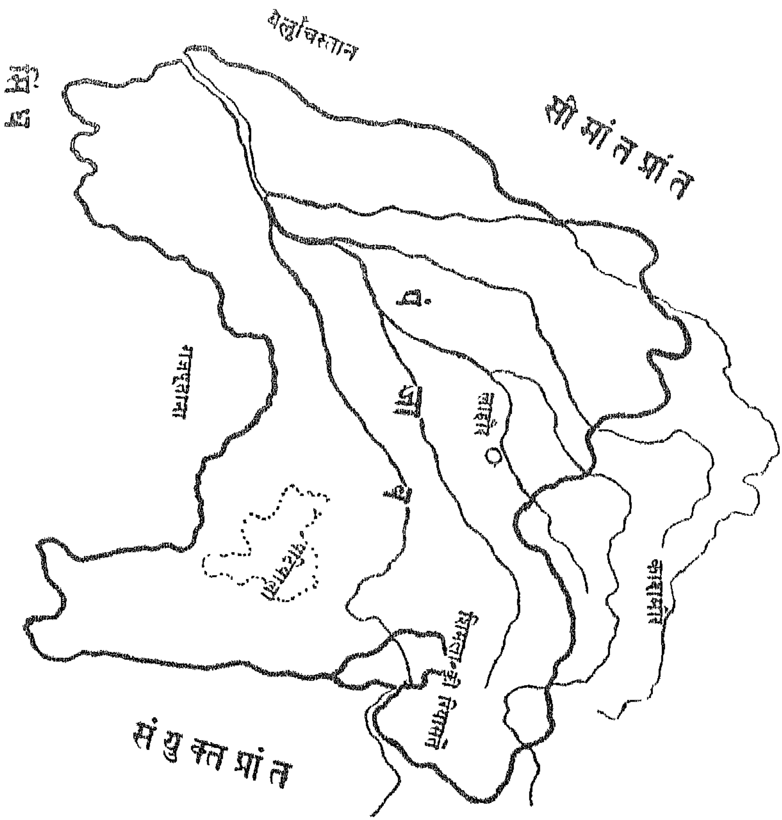
श्रीकमलचन्द्र जैन जौहरी

कांग्रेस के आप एक कर्मठ कार्यकर्त्ता हैं। देश के कार्यों में आपने बराबर भाग लिया है। सन् '३० के आंदोलन में भाग लेने के कारण पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया। उस समय आपको कोड़ों से पीटा गया था।

श्रीमदनलाल सोढानी

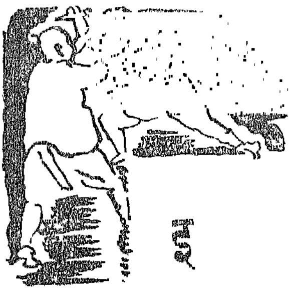
सन् बयालीस के आंदोलन में आपने सक्रिय भाग लिया। आंदोलन के गुप्त सञ्चालन का सङ्गठन करने के लिये जब श्रीजयप्रकाश नारायण कलकत्ते से दिल्ली गये, उन्हें आपने ही छिपाकर रखा। फिर दूसरे दर्जे में अपने नाम से सिट रिजर्व करा आपने उन्हें दिल्ली से पञ्जाब भेजा। जब श्रीजयप्रकाश नारायण गिरफ्तार हो गये, तब सरकार ने आपको भी कैद किया। आप कई महीनों तक दिल्ली के लाल किले में रखे गये थे। आपकी शिक्षा ऊँची श्रेणी तक हुई है। आप एक कुशल व्यापारी हैं। कांग्रेस के कार्यों में आप बराबर भाग लेते हैं।

पंजाब-प्रान्त



अगस्त-क्रान्ति में पंजाब ने जैसा चाहिए, वैसा भाग नहीं लिया।

पंजाब-प्रान्त



इसके उत्तर में काश्मीर रियासत, दक्षिण में राजपूताना एजेंसी, पूर्व में युक्तप्रान्त और पश्चिम में उत्तर-पश्चिमी सीमान्त प्रान्त हैं।

इस प्रान्त के तीन प्राकृतिक हिस्से हैं--(क) हिमालय के पहाड़ी जिले जो हिमालय के सिल-सिले का हिस्सा है। (ख) पंजाब खास-सिन्ध और सतलज के बीच में है। (ग) वह इलाका जो सतलज और यमुना नदियों के बीच है।

इस सूबे में पाँच प्रसिद्ध नदियाँ हैं, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम।

यह प्रान्त गर्मियों में निहायत गर्म रहता है। यहाँ वर्षा कम होने के कारण नहरें खोदी गयी हैं, जिनसे सिंचाई होती है। यहाँ की अधिकतर जमीन खेती के काबिल है। खास फसलें हैं—गेहूं, जौ, ज्वार, दाल, तेलहन, गन्ना और रूई। गेहूं यहां काफी पैदा होता है। इसी कारण यह प्रान्त 'भारत का खलियाना' कहा जाता है। यहां का नमक संसार-प्रसिद्ध है। सूती, रेशमी और कारचोबी दुशाला, हाथी-दांत, पीतल की पच्चीकारी, चाकू और कैंची बनाने का काम यहाँ होता है।

सन् ११९३ में इस प्रान्त पर मुसलमानों का अधिकार हुआ। सन् १८४९ में अंगरेजों ने सिक्खों को हराकर इसे जीता।

बम्बई में नेताओं की गिरफ्तारी के बाद यहाँ भी व्यापक हड़तालें हुईं। लाहौर और रावलपिंडी के बीच कई जगह तार काटे गये और आवागमन बन्द करने की-चेष्टाएँ की गयीं।

सरकार ने कांग्रेस के दफ्तरों में ताले लगा दिये। इस आन्दोलन में महिलाओं और छात्राओं ने अधिक भाग लिया। श्रीजयप्रकाश नारायण के जेल से भागने के बाद पंजाब के नवजवानों ने आन्दोलन के गुप्त कार्यों में काफी हाथ बटाया।

हिसार जिला

पं० नेकीरामजी शर्मा

आप कांग्रेस के एक पुराने और प्रसिद्ध कार्यकर्त्ता हैं। राष्ट्रीय आन्दोलनों में आपने बराबर भाग लिया है। सन् १९२१ के आन्दोलन में राष्ट्रीय कार्यों के सिलसिले में पहली बार आपकी गिरफ्तार हुई। तबसे कांग्रेस-द्वारा परिचालित सभी आन्दोलनों में आपने सीना तानकर भाग लिया और इस प्रकार गिरफ्तार होकर जेल की सजा पायी।

श्रीमती एनी बेसेंट के होमरूल-लीग आन्दोलन में भी आपने भाग लिया था। तब भी राष्ट्रीय कार्यों के सम्पादन में आपकी भावी लगन का अच्छी तरह परिचय मिला था। राजनीति के अलावे सामाजिक और सार्वजनिक कार्यों में आप बराबर अपना सहयोग प्रदान करते हैं।

पता- -हिसार, पूर्वी पंजाब

श्रीमेलाराम वैश्य

आपका जन्म संवत् १९३९ में हुआ। आप उच्च कोटि के कवि और लेखक हैं। हिन्दी में आपने कई पुस्तकें लिखी हैं। भिवानी के प्रतिष्ठित व्यापारियों में आपका एक विशिष्ट स्थान है। आपके उद्योग से संवत् १९६४ में दिल्ली मारवाड़ी विद्यालय की स्थापना हुई। हरिद्वार में ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम बनाने के लिये एक प्रतिनिधि-मण्डल संवत् १९६५ में दिल्ली गया था। आपने दिल्ली से २०,००० रु० दिलवा दिये। सन् १९०७ से १९३१ तक आपने वैश्य सभा का संचालन किया। अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा के झरिया-अधिवेशन के आप सभापति रहे।

सन् '२० में आपके ही उद्योग से भिवानी में अम्बाला डिवीजन कांग्रेस हुई। इसमें महात्माजी शामिल हुए थे। इस कांग्रेस के साज और सुव्यवस्थित प्रबन्ध को देख महात्माजी ने कहा था--'अच्छा होगा, यदि कांग्रेस के महाधिवेशन के प्रबन्ध में भिवानी-कांग्रेस का अनुकरण किया जाय।' सन '२१ के आन्दोलन में आपने भी सत्याग्रह में भाग लिया और गिरफ्तार होकर जेल गये।

पता—भिवानी, हिसार

पं० रामकुमारजी बिधात

आप भिवानी, जिला हिसार के रहने वाले हैं। भिवानी म्युनिसिपलिटी के आप कमिश्नर रह चुके हैं। कांग्रेस के कार्यों में आप शुरू से ही भाग ले रहे हैं। राष्ट्रीय आन्दोलनों में हर समय आपने जेल यात्रा की है।

श्रीहरदत्तराय सुक्ला

आपके पिताजी का नाम स्व० चुन्नीलालजी सुक्ला था। पूर्वी पंजाब के हिसार जिला-अन्तर्गत भिवानी में आपका जन्म २ अक्तूबर, सन् १९०२ को हुआ। लिखने-पढ़ने में आपकी विशेष रुचि थी। गवर्नमेंट कालेज, लाहौर से आपने ससम्मान बी० ए० (अर्थ-शास्त्र) की परीक्षा पास की। सन १९२७ में 'ला कालेज' लाहौर से आपने एल-एल० बी० पास किया और सन १९३० में एडवोकेट हुए।

सार्वजनिक कार्यों में आप विशेष भाग लेते हैं। सन १९३२ से '३५ तक आप भिवानी म्युनिसिपल कमिटी के कमिश्नर रहे।

उन दिनों विवाह के सामानों पर चुंगी ली जाती थी। आपने उसे उठा दिया। भिवानी अनाथालय-कमिटी को भी आपने सहयोग दिया। १० वर्षों तक आप इसके अवैतनिक प्रबन्धक रहे। आपके ही सत्प्रयत्न से अनाथालय के वार्षिक अधिवेशन करने की परिपाटी चली।

शिक्षा-प्रचार के लिये आपने सराहनीय प्रयत्न किये। बालिका-विद्यालयके कार्य को सुचारु ढंग से चलाने के लिये आपने सुन्दर प्रबन्ध किया। रामलीला बालिका-विद्यालय और जानकीदास तुलस्यान विद्यालय, महिला-शिक्षा-प्रचार क्षेत्र में आपकी उत्कट लगन के परिचायक हैं। ये दोनों विद्यालय आज भी नारी-समाज में शिक्षा प्रचार के स्तुत्य कार्य सम्पादित कर रहे हैं। भिवानी में आपके ही सत्प्रयत्न से सन १९४० में सरकार ने बालिका-मिडिल स्कूल स्थापित किया।

सन् १९४१ में भिवानी में हिन्दू-मुस्लिम दंगा हुआ। मुस्लिम महल्लों में जाकर आपने दंगा दबाने के लिये काफी कोशिशें की। सरकारी अफसरों ने एक मुसलमान को भड़का कर आपके विरुद्ध धारा ३०२ के अनुसार मुकदमा चलाया। पीछे सरकार ने यह मुकदमा उठा लिया। फिर १०७ धारा के अन्तर्गत आप पर केस चलाया, गया, परन्तु बाद में वह भी उठा लिया गया।

२३ जनवरी, सन् '४३ में स्वतन्त्रता-दिवस के उपलक्ष में साप्ताहिक हिन्दी-पत्र 'एकता' में 'रोटी के बदले पत्थर' शीर्षक एक लेख छपा। सरकार ने इसपर आपत्ति की। फिर हिसार जिला कांग्रेस कमिटी के सभापति की हैसियत से आपने स्वतन्त्रता दिवस के लिये एक कार्यक्रम बनाया। सरकारी रिपोर्ट में कहा गया था कि इससे तार काटने, रेल की पटड़ियाँ उखाड़ने आदि विध्वसात्मक कार्य करने के लिये जनता को उत्तेजित किया गया है। इस सिलसिले में आप ७ दिनों तक भिवानी जेल में नजरबन्द रखे गये। पता—११ विवेकानन्द रोड, कलकत्ता

श्रीरामचन्द्र वैद्य

आपका जन्म हिसार जिले के भिवानी में संवत् १९४८ मे हुआ। आपके पिताजी का नाम स्व० पन्नालालजी वैद्य था। लाहौर-विश्वविद्यालय से आपने बी० ए० किया है। मारवाड़ी चेम्बर आफ कामर्स बम्बई के आप एक वर्ष सभापति और काटन एक्सचेंज कराची के एक वर्ष सदस्य रह चुके हैं।

सन् '३२ के आन्दोलन में ८ महीने की सजा आपने हिसार जेल में काटी। फिर सन् '३१ के आन्दोलन में हिसार, लाहौर और गुजरात की जेलों में आप एक साल तक रखे गये। कांग्रेस के आप एक योग्य कार्यकर्ता हैं।

पता—२९ बांसतला स्ट्रीट, कलकत्ता

लाला श्यामलालजी

आप अग्रवाल मारवाड़ी हैं। सिरसा से आपके पूर्वज हिसार आये। सन् '२१ में वकालत छोड़कर आपने सत्याग्रह-आन्दोलन में भाग लिया। इस बार आपको २ साल की सजा हुई। जेल से रिहा होने के बाद आप साबरमती आश्रम में रहने लगे।

कांग्रेस-टिकट पर आप दो बार पंजाब प्रान्तीय धारा-सभा और सन् १९४० में केन्द्रीय असेम्बली के सदस्य बने। सन् '४१ के आन्दोलन में अपनी वृद्धावस्था का जरा भी ख्याल न कर आपने सत्याग्रह में भाग लिया। आपकी पत्नी और पुत्र डा० मदनगोपालजी भी कांग्रेस के नये कार्यकर्ता हैं।

पता-हिसार, पंजाब (पूर्वी)

श्रीमती चन्द्रबाई

आप सुप्रसिद्ध कांग्रेसी-नेता लाला श्यामलालजी की पत्नी हैं। पंजाब की आप प्रथम सत्याग्रही मारवाड़ी महिला हैं। राष्ट्रीय कार्यों में आपने भी काफी भाग लिया है। सन् ४१ के सत्याग्रह-आन्दोलन में आपने भी पति की तरह भाग लिया। कानून भंग कर आप गिरफ्तार हुईं और ६ महीने जेल में रहीं।

पता—हिसार, पूर्वी पंजाब

श्रीजुगलकिशोर एडवोकेट

हिसार के आप प्रसिद्ध राष्ट्रीय कार्यकर्त्ता हैं। राष्ट्रीय कार्यों के सिलसिले में आपने हाईकोर्ट की वकालत छोड़ दी। कांग्रेस के आन्दोलनों में आप कई बार जेल-यात्रा कर चुके हैं।

पता—हिसार, पूर्वी पंजाब

रोहतक जिला

ला० तनसुखरायजी जैन

आप एक प्रतिभाशाली राष्ट्रीय कार्यकर्त्ता हैं। राष्ट्रीय आन्दोलनों में आप कई बार जेल हो आये हैं। दिल्ली में आपने 'तिलक-बीमा-कम्पनी' की स्थापना की थी, जिसके आप वर्षों तक मैनेजिंग डायरेक्टर रहे। भारतीय दिगम्बर जैन-परिषद् के आप प्रधान मंत्री भी रह चुके हैं।

गुजरानवाला जिला

बा० कीर्तिप्रसाद वकील

आप बिनौली (मेरठ) के निवासी हैं। सन् '२१ के आन्दोलन में आपने वकालत छोड़ दी। उस समय कांग्रेस-मंत्री की हैसियत से आप काम करने लगे। कांग्रेस की ओर से आप 'बार ट्रिब्यूनल जज' भी बनाये गये। कई बार आप जेल-यात्रा कर चुके हैं। गुजरानवाला गुरुकुल के आप अधिष्ठाता हैं।

ला० त्रिलोकचन्दजी

सन् १९२१ से ही आप देश की सेवा कर रहे हैं। कांग्रेस के आप एक प्रसिद्ध कार्यकर्त्ता हैं। गुजरानवाला कांग्रेस-कमिटी के आप प्रधान मन्त्री रह चुके हैं। कांग्रेस-आन्दोलनों के सिलसिले में आप कई बार जेल-यात्रा भी कर चुके हैं। गुजरानवाला गुरुकुल के कुछ दिनों तक आप मन्त्री भी रहे।

अम्बाला जिला

श्रीमती लेखवतीजी जैन

सन् १९३० से आप कांग्रेस का कार्य कर रही हैं। लाहौर-कांग्रेस-अधिवेशन में आपने स्वयंसेविका के रूप में भाग लिया। सन् १९३१ में शिमला में असेम्बली-

भवन के सामने आपने पिकेटिंग की। जिला कांग्रेस-कमिटी अम्बाला की आप सभानेतृ रह चुकी हैं। विद्यार्थी-कांग्रेस की भी आप सभानेतृ रही हैं। रियासती आन्दोलनों में आप पूरा भाग लेती हैं। सन् १९३३ से ३६ तक आप पंजाब प्रान्तीय कौंसिल की सदस्या रहीं। कांग्रेस-आन्दोलनों में आप कई बार जेल-यात्रा कर चुकी हैं।

श्रीसुमेरचन्द जैन

आप जगाधारी के रहने वाले हैं। सन १९२५ से आप बराबर मुकामी कांग्रेस वर्किंग कमिटी के सदस्य की हैसियत से कार्य कर रहे हैं। सन '३० के ११ नवम्बर को आप गिरफ्तार हुए और ४ महीने तक मुकदमा चलाने के बाद सरकार ने रिहा कर दिया। ३२ वर्ष की आयु में आपकी पत्नी का देहान्त हो गया। इस दुर्घटना के कारण आपने आजन्म ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली। सन् १९४४ से घर से विरक्त होकर आप आध्यात्मिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

गुड़गांव जिला

श्रीरामजीलाल जैन

आप रिवाड़ी के रहने वाले हैं। सन् १९२१ से ही आप राष्ट्रीय कार्यों में भाग ले रहे हैं। राष्ट्रीय आन्दोलनों में आप कई बार जेल हो आये हैं।

श्रीरतनलाल जैन

आप भी रिवाड़ी के रहनेवाले हैं। सन् १९४० से आप कांग्रेस में कार्य कर रहे हैं। सन १९४२ के आन्दोलन में आपने जेल-यात्रा की। स्थानीय कांग्रेस-कमिटी के प्रचार-विभाग के आप मन्त्री रह चुके हैं।

श्रीबाबूलाल जैन

आपने बी० ए० तक शिक्षा प्राप्त की है। सन् १९३२ से आप कांग्रेस में भाग ले रहे हैं। स्थानीय कांग्रेस-कमिटी के आप सहायक और प्रधान मन्त्री रह चुके हैं। कांग्रेस-आन्दोलनों में आप जेल-यात्रा भी कर चुके हैं।

समाज के कुछ व्यक्ति

आगे के पृष्ठों पर मारवाड़ी समाज के उन व्यक्तियों का जीवन-चरित दिया जा रहा है, जिनकी सेवाएं राष्ट्रीय, सामाजिक और सार्वजनिक क्षेत्र में समादृत हैं। प्रांतीय असेम्बलियों, आजाद हिंद फौज और भारत की देशी रियासतों में अपनी कर्मठता, लोकप्रियता, राष्ट्रीयता और सार्वजनीन भावना के कारण उनका शीर्ष स्थान है।

स्वयंसेवकों के एक जत्थे के साथ दिल्ली जाते हुए आप जयपुर स्टेशन पर ही गिरफ्तार कर लिये गये। इस बार आपको एक साल की सजा हुई।

कई वर्षों तक आप अजमेर कांग्रेस-कमिटी, जैन नवयुवक मण्डल आदि संस्थाओं के प्रधान रहे हैं। सन १९३९ में कांग्रेस-टिकट पर भारी बहुमत से आप म्युनिसिपल कमिश्नर चुने गये। सन '४२ के आन्दोलन में आप फिर गिरफ्तार हुए और एक साल जेल में रहे।

सन १९४६ में आप अजमेर म्युनिसिपलिटी के चेयरमैन हैं और सन १९४७ में अजमेर कांग्रेस-कमिटी के प्रधान। आप एक मिलनसार, सरल और सहृदय व्यक्ति हैं।

पता—ब्रह्मपुरी, अजमेर

श्रीमती सरदारबाई लूणिया

आप प्रसिद्ध कांग्रेसी कार्यकर्त्ता श्रीजीतमल लूणिया की धर्मपत्नी हैं। राष्ट्रीय कार्यों में आप बराबर अपना सहयोग प्रदान करती आयी हैं। ८ अगस्त, १९४२ को अजमेर में एक जुलूस का नेतृत्व करते समय घंटाघर के सामने आप गिरफ्तार कर ली गयी। परदा प्रथा तोड़कर राष्ट्रीय संग्राम में इस प्रकार भाग लेने वाली आप अजमेर की ही नहीं, वरन राजस्थान के मारवाड़ी समाज की सर्वप्रथम महिला है। आपको तीन मास की कठोर सजा मिली। जेल में आपके साथ आपके तीन वर्ष के पुत्र चि० प्रतापसिंह लूणिया भी रहे।

पता—ब्रह्मपुरी, अजमेर

समाप्त